पंचदश माला, खंड 21, अंक 11

गुरुवार, 08 दिसम्बर, 2011
17 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 10 Sept 2014

सत्यमेव जयते

(खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनीता उपाध्याय
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 21, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 11, गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2011/17 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री देव आनंद का निधन	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201	3–4
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 202 से 220	5–77
अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530	78–509
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	510–515
रक्षा संबधी स्थायी समिति.	
13वां प्रतिवेदन	516
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति.	
विवरण	516
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति.	
(एक) 23वां प्रतिवेदन	517
(दो) साक्ष्य	517
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य.	518
(एक) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित 'ब्रह्मपुत्र बोर्ड का कार्यकरण' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पवन कुमार बंसल	518
(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 217वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में उद्योग सबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन से अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री वीरभद्र सिंह	518–519

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2011-12.	519
सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित.	
(एक) भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2011	519
(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक, 2011	520
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र के गडचिरोली, वाडसा, देवरी और ब्रह्मपुरी शहरों को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	521
(दो) राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए केन्द्र सरकार की योजनाएं क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री इज्यराज सिंह	522
(तीन) धुंध भरे मौसम के कारण फैजाबाद और लखनऊ के बीच रद्द की गयी यात्री रेल सेवाएं पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. निर्मल खत्री	522
(चार) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में जनजातीय लोगों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. क्रुपारानी किल्ली	522
(पांच) तमिलनाडु में रोयापुरम रेलवे स्टेशन को चेन्नई के तीसरे रेलवे टर्मिनस के रूप में विकसित करने तथा एग्मौर रेलवे स्टेशन से दक्षिणी जिलों की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों का प्रचालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.एस. रामासुब्बू	522–523
(छह) देश की आगामी जातिगत संगणना में ईसाइयों की उपजातियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री चार्ल्स डिएस	523–524
(सात) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाऊ केमिकल्स के संचालन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	524
(आठ) देश में वृद्ध, विधवा और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को पर्याप्त पेंशन दिए जाने की आवश्यकता	
डॉ. राजन सुशांत	524–525
(नौ) सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरभद्र कश्यप	525

विषय कॉलम

(दस) कर्नाटक के बेलगाम शहर के निवासियों को जलापूर्ति करने के लिए वहां जल उपचार संयंत्र की स्थापना करने के लिए रक्षा प्राधिकरण के अंतर्गत भूमि दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश अंगड़ी 525–526

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

श्री रामकिशुन 526

(बारह) देश में अतिसार संबंधी रोगों के कारण उच्च शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सीमा उपाध्याय 526–527

(तेरह) केरल में परंपरागत उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघा और बीड़ी कर्मकारों के लिए एक विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन 527

(चौदह) ओडिशा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण की गति में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री रूद्रमाधव राय 527–528

(पन्द्रह) महाराष्ट्र में नवी मुम्बई में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के विकास के प्रस्ताव को पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजीव गणेश नाईक 528–529

(सोलह) मुम्बई-नागरकोइल-मुम्बई रेलगाड़ी (संख्या 26339-40) को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमार 529–530

(सत्रह) पश्चिम बंगाल में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा विभिन्न कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा 530

(अठारह) मुल्लापेरियार बांध मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि 530–531

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत में मूल्य वृद्धि की स्थिति 533

श्री गुरुदास दासगुप्त 533–543

श्री पी.सी. चाको 544–553

श्रीमती सुषमा स्वराज 553–565

विषय	कॉलम

श्री रेवती रमण सिंह 566–570

श्री दारा सिंह चौहान 570–573

श्री जोस के. मणि 573–575

श्री शरद यादव 575–579

श्री देवजी एम. पटेल 579–581

श्री कल्याण बनर्जी 581–585

श्री अर्जुन राम मेघवाल 585–587

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी 587–589

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 589–591

श्री सतपाल महाराज 591–594

श्री नारनभाई कछाड़िया 594–595

श्री शैलन्द्र कुमार 595

डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 595–596

श्री ए. गणेशमूर्ति 596–598

श्री प्रेमदास 598

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन 599–601

श्री रमाशंकर राजभर 601–604

श्री बसुदेव आचार्य 604–607

श्री प्रताप सिंह बाजवा 607–611

श्री वीरेन्द्र कश्यप 611–612

श्री प्रेमदास राय 612

श्रीमती दर्शना जरदोश 612–614

श्री चार्ल्स डिएस 614

श्री भर्तृहरि महताब 614–619

श्री एस.एस. रामासुब्बू 619–620

श्री पी. करूणाकरन 620–622

श्री आनंदराव अडसुल 622–624

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 624–626

विषय	कॉलम
श्री एंटो एंटोनी	627
श्री के. सुगुमार	627
श्रीमती सुप्रिया सुले	628–632
श्री पी. कुमार	632
डॉ. एम. तम्बिदुरई	632–636
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	636–637
श्री नामा नागेश्वसर राव	637–642
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	642–646
श्री एस. सेम्मलई	646–648
कुमारी मीनाक्षी नटराजन	648–651
श्री राम सिंह कस्वां	652–653
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	653–559
श्री नरहरि महतो	659–660
श्री पी.टी. थॉमस	660–661
श्रीमती पुतुल कुमारी	661–664
श्री कामेश्वर बैठा	664–665
डॉ. रत्ना डे	666
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	683
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	684–692
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	693–694
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	693–696

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2011/17 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री देव आनंद का निधन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, जैसाकि आपको ज्ञात है कि देव आनन्द के नाम से विख्यात हिन्दी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता फिल्म निर्माता और निदेशक श्री धर्म देव आनन्द अब हमारे बीच नहीं रहे।

श्री देव आनन्द ने चित्रपट पर अपने अभिनय से भारत और विदेशों में सिनेमा-प्रेमियों की अनेक पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया।

अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त श्री देव आनन्द को भारती सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने 2001 में पदमभूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया।

यद्यपि उनके निधन से हुई रिक्तता को भरा नहीं जा सकता है किन्तु उनकी फिल्में उनके प्रशंसकों और सिनेमा-प्रेमियों को सम्मोहित करती रहेंगी।

श्री देव आनन्द का निधन 88 वर्ष की आयु में 3 दिसम्बर, 2011 को लंदन में हुआ।

हम श्री देव आनन्द के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

सभा अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 201, श्री आनंदराव अडसुल।

...*(व्यवधान)*

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): प्रश्न संख्या 201 ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, गृह मंत्री श्री चिदम्बरम के खिलाफ कोर्ट का आदेश आया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, प्रश्न काल चलने दीजिए। रोज़ कोई न कोई बात हो जाती है, प्रश्न काल को मत टालिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया प्रश्न काल चलने दें, बाद में इसे उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय श्री एम. आनंदन, श्रीमती अश्वमेध देवी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

यह क्या है?

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

इस मसय श्री ए.के.एस. विजयन और कुछ अन्य सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस चले जाएं। आप यहां क्यों आए हैं? कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 201. श्री आनंदराव अडसुल।

तेल संरक्षण

***201. श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल संसाधनों के तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य दोहन तथा इसके वास्तविक दोहन के बीच कोई अंतर है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुशल उपयोग द्वारा तेल संरक्षण को तीव्र कुशल और नई ऊर्जा का किफायती स्रोत माना गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा तेल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ङ) उक्त प्रयोजनार्थ उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने सहित तेल संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप इसमें अब तक कितनी सफलता मिली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) और (ख) जी हां। तेल और गैस भंडारों के विकास और अन्वेषण के लिए एक निश्चित समय-सीमा अपेक्षित होती है जो खोज के स्थल/आकार, बुनियादी सुविधाओं और अन्य तेल क्षेत्र संबंधी सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ऊर्जा के तीव्र, कुशल और किफायती स्रोत के रूप में तेल के कुशल उपयोग के जरिए तेल संरक्षण पर विचार कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत समिति के रूप में वर्ष 1978 में पेट्रोलियम संरक्षण और अनुसंधान संघ (पीसीआरए) की स्थापना की है। इसको परिवहन, उद्योग परिवारों और कृषि जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बढ़ावा देने का अधिदेश दिया गया है।

पीसीआरए पेट्रोलियम संरक्षण के लिए नीतियों और कार्यनीतियों का प्रस्ताव करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा देने के कार्य में लगी हुई है। यह तेल संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है और उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन सहित तेल संरक्षण के संबंध में अनेक कार्यकलापों को बढ़ावा देती है।

(ङ) पिछले चार वर्षों में तीसरे पक्षकार द्वारा यथा-आकलित, पीसीआरए द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों के कारण हुई बचन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
अनुमानित बचत	692	890	1,123	1,493

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपको क्या हो गया है, आप लोग अपनी अपनी सीट्स पर जाएं।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

किराया और मालभाड़ा संबंधी ढांचा

***202. श्री गजानन ध. बाबर:**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में उत्तार-चढ़ाव का भारतीय रेल के किराए तथा मालभाड़े के ढांचे पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीजल/पेट्रोल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल में बहुआयामी मूल्य निर्धारण नीति सहित मालभाड़े के ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के लिए कोई कवायद शुरू की गई है;

(घ) यदि हां तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सड़कों सहित परिवहन के अन्य साधनों के साथ रेलवे के मालभाड़े की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) इस समय भारतीय रेलों पर किराए और मालभाड़े की संरचना में समायोजन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मल्यों में उतार-चढ़ावों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) किराया और मालभाड़े की संरचना के युक्तिकरण से संबंधित विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसी कवायदें अभी अन्वेषणात्मक प्रकृति की हैं और ये ईंधन के मूल्यों में उतार-चढ़ावों के अनुरूप किरायों में संशोधन हेतु योजनाबद्ध प्रस्ताव नहीं हैं।

(ङ) परिवहन के अन्य साधनों के मुकाबले रेलवे की प्रतिस्पर्धा क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष की अलग-अलग अवधियों के दौरान प्राप्त होने वाली मांग और देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली मांग को विशेष रूप से पूरा करने के लिए विभिन्न टैरिफ-व्यवस्थाओं का कार्यान्वयन करना शामिल है। अतिरिक्त यातायात को आकर्षित करने के लिए कई मालभाड़ा प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें (i) परंपरागत तौर पर खाली चलने वाली दिशाओं के लिए प्रोत्साहन योजना (ii) खुले और सपाट वैगनों में बैग-बंद माल के लदान के लिए प्रोत्साहन योजना (iii) फ्रेट अग्रेषकों के लिए प्रोत्साहन योजना और (iv) इन्क्रीमेंटल यातायात के लिए प्रोत्साहन योजना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए विधिक सुधार

***203. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:**
डॉ. एम. तम्बिदुरई:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न न्यायालयों में महिलाओं के प्रति अपराध के कितने मामले दायर किए गए हैं;

(ख) न्यायालयों द्वारा कितने मामलों में निर्णय दिये गए हैं तथा कितने मामले अभी भी लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से निपटने के लिए पृथक 'फास्ट ट्रैक' न्यायालयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति अपराध के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए किसी विधिक सुधार, यदि कोई है, पर विचार किया गया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा पिछले तीन वर्षों में देश में रिपोर्ट किए गए महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	रिपोर्ट किए गए आपराधिक मामलों की संख्या
2008	1,95,856
2009	2,03,804
2010	2,13,585

चूंकि, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, वार्षिक रूप से आकड़े रखता है, चालू वर्ष के दौरान मामलों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) ऐसी जानकारी न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) सरकार ने, ऐसे उपायों की श्रृंखला पर ध्यान दिया है जिसमें विद्यमान विधियों का संशोधन, नई विधियों को बनाने के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करना सम्मिलित है। संघ के गृह सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्संग के संबंध में विद्यमान उपबंधों की समीक्षा की है तथा संशोधनों के लिए सिफारिशें की हैं। दो नए विधान, अर्थात् महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2010 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक, 2011 संसद में पुरःस्थापित किए गए हैं। प्रथम विधायन, प्रत्येक महिला को, उसकी आयु अथवा नियोजन प्रास्थिति पर ध्यान दिए बिना कार्यस्थल पर सुरक्षित, निश्चित और समर्थकारी वातावरण का उपबंध करता है। विधेयक के अधीन इसके लिए विशिष्ट सुधार तंत्रों का उपबंध किए गए हैं जिसमें संगठित क्षेत्र के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र की सभी महिलाओं के मामले सम्मिलित होंगे। दूसरा विधेयक, बालकों के संरक्षण का उपबंध करेगा जिसमें लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न तथा अश्लील सहित्य के विरुद्ध अपराधों की शिकार किशोरी बालक सम्मिलित है। अपराध करने वाले अभियुक्त के पक्ष में धारणा के सृजन द्वारा, यदि बालक 16 वर्ष की आयु से कम का है, तो विधेयक, ऐसे अपराध के किए जाने विरुद्ध निश्चित संरक्षण का उपबंध करता है। मामले के शीघ्र विचारण के लिए विधेयक में उपबंध भी किए गए हैं।

लंबित मामलों की संख्या को कम किए जाने का अभियान एक पहल है, जिसमें, तुच्छ मामलों के साथ पुराने लंबित मामलों को निपटाने के लिए जुलाई-दिसंबर, 2011 के मध्य, न्यायालयों द्वारा चलाए जाने वाले अभियान के रूप में शुभारंभ किया गया है। अभियान के दौरान महिला, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य निर्धन वर्गों के समूहों से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अन्य उपाय जिसमें तुच्छ मामलों के निपटान के लिए प्रातःकालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालयों के आयोजन द्वारा विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करके न्यायालय के कार्यघंटों की संख्या में वृद्धि करना है। 2010-15 की अवधि के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के प्रयोजन के लिए 2500 करोड़ रुपए के उपबंध किए गए हैं। विधियों पर न्यायाधीशों के प्रशिक्षण और निर्धन वर्ग, जिसमें महिला, बालक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भी है, से संबंधित मुद्दों के लिए मापदंड भी विकसित किए जा रहे हैं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

***204. श्री हुक्मदेव नारायण यादवः** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष-वार तथा राज्य-वार संस्तुत, स्वीकृत तथा पूरे किए गए कार्यों/परियोजनाओं एवं जारी और उपयोग की गई धनराशि के संदर्भ में वास्तविक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन क्या रहा;

(ख) क्या अनेक परियोजनाएं/योजनाएं अधूरी हैं और लंबित भी हैं;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं/योजनाओं के पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) विगत दो वर्षो तथा चालू वर्ष (5 दिसम्बर 2011 तक) के दौरान संस्तुत, स्वीकृत, पूरे किए गए कार्यों और जारी/उपयोग की गई धनराशि के वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन संबंधी राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संस्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय के अंदर पूरा करने का प्रावधान रखा गया है, तथापि, कार्यान्वयन प्राधिकारियों के स्तर पर कार्यों को पूरा करने में कुछ विलंब हो जाता है, जिनके ब्यौरों का रखरखाव जिला स्तर पर किया जाता है। विलंब के मुख्य कारणों में भूमि की उपलब्धता, प्राक्कलनों को तैयार करना तथा तकनीकी व प्रशासनिक अनुमोदन मिलना शामिल है।

(घ) जी हां। एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देश पब्लिक डोमेन पर मंत्रालय की वेबसाइट www.mplads.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ङ) एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में एमपीलैड स्कीम को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का प्रावधान है। मंत्रालय कार्यों को समय से पूरा करने तथा दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए जिला प्राधिकारियों को समय-समय पर दिशानिर्देशों के प्रावधान को दोहराता रहा है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2009-10					2010-11					2011-12 (5 दिसम्बर 2011 तक)				
		भारत सरकार द्वारा जारी निधि	उपयोग की गई निधि	संस्तुत कार्य	स्वीकृत कार्य	पूरे किए गए कार्य	भारत सरकार द्वारा जारी निधि	उपयोग की गई निधि	संस्तुत कार्य	स्वीकृत कार्य	पूरे किए गए कार्य	भारत सरकार द्वारा जारी निधि	उपयोग की गई निधि	संस्तुत कार्य	स्वीकृत कार्य	पूरे किए गए कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	मनोनीत	18.00	20.59	305	298	213	22.00	12.97	257	189	201	16.50	14.61	537	407	379
2.	आंध्र प्रदेश	117.00	68.35	5327	4483	4230	102.00	109.74	6900	6776	6401	136.00	93.84	6395	5879	3847
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	5.12	113	72	133	6.00	7.91	146	149	148	8.50	3.78	128	68	67
4.	असम	37.00	29.44	2415	2135	2546	34.00	36.85	2697	2934	2593	52.50	23.28	1082	1595	1371
5.	बिहार	100.50	59.55	1650	1673	2694	111.53	76.62	2606	1844	1267	61.48	59.16	2408	1462	940
6.	गोवा	6.00	3.45	23	26	46	3.00	4.85	82	61	43	3.50	5.85	115	43	39
7.	गुजरात	74.00	57.70	5009	3372	4209	78.00	55.26	6522	6374	4550	68.50	48.29	6026	4155	3336
8.	हरियाणा	25.00	14.96	921	904	829	29.00	28.35	2272	1099	1086	41.50	12.42	1179	856	529
9.	हिमाचल प्रदेश	12.00	12.04	860	750	418	15.00	12.52	975	1055	766	19.50	9.60	781	717	572
10.	जम्मू और कश्मीर	17.00	9.28	704	657	633	24.00	12.82	848	1030	448	10.50	13.66	881	656	634
11.	कर्नाटक	84.50	52.36	2508	2033	1811	90.93	63.82	2804	2969	2259	56.07	49.66	2730	2207	1656
12.	केरल	85.00	61.42	1991	824	1543	66.00	52.78	1991	1842	2578	29.50	32.64	2491	1374	1151
13.	मध्य प्रदेश	78.00	53.59	2911	2077	3717	71.86	63.81	4435	3520	3433	92.64	64.93	4068	4156	3793
14.	महाराष्ट्र	154.00	124.40	4617	2842	3208	145.00	120.44	5163	3028	2927	82.50	103.24	5913	3189	2694
15.	मणिपुर	6.00	3.40	79	79	12	6.00	6.55	172	98	206	7.50	4.05	101	101	27
16.	मेघालय	5.00	5.47	256	278	551	6.00	5.82	368	348	47	10.50	6.00	98	205	97
17.	मिजोरम	4.00	4.34	230	230	223	4.00	4.40	245	245	313	5.00	0.15	150	97	113
18.	नागालैंड	5.00	4.00	38	38	38	4.00	4.00	33	33	33	5.00	0.00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	ओडिशा	47.00	32.05	2468	1548	1720	59.00	54.82	5093	4436	3907	62.00	30.11	3767	2086	1579
20.	पंजाब	43.00	37.65	2719	3186	4521	33.00	46.10	3332	3099	2973	63.00	33.39	3760	3062	1461
21.	राजस्थान	53.00	33.22	2490	2170	2234	59.00	53.33	3164	2489	2047	67.00	41.70	2440	1904	1419
22.	सिक्किम	4.00	3.46	32	32	51	4.00	393	102	102	57	5.00	0.00	0	0	0
23.	तमिलनाडु	107.00	73.16	3437	3123	2680	90.00	91.84	2795	2772	2912	122.00	58.26	3295	2142	1495
24.	त्रिपुरा	6.00	3.35	64	62	16	6.00	5.92	27	29	96	6.00	3.36	46	46	35
25.	उत्तर प्रदेश	190.00	116.53	5166	4006	4393	209.00	182.84	5944	5763	4804	271.00	121.70	3464	3152	3215
26.	पश्चिम बंगाल	133.00	104.67	3565	3035	2832	106.00	238.10	3832	3517	2980	118.50	86.88	2767	1950	2706
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.00	0.00	0	2	0	1.00	0.00	0	0	4	2.00	5.67	258	32	4
28.	चंडीगढ़	1.00	1.50	46	22	40	3.00	1.04	39	26	48	0.00	0.71	32	10	9
29.	दादरा और नगर हवेली	1.00	0.28	0	11	4	0.00	1.21	0	0	0	1.00	2.26	54	38	12
30.	दमन और दीव	1.00	1.34	34	6	12	2.00	2.36	13	20	23	3.50	2.40	13	12	25
31.	दिल्ली	20.00	11.66	107	83	150	48.00	12.76	167	86	123	0.00	9.52	134	71	113
32.	लक्षद्वीप	2.00	0.94	5	2	5	7.00	2.59	6	7	3	0.00	0.95	2	3	0
33.	पुडुचेरी	7.00	4.13	37	28	58	3.00	5.51	15	17	54	3.00	1.65	2	4	6
34.	छत्तीसगढ़	30.00	24.21	1334	971	1021	27.00	26.44	1943	1408	1406	33.00	18.58	1669	981	681
35.	उत्तराखंड	13.00	15.26	1162	837	1028	18.00	11.47	873	861	802	23.00	16.73	1041	980	1050
36.	झारखंड	37.50	21.12	968	687	526	40.00	33.17	1498	1247	748	38.50	19.24	1623	1373	955
	कुल	1531.50	1073.99	53891	42582	48345	1533.32	1452.94	67359	59473	52286	1525.68	997.97	59450	45013	36010

आंकड़े जिला प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर

[अनुवाद]

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा बीपी एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के बीच सौदा

***205. डॉ. अनूप कुमार साहा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पादन हिस्सेदारी करार के अंतर्गत 21 ब्लाकों में अन्वेषण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा लिमिटेड के बीच हुए करार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को इन ब्लाकों का ठेका किस मूल्य पर दिया गया था तथा इन ब्लाकों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अब तक कितना निवेश किया गया है;

(ग) इससे प्राप्त गैस की बिक्री के माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया है; और

(घ) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर कितनी राशि के कर तथा अन्य शुल्क लगाए गए तथा उसने वास्तव में कितनी राशि का भुगतान किया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) सरकार ने 21 ब्लाकों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) द्वारा 30% भागीदारी हित (पीआई) के इन ब्लाकों के उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के प्रावधानों के अनुसार बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लि. (बीपीईएएल) को प्रस्तावित समनुदेशन को स्वीकृति प्रदान किए जाने को अनुमोदित कर दिया है।

ये ब्लाक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए एनईएलपी के विभिन्न दौरों के तहत प्रदान किए गए थे। अभी तक 21 ब्लाकों में लगभग 10.28 बिलियन अमेरिकी डालर का निवेश किया गया है और वार्षिक लेखा परीक्षित लेखाओं के अनुसार दिनांक 31.3.2011 तक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लाक से गैस बिक्री पर संविदाकार को प्रोद्भत लाभ पेट्रोलियम 525.75 मिलियन अमेरिकी डालर है।

संविदाकार तेल/गैस उत्पादन पर पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल)/पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल) शुल्क और अन्य सांविधिक उगाहियों और करों के अलावा रायल्टी का भुगतान करेगा। दिनांक 31.03.2011 तक संविदाकार ने भारत सरकार को रायल्टी के रूप में 1228.42 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

[हिन्दी]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

***206. श्री गणेश सिंह:**
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को अनुदान/ऋण सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों द्वारा भेजे गए ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो स्वीकृति हेतु लंबित हैं; और

(घ) लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सिंचाई राज्य का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं की तैयारी, निष्पादन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से किया जाता है।

वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्र सरकार ने देश में वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय ऋण सहायता (सीएलए) प्रदान करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना है जो राज्यों की संसाधन सामर्थ्य से बाहर थीं अथवा पूरा होने की अंतिम अवस्था में थीं। केन्द्र सरकार ने एआईबीपी के तहत इसके प्रारंभ से केंद्रीय ऋण सहायता जारी करने के प्रतिमान में छूट दी है। वर्ष 1999-2000 के बाद से एआईबीपी के तहत केंद्रीय ऋण सहायता विशेष श्रेणी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल पर्वतीय राज्यों तथा ओडिशा के केबीके जिलों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं) की लघु सतही सिंचाई परियोजनाओं को भी प्रदान की गई थी।

सरकार ने दिसंबर, 2006 से एआईबीपी के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों में आगे छूट प्रदान की है। लागू किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण केंद्रीय सहायता केंद्रीय अनुदान के रूप में दी जाएगी जो विशेष श्रेणी राज्यों, सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजना, जनजातीय क्षेत्रों, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 90% तथा गैर विशेष श्रेणी राज्यों में 25% दी जाएगी। परियोजना की राज्य के हिस्से के रूप में बकाया लागत की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से की जानी है।

(ख) गत 3 वर्षों (वर्ष 2008-09 से 2010-11) के दौरान एआईबीपी के तहत राज्य सरकारों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एआईबीपी में शामिल करने हेतु मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई एमएमआई परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II-और सतही एम आई स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III-में दिया गया है।

(घ) परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) वेब आधारित प्रणाली के उपयोग द्वारा केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की टिप्पणियों/परियोजना प्राधिकरणों की अनुपालन रिपोर्ट के संप्रेषण में लगने वाले समय में बहुत कमी हुई है।

(ii) टिप्पणियों को भेजने के लिए समयबद्ध प्रणाली को अपनाया गया है तथा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु भेजने गए प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि से तीन महीनों के भीतर परियोजना अधिकारियों को टिप्पणियों का पहला सेट भेजा जाता है।

(iii) प्रस्तावों को सीडब्ल्यूसी (मुख्यालय) में प्रेषित करने से पहले इनकी जांच सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण हैं।

(iv) राज्य सरकारों के साथ विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय में समय-समय पर एआईबीपी से संबंधित समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं।

विवरण I

गत तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) के दौरान एआईबीपी के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	855.180	1300.728	22.792
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.958	30.780	48.635
3.	असम	405.954	589.973	406.403
4.	बिहार	109.703	77.913	55.754
5.	छत्तीसगढ़	193.040	60.885	174.811
6.	गोवा	39.230	20.250	20.000
7.	गुजरात	258.610	6.080	361.420
8.	हरियाणा	0.00	0.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	119.318	90.680	43.521
10.	जम्मू और कश्मीर	393.066	171.728	156.034
11.	झारखंड	3.720	0.000	242.887
12.	कर्नाटक	442.419	823.828	567.759
13.	केरल	0.905	3.812	10.017
14.	मध्य प्रदेश	473.782	758.46	658.692
15.	महाराष्ट्र	2257.832	1395.395	2069.056
16.	मणिपुर	221.673	42.540	249.997
17.	मेघालय	24.801	22.502	110.195
18.	मिजोरम	50.718	36.450	51.092
19.	नागालैंड	48.598	57.286	70.000
20.	ओडिशा	724.439	871.572	591.681
21.	पंजाब	9.540	22.050	140.476

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	178.620	157.577	41.920
23.	सिक्किम	0.000	2.605	14.364
24.	त्रिपुरा	43.175	36.209	48.000
25.	तमिलनाडु	0.000	0.000	
26.	उत्तर प्रदेश	315.473	238.082	432.538
27.	उत्तराखंड	371.658	127.006	160.060
28.	पश्चिम बंगाल	22.810	0.914	89.100
	कुल	7598.221	6945.590	6837.203

विवरण II

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए एमएमआई स्कीमों के नए प्रस्तावों का विवरण (30.11.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	केएल राव सागर पुलीचिंटला और कृष्णा डेल्टा का आधुनिकीकरण	केन्द्रीय जल आयोग में प्रक्रियाधीन
	बिहार	
2.	पूर्वी कोसी मुख्य नहर का संवर्धन (ईआरअम)	परियोजना प्राधिकरणों से सीडब्ल्यूसी के प्रेक्षणों की अनुपालना प्रतीक्षित हैं।
3.	नेपाल लाभ योजना-09 गंडक योजना (ईआरएम)	परियोजना प्राधिकरणों से सीडब्ल्यूसी के प्रेक्षणों की अनुपालना प्रतीक्षित हैं।
4.	बातेश्वरस्थान गंगा पंप नहर	परियोजना प्राधिकरणों से सीडब्ल्यूसी के प्रेक्षणों की अनुपालना प्रतीक्षित हैं।
	छत्तीसगढ़	
5.	मनियारी टैंक सिंचाई परियोजना-ईआरएम	निधि जारी
	जम्मू और कश्मीर	

1	2	3
6.	रवी मुख्य नहर एन का संवर्धन एवं आधुनिकीकरण	वित्त मंत्रालय में प्रक्रियाधीन
7.	जंगीर नहर का आधुनिकीकरण (नई)	जल संसाधन मंत्रालय में प्रक्रियाधीन
8.	ग्रिमथु नहर का आधुनिकीकरण (नई)	जल संसाधन मंत्रालय में प्रक्रियाधीन
9.	लार नहर का आधुनिकीकरण	केन्द्रीय जल आयोग में प्रक्रियाधीन
	झारखंड	
10.	तजना जलाशय	राज्य सरकार के साथ पत्राचार जारी
11.	राइसा जलाशय	राज्य सरकार के साथ पत्राचार जारी
12.	सूबर्णरेखा परियोजना	वित्त मंत्रालय में प्रक्रियाधीन
13.	बटेश्वरस्थान पंप नहर	केन्द्रीय जल आयोग में प्रक्रियाधीन
	कर्नाटक	
14.	ऊपरी मुल्लामरी	केन्द्रीय जल आयोग में प्रक्रियाधीन
15.	हत्तीकनी	केन्द्रीय जल आयोग में प्रक्रियाधीन
16.	चन्द्रमापल्ली	केन्द्रीय जल आयोग में प्रक्रियाधीन
17.	रामेश्वर एलआईएस	केन्द्रीय जल आयोग में प्रक्रियाधीन
	मध्य प्रदेश	
18.	सिंहपुर परियोजना	निधि जारी
19.	सागर परियोजना	निधि जारी
20.	संजय सागर (बाह) परियोजना	निधि जारी
21.	ऊपरी कोकेटो परियोजना	जल संसाधन मंत्रालय में प्रक्रियाधीन
	महाराष्ट्र	
22.	घूंघीसी बैराज	जल संसाधन मंत्रालय में प्रक्रियाधीन
23.	टेम्भू एलआईएस	योजना आयोग में प्रक्रियाधीन
24.	उरमोदी परियोजना	योजना आयोग में प्रक्रियाधीन
	उत्तर प्रदेश	
25.	बंदायू परियोजना	एआईबीपी के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं।

विवरण III

एआईबीपी के अंतर्गत शामिल करने के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सतही लघु सिंचाई स्कीमों के नए प्रस्तावों का विवरण (30.11.2011 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	लघु सिंचाई स्कीमों की संख्या	प्रस्तावों की स्थिति
1.	असम	35 नई एसएमआई	टिप्पणियों सहित राज्य को लौटाया गया
2.	असम	100 नई एसएमआई	टिप्पणियों सहित राज्य को लौटाया गया
3.	असम	152 नई एसएमआई	जल संसाधन मंत्रालय में प्रक्रियाधीन
4.	छत्तीसगढ़	36 नई एमएमआई	जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष
5.	जम्मू एवं कश्मीर	158 नई एसएमआई	जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष
6.	झारखंड	171 नई एसएमआई	टिप्पणियों सहित राज्य को लौटाया गया
7.	कर्नाटक	111 नई एसएमआई	टिप्पणियों सहित राज्य को लौटाया गया
8.	मध्य प्रदेश	68 नई एसएमआई	जल संसाधन मंत्रालय में प्रक्रियाधीन
9.	ओडिशा	72 नई एसएमआई	टिप्पणियों सहित राज्य को लौटाया गया
10.	त्रिपुरा	37 नई एसएमआई	टिप्पणियों सहित राज्य को लौटाया गया
11.	त्रिपुरा	21 नई एसएमआई	टिप्पणियों सहित राज्य को लौटाया गया
12.	उत्तराखंड	40 नई एसएमआई	जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष

ट्रेनों में चिकित्सा सुविधाएं

*207. **श्री अर्जुन राय:**
श्री भक्त चरण दास:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लम्बी दूरी की ट्रेनों में संवर्द्धित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्सों सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के कर्मचारी बीमार/घायल यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दुरंतों ट्रेनों में जीवन रक्षक औषधियों के साथ-साथ डॉक्टरों तथा पराचिकित्सक स्टाफ की व्यवस्था वाली प्रायोगिक परियोजना सफल रही है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जरूरतमंद यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान समय पर चिकित्सा सहायता/प्राथमिक चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) जी हां। लंबी दूरी की सभी गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स होता है और राजधानी/शताब्दी गाड़ियों सहित सभी नामित गाड़ियों में उन्नत फर्स्ट एड बॉक्स मुहैया कराया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। फ्रंट लाइन स्टॉफ यथा गार्ड्स, गाड़ी अधीक्षक, ट्रेन टिकट परीक्षक, ट्रेन कंडक्टर, स्टेशन मास्टर आदि को फर्स्ट एड देने के कार्य में प्रशिक्षित किया गया है। इन कर्मचारियों के लिए समय-समय पर फर्स्ट एड में रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए जाते हैं।

(घ) पायलट प्रोजक्ट अभी प्रारंभिक चरण में है और फीडबैक का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ङ) रेलवे ने सभी रेलवे स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में फर्स्ट एड सुविधाओं की उपलब्धता पहले ही सुनिश्चित कर दी है। गाड़ी

और रेलवे स्टेशन पर फ्रंट लाइन स्टॉफ को जरूरतमंद यात्रियों को फर्स्ट-एड देने के कार्य में प्रशिक्षित किया गया है। रेलवे डॉक्टरों को भी स्टेशनों पर बुलाया जाता है। यात्री के रूप में यात्रा कर रहे डॉक्टरों को भी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। स्टेशन मास्टर के पास नजदीकी अस्पतालों और डॉक्टरों की सूची होती है, जिनकी सेवाओं का इमरजेंसी में उपयोग किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों को मार्ग में उन स्टेशनों पर भी रोका जाता है, जहां ठहराव नहीं होता है।

लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को प्रदत्त अनुदान

***208. श्री कपिल मुनि करवारिया:**
श्री हरीश चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को प्रदत्त अनुदान और उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग तथा अनियमितताओं संबंधी कुछ शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की संख्या सहित गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद के पास कोई विनियामक तंत्र उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सरकारी अनुदान के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) गत तीन वर्षों अर्थात 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान गैर सरकारी संगठनों को राज्य-वार दिए गए अनुदान संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं। वर्तमान वर्ष में कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 102 गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया है। अन्य सरकार वित्तपोषी संगठनों की सिफारिशों के आधार पर 96 गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया है। काली सूची में डाले गए इन 96 एनजीओ में किसी भी प्रकार का कपार्ट अनुदान शामिल नहीं है। शेष 6 गैर सरकारी संगठनों ने कपार्ट से अनुदान ले लिए हैं। वर्ष-वार/राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने वाले विनियामक तंत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण I

ऐसे गैर सरकारी संगठनों की संख्या जिनके लिए परियोजनाएं मंजूर की गई हैं तथा उपयोग की गई राशि

2008-09

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर सरकारी संगठनों की संख्या	स्वीकृत कुल राशि	उपयोग की गई कुल राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	107	61346805	45003231
2.	असम	10	3024577	1345830
3.	बिहार	80	45118807	36700931
4.	चंडीगढ़	3	2116900	2089180
5.	छत्तीसगढ़	8	5335548	1577629

1	2	3	4	5
6.	दिल्ली	8	2287145	2138331
7.	गुजरात	28	10787497	6408090
8.	हरियाणा	23	8811062	8398226
9.	हिमाचल प्रदेश	15	8142230	7527475
10.	झारखण्ड	15	5379561	5259302
11.	जम्मू व कश्मीर	8	4310300	3857700
12.	कर्नाटक	17	5943807	3784801
13.	केरल	16	10305702	7316379
14.	मध्य प्रदेश	13	11299475	8712827
15.	महाराष्ट्र	17	8216490	4718680
16.	मणिपुर	14	8617975	3167378
17.	ओडिशा	61	22531365	15850560
18.	पंजाब	5	1569150	1156755
19.	राजस्थान	16	10042152	7535127
20.	सिक्किम	1	291580	151800
21.	तमिलनाडु	17	9309700	4977572
22.	त्रिपुरा	4	678890	366940
23.	उत्तराखण्ड	11	7672360	5323608
24.	उत्तर प्रदेश	156	80271710	60329233
25.	पश्चिम बंगाल	50	29395841	18134442
	कुल 25	703	362806629	261832027
		2009-10		
1.	आंध्र प्रदेश	4	7877430	3738350
2.	असम	7	7362176	1461856
3.	बिहार	6	4141582	2116762
4.	चंडीगढ़	1	1599950	1439955
5.	दिल्ली	2	1300000	1200000
6.	गुजरात	21	5830362	632500

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	3	3576788	2924420
8.	कर्नाटक	3	2310440	1762840
9.	केरल	3	1687160	1687160
10.	महाराष्ट्र	8	1896500	194930
11.	मणिपुर	4	4359580	1054130
12.	मिजोरम	1	214775	0
13.	ओडिशा	8	12097606	6102008
14.	तमिलनाडु	1	136350	122715
15.	त्रिपुरा	3	623250	0
16.	उत्तर प्रदेश	4	6333322	1160720
17.	उत्तराखंड	1	2790000	0
18.	पश्चिम बंगाल	8	12407717	4906673
	कुल 18	88	76544988	30505019
		2010-11		
1.	आंध्र बिहार	8	7065950	1722750
2.	बिहार	1	1495175	0
3.	दिल्ली	6	8842500	0
4.	गुजरात	4	2395000	0
5.	गुवाहाटी	1	167300	77100
6.	झारखंड	1	449000	336750
7.	केरल	2	900000	0
8.	राजस्थान	2	329250	
9.	तमिलनाडु	2	5204000	2452000
10.	उत्तर प्रदेश	13	7980967	0
11.	उत्तराखंड	1	450000	0
12.	पश्चिम बंगाल	1	915838	0
	कुल 12	42	36194980	4588600

विवरण II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे गैर सरकारी संगठनों, जिन्होंने कपार्ट से वित्त पोषित परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है, के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	की गई कार्रवाई
1.	इंस्ट्टीयूट ऑफ सोशल वर्क ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, मध्य प्रदेश	वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।
2.	मणिपुर हिल एरिया इनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन एजेंसी, मणिपुर	खातों के निपटान के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है।
3.	श्री सत्यसाई सेवा समिति, ओडिशा	एफआईआर दर्ज की गई है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
4.	नूतन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एजूकेशन एंड अवेयरनेस, राजस्थान	एफआईआर दर्ज की गई है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
5.	जागृति, राजस्थान	एफआईआर दर्ज की गई है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
6.	विवेकानन्द चाइल्ड वेलफेयर होम, पश्चिम बंगाल	स्वैच्छिक संगठन से मूलधन की वसूली की गई है तथा दांडिक ब्याज का कुछ हिस्सा भी वसूल किया गया है। शेष के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण III

राज्य-वार और वर्ष-वार काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्र.सं.	राज्य	वर्ष-वार काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की संख्या			
		2008-09	2009-10	2010-11	अप्रैल से नवम्बर 2011
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	01	14	05	05
2.	बिहार	–	03	–	–
3.	छत्तीसगढ़	–	–	–	01
4.	दिल्ली	02	01	–	–
5.	झारखण्ड	–	01	01	–
6.	कर्नाटक	–	03	–	–
7.	केरल	01	–	–	–
8.	मध्य प्रदेश	–	–	–	01

1	2	3	4	5	6
9.	महाराष्ट्र	–	02	–	–
10.	मणिपुर	–	01-	05	–
11.	नागालैण्ड	–	01	–	–
12.	ओडिशा	03	25	02	–
13.	राजस्थान	03	01	–	–
14.	तमिलनाडु	01	05	01	–
15.	उत्तर प्रदेश	02	01	–	02
16.	पश्चिम बंगाल	01	05	01	01
	कुल	14	63	15	10

नोट 1: काली सूची में डाले गए 102 गैर सरकारी संगठनों में से केवल 6 एनजीओं ने अनुबंध-II में संलग्न ब्यौरों के अनुसार कपार्ट अनुदानों का दुरुपयोग/दुर्विनियोजन किया है। अन्य सरकारी वित्तपोषी संगठनों की सिफारिशों के आधार पर शेष सभी 96 गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया है।

विवरण IV

कपार्ट में गैर-सरकारी संगठनों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए त्रि-स्तरीय निगरानी प्रणाली अर्थात् डेस्क मूल्यांक (वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन), मध्यावधि मूल्यांकन और पश्च मूल्यांकन हैं। अपनाए गए मूल्यांकन के विभिन्न चरणों की व्याख्या नीचे की गई है

वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन:

प्राप्त सभी प्रस्तावों का संबंधित कार्यक्रम प्रभाग द्वारा डेस्क मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही प्रकार के संगठन एवं परियोजनाओं के वित्त पोषण पर विचार किया जाता है।

जब संबंधित प्रभाग डेस्क स्तर पर हर चीज को सही पाता है तो प्रस्ताव को सूचीबद्ध संस्थागत निगरानीकर्ता के जरिए परियोजना के वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है। अपेक्षित आवश्यकताएं पूरी नहीं करने वाले प्रस्तावों को जानकारी की कमी के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है अथवा अतिरिक्त जानकारी ली जाती है। नियुक्त संस्थागत निगरानीकर्ता को कार्य आदेश मिलने की तारीख से 45 दिनों के भीतर कार्य पूरा करना चाहिए। निष्कर्षों के आधार पर प्रस्तावों को दी जाने वाले सहायता की मात्रा निर्धारित करने, कम करने के लिए भेजा जाता है। इसके पश्चात प्रस्ताव को स्वीकृत की जाने वाली सहायता की मात्रा के आधार पर क्षेत्रीय समिति (आरसी) अथवा राष्ट्रीय स्थायी समिति (एनएससी) अथवा कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाता है। सक्षम समिति के अनुमोदन के बाद स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता को संचालित करने वाले निबंधन एवं शर्तों के साथ स्वीकृति पत्र जारी किए जाते हैं।

स्वीकृति के बाद प्रगति एवं क्षेत्र मूल्यांकन रिपोर्ट मिलने पर एक से अधिक किस्तों में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न चरणों में निधियां रिलीज की जाती हैं।

मध्यावधि मूल्यांकन:

अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन से अपेक्षा की जाती है कि वे परियोजना की प्रकृति के अनुसार मासिक/तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर विहित प्रपत्र में प्रगति रिपोर्ट को अग्रेषित करें। सूचीबद्ध संस्थागत निगरानीकर्ता/भागीदारी पूर्णरूप से परियोजना के अनुकूल विषयवस्तु विशेषज्ञ के जरिए मध्यावधि मूल्यांकन कराया जाता है। रिपोर्ट में निष्पादन में पारदर्शिता, लाभार्थी परामर्श एवं परियोजना के कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी, कार्य की गुणवत्ता, सामग्री की खरीद में अपनाई गई प्रक्रियाविधि, लेखा-बही के रख-रखाव आदि के संबंध में जानकारी देने की अपेक्षा की गई है। मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर अनुवर्ती निधियां रिलीज की जाती हैं अथवा अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाती है।

पश्च मूल्यांकन:

समापन रिपोर्ट एवं अन्य अंतिम दस्तावेज प्राप्त होने पर निम्नलिखित के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध संस्थागत निगरानीकर्ताओं द्वारा पश्च मूल्यांकन कराया जाता है:

- यह जांच करने के लिए कि क्या सभी निर्धारित कार्य स्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार किए गए हैं।
- कार्यान्वयन/परिसंपत्तियों के सृजन में लाभार्थियों की संतुष्टि का पता लगाना।
- निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लेखा-बही एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की जांच करना।
- परियोजना का प्रभाव और स्थायित्व के लिए की गई व्यवस्था का मूल्यांक करना।

प्रभाव एवं व्यापक मूल्यांकन:

ऊपर बताए गए नेमी मूल्यांकनों के अलावा, यदि चार वर्षो की अवधि के दौरान किसी एक परियोजना के लिए दी गई सहायता की राशि 50 लाख और अनेक परियोजनाओं के लिए सहायता की राशि 100 लाख से अधिक हो जाती है तो कपार्ट एनजीओ का व्यापक मूल्यांकन अध्ययन भी करता है।

वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान:

यदि कपार्ट यह पाता है कि एनजीओ को रिलीज की गई निधियों का उचित उपयोग नहीं किया जाता है तो संबंधित गैर-सरकारी संगठनों को तब तक आगे की सहायता पर रोक या काली सूची में डाले जाने के रूप में वित्तपोषण पर प्रतिबंध के तहत रखा जाता है जब तक कि उचित सुधार नहीं कर लिए जाते।

निम्नलिखित प्रमुख कारणों से प्रतिबंध लगाए जाते हैं:

- ठेकेदारों के जरिए कार्य को पूरा करने के लिए
- निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन
- प्रतिकूल मूल्यांकन निष्कर्ष
- लक्षित प्रयोजन के अलावा अन्य के लिए निधियों का दुरुपयोग का विपथन
- अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करना
- कपार्ट की पूर्व अनुमति के बगैर स्थान, लाभार्थियों में बदलाव
- दस्तावेजों का जाली होना

दुरुपयोग किए गए अनुदानों की वसूली की कानूनी कार्रवाई:

एनजीओ को दी गई सहायता का संचालन करने वाली निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन तथा दुरुपयोग किए गए अनुदानों के प्राप्त न होने की स्थिति में कपार्ट न्यायालय के अनुसार दोषी गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ वसूली की कानूनी कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

रेलवे में मिलावटी ईंधन

***209. श्री शिवराम गौडा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में रेलवे में मिलावटी ईंधन तथा ईंधन की चोरी की कुछ घटनाएं सामने आई हैं:

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे हुई हानियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे एवं रेलवे ने दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है; और

(च) रेलवे द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, विशेष कार्य बल, आगरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा रेलवे डीजल संस्थापन कासगंज में छापा मारने के बाद अगस्त, 2010 माह में उनके द्वारा एक मामला रिपोर्ट किया गया था।

18.08.2010 को मैसर्स आईओसी द्वारा मथुरा में उनके संयंत्र से सात रोड टैंक ट्रक भेजे गए थे। इन सात रोड टैंक ट्रकों को 19.08.2010 को आरडीआई, कासगंज में प्राप्त किया गया था।

जब 19.08.2010 को उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल की एक टीम आरडीआई/कासगंज पहुंची तो इनमें से दो ट्रक आरडीआई के अंदर थे जबकि एक ट्रक टैंकर आरडीआई, कासगंज के बाहर था और इसके पहले कि आरडीआई कर्मचारी डीजल तेल की जांच शुरू करते (खाली करने से पहले) इन्हें जब्त कर

लिया गया था। एसटीएफ ने रिपोर्ट किया कि तीन ट्रक टैंक मिट्टी के तेल से भरे हुए थे और उसके बाद उन्हें एसटीएफ द्वारा ले जाया गया था। आईओसी की रिपोर्ट और इज्जतनगर डीजल शेड में नमूनों की जांच के अनुसार, शेष चार टैंकरों में तेल सही पाया गया और उन्हें 31.08.2010 को खाली किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ट्रकों को खाली नहीं किया गया था। बहरहाल, एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद ही अंतिम आकलन किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) इस मामले की एसटीएफ, आगरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा जांच की जा रही है। तीन रेल पदाधिकारियों को 20.08.2010 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन्हें रेलवे द्वारा निलंबित कर दिया गया है। एसटीएफ द्वारा कोतवाली पुलिस स्टेशन, कासगंज जिला काशीराम नगर में एफआईआर दर्ज कराई गई। उन्हें नवम्बर 2010 को जेल से छोड़ दिया गया था। उन्हें बड़ी पैनल्टी की चार्ज शीट (एसएफ-5) जारी की गई है और उन्हें ईंधन वाले क्षेत्र से बाहर तैनात किया गया है।

(च) (i) रेल पदाधिकारियों द्वारा स्टॉक का सत्यापन और आरडीआई की जांच वर्ष में चार बार की जा रही है।

(ii) सील की जांच और खाली करने के पहले जल में घुलनशील पेस्ट से प्रत्येक रोड टैंकर और/या टैंक वैगन के नमूने की जांच के लिए अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा पानी की मिलावट की जांच के लिए आरडीआई द्वारा प्रत्येक माह कम-से-कम एक बार प्रत्येक भण्डार टैंक से नमूने लिये जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

***210. श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महारत्न और नवरत्न कंपनियों द्वारा पालन की जा रही कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कंपनी-वार महारत्न तथा नवरत्न कंपनियों द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा यह खर्च प्राप्त लाभ का कितना प्रतिशत है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) अप्रैल 2010 में लोक उद्यम विभाग द्वारा सीएसआर के सम्बन्ध में जारी किए गए दिशानिर्देश केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए लागू हैं चाहे उन्हें 'रत्न' का कोई दर्जा प्राप्त क्यों न हो।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व साझीदारों के हितों को मान्यता प्रदान करते हुए मितव्यय, सामाज व पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास के लिए प्रचालन हेतु कम्पनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर के माध्यम से संगठन अपने ग्राहकों कर्मचारियों शेयरधारकों समुदाय तथा पर्यावरण के सभी पहलुओं पर अपने प्रचालन का पड़ने वाले प्रभाव का दायित्व स्वीकार करके समाज के हितों की रक्षा करता है। सरकारी क्षेत्र में सीएसआर में मुख्य जोर सर्वसमावेशी एवं टिकाऊ विकास तथा क्षमता निर्माण पर दिया जाता है और साथ ही समाज के उपेक्षित तथा हाशिए पर पड़े वर्गों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं पर उचित ध्यान रखा जाता है।

इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अनिवार्य तौर पर अपने निदेशक मण्डल के संकल्प के जरिए पूर्ववर्ती वर्ष के निवल लाभ का एक विशिष्ट प्रतिशत सीएसआर बजट के रूप में रखना होता है। ₹ 100 करोड़ से कम लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के लिए किसी वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय की सीमा पूर्व वर्ष के निवल लाभ के 3-5% तक, ₹ 100 करोड़ से ₹ 500 करोड़ तक लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के मामले में 2-3% (परन्तु न्यूनतम ₹ 3 करोड़) तथा 500 करोड़ रुपए से अधिक निवल लाभ वाले उद्यमों के मामले में 0.5.-2% है। घाटा उठाने वाली कंपनियों को सीएसआर हेतु विशेष कोष निर्धारित करने का अधिदेश नहीं दिया गया है लेकिन वे यथाव्यवहार्य मामलों में व्यापारिक प्रक्रियाओं को सामाजिक प्रक्रियाओं से एकीकृत करके सीएसआर उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सीएसआर बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित करना होता है और यह कोष व्यपगत नहीं होता है। सीएसआर सम्बन्धी प्रारम्भ की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं और इन क्रियाकलापों को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन का एक भाग बनाया जाता है।

(ख) महारत्न और नवरत्न श्रेणी के उद्यमों के मामले में गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 (सितम्बर 2011 तक) में सीएसआर कार्यों के लिए आबंटित कुल कोष तथा इसके उपयोग से सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महारत्न और नवरत्न सरकारी उद्यमों के मामले में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु आबंटित कुल धनराशि तथा इसमें से गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) के दौरान उपयोग की गई धनराशि संबंधी सूचना

महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	वर्ष	सीएसआर हेतु आबंटित कुल धनराशि (रुपए करोड़ में)	गत वर्ष के कर-पश्चात लाभ का प्रतिशत	सीएसआर हेतु उपयोग की गई धनराशि (रुपए करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1.	कोल इंडिया लि.	2008-09	38.90	0.74	37.13
		2009-10	43.81	2.11	40.14
		2010-11	262.28	2.73	152.33
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	553.33	5.09	37.26
2.	इंडियन ऑयल कॉर्पो.लि.	2008-09	52.22	0.75	19.31*
		2009-10	37.69	1.28	46.85
		2010-11	131.11	1.28	128.41
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	95.60	1.28	48.80 *वर्ष के दौरान वित्तीय कठिनाईयों के कारण व्यय कम हुआ।
3.	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पो.लि.	2008-9	17.94	0.24	12.90
		2009-10	16.74	0.20	20.40
		2010-11	72.37	0.83	72.21
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	45.52	0.50	6.48
4.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पो.लि.	2008-9	125.27	0.75	169.05
		2009-10	322.52	2.0	268.87
		2010-11	335.35	2.0	219.03
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	378.48	2.0	21.86

1	2	3	4	5	6
5.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	2008-9	114.00	1.51	83.03
		2009-10	80.00	1.30	78.79
		2010-11	94.00	1.39	68.95
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	64.00	1.30	22.94

महारत्न और नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु आबंटित कुल धनराशि तथा इसमें से गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) के दौरान उपयोग की गई धनराशि संबंधी सूचना

नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	वर्ष	सीएसआर हेतु आबंटित कुल धनराशि (रुपए करोड़ में)	गत वर्ष के कर-पश्चात लाभ का प्रतिशत	सीएसआर हेतु उपयोग की गई धनराशि (रुपए करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.	2008-09	1.80	0.24	1.80
		2009-10	2.59	0.36	2.59
		2010-11	2.74	0.24	2.08
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	1.84	-	0.35
2.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि.	2008-9	1.80	0.24	1.80
		2009-10	2.59	0.36	2.59
		2010-11	2.74	0.24	2.08
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	1.84	-	0.35
3.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पो.लि.	2008-9	7.90	0.5	12.94
		2009-10	14.72	2.0	14.12
		2010-11	22.00	1.43	18.23
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	7.73	0.5	1.80
4.	गेल (इंडिया) लि.	2008-9	25.99	1.0	24.15
		2009-10	55.91	2.0	45.78
		2010-11	69.54 (वित्त वर्ष 2009-10 की पिछली	2.0	48.43

1	2	3	4	5	6
			बकाया राशि शामिल है 2009-10)		
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	80.95 (वित्त 2009-10 की पिछली बकाया, राशि शामिल है)	2.0	14.85
5.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	2008-09 2009-10 2010-11	सीएसआर हेतु कोई विशिष्ट आबंटन नहीं क्योंकि सीएसआर नीति औपचारिक रूप से नवम्बर, 2010 में अधिसूचित की गई थी	.	3.22 3.90 1.79
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	5.00	2010-11 का कर पश्चात लाभ अभी घोषित किया जाना	0.17
6.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पो.लि.	2008-09	17.00	0.85	9.69
		2009-10	15.00	2.41	13.84
		2010-11	15.00	1.54	20.10
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	30.78	2.00	3.59
7.	महानगर टेलिफोन निगम लि.	2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	चूंकि एमटीएनएल घाटे में है अत: सीएसआर शीर्ष के अधीन कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया गया है।	-	-

1	2	3	4	5	6
8.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	2008-09	16.32	1.0	16.32
		2009-10	12.72	1.0	12.72
		2010-11	8.14	1.0	8.14
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	10.69	1.0	10.69
9.	एनएमडीसी लि.	2008-09	124.40	3.04	98.84
		2009-10	80.00	1.90	83.07
		2010-11	81.56	1.80	62.23
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	80.13	0.57	37.24
10.	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पे. लि.	2008-09	6.80	0.62	9.66
		2009-10	5.90	0.72	8.19
		2010-11	12.47	1.00	13.23
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	12.98	1.00	1.02
11.	ऑयल इंडिया लि.	2008-09	13.00	0.75	13.71
		2009-10	20.00	0.95	24.12
		2010.11	25.00	0.95	29.40
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	51.90	2.00	15.00
12.	पॉवर फाईनेन्स कॉर्पो. लि.	2008-09	शून्य	-	-
		2009-10	शून्य	-	-
		2010-11	11.89	0.5	1.93
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	13.10	0.5	1.00
13.	पॉवर ग्रिड कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.	2008-09	सीएसआर नीति मात्र मई 2009 में तैयार हुई।	-	-
		2009-10	12.67	0.75	4.31
		2010-11	20.41	1.00	15.58
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	26.97	1.00	6.62

1	2	3	4	5	6
14.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	2008-09	38.85	2.00	22.83
		2009-10	12.75	0.95	9.37
		2010-11	15.40	2.00	11.73
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	12.00	1.82	5.39
15.	रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पो. लि.	2008-09	2.15	0.25	0.02
		2009-10	3.18	0.25	0.31
		2010-11	5.00	0.25	1.37
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	12.85	0.50	0.27
16.	शिपिंग कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.	2008-09	सीएसआर नीति औपचारिक रूप से 19.03.2009 से ही अपनाई गई थी।	-	-
		2009-10	9.41	1.0	2.03
		2010-11	3.77	1.0	5.84 (गत वर्ष की पिछली बकाया राशि शामिल है)
		2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	5.67	1.0	1.13

[हिन्दी]

बाढ़ प्रवण क्षेत्र

***211. श्री नारनभाई कछाड़िया:**
योगी आदित्यनाथ:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों के बाढ़ प्रवण जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए बाढ़ प्रवण राज्यों को कोई विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) फरवरी, 2006 में अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी), पटना की अध्यक्षता में गठित समिति ने देश में कुल 39 जिलों को बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में अभिजात किया था। देश में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अधिक वैज्ञानिक आधार पर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को अभिज्ञात किए जाने तक इन जिलों को अनंतिम रूप से "बाढ़ प्रवण जिले" माना गया है। इन 39 जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-में दी गई है।

(ख) जल राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी राज्य योजना निधियों से किया जाता है। XIवीं योजना अवधि के दौरान समस्त देश में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन, कटाव रोधी, समुद्र कटाव रोधी, जल निकास के विकास, बाढ़ रोधी कार्यों इत्यादि

के प्रारंभ करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत एक योजना स्कीम नामतः बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)" को सरकार द्वारा सिद्धान्ततः अनुमोदित किया गया है। राज्य सरकारें स्कीमों को तैयार करती हैं जिन्हें योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान करने सहित सभी अनिवार्य स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात बाढ़ प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वित्त पोषण के लिए विचार किया जाता है।

(ग) IXवीं योजना के दौरान "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)" के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-में दिया गया है।

विवरण I

अध्यक्ष, जीएफसीसी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा "बाढ़ प्रवण क्षेत्रों" के रूप में अभिज्ञात जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्र.सं.	बाढ़ प्रवण जिले का नाम
1	2	3	4
I	असम	1.	धुबरी
		2.	लखीमपुर
		3.	मोरीगांव
		4.	धेमाजी
		5.	बरपेटा
		6.	जोरहाट
		7.	गोलपारा
		8.	शिबसागर
		9.	नलबरी
II	बिहार	10.	शिवहर
		11.	सीतामढ़ी
		12.	दरभंगा
		13.	गोपालगंज
		14.	सहरसा
		15.	मुजफ्फरपुर
		16.	सुपौल
		17.	मधुबनी
		18.	कटिहार
		19.	समस्तीपुर
		20.	भागलपुर
		21.	वैशाली
		22.	पूर्वी चम्पारन
		23.	पूर्णिया
		24.	अररिया
III	ओडिशा	25.	जयपुर
		26.	जगतसिंहपुर
		27.	केन्द्रपारा
		28.	भदरक
		29.	पुरी
		30.	कटक
IV	उत्तर प्रदेश	31.	मिर्जापुर
		32.	सिद्धार्थनगर
		33.	गोरखपुर
		34.	बस्ती
		35.	फरुखाबाद
		36.	बलिया
V	पश्चिम बंगाल	37.	मुर्शिदाबाद
		38.	नदिया
		39.	बीरभूम

विवरण II

XIवीं, योजना के दौरान "एफएमपी" के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी निधि
1.	अरुणाचल प्रदेश	78.52
2.	असम	535.00
3.	बिहार	669.39
4.	गोवा	9.98
5.	गुजरात	2.00
6.	हरियाणा	46.91
7.	हिमाचल प्रदेश	162.79
8.	जम्मू और कश्मीर	178.22
9.	झारखंड	14.73
10.	कर्नाटक	3.80
11.	केरल	22.43
12.	मणिपुर	53.96
13.	मेघालय	3.81
14.	मिजोरम	13.14
15.	नागालैंड	28.93
16.	ओडिशा	100.20
17.	पुडुचेरी	7.50
18.	पंजाब	34.59
19.	सिक्किम	64.39
20.	तमिलनाडु	59.82
21.	त्रिपुरा	18.93
22.	उत्तर प्रदेश	203.68
23.	उत्तराखंड	34.57
24.	पश्चिम बंगाल	607.21
	कुल	2954.50

पारदर्शी गैस सिलिंडर

***212. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों ने देश में कंपोजिट सिलिंडरों (फाइबर ग्लास पारदर्शी गैस सिलिंडरों) के विनिर्माण के लिए सुविधाओं के सृजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल विपणन कंपनियों ने मल्टी फंक्शन रेगुलेटर की व्यवहार्यता की जांच की है जिसे वर्ष 2011 में प्रायोगिक आधार पर शुरु किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपभोक्ताओं के लिए कंपोजिट सिलिंडर तथा मल्टी फंक्शन रेगुलेटर कब तक उपलब्ध होंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) जी नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कंपोजिट सिलिंडरों (फाइबर ग्लास) के निर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित नहीं की है।

जहां तक मल्टी फंक्शन रेगुलेटर का संबंध है, ओएमसीज ने वर्ष 2011 में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बंगलौर और पुणे के पांच नगरों में प्रायोगिक परियोजना शुरु की है। इस मल्टी फंक्शन रेगुलेटर में स्तर सूचक, चाइल्ड लोक, अत्यधिक गति रोक वाल्व और अंतर्निमित रिसाव संसूचक जैसी अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी विशेषताएं हैं।

अन्य बाजारों में मल्टी फंक्शन रेगुलेटर को आगे बढ़ाने का निर्णय प्रायोगिक अध्ययनों में उनके निष्पादन के अध्यधीन होगा।

[अनुवाद]

निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए सर्वेक्षण

***213. श्री सोमेन मित्रा:**
श्री वरूण गांधी:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार निर्मल ग्राम पुरस्कार आवेदक गांवों में सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों को किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार उन गांवों का ब्यौरा क्या है जिन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की गई और निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्मल ग्राम पुरस्कार को और प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी बनाने के लिए इसके मार्गनिर्देशों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी राशि जारी की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) चालू वर्ष के दौरान देश में निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) आवेदक गांवों में सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों को किए गए भुगतान का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार उन ग्राम पंचायतों, जिन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की गई और निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इस वर्ष के लिए अवार्ड की घोषणा नहीं की गई है।

(ग) और (घ) निर्मल ग्राम पुरस्कार एक राष्ट्रीय योजना है और इसे अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के उसी वृहत मानदंड को ध्यान में रखकर राज्यों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त जानकारियों तथा विगत में प्राप्त अनुभवों के आधार पर समय-समय पर इसके दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान एनजीपी के अंतर्गत अवार्ड राशि के रूप में सरकार द्वारा राज्य-वार रिलीज की गई निधियां संलग्न विवरण-III में दर्शाई गई हैं। चालू वर्ष के दौरान कोई धनराशि रिलीज नहीं की गई है।

विवरण I

क्रम सं.	राज्य	सर्वेक्षण फीस 5 दिसम्बर, 2011 एक किए गए भुगतान (राशि रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	1667400
2.	अरुणाचल प्रदेश	62400
3.	असम	40200
4.	बिहार	81000
5.	छत्तीसगढ़	1058400
6.	गुजरात	7199400
7.	हरियाणा	1950000
8.	हिमाचल प्रदेश	2824200
9.	जम्मू और कश्मीर	4800
10.	झारखंड	125400
11.	कर्नाटक	2563800
12.	केरल	108000
13.	मध्य प्रदेश	4726200
14.	महाराष्ट्र	8951400
15.	मणिपुर	9600
16.	मेघालय	2528400
17.	मिजोरम	235200
18.	नागालैंड	152400
19.	ओडिशा	920400
20.	राजस्थान	1643400
21.	तमिलनाडु	2251200
22.	उत्तर प्रदेश	2784000
23.	उत्तराखंड	726000
24.	पश्चिम बंगाल	706800

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी ग्राम पंचायतों का राज्य-वार ब्यौरा जिनके लिए राज्यों ने एनजीपी की सिफारिश की तथा एनजीपी दिए गए

पीआरआई की संख्या इकाई में

क्रम सं.	राज्य	2008		2009		2010	
		राज्यों द्वारा अनुशंसित की गई	दिए गए	राज्यों द्वारा अनुशंसित की गई	दिए गए	राज्यों द्वारा अनुशंसित की गई	दिए गए
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1550	662	1344	272	519	44
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	4	55	8	19	3
3.	असम	21	14	28	6	7	2
4.	बिहार	515	155	126	0	30	13
5.	छत्तीसगढ़	939	300	892	119	364	172
6.	गुजरात	5615	739	1030	350	3028	189
7.	हरियाणा	1604	798	812	131	1239	259
8.	हिमाचल प्रदेश	470	245	526	253	1256	168
9.	जम्मू और कश्मीर	27	12	0	0	21	0
10.	झारखंड	225	142	250	71	0	0
11.	कर्नाटक	594	479	514	245	1346	121
12.	केरल	646	600	76	43	109	103
13.	मध्य प्रदेश	2718	682	2688	639	4280	344
14.	महाराष्ट्र	6220	4300	3501	1720	4377	694
15.	मणिपुर	1	1	2	1	3	0
16.	मेघालय	17	11	83	52	283	160
17.	मिजोरम	20	8	220	20	72	5
18.	नागालैंड	12	8	72	42	0	23
19.	ओडिशा	258	94	64	20	235	81
20.	पंजाब	49	22	253	74	153	51
21.	राजस्थान	865	141	165	43	387	82

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	सिक्किम	137	137	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	1966	1474	472	196	1303	237
24.	त्रिपुरा	179	30	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	4246	492	202	6	64	13
26.	उत्तराखंड	597	160	345	136	282	44
27.	पश्चिम बंगाल	863	328	231	109	407	0

विवरण III

विगत तीन वर्षों के दौरान एनजीपी अवार्डों के लिए रिलीज की गई राशि

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	888.50	427.00	67.15
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.00	4.00	1.70
3.	असम	60.00	26.00	7.65
4.	बिहार	658.00	0.00	50.00
5.	छत्तीसगढ़	357.50	130.00	204.50
6.	गुजरात	981.50	427.00	245.00
7.	हरियाणा	1149.00	165.00	297.50
8.	हिमाचल प्रदेश	363.00	364.50	261.50
9.	जम्मू और कश्मीर	11.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	478.50	242.00	0.00
11.	कर्नाटक	1421.00	857.00	358.70
12.	केरल	4853.00	600.50	453.90
13.	मध्य प्रदेश	916.50	874.00	422.02
14.	महाराष्ट्र	4989.50	2460.50	745.45
15.	मणिपुर	2.00	2.00	0.00
16.	मिजोरम	12.00	22.50	3.40
17.	मेघालय	6.50	29.50	72.25

1	2	3	4	5
18.	नागालैंड	4.50	48.00	14.45
19.	ओडिशा	309.00	69.00	243.95
20.	पंजाब	17.00	64.50	48.00
21.	राजस्थान	424.00	122.00	192.95
22.	सिक्किम	353.00	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	2847.00	326.50	351.48
24.	त्रिपुरा	55.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	1220.00	6.00	23.00
26.	उत्तराखंड	128.50	98.00	38.25
27.	पश्चिम बंगाल	1965.00	622.00	0.00

समवर्ती सूची में जल विषय को शामिल किया जाना

***214. प्रो. रंजन प्रसाद यादव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन संबंधी समिति जो एक उच्चाधिकार प्राप्त पैनल है, ने भारत के संविधान की समवर्ती सूची में 'जल' विषय को शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों पर विचार करने के संबंध में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 31.1.2011 के आदेश द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय ने श्री अशोक चावला की अध्यक्षता में प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन संबंधी एक समिति का गठन किया है।

समिति ने 31.05.2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति की प्रमुख सिफारिशें विवरण के रूप में संलग्न उक्त मंत्रियों के समूह के समक्ष रखी गई हैं।

मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी।

विवरण

प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन संबंधी समिति (सीएएनआर) की जल के संबंध में की गई मुख्य सिफारिशें

(i) समिति जल के संबंध में एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की तत्काल आवश्यकता महसूस करती है। इसे या तो जल को समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद समुचित कानून बनाकर या फिर राज्यों के बहुमत से यह मतैक्य प्राप्त करने पर किया जा सकता है कि ऐसे 'ढांचा कानून' का केन्द्रीय अधिनियम, करना आवश्यक और वांछनीय है। इस संबंध में कानूनी विकल्पों की जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कानून में कई मुद्दों की आम स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए जैसे-सभी जल संसाधनों को एक संयुक्त, एकीकृत योग मानने की आवश्यकता जल का एक आम संपत्ति संसाधन होना, आबंटन के सिद्धांत एवं मूल्यन इत्यादि। ढांचा कानून में यह भी स्वीकार करना चाहिए कि प्रदूषण के कारण भी जल का संयुक्त उपयोग होता है जिससे संसाधन अन्य प्रयोजनों के काम नहीं आता है।

(ii) इसी बीच समिति ने नदी बोर्ड अधिनियम (आरबीए) को जल संसाधनों के प्रबंधन का कार्य सौंपते हुए नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 से संशोधन करने तथा भूमि जल को इसके अधिकार क्षेत्र में लाने की सिफारिश की है। अधिनियम को और कुशल बनाने के लिए राज्यों से राजनैतिक मतैक्य प्राप्त करने के कार्य को केन्द्र सरकार में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अति सक्रियता से प्रारंभ करना चाहिए।

(iii) भूमि जल के प्रबंधन की समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए समिति ने जलभृत स्तर का मानचित्रण, जलीय भू-विज्ञानीय अध्ययनों तथा विभिन्न स्तर पर प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ किए जाने की सिफारिश की है। इन प्रत्येक प्रायोगिक परियोजनाओं में 5000 से 10,000 हे. क्षेत्र अथवा जलभृत की सीमाओं, जो भी कम हो, को शामिल किया जाना चाहिए। इन प्रायोगिक स्कीमों के संबंध में इन अध्ययनों के आधार पर जलभृत प्रबंधन हेतु विस्तृत कार्यक्रमों को प्रारंभिक किया जा सकता है। बेहतर परिणामों के लिए इन प्रायोगिक परियोजनाओं का डिजाईन तैयार किया जाना चाहिए ताकि इनका निर्माणाधीन स्कीमों जैसे नरेगा, आईडब्ल्यूएमपी और पेयजल तथा स्वच्छता परियोजनाओं में निरंतर समाभिरूपण किया जा सके। प्रायोगिक परियोजनाओं में फसलीय चक्र के परिवर्तन सहित जल की बचत पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक जागरूकता तथा सहभागिता, भूमि जल का स्वयं विनियमन करने इत्यादि पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(iv) अंत में समिति ने सुझाव दिया है कि कमान क्षेत्र प्रबंधन पर पुनः ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में कमान क्षेत्र प्रबंधन पर पुनः ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रमां का एआईबीपी स्कीमों में आमेलन किए जाने पर विचार कि जा सकता है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

***215. श्री एल. राजगोपाल:**
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नक्सलवादी/उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधारों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए धन की कतिपय प्रतिशतता निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति कुछ ऐसे प्राथमिक क्षेत्र हैं जिन्हें इन जिलों/क्षेत्रों में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अन्य किए जाने वाले परिवर्तनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार इस संबंध में अब तक जारी की गई और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का मुख्य उद्देश्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए मांग किए जाने पर प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 100 दिनो तक गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा का संवर्द्धन करना है। एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत स्वच्छता अथवा पेयजल आपूर्ति अथवा अन्य कार्यों के लिए अलग से कोई निधियां निर्धारित नहीं की जाती हैं। मजदूरी रोजगार के लिए एमजीएनआईजीए के अंतर्गत क्रियाकलापों की प्राथमिकता इस अधिनियम की अनुसूची-I में निर्धारित की गई है। इस अधिनियम में सुझाए गए कार्यों के चयन से गरीबी के स्थायी कारणों यथा सूखा, वन की कटाई और मृदा अपरदन का समाधान होता है ताकि रोजगार सृजन की प्रक्रिया स्थायी आधार पर चलती रह सके और प्राकृतिक संसाधन आधार को सुदृढ़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियां सृजित की जा सकें। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ तालमेल से और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों अथवा अनुदेशों के अनुसार स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने को दिनांक 30.09.2011 की अधिसूचना के माध्यम से एमजीएनआरईजी अधिनियम की अनुसूची-I में शामिल किया गया है। जैसा कि समेकित कार्य योजना (आईएपी) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, नक्सल प्रभावित जिलों सहित जिलों में खेल के मैदान के निर्माण कार्य को दिनांक 21.10.2011 की अधिसूचना के माध्यम से अनुसूची-I में शामिल किया गया है। समय-समय पर एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से नए क्रियाकलापों/कार्यों को शामिल करने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। जैसा कि प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आईएपी जिलों में एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत उपलब्ध निधियों और किए गए व्यय के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	जिले	उपलब्ध निधियां (लाख रुपए में)				कुल व्यय (लाख रुपए में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 अक्टूबर 11 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 अक्टूबर 11 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद	19186.27	25414.94	45393.55	25406.44	14559.10	23577.00	28119.96	9525.44
	खम्माम	24162.02	22261.62	36753ए50	20033.49	19066.10	21819.00	20567.11	8862.40
बिहार	औरंगाबाद	9052.38	6756.09	8840.18	2330.75	4053.33	5880.00	6952.45	2339.78
	गया	4533.83	5273.04	50477.78	4944.29	3471.41	3786.89	9301.40	573.90
	जमुई	4874.59	4255.25	6887.49	2417.56	3267.67	3379.80	4847.47	1341.86
	जहानाबाद	4015.27	3612.69	2720.29	1151.98	2632.99	2568.86	2245ए49	814.20
	नवादा	3899.79	3779.26	6252.93	2690.77	1986ए50	2647.11	5981.08	2073.02
	रोहतास	3972.89	3633.09	8648.41	4729.98	2525.87	3119.08	6674.36	1481.88
	अरवल	2035.92	1602.26	2168.23	272.19	1366.57	1209.17	1660.17	344.44
छत्तीसगढ़	बस्तर	10460.36	5930.06	11359.76	5433.20	8067.26	4854.73	5790.85	3148.90
	दंतेवाड़ा	6726.93	4242.94	7467.11	2893.75	4220.97	3467.80	3044.61	1527.11
	जशपुर	9808.28	6581.18	9890.69	10648.16	6719.88	6132.53	8880.73	4697.66
	वर्धा	11280.70	5940.48	8667.40	6637.12	5585.48	5281.18	6684.77	4219.65
	कांकेड़	14154.27	12290.35	17303.65	9171.4	11292.60	10584.34	8132.30	5541.30
	कोरिया	7002.59	5861.75	8209.81	651.44	5762.03	4645.50	5712.30	3310.32
	राजनंदगांव	18320.48	16514.37	20468.39	24393.36	14585.10	12372.23	18700.04	13080.64
	सरगुजा	23228.99	19768.16	21320.40	21676.63	18499.80	14809.50	18458.41	9164.63
	बीजापुर	0.00	0.00	798.54	503.87	0.00	0.00	1275.86	1110.70
	नारायणपुर	0.00	0.00	162.29	587.01	0.00	0.00	494.38	192.74
झारखंड	बोकारो	6129.18	5433.29	6086.61	2031.21	3624.66	3732.37	4090.76	1554.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	चतरा	10212.50	9616.72	9225.57	6342.72	8490.60	7644.08	6111.31	3692.53
	गढ़वा	13116.06	9235.44	7498.09	6345.27	7159.70	5336.00	4257.34	2423.40
	गुमला	12354.06	6893.93	5171.63	6152.38	7472.86	5289.01	4761.54	3004.34
	हजारीबाग	11122.76	8361.76	7004.71	4651.98	6035.88	6216.53	4199.12	2516.62
	कोडरमा	2150.71	2748.47	2700.31	1653.71	1540.56	1834.50	2051.64	1110.85
	लातेहार	7618.32	5261.00	47020.73	5771.03	5830.49	4948.96	6294.03	2539.62
	लोहरदग्गा	6542.34	3435.81	4376.35	3457.80	2879.93	2904.34	2796.76	2279.88
	पलामू	8938.55	6090.75	6407.88	3928.46	6681.72	5558.83	4545.64	1802.43
	सरायकेल खरसावां	6892.55	4892.24	5638.52	6871.58	5586.99	4355.88	4724.37	2061.79
	सिमडेगा	7093.27	5568.46	5875.38	5659.09	4519.27	4311.03	4854.66	4726.83
	प. सिंहभूम	25092.81	14801.19	8154.53	2807.94	10551.40	10108.71	6552.55	1603.02
	पू. सिंहभूम	12885.79	9800.83	7214.17	3622.87	7115.19	6534.75	5393.16	1669.60
	रामगढ़	4572.48	3864.03	5121.86	2760.32	2830.14	2861.74	3584.80	1289.45
मध्य प्रदेश	बालाघाट	22971.59	21064.05	26118.11	15825.57	17979.90	18250.44	19775.10	8193.28
	डिंडोरी	10478.11	12331.97	14453.90	10786.95	8788.09	11433.93	11605.00	2961.40
	मांडला	20081.72	22743.06	20212.09	8125.62	16364.90	17949.24	15165.62	2754.93
	सिवनी	19067.38	16544.80	14521.55	12896.06	9214.05	10804.59	10144.15	4750.88
	शहडोल	23725.69	15273.20	15326.78	7236.27	11358.80	12354.94	10602.66	3070.51
	सिधी	28621.16	24707.95	7825.73	7643.45	25053.00	20082.60	4304.78	2448.28
	उमरिया	14354.32	16935.10	15250.89	14399.33	12302.20	13273.12	12930.05	3306.81
	अनूपपुर	10738.41	15395.35	15857.85	8432 69	10032.80	13076.10	11676.38	4289.58
महाराष्ट्र	गढ़चिरौली	2111.47	5088.73	3787.48	3759.64	2338.82	2594.93	2920.39	2979.41
	गोंदिया	3267.45	4154.28	3763.30	5928.69	2000.48	2464.41	2829.53	2824.53
ओडिशा	बोलांगीर	3718.66	4548.32	5505.92	3358.51	3451.72	4082.86	4938.73	1003.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	देवगढ़	1688.83	1193.03	1483.65	1243.81	1089.67	1162.15	1334.89	301.47
	गजपति	3346.78	4090.82	5655.52	4570.36	2502.68	3503.42	4874.03	1156.23
	कालाहांडी	7385.62	5142.34	6546.20	4021.24	2887.03	2952.58	5796.49	1580.12
	कंधमाल	4144.41	6020.28	7410.64	4462.47	2466.40	6420.04	6344.76	2131.21
	केदुझर	5175.86	4328.97	11130.90	7184.12	2630.78	4647.60	11313.42	3159.77
	कोरापुट	7348.80	4707.97	8009.81	4181.86	3305.80	4035.28	7094.62	1815.45
	मलकानगिरी	2658.89	1608.23	5532.27	3418.66	2087.51	2010.39	5017.74	1184.13
	मयूरभंज	12490.19	8469.34	12644.91	608086	8430.68	7664.11	11687.08	3104.17
	नबारंगपुर	6235.72	5532.20	10725.50	237.92	2733.62	5722.48	9081.03	2880.92
	नवापाड़ा	3137.42	2102.52	3092.53	244.04	2475.80	1376.34	2252.68	917.78
	रायगडा	4940.17	5067.90	7620.22	4125.37	4486.10	4672.36	7431.22	2167.10
	संबलपुर	3491.77	2455.24	6339.25	3565.40	2167.99	2325.23	5215.19	1614.68
	सोनेपुर	2294.37	2588.78	5276.72	2861.72	1948.70	2067.65	3795.99	801.73
	सुंदरगढ़	1574.74	5961.93	7727.94	4163.89	2890.84	5823.86	7528.48	1472.88
उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	19957.45	28589.07	24051.54	11360.29	17242.60	25044.65	16565.44	5501.74
प. बंगाल	पश्चिमी मिदनापुर	11884.41	26354.68	29892.08	12647.28	106ह0.70	23397.73	26741.37	8278.04
कुल		568328.30	522124.55	617034.01	396393.79	396863.71	430964.48	466858.79	182276.22

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान

***216. श्री संजय धोत्रे:**
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कामगारों को मजदूरी का नकद भुगतान करने के लिए विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए मांग में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत, लाभार्थियों को मजदूरी का

भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए जाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने, मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता एवं ईमानदारी लाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा कर्मियों को मजदूरी का संवितरण बैंकों या डाकघरों में संस्थागत खातों के माध्यम से किए जाने को एक सांविधिक अपेक्षा बनाया गया है जब तक कि अन्यथा इसमें विशेष रूप से छूट न दी जाए। तर्कसंगत कारणों सहित उक्त छूट का अनुरोध प्राप्त होने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में कुछ जिलों को इससे छूट दी है। हाल ही में, समेकित कार्रवाई योजना के लिए निर्धारित जिलों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी के नकद भुगतान की कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है।

(ग) जी नहीं। वर्ष 2009-10 में 5.29 करोड़ परिवारों एवं 2010-11 में 5.58 करोड़ परिवारों की तुलना में वर्ष 2008-09 में 4.55 करोड़ परिवारों ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग की थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान, महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार की मांग में लगातार वृद्धि हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मनरेगा के निष्पादन को सधारने तथा इसके दायरे को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(i) अधिक से अधिक परिवारों की महात्मा गांधी नरेगा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के बारे में सूचना के प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

(ii) सरकार के अन्य विकास कार्यक्रमों जिनके लक्ष्य समूह एक जैसे हैं, के साथ मनरेगा का तालमेल स्थापित करने के लिए मंत्रालय ने अनेक अन्य विकास योजनाओं के लिए तालमेल दिशा-निर्देश बनाए हैं और इनका प्रचार प्रसार किया है।

(iii) शुरू किए जा सकने वाले कार्यों तथा क्रियाकलापों के दायरे को बढ़ाने के लिए मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 1 में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यकलाप

***217. श्री आर. थामराईसेलवनः**
श्री एम.बी. राजेशः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यकलापों/कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना के अंतर्गत भूमि, जल विकास, छोटे और सीमांत कृषकों के लिए भूमि/कृषि उत्पादकता में सुधार सहित और कार्यकलापों को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा करने और मार्गनिर्देशों सहित योजना में सुधार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी रोजगार संबंधी कार्यकलापों के मुख्य फोकस के बारे में समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-I में निर्धारण किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 16 (1) में व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में परियोजनाओं जिसे ग्राम सभा तथा वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार योजना के अंतर्गत शुरू किया जाना है, का निर्धारण करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होगी। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 13(1) में प्रावधान है कि अधिनियम के अंतर्गत योजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए जिला, मध्यवर्ती एवं ग्रामीण स्तरीय पंचायतें मुख्य प्राधिकरण होंगे। स्वीकार्य एवं शुरू किए गए कार्य/कार्यकलाप इस प्रकार हैं:–

(i) जल संरक्षण और जल संचयन;

(ii) वनरोपण एवं वृक्षारोपण सहित सूखा-रोधन;

(iii) सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें;

(iv) अनुसूचित जाति तथा अनु. जनजाति से संबंधित परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों या भूमि सुधार संबंधी लाभार्थी अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों या कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 (दिनांक 22.7.09 की अधिसूचना के माध्यम से लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए लागू) में परिभाषित लघु या सीमांत किसानों या अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पारम्पारिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (22.9.11 की अधिसूचना द्वारा लागू) के तहत लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी तथा भूमि सुधार सुविधाओं का प्रावधान;

(v) तालाबों से गाद निकालने सहित परम्परागत जल निकायों का नवीकरण

(vi) भूमि विकास;

(vii) बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण कार्य, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकासी का कार्य भी शामिल है।

(viii) बारहमासी सड़क-संपर्क के लिए ग्रामीण सम्पर्कता। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वाली बसावटों के लिए सड़कों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और

(ix) राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कार्य। इस प्रावधान के पहल निम्नलिखित को अधिसूचित किया गया है:

(क) ग्राम ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केन्द्र और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण (दिनांक 11.11.09 की अधिसूचना द्वारा शामिल)।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा समेकित कार्य योजना (21.10.11 की अधिसूचना द्वारा शामिल के तहत निर्धारित जिलों में खेल मैदानों का निर्माण।

(ग) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ ताल-मेल से स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच (दिनांक 30.9.2011 की अधिसूचना द्वारा शामिल)।

(ख) से (ङ) महात्मा गांधी नरेगा तथा इसके कार्यान्वयन में सुधार के लिए समय-समय पर इसमें किए जाने वाले अन्य सुधारों/परिवर्तनों के तहत रोजगार सृजन हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से अनुसूची-I में नए कार्यकलापों/कार्यों को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है। भूमि विकास तथा जल संचयन संबंधी कार्यकलापों को अधिनियम की अनुसूची-I में पहले ही शामिल कर लिया गया है और कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 में यथा परिभाषित लघु किसानों या सीमान्त किसानों के स्वामित्व वाली भूमि में पौध-रोपण तथा भूमि विकास सुविधाओं संबंधी प्रावधान को दिनांक 22.7.09 की अधिसूचना द्वारा अनुसूची-I में शामिल किा गया है।

[हिन्दी]

बंद पड़े उर्वरक कारखानों को पुनः चालू करना

***218. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः**
श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरक विनिर्माण इकाइयों के बंद होने के कारण उर्वरकों के उत्पादन और उपलब्धता में कितनी कमी आई है;

(ख) क्या सरकार का रुग्ण/बंद पड़ी इकाइयों का निजीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) सार्वजनिक क्षेत्र में फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की पांच इकाइयां तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की तीन इकाइयां बंद पड़ी हैं। इन बंद इकाइयों की स्थापित क्षमता लगभग 2.28 मिलियन मी. टन है।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा सूचित किए अनुसार वित्तीय कठिनाइयों के कारण वर्तमान में निजी क्षेत्र की एक यूरिया इकाई अर्थात, डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डीआईएल), कानपुर बंद पड़ी है। इसके अतिरिक्त, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर (फैक्ट) कोचीन की यूरिया इकाई भी प्रचलन में नहीं है।

देश में स्वदेशी उत्पादन और यूरिया की मांग के बीच अंतर को पूरा करने के लिए यूरिया का आयात किया जा रहा है।

(ख) से (घ) एचएफसीएल और एफसीआईएल की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार का एक प्रस्ताव आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के परिसंघ के जरिए नामांकन आधार पर एफसीआईएल की तीन बंद इकाइयों नामतः सिंदरी, रामागुण्डम, तलचर तथा एफसीआईएल की गोरखपुर, कोरबा तथा एचएफसीएल की दुर्गापुर, हल्दिया, बरौनी नामक पांच बंद इकाइयों का बोली प्रक्रिया के जरिए पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव किया गया है। सीसीईए ने 4 अगस्त, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) की कार्यवाहियों में तेजी लाई जाए और तत्पश्चात् बोली मानदण्डों में अपेक्षित अनुसार परिवर्तन, यदि कोई हो, सहित मामलों को अंतिम निर्णय के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

[अनुवाद]

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना

***219. श्री अरूण यादव:** क्या **पेट्रोलिम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009 से राज्य-वार और वर्ष-वार राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के उपयोग को कम करने में कितनी सहायता मिली है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्यों के लिए मिट्टी के तल के कोटे में की गई कमी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में प्रत्येक ग्रामीण कुटुंब को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): दिनांक 1.10.2011 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) देश में 709 राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण (आरजीजीएलवी) डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स का प्रचालन कर रही थी। इन डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के माध्यम से ओएमसीज देश में लगभग 5,28,232 घरेलू एलपीजी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आरजीजीएलवी के जरिए जारी किए गए एलपीज कनेक्शनों का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2011-12 के दौरान (1) उत्तर-पूर्व, द्वीपीय प्रदेशों और जम्मू एवं कश्मीर तथा राष्ट्रीय औसत से कम घरेलू एलपीजी कवरेज वाले प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में घरेलू एलपीजी कवरेज में वृद्धि (जनवरी से दिसम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान) (2) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा मात्रा उठाए नहीं जाने के कारण पीडीएस मिट्टी तेल कोटे के समाप्त हो जाने (3) पिछले वर्ष के दौरान कतिपय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पीडीएस मिट्टी तेल के उच्चतर प्रति व्यक्ति आबंटन को ध्यान में रखते हुए कोटे में समायोजनों के कारण राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए पीडीएस मिट्टी तेल के कोटे में समायोजनों के कारण राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए पीडीएस मिट्टी तेल के कोटे को युक्तिसंगत बनाा गया था। पिछले वर्ष के आबंटन की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान पीडीएस मिट्टी के तेल के कोटे में की गई राज्य-वार कमी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) "विजन 2015" के अनुसार विशेष रूप से ग्रामीण और कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में वर्ष 2009 और 2015 के बीच 5.5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन जारी करके देश के एलपीजी जनसंख्या कवरेज को 50% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है।

विवरण I

1.10.2011 की स्थिति के अनुसार आरजीजीएलवीवाई के तहत चालू किये गये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और पंजीकृत किये गये घरेलू एलपीजी ग्राहकों राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2010-11 के दौरान आरजीजीएलवीज के अंतर्गत नामांकित घरेलू एलपीजी ग्राहकों की संख्या	अप्रैल से सितम्बर, 2011 की अवधि के दौरान आरजीजीएलवीज के अंतर्गत नामांकित घरेलू एलपजी ग्राहकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	306	31122
2.	बिहार	11841	37883
3.	छत्तीसगढ़	1734	6919
4.	झारखंड	8496	11697
5.	कर्नाटक	1394	8108
6.	मध्य प्रदेश	17784	19138
7.	महाराष्ट्र	25281	54544
8.	ओडिशा	7745	19780
9.	राजस्थान	49878	60806
10.	तमिलनाडु	9190	43116
11.	उत्तर प्रदेश	18906	52122
12.	पश्चिम बंगाल	10910	19532
	कुल	163465	364767

विवरण II

वर्ष 2011-12 के दौरान पीडीएस मिट्टी तेल कोटा में की गई कमी की राज्यवार ब्यौरा

(मात्रा कि.ली. में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम	गत वर्षों के आवंटन में 2011-12 के दौरान पीडीएस एसकेओ कोटा में कमी		
		2010-11 के लिए आवंटन	2011-12 के लिए आवंटन	कमी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7248	7248	0
2.	आंध्र प्रदेश	595800	530808	64992
3.	अरुणाचल प्रदेश	11736	11628	108
4.	असम	331176	330708	468
5.	बिहार	824760	820320	4440
6.	चंडीगढ़	9168	7332	1836
7.	छत्तीसगढ़	186972	186600	372
8.	दादरा और नगर हवेली	3036	2484	552
9.	दमन और द्वीप	2328	2016	312
10.	दिल्ली	138900	61380	77520
11.	गोवा	22680	19776	2904
12.	गुजरात	920556	673584	246972
13.	हरियाणा	172632	157260	15372
14.	हिमाचल प्रदेश	40260	32472	7788
15.	जम्मू और कश्मीर	95082	95082	0
16.	झारखंड	270852	270276	576
17.	कर्नाटक	562812	539544	23268
18.	केरल	225096	197124	27972
19.	लक्षद्वीप	1020	1020	0
20.	मध्य प्रदेश	626412	626412	0
21.	महाराष्ट्र	1564176	1258812	305364

1	2	3	4	5
22.	मणिपुर	25344	25344	0
23.	मेघालय	26136	26064	72
24.	मिजोरम	7920	7836	84
25.	नागालैंड	17100	17100	0
26.	ओडिशा	403140	400944	2196
27.	पुडुचेरी	15732	10440	5292
28.	पंजाब	285396	272556	12840
29.	राजस्थान	511644	511404	240
30.	सिक्किम	6600	6588	12
31.	तमिलनाडु	633648	551352	82296
32.	त्रिपुरा	39300	39264	36
33.	उत्तर प्रदेश	1593768	1592700	1068
34.	उत्तराखंड	111060	107520	3540
35.	पश्चिम बंगाल	965388	964728	660
	कुल	11254878	10365726	889152

टिप्पणी: आंकड़ों में अतिरिक्त आवंटन शामिल नहीं हैं और जम्मू कश्मीर के लिए किए गए आवंटन में लद्दाख क्षेत्र के लिए 4626 कि.ली. शामिल हैं।

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का संवर्धन

***220. श्री ए.टी. नाना पाटील:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को आधुनिक प्रौद्योगिकी और अपेक्षित निवेश प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के कुल औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कितना हिस्सा है; और

(घ) क्या सरकार ने निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हिस्से में वृद्धि करने के लिए उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) और (ख) जी हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) नामक योजना चला रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्लांट व मशीनरी की खरीद के लिए (अधिकतम 15 लाख रु. की सीमा तक) 15 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी मुहैया कराकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अधीन सब्सिडी की गणना के लिए पात्र ऋण की अधिकतम सीमा 100 लाख रु. है। वर्तमान में इस योजना के तहत 48 सुस्थापित और प्रोन्नत प्रौद्योगिकियों/उप-क्षेत्रों का अनुमोदन किया गया है।

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) का क्रियान्वयन 11 नोडल बैंकों/एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है जिनमें एसआईडीबीआई, नाबार्ड और तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड चेननई (टीआईआईसी) और एनएसआईसी लि. शामिल हैं। इस योजना के आरंभ से लेकर 30.11.2011 तक 15613 इकाइयों ने 813 करोड़ रु. की सब्सिडी प्राप्त की है।

(ग) केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों के आधार पर 2008-09 के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) का योगदान 44.86 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2007-08 (अद्यतन उपलब्ध) के लिए देश के कुल निर्यात में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) का अनुमानित योगदान 30.80 प्रतिशत था।

(घ) और (ङ) जी हां। निर्यात संवर्द्धन पर सरकार का विशेष जोर है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसई का निर्यात बढ़ाने और विश्व बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में एसएसआई क्षेत्र की सहायता करने के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में आईएसओ 9000/14001 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत लागत (75000 रु. तक) की प्रतिपूर्ति की योजना अपने उत्पादों की बार कोडिंग के लिए पंजीकरण कराने के लिए वित्तीय सहायता, निर्यात के लिए पैकेजिंग का प्रशिक्षण, एमएसएमई में गुणवत्ता मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनी में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

मृदा पोषकों हेतु ठेका

2301. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को इस वित्तीय वर्ष के लिए 370 डालर प्रति टन की दर पर 4.7 मिलियन टन मृदा पोषक हेतु ठेका प्राप्त हुआ है जिसमें इससे अधिक खरीदने का भी विकल्प है जो गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत सस्ता है:

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष के लिये देश के प्रत्येक राज्य में वास्तविक मांग कितनी है; और

(घ) इस संबंध में कितनी धनराशि व्यय की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान देश में प्रमुख उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता संलग्न विवरण अनुसार है।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए सूचना शून्य है।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान उर्वरकों की आकलित आवश्यकता

('000 मी.टन. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूरिया	डीएपी	एमओपी	मिश्रित	कुल 2011-12
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	3100.00	1230.00	660.00	2230.00	6615.00
कर्नाटक	1460.00	875.00	565.00	1310.00	3335.00
केरल	190.00	47.00	180.00	255.00	527.00
तमिलनाडु	1150.00	430.00	531.00	661.00	2790.00
पुडुचेरी	33.50	10.786	13.00	35.36	84.40
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.80	1.20	0.65	0.65	2.75
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	2275.00	880.00	230.00	510.00	4220.00
मध्य प्रदेश	1750.00	1095.0	165.00	405.00	3660.00

1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़	625.00	290.01	115.00	154.50	924.51
महाराष्ट्र	2750.00	1725.00	640.00	1830.00	5895.00
राजस्थान	1625.00	730.00	50.00	176.00	3131.00
गोवा	6.71	3.80	1.20	7.05	13.21
दमन और दीव	0.38	0.18	0.05	0.06	0.72
दादरा और नगर हवेली	1.35	1.30	0.15	0.00	2.28
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	1975.00	720.00	75.00	85.00	590.00
पंजाब	2600.00	1015.00	106.00	100.00	4465.00
उत्तर प्रदेश	5800.00	1965.00	400.00	1125.00	10865.00
उत्तरांचल	240.00	33.00	9.60	71.00	419.00
हिमाचल प्रदेश	65.00	0.00	7.00	53.00	135.00
जम्मू और कश्मीर	145.50	85.00	35.00	0.00	293.50
दिल्ली	7.20	5.00	2.00	2.60	18.70
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	2075.00	500.00	245.00	375.00	3865.00
झारखंड	260.00	125.00	34.00	108.00	489.00
ओडिशा	640.00	260.00	205.00	314.00	1119.00
पश्चिम बंगाल	1325.00	510.00	400.00	900.00	3160.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
असम	300.00	60.00	140.00	27.50	600.00
त्रिपुरा	52.00	5.20	13.25	0.00	88.10
मणिपुर	50.00	6.26	2.58	0.00	64.78
मेघालय	8.50	4.50	0.96	0.00	15.70
नागालैंड	1.59	1.20	0.41	0.09	3.13
अरुणाचल प्रदेश	1.14	0.11	0.11	0.00	1.83
मिजोरम	2.45	1.47	0.61	0.20	3.44
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अखिल भारत	30516.12	12615.99	4827.57	10736.00	60397.05

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन कार्य का रद्दीकरण

2302. श्री विष्णु पद राय: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवीं, तेरहवीं और चौहदवीं लोक सभा की अवधि के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अण्डमान और निकाबार द्वीप समूह की दक्षिण, उत्तर और मध्य अण्डमान जिला परिषद् और अण्डमान लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किये जाने वाले कार्य हेतु जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संबंधित संसद सदस्य से कार्यों को रदद करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि असंबंधित एजेंसियों ने निधियां जारी करने के बाद भी कार्य शुरू नहीं किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस धनराशि को ब्याज के साथ वापस लेने का है; और

(घ) यदि हां तो इस धनराशि को कब तक वापस लौटाये जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जिला प्राधिकारी दक्षिण अण्डमान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बारहवीं, तेरहवीं और चौहदवीं लोक सभा की अवधि के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिण उत्तर एव मध्य अण्डमान जिला परिषद् और अण्डमान लोक निर्माण विभाग को क्रमश: 4,63,01,240/- रुपए की निधि जारी की गई।

(ख) माननीय सांसद से कार्यों को रद्द करने का अनुरोध किया गया था और माननीय सांसद से सहमति मिलने पर 37 कार्य रद्द किए गए। 37 कार्यों में से जिला परिषद ने 19 कार्यों के लिए जारी की गई निधि अर्थात् 2676481 रुपए + 5000000 रुपए = 7676481 रुपए की धनराशि लौटाई है तथा तीन कार्यों को प्रारंभ किया है। शेष 15 कार्यों की धनराशि नहीं लौटाई गई है। नोडल अधिकारी ने कार्य-निष्पादक एजेंसियों से 15 कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भिजवाने का अनुरोध किया था ताकि कार्यों को रद्द करने हेतु समुचित कदम उठाए जा सकें।

(ग) नोडल अधिकारी, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने कार्यकारी अभियंता, जिला परिषद उत्तर एवं मध्य अंडमान को रद्द किए गए कार्यों की धनराशि लौटाने का निदेश दिया है।

(घ) नोडल जिला, जिला परिषद से शेष राशि वापस मंगवाने का प्रयास कर रहा है।

जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण की स्थापना

2303. श्री जगदानंद सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण के अधिदेश क्या हैं;

(घ) क्या आम पेय जल एवं बोतलबंद पानी के भिन्न-भिन्न मानकों को दूर करने की कोई संदर्शी योजना है;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण नदियों में न्यूनतम मात्रा में पानी छोड़ता है; और

(छ) यदि हां रहा तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें शामिल की गई नदियों के नाम क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच पाला): (क) सरकार द्वारा जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण (डब्ल्यूक्यूएए) का गठन 29 मई, 2001, को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 22 जून, 2001 के आदेश संख्या 583 (ई) द्वारा किया गया था।

(ख) डब्ल्यूक्यूएए एक 16 सदस्यीय अंतर मंत्रालयी प्राधिकरण है। सचिव (पर्यावरण एवं वन), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय डब्ल्यूक्यूएए के अध्यक्ष हैं तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन), जल संसाधन मंत्रालय वर्तमान सदस्य सचिव हैं। डब्ल्यूक्यूएए की वर्तमान संरचना का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) डब्ल्यूक्यूएए के अधिशेष का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, पेयजल गुणवत्ता मानक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाते हैं जोकि आईएस: 10500 है। बीआईएस के बोतलबंद पानी के लिए भी विनिर्देश है जो कि आईएस: 14543 है। डब्ल्यूक्यूएए की सामान्य पेयजल और बोतलबंद जल के भिन्न भिन्न मानकों को दूर करने के संबंध में कोई संदर्शी स्कीम नहीं है।

(च) डब्ल्यूक्यूएए भारत की नदी प्रणाली में जलीय जीवों के लिए न्यूनतम जल छोड़ने के विषय में अभिकरणों (सरकारी/स्थानीय निकायों/गैर सरकारी) को निदेश देने हेतु ईपीए अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

(छ) नदियों में न्यूनतम प्रवाह संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु डब्ल्यूक्यूएए ने नदियों में इको सिस्टम के संरक्षण हेतु न्यूनतम प्रवाह के विषय में सलाह दने के लिए वर्ष 2003 में सदस्य (नदी प्रबंधन), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में न्यूनतम प्रवाह संबंधी कार्यसमूह का गठन किया था। कार्य समूह ने वर्ष 2007 में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि हिमालयी नदियों में न्यूनतम प्रवाह, 75% के निर्भरता योग्य (डिपेंडेबल) वार्षिक प्रवाह (घन मीटर प्रति सेकेंड में दर्शाया गया) के 2.5% से कम न हो और जिसमें मॉनसून के दौरान एक बार तेज प्रवाह (फलशिंग सहित अधिकतम मात्रा (पीक) 75% निर्भरता योग्य प्रवाह के 250% से कम न हो। अन्य निदयों के संबंध में किसी दस दिवसीय अवधि में न्यूनतम प्रवाह देखे गए 99% एक्सीडेंस वाले दस दिवसीय प्रवाह से कम नहीं होना चाहिए।

विवरण I

जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण (डब्ल्यूक्यूएए)

डब्ल्यूक्यूएए एक 16 सदस्यीय अंतर मंत्रालयी प्राधिकरण है। सचिव (पर्यावरण एवं वन), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसके अध्यक्ष हैं तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन), जल संसाधन मंत्रालय वर्तमान सदस्य सचिव हैं।

डब्ल्यूक्यूएए की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

1.	सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	-	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	-	सदस्य
3.	अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	-	सदस्य
4.	सदस्य (नदी प्रबंधन) केन्द्रीय जल आयोग	-	सदस्य
5.	अध्यक्ष केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड,	-	सदस्य
6.	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	-	सदस्य
7.	सलाहकार, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	-	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय	-	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	-	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामिण विकास मंत्रालय	-	सदस्य
11.	संयुक्त सचिव, हाइड्रो परियोजनाएं, विद्युत मंत्रालय	-	सदस्य
12.	निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	-	सदस्य
13.	निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान	-	सदस्य
14.	संयुक्त सचिव, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय	-	सदस्य
15.	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	-	सदस्य
16.	संयुक्त सचिव (प्रशासन), जल संसाधन मंत्रालय	-	सदस्य-सचिव

विवरण II

जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण (डब्ल्यूक्यूएए) का अधिदेश

राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार, डब्ल्यूक्यूएए को निम्नलिखित शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं:

I. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत दी गई शक्तियों का, निदेश जारी करने और अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2 के खंड (IX), (XI), (XII) और (XIII) में उल्लिखित मामलों के संबंध में उपाय करने के लिए, प्रयोग करना।

II. अभिकरणों (सरकारी/स्थानीय निकाय/गैर सरकारी) को निम्नलिखित के लिए निदेश देना:

(क) जल गुणवत्ता निगरानी की विधि (विधियों) को मानकीकृत करना और आंकड़ा सृजन की गुणवत्ता को आंकड़ा उपयोग के लिए सुनिश्चित करना,

(ख) नामोदिष्ट बेहतर उपयोगों को पूरा करने के लिए नदी/जल निकायों की जल गुणवत्ता की पुन: प्राप्ति के लिए अपशिष्ट जल का समुचित परिशोधन सुनिश्चित करने हेतु उपाय करना,

(ग) जल गुणवत्ता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य करना,

(घ) कृषि के विकास में सिंचाई हेतु परिशोधित सीवेज/उद्योग बहि: स्रावों के पुनर्चक्रण, पुन: प्रयोग को बढ़ावा देना,

(ङ) जल निकायों में जल गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य योजना बनाना और तत्संबंधी शुरू की गई/शुरू की जाने वाली स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा/आकलन करना,

(च) जल गुणवत्ता के संकट को कम करने के लिए जल निकासी और भूमि पर, नदी और अन्य जल निकायों में परिशोधित सीवेज/उद्योग बहि:स्रावों के निस्सरण पर रोक लगाने के लिए स्कीम (स्कीमें) तैयार करना,

(छ) नदी प्रणाली में जलीय जीवों के लिए न्यूनतम निस्सरण की व्यवस्था,

(ज) बहि:स्राव परिशोधन लागत को कम करने के लिए गंभीर नदी क्षेत्रों में आत्मसात क्षमताओं का उपयोग करना,

(ञ) राष्ट्रीय जल संसाधनों (सतही जल एवं भूमि जल दानों-भूजनिक पहलू को छोड़कर) की गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करना और जल गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु "हॉट स्पाट" का पता लगाना,

(ट) उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जल संसाधन प्रबंधन संबंधी मामलों के लिए गठित अथवा गठित किए जाने वाले प्राधिकरणों/समितियों से बातचीत करना,

(ठ) राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता समीक्षा समितियों (डब्ल्यूक्यूआरसी) का गठन/स्थापना ताकि इन समितियों को सौंपे गए कार्यों में तालमेल रखा जा सके, और

(ड) सतही और भूजल गुणवत्ता संबंधी पार्यावरणीय मुद्दों (भूजनिक पहलू को छोड़कर) जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संबंधित क्षेत्रों के विषय में इसमें उल्लिखित किए जा सकते हैं, ताकि नामोदिष्ट बेहतर उपयोगों को बरकरार रखने के लिए गुणवत्ता बनाई रखी जा सके और/अथवा पुन: प्राप्त की जा सके।

वैज्ञानिकों के लिये एफसीएस

2304. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्लेक्सिबल कम्प्लीमेंटिंग स्कीम (एफसीएस) जो कि केन्द्र सरकार के वैज्ञानिकों की स्व-स्थाने पदोन्नति एवं कैरियर उन्नति के लिये एकमात्र उपलब्ध कराया गया अवसर है, रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एफसीएस केवल चयनित विषयों हेतु लागू की जा रही है;

(घ) यदि हां तो इसके अंतर्गत कवर विषयों का ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एफसीएस के बदले दिये जा रहे वैकल्पिक उन्नति के अवसरों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्राकृतिक/कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/आयुर्विज्ञान में स्नातक की डिग्री। इन विषयों को वैज्ञानिक विषयों के रूप में चिह्नित किया गया है और इन अर्हताओं को धारित करने वाले वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक पद धारित कर सकते हैं।

(ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित संशोधित एफ सी एस के अन्तर्गत, जो एफ सी एस को समाहित करने वाले मौजूदा भर्ती नियमों का संशोधन होने पर पर लागू होगा, संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन, जैसाकि केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों पर भी लागू है एफ सी एस के अन्तर्गत शामिल वैज्ञानिकों पर भी लागू होगा।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

2305. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता स्थित सरकार के स्वामित्वाधीन हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने 2004 से कोई केबल नहीं बनाया है तथा सेल्यूलर टेक्नोलोजी द्वारा इसकी टेलीफोन वाईरिंग को अप्रचलित किये जाने के बाद इसे 549 मिलियन डालर का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कंपनी को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) रूपनरायणपुर (पश्चिम बंगाल) और हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) स्थित हिन्दुस्तान केबल्सि लिमिटेड (एचसीएल) की पीआईजेएफ केबलों का उत्पादन करने वाली यूनिटें जनवरी 2003 से उत्पादन बंद है क्योंकि भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (बीएसएनएल/एमटीएनएल) में इन केबलों की मांग नहीं है। इसी प्रकार, ऑप्टिकल फाईबर केबल का उत्पादन करने वाली नैनी इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थित यूनिट भी उत्पाद विशिष्ट में परिवर्तन के कारण अप्रचलित हो गई है। दिनांक 31.08.2011 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की संचित हानि 4255 करोड़ रुपए है।

(ग) आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड द्वारा एचसीएल की सभी यूनिटों को अधिग्रहण करने के लिए रक्षा मंत्रालय/आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड (एफओबी) के साथ तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा एचसीएल के हैदराबाद यूनिट के अधिग्रहण के लिए इस्पात मंत्रालय/राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के साथ मामले को उठाया गया है।

अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार

2306. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को मतदान का अधिकार तथा लोक सभा एवं राज्यविधान सभा चुनावों में चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उनके पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संखक 36) को अधिनियमित कर दिया गया है तथा 10 फरवरी, 2011 से प्रभावी बनाया गया है। उक्त अधिनियम यह उपबंध करता है कि भारत का ऐसा प्रत्येक नागरिक:

(i) जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है;

(ii) जिसे किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है; और

(iii) जो भारत में अपने मामूली निवास-स्थान से अपने नियोजन शिक्षा या अन्यथा भारत से बाहर रहने के कारण अनुपस्थित रहा है (चाहे अस्थायी रूप से है या नहीं), ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की, जिसमें भारत में उसका ऐसा निवास-स्थान जो उसके पासपोर्ट में उल्लिखित है अवस्थित है निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने का हकदार होगा।

(ग) उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसरण में मतदान के समय मूल पासपोर्ट के प्रस्तुतीकरण तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सत्यापन के अधीन रहते हुए उक्त प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से भरे विहित प्रारूप 6क के साथ प्रस्तुत किए गए भारतीय पासपोर्ट और वैध वीजा की स्वप्रमाणित प्रतियों के आधार पर उनके निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में अनिवासी भारतीय स्वयं को रजिस्टर करा सकते हैं।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया जाना

2307. डॉ. क्रुपारानी किल्ली: क्या **जल संसाधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं का निरूपण निष्पादन और निधियन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनके अपने संसाधनों और उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार 1996-97 से एआईबीपी के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं को ऋण/अनुदान के रूप में सहायता प्रदान कर रही है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अनतर्गत शामिल करने हेतु प्रस्तुत बृहत सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिा गया है।

(ग) एआईबीपी के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावों पर विचार एआईबीपी के प्रचालित दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुरूप किया जाता है।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा 2011-12 के दौरान एआईबीपी के अन्तर्गत शामिल करने के लिए प्रस्तुत बृहत सिंचाई परियोजना-प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
	बिहार
1.	पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईआरएम) का पुनरुद्धार, नई
2.	नेपाल लाभ स्कीम-09 गंडक परियोजना (ईआरएम), नई
3.	बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर-नई
	छत्तीसगढ़
4.	मनियारी-ईआरएम (नई)
	जम्मू और कश्मीर
5.	जैंगर नहर का आधुनिकीकरण (नई)
6.	ग्रिमथू नहर का आधुनिकीकरण (नई)
	झारखंड
7.	पंचखेरो
8.	तंजना जलाशय (नई)
9.	रैसा जलाशय (नई)
10.	सुबर्णरेखा (नई)
11.	बटेश्वरस्थान पम्प नहर, नई
	महाराष्ट्र
12.	निचली पेधी (बृहत)
13.	तेंभू लिफ्ट सिंचाई स्कीम (बृहत), नई
14.	उरमोदी (बृहत) नई
	उत्तर प्रदेश
15.	बदायूं

[हिन्दी]

सकरी-हसनपुर रेल लाइन

2308. श्री महेश्वर हजारी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार बिहार के हाजीपुर जोन में सकरी स्टेशन से हसनपुर तक रेलवे लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या बिरौली स्टेशन पर उक्त लाइन का कार्य बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) हसनपुर तक रेल लाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) सकरी से बिरौल तक 36 कि.मी. यातायात के लिए खोल दिया गया है और बिरौली-हसनपुर खंड पर कार्य शुरु कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हसनपुर रोड तक के खंड पर कार्य 2014-15 में पूरा होने की संभावना है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संचालित दुकानें

2309. श्री रमेश बैस:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा पूरे देश में रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) को आवंटित दुकानों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का करोड़ों रुपया उक्त कंपनियों के ऊपर बकाया है;

(घ) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा देय का भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे का विचार इन कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उन्हें काली सूची में डालने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विभिन्न कंपनियों से उक्त देयों की वसूली हेतु रेलवे द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना पर खर्च की गई धनराशि

2310. श्री पी. के. बिजू: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्थापित तथा प्रचालित किये गये संयंत्रों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) सरकार ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए किसी निधि की स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

(ख) दो बंद इकाइयों नामत: एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. की ट्राम्बे इकाई और निजी क्षेत्र में स्पिक इकाई ने क्रमश: 2009 और 2010 में उत्पादन आरंभ कर दिया है।

भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क रेल लाइन

2311. श्री रूद्रमाधाव राय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क खण्ड पर उनके धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के मद्देनजर रेल संपर्क में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भुवनेश्वर, खुर्दा रोड के रास्ते पुरी से जुड़ा हुआ है। देलंग से पूरी तक के खंड का दोहरीकरण भी शुरू कर दिया गया है। विगत में पुरी से कोणार्क तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था लेकिन इसे स्वीकृति हेतु लाभप्रद नहीं समझा गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशान लिमिटेड का पुनरुद्धार

2312. श्री जोसेफ टोप्पो: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशान लिमिटेड (नामरूप फर्टिलाइजर्स) वित्तीय संकट के कारण उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या बह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशान लिमिटेड के कर्मचारियों को उनकी मजदूरी एवं वेतन भी समय से नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त संयंत्र के पुनरुद्धार हेतु कोई नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी, हां। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. (बीवीएफसीएल) पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण शुरूआत से ही वित्तीय हानि उठा रही है जिसके कारण कम क्षमता उपयोग और अधिक ऊर्जा खपत होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां, बीवीएफसीएल के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

अल्पावधि उपाय के रूप में, सरकार ने बीवीएफसीएल के दोनों मौजूदा संयंत्रों अर्थात् नामरूप-II और नामरूप-III के नवीनीकरण/मरम्मत के लिए निधियां उपलब्ध कराई हैं। नामरूप-III संयंत्र के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है और अब यह पूरे लोड पर चल रहा है। इसकी ऊर्जा खपत कम होकर 9.5 जीकैल/मी. टन यूरिया हो गई है। नामरूप-II के कार्य निष्पादन में भी सुधार हुआ है। कंपनी नकद लाभ अर्जित कर रही है।

दीर्घावधि उपाय के रूप में, कंपनी की दीर्घावधि व्यवहार्यता के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें कंपनी का वित्तीय पुनर्गठन और नामरूप में नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र लगाना शामिल है। प्रस्तावित संयंत्र क्षमाता का उद्देश्य 5.4 जीकैल/मी.टन यूरिया की विशिष्ट ऊर्जा पर 1.72 एमएमएससीएमडी गैस की खपत करते हुए प्रतिवर्ष 8.64 लाख मी.टन. यूरिया का उत्पादन करना है। योजना आयोग के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए परियोजना की स्थापना हेतु प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) प्रस्तुत की गई थी और उसके बाद आगे की जांच करके वर्ष 2012 से शुरू होने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में निधियों को आबंटन किया जाना है। योजना आयोग के परामर्श के अनुसार, सरकार से किसी बजटीय सहायता के बिना एक ऐसे प्रस्ताव की संभावना की तलाश की जा रही है जिसमें लाभ में चल रही सीपीएसू/निजी क्षेत्र की कंपनियों से प्रस्तावित परियोजना में संयुक्त उद्यम भागीदार बनने के लिए साम्या के रूप में योगदान मांगा जा रहा है।

भू-जल की उपलब्धता एवं उपयोग

2313. श्री सुरेशा अंगड़ी: क्या **जल संसाधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशा में भू-जल की औसत उपलब्धता एवं उपयोग तथा प्रत्येक राज्य में उसकी उपलब्धता एवं उपयोग की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन राज्यों में भू-जल के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं, जहां भू-जल की कमी विद्यमान है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) वर्ष 2004 में राज्रू भूमि जल संगठनों और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किए गए पिछले आकलन के अनुसार, निवल वार्षिक भूमि जल उपलब्धता 399.25 बीसीएम आकलित की गई है तथा वार्षिक भूमि जल मसौदा 230.62 बीसीएम है। देश में भूमि जल विकास की स्थिति 58% है। भूमि जल संसाधनों की उपलब्धता एवं उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जल राज्य का विषय होने के कारण संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में भूमि जल उपलब्धता के संवर्धन के लिए विभिन्न कदमों को उठाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की मुख्य जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार ने भूमि जल संसाधनों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है।

- 11वीं योजना के दौरान समान जल भूविज्ञानीय पर्यावरण के तहत राज्य सरकरों द्वारा अनुसारण के लिए कृत्रिम पुर्नभरण परियोजनाओं को चालू भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी केन्द्र क्षेत्र स्कीम के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अर्थात अति-दोहित एवं गंभीर आकलित इकाईयों शहरी क्षेत्रों आदि में शुरू किया गया है।

- "भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर योजना" शीर्षक वाली एक संकल्पना रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसने देश भर में कुल 4.5 लाख वर्ग कि क्षेत्र को भूमि जल के कृत्रिम पुर्नभरण की आवश्यकता वाले क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दस्तावेज परिचालित कर दिया गया है।

- भूमि जल विकास के विनियम और नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समुचित कानून बनाने के लिए 'मॉडल विधेयक' परिचालित करना जोकि छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने का प्रावधन करता है। अब तक 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ दादरा और नगर हवेली लक्ष्यद्वीप और पुडुचेरी ने भूमिजल कानून को अधिनियमित किया है।

- राज्यो को वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने की सलाह दी गई है। इसके अनुसरण में 18 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने भवन संबंध उप-नियमों के तहत वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है।

- भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए अति दोहित 12 राज्यों के मुख्य सचिवों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा निदेश जारी किए गए।

- सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन/कृत्रिम पुर्नभरण को अपनाने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों तथा शहरी विकास मंत्रालय को निदेश जारी किए गए।

- देश में अति-दोहित और गंभीर क्षेत्रों (जल जमाव वाले क्षेत्रों को छोड़कर) के अर्न्तगत सभी रिहायशी सामूहिक आवासीय सोसाइटियों/संस्थानों/विद्यालयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उनके परिसर में छत के वर्षा जल संचयन की प्रणालियों को अपनाने के निदेश जारी किए गए।

- देश में (जल जमाव वाले क्षेत्रों का छोड़कर) वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने के लिए सीआरआरआई द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य प्रमुख सड़कों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सीपीडब्ल्यूडी, राज्य पीडब्ल्यूडी, भारतीय रेल द्वारा रेल ट्रकों, भारतीय खेल प्राधिकरण बीसीसीआई तथा खेल एवं युवा मामले विभागों द्वारा स्टेडियों में और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों में भूमि जल पुनर्भरण उपायों के कार्यान्वियन के लिए निदेश जारी किए गए।

- केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण नें देश में (जल जमाव वाले क्षेत्रों को छोड़कर) अतिदोहित और गंभीर क्षेत्रों में भूमि जल का उपयोग करने वाले वृहद और मध्यम उद्योगों को उनके परिसर में भूमि जल पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन तथा बर्बाद जल के उपचारी उपायों, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग सहित जल संरक्षण उपायों को शुरू करने के लिए निदेश जारी किए हैं।

- वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूमि जल संवर्धन के नवप्रर्वतक उपायों को अपनाने, जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने, जल का पुन: चक्रण एवं पुन: उपयोग करने और लोगों को भागीदारी के माध्यम से जागरूकता सृजन करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों/ग्राम पंचायतो/शहरी स्थानीय निकायों/ संस्थानों/कॉपोरेट क्षेत्र और व्यक्तियों को उत्साहित करने के लिए 20 भूमि जल संवर्धन पुरस्कार एवं 1 राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना की है।

विवरण

भूमि जल संसाधनों की उपलब्धता, उपयोग तथा विकास की राज्यवार स्थिति (मूल्यांकन वर्ष 2004)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूमि जल संसाधन का वार्षिक पुनर्भरण	गैर मानसून मौसम के दौरान प्राकृतिक निस्सरण	शुद्ध वार्षिक सिंचाई उपलब्धता	वार्षिक भू जल प्रारूप			भूजल विकास का स्तर (प्रतिशत)
					सिंचाई	घरेलू और औद्योगिक प्रयोग	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य	बीसीएम/वर्ष						
1.	दिल्ली	0.30	0.02	0.28	0.20	0.28	0.48	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	पंजाब	23.78	2.33	21.44	30.34	0.83	31.16	145
3.	राजस्थान	11.56	1.18	10.38	11.60	1.39	12.99	125
4.	हरियाणा	9.31	0.68	8.63	9.10	0.35	9.45	109
5.	तमिलनाडु	23.07	2.31	20.76	16.77	0.88	17.65	85
6.	गुजरात	15.81	0.79	15.02	10.49	0.99	11.49	76
7.	उत्तर प्रदेश	76.35	6.17	70.18	45.36	3.42	48.78	70
8.	कर्नाटक	15.93	0.63	15.30	9.75	0.97	10.71	70
9.	उत्तराखंड	2.27	0.17	2.10	1.34	0.05	1.39	66
10.	मध्य प्रदेश	37.19	1.86	35.33	16.08	1.04	17.12	48
11.	महाराष्ट्र	32.96	1.75	31.21	14.24	0.85	15.09	48
12.	केरल	6.84	0.61	6.23	1.82	1.10	2.92	47
13.	आंध्र प्रदेश	36.50	3.55	32.95	13.88	1.02	14.90	45
14.	पश्चिम बंगाल	30.36	2.90	27.46	10.84	0.81	11.65	42
15.	बिहार	29.19	1.77	27.42	9.39	1.37	10.77	39
16.	हिमाचल प्रदेश	0.43	0.04	0.39	0.09	0.02	0.12	30
17.	गोवा	0.28	0.02	0.27	0.04	0.03	0.07	27
18.	असम	27.23	2.34	24.89	4.85	0.59	5.44	22
19.	झारखंड	5.58	0.33	5.25	0.70	0.38	1.09	21
20.	छत्तीसगढ़	14.93	1.25	13.68	2.31	0.48	2.80	20
21.	ओडिशा	23.09	2.08	21.01	3.01	0.84	3.85	18
22.	सिक्किम	0.08	0.00	0.08	0.00	0.01	0.0!	16
23.	जम्मू और कश्मीर	2.70	0.27	2.43	0.10	0.24	0.33	14
24.	त्रिपुरा	2.19	0.22	1.97	0.08	0.09	0.17	9
25.	नागालैंड	0.36	0.04	0.32	0.00	0.009	0.009	3
26.	मिजोरम	0.04	0.004	0.04	0.00	0.0004	0.0004	0.90
27.	मणिपुर	0.38	0.04	0.34	0.002	0.0005	0.002	0.65
28.	मेघालय	1.15	0.12	1.04	0.00	0.002	0.002	0.18
29.	अरुणाचल प्रदेश	2.56	0.26	2.30	0.0008	0	0.0008	0.04
	कुल राज्य	432.42	33.73	398.70	212.38	18.04	230.44	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	संघ शासित प्रदेश							
1.	दमन और द्वीप	0.009	0.0004	0.008	0.007	0.002	0.009	107
2.	पुडुचेरी	0.160	0.016	0.144	0.121	0.030	0.151	105
3.	लक्षद्वीप	0.012	0.009	0.004	0.000	0.002	0.002	63
4.	दादरा और नगर हवेली	0.063	0.003	0.060	0.001	0.007	0.009	14
5.	अंडमान और निकोबार	0.330	0.005	0.320	0.000	0.010	0.010	4
6.	चंडीगढ़	0.023	0.002	0.020	0.000	0.000	0.000	0
	कुल संघ शासित प्रदेश	0.597	0.036	0.556	0.129	0.051	0.181	33
	कुल जोड़	433.02	33.77	399.25	212.51	18.09	230.62	58

[हिन्दी]

जल आपूर्ति योजनाएं

2314. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) जल राज्य का विषय है, इसलिए जल आपूर्ति की परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकारों के प्रयासों को सहयोग देने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्यों को सहायता जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अन्तर्गत पेय जल परियोजनाओं के लिए दी जाती है, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, सेटेलाइट टाउन के लिए शहरी अवसंरचना विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी) के अंतर्गत 10 प्रतिशत एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

ग्रामीण पेय जल के लिए, पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय राज्यों के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नामत: राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) संचालित करता है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के विषय में राज्यों के प्रयासों को सहयोग देने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अन्तर्गत राज्य सरकारों को पेय जल आपूर्ति संबंधी स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार है। ग्रामीण पेय जल आपूर्ति परियोजनाएं राज्य-स्तरीय स्कीम मंजूरी समिति द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। इस प्रकार राज्यों द्वारा केन्द्र को अनुमोदन के लिए कोई जल आपूर्ति परियोजना प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होती है।

पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा जल आपूर्ति संबंधी ऐसी कोई स्कीम मंजूरी के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश में आमान परिवर्तन

2315. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में चल रहे आमान परिवर्तन कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनको समय से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) इस समय उत्तर प्रदेश में स्थान-वार मीटर गेज रेलवे लाइन की लम्बाई कुल कितनी है तथा इनमें से कौन-कौन सी लाइनें अब उपयोग में नहीं हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा इन लाइनों को ब्राड गेज में बदलने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) फिलहाल, उत्तर प्रदेश में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 7 आमान परिवर्तन परियोजनाएं चालू हैं। इन कार्यों की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखते हुए इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित मीटर आमान खंडों को अभी भी बड़े आमान में परिवर्तित किया जाना बाकी है;

मथुरा-वृंदावन (12 किमी), गैनसारी-जरवा (15 किमी), मंडालना-बाहमावर्त (8 किमी), नानपाड़ा-नेपालगंज रोड (20 किमी), पीलीभीत-शाहजहांपुर (83 किमी), दुधवा के रास्ते बहराइच-मैलानी (196 किमी), इंदारा-दोहरीघाट (35 किमी)।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आमान परिवर्तन चरणबद्ध आधार पर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विदेशों में शेल गैस परिसंपत्तियां अर्जित करना

2316. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने विदेशों में शेल गैस परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने तथा अपने सिंगापुर ट्रेडिंग गैस के माधयम से जहाजों के माध्यम से गैस का आयात करने और पेट्रोकेमिकल्स के लिए 400 मिलियन लगाने के लिए 'वार चेस्ट' तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सौदे के माध्यम से गेल को क्या लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्रॉकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), अपने विलयन और अर्जन (एम एंड ए) प्रकोष्ठ के माध्यम से भारत के बाहर अपस्ट्रीम/मिडस्ट्रीम परिसंपत्तिों में भागीदारी हित प्राप्त करने के लिए अवसरों की तलाश कर रही है जिसके लिए निधि को आबंटन मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वर्तमान समय में गेल की गेल ग्लोबल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड (जीजीएसपीएल) के माध्यम से एलएनजी और पेट्रो रसायनों के आयात के लिए 4000 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

धोखेबाज कंपनियां

2317. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री आधि शंकर:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रातों-रात भाग जाने वाली उन कंपनियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान करने का है जिन्होंने छोटे निवेशकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हद से ज्यादा लाभ देने का वादा करके उनके साथ धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 50 वर्ष पुराने कंपनी कानून को प्रतिस्थापित करने हेतु इस संबंध में अवधारण पत्र पर उद्योग संघों, व्यवसायिक संस्थानों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त फीडबैक का अध्ययन करने के बाद किसी समिति का गठन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। कंपनी अधिनियम 1956, जिसे कंपनी विधेयक, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, लुप्त प्राय कंपनियों, धोखाधड़ी की रोकथाम आदि के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अधिक कड़े दंडात्मक प्रावधानों का उपबंध करता है।

(ग) से (च) डॉ. जे.जे. इरानी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन 02.12.2004 को किया गया था जिसने अपना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को 31.05.2005 को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में वर्तमान आर्थिक एवं व्यावसायिक परिवेश के मद्देनजर वर्तमान कंपनी अधिनियम, 1956 को युक्तिसंगत बनाने हेतु अनुशंसाएं हैं।

नये रेलवे जोन

2318. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का देश में नये रेलवे जोन सृजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार क्या है;

(ग) क्या रेलवे को मध्य रेलवे के अंतर्गत अलग नागपुर जोन के सृजन की कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) श्री विलास मुत्तेमवार, माननीय संसद सदस्य से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। आकार, कार्यभार, उपगम्यता, यातायात का स्वरूप और आर्थिक और कुशलता की आवश्यकता के अनुरूप अन्य प्रशासनिक/परिचालनिक आवश्यकताओं जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के नए रेलवे जोन की स्थापना की जाती है।

जब इन तथ्यों के आलोक में नागपुर को एक रेलवे जोन के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की गई तो उसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

एसएफयूआरटीआई के अंतर्गत परम्परागत उद्योग

2319. श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परम्परागत उद्योगों की स्थापना करने हेतु युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र सहित स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (एसएफयूआरटीआई) के अंतर्गत राज्य-वार निधियां आवंटित की गई तथा उपयोग में लाई गईं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान एसएफयूआरटीआई के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धि एवं सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने परम्परागत उद्योगों के सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण तथा उनमें लगे कामगारों की दशा में सुधार लाने हेतु कदम उठाये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में सरकार गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में प्रथम पीढ़ी उद्यमियों की सहायता करने के लिए 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी आधारित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। पीएमईजीपी के तहत, 30 नवंबर 2011 तक 1.41 लाख इकाइयों की 2593.78 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सहायता की गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) के तहत 2005-06 से खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और केयर बोर्ड के माध्यम से खादी, ग्रामोद्योगों और कॅयर जैसे पारंपरिक उद्योगों के 105 क्लस्टरों के विकास का काम लिया है। केवीआईसी और कॅयर बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र सहित स्फूर्ति के तहत क्लस्टरों को प्रदान की गई राज्य/संघ शासित प्रदेश वार निधिया संलग्न विवरण में दी गई हैं। अब तक स्फूर्ति के माध्यम से लगभग 53,000 कारीगर लाभान्वित हुए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के संबंध में अलग से आंकड़े केंद्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) खादी, ग्रामोद्योग और कॅयर जैसे पारंपरिक उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों में मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करना और विपणन की आधारभूत संरचना के लिए सहायता, खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम और खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना जैसी योजनाओं के अलावा केवीआईसी द्वारा क्रियान्वित व्यापक खादी सुधार और विकास कार्यक्रम और कयर बोर्ड द्वारा क्रियान्वित कयर उद्योग के पुनरुत्थान, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजना भी शामिल है।

विवरण I

एसएफयूआरटीआई के तहत क्लस्टरों को मुहैया कराई गई राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्लस्टर की संख्या	उपलब्ध कराई गई धनराशि (लाख रु. में)			
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	हिमाचल प्रदेश	1	1.80	1.80	12.65	13.12
2.	जम्मू और कश्मीर	5	88.1	32.20	49.77	0
3.	हरियाणा	3	107.52	5.40	4.86	12.07
4.	पंजाब	4	56.80	69.50	13.47	10.05
5.	राजस्थान (जयपुर)	3	74.17	27.37	19.30	8.11
6.	उत्तरांचल	2	24.75	44.96	24.06	7.19
7.	मध्य प्रदेश	3	37.2	3.6	20.00	13.80
8.	उत्तर प्रदेश	7	169.91	46.58	26.89	29.46
9.	छत्तीसगढ़	1	26.35	1.80	45.08	2.00
10.	गुजरात	3	35.41	3.07	6.75	5.30
11.	महाराष्ट्र	4	66.56	31.06	60.80	12.03
12.	कनार्टक	8	71.68	228.13	93.26	40.03
13.	आंध्र प्रदेश	7	86.86	38.56	70.68	42.16
14.	केरल	9	70.61	230.37	52.86	4.00
15.	तमिलनाडु	13	63.05	236.44	201.81	67.72
16.	लक्षद्वीप	1	0.00	0.33	0.00	6.66
17.	पुदुचेरी	1	1.76	6.23	27.34	4.42
18.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0.00	8.68	33.90	0.00
19.	बिहार	3	47.90	5.40	33.90	9.80
20.	झारखंड	2	25.30	1.80	24.15	33.45
21.	पश्चिम बंगाल	5	104.00	86.09	57.02	19.03
22.	ओडिशा	4	47.01	14.14	88.50	20.65
23.	असम	4	100.12	40.68	47.02	12.71

1	2	3	4	5	6	7
24.	त्रिपुरा	3	26.43	41.58	82.61	8.99
25.	सिक्किम	1	23.80	1.80	23.20	13.60
26.	मणिपुर	2	52.92	3.60	29.41	17.15
27.	मिजोरम	1	17.34	1.80	17.37	0.00
28.	मेघालय	1	26.62	1.80	12.94	5.00
29.	अरुणाचल प्रदेश	1	41.10	1.80	17.10	5.00
30.	नागालैंड	2	18.60	12.10	5.28	8.04
	योग	105	1513.67	1228.67	1201.98	431.54

ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं के मूल्य में अंतर

2320. डॉ. किरोडी लाल मीणा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं के मूल्यों में भारी अन्तर है तथा इन्हीं दवाइयों की जन-औषधि भण्डारों में आपूर्ति एवं बिक्री की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) जन औषधि भण्डारों में बिक्री की जा रही गैर-ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं तथा देश के विभिन्न भाग में खुले बाजार में बिक्री की जा रही है ब्रांडेड दवाओं के मूल्य में अन्तर के क्या कारण हैं; और

(घ) मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत तथा मूल्य नियंत्रण आदेश से बाहर दवाइयों एवं सूत्रयोगों की संख्या कुल कितनी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी हां। कुछ दवाइयों के तुलनात्मक मूल्य इस प्रकार हैं:

लवण का नाम	खुराक	पैक	ब्रांड वाली दवाइयों का औसत बाजार मूल्य (रुपए)	जन औषधि बिक्री केन्द्रों पर बेची जाने वाली जेनेरिक दवाइयों के मूल्य	अंतर
एंटीबायोटिक: सिपरोफ्लोक्सासीन	250 एमजी	10	55.00	11.10	5 गुणा अधिक
दर्द निवारक: डिक्लोफेनीक	100 एमजी	10	36.70	3.35	10 गुणा अधिक
आम सर्दी-जुकाम: सिट्रीजीन	10 एमजी	10	20.00	2.75	7 गुणा अधिक
बुखार: पैरासीटामोल	500 एमजी	10	10.00	2.45	4 गुण अधिक
दर्द और बुखार: नीमस्युलीड	100 एमजी	10	25.00	2.70	9 गुण अधिक
कफ सिरप		110 एमएल की बोतल	33.00	13.30	2.5 गुणा अधिक

मूल्यों में अंतर के मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

ब्रांड वाली दवाइयों के मामले में प्रतिस्पर्द्धा के कारण, ये दवाइयां बेचने के लिए आमतौर पर विस्तृत तथा गहन संवर्धनात्मक प्रयास किए जाने की आवश्यकता होती है जिसके कारण खर्च में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जबकि जन-औषधि बिक्री केन्द्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाइयों की बिक्री के मामले में ये दवाइयां स्टाक रखने वालों/खुदरा दवाई विक्रेताओं को अपेक्षाकृत कम मार्जिन पर सीधे ही सप्लाई की जा रही हैं। जन औषधियों के मामले में आम आदमी की भलाई के लिए इन दवाइयों की कीमत वाजिब स्तरों पर रखने का सुविचारित निर्णय लिया जाता है जबकि इसके विपरीत ब्रांड वाली दवाइयों के मामले में मूल्यों को कम अथवा अधिक रखने का निर्णय कंपनी द्वारा लिया जाता है।

(घ) अनुसूचित दवाइयों के मामले में, 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रण के अधीन है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)/सरकार द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित अथवा संशोधित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन को एनपीपीए/सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता है इसलिए इन अनुसूचित औषधियों के मामलों में उनके मूल्यों में अंतर नहीं हो सकता है।

जो औषधियां, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में निर्माताओं द्वारा सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिये बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। सामान्यत: ऐसे मूल्य विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं तथा फार्मूलेशन में प्रयुक्त बल्क औषधियों की लागत, एक्सीपिएंटों की लागत, अनुसंधान तथा विकास लागत, उपयोगिता/पैकिंग सामग्री लागत, व्यापार मार्जिन, गुणवत्ता आश्वासन लागत, आयातों की अवतरण लागत, आदि।

[अनुवाद]

वृद्ध जनों हेतु आईआरसीटीसी टूर पैकेज

2321. श्री एस. एस. रामासुब्बू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के पर्यटन पैकेज के दौरान वृद्ध जनों के बीमार पड़ने के अनेक मामले रेलवे के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वृद्ध जनों के लिये चिकित्सा सुविधायें सुनिशिचत करने तथा उनकी यात्रा को निर्बाधा एवं आरामदायक बनाने हेतु कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। चालू वर्ष के दौरान भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के भ्रमण पैकेज का लाभ उठाने वाले 69716 पर्यटकों में से 32 पर्यटकों के बीमार पड़ने की रिपोर्ट मिली है, उनमें से अधिकांश 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के थे।

(ग) और (घ) उपचार सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सभी यात्री गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होती है। राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के गाड़ी पर्यवेक्षकों और नामित गाड़ियों के गार्डों को संवर्धित फर्स्ट एड बॉक्स मुहैया कराए गए हैं। अग्रणी कर्मचारियों जैसे, गाड़ी पर्यवेक्षकों, गाड़ी के कंडक्टरों, यात्रा के दौरान गाड़ी टिकट परीक्षकों आदि को भी प्रथम उपचार देने को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के कर्मचारियों के लिए आवधिक रूप से प्रथमोपचार में नए पाठ्यक्रम शामिल किये जाते हैं। आपातकाल में मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर यदि आवश्यक हो तो गाड़ियों का गैर-अनुसूचित ठहराव भी दिया जाता है। प्रत्येक स्टेशन मास्टर के पास स्टेशन के निकटवर्ती सरकारी और निजी दोनों प्रकार के डॉक्टरों, नर्सिंग होम, क्लिनिकों और अस्पतालों का ब्यौरा होता है, ताकि आपातकाल में उनकी सेवाएं ली जा सकें।

[हिन्दी]

पहाड़ी क्षेत्रों में भू-जल की खोज

2322. श्री वीरेन्द्र कश्यप: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में भू-जल की खोज करने हेतु अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित एवं जारी की गई है; और

(घ) इस संबंध में किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश में भू-जल की खोज करता है।

(ख) सम्भावित जलभृत्त प्रणालियों को प्रस्तुत करने तथा उनकी जल संबंधी उपलब्धियों की विशिष्टताओं का पता लगाने के लिए खोज की जाती है। क्षेत्र का उपगम्यता तथा भूविज्ञान के आधार संबद्ध राज्य अभिकरणों के परामर्श से खोज के लिए स्थलों को अंतिम रूप दिया जाता है। आवश्यक वैज्ञानिक आंकड़ों को एकत्र करने के बाद सफल अन्वेषणात्मक कुओं को संबंधित राज्य अभिकरणों को उनके प्रयोग हेतु निःशुल्क सौंपा जाता है।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में भूजल खोज हेतु अलग से कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) 11वीं योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में की गई भूजल खोज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पहाड़ी क्षेत्रों में केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा ड्रिल किए गए अन्वेषणात्मक कुओं की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रिल किए गए अन्वेषणात्मक कुओं की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	32
2.	असम	46
3.	हिमाचल प्रदेश	191
4.	जम्मू एवं कश्मीर	256
5.	केरल	65
6.	महाराष्ट्र	62
7.	मणिपुर	25
8.	मेघालय	88
9.	मिजोरम	3
10.	नागालैंड	11
11.	सिक्किम	32
12.	उत्तराखंड	36
13.	पश्चिम बंगाल	1 (दार्जिलिंग)

[अनुवाद]

यूरिया के मूल्य को नियंत्रण मुक्त करना

2323. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उर्वरक विनिर्माण कंपनियों से यूरिया आदि के मूल्य को नियंत्रण मुक्त करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन आर उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यूरिया के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें यूरिया मूल्यों के विनियंत्रण का प्रस्ताव भी शामिल है। नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस) चरण-III के बाद मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए एक मूल्य-निर्धारण नीति पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

जल विवाद अधिनियम को रद्द करना

2324. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के निरसन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों को अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद के संबंध में सीधो तौर पर उच्चतम न्यायालय जाने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी नहीं।

(ख उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

2325. श्री राकेश सिंह:
श्रीमती प्रिया दत्त:
श्री शिवकुमार उदासी:
श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों विशेषकर कर्नाटक में येलबागी, हावेरी, गडाग और रानेबेन्नूर, मुंबई में बांद्रा और कुर्ला, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जहां पहुंच पथों का भी अभाव है, पर खराब यात्री सुविधाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशनों पर अवसंरचना को उन्नत करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे को जबलपुर (मध्य प्रदेश) जाने वाली ट्रेनों में जल की कमी की भी जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समस्या का समाधान करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मानदण्डों के अनुसार सभी स्टेशनों पर सभी न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाएं मुहैया करायी गई हैं। इसके अलावा, आवश्यकता, स्टेशनों की पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अनुसार सुविधाओं का आवर्धन किया जाता है।

(ग) और (घ) जबलपुर मण्डल में बड़े स्टेशनों पर सवारी डिब्बों में पानी भरने की सुविधा उपलब्ध है। नामित स्टेशनों पर गाड़ी में पानी भरना सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश दोहराए जाते हैं।

[अनुवाद]

'ओथ कमिश्नरों' की नियुक्ति

2326. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न क्षेत्रों/जिलों में ओथ कमिश्नरों की नियुक्ति के लिए क्या मापदंड अपनाया गया है;

(ख) उनकी अर्हताओं, नियुक्ति की शर्तों तथा उनके क्षेत्राधिकारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनसे सरकार को कितनी वार्षिक आय अर्जित हुई है और इसे किस लेखाशीर्ष में प्रभारित किया जाता है; और

(घ) उनके प्रति न्यायालयों/सरकार का क्या दायित्व है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) मांगी गई जानकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है क्योंकि केन्द्रीय सरकार, शपथ आयुक्तों की नियुक्ति नहीं करती है।

विद्युत/डीजल इंजनों के लिए इकाइयां

2327. श्री पी. कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत और डीजल इंजनों के निर्माण के लिए 2006 में यथा घोषित इकाइयों की स्थापना का ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में अभी तक कितनी धनराशि आवंटित/खर्च की गई है; और

(ग) उक्त इकाइयों द्वारा कब तक विनिर्माण आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) **(i) मधेपुरा; बिहार में इलैक्ट्रिक इंजन यूनिट:** मधेपुरा बिहार में बिजली रेलइंजन निर्माण इकाई स्थापित किए जाने की परियोजना को फरवरी, 2007 में आर्थिक मामलों संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस कार्य को 2007-08 के रेल बजट में शामिल किया गया था। मंत्रिमंडल ने 18 फरवरी, 2010 की अपनी बैठक में 12000 एचपी के बिजली के रेलइंजनों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्री प्रतियोगी बोलियों के माध्यम से चुने गए साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम के तहत इस निर्माण इकाई की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है।

अर्हकता अनुरोध (आरएफक्यू) को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलियों (आईसीबी) के माध्यम से बोलीदाताओं को शॉर्ट लिस्ट किा गया है। शॉर्ट लिस्ट किए गए बोलीदाताओं को प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) जारी किए गए। माननीय रेल मंत्री द्वारा 2011-12 के रेल बजट में की गई घोषणा के अनुसार प्रस्ताव पर उचित विचार-विमर्श के बाद आरएफपी दस्तावेजों को संशोधित किया जा रहा है।

(ii) मढौरा, बिहार में डीजल इंजन यूनिट: अर्हकता अनुरोध (आरएफक्यू) जारी कर दिए गए हैं। दो फर्मों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्ट किए गए बोलीदाताओं को प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) जारी किए गए। रेल बजट (2011-12) के दौरान की गई घोषणा के अनुसार (आरएफपी) जारी किए गए। रेल बजट (2011-12) के दौरान की गई घोषणा के अनुसार प्रस्ताव पर उचित विचार-विमर्श के बाद आरएफपी दस्तावेजों को संशोधित किया जा रहा है।

(ख) इलैक्ट्रिक इंजन यूनिट के लिए 2011-12 तक 495.04 करोड़ रु. (2007-08=0.5 करोड़, 2008-09=267 करोड़, 2009-10=10 करोड़ 2010-11=53.04 करोड़) की कुल निधियां आबंटित की गई और सितम्बर, 2011 तक 58.51 करोड़ रुपए की कुल निधियां खर्च की जा चुकी हैं। डीजल इंजन यूनिट पर अभी तक 27.37 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) मधेपुरा में इलैक्ट्रिक इंजन यूनिट और मढ़ौरा में डीजल इंजन यूनिट को चुने हुए बोलीदाताओं द्वारा उनके समझौते की तिथि से 36 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

माही नदी के जल का बंटवारा

2328. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और राजस्थान राज्य सरकारों ने माही नदी के जल के बंटवारे के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात राज्य सरकार उक्त समझौते का उल्लंघन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) माही जल के दोहन के लिए दिनांक 10.01.1966 को गुजरात एवं राजस्थान सरकार के मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित करार से संबंधित सार नीचे दिया गया है:

1. कदाना बांध को एफआरएल 419.00 तक बनाया जाना चाहिए। इस परियोजना की संपूर्ण लागत एवं लाभों का वहन गुजरात सरकार द्वारा किया जाएगा। बाद में जब नर्मदा द्वारा माही क्षेत्रों के क्षेत्र को लिया जाएगा और राजस्थान के उपयोग हेतु कदाना जल का एक भाग छोड़ा जाएगा तो ऐसे उपयोग के लिए राजस्थान द्वारा गुजरात को बांध की उपयुक्त लागत अदा करनी होगी। जब इस प्रकार छोड़ा गया जल उपलब्ध होगा तब उस समय सही अनुपात निर्धारित किया जाएगा।

2. राजस्थान स्थित माही के बीच बांसवाड़ा बांध को एफआरएल 921 फीट तक बनाया जाएगा। बांध की कुल लागत में से एक भाग विद्युत के लिए आवंटित किया जायेगा जिसे राजस्थान इससे होने वाले जल से विकसित करेगा। यह 1250 रुपए प्रति किलोवाट फर्म विद्युत की दर पर होगी। यदि बांध की कुल लागत 14 करोड़ रुपए से ऊपर बढ़ जाती है तो ऊपर लिए गए प्रति किलोवाट की आवंटित लागत भी समानुपातिक रूप से बढ़ायी जाएगी।

3. एफआरएल 915 फीट के लिए बांध की लागत को 40:9 के अनुपात में गुजरात तथा राजस्थान के बीच हिस्सेदारी की जानी चाहिए क्योंकि वाष्पण हानियों सहित सिंचाई के लिए जल का उपयोग गुजरात में 40 टीएमसी और राजस्थान में 9 टीएमसी है।

(ग) से (ङ) दिनांक 18.09.2009 के पत्र में, मुख्यमंत्री, राजस्थान ने यह आरोप लगाया कि गुजरात सरकार दिनांक 10.01.1966 को दोनों राज्यों गुजरात और राजस्थान के बीच किए गए करार का उल्लंघन करते हुए कदाना बांध से जल निकासी के लिए "सुजलाम सुफलाम" नामक नहर का निर्माण कर रही है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उल्लेख किया कि दिनांक 10.01.1966 के करार के अनुसार, गुजरात द्वारा नर्मदा के जल से माही कमान क्षेत्र की सिंचाई शुरू करने के बाद राजस्थान राज्य को इसके उपयोग के लिए माही के जल का 40 टीएमसी उपलब्ध हो जायेगा। यह भी उल्लेख किया गया है कि माही एक अंतर्राज्यीय नदी होने के कारण तथा माही के जल के किसी भी उपयोग के लिए गुजरात को राजस्थान की सहमति तथा माही के जल के किसी भी उपयोग के लिए गुजरात को राजस्थान की सहमति तथा केन्द्रीय जल आयोग/भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा साथ ही भारत सरकार से हस्तक्षेप करने तथा गुजरात सरकार को इसकी सुजलाम सुफलाम योजना के लिए कदाना बांध से जल निकासी को रोकने के लिए अनुरोध किया है।

गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना अनुसार माही समझौता, 1966 यह उल्लेख करता है कि नर्मदा जल माही कमान में उपलब्ध होगी। तथापि, वर्ष 1979 में नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा प्रस्ताव के संबंध में सहमति नहीं बनी थी और माही कमान को नर्मदा से कोई जल आवंटित नहीं किया गया। इसके आलोक में, गुजरात सरकार ने द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के लिए और विद्यमान परिस्थिति के आधार पर 1966 समझौते के कार्यान्वयन के लिए कार्य नीति को अंतिम रूप देने हेतु दोनों राज्यों से तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

एलपीजी की आपूर्ति

2329. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृशतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो महीनों के दौरान एलपीजी सिलिंडरों को भरने में हुए अनावशयक विलंब के कारण राजधानी में एलपीजी के उपभोक्ता कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एलपीजी सिलिंडर बाजार में प्रीमियम पर तात्कालिक रूप से उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो एलपीजी की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या एलपीजी एजेंसियां टेलीफोन पर उपभोक्ताओं के एलपीजी सिलिंडर के अनुरोध को दर्ज नहीं कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंधा में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि वर्तमान में दिल्ली में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और ओएमसीज द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी की आपूर्तियां एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार की जा रही हैं।

(ग) ओएमसीज द्वारा ग्राहकों को एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जाती है। तथापि, ओएमसीज ने एलपीजी सिलिंडरों की सुपुर्दगी के लिए एक योजना शुरू की है जिसके अनुसार ऐसी सुदुर्दगी एक नाममात्र के शुल्क के भुगतान पर ग्राहकों को उनके पसन्द के समय पर की जाती है।

(ख) घरेलू एजपीजी सिलिंडरों की कालाबाजारी/विपथन को रोकने को लिए सरकार ने "द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" जारी किया और "विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, 2001" तैयार किया जो एलपीजी की कालाबाजारी/विपथन में लिप्त एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की अनुमति देते हैं।

एमडीजी में अन्य बातों के साथ-साथ किसी चूककर्ता डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवई का प्रावधान है:

- प्रथम अपराध के लिए 20,000 रुपए के जुर्माने के साथ वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- द्वितीय अपराध के लिए 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- तीसरे अपराध के लिए डिस्ट्रब्यूटरशिप की समाप्ति।

ओएमसीज डिस्ट्रीब्यूटर के परिसरोंपर नियमित औचक निरीक्षण, रीफिल जांच, ग्राहकों के परिसरों पर औचक निरीक्षण, सुपुर्दगी वाहनों की मार्गस्थ जांच आदि करती हैं। यदि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

ओएमसीज द्वारा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त, अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत राज्य सरकारों को घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी/विपथन के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु शक्तिप्रदत्त बनाया गया है।

(ङ) और (च) ग्राहकों को उत्तम सेवाएं उपलब्ध कराने और अनियमितताओं की गुंजाइश को कम करने के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए ओएमसीज (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) द्वारा मार्च, 2011 में स्वचालित एकीकृत प्रणाली लागू की गई है जिसके तहत दिल्ली के घरेलू एलपीजी उपभोक्ता केवल लघु संदेश सेवा (एसएमएस)/इंटेरेक्टिव वाइस रिस्पांस प्रणाली (आईवीआरएस) /फिक्स्ड वायरलेस फोन (एफडब्ल्यूपी)/वेबसाइट के माध्यम से अपना रीफिल बुक करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की सूचना और सुविधा के लिए इस संबंध में प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। इन सभी तरीकों के लिए विस्तृत प्रक्रिया वाले पर्चे भी उपभोक्ताओं को उनकी सुविधा के लिए वितरित किए गए हैं। बीपीसीएल ने रिपोर्ट दी है कि वह स्वचालित प्रणाली के अतिरिक्त दूरभाष पर भी बुकिंग ले रही है।

[हिन्दी]

जल संरक्षण में उपलब्धियां

2330. श्री ओम प्रकाश यादवः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार राज्य सरकार को जल के संरक्षण में हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार की इसे अन्य राज्यों में किस प्रकार दोहराने की योजना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जल राज्य का विषय होने के नाते सभी राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों के संवर्द्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन हेतु कई कदम उठाये जाते हैं। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि इस समय लगभग 12 बृहत परियोजनाएं और 6 मध्यम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा 38 विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से जल संसाधनों के बेहतर उपयोग का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रत्याशा है।

(ख) राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के स्थायी विकास और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

आईएमडी की पूर्वानुमान क्षमताएँ

2331. श्री एन० चेलुवरया स्वामीः क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मौसम और मानसून का बेहतर पूर्वानुमान उपलब्ध कराने के लिए भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की पर्यवेक्षण अवसंरचना और इसकी संगणन क्षमता को उन्नत बनाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या बादल फटने के संबंध में आईएमडी की अग्रिम रूप से परिशुद्ध पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्यमंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अश्विनी कुमार) (क) आईएमडी के आधुनिकीकरण चरण-I के अंतर्गत, भारत में विभिन्न स्थानों पर 12 उच्च कार्य निष्पादन संगणन प्रणालियां (एचपीसीएस), 8 डॉप्लर मौसम रेडार (डीडब्ल्यूआर), 535 स्वचालित मौसम स्टेशन तथा 507 स्वचलित वर्षामापी चालू किए गए हैं। आईएमडी के आधुनिकीकरण चरण-I के अंतर्गत, अत्याधुनिक प्रेक्षण, मॉनीटरन/पूर्व चेतावनी और डेटा दृश्यकरण/सूचना प्रसंस्करण तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकियां चालू कर हाथ से किए जाने वाले कई प्रचालन कार्यों को पूरी तरह स्वचालित कर दिया गया है। इस प्रकार के हाथ से किए जाने वाले कार्य में लगे सभी कार्मिकों को पर्याप्त अभिविन्यास, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के अवसर प्रदान कराए गए हैं ताकि वे न केवल प्रौन्नत प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्मों को उपयुक्त ढंग से प्रचलित करने के कौशल प्राप्त कर सकें बल्कि क्षेत्र विशेष की चेतावनी तथा पूर्वानुमान सेवाओं को ग्राहक अनुकूल बनाकर गुणवत्ता बढ़ाने में दक्षतापूर्वक योगदान भी दे सकें।

उच्च कार्य-निष्पादन संगणन (एचपीसीएस) प्रणाली को चालू कर उपग्रह विकिरण डेटा का वैश्विक/क्षेत्रीय पूर्वानुमान प्रणालियों में सम्मिश्रण करने तथा लगभग 50 किमी. ग्रिड पैमाने से लगभग 22 किमी. ग्रिड पैमाने पर वैश्विक पूर्वानुमान प्रणालियों का स्थानिक विभेदन बढ़ाने का भी अवसर प्रदान किया गया है। नई वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली के कार्य निष्पादन मूल्यांकन से पूर्वानुमान कौशल में मात्रात्मक रूप से वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(ख) बादल फटने जैसी बिल्कुल स्थानीय स्तर की परिघटना का ठीक से मॉनीटरन तथा भविष्यवाणी (6 घंटे पहले) करने की आईएमडी की क्षमता पूरे देश को कवर करते हुए केवल डीडब्ल्यूआर नेटवर्क चालू करके ही पर्याप्त रूप से बढ़ाई जो सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल की कीमतों पर श्वेत पत्र

2332. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः
श्री नरहरि महतोः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि और सरकार द्वारा स्वदेशी और आयातित दोनों प्रकार के तेल पर शुल्क लगाने के मद्देनजर उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जा रही कीमत के लागत और लाभ कारकों पर एक श्वेत पत्र लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ऊर्जा संरक्षण को गंभीरता से ले रही है और इसके पश्चात् कच्चे तेल के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि और घरेलू स्फीतिकारी दशाओं से आम आदमी को बचाने के उद्देश्य से सरकार डीजल, पीडीएम मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को आवश्यकतानुसार कम-ज्यादा करती रहती है। उनके वर्तमान मूल्य वांछित बाजार मूल्य से नीचे होते हैं जिससे इन उत्पादों की बिक्री पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को भारी अल्प वसूली होती है। 1.12.2011 से लागू रिफाइनरी द्वारा मूल्य के आधार पर, ओएमसीज वर्तमान में डीजल की बिक्री पर 12.03 रु. प्रति लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 28.56 रु. प्रति लीटर और घरेलू एलपीजी पर प्रति सिलिंडर 287.00 रु. की अल्प वसूली झेल रही हैं।

उपभोक्ताओं को अधिक राहत देने के लिए, केंद्रीय सरकार ने कच्चे तेल पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया और पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क में तदनुरूपी कटौती की और 25.6.2011 से डीजल पर उत्पाद शुल्क 2.60 रु. प्रति लीटर तक कम कर दिया। इन उपायों के जरिए, सरकार ने 49,000 करोड़ रु. के वार्षिक राजस्व का त्याग कर दिया। इन उपायों के बावजूद, ओएमसीज को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 1,32,016 करोड़ रुपये की अल्प वसूलियां होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) सरकार तेल संरक्षण को ऊर्जा के अधिक तेज, कुशल और आर्थिक स्रोत के रूप में इसके कुशल उपयोग के जरिए देखती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने परिवहन, उद्योग, परिवारों और कृषि जैसी अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बढ़ावा देने के विशिष्ट अधिदेश से 1978 में पेट्रोलियम संरक्षण और अनुसंधान संघ (पीसीआरए) स्थापित किया। तेल संरक्षण के लिए आयोजित किए गए मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार हैं

(1) तेल की खपत करने वाले उद्योगों की ऊर्जा जाँच,

(2) खपत करने वाले उद्योगों के लिए ईंधन तेल नैदानिक अध्ययन,

(3) सड़क परिवहन निगमों के ड्राइवरों और अन्य स्वयं सेवकों के लिए ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रम,

(4) आदर्श डिपो परियोजना, और

(5) इलेक्ट्रानिक मीडिया और समाचार पत्रों के जरिए जन चेतना कार्यक्रम।

जहां तक कच्चे तेल के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने का संबंध है, उपभोक्ता मामले विभाग ने सूचित किया है कि कच्चे तेल के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंप और एलपीजी वितरण एजेंसी के लिए सर्वेक्षण

2333. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के मयूरभंज क्षेत्र में नए पेट्रोल पंप और नई एलपीजी वितरण एजेंसियां खोलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण के पश्चात् नए पेट्रोल पंप और नई एलपीजी वितरण एजेंसियां खोली गई हैं/खोले जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसी) द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों और व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर पाए जाने वाले उपयुक्त स्थलों पर नए खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित किए जा रहे हैं। जिन स्थलों पर पर्याप्त संभावनाएं पाई जाती हैं और जो किफायती तौर पर साध्य हैं, उनको ओएमसीज की राज्यवार विपणन योजनाओं में रोस्टरबद्ध किया जाता है। ओएमसीज ने ओडिशा के मयूरभंज में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई) के तहत सहित 52 आरओज और 11 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

राजस्थान के लिए रेलगाड़ियां

2334. श्री इज्यराज सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने यात्रा के समय को कम करने के प्रयोजनार्थ राजस्थान के लिए किसी रेलगाड़ी की गति को बढ़ाया है अथवा कोई सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राज्य-वार/क्षेत्र-वार आधार पर गाड़ी सेवाओं की रफ्तार नहीं बढ़ाई जाती/उनकी शुरूआत नहीं की जाती। नई गाड़िया चलाने, गाड़ियों के फेरे बढ़ाने आदि के बारे में रेलवे बजट 2011-12 में पहले ही घोषणा कर दी गई है।

यमुना पुल पर चोरी

2335. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक दिल्ली को उत्तर पूर्वी जिले से जोड़ने वाले यमुना रेलवे पुल से 'नट-बोल्ट' के चोरी होने की कुल कितनी घटनाएं जानकारी में आई हैं;

(ख) क्या रेलवे द्वारा उक्त रेलवे पुल की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अभी तक ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) रेलपुलों को सुरक्षा मुहैया कराने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। रेलवे यमुना पुल की चौबीस घंटे सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा सिक्किम, मेघालय और दिल्ली पुलिस के कार्मिक तैनात किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

असम में विदेशियों के लिए अधिकरण

2336. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से असम में विदेशियों के लिए अधिकरणों में मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बना रही है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकरणों में न्यायाधीशों की भारी कमी है जिसके फलस्वरूप मामलों के निपटान की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अधिकरणों के निर्बाध कार्यकरण के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने हेतु सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) विदेशियों के लिए अधिकरणों के प्रशासन पर असम सरकार द्वारा उपगत व्यय की, गृह मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2007.08 में विदेशियों के लिए अधिकरणों की कार्यालय अवसंरचना तथा उपस्करों के लिए असम सरकार को 1.27 करोड़ रुपए की रकम प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में 2010.11 में 27.00 लाख रुपए की रकम जारी की गई थी।

(ग) और (घ) असम में स्थापित विदेशियों के लिए 36 अधिकरणों में से सात की स्थितियाँ रिक्त पड़ी है। इन रिक्तियों को भरे जाने के क्रम में, विभिन्न उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों ने, सेवानिवृत्त/पदासीन अपर जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के पैनल को भेजने का अनुरोध किया है। विदेशियों के लिए अधिकरणों के सदस्य के रूप में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें जनवरी, 2011 में पुनरीक्षित कर दी गई हैं।

(ङ.) विदेशियों के लिए अधिकरणों के कृत्यों का, गृह मंत्रालय में आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाता है। असम सरकार ने विदेशियों के लिए अधिकरणों के सुचाक कार्यान्वयन को तथा लंबित मामलों के निपटान के लिए एक कार्य योजना को तैयार करने की सलाह दी है।

नए बांधों का निर्माण

2337. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विशेषकर महाराष्ट्र में नए बांधों के निर्माण के लिए कोई नए प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) जी हां, महाराष्ट्र से 1.4.2008 से सीडब्ल्यूसी में 18 नई सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें बांध का निर्माण शामिल है। इनमें से जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा 16 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत कर ली गई हैं तथा 2 सिंचाई परियोजनाएं सीडब्ल्यूसी में मूल्यांकनाधीन हैं। इन परियोजनाओं की सूची उनकी मौजूदा स्थिति सहित क्रमश: विवरण-I तथा II में दी गई है।

(घ) सिंचाई राज्य का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं का निरूपण, निष्पादन और निधियन राज्य सरकारों द्वारा स्वंय उनके अपने संसाधनों और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

विवरण I

सलाहकार समिति द्वारा महाराष्ट्र की 1.4.2008 से स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	बैठक की सं.	बैठक की तारीख	परियोजना का नाम	बृहत/ मध्यम	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)	लाभ हेक्टे./ मेगावाट में	योजना आयोग द्वारा अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
1	93वीं	22.05.2008	कुदाली सिंचाई परियोजना	मध्यम	271.79	8480	04.02.2009
2	94वीं	09.07.2008	निचली पेधी परियोजना	बृहत	283.1	17023	14.08.2008
3	94वीं	09.07.2008	ऊपरी कुंडिलिका परियोजना	मध्यम	72.7	2800	09.09.2008
4	95वीं	20.01.2009	निचली पंजारा सिंचाई परियोजना	मध्यम	34.73	7585	01.04.2009
5	95वीं	20.01.2009	कमानी तंडा मध्यम सिंचाई परियाजना	मध्यम	78.49	4750	01.04.2009
6	97वीं	27.03.2009	पुनाद सिंचाई परियोजना	बृहत	340.56	10846	22.05.2009
7	98वीं	09.07.2009	डोंगरगाँव टैंक परियोजना	मध्यम	67.039	3942	16.09.2009
8	98वीं	09.07.2009	कृष्णा-कोयना लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	2224.76	121256	13.10.2009
9	101वीं	30.11.2009	धोम बालकावाडी टनल सिंचाई परियोजना	बृहत्त	848.89	12.670	09.02.2010
10	101वीं	30.11.2009	तिल्लारी सिंचाई परियोजना	बृहत	1612.15	30733	23.02.2010

1	2	3	4	5	6	7	8
11	103वीं	11.03.2010	घंगशी बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना	मध्यम	170.15	6660	12.04.2010
12	104वीं	12.05.2010	पूर्णा बैराज-II परियोजना	मध्यम	179.28	7302	17.07.2010
13	105वीं	25.06.2010	शेलगांव बैराज परियोजना	मध्यम	446.49	11318	05.12.2010
14	109वीं	14.03.2011	उरमोदी सिंचाई परियोजना	बृहत	1417.75	43870	09.06.2011
15	109वीं	14.03.2011	टेम्भू लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	3450.35	80472	09.06.2011
16	109वीं	14.03.2011	बोदवाड़ परिसर सिंचाई योजना	बृहत	2178.67	53449	06.05.2011

विवरण II

सीडब्ल्यूसी में मूल्यांकनाधीन महाराष्ट्र की नई सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति

05.12.2011 तक

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बृहत/ मध्यम	नदी/ बेसिन	लाभान्वित जिला	प्राप्ति की तारीख	लाभ (हजार हैक्टेयर)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	स्थिति
1.	जिगाँव	बृहत	तापी	बुलदाना अकोला	12/09	112.32	4044.13	**स्वीकृत पहल:** जल विज्ञान, आईएसएम, कृषि मंत्रालय, सीएसएमआरएस, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य **राज्य से प्रतीक्षित अनुपालना मंलालय:** आईपी (एस) (4/11), सीजीडब्ल्यूबी (5/11)
2.	ऊपरी परवारा	बृहत	प्रवर/गो	अहमदनगर	1.10	86.100	1810.19	**स्वीकृत पहल:** कृषि मंत्रालय, सीजीडब्ल्यूबी, सीएसएमआरएस, आईएसएम, जलविज्ञान और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय **राज्य से प्रतीक्षित अनुपालना:** सिंचाई आयोजना (5/11) और लागत (6/11) उपर्युक्त के अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

सेवा प्रदाता उद्यम

2338. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में सेवा प्रदाता उद्यम पर ध्यान केंद्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों संबंधी नीतियों की समीक्षा करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) (क) सरकार ने सेवा प्रदाता उद्यमों पर समुचित ध्यान केंद्रित किया है। दरअसल सेवा क्षेत्र को परिभाषित किया गया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत इसे पहली बार शामिल किया गया है।

(ख) सेवा क्षेत्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की संवर्द्धनात्मक योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत लाभ के लिए समान रूप से पात्र है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 के सभी उपबंध सेवा क्षेत्र के लिए भी लागू हैं।

(ग) और (घ) एमएसएमई से संबंधित नीतियों की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। इस क्षेत्र के लिए हाल में किए गए कुछ महत्त्वपूर्ण नीतिगत बदलाव विनिर्माण उद्यमों की परिभाषा के विस्तार, एमएसएमई क्षेत्र के अधीन सेवाओं को शामिल करने और एमएसएमई के पंजीकरण के लिए उद्यमी ज्ञापन (ईएम-I और ईएम-II) फाइल करना–आरंभ करने से संबंधित हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में वस्तुओं और सेवाओं के क्रेताओं से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के भुगतान में विलंब की समस्या को दूर करने के लिए इंडस्ट्रियल फेसिलिटेशन काउंसिल की स्थापना की भी व्यवस्था है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उत्पादन/कारोबार

2339. श्री एस० सेम्मलई : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा दर्ज किए गए वार्षिक उत्पादन और कारोबार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकारी उद्यमों का उत्पादन एवं कारोबार, दिनांक 24.2.2011 को संसद में प्रस्तुत किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण (2009-10) के आधार पर, नीचे (तालिका) में दिया गया है :

तालिका : केंद्रीय सरकारी उद्यमों में उत्पादन एवं कारोबार

(` करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन	कारोबार
2007-08	1106678	1096308
2008-09	1295218	1271529
2009-10	1254852	1235060

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकारी उद्यमों के उत्पादन एवं कारोबार दोनों में सामान्य सुधार हुआ है। तथापि, कार्य-निष्पादन में सुधार होना एक निरंतर प्रक्रिया है। उद्यम विशिष्ट उपाय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग और केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा किए जाते हैं। इसमें, अन्य बातों के अलावा, वित्तीय संरचना, व्यापार संरचना और जनशक्ति यौक्तिकीकरण शामिल हैं। केंद्रीय सरकारी उद्यमों ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं।

पूर्व चेतावनी प्रणाली

2340. श्री रवनीत सिंह: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सत्यम घोटाले जैसे मामलों की पुनरावृत्ति का रोकना सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) ईजाद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय विवरणों में अस्वाभाविक प्रवृत्तियों के अस्तित्व की संभावना के संबंध में चेतावनी जारी करने के उद्देश्य

से वित्तीय और गैर-वित्तीय उपायों सहित कतिपय जोखिम मापदंडों के आधार पर कोई पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) ईजाद की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निवेशकों को तात्कालिक राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ एक प्रभावी फास्ट ट्रैक तंत्र ईजाद करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (च) मंत्रालय ने यथासंभव यह सुनिश्चित करने के लिए कि सत्यम मामले जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो विभिन्न वित्तीय एवं गैर-वित्तीय संकेतों के आधार पर 2009 में 'पूर्व चेतावनी प्रणाली' (ईडब्ल्यूएस) को प्रारंभ किया था। ईडब्ल्यूएस के मानकों का प्रयोग सभी सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध कंपनियों [(क) 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक का टर्न-ओवर, (ख) 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संदत्त पूंजी एवं (ग) 1000 या अधिक शेयरधारक वाले] के तुलन पत्रों एवं अन्य अभिलेखों की ऑनलाइन जांच हेतु किया जाता है ताकि संभाव्य उल्लंघनों जिससे धोखाधड़ी होने की संभावना हो, के संबंध में पूर्व सूचना प्राप्त हो सके। 2009 में बनाए गए मानकों की निम्नलिखित विभिन्न विशेषताओं के साथ पूर्व जांच हेतु कंपनियाँ की पहचान करने के लिए पुनर्समीक्षा की गई:-

(i) कंपनियां (सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध) की जांच प्रथम चरण में छ: मानकों पर की जाती है, यथा, (क) जहां संबंधित पक्ष लेन-देन घरेलू टर्नओवर (राजस्व मदों) के 5% से अधिक हो, (ख) पिछले वर्ष की तुलना में लाभदेयता में 100% से अधिक की असामान्य वृद्धि या कमी हो, (ग) जहां नकद एवं बैंक जमा पिछले 2 वर्षों के दौरान चालू परिसंपत्तियों के 50% से अधिक हो, (ड.) जहां कुल ऋण एवं अग्रिम वर्तमान परिसंपत्ति के 50% से अधिक हो, (च) बड़े अप्रतिभूत ऋणों वाली कंपनियों;

(ii) उपरोक्त (प) के तहत अभिज्ञात/चयनित कंपनियों के सेट की जांच द्वितीय चरण में पांच मानकों के एक अन्य सेट पर की जाती है, यथा, (क) क्या कंपनी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सही पाया गया है या उसमें लेखापरीक्षक ने विपरीत टिप्पणियां की हैं; (ख) क्या पिछले 3 वर्षों में लेखापरीक्षा अवधि में परिवर्तन किया गया है एवं महीना न बदलते हुए मात्र कुछ दिनों के परिवर्तन पर इस संदर्भ में विचार नहीं किया जाएगा; (ग) क्या पिछले 3 वर्षों में लेखापरीक्षक बदले गए हैं; (घ) क्या पिछले एक वर्ष में आधे या उससे अधिक निदेशक, निदेशक मंडल से बाहर हो गए; (ड.) क्या सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध कंपनियों हेतु अलग-अलग प्रवर्तकों या संबंधियों ने अपना अंश कुल संदत्त पूंजी के 10% या उससे कम (फार्म 20ख) कर दिया हो या उनके अंश में परिवर्तन कुल संदत्त पूंजी के 5% या उससे अधिक हो;

(iii) सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध कंपनियों की सूची विभिन्न वर्गों में भी प्राप्त की जाती है जो हैं (क) निदेशकों की अयोग्यता, (ख) ऐसी कंपनियां जो परिपक्व जमाओं और उस पर ब्याज की पुनर्अदायगी में विफल रहती हैं, (ग) ऐसी कंपनियों जिन पर आरोप हों किंतु जिन्होंने तुलना पत्र एवं वार्षिक प्रतिवेदन जमा नहीं किया हो।

उपर्युक्त कंपनियों की सूची को "लोकहित" के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाता है। जांच के उद्देश्य से लोकहित का अर्थ (I) ऐसी कंपनियां जिन्होंने जमा स्वीकार किया हो किंतु परिपक्व राशि एवं ब्याज की पुनर्अदायगी नहीं की हो; (II) कंपनियां जिन्होंने आईपीओ के माध्यम से धन संकलित किया हो; एवं (III) ऐसी कंपनियां जिन्होंने प्रतिभूति ऋण लिया हो किन्तु कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपनी विहित वार्षिक विवरणी दायर नहीं की हो।

दीर्घकालिक एलएनजी समझौते

2341. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ दीर्घकालिक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) खरीद समझौते पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक निर्धारित रूपरेखा का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया मिली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह) (क) और (ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड ने सूचित किया है कि दीर्घकालीन आधार पर एलएनजी के स्रोतीकरण के लिए इंडोनेशिया में विभिन्न प्रस्तावित और आने वाले एलएनजी द्रवीकरण संयंत्रों से अपस्ट्रीम आपूर्तिकर्ताओं के साथ उनकी प्रांरभिक बातचीत चल रही है।

[हिन्दी]

एमजीएनआरईजीएस के अन्तर्गत निगरानी

2342. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां इस योजना के प्रावधान के अन्तर्गत लोकपाल की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए ओम्बड्समैन की स्वतंत्र शिकायत समाधान व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत जिन जिलों में ओम्बड्समैन नियुक्त किए गए हैं, उन जिलों का विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों में इन पदों के लिए दुबारा से विज्ञापन दिए गए, क्योंकि पिछले विज्ञापन के जवाब में या तो बहुत कम आवेदन प्राप्त हुए या उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हुए। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समय-समय पर राज्यों को अनुस्मारक भेजे गए हैं और आवश्यक स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

विवरण

ओम्बड्समैन की नियुक्ति की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	उन जिलों की संख्या जहां ओम्बड्समैन है	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	20	20	ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई।
2.	सिक्किम	4	4	पूरे राज्य के लिए एक ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई।
3.	मणिपुर	9	9	प्रत्येक जिले के लिए एक ओम्बड्समैन और एक उप-ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई।
4.	मिजोरम	8	8	8 जिलों के लिए 4 ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई (प्रत्येक 2 जिलों के लिए 1 ओम्बड्समैन)
5.	हिमाचल प्रदेश	12	12	सभी जिलों में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त, चंबा जिले में एक उप-ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। कुल्लू के लिए नियुक्त ओम्बड्समैन लाहौल स्पीति के प्रभारी भी होंगे।
6.	महाराष्ट्र	33	26	26 जिलों में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई।

1	2	3	4	5
7.	ओडिशा	30	16	11 जिलों अर्थात् अंगुल, बोलांगिर, बारगढ़, कटक, क्योंझार, डियोगढ़, खुरदा, कालाहंडी, मलकनगिरि, भद्रक, पुरी, मयूरभंज, कंधमाल, रायगढ़, गंजम और सुवर्णपुर में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। अन्य जिलों में चयन प्रक्रिया चल रही है।
8.	छत्तीसगढ़	18	18	16 जिलों अर्थात् कोरबा, कोरिया, सरगुजा, दामतारी, रायपुर, राजनंदनगांव, जशपुर, जंजगिर-चंपा, कंकेर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम, महासमंद, सरगुजा में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। बीजापुर तथा नारायणपुर जिलों के संबंध में क्रमशः दंतेवाड़ा तथा बस्तर के ओम्बड्समैन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इन जिलों में चयन प्रक्रिया चल रही है।
9.	आंध्र प्रदेश	22	21	21 जिलों (श्रीकाकुलम, विजयनगरम, प्रकाशम, चित्तूर, आदिलाबाद, अनंतपुर, कडुप्पा, गुंटूर, कुरनूल, कृष्णा, महबूब नगर, मेडक, नेल्लूर, निजामाबाद, आर.आर.जिला, विशाखापत्तनम, वारंगल, पूर्व गोदावरी, पं. गोदावरी, खम्माम, नलगोंडा) में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। अन्य जिलों में चयन प्रक्रिया चल रही है।
10.	गुजरात	26	19	19 जिलों (मेहसाना, वडोदरा, कच्छ, साबरकंठा, अमरेली, आनंद, भावनगर, सूरत, जूनागढ़, अहमदाबाद, खेड़ा, जामनगर, सुरेंद्र नगर, गांधी नगर, नर्मदा, नवसारी, भरूच, वलसाद, पोरबंदर) में ओम्बड्मैन की नियुक्ति की गई। अन्य जिलों के संबंध में पुनः विज्ञापन दिया गया।
11.	कर्नाटक	30	15	15 जिलों (बैंगलूर (ग्रामीण), बेलगांव, बीजापुर, चिकमंगलूर, मेंगलूर, धारवाड़, गडग, गुलबरगा, चिक्काबलपुरा) में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। अन्य जिलों में चयन प्रक्रिया चल रही है।
12.	राजस्थान	33	20	20 जिलों (भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, सवाई माधोपुर सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, दौसा, श्रीगंगानगर, जालोर, झालावार, झुनझुनु, जोधपुर, कोटा, नागौर, प्रतापगढ़ तथा टोंक) में ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। अन्य जिलों में चयन प्रक्रिया चल रही है।
13.	झारखंड	24	24	24 जिलों के लिए 3 ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई (प्रति 8 जिलों के लिए एक)
14.	नागालैण्ड	11	11	सभी जिलों के लिए ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई।
15.	पं. बंगाल	19	19	19 जिलों के लिए सात ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई। इनके अतिरिक्त और ओम्बड्समैन नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
16.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3	3	दो जिलों के लिए दो ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई और तीसरे जिले (निकोबार) का अतिरिक्त प्रभार इनमें से एक को सौंपा गया है।

[अनुवाद]

2343. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के पूरा होने में विलंब के कारण दक्षिण हरियाणा के कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए जल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप कृषि फसलों में भारी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण है; और

(ग) सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी हां।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के 15.1.2002 के आदेशों में पंजाब राज्य को अपने क्षेत्र में सतलुज-यमुना संपर्क (एसवाईएल) नहर को एक वर्ष के अंदर पूरा करने के निदेश दिए गए थे। तथापि, नहर का कार्य पूरा नहीं हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय के 04.06.2004 के अगले निदेशों के अनुसार केंद्र सरकार ने नहर के निष्पादन के लिए अपनी एजेंसी को नामित किया है तथा एक समिति गठित की है। तथापि, दिनांक 12.07.2004 को पंजाब राज्य ने वर्ष 1981 के करार तथा रावी व्यास जल के बंटवारे से संबंधित अन्य करारों को समाप्त करते हुए पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 को अधिनियमित किया था। केंद्र सरकार ने यह भी सूचित किया था कि 31.12.1981 के करार में आगे उठाया गया कोई कदम अधिनियम के विधायी अधिदेश के विरुद्ध होगा। अधिनियम की सवैधानिक वैद्यता पर प्रश्न उठाते हुए 22.07.2004 को एक राष्ट्रपतीय संदर्भ दिया गया। केंद्र सरकार ने मामले को उचित रूप से उठाने के लिए मार्च 2010 में भारत के विद्वान महाअधिवक्ता से अनुरोध किया है। हरियाणा राज्य ने राष्ट्रपतीय संदर्भ हेतु 20.08.2010 को शीघ्र सुनवाई आवेदन भी दायर किया है तथा एसवाईएल मुकदमें में 15.01.2002 और 04.06.2004 को दिए गए दो निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए 19.02.2011 को एक निष्पादन आवेदन किया है। अभी तक विस्तृत सुनवाई के संबंध में राष्ट्रपतीय संदर्भ जारी नहीं हुआ है।

जनहित याचिकाएँ

2344. श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायालयवार कितनी जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई है;

(ख) क्या सरकार को पीआईएल के आवरण में बड़ी संख्या में दायर किए जा रहे अनावश्यक मुकदमों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे अनावश्यक मुकदमों को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करने का है; और

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ड.) न्यायालयों में फाइल किए गए लोकहित मुकदमों की संख्या से संबंधित कोई आंकड़ा न्याय विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है क्योंकि मामला अनन्य रूप से उच्चतर न्यायपालिका की अधिकारिता के भीतर आता है। लोकहित मुकदमों को ग्रहण करने या नियंत्रण करने का मामला उन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जहाँ वे फाइल किए जाते हैं। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर, अनैतिक तत्वों द्वारा लोकहित मुकदमा के दुरुपयोग को नियंत्रित करने अपने विभिन्न आदेशों में कतिपय दिशा-निर्देशों का उपबंध किया है।

वक्फ बोर्डों का कार्यकरण

2345. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में वक्फ बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई नए उपाय करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा (श्री विन्सेंट एच. पाला) (क) और (ख) राज्य वक्फ बोर्डों की विभिन्न कार्यप्रणालियों/प्रक्रियाओं को सुगम बनाने, रिकॉर्ड कीपिंग कार्य को कारगर बनाने तथा पारदर्शिता लाने की दृष्टि से वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने अपनी नौवीं रिपोर्ट में राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की अनुशंसा की थी। समिति ने यह अनुशंसा

भी की थी कि राज्य सरकारों द्वारा राज्य वक्फ बोर्डो को उपलब्ध करायी जा रही सहायता अपर्याप्त एवं असमान होने के कारण उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सरकार की स्वीकृति से इस संदर्भ में दो योजनाएं कार्यांवित करने का निर्णय लिया, यथा-1. राज्य वक्फ बोर्डो के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और 2. राज्य वक्फ बोर्डो का सुदृढ़ीकरण। राज्य वक्फ बोर्डो के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना दिसम्बर, 2009 में शुरू कर दी गयी थी। इस योजना के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अब तक राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, 26 राज्य वक्फ बोर्डो और केंद्रीय वक्फ परिषद को 12.02 करोड़ रु० की राशि संवितरित की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, राज्य वक्फ बोर्डो के सुदृढ़ीकरण की योजना के लिए वर्ष 2010-11 के बजट में 7 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गयी थी। इस योजना के लिए योजना आयोग से सिद्धांततः स्वीकृति मांगी गयी थी, किंतु बाद में यह पाया गया कि 11वीं योजना अवधि के बिल्कुल अंत में इसे शुरू किया जाना व्यवहार्य नहीं था। इसलिए इस नई योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब और कूप

2346. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेषकर उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ ग्रामों में तालाब और कूप खोदने के संबंध में नई नई योजना तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार विशेषकर उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ ग्रामों में तालाब और कूप खोदने के संबंध में कोई नई स्कीम तैयार करने पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरक व्यापार संघों/परामर्शदाताओं को सहायता

2347. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरक व्यापार संघों/परामर्शदाताओं को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों हेतु दी गई सहायता, राजसहायता या अनुदान आदि का ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे खर्चों के पश्चात् उनकी कोई लेखा परीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) महोदय, वर्ष 2010-11 के दौरान नागालैंड सरकार को 15-19 दिसंबर, 2010 को हुई द्वितीय पूर्वोत्तर कृषि प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 5,00,000 रुपए (केवल पांच लाख रुपए) की राशि प्रदान की गई थी।

(ख) से (घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय इसकी लेखा परीक्षा करेगा।

[हिन्दी]

नि:शक्तों को बूथों का आवंटन

2348. श्री गणेश सिंह:
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
श्रीमती मीना सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा पूरे देश में नि:शक्त लोगों को रेलवे स्टेशनों पर एसटीडी/पीसीओ बूथ का आवंटन किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसटीडी/पीसीओ बूथ लगाने की निर्धारित समय-सीमा 27 अक्तूबर, 2011 को समाप्त हो गई तथा बड़ी संख्या में बूथों को शुरू नहीं किया जा सका;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 459 पीसीओ बूथ आबंटित किए गए हैं।

(ग) जी नहीं। किसी बूथ की स्थापना लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में एसजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

2349. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को प्रदान की गई अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र राज्य में इन परियोजनाओं द्वारा सृजित/प्रदान किए गए रोजगार का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या महाराष्ट्र राज्य में एसजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) और (च) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त और मंत्रालय के पास लंबित विशेष परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	कुल परियोजना लागत (लाख रूप में)	केंद्रीय अंश (लाख रु. में)	कुल केंद्रीय रिलीज 7.12.11 की स्थिति के अनुसार	लक्षित लाभार्थी
1.	जन समृद्धि नांदेड जिला	1263.280	617.170	154.290	पशु विकास से संबंधित
2.	यवतमल जिले में कौशल विकास केंद्र	1285.00	802.500	799.691	15000
3.	नियोजन के लिए कौशल उन्नयन के लिए बीपीएल युवाओं को प्रशिक्षण/दयानदीप जन कल्याण फाउंडेशन (डीडीजेएफ) द्वारा पूणे जिले में स्वरोजगार	318.00	238.500	59.625	4000
4.	संकल्प, प्रतिष्ठान द्वारा सांगली, महाराष्ट्र में कौशल विकास	153.590	107.530	26.880	1200
5.	मारूति फाउंडेशन द्वारा महाराष्ट्र के बीड़ जिले में कौशल विकास	655.550	387.490	96.870	5000
6.	जय बजरंग अनुसंधान फाउण्डेशन द्वारा महाराष्ट्र के बीड़ जिल में कौशल विकास	299.350	196.875	49.220	2500
7.	जय भवानी व्यामशाला द्वारा अकोला, महाराष्ट्र में कौशल विकास	463.750	347.810	86.950	2500

विवरण II

क्र. सं.	परियोजना का नाम
1	2
1.	रेशम कीट पालन अनुसंधान एकक, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (एसआरयूएमएयू) द्वारा महाराष्ट्र के जालना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रेशम कीट पालन।
2.	श्री संत गजानन शिक्षण संस्थान (एसएसजीएसएस) द्वारा महाराष्ट्र के बुलडाना, अमरावती, अकोला, वाशीम और वर्धा जिले में कौशल विकास।
3.	खेड़वाड़ी समाज कल्याण संगठन द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास।
4.	वरहद विकास बहु उद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा महाराष्ट्र के 5 जिलों (नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा और बुलडाना) में कौशल विकास।
5.	संत तुकाराम मध्यवर्ती ग्राहक सहकार भंडार लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में समेकित प्रशिक्षण।
6.	विद्या विकास मंडल द्वारा महाराष्ट्र के नंदूरबार जिले में कौशल उन्नयन।
7.	श्री संत गजानन शिक्षण संस्थान द्वारा महाराष्ट्र में कौशल विकास।
8.	मिटकॉन कंसलटेंसी एंड इंजिनीयरिंग सर्विस लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र के 18 जिलों में सेवा कर कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम।
9.	जय किसान कृषि बहुउद्देशीय विकास सोसायटी एंड डायमंड गेलवेनाइजर्स एंड फेब्रीवोटर्स ऑरगेनाईजेशन द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर जिले में कौशल विकास।

भारतीय ऑटो उद्योग की वार्षिक बिक्री

2350. श्री नवीन जिन्दल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय ऑटो उद्योग की वार्षिक बिक्री क्या रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऑटो उघोग में नियोजित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या एक लेखापरीक्षा कंपनी की हाल की रिपोर्ट में ऑटोमोटिव क्षेत्र में लगभग तीन लाख कुशल कामगारों की कमी का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) सरकार ने ऑटो क्षेत्र में अपर्याप्त कुशल मानवशक्ति के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) से मिली सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय ऑटो उद्योग की वार्षिक बिक्री निम्नलिखित है:-

घरेलू बिक्री (संख्या)

श्रेणी	2008-09	2009-100	2010-11	अप्रैल-अक्तूबर, 11
यात्री वाहन	15,52,703	19,51,333	25,20,421	13,78,513
वाणिज्यिक वाहन	3,84,194	5,32,721	6,76,408	4,33,701
तिपहिया	3,49,727	4,40,392	5,26,022	2,98,007
दुपहिया	74,37,619	93,70,951	1,17,90,305	77,38,755
कुल जोड़	97,24,243	1,22,95,397	1,55,13,156	98,48,976

(ख) एसआईएएम के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान ऑटो उद्योग में 2.5 मिलियन (अनुमानित) व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

(ग) विभाग को ऐसी किसी लेखा परीक्षा फर्म की किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) ऑटो उद्योग में कुशल जनशक्ति की समस्या के समाधान के लिए, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी) स्थापित किया गया है। एएसडीसी ने तीन कौशलों अर्थात मशीनिस्ट, सर्विस टेक्नीशियन और ड्राइवर में एक पायलट परियोजना प्रारंभ की है।

[हिन्दी]

बीना कॉम्पलेक्स सिंचाई परियोजना

2351. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बीना कॉम्पलेक्स सिंचाई एवं बहुद्देश्यीय परियोजना संबंधी एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक मंजूरी दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी हां।

(ख) और (ग) बीना काम्पलेक्स बहु-उद्देशीय परियोजना, मध्य प्रदेश संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु केंद्रीय जल आयोग में अक्टूबर, 2010 को प्राप्त हुई। इसकी जांच की गई है तथा सीडब्ल्यूसी और केंद्रीय अभिकरणों की टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई है। राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उपर्युक्त के अलावा, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) और जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा सांविधिक स्वीकृतियां भी प्रस्तुत की जानी है। परियोजना की अनुमानित लागत 1624.36 करोड़ रुपए (वर्ष 2010 के मूल्य स्तर पर) है।

(घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। परियोजना की स्वीकृति में लिया गया समय परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सीडब्ल्यूसी/केंद्रीय अभिकरणों की टिप्पणियों/अभ्युक्तियां की अनुपालना रिपोर्ट देने तथा एमओईएफ और एमओटीए सहित अभिकरणों द्वारा सांविधिक स्वीकृति प्रस्तुत करने से संबंधित है।

[अनुवाद]

आधुनिक माड्यूलर रिंग

2352. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने अपने मुंबई हाईतेल क्षेत्र प्लेटफार्म आरएस-12 पर आधुनिक माड्यूलर रिगों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्रकृति गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) (क) और (ख) जी, हां। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) ने अपने मुंबई हाई तेल क्षेत्र प्लेटफार्म आरएस-12 पर अपना आधुनिक माड्यूलर रिंग सनडाउनर पी-16 लगाया है। गिर को दिनांक 5.8.2011 से 1000 दिन की प्राथमिक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया (आईसीबी) के तहत मैसर्स सनडाउनर आफशोर इंटरनेशनल (बरमुडा) लि. से किराए पर लिया गया है।

(ग) दिनांक 5.8.2011 से प्लेटफार्म आरएस-12 पर रिग का प्रचालन शुरू हो गया है। रिग में पहले कूप आरएस-12#10 का कार्य पूरा हो चुका है और वर्तमान में दूसरे कूप आरएस-12#12 का वेधन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

2353. श्री सज्जन वर्मा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में स्वीकृत पेंशन धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) दिनांक 01.04.2011 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत उन लाभार्थियों के लिए जो 80 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के हैं, पेंशन की दर को प्रतिमहा 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। दिनांक 01.04.2011 से आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पात्रता की उम्र को भी 65 वर्ष से कम कर 60 वर्ष कर दिया गया है। केंद्रीय सहायता की राशि को बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने संसाधनों से समान अंशदान करें। इस समय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) आईजीएनओएपीएस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का एक घटक है जिसे वर्ष 2002-03 में राज्य योजना में अंतरित कर दिया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में एनएसएपी के लिए निधियों की रिलीज एनएसएपी के अंतर्गत सभी योजनाओं के लिए संयुक्त रूप में एक साथ की जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएसएपी के अंतर्गत मध्य प्रदेश को रिलीज की गई निधियां और आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत राज्य द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	रिलीज (लाख रु. में)	आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत मध्य प्रदेश द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या
1.	2008-09	43592.42	931434
2.	2009-10	29747.00	1056881
3.	2010-11	34686.00	1166199
4.	2011-12*	30555.00	1215452

*रिलीज अक्टूबर, 2011 तक

[अनुवाद]

2354. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भंडारण जलाशयों में जल को अवरुद्ध करना बाढ़ नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका है ताकि हल्की बाढ़ को नीचे घाटी से ही बहने दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) नदियों पर समुचित स्थान पर बड़े बांधों/भंडारण जलाशयों के निर्माण विशेषकर जब भंडारण जलाशयों में कारगर बाढ़ जल अवशोषक की व्यवस्था हो, को बाढ़ का स्थायी समाधान माना जाता है। बड़े बांध उत्प्लाव मार्ग के माध्यम से नियंत्रित करके अनुप्रवाह क्षेत्र में बाढ़ को कम करते हैं।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय ने 1987 में एक राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी जिसे बाद में 2002 में संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय जल नीति दस्तावेज, 2002 में यह उल्लेख किया गया है कि बेहतर प्रबंधन को सुलभ बनाने के लिए जल भंडारण परियोजनाओं में जहां संभव हो, पर्याप्त बाढ़ जल अवशोषक की व्यवस्था की जानी चाहिए। अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण को जलाशय विनियमन नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए भले ही कुछ सिंचाई अथवा विद्युत लाभों का त्याग करना पड़े। नीति दस्तावेज की प्रतियां अनुपालनार्थ सभी संबंधितों और राज्य सरकारों को भेजी गईं थीं।

एचपीसीएल का कर्ज

2355. श्री उदय सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (एचपीसीएल) के खातों में 31,000 करोड़ रुपये का कर्ज था और इसकी उधारी सीमा बढ़कर 35,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है जिसके पश्चात् बैंक इसे और पूंजी अथवा ऋण नहीं देंगे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निगम की सहायता करने का है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीद सके; और

(घ) सरकार द्वारा आगामी वर्षों में निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) दिनांक 30.09.2011 की स्थिति के अनुसार एचपीसीएल का कुल ऋण अपनी बहियों के अनुसार 31253.30 करोड़ रुपए का था। लगातार हो रही अल्प-वसूलियों के कारण इस ऋण में वृद्धि हुई और कार्पोरेशन इस मांग को पूरा करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से निधियां उधार ले रहा है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) नामत:, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी को अपने वांछित खुदरा बिक्री मूल्य से कम मूल्य पर बेच रही हैं और इन पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर अल्प-वसूली झेल रही हैं। इन अल्प-वसूलियों की प्रतिपूर्ति के लिए और ओएमसीज की वित्तीय स्थिति को बचाने के लिए, सरकार भार हिस्सेदारी व्यवस्था को अपना रही है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम तेल कंपनियां 21,633 करोड़ रुपए का अंशदान कर रही हैं और सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011. 12 की प्रथम छमाही के दौरान ओएमसीज को 30,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की पुष्टि की है।

भिवानी-चूरू लाइन

2356. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को भिवानी-लोहारू-चुरू लाइन बिछाने हेतु पर्याप्त अनुदान के लिए हरियाणा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा उक्त परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)

(क) जी नहीं।

(ख) से (घ) भिवानी-लोहारू-पिलानी-चुरू (136.74 किमी.) नई लाइन के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। मंत्रालय में सर्वेक्षण रिपोर्ट के एक बार प्राप्त होने के पश्चात् आगे कार्रवाई की जाएगी।

बंजर भूमि विकास

2357. श्री के. सुगुमार: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महात्मा गांधाी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर भूमि विकास कार्य आरंभ किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से ऐसे कार्य को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए कहा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) (क) से (घ) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी रोजगार के प्रमुख कार्यकलाप अधिनियम की अनुसूची-I में निर्धारित किए गए हैं। सूखा रोधन (वनरोपण और वृक्षारोपण), भूमि विकास और तालाबों से गाद निकालना सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनरुद्धार पहले से ही इस अधिनियम की अनुसूची-I में प्राथमिकता प्राप्त कार्यकलाप के रूप में शामिल हैं। इस अधिनियम में सुझाए कार्यकलाप से सूखा, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव जैसे गरीबी के पुराने कारणों की रोकथाम होती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाना देकर स्थायी रोजगार के अवसर और टिकाऊ परिसंपत्तियां तैयार की जा सके। मनरेगा की धारा 16 (1) में यह प्रावधान है कि इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में परियोजनाओं, जिन्हें ग्राम सभा तथा वार्ड सभा की सिफारिशों के अनुसार योजना के तहत शुरू किया जाएगा, का निर्धारण करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। अधिनियम की धारा 16 (5) के अनुसार लागत के हिसाब से कम से कम आधी परियोजनाएं ग्राम पंचायतों को चलानी हैं। मनरेगा की धारा 13 (1) में यह प्रावधान है कि जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरीय पंचायतें ही इस अधिनियम के अंतर्गत योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख प्राधिकरण होंगी।

स्वत: ईंधन भरण सुविधा

2358. श्री ई०जी० सुगावनम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों ने देश में कुछ चयनित बिक्री केंद्रों पर स्वत: ईंधन भरण सुविधा की संकल्पना को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस सुविधा को देश के अन्य भागों में भी लागू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) देश में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य में 13 खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज), चंडीगढ़ में 5 आरओज तथा दिल्ली में एक आरओ में स्वत: ईंधन भरण सुविधा की संकल्पना की शुरूआत की है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने गुजरात राज्य में 14 आरओज तथा राजस्थान राज्य में 3 आरओज में स्वत: ईंधन भरण सुविधा की शुरूआत की है।

(ग) से (ड.) देश के अन्य भागों में स्वत: ईंधन भरण सुविधा के विस्तार पर अर्जित किए गए अनुभव और शुरूआत की गई सुविधा की सफलता के आधार पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

एलपीजी वितरकों पर छापे

2359. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के बुलढाना क्षेत्र में एलपीजी वितरकों पर औचक छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों की सांठ-गांठ में इन वितरकों को उक्त छापों की सूचना पहले ही दे दी जाती है जिससे ये छापे केवल दिखावा मात्र बन जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) गत तीन वर्षों और अप्रैल, 2011 से सितम्बर, 2011 की अवधि के दौरान, महाराष्ट्र के बुलढाना क्षेत्र में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों पर 100 छापे मारे गए थे। वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	छापों की संख्या
2008-09	18
2009-10	30
2010-11	31
अप्रैल से सितम्बर, 2011	21

सिद्ध शिकायतों के आधार पर, उक्त अवधि में विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करारों के प्रावधानों के तहत दोषी एलपीजी वितरकों के विरुद्ध 7 मामलों में कार्रवाई की गई है।

छापे बिना सूचना दिए डाले जाते हैं और ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है जहां इसके बारे में वितरक को पहले से आगाह किया गया था।

[हिन्दी]

मलीपुर में रेलवे स्टेशन

2360. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-सहारनपुर लाइन पर सहारनपुर के निकट मलीपुर में एक रेलवे स्टेशन बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीपीएल सूची में लोगों को शामिल करना

2361. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संदर्भ में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में अधिक संख्या में परिवारों को शामिल करने और राज्यों में चिह्नित किए जाने वाले बीपीएल परिवारों की कुल संख्या पर सीमा को हटाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर योजना आयोग ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत का अलग-अलग आंकलन करता है। यह आंकलन लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएमएसओ) द्वारा किए जाने वाले व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। गरीबी के अद्यतन उपलब्ध आंकलन वर्ष 2004-05 के हैं, जो कि पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के वर्ष 2004-05 में चलाए गए 61वें चक्र के आंकड़ों पर आधारित हैं। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत के राज्य-वार आंकलनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों ने अनुरोध किया है कि राज्यों में निर्धारित किए जाने वाले बीपीएल परिवारों की कुल संख्या की सीमा हटाई जाए। योजना आयोग के उपाध्यक्ष और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा 3 अक्तूबर, 2011 को जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में शामिल किए जाने वाले परिवारों की संख्या पर कोई सीमा लागू करने के लिए योजना आयोग की कार्यप्रणाली के हिसाब से गरीबी के मौजूदा राज्य-वार आंकलनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली आबादी की संख्या और प्रतिशत 2004-05

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या (लाख)			व्यक्तियों का प्रतिशत		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	187.07	51.33	238.76	32.3	23.4	29.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.92	0.67	3.59	33.6	23.5	31.1
3.	असम	88.82	8.44	97.26	36.4	21.8	34.4
4.	बिहार	445.07	40.90	485.60	55.7	43.7	54.4
5.	छत्तीसगढ़	96.55	13.43	109.92	55.1	28.4	49.4
6.	दिल्ली	1.41	18.92	20.40	15.6	12.9	13.1
7.	गोवा	1.91	1.72	3.63	28.1	22.2	25
8.	गुजरात	130.11	41.94	172.17	39.1	20.1	31.8
9.	हरियाणा	39.29	15.77	55.15	24.8	22.4	24.1
10.	हिमाचल प्रदेश	14.32	0.30	14.62	25	4.6	22.9
11.	जम्मू और कश्मीर	11.31	2.87	14.23	14.1	10.4	13.2

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	झारखंड	115.12	15.56	130.67	51.6	23.8	45.3
13.	कर्नाटक	134.99	50.76	185.69	37.5	25.9	33.4
14.	केरल	49.45	15.65	64.99	20.2	18.4	19.7
15.	मध्य प्रदेश	255.32	61.66	316.88	53.6	35.1	48.6
16.	महाराष्ट्र	277.14	116.12	393.26	47.9	25.6	38.1
17.	मणिपुर	6.61	2.06	8.66	39.3	34.5	38
18.	मेघालय	2.73	1.21	3.93	14	24.7	16.1
19.	मिजोरम	1.05	0.38	1.43	23	7.9	15.3
20.	नागालैंड	1.73	0.16	1.88	10	4.3	9
21.	ओडिशा	197.33	22.69	220.16	60.8	37.6	57.2
22.	पुदुचेरी	0.79	0.71	1.49	22.9	9.9	14.1
23.	पंजाब	36.52	17.20	53.76	22.1	18.7	20.9
24.	राजस्थान	167.23	42.84	210.31	35.8	29.7	34.4
25.	सिक्किम	1.59	0.18	1.77	31.8	25.9	31.1
26.	तमिलनाडु	125.56	61.35	186.76	37.5	19.7	28.9
27.	त्रिपुरा	12.31	1.35	13.67	44.5	22.5	40.6
28.	उत्तर प्रदेश	604.74	130.26	735.48	42.7	34.1	40.9
29.	उत्तराखंड	23.33	6.35	29.67	35.1	26.2	32.7
30.	पश्चिम बंगाल	231.24	57.94	289.07	38.2	24.4	34.3
	अखिल भारत	3266.63	807.59	4076.10	41.8	25.7	37.2

जल की कमी का प्रभाव

2362. श्रीमती जे. शांता: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एक ऐसा देश है जो कि खाद्य और ऊर्जा उत्पादन तथा पर्यावरणीय क्षति के संदर्भ में जल की कमी के प्रभाव का वर्तमान में सबसे अधिक सामना कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2030 तक देश में 50 प्रतिशत तक जल की कमी होने का अनुमान है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस आपदा को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने प्रस्तावित है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) वर्तमान आंकलन के अनुसार, औसत वार्षिक उपयोज्य जल 1123 बीसीएम है जिसमें से 690 बीसीएम सतही जल और 433 बीसीएम पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधन हैं। एकीकृत जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) ने 1999 में अपनी रिपोर्ट में देश में वर्ष 2050 तक विभिन्न उपयोगों हेतु जल की कुल आवश्यकता 1180 बीसीएम आकलित की थी। इसके अतिरिक्त जल की उपलब्धता में समय और स्थान के आधार पर

भारी अंतर होने के कारण हमारे देश में जल की कमी की स्थिति है जिसके कारण खाद्य एवं ऊर्जा उत्पादन पर असर पड़ता है और पारिस्थितिकीय हानि होती है।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन हेतु कई उपाय किए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के स्थायी विकास और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्यों को जल संसाधन मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों नामतः "बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)", "लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु एआईबीपी", "कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम) कार्यक्रम", "जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर)" आदि के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

ट्रेनों का विस्तार

2363. श्री दारा सिंह चौहानः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को मऊ-आजमगढ़, लखनऊ से होते हुए बलिया से शाहगंज तक चलने वाली उत्तर-पूर्व रेल की यात्री ट्रेन संख्या 55138/55139 का विस्तार करने और शाहगंज से लखनऊ तक इसे फास्ट यात्री ट्रेन में परिवर्तित करने या मऊ-आजमगढ़ से होते हुए बलिया से लखनऊ तक कोई इंटर सिटी ट्रेन चलाने, मुजफ्फरपुर-सूरत साप्ताहिक ट्रेन 19053/19054 का वापी से होते हुए बांद्रा टर्मिनल तक विस्तार करने, 15021/15022 शालीमार गोरखपुर साप्ताहिक ट्रेन को आजमगढ़-जौनपुर-वाराणसी से होते हुए मऊ तक चलाने और आजमगढ़ से होते हुए मऊ से कोलकाता तक एक नई ट्रेन चलाने हेतु जनप्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जानी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां, इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें माननीय संसद सदस्य से प्राप्त हुए हैं जिसमें माननीय संसद सदस्य से प्राप्त अभ्यावेदन भी शामिल हैं।

(ग) इनकी जांच की गई है परंतु फिलहाल इन्हें कार्यान्वयन हेतु व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

चैक बाउंस के मामले

2364. श्री आर. ध्रुवनारायणः क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में चैक बाउंस होने के मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मुकदमों का निपटान करने हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कर्नाटक सहित प्रत्येक राज्य में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) इस संबंध में राज्य सरकारों के क्या विचार हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) अनादृत चैक मामलों की लंबितता पर जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, भारत के विविध आयोग की 213वीं रिपोर्ट के अनुसार, देश में न्यायालयों में 38 लाख से अधिक अनादृत चैकों के मामले लंबित थे।

(ग) और (घ) जी नहीं। भारत सरकार ने, न्याय के परिदान में सुधार करने के लिए 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को 5000 करोड़ रुपए का एक विशेष अनुदान प्रदान करने का विनिश्चय किया है। इस अनुदान के घटकों में से एक, जिसमें प्रातः कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालयों के आयोजन द्वारा विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करके न्यायालय के कार्यघंटों की संख्या में वृद्धि करना सम्मिलित है। ये न्यायालय, विभिन्न प्रकार के तुच्छ मामलें, जिनके अंतर्गत अनादृत चैकों के मामले भी हैं। निपटान करेंगे। इसके अतिरिक्त 13वें वित्त आयोग निधिकरण के अधीन, लोक अदालत और विधिक सहायता, वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, राज्य न्यायिक अकादमी का सृजन करना, न्यायिक अधिकारियों/लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण पर भी विचार किया गया है। लोक अदालतें, अनादृत चैकों के मामलों के निपटान में भी सहायता करेगी।

(ङ) और (च) उपरोक्त (ग) और (घ) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

आईटी कंपनियों की निगरानी

2365. श्री मनोहर तिरकी:
श्री मानिक टैगोर:
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:

क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक बड़ी आईटी कंपनी में वित्तीय घोटाले के दृष्टिगत सरकार आईटी कंपनियों और शेयर बाजार के कार्यकरण की निगरानी करने हेतु कार्य-योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कई आईटी कंपनियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए कोई प्रस्ताव अथवा सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह) (क) और (ख) तकनीकी जांच के माध्यम से कंपनियों की मॉनीटरिंग सभी कंपनियों के लिए, जो पब्लिक इश्यू लाती हैं, एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की कार्य प्रणाली की मॉनीटरिंग हेतु कोई विशिष्ट या अलग कार्य योजना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औषधीय पौधों की आपूर्ति

2366. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्धन लोगों की सहायता हेतु औषधियों के मूल्य में कमी लाने के लिए भेषज कंपनियों को सीधे औषधीय पौधों की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यावयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) सरकार ने योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) स्थापित किया है जिसकी स्थापना का उद्देश्य औषधीय पादप क्षेत्र के समग्र विकास से संबंद्ध मुद्दों का समन्वय करना है ताकि आयुष पद्धतियों की औषधियों तथा अन्य उत्पादों को तैयार करने के लिए उनकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) वर्ष 2008-2009 से "औषधीय पादप राष्ट्रीय मिशन" नामक केंद्र प्रायोजित स्कीम का कार्यावयन कर रहा है। इस स्कीम के अनुसार अभिनिर्धारित औषधीय पादपों की खेती को सहायता दी जाती है और कलस्टर आधार पर इन पादपों की खेती करने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाती है। इस स्क्रीम के कार्यावयन हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा 26 राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इस बोर्ड ने औषधीय पादप क्षेत्र के समग्र विकास के लिए "औषधीय पादप संरक्षण, विकास तथा चिरस्थायी प्रबंधन" से संबद्ध केंद्रीय स्कीम को भी कार्यान्वित किया है। यह बोर्ड इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वन क्षेत्रों में स्वस्थानी/गैर स्वस्थानी संरक्षण स्रोत अभिवृद्धि (औषधीय पादप रोपण) के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों की परियोजनाओं और तत्संबंधी पहलुओं की सहायता करता है।

[हिन्दी]

भूमि विनियमन और विकास प्राधिकरण

2367. कुमारी मीनाक्षी नटराजन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन करने का कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राधिकरण के घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके आरंभ होने से अब तक कितनी बैठकें हुई हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और उनमें क्या निर्णय लिए गए;

(घ) प्राधिकरण के प्रयोजन और उद्देश्य क्या हैं और अब तक किस सीमा तक उनकी प्राप्ति हुई है;

(ङ) क्या प्राधिकरण के कार्यकरण की निगरानी और समीक्षा करने हेतु तन्त्र मौजूद हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने भू-रिकार्ड का रख रखाव करने और इसमें विद्यमान अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा भूमि विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किए जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(छ) भूमि अभिलेखों के रख-रखाव का आधुनिकीकरण करने तथा वास्तविक समय में इन्हें अद्यतन बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में एक केन्द्र प्रायोजित योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस कार्यक्रम के तहत जिन गतिविधियों पर बल दिया जा रहा है, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारों के अभिलेखों (आर.ओर.आरस) का कम्प्यूटरीकरण, मानचित्रों का अंकीकरण, आधुनिक प्रौद्योगिकी जिसमें हवाई प्रकाशमापी भी शामिल हैं, का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण/पुन: सर्वेक्षण करना, उच्च संकल्प उपग्रह इमेजरी (एच.आर.एस.आई.), पंजीयन का कम्प्यूटरीकरण, भूमि अभिलेखों तथा रजिस्ट्री कार्यालयों के बीच संयोजन, तहसील/तालुक/मंडल/ब्लॉक स्तर पर भूमि अभिलेखों के प्रबंधन केन्द्रों तथा संबंधित अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना तथा क्षमता में वृद्धि करना शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत गतिविधियां जिले पर केन्द्रित होती हैं तथा जिला कार्यान्वयन की इकाई होता है। देश में सभी जिलों को 12वीं योजना के अंत तक शामिल किए जाने की आशा है।

एलपीजी कनेक्शनों हेतु सांसदों की सिफारिशें

2368. श्री मिथिलेश कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010 से आज तक कितने संसद सदस्यों ने अपने परिचितों को एलपीजी कनेक्शन देने की सिफारिश की है;

(ख) क्या इन सिफारिशों का मंत्रालय द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जनवरी, 2010 से सितम्बर, 2011 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) को एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए माननीय संसद सदस्यों से 381 संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त संस्तुतियों पर इस बात का विचार किए बिना कि संस्तुति ओएमसीज को सीधे प्राप्त हुई हैं अथवा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से, तुरन्त कार्रवाई की जाए और उनका शीघ्र निपटान किया जाए।

[अनुवाद]

भारतीय भौतिकीविद को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाना

2369. श्री खगेन दास: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन खगोलशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत कि 'बढ़ते वेग से ब्रह्मांड के विस्तार का कारण 'डार्क' ऊर्जा है' जिसे वर्ष 2011 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, वस्तुत: उन वैज्ञानिकों के समक्ष एक भारतीय भौतिकीविद् द्वारा वर्ष 1998 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नोबेल पुरस्कार के उसके दावे को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यह बात स्वीडिश नोबेल अकादमी के ध्यान में लाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) यद्यपि सरकार के पास कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है, फिर भी समाचार रिपोर्टों से सरकार को यह पता चला है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा प्रेक्षण निष्कर्षों के आधार पर प्रस्तुत मॉडल से पूर्व एक भारतीय भौतिकीविद् ने एक सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत किया था।

(ख) रॉयल स्वीडिश अकैडमी ऑफ साइंसेज नोबेल पुरस्कार प्रदान करने पर निर्णय लेती है तथा सरकार को किसी वैज्ञानिक/वैज्ञानिकों को पुरस्कार के दावे को अस्वीकार करने के कारणों के बारे में जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

2370. श्री यशंवत लागुरी:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग का संघटन संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस आयोग के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) उक्त आयोग को और अधिक परिणामोन्मुखी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण), दिनांक 28 नवंबर, 2011 द्वारा पांच वर्षों की अवधि के लिए छह जोनल सदस्यों, चार विशेषज्ञ सदस्यों और तीन पदेन सदस्यों के साथ खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को पुन:स्थापित किया है। एक जोनल सदस्य को आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

(ख) से (घ) मॉनीटिंग और समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। मॉनिटरिंग और समीक्षा के आधार पर व्यवस्था संबंधी व अन्य सुधारों के लिए यथोयुक्त और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। केंद्रीय सरकार ने आयोग को अपने कार्य का निष्पादन करने में सहायता करने के लिए केवीआईसी अधिनियम, 1956 के अधीन राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन भी किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मंत्रालय में दो आंतरिक कोर ग्रुप्स बनाया है, एक एमएसएमई मंत्री की अध्यक्षता में और दूसरा सचिव, एमएसएमई की अध्यक्षता में, ताकि खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। केवीआईसी को अपेक्षाकृत अधिक परिणामोन्मुख बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा आवश्यक मार्गनिर्देश और समन्वय भी प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम हेतु नया कानून

2371. श्री पी. आर. नटराजन:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) जैसी गैर-निगमित व्यवसायिक इकाईयों और सोसाइटियों के व्यवसायिक कार्यकलापों में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कोई विनियामक ढांचा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 को प्रतिस्थापित करने हेतु किसी नए विधान को लागू करने का हैं; और

(ङ.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह) (क) और (ख) ऐसी कंपनियों का अधिशासन उस विधि द्वारा किया जाता है जिसके अधीन उनका पंजीयन या निगमन किया जाता है। ऐसी प्रत्येक विधि में प्रकटीकरण एवं जवाबदेयता आदि से संबंधित उपयुक्त प्रावधान हैं।

(ग) सोसाइटी पँजीकरण अधिनियम, 1860 यद्यपि एक केंद्रीय अधिनियम है किन्तु इसका प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट

2372. श्री तूफानी सरोज: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषक उर्वरक निगम लि. (इफ्को) के अंतर्गत उर्वरक संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संयंत्रों में उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट आयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संयंत्रों या इकाइयों द्वारा अलग-अलग उत्पादित उर्वरकों की गुणवत्ता एवं नाम क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) इंडियन फामर्स फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि. (इफ्को) के उर्वरक संयंत्रों का राज्य-वार विवरण नीचे दिया जा रहा है:

राज्य का नाम	संयंत्रों का नाम
गुजरात	कलोल
	कांडला
उत्तर प्रदेश	फूलपुर-I और II
	आंवला-I और II
ओडिशा	परादीप

(ख) जी, नहीं।

(ग) विगत तीन वर्षो के दौरान उत्पादित उर्वरकों के नाम और मात्रा इस प्रकार है:

इकाइयों के नाम	उत्पादन (000, मी.टन. में)			उत्पाद
	वर्ष			
	2008-09	2009-10	2010-11	
कलोल	559.87	600.20	600.09	यूरिया
फूलपुर	1503.12	1722.70	1771.30	यूरिया
आंवला	2005.28	2000.56	2031.14	एनपी/एनपीके/ डीएपी
पाराद्वीप	1306.00	1500.00	1662.00	एनपी/डीएपी

*उत्पादित उर्वरकों की मात्रा थोक में है जिसमें एनपी, एनपीके और डीएपी उर्वरक शामिल हैं।

[अनुवाद]

एमपीएलएडी के लिए नए दिशानिर्देश

2373. श्री प्रबोध पांडा:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत धनराशि के व्यय के संबंध में बनाए गए दिशानिर्देश पर पुनर्विचार करने संबंधी कोई अनुरोध सरकार को प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में नए दिशनिर्देशों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री श्रीकाँत जेना): (क) जी हां।

(ख) श्री विजय बहादुर सिंह, माननीय सांसद, हमीरपुर लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र, उत्तर प्रदेश ने अपने दिनांक 6.9.2011 के पत्र के साथ 115 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर संलग्न किए हैं जिसमें सांसदों ने दिशानिर्देशों के इस प्रावधान पर आपत्ति की है कि सोसाइटियों/ट्रस्टों से एमपीलैड निधि से कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रु. की सीमा तक राशि प्रदान की जाएगी। श्री विजय बहादुर सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) ने समय-समय पर जारी होने वाले एमपीलैड्स दिशानिर्देशों को समाप्त करने और एमपीलैड्स निधि को सांसद के विवेकाधिकार पर छोड़ने का अनुरोध किया है।

(ग) मंत्रालय समय-समय पर अपेक्षानुसार दिशानिर्देशों में परिवर्तन करता है।

[हिन्दी]

मनरेगा के अंतर्गत बोनस

2374. श्रीमती मीना सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कामगारों को बोनस दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक परिवार को अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए मांग पर वर्ष में 100 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार देकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवार की आय की कमी को पूरा करना है, न कि ग्रामीण आबादी की आय का एकमात्र साधन बनना। इस अधिनियम में मजदूरों को कई अन्य लाभ भी दिए जाते हैं, जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कृषि मजदूरों को उपलब्ध नहीं होते हैं। इसमें 5 कि.मी. की परिधि में रोजगार देना, यदि दूरी 5 कि.मी. से अधिक हो तो परिवहन तथा आजीविका खर्चों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में 10% अतिरिक्त मजदूरी, चोट लगने पर नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार, जरूरत पड़ने पर अस्पताल में नि:शुल्क उपचार, दैनिक भत्ते का भुगतान, मृत्यु या स्थायी अक्षमता होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान, सुरक्षित पेयजल का प्रावधान, बच्चों के लिए शेड/शिशुगृह, मजदूर के साथ आने वाले किसी बच्चे को चोट लगने पर नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार और अनुग्रह राशि का भुगतान जैसे लाभ शामिल हैं। जब तक मनरेगा मजदूरी दरों की पृथक और संतोषजनक सूची तथा इन दरों में वृद्धि की उपयुक्त व्यवस्था तैयार की जाती है, तब तक के लिए मनरेगा की धारा 6(1) के अंतर्गत मजदूरी दर को कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार कर दिया गया है। इस अधिनियम के बोनस के भुगतान का प्रावधान नहीं है।

सुनामी प्रभावित राज्यों में पेयजल

2375. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सुनामी प्रभावित राज्यों में पेयजलापूर्ति बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु आवंटित धनराशि, राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र-वार, कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है। तथापि, केंद्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) नामक केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। राज्य सरकारें एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों से ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, मंजूर, कार्यान्वित एवं निष्पादित करने में सक्षम हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, 2% तक निधियां, राष्ट्रीय आपदा (सुनामी सहित) के कारण प्रभावित जल आपूर्ति तंत्र को फिर कार्यशील बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग रखी जाती हैं।

दिसम्बर, 2004 में सुनामी आने के बाद त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) की प्राकृतिक आपदा निधि से वर्ष 2004-05 के दौरान सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियां नीचे दिए अनुसार हैं:

आंध्र प्रदेश	3.00 करोड़ रुपए
तमिलनाडु	8.50 करोड़ रुपए
पुडुचेरी	1.00 करोड़ रुपए
केरल	1.75 करोड़ रुपए
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	15.37 करोड़ रुपए

विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ, एनआरडीडब्ल्यूपी (प्राकृतिक आपदा निधि) से इन राज्यों को कोई निधियां आबंटित नहीं की गई हैं। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के सभी घटकों के अंतर्गत सुनामी प्रभावित राज्यों को आबंटित निधियां नीचे दिए अनुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आबंटित राशि (करोड़ रु.)			
		2008-09	2009-10	2010-11	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	294.53	427.09	491.02	1212.64
2.	तमिलनाडु	241.82	320.43	316.91	879.16
3.	केरल	103.33	152.77	144.28	400.38
4.	पुडुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अंडमान और नकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

गैर-सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के विरूद्ध नीति

2376. श्री मानिक टैगोर: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने किरण कार्णिक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो ऐसी व्यापक नीति बनाएगी जो गैर-सरकारी क्षेत्र के सौदों में भ्रष्टाचार के लिए स्पष्ट रूप से शास्ति निर्धारित करेगी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नीति कब तक बनाए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के कार्यकरण का पर्यवेक्षण

2377. श्री एस. अलागिरी:
श्रीमती रमादेवी

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के कार्यकारण एवं प्रबंधन का पर्यवेक्षण इसके निदेशक मंडल एंव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पर्यवेक्षण के क्रम में पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सीपीएसयू में पायी गयी अनियमितताओं/कुप्रबंधन तथा उन पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) केंद्रीय सरकारी उद्यम (सीपीएसईएस) विभिन्न मंत्रालयों/विभागें तथा अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित किए गए मौजूदा नियमों, विनियमों, कानूनों, मार्ग-निर्देशों आदि के अंतर्गत कार्य करते हैं। केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल तथा उनके प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग मौजूदा नियमों, विनियमों, मार्ग-निर्देशों आदि के कार्यान्वयन का नियमन करते हैं और किसी प्रकार के विचलन/अनियमितता के मामलों में संगत मौजूदा नियमों, विनियमों, कानून मार्ग-निर्देशों आदि में यथा निर्धारित आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

(ग) चूँकि, संबंधित मंत्रालय/विभाग अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों में मौजूदा नियमों, विनियमों, कानूनों, मार्ग-निर्देशी आदि के कार्यान्वयन का नियमन करने के लिए उत्तरदायी हैं, अत: केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यकलापों की केंद्रीय रूप से निगरनी हेतु कोई तंत्र नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

2378. श्री एंटो एंटोनी: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों के लिए बनाए गए अधिदेश क्या हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक इसकी उपलब्धियों की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंर्तगत शक्तियों और जिम्मेदारियों को विकेंद्रित करने तथा पानी और स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत/गांव/वार्ड में एक ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्थापित की जानी है ताकि ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक गाम पंचायत में उनकी पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, निगरानी, कार्यान्वयन और प्रचालन तथा रखरखाव के लिए स्थायी समिति के रूप में एक ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति स्थापित की जानी है ताकि ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो सके। वीडब्ल्यूएससी में 6 से 12 सदस्य हो सकते हैं जिनमें पंचायत के चयनित सदस्य, कम से कम 50% महिलाएं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गांव के गरीब तबकों का यथोचित प्रतिनिधित्व होगा। यह समिति ग्राम पंचायत का एक अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए। वीडब्ल्यूएससी का गठन और कार्य राज्य पंचायती राज अधिनियम के अंर्तगत उप-नियम के समूह द्वारा विनियमित किया जा सकता हैं।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राज्यों में वीडब्ल्यूएससी की उपलब्धियों की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

क्र.स.	राज्य	गठित वीडब्ल्यूएससी की संख्या* (दिनांक 5.12.2011 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार)	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	गुजरात	17,773	राज्य में कुल 18066 गांव हैं जिनमें से वीडब्ल्यूएससी द्वारा व्यवस्थित 8,293 गांव जल आपूर्ति योजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा 3,314 पर कार्य चल रहा है। जिला कार्यालयों से वीडब्ल्यूएससी को 1070 करोड़ रु. की कुल निधि अंतरित की गई है। कुल 66.84.426 परिवारों में से 4815632 परिवारों को नल द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई हैं। जल गुणवत्ता दल बनाए गए हैं तथा 15998 जल गुणवत्ता किटें वितरित की गईं। जल गुणवत्ता पर 76931 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
2.	गोवा	189	----
3.	त्रिपुरा	713	ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की ग्राम जल सुरक्षा आयोजना, वार्षिक कार्य योजना, निगरानी और ओ एंड एम में भाग लिया।
4.	मिजोरम	572	ग्रामीण जल आपूर्ति का प्रचालन और रखरखाव तथा पीएचई विभाग के साथ आयोजना में समन्वय।
5.	नागालैंड	कोई वीडब्ल्यूएससी नहीं है।	लागू नहीं।
6.	सिक्किम	165	• वीडब्ल्यूएससी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के चयन, अपेक्षित ब्यौरों के सत्यापन में शामिल है; • योजनाओं को वरीयता देना; विभिन्न मंजूरीकृत योजनाओं को ठेके पर देना। • ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का प्रचालन और रखरखाव।
7.	हरियाण	157	रिपोर्ट नहीं दी।
8.	झारखंड	14818	32 सालों के अंतराल के बाद हाल ही में झारखंड में ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ। वर्तमान में टीएससी, हैंडपंपों के ओ एंड एम तथा नई पाइप जल आपूर्ति योजनाओं के गठन में वीडब्ल्यूएससी सक्रिय हैं।
9.	उत्तर प्रदेश	97607	• 2408 वीडब्ल्यूएससी विद्यमान हैं जिन्होंने योजना लागत के मुकाबले 5% से ज्यादा नकद का योगदान दिया। • क्रय समिति और वीडब्ल्यूएससी का गठन किया गया।

1	2	3	4
			• समुदाय द्वारा जल प्रशुल्क निर्धारण और वसूली। • जल आपूर्ति प्रणाली प्रचालक का निर्धारण। • वसूली और खर्च रिकार्डों का रखरखाव।
10	पंजाब	3805	• वीडब्ल्यूएससी ने लाभार्थी हिस्से की वसूली में मदद की। • ग्रामीण जन समुदाय का जल आपूर्ति योजनाओं से पेयजल के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामों में व्यक्तिगत निजी जल कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि हुई है। • व्यक्तिगत जल कनेक्शनों की प्रतिशतता में वृद्धि से राजस्व में वृद्धि हुई है और इसके पश्चात् जल आपूर्ति योजनाओं के प्रचालन और रखरखाव में सुधार हुआ है। • पेयजल के उपयोग और अपशिष्टता को कम करने के संबंध में उचित मार्गदर्शन के मद्देनजर, कुछ योजनाओं से 24×7 जल मिल रहा है। उपभोक्ताओं को अधिक प्रेशर से जल मिल रहा है। • कुछ गांव जिन्होंने जल आपूर्ति की स्थिति को सुधारा है, रोल मॉडल गांव बन गए हैं। प्रणाली में आगे सुधार के लिए अन्य वीडब्ल्यूएससी को प्रोत्साहन मिलता है। • ब्रेकडाउन अवधि घटी है।
11.	बिहार	627	स्वजलधारा के अंतर्गत वीडब्ल्यूएससी द्वारा पेयजल के लिए पाइप युक्त जल आपूर्ति योजनाएं तथा हैंडपंप आधारित योजनाएं का कार्यान्वित किया जा रहा है।
12.	आंध्र प्रदेश	15178	• वीडब्ल्यूएससी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के बनाने और उसकी आयोजन में शामिल हैं। • वीडब्ल्यूएससी के माध्यम से 5.00 लाख रु. से कम लागत के जल आपूर्ति कार्यों को निष्पादन हुआ है। • योजना के ओ एंड एम के लिए वीडब्ल्यूएससी जिम्मेदार हैं। • ग्राम पंचायतों को वितरित फील्ड टेस्ट किट का प्रयोग फील्ड स्तर पर करके जल नमूनों का परीक्षण करने की जिम्मेदारी वीडब्ल्यूएससी की है। • वीडब्ल्यूएससी एनजीपी स्थिति प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ग्राम की अवधारणा को बढ़ा रही है तथा शौचालयों के निर्माण, उनके उपयोग तथा गांवों में खुले में शौच को रोकने जैसी क्रियाओं में शामिल हैं।

प्रयोगशालाओं का मूल्यांकन

2379. श्री प्रेमदास राय: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टीका परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने कोई मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये प्रयोगशालाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में समर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) (क) सरकार ने देश में उन प्रयोगशालाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए मानक निर्धारित किए हैं जो राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन. ए. बी. एल.) प्रत्यायन तथा उत्तम प्रयोगशाला व्यवहार (जी. एल. पी.) प्रमाणन के माध्यम से रसायनों और अन्य जैव पदार्थों के परीक्षण के अतिरिक्त टीकों का परीक्षण करती हैं। एन. ए. बी. एल. प्रत्यायन आई. एस. ओ./ आई. ई. सी. 17025:2005, आई एस ओ 15189: 2007 मानकों का अनुपालन करने वाले विशिष्ट कार्य के लिए परीक्षण, प्रत्यायन अथवा चिकित्सा प्रयोगशाला की तकनीकी क्षमता की औपचारिक मान्यता है। जी. एल. पी. प्रमाणन राष्ट्रीय उत्तम प्रयोगशाला व्यवहार अनुपालन अनुवीक्षण प्राधिकरण (एन. जी. सी. एम. ए.), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ओ. ई. सी. डी. (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) उत्तम प्रयोगशाला व्यवहार के सिद्धांतों तथा ओ. ई. सी. डी. परिषद अधिनियमों के अनुरूप कार्यरत पूर्व-नैदानिक परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रदान किया जाता है।

(ख) प्रयोगशालाओं को दिया जाने वाला एन. ए. बी. एल. प्रत्यादान भरोसेमंद परीक्षण और प्रत्यायन सेवाओं को सुनिश्चित करता है जो प्रप्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा जारी रिपोर्टों को स्वीकार करने में ग्राहक का विश्वास बढ़ाता है। एन. ए. बी. एल. प्रत्यायन फिलहाल जैविक, रासायनिक और अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए परीक्षण, प्रत्यायन और चिकित्सा प्रयोगशालाओं को दिया जाता है। उत्तम प्रयोगशाला व्यवहार (जी. एल. पी.) वह गुणवत्ता प्रणाली है जो उस संगठनात्मक प्रक्रिया और शर्तों से संबंधित है जिसके अंतर्गत गैर नैदानिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय सुरक्षा अध्ययनों की योजना तैयार की जाती है, इनका निष्पादन, अनुवीक्षण, अभिलेखन और पुरालेखन किया जाता है तथा इनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है जीएलपी सिद्धान्तों के क्षेत्र में औषध, कृषि रसायन, औद्योगिक रसायन, पशु चिकित्सा रसायन, खाद्य तथा भरण योजक, कॉस्मेटिक्स और न्यूट्रेस्टिकल्स में प्रयुक्त रासायनिक घटक और जैविक पदार्थ शामिल हैं। किसी प्रयोगशाला के लिए जी. एल. पी. प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष है। एन. ए. बी. एल. प्रत्यायन और जी. एल. पी. प्रमाणन फिलहाल स्वैच्छिक हैं और किसी नए उत्पाद के पंजीकरण से पूर्व, विनियामक प्राधिकारी को आँकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए पूर्व-आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) एन.ए.बी.एल. वर्ष 2000 से ए.पी.एल.ए.सी. (एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग) एम.आर.ए. (परस्पर मान्यता व्यवस्था) तथा आई. एल.ए.सी. (अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग) एम.आर.ए. का हस्ताक्षरकर्ता है। नवम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार, 2539 क्षेत्रों/उपक्षेत्रों में 1526 प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. का वैध प्रत्यायन प्राप्त है। भारत को 3 मार्च, 2011 को एक पूर्ण सदस्य के रूप में जी.एल.पी. प्रमाणित सुविधा में तैयार आंकड़े अब ओ.ई.सी.डी. के सभी सदस्य देशों और अन्य अनुषंगी देशों में स्वीकार्य होंगे। फिलहाल 18 जी.एल.पी. प्रमाणित प्रयोगशालाएं हैं जिनमें से सभी जी.एल.पी. संबंधी ओ.ई.सी.डी. सिद्धांतों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हैं।

(ड.) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्थकारी कदम उठा कर देश में एन. ए. बी. एल. और जी. एल. पी. के विकास को अग्रसक्रिय रूप से बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है। देश में गुणवत्तापूर्ण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन प्रयासों में निर्धारकों/निरीक्षकों को प्रशिक्षण, प्रयोगशालाओं, गुणवत्ता आश्वासन कार्मिक और अध्ययन निदेशकों के लिए सुग्राहीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

रेलवे में सुरक्षा संबंधी उपाय

2380. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में विशेषकर संवेदनशीला क्षेत्रों में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, डोर फ्रेम मेटलडिक्टेटर, स्कैनरों आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों को स्थापित करने संबंधी किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एकीकृत सुरक्षा योजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त योजना के लिए निर्धारित एवं व्ययित धनराशि कितनी है;

(ग) क्या रेलवे धनराशि की कमी के कारण विभिन्न सुरक्षा उपायों को लागू करने में असमर्थ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे स्टेशनों तथा रेलगाडियों में त्रुटिरहित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)

(क) इस समय, देश के महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए रेल सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) को सीसीटीवी प्रणाली, डोर मैटल डिटेक्टर्स, हैंड हैल्ड मैटल डिटेक्टर्स, वैगेज स्कैनर्स, ड्रैगन सर्च लाइट, वीएचएफ सेट आदि जैसे आधुनिक सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए गए हैं।

(ख) देश के संवेदनशील स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। इस प्रणाली में 353 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत पर इंटरनेट प्रोटोकोल आधारित सीसीटीवी प्रणाली, एक्सैस कंट्रोल, पर्सनल और बैगेज स्कैनिंग प्रणाली तथा बम डिटेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम शामिल है, चूंकि इस प्रणाली की व्यवस्था का कार्य प्रक्रियाधीन है, धनराशि का उपयोग यथासमय किया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) स्टेशन परिसरों और गाड़ियों में अपराध की रोकथाम और पता लगाना तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिसका निवर्हन वह राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से करती हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए गाडियों का मार्गरक्षण, रेल सुरक्षा बल के लिए आधुनिक सुरक्षा संबंधी उपस्कारों की खरीद, अतिरिक्त पदों का सृजन और सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाकर विभिन्न उपाय किए गए हैं.

[हिन्दी]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

2381. **श्री जगदीश शर्मा:**
श्रीमती इन्ग्रिड मैकलोड:
श्री संजय सिंह चौहान:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार सहित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार केन्द्र सरकार के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ग) लंबित प्रस्तावों को मंजूर करने में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) मंत्रालय को 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 वर्षों के दौरान बिहार राज्य सहित सड़क कार्यों/पुलों से संबंधित 35,691 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एनआरआरडीए को प्राप्त और लंबित प्रस्तावों की स्थिति सलंग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव				लंबित प्रस्ताव (सड़कों/पुलों की संख्या)
		2009-10	2010-11	2011-12 (नवम्बर, 2011 तक)		
		सड़क	सड़कें/पुलें	सड़कें	पुलें	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	83	485	-	2	
2.	अरुणाचल प्रदेश	270		-	15	
3.	असम			36	400	36

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	1,151	632	807	23	कोर नेटवर्क मैपों को राज्य द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है
5.	छत्तीसगढ़	258	383	356	240	302
6.	गोवा					
7.	गुजरात	1,110	668	-	93	
8.	हरियाणा	138				
9.	हिमाचल प्रदेश	388	128	23	37	60
10.	जम्मू और कश्मीर	556		126	698	462
11.	झारखंड	1,870	580			
12.	कर्नाटक	1,591	24	216	76	
13.	केरल					
14.	मध्य प्रदेश	2,284	477	-	106	
15.	महाराष्ट्र	1,057	869	308		
16.	मणिपुर	236	52	-	31	
17.	मेघालय	108	18			
18.	मिजोरम			17		17
19.	नागालैंड	23	104	35		
20.	ओडिशा	206		886		
21.	पंजाब	178	36			63
22.	राजस्थान	6,374	1,798	-	63	699
23.	सिक्किम	108	45	-	15	
24.	तमिलनाडु			29	43	
25.	त्रिपुरा	116	69			
26.	उत्तर प्रदेश	3,828	17	1,676	12	
27.	उत्तराखंड	411	12	16		
28.	पश्चिम बंगाल	356		3	134	

रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा एवं आपात सुविधाएं

2382. श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री के. सुगुमार:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री कीर्ति आजाद:
श्री पी.टी. थॉमस:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हाल में घटी दुर्घटना की जानकारी है जिसमें प्लेटफार्म और रेलगाड़ी के बीच फंस जाने के कारण तथा तत्काल चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना की जांच तथा उस पर रेलवे द्वारा की गई कार्रवाई तथा इस संबंध में रेलवे द्वारा घोषित मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दुर्घटना के मद्देनज़र रेलवे की कोई योजना सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर डॉक्टरों तथा अन्य मेडिकल स्टाफ/उपकरण एवं एंबुलेंस सुविधा जैसी मेडिकल/आपात सुविधाएं उपलब्ध कराने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे स्टेशनों पर आपात प्रतिक्रिया प्रणाली बेहतर बनाने के लिए रेलवे द्वारा किए गए/जा रहे अन्य उपाय क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां, एक यात्री गाड़ी सं 12416 के सवारी डिब्बे के फुटबोर्ड और प्लेटफार्म कॉपिंग के बीच एक यात्री के फसने की एक घटना 16.11.2011 को हुई है। तत्काल सहायता मुहैया करवाने के लिए स्टेशन पर उपस्थित रेल कर्मचारियों द्वारा सभी उपाय किए गए थे, जांच से खुलासा हुआ है कि त्वरित कार्रवाई की गई और रेल अधिकारियों की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124/124-ए के तहत यथा परिभाषित गाड़ी दुर्घटनाओं/अप्रिय घटनों में मृत्यु/चोट के लिए मुआवजा रेल दावा अधिकरण द्वारा दावा की डिक्री दिए जाने और रेलवे का डिक्री से संतुष्ट होने के बाद ही दिया जाता है।

(ग) और (घ) दिल्ली में पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर किसी आपातकालिक स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपकरणों के साथ "इमरजेंसी इक्यूपमेंट रूम्स" स्थापित किए गए हैं। इन स्टेशनों पर एंबुलेंस मुहैया करवाने के लिए भी एक प्रस्ताव लाया गया है। इसके अतिरिक्त, चेन्नै सेंट्रल (दक्षिण रेलवे) और हावड़ा (पूर्व रेलवे) में एम्बुलेंस की सुविधा सहित प्राथमिक उपचार कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। अन्य बड़े स्टेशनों में और अधिक प्राथमिक उचार कक्ष खोले जाने के तौर तरीकों की तलाश की जा रही है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना से संबंधित घरों में सुविधाए

2383. शेख सैदुल हक: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत निर्मित घरों में स्वच्छता एवं जल संबंधी समुचित सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आईएवाई के अंतर्गत निर्मित घरों में समुचित स्वच्छता तथा जल सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) आईएवाई के अंतर्गत निर्मित मकानों में समुचित स्वच्छता तथा जल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को संपूर्ण स्वच्छता अभियान में समेकित कर दिया गया है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय के निर्माण करने वाला आईएवाई लाभार्थी आईएवाई के अंतर्गत इकाई सहायता के अतिरिक्त टीएससी निधियों में से 3200 रु. की राशि प्राप्त कर सकता है। निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को दोहराते हुए राज्य सरकारों को इसे अनिवार्य बनाने के लिए पत्र लिखा गया है कि सभी आईएवाई लाभार्थियों को अगर वे पात्र हो तो, टीएससी के अंतर्गत एक शौचालय मंजूर किया जाए।

आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, आईएवाई परिवार को पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी आईएवाई के कार्यन्वयन के लिए जिम्मेवार एजेंसियों की है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण जल अपूर्ति कार्यक्रम (एनआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत क्रिया-कलापों के साथ आईएवाई के समेकन के जरिए सुनिश्चित किया जाता है।

भूजल के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों के लिए विशेष सिंचाई प्रौद्योगिकी

2384. श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:
श्री पूर्णमासी राम:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों के लिए कोई विशेष सिंचाई संबंधी प्रौद्योगिकी तैयार की है जहां भूजल का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जल संसाधन मंत्रालय ने ऐसे राज्यों, जहां भूमि जल स्तर तेजी से कम हो रहा है, के लिए कोई विशेष सिंचाई प्रौद्योगिकी तैयार नहीं की है। तथापि, जल बचत प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शनार्थ, मंत्रालय किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम (एफपीएआरपी) कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) जल बचत प्रौद्योगिकियों के एफपीएआरपी प्रदर्शन के अंतर्गत, सूक्ष्म सिंचाई (टपक एवं छिड़काव), वर्षा जल संचयन संरचनाओं (जल भंडारण टैंक) का निर्माण, मृदा नमी संरक्षण (मलचिंग, सूखी खेती प्रौद्योगिकी, बेहतर सिंचाई और जल प्रबंधन आदि), चावल सघनता प्रणाली (एसआरआई), ब्राडवेड एवं फर्रो सिंचाई, कम जल वाली सिंचाई, भूमि समतलन/संरूपण, सूक्ष्म सिंचित फसलों/सूखी फसलों वाली कृषि, जीरों टीलेज/जीरो टिल ड्रिल, जल का विविध उपयोग आदि के संबंध में प्रदर्शनात्मक कार्य किए जाते हैं। यह कार्यक्रम, समुचित कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों, आईसीआरआईएसएटी और डब्ल्यूएएलएमआई आदि की सहायता से 21 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार में कार्यान्वित किया जा रहा है।

एनएमडीएफसी का कार्यकरण

2385. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:
श्री शिव कुमार उदासी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) का कार्यकरण संतोषप्रद है; और

(ख) यदि नहीं, तो एनएमडीएफसी के कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के क्रियाकलाप और उपलब्धियों में वर्ष-दर-वर्ष तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान निगम द्वारा 158510 लाभार्थियों के सहायतार्थ 233.26 करोड़ रु. संवितरित किए जा चुके हैं। एनएमडीएफसी द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति वर्ष 2010-11 के दौरान कर ली गयी थी। एनएमडीएफसी के कार्यसंचलन में विस्तार की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा निगम को शेयर पूंजी का अंशदान किया जाता रहा है। निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को 1000 करोड़ रु. से बढ़ाकर वर्ष 2010-11 के दौरान 1500 करोड़ रु. कर दिया गया है। सरकार द्वारा एनएमडीएफसी को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्गत की गई इक्विटी के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	सरकार द्वारा दी गई धनराशि (करोड़ रु. में)
2007-08	70.00
2008-09	75.00
2009-10	125.00
2010-11	115.00
2011-12	115.00

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को और सुदृढ़ करने तथा इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार देने हेतु उपाय सुझाने और इसके पुनर्गठन संबंधी अध्ययन के लिए एक परामर्शदाता फर्म की तैनाति की गयी थी। परामर्शदाता ने हाल ही में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं।

[हिन्दी]

सामाजिक रूप से वांछित परियोजनाएं

2386. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार रेलवे परियोजनाओं में शामिल की गई सामाजिक रूप से वांछित परियोजनाओं का जोनवर ब्यौरा क्या है;

(ख) इन रेलवे परियोजनाओं को उक्त सूची में कब से शामिल किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) 01.04.2011 को 129 चालू नई लाइन परियोजनाएं हैं। इन 129 चालू नई लाइन परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं की प्रतिफल की दर 14 प्रतिशत से अधिक है। अन्य नई लाइन परियोजनाओं को सामाजिक-आर्थिक आधार पर शुरू किया गया है। परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत् प्रक्रिया है एवं प्रत्येक वर्ष नई परियोजनाओं को शुरू किया जाता है। परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं और संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार प्रगति कर रही है। नई लाइन परियोजनाओं की जोनवार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	रेलवे	चालू परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	मरे	4
2.	पूर्व तट	6
3.	पूर्व मध्य	26
4.	पूर्व	10
5.	उत्तर	8
6.	उत्तर मध्य	4
7.	पूर्वोत्तर	5
8.	पूर्वोत्तर सीमा	18
9.	उत्तर पश्चिम	2
10.	दक्षिण	9
11.	दक्षिण मध्य	16
12.	दक्षिण पूर्व	5
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	2
14.	दक्षिण पश्चिम	10
15.	पश्चिम मध्य	1
16.	पश्चिम	3
	जोड़	129

[अनुवाद]

मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा

2387. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक लेखापरीक्षा से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) में पारदर्शिता आयी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अनियमितताओं/भ्रष्टाचार रोकने में सामाजिक लेखापरीक्षा किस हद तक सफल रही है;

(ग) क्या विभिन्न स्तरों पर इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में पंचायतों एवं नागरिक समाज के संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कुछ को सरकार ने पुरस्कृत करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दिए गए ऐसे पुरस्कारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना है। राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में बनाई गई नियमावली का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सामाजिक लेखा परीक्षा द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनियमितताओं/भ्रष्टाचार को किस सीमा तक रोका गया है, इस संबंध में अब तक कोई विशिष्ट अध्ययन/विश्लेषण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) देश में महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन में सिविल सोसायटी आर्गेनाइजेशन और ग्राम पंचायतों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए सरकार ने 2007-08 से "रोजगार जागरूकता पुरस्कार" तथा 2009-10 से "सर्वोत्तम कार्य निष्पादन वाली पंचायत के लिए पुरस्कार" नामक पुरस्कारों को शुरू किया है। वर्ष 2010-11 के लिए अभी तक कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। 2007-08 और 2009-10 में (2008-09 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया) रोजगार जागरूकता पुरस्कार तथा 2009-10 में सर्वोत्तम कार्य निष्पादन वाली पंचायतों के लिए पुरस्कारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्राम पंचायत का सर्वोत्तम कार्य निष्पादन

क्र.सं.	राज्य	ग्राम पंचायत	जिला
1.	छत्तीसगढ़	खेरवाही	दुर्ग
		मचनदुर	दुर्ग
2.	हरियाणा	कलोना	सिरसा
3.	केरल	नेदुमकंदम	इछुकी
		कोटूकल	तिरूवनंतपुरम
4.	महाराष्ट्र	पंडुरनी	नांदेड
5.	राजस्थान	पम्पुरा	भीलवाड़ा
		बडवास छोटी	बांसवाड़ा
6.	सिक्किम	चुबा फोंग	दक्षिण सिक्किम
7.	उत्तम प्रदेश	धामना	झांसी
		धामना खुर्द	झांसी

रोजगार जागरूकता पुरस्कार

क्र.सं.	राज्यों और सिविल सोसायटी आर्गेनाइजेशन का नाम	वर्ष
1.	आशाग्राम ट्रस्ट, मध्य प्रदेश	
2.	रोजगार एवं सूचना अधिकार, राजस्थान	
3.	रूपायन, उड़ीसा	2007-08
4.	उन्नति, गुजरात	
5.	आशा ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश	
6.	प्रदान, उड़ीसा	
7.	स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन, सिक्किम	2009-10

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में प्रतिस्पर्धा

2388. श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री के. सुगुमार:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बड़े उद्यमों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमएसएमई की कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए सरकार ने कोई समिति बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) एमएसएमई मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

निम्नलिखित योजनाओं के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

- लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना।
- एमएसएमई क्षेत्र में आईसीटी (सूचना व संचार प्रौद्योगिकी) का संवर्धन।
- एमएसएमई का प्रौद्योगिकी व गुणवत्ता उन्नयन सहयोग (टीईक्यूयूपी)।
- इनक्यूबेटरों के द्वारा एसएमई के उद्यमिता व प्रबंधकीय विकास हेतु सहायता।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) नामक एक योजना संचालित कर रहा है। योजना का लक्ष्य प्लांट व मशीनरी की खरीदारी के लिए 15% कैपिटल सब्सिडी (अधिकतम 15 लाख रुपये तक सीमित) प्रदान करते हुए सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) के प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता करना है। योजना के तहत सब्सिडी की गणना के लिए पात्र ऋण की अधिकतम सीमा 100 लाख रुपये है। वर्तमान में इस योजना के तहत 48 सुस्थापित तथा परिष्कृत प्रौद्योगिकीयों/उप-क्षेत्रों को अनुमोदित किया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

विपणन सहायता योजना: सरकारी खरीद के लिए एकल बिन्दु पंजीकरण योजना

- टेंडर व कंसोटिया विपणन
- प्रदर्शनी
- क्रेता-विक्रेता बैठकें
- कच्चा माल वितरण

एमएसएमई को क्रेडिट सहयोग

- बैंकों के साथ गठजोड़ व्यवस्था के द्वारा एमएसएमई की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करना।
- कच्चे माल की प्राप्ति तथा विपणन कार्यकलापों का वित्तपोषण

सहयोग सेवाएं:

- लघु उद्यमों हेतु निष्पादन व क्रेडिट रेटिंग योजना
- एमएसएमई के लिए बी2बी पोर्टल
- विपणन आसूचना प्रकोष्ठ

प्रौद्योगिकी सहयोग:

- विभिन्न तकनीकी कार्यो तथा उद्यमिता कार्यक्रमों में प्रशिक्षण
- सामान्य सुविधा सेवाएं

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) जी, हां।

(च) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2003 में चुनिंदा कार्यरत क्लस्टरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारिता के द्वारा गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान करते हुए उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) शुरू की। अवस्थिति, परियोजना लागत, अनुमोदित आईआईयूएस अनुदान तथा विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं को जारी केंद्रीय अनुदान के साथ आईआईयूएस के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में स्थित आईआईयूएस के तहत परियोजनाओं को जारी किया गया केंद्रीय अनुदान (रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य	औद्योगिक	स्थित	परियोजना लागत	आईआईयूएस अनुदान	जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	ऑटो कंपोनेंट्स क्लस्टर	विजयवाड़ा	30.67	23.01	22.32
2.		फार्मा क्लस्टर	हैदराबाद	66.16	49.62	48.13
			योग	**96.83**	**72.63**	**70.45**
3.	असम	कलस्टर	गुवाहाटी	62.28	52.63	15.79
			योग	**62.28**	**52.63**	**15.79**
4.	बिहार	हैंडलूम क्लस्टर	भागलपुर	20.82	15.69	0.00
			योग	**20.82**	**15.69**	**0.00**
5.	छत्तीसगढ़	आयरन एंड स्टील क्लस्टर	रायपुर	55.06	31.76	30.81
			योग	**55.06**	**31.76**	**30.81**
6.		केमिकल क्लस्टर	अहमदाबाद	71.35	41.39	40.15
7.		केमिकल क्लस्टर	अंकलेश्वर	152.83	50.00	49.47
8.	गुजरात	केमिकल क्लस्टर	वापी	54.31	40.49	39.28
9.		जेम एंड ज्वेलरी क्लस्टर	सूरत	61.00	45.61	39.41
10.		टैक्सटाइल क्लस्टर	नरोल	145.30	58.28	17.48
			योग	**484.79**	**235.77**	**185.79**
11.	हिमाचल प्रदेश	फार्मास्युटिकल एंड एलाइड क्लस्टर	बद्दी	80.50	58.28	17.48
			योग	**80.50**	**58.28**	**17.48**
12.	झारखंड	आटो क्लस्टर	आदित्यपुर	65.63	47.79	15.93
			योग	**226.63**	**164.35**	**50.89**

1	2	3	4	5	6	7
13.	कर्नाटक	फाउन्डरी क्लस्टर	बेलगांव	24.78	18.58	18.02
14.		मशीन टूल्स क्लस्टर	बंगलोर	135.50	49.12	47.65
			योग	**160.28**	**67.70**	**65.67**
15.	केरल	कॉयर क्लस्टर	अलापुजा	56.80	42.60	37.61
			योग	**377.36**	**178.00**	**168.95**
16.		आटो कंपोनेंट क्लस्टर	पीतमपुर	62.97	47.23	45.81
17.	मध्य प्रदेश	रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर	जबलपुर	43.93	30.68	10.23
18.		हैंडलूम क्लस्टर	चंदेरी	27.80	20.30	5.75
19.		पंधूरना इंडस्ट्रियल क्लस्टर	छिंदवाड़ा	66.78	43.07	14.36
			योग	**201.49**	**141.28**	**76.15**
20.		आटो कंपोनेंट क्लस्टर	पुणे	59.99	44.99	44.54
21.	महाराष्ट्र	टैक्सटाइल क्लस्टर	इचलकरंजी	65.07	32.70	31.72
22.		इंजीनियरिंग क्लस्टर	नासिक	67.26	42.88	41.59
23.		मराठवाड़ा आटोमोबाइल क्लस्टर	औरंगाबाद	81.35	58.20	17.46
			योग	**273.67**	**178.77**	**135.31**
24.	ओडिसा	मेटालर्जिकल क्लस्टर	जाजपुर	80.60	47.00	45.59
25.		प्लास्टिक, पॉलिमर एंड एलाइड क्लस्टर	बालासोर	81.90	58.28	17.48
			योग	**162.50**	**105.28**	**63.07**
26.	पंजाब	टेक्सटाइल क्लस्टर	लुधियाना	17.19	12.69	12.31
27.		हैंडलूम क्लस्टर	जालंधर	79.49	58.28	17.48
			योग	**96.68**	**70.97**	**29.79**
28.	राजस्थान	मारबल क्लस्टर	किशनगढ़	27.84	20.88	20.66
			योग	**27.84**	**20.88**	**20.66**
29.		आटो कंपोनेंट्स क्लस्टर	चेन्नई	47.49	27.74	26.91
30.		सेरियल्स पल्सेस एंड स्टेपल क्लस्टर	मदुरई	39.96	29.97	29.07

1	2	3	4	5	6	7
31.	तमिलनाडु	फाउंडरी/पंप/मोटर क्लस्टर	कोयम्बटूर	55.30	39.39	38.99
32.		लेदर क्लस्टर	अंबूर	67.34	43.94	43.50
33.		टेक्सटाइल क्लस्टर	तिरूपुर	143.00	50.00	49.50
34.		इंजीनियरिंक क्लस्टर	तिरूचिरापल्ली	102.81	58.28	17.48
			योग	**455.90**	**249.32**	**205.45**
35.	उत्तर प्रदेश	लेदर क्लस्टर	कानपुर	17.65	9.75	6.50
			योग	**17.65**	**9.75**	**6.50**
36.		मल्टी इंडस्ट्री क्लस्टर	हल्दिया	58.85	35.97	34.89
37.	पश्चिम बंगाल	फाउंड्री क्लस्टर	हावड़ा	87.88	40.40	13.47
38.		रबर क्लस्टर	हावड़ा	29.74	15.72	10.48
			योग	**176.47**	**92.09**	**58.84**

[अनुवाद]

विशेष वर्ग के विस्फोटक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट

2389. श्री मनीष तिवारी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ के रूप में अमोनियम नाइट्रेट को वर्गीकृत करने की वैध आशंका, जिसका परिणाम गौण अपराधों को भी इस अधिनियम का उल्लंघन मानने से कठोर दंड में होगा, का ध्यान रखा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके वाणिज्यिक उपयोग, संभलाई, भंडारण तथा बिक्री को विनियमित करने संबंधी कार्य के लिए गठित अंतर-मंत्रालयी समिति के संघटन, संघटन-समय तथा विचारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अमोनियम नाइट्रेट के वाणिज्यिक उपयोग, संभलाई भंडारण, बिक्री को विनियमित करने के विचार के संबंध में उठायी गयी या मंत्रालय द्वारा प्राप्त आपत्तियाँ क्या हैं;

(ङ) भारत में अमोनियम नाइट्रेट उत्पादकों की संख्या कितनी है;

(च) सरकार किस तरह से यह सुनिश्चित करती है कि कृषि जैसे अत्यधिक वैध उपयोग की आड़ में स्रोतित अमोनियम नाइट्रेट विध्वंसक कार्यों के लिए, इस्तेमाल न हो जैसा कि नार्वे में एंडर्स ब्रेविक ने किया था; और

(छ) वर्ष 2004 से 2011 के बीच अमोनियम नाइट्रेट के विपथन/चोरी होने/उठाईगीरी के वर्ष-वार तथा राज्य-वार मामले क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) अमोनियम नाइट्रेट भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना सं. एस. ओ. 1678 (ड.) दिनांक 21/07/2011 द्वारा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 17 के अंतर्गत 'विस्फोटक' के रूप में अधिसूचित है। भागीदारों के सुझावों और आपत्तियों के लिए अमोनियम नाइट्रेट नियमों का एक प्रारूप भी प्रकाशित किया गया है। विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसार अमोनियम नाइट्रेट नियमों का उल्लंघन करने पर विस्फोटक अधिनियम, 1684 की धारा 9 ख के अनुसार दंड दिया जाता है, न कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अनुसार।

(ग) और (घ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अमोनियम नाइट्रेट नियमों के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत

अमोनियम नाइट्रेट की अधिसूचना जारी होने के बाद समिति की तीन बैठकें 9.7.2011, 28.7.2011 और 16.11.2011 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के कार्यालय में हो चुकी हैं। दिनांक 16.11.2011 को हुई पिछली बैठक में विभिन्न संबंधित संगठनों के भागीदारों ने भाग लिया था। पिछली बैठक में समिति ने अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन, आयात, भंडारण, बैगिंग, परिवर्तन और परिवहन से संबंधित विभिन्न परिसरों का दौरा करने के लिए दिनांक 29.11.2011 से 6.12.2011 तक भड़ूच, मुम्बई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, हल्दिया और गोमिया का दौरा करने के लिए एक अंतिम दौरा-कार्यक्रम बनाया है ताकि इन परिसरों के बारे में प्राथमिक जानकारी मिल सके और प्रचलित प्रक्रिया का पता चल सके। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग इस समिति का सह-योजित सदस्य है। समिति अमोनियम नाइट्रेट नियमों के प्रारूप में अस्पष्ट क्षेत्रों का पता लगाने तथा भावी अमोनियम नाइट्रेट नियमों के उद्देश्यों से समझौता किए बिना उनका समाधान करने का प्रस्ताव करती है।

(ङ.) भारत में अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करने वाली निम्नलिखित 5 कंपनियां हैं:

(i) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई

(ii) गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि., भरूच

(iii) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नांगल

(iv) दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तलोजा

(v) स्मार्टकैम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश)

(च) वास्तव में अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत कोई उर्वरक नहीं है। तथापि, तीन उर्वरक कंपनियां, मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल), मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) तथा मैसर्स दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (डीएफपीसीएल) अमोनियम नाइट्रेट की उत्पादक कंपनियां हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सीएएन), जो अमोनियम नाइट्रेट के पिघलने से उत्पादित होता है, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत एक उर्वरक के रूप में शामिल है। मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (जीएनवीएफसी) सीएएन (कैन) का उत्पादक है। मैसर्स एनएफएल, मैसर्स आरसीएफ और मैसर्स डीएफपीसीएल अपने अधिसूचित डीलरों को अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री करता है। इन कंपनियों द्वारा अधिसूचित को बेची गई अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा की निगरानी कंपनियों द्वारा की जाती हैं। डीलर कंपनियों को अपना वचन-पत्र देते हैं कि वे कंपनियों से खरीदे गए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अपने संबंधित औद्योगिक प्रयोजनों के लिए करेंगे/किया है। चूंकि कैन एक उर्वरक है अत: मैसर्स जीएनवीएफसी इस उत्पाद को कृषि प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित डीलरों को बेचता है।

(छ) वर्ष 2004-2011 के दौरान अमोनियम नाइट्रेट के अपवर्तन/चोरी की घटनाओं के संबंध में पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर द्वारा प्रस्तुत वर्षवार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान अमोनियम नाइट्रेट के अपवर्तन/चोरी की घटनाओं के संबंध में पेट्रोलियम और विस्फोट सुरक्षा संगठन नागपुर द्वारा प्रस्तुत वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र.स..	पी.एस. का नाम	पी.एस. मामला सं. और तारीख	जब्त ए.एन. की मात्रा	हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5
1.	**पश्चिम बंगाल** केन्द्रीय अपराध केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	546/2011 दिनांक 21.06.2011	10,00 कि.ग्रा.	1. एस.जी. बाबू, प्रबंधक, वीएमआर 2. नामविराजन प्रबंधक वीएमआर इंटरप्राइज 3. महेश्वरन, खाद्यान मालिक का एजेंट 4. पी.ईक्का, ड्राइवर
2.	**महाराष्ट्र और गोवा** यावल पी.एस.	3022/22 दिनांक 09.06.2011	53 कि.ग्रा.	सुभाष महारू सपकाले
	मरिया कुरटोरिम पी.एस. (गोवा)	100/11 दिनांक 19.09.2011	14 इलेक्ट. डेटोनेटर्स तथा अमोनियम पाउडर की मात्रा ज्ञात नहीं है।	अज्ञात

1	2	3	4	5
3.	**कर्नाटक** शंकरनारायण पीएस उदुपी जिला	60/2011 दिनांक 16.07.2011	2800 कि.ग्रा.	पारस
	शिवाजी सर्किल, भद्रावती, शिमोगा जिला	109/2011 दिनांक 26.08.2011	220 कि.ग्रा.	नागेश
4.	**केरल** मन्नारघाट, पालक्कड़ जिला	251/2011 दिनांक 08.04.2011	2.30 कि.ग्रा.	किलीरानी सालम चामी
		252/2011 दिनांक 08.04.2011	3.40 कि.ग्रा.	बाप्पुट्टी अरापारा
		253/2011 दिनांक 04.08.2011	11.08 कि.ग्राम.	असैईइनर किलिरानी
	वेल्लिकलंगारा, त्रिचुर	592/2011 दिनांक 04.08.2011	12 कि.ग्रा.	बेवी प्रदीप पीतांबरन बाबू
		593/2011 दिनांक 04.08.2011	10 कि.ग्रा.	अज्ञात
	मन्नानथाला त्रिचूर जिला	363/2011 दिनांक 16.08.2011	10 कि.ग्रा.	अज्ञात
5.	**छतीसगढ़** मस्तुरी बिलासपुर	272/2011 दिनांक 17.06.2011	58.4 कि.ग्रा.	पारस राम श्यामवानी
	मस्तुरी बिलासपुर	273/2011 दिनांक 17.06.2011	7 कि.ग्रा.	संतरिफ संतनामी सुपुत्र कार्तिक राम सतनामी
	मस्तुरी बिलासपुर	274/2011 दिनांक 17.06.2011	4.3 कि.ग्रा.	हरिश कुमार सुपुत्र विदेशी राम विश्वकर्मा
6.	**राजस्थान** रोल जिला, नागौर	24/2011 दिनांक 01.04.2011	1.75 कि.ग्रा.	जगमल सिंह
	बुहाना जिला, झुन्झुनू	110/2011 दिनांक 01.04.2011	12.5 कि.ग्रा.	अज्ञात
	खाटू बादी जिला नागौर	30/2011 दिनांक 14.06.2011	4.9 कि.ग्रा.	भंवर लाल
	खंडेला, जिला सीकर	24/2011 दिनांक 01.04.2011	15 कि.ग्रा.	मदन सिंह कुरी
	राजगढ़ जिला, अलवर	270/2011 दिनांक 18.06.2011	100 कि.ग्रा.	पूरनमल सैनी राजेश कुमार
	वानसूर जिला, अलवर	302/2011 दिनांक 05.07.2011	4.5 कि.ग्रा.	रामश्वर दयाल

विशाखापट्टनम से जिला दुर्ग में मैसर्स स्पेशल ब्लॉस्ट लिमिटेड के फैक्टरी परिवार में सुपुर्दगी हेतु भेजे गए एक ट्रक, जिसकी पंजीकरण सं. ए.पी. 35/यू-8088 थी और जिसमें 17 टन एएन था, को मार्ग में बस्तर जिले में लूट लिया गया था। मैसर्स स्पेशल ब्लॉस्ट लिमिटेड द्वारा आईजी पुलिस (दुर्ग रेंज); पुलिस अधीक्षक: पुलिस अधीक्षक; बस्तर जिला आईजी पुलिस (नक्सल विरोधी अभियान) रायपुर को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी।

[हिन्दी]

अमोनियम फॉस्फेट की आपूर्ति

2390. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले दो वर्षों से बिहार को अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक की आपूर्ति रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी है जिन्होंने मंत्रालय को ऐसे पत्र भेजे हैं जिनमें उन्होंने इस उर्वरक की आपूर्ति को रोकने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करायी है; और

(घ) बिहार को अमोनियम फॉस्फेट खाद कब तक उपलब्ध कराने का केन्द्र सरकार का विचार है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) उर्वरक विभाग विभिन्न राज्यों में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके की आपूर्ति की निगरानी करता है। अमोनियम फॉस्फेट के संचलन की वर्तमान उर्वरक विभाग द्वारा निगरानी नहीं की जा रही है। कंपनियां संबंधित विभाग के साथ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित मांग के आधार पर विभिन्न राज्यों को अमोनियम फॉस्फेट की आपूर्ति करती हैं। आज की तारीख तक बिहार सरकार द्वारा अमोनियम फॉस्फेट की किसी आवश्यकता के लिए अनुरोध नहीं किया गया है।

(ग) विभाग में बिहार को अमोनियम फॉस्फेट की आपूर्ति हेतु माननीय सांसद (लोक सभा) श्री बी.एन. प्रसाद महतो का दिनांक 27.07.2011 और 26.08.2011 का पत्र प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, बिहार को अमोनियम फॉस्फेट की आपूर्ति करने संबंधी मुद्दे को रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति में भी उठाया गया था।

(घ) राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। जब कभी राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा, उर्वरकों की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

रेलवे समपारों का बंद होना

2391. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री राकेश पाण्डेय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछली तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान परिव्यक्त रेलवे समपारों का राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे समपारों के बंद होने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे समपारों को बंद करने से पहले कोई यातायात सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे समपारों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे समपारों को फिर से खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों तथा उक्त अवधि के दौरान खोले गए ऐसे समपारों की स्थान-वार संख्या का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) परित्यक्त चौकीदार रहित समपारों के राज्य-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं, बहरहाल, कम यातायात घनत्व के कारण बंद किए गए चौकीदार रहित समपारों की जोनवार संख्या 1.4.2010 को निम्नलिखित हैं:

रेलवे जोन	2010-11	2011-12 (अक्टूबर, 2011 तक)
1	2	3
मध्य	2	0
पूर्व	22	1
पूर्व मध्य	5	1
पूर्वतट	18	7
उत्तर	199	18
उत्तर मध्य	23	13

1	2	3
पूर्वोत्तर	61	16
पूर्वोत्तर सीमा	32	0
उत्तर पश्चिम	51	6
दक्षिण	11	39
दक्षिण मध्य	35	10
दक्षिण पूर्व	20	24
दक्षिण पूर्व मध्य	33	1
दक्षिण पश्चिम	13	3
पश्चिम	44	9
पश्चिम मध्य	1	0

समपारों पर यातायात का स्तर पता लगाने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में नियमित रूप से यातायात सर्वेक्षण करवाया जाता है।

(ङ) चौकीदार रहित समपारों को उचित विचार और अनुमोदन के बाद बंद किया गया है उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार के किसी समपार को दोबारा नहीं खोला गया है।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाओं की समीक्षा

2392. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अपनी चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार उन अनुमोदित परियोजनाओं को छोड़ने का है जो अब आर्थिक रूप से अव्यवहार पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परियोजना-वार क्या कारण हैं;

(ड.) क्या रेलवे का विचार केवल वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं पर ही काम करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालयय में राज्यमंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) इस समय 129 नई लाइन, 45 आमान परिवर्तन और 166 दोहरीकरण परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है. परियोजनाओं की पुनरीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है. इनकी प्रगति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 01.04.2011 को रेलवे को इन परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए 1,25,000 करोड़ रु. की आवश्यकता है. किसी भी स्वीकृत परियोजना का कार्य स्थगित नहीं किया गया है.

(ड.) और (च) रेलें नई लाइन परियोजनाओं का कार्य न केवल वाणिज्यिक लाभ प्रदता के आधार पर बल्कि सामाजिक-आर्थिक तथा सामरिक आधार पर भी आंरभ करती है.

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता में वृद्धि

2393. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का किसानों को कृषि हेतु उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी, नहीं। वर्तमान में, सरकार उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि करने पर विचार नहीं कर रही है। देश में फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की 90% आवश्यकता तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों की 100% आवश्यकता को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसलिए फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी. एंड के.) उर्वरकों तथा इसकी कच्ची सामग्री में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली किसी प्रकार की वृद्धि/कमी का देश में पीएण्डके उर्वरकों की लागत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार ने नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों की पूर्व प्रभावी रियायत योजना के स्थान पर 1.4.2010 से पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति शुरू की है। 1.4.2010 से पहले, सरकार द्वारा पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी वास्तविक लागत से कम निर्धारित की जाती थी और वास्तविक लागत तथा एमआरपी के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा उत्पादकों/आयातकों को राजसहायता के रूप में की जाती थी। एनबीएस नीति के अंतर्गत, पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी को उत्पादकों/आयातकों द्वारा निर्धारित करने के लिए खुला रखा गया है और राजसहायता की राशि को नाइट्रोजन 'एन',

फॉस्फेट 'पी', पोटाश 'के' और सल्फर 'एस' पोषकतत्वों के संदर्भ में वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीएण्डके उर्वरकों और इसकी कच्ची सामग्री में होने वाली किसी वृद्धि/कमी को पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी में समायोजित किया जाता है। चूंकि इसका निर्धारण वार्षिक आधार पर होता है, इसलिए राजसहायता में वृद्धि करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

प्रशासित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने का प्रभाव

2394. श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री गजानन ध. बाबरः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रशासित मूल्य प्रणाली (एपीएम) को समाप्त करने के बावजूद, सरकार का सरकारी क्षेत्र के सभी तेल और गैस उपक्रमों के निवेश निर्णयों में प्रभावी नियंत्रण बरकरार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और गैस क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश करने का निर्णय उनके संबंधित निदेशक मंडल द्वारा लिया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने सा.का.नि. 637(अ.) के तहत दिनांक 1.10.2007 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006, (2006 का 19) अधिसूचित किया है। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, सरकार ने कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के अलावा, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का शोधन, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री विनियमित करने के लिए, सा.का.नि. 638(अ.) के अंतर्गत पांच सदस्यीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना को भी अधिसूचित किया है।

इसी प्रकार, अपस्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र वर्तमान में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा विनियमित किया जा रहा है।

चक्कीपुर पुल

2395. डॉ. राजन सुशांतः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि चक्कीपुर पुल, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रेल प्रचालन बाधित हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त पुल मरम्मत/नवीकरण हेतु रेलवे द्वारा कितनी राशि व्यय की गई और रेल प्रचालन को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। चक्की नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 12.08.2011 को पठानकोट-जोगिन्दर नगर छोटी लाइन (एनजी) खंड पर पुल सं.-32 (चक्की पुल) बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था।

(ख) जी हां। चक्की पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उत्तर रेलवे में पठानकोट-जोगिन्दर नगर एनजी खंड पर पठानकोट से नगरोटासूरियां स्टेशन (लगभग 62 किमी.) तक रेल सेवाएं फिलहाल रद्द कर दी गई हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पुल की मरम्मत/नवीकरण पर रेलवे द्वारा किया गया व्यय नीचे दिया गया है:

वर्ष	किया गया व्यय (लाख रुपयों में)
2008-09	16.36
2009-10	27.56
2010-11	52.95

पुल की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

मनरेगा के अंतर्गत मांग

2396. श्रीमती मेनका गांधीः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के निगरानी तंत्र के पश्चात् महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गम काम की मांग करने वाले ग्रामीण लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) वर्ष 2009-10 में 5.29 करोड़ परिवारों तथा वर्ष 2010-11 में 5.58 करोड़ परिवारों की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 4.55 करोड़ परिवारों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत रोजगार की मांग की है। विगत तीन वर्षों के दौरान रोजगार के लिए मांग में सतत वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 (अक्टूबर, 2011 तक) के दौरान 3.36 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग की है।

[हिन्दी]

चुनाव सुधार

2397. श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री मंगनी लाल मंडल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लोक सभा, विधान सभा और स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु पृथक् मतदाता सूचियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सभी चुनावों हेतु मतदाता सूचियों में एकरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अधीन, लोक सभा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार कराने का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण और उनके पुनरीक्षण कृत्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए हैं। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 243ट और अनुच्छेद 243यक के अधीन पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार कराने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, राज्य निर्वाचन आयोगों को सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 15 यह उपबंध करती है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी और उक्त अधिनियम की धारा 13घ(1) यह उपबंध करती है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा।

पंचायत और नगरपालिका निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराना और उनका पुनरीक्षण कराना, राज्य विधियों द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ग) स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए संसदीय तथा सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को विधि द्वारा अंगीकार करना, राज्य सरकारों का कार्य है।

[अनुवाद]

एलपीजी डीलरशिप

2398. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक के चिक्कोडी क्षेत्र में खोले गए एलपीजी डीलरशिप तथा डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का कर्नाटक के हुक्केरी-अथनी-चिक्कोडी और चिक्कोडी के रायबाग तालुक में एलपीजी डीलरशिप आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन एजेंसियों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों और अप्रैल, 2011 से सितंबर, 2011 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने कर्नाटक के चिक्कोडी क्षेत्र में एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 7 खुदरा बिक्री केंद्र चालू किए हैं। उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक के चिक्कोडी क्षेत्र में कोई एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप चालू नहीं की गई थी।

(ख) से (घ) ओएमसीज ने कर्नाटक के चिक्कोडी क्षेत्र में हुक्केरी, अठानी, चिक्कोडी और रायबाग तालुकों में 8 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने की योजना बनाई है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं।

क्र.सं.	स्थल का नाम	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या
1.	हुक्केरी	03
2.	अठानी	02
3.	चिक्कोडी	02
4.	रायबाग	01

चूँकि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें विज्ञापन देना, आवेदन पत्र फार्म प्राप्त करना, इनकी संवीक्षा, उम्मीदवारों का चयन, चयनित उम्मीदवारों के प्रत्यय पत्रों का क्षेत्र सत्यापन, बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, विभिन्न अनिवार्य लाइसेंस और अनुमोदन प्राप्त करना शामिल होते हैं, अत: उचित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आबंटन प्रभावी होगा।

महाराष्ट्र से भूमि हेतु निवेदन

2399. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को महाराष्ट्र सरकार से अमरावती जिले के अचलपुर में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी) द्वारा वस्त्र कारखाना स्थापित करने के लिए रेल भूमि के हस्तांतरण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की प्रतिक्रिया क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए पट्टे/विनियम आधार पर अचलपुर में रेलवे भूमि जिसकी माप लगभग 7.73 एकड़ है के हस्तांतरण के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है, इस संबंध में मौजूद नीति और अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

शिष्टमंडल दौरे हेतु निधि

2400. चौधरी लाल सिंह: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कारोबारी शिष्टमंडल ने लघु उद्योग क्षेत्र में उन्नयन/नए क्षेत्रों का पता लगाने, प्रौद्योगिकी उपयोग में लाने के बाजार की तलाश आदि हेतु विदेशों का दौरा किया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गयी धनराशि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे दौरों से किस हद तक लाभ प्राप्त हुआ है/प्राप्त होने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (ग) जी, हां। इस मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना के तहत प्रौद्योगिकी अंतरण/उन्नयन के नए क्षेत्रों को खोजने, संयुक्त उद्यमों को सुलभ बनाने, एमएसएमई उत्पादों के बाजार में सुधार लाने, विदेशी सहयोग, आदि के लिए अन्य देशों को एमएसएमई व्यवसाय प्रतिनिधिमंडलों की नियुक्ति के लिए पंजीकृत सोसायटियों, उद्योग/उद्यम संघों, राज्य/केंद्र सरकार के संगठनों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से संबद्ध ट्रस्टों और संगठनों को प्रतिपूर्ति आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एमएसएमई के लिए इस प्रकार के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल पर्याप्त लाभदायी होते हैं, क्योंकि इससे उन्हें भारतीय एमएसएमई के लिए निर्यात बाजार तलाशने में, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसाय नेटवर्क तक पहुंच बढ़ाने, प्रौद्योगिकी उत्रयन/आधुनिकीकरण, बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता, बेहतर विनिर्माण प्रकार्यों के प्रति जागरूकता आदि में मदद मिलती है।

सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (31.10.2011तक) के दौरान आईसी योजना के तहत प्रयुक्त फंडों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नोक्त है:

वर्ष	प्रयुक्त राशि (लाख रु. में)
2008-09	175.00
2009-10	200.00
2010-11	399.42
2011-12 (31.10.2011 तक)	101.04

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों का आवंटन

2401. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों विशेषकर महाराष्ट्र में खोले गए/प्रस्तावित पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों का कंपनी-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के उन क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां कोई भी पेट्रोल पंप नहीं खोला गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल पंपों/गैस एजेंसियों, जिनके लिए संवीक्षा की गई, की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर उन क्षेत्रों के संदर्भ में जहां कोई सुविधा नहीं है, और अधिक पेट्रोल पंपों/गैस एजेंसियों की शीघ्र स्थापना हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्यालय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) सार्वजनक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसी) द्वारा सर्वेक्षणों और व्यवहार्यता अध्ययनों पर आधारित उपयुक्त स्थलों पर नए खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स स्थापित की जा रही हैं। पर्याप्त संभाव्यता और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य स्थलों को ओएमसीज की विपणन योजनाओं रोस्टरबद्ध कर लिया जाता है। इन क्षेत्रों में आरओज और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की सघनता, संबंधित स्थल के जनसंख्या घनत्व, आर्थिक समृद्धि और मौजूदा निकटवर्ती डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर से दूरी आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल-सितंबर, 2011) के दौरान ओएमसीज द्वारा देश में और महाराष्ट्र में खोले गए और खोले जाने के लिए प्रस्तावित आरओज और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	देश में		महाराष्ट्र में	
	आरओ	एलपीजी	आरओ	एलपीजी
आईओसी	2773	433	186	18
एचपीसी	2271	205	231	36
बीपीसी	1405	283	151	23
कुल	6449	921	568	77

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल-सितंबर, 2011) के दौरान देश में और महाराष्ट्र में उन आरओज और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की संख्या नीचे दी गई है जिनके लिए ओएमसीज द्वारा आशय पत्र (एलओआईज) जारी कर दिए गए हैं और जिन्हें अभी चालू किया जाना है:

	देश में		महाराष्ट्र में	
	आरओ	एलपीजी	आरओ	एलपीजी
आईओसी	2045	141	155	11
एचपीसी	2175	123	268	29
बीपीसी	2031	357	261	63
कुल	6251	621	684	103

डीडीपी/डीपीएपी/टीएडी के अंतर्गत परियोजनाएं

2402. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
श्री भरत राम मेघवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और जनजातीय विकास (टीएडी) परियोजनाओं की तर्ज पर मरू भूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अंतर्गत आने वाले परियोजनाओं के अनुमोदन पर सहमत है; और

(ख) सरकार द्वारा शेष डीडीपी परियोजना को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) भूमि संसाधन विभाग 1995-96 से ही वाटरशेड आधार पर तीन क्षेत्री कार्यक्रमों अर्थात् मरूभूमि विकास कार्यक्रम

(डी.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों को 26.2.2009 से 'एकीकृत एवं' समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम' (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) नामक एक एकल संशोधित कार्यक्रम में एकीकृत एवं समेकित कर दिया गया है जिसे वाटरशेड विकास परियोजना, 2008 हेतु सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। आईडब्ल्यूएमपी के तहत वाटरशेड के लिए प्राथमिकता/चयन हेतु क्षेत्रों का न्यूनतम अंतरिम आबंटन करते समय डीडीपी/डीपीएपी क्षेत्रों का उचित ध्यान रखा जाता है। आईडब्ल्यूएमपी के तहत संबंधित राज्य की राज्य स्तर की नोडल एजेंसी (एसएलएनए) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ख) वर्ष 2006-07 के बाद, डीडीपी, डीपीएपी तथा आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत किसी नयी परियोजना का स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

लखनऊ-पीलीभीत आमान परिवर्तन

2403. श्री ज़फर अली नकवी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का लखनऊ से पीलीभीत बरास्ता लखीमपुर खंड पर आमान परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस पर अभी तक कितनी निधि आवंटित की गई है/व्यय की गई है; और

(घ) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सीतापुर, लखीमपुर के रास्ते लखनऊ-पीलीभीत आमान परिवर्तन परियोजना (262.76 कि.मी.) को 715.75 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर रेल बजट 2011-12 में शामिल कर लिया गया है। परियोजना के लिए प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। 2011-12 के दौरान इसके लिए 1.0 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है।

(घ) फिलहाल कोई लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

बरवाडीह-अंबिकापुर रेल लाइन

2404. श्री इंदर सिंह नामधारी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का बरवाडीह से अंबिकापुर तक जिसका सर्वेक्षण कार्य पहले ही किया जा चुका है, रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त मार्ग पर रेल लाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अम्बिकापुर-बरवाडीह (182 किमी.) के बीच नई लाइन के लिए एक अद्यतन टोह-इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पूरा किया गया है और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 1137.12 करोड़ रु. आंकी गई है और प्रतिफल की दर 8.61% है।

(ग) और (घ) यह कार्य अभी स्वीकृत किया जाना है।

मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थी

2405. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत हरियाणा सहित देश में कार्यरत 18-21 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रोजगार प्रदान करते समय आयु को ध्यान में रखा जाता है और योजना के अंतर्गत मजदूरी क्या है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की अनुसूची-II के पैरा 1 में यह निर्धारित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, जॉब कार्ड जारी करने के लिए अपने परिवार को पंजीकृत करने के लिए आवेदन कर सकता है ताकि वह कार्य के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हो सके। आवश्यक जांच करने के बाद परिवारों को पंजीकृत करना तथा जॉब कार्ड जारी करना ग्राम पंचायत का कर्तव्य है। तथापि, अधिनियम के अंतर्गत, सिर्फ जॉब कार्ड जारी करने से परिवार रोजगार प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं बनता।

अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 9 के अंतर्गत, परिवार को रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन भी करना होता है तथा रोजगार मांग करने पर उपलब्ध कराय जाता है। अधिनियम में दिए गए अधिदेश के अनुसार, राज्य सरकारों को अकुशल शारीरिक श्रम की माँग की जाने पर एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 100 दिनों का गांरटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना होता है। मनरेगा के अंतर्गत 18-21 वर्ष के आयु समूह में आने वाले लोगों को उपलब्ध कराए गए रोजगार से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतियोगिता अधिनियम

2406. श्री के. सुधाकरणः
श्री ताराचंद्र भगोराः

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 को स्वतः स्पष्ट बनाने के लिए और उपबंध शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की भारतीय प्रतियोगिता आयोग (सीसीआई) के जांच निदेशालय को अन्य एजेंसियों की तरह तलाशी, जब्ती और छापे मारने जैसी शक्तियां प्रदान करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सरकार ने एक समिति गठित की है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2002 को और प्रभावी बनाने हेतु सुधार सुझाएगी। समिति का कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) सरकार के विचाराधीन वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बागेश्वर के लिए रेल संपर्क

2407. श्री संजय सिंह चौहानः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का उत्तराखंड में हल्द्वानी से बागेश्वर तक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हाई-स्पीड रेलगाड़ी

2408. श्री निखिल कुमार चौधरीः
श्री बलीराम जाधवः
श्री रामसिंह राठवाः
श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हाई-स्पीड यात्री रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन हेतु चयनित कोरिडोरों की, कोरिडोर-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कुछ घरेलु/विदेशी कंपनियों ने योजना को मूर्त रूप देने हेतु अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेल मंत्रालय ने पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए छः कॉरिडोरों का चयन किया है। सभी मामलों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं और विदेशी फर्मों के साथ-साथ कई घरेलू फर्मों ने भी उनमें हिस्सा लिया है। ये गलियारे हैं:

(i) दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर (लगभग 450 किमी)

(ii) पुणे-मुम्बई-अहमदाबाद (लगभग 650 किमी)

(iii) हैदराबाद-द्रोणाकल-विजयवाड़ा-चेन्नै (लगभग 664 किमी)

(iv) चेन्नै-बैंगलोर-कोयम्बटूर-एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम (लगभग 820 किमी)

(v) हावड़ा-हल्दिया (लगभग 135 किमी)

(vi) दिल्ली-आगरा-लखनऊ-वारणसी-पटना (लगभग 991 किमी)

(ग) इन छः गलियारों में से चार गलियारों के लिए परामर्शदाताओं का चयन कर लिया गया है और इनके अध्ययन प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) रेल मंत्रालय ने नियोजन, मानक तैयार करने, उच्च गति वाली रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय उच्च गति रेल प्राधिकरण (एनएचएसआरए) की स्थापना करने का भी विनिश्चय किया है।

[अनुवाद]

आईडीपीएल का पुनरूद्धार

2409. श्री जयंत चौधरीः
श्री हेमानंद बिसवालः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) के पुनरूद्धार करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईडीपीएल वर्तमान स्थिति में अधिकांश लोगों को उचित दरों पर सामान्य औषधियाँ प्रदान करने में सक्षम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां। आईडीपीएल से प्राप्त पुनरूद्धार योजना से संबंधित मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और इस संबंध में एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। आईडीपीएल का पुनरूद्धार जनहित लक्ष्यों पर आधारित है और पुनरुद्धार हो जाने पर आईडीपीएल से यह आश की जाएगी कि वह इन जनहित लक्ष्यों की पूर्ति करे। ये जनहित लक्ष्य इस प्रकार हैं–जन स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में सरकार की सहायता करना तथा आम आदमी के लिए जेनेरिक दवाइयों के वाज़िब मूल्य और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना।

(ग) और (घ) जी हां। उन 87 दवाइयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिनका आईडीपीएल द्वारा अपने कारखाने में उत्पादन किया जा रहा है।

विवरण

आईडीपीएल द्वारा अपने कारखाने में निर्मित की जा रही कुल औषधियों की सूची

क्र.सं.	जेनेरिक/ब्राड वाली औषधियां	पैक का आकार
1	2	3
1.	केप एमोक्सीसिलिन + क्लोक्सासीलीन (250+250 एमजी)	10x10
2.	केप एमोक्सीसिलिन 250 एमजी/आईडिमोक्स	10x10
3.	केप एमोक्सीसिलिन 500 एमजी/आईडिमोक्स	10x10
4.	केप एमोक्सीसिलिन 250 एमजी/ब्रोसील	10x10
5.	केप एमोक्सीसिलिन 500 एमजी/ब्रोसील	10x10
6.	केप एमोक्सीसिलिन+क्लोक्सासिलीन (250+250 एमजी)	10x10
7.	केप सिबेक्सिन-जेड	10x10
8.	केप सिफ्लाक्सिन 250 एमजी/सिफल	10x10
9.	केप सिफ्लाक्सिन 500 एमजी/सिफल	10x10
10.	केप डोक्सीसिलिन 100 एमजी/वाइवोसिसिलिन	10x10
11.	केप फ्लूकोनाजोल 150 एमजी/आईडिकोन	10x10

1	2	3
12.	केप इंडोमिथासिन 25 एमजी/आईडीसीन	10×10
13.	केप आईडिग्लोबिन	10×10
14.	केप ओमप्राजोल 20 एमजी/आईडियाप्राजोल	10×10
15.	केप टिट्रासाईक्लिन 250 एमजी/आईडिलीन	10×10
16.	केप टिट्रासाईक्लिन 500 एमजी/आईडिलीन	10×10
17.	इंज एट्रोपीन सल्फेट 2 एमएल	एएमपी
18.	इंज डेक्सामिथासोन आईपी 2 एमएल/आईडीजोन	एएमपी
19.	इंज डाइक्लोफेनेक सोड 3 एमएल/आईडिनेक	एएमपी
20.	इंज ईटीओ + थियोफिलीन	एएमपी
21.	इंज फ्रूसिमीड 2 एमएल/सेलिनेक्स	एएमपी
22.	इंज जेटामाइसीन 2 एमएल/जेनसिल	एएमपी
23.	इंज पेंटाजोसिन 1 एमएल	एएमपी
24.	इंज रानिटाईडीन आईपी 2 एमएल	एएमपी
25.	ओसीपी	28, एस
26.	ऑरल पाउडर ओआरएस 20.5 जीएम	पैक्ट
27.	सॉलन पोविडन आयोडीन 5%	बोतल
28.	सिरप ड्राई एमोक्सिलीन 60 एमएल/आईडिमोक्स	बोतल
29.	सिरप ड्राई एमोक्सिलीन 60 एमएल/आईडिमोक्स	बोतल
29.	सिरप ड्राई एम्पीसिलीन 60 एमएल/ब्रोसील	बोतल
30.	सिरप लिक्यु डिकॉस 110 एमएल	बोतल
31.	सिरप लिक्यु डिकॉस 450 एमएल	बोतल
32.	सिरप लिक्यू पैरासीटामोल 60 एमएल	बोतल
33.	सिरप संस्पै को-ट्रिमोक्साजोल 60 एमएल	बोतल
34.	टेबलेट एलबैनडाजोल 400 एमजी/एल्जोल	10×10
35.	टेबलेट एल्माजेल	10×10

1	2	3
36.	टेबलेट एम्लोडिपाइन 2.5 एमजी	10×10
37	टेबलेट एम्लोडिपाइन 5 एमजी	10×10
38.	टेबलेट एटोर्वास्टेटीन 10 एमजी/आईडिटर	10×10
39.	टेबलेट एटोर्वास्टेटीन 20 एमजी/आईडिटर	10×10
40.	टेबलेट एजिथ्रोमाईसीन 250 एमजी	10×10
41.	टेबलेट एजिथ्रोमाईसीन 500 एमजी	10×10
42.	टेबलेट सिफाड्रोक्सील 500 एमजी/आईड्रोक्सील	10×10
43.	टेबलेट सीट्राजीन हाईड्रोक्लोराइड 10 एमजी/आईडिसैट	10×10
44.	टेबलेट क्लोरोफीनिरामाईन मेलेट 4 एमजी	10×10
45.	टेबलेट क्लोरोक्यूईन फास्फेट 250 एमजी/आईडिक्यीन	10×10
46.	टेबलेट सिपरोफलोक्सासीन + टीजेड एसएस/सिपोरल-टीजेड एसएस	10×10
47.	टेबलेट सिपरोफलोक्सासीनी + टीजेड डीएस (500+600)/सिपोरल-टीजेड डीएस	10×10
48.	टेबलेट सिपरोफलोक्सासीन 250 एमजी/सिपोरल	10×10
49.	टेबलेट सिपरोफलोक्सासीन 500 एमजी/सिपोरल	10×10
50.	टेबलेट को-ट्रिमोक्साजोल पाइड	10×10
51.	टेबलेट को-ट्रमोक्साजोल डीएस	10×10
53.	टेब डायजापाम 5 एमजी	10×10
54.	टेबलेट डिक्लोफेनिक सोड + पैरा (50+500) एमजी/आईडिनेक-पी	10×10
55.	टेबलेट डिक्लोफेनिक सोड 50 एमजी	10×10
56.	टेबलेट डिक्लोमाइनएचसीएल + पैरा (20+500 एमजी/स्पासमाइजोल)	10×10
57.	टेबलेट डोमपैरीडोन 10 एमजी/आईडिडोम	10×10
58.	टेबलेट इरीथ्रोमाइसीन स्टिरेट 250 एमजी/थ्रोमाइसीन	10×10
59.	टेबलेट इरीथ्रोमाइसीन स्टिरेट 500 एमजी/थ्रोमाइसीन	10×10
60.	टेबलेट फामोटाइडीन 20 एमजी	10×10
61.	टेबलेट फामोटाइडीन 40 एमजी	10×10

1	2	3
62.	टेबलेट फ्रूसीमाइड 40 एमजी/सेलीनेक्स	10×10
63.	टेबलेट ग्रीसोफ्लवीन-125 एमजी/आईडिफ्लवीन	10×10
64.	टेबलेट ग्रीसोफ्लवीन-250 एमजी डीएस/आईडिफ्लवीन	10×10
65.	टेबलेट आईबीयू+पैरासीटामोल	10×10
66.	टेबले लीवोफ्लोक्सासीन 250 एमजी/आईडीफ्लोक्स	10×10
67.	टेबलेट लीवोफ्लोक्सासीन 500 एमजी/आईडीफ्लोक्स	10×10
68.	टेबलेट मीबेनडाजोल-100 एमजी/आईडीबैंड-100	10×10
69.	टेबलेट मीथाक्साप्रीम 160+800	10×10
70.	टेबलेट मीट्रोनिडालोज 200 एमजी/कॉम्पेबा-200	10×10
71.	टेबलेट मीट्रोनिडाजोल 400 एमजी/कॉम्पेबा-400	10×10
72.	टेबलेट नीमरयुलीड 100 एमजी/आईडिनीम	10×10
73.	टेबलेट नॉरफ्लोक्सासीन+टिनीडाजोल (400+600) एमजी/आईडीनॉर-जेड	10×10
74.	टेबलेट नॉरफ्लोक्सासीन 400 एमजी/आईडीनॉर-400	10×10
75.	टेबलेट ऑफ्लोडीन + ऑरनीडाजोल	10×10
76.	टेबलेट ऑफ्लोक्सासीन 200 एमजी/ऑफ्लोडील	10×10
77.	टेबलेट ऑफ्लोक्सासीन 400 एमजी/ऑफ्लोडील	10×10
78.	टेबलेट पैरासीटामोल 500 एमजी/आईडीमोल	10×10
79.	टेबलेट फेनेरामाइन मेलेट 25 एमजी	10×10
80.	टेबलेट पाईराजीनामाइड 500 एमजी/आईडीजी नामाइड	10×10
81.	टेबलेट रानीटाईडीन 150 एमजी/आईडीरन	10×10
82.	टेबलेट रानीटाईडीन 300 एमजी/आईडीरन	10×10
83.	टेबलेट रॉक्सिथ्रोमाइसीन 150 एजी/आईडीरॉक्स	10×10
84.	टेबलेट सल्बूटामोल 2 एमजी	10×10
85.	टेबलेट सल्बूटामोल 4 एमजी	10×10
86.	टेबलेट टिनीडाजोल 300 एमजी/आईडीटीन-300	10×10
87.	टेबलेट विटामिन बी कॉम्पलेक्स (परोफेलेटीक) एनएफआई	10×10

अलीपुरद्वार- बामनहट रेल लाइन

2410. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:
श्री मनोहर तिरकी;

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलीपुरद्वार-बामनहट रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य काफी लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) अलीपुरद्वार-बामनहाट खंड के आमान परिवर्तन को 07.11.2011 से यात्री सेवाओं के लिए पहले ही खोल दिया गया है.

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पोषक तत्व आधारित उर्वरक राजसहायता व्यवस्था में परिवर्तन

2411. श्रीमती अन्नू टंडन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पोषकतत्व आधारित उर्वरक राजसहायता व्यवस्था में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी नहीं, पोषकतत्व आधारित राजसहायता व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

एचएएल को वित्तीय सहायता

2412. श्री संजय दिना पाटील: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट के आधार पर हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), पिम्परी को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यशील पूंजी में वृद्धि से एचएएल की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से एचएएल उत्पादों के विपणन के लिए किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में परिकल्पित योजना का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना)

(क) से (ग) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के पुनर्वास पैकेज के बाद अनुमोदित पुनरूद्धार पैकेज और अन्य प्रस्तावों के कार्यान्वयन का शीघ्र अध्ययन करने का कार्य एचएएल ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को सौंपा था। आईएफसीआई ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2011 में सौंप दी थी। आईएफसीआई की सिफारिशों की प्रमुख बातों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है-बिक्री को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए से अधिक करना, संयंत्रों का विश्व स्वास्थ्य संगठन-उत्तम निर्माण पद्धतियों (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) के अनुरूप उन्नयन करना, श्रमशक्ति को युक्तिसंगत बनाना, खरीद अधिमानत: नीति को आगामी तीन से चार वर्ष तक जारी रखना तथा कारोबार योजना तैयार करना। एचएएल ने यह अनुमान लगाया है कि इस संबंध में कुल 211.91 करोड़ रुपए की रकम की आवश्यकता होगी जिसमें शामिल है-सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन, कार्यकारी पूंजी मार्जिन निधि, परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निधियां, आदि। एचएएल ने भूमि की बिक्री तथा भूमि का वाणिज्यिक विकास करके अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का पता लगाया है। सेतु ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता से संबंधित एचएएल के प्रस्ताव सरकारों के विचाराधीन हैं।

(घ) एचएएल द्वारा खरीद अधिमानत: नीति (पीपीपी) के अधीन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय सहित संस्थागत खरीदारियों के लिए दवाइयों की आपूर्ति की गई। खरीद अधिमानत: नीति (पीपीपी) की अवधि 6 अगस्त, 2011 को समाप्त हो गई और मंत्रालय खरीद अधिमानत: नीति (पीपीपी) की अवधि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

एचएमटी की अप्रयुक्त भूमि

2413. श्री के. पी. धनपालन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) की अप्रयुक्त भूमि को वापस लेने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सड़क उपकर लगाना

2414. डॉ. मुरली मनोहर जोशीः
श्री अनंत कुमार हेगड़ेः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर सड़क उपकर लगाती है;

(ख) यदि हां, तो यह उपकार कब से लगाया जा रहा है और ऐसे उपकर लगाने के पश्चात डीजल और पेट्रोल के मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सितंबर, 2011 तक उपकर के रूप में कुल कितनी राशि संग्रहित की गई; और

(घ) ऐसे उपकरों के माध्यम से वार्षिक रूप से औसतन कितनी राशि संग्रहित की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्तमान समय में पेट्रोल और डीजल पर 2 रु. प्रति लीटर की दर से एक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एईडी) प्रमार्य है। यह उद्ग्रहण वित्त अधिनियम, 1998 के तहत पेट्रोल पर और वित्त अधिनियम, 1999 के तहत डीजल पर लगाया गया है। वित्त वर्ष 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) का संग्रहीत राजस्व लगभग 8806 करोड़ रु. (अनंतिम) है। वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान एईडी से संग्रहीत राजस्व क्रमशः 16591 करोड़ रु. और 16979 करोड़ रु. है। दिल्ली में डीजल और पेट्रोल का मूल्य (एईडी सहित) क्रमशः 40.91 रु./लीटर और 65.64 रु./लीटर है।

[अनुवाद]

2415. श्री चार्ल्स डिएसः
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः
श्रीमती सुशीला सरोजः
श्री दारा सिंह चौहानः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को अजमेर जाने वाली समस्त महत्त्वपूर्ण रेलगाड़ियों को केरल के तृपूणित्तरा रेलवे स्टेशन, पूर्व मध्य रेलवे के मोतीपुर रेलवे स्टेशन, लखनऊ मंडल में सीतापुर जिले के अटरिया और हरौनी स्टेशन तथा पूर्व रेलवे में मुहम्मदाबाद और रसड़ा स्टेशनों पर ठहराव प्रदान करने तथा गोरखपुर-यशवंतपुर रेलगाड़ी को बरास्ता मऊ-आजमगढ़-शाहगंज-फैजाबाद चलाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इसकी जाँच की गई थी लेकिन फिलहाल इसे क्रियान्वयन के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

एनएसआईसी का योगदान

2416. श्री प्रदीप मांझीः
श्री किसनभाई वी. पटेलः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विकासशील देशों में परियोजनाओं की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार और देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान एसएसआई सेक्टर के विकास में एनएसआईसी का योगदान क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा एसएसआई क्षेत्र में एनएसआईसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) और (ख) : विगत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी), एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने दक्षिण अफ्रीका में तीन परियोजनाएं स्थापित की हैं। एनएसआईसी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नोक्त है:

वर्ष	सामग्रियों/परियोजनाओं का विवरण	स्थापना एवं आरंभ का वर्ष
2008-09	टॉयलट रोल मेकिंग प्लांट (मैसर्स एसईडीए, दक्षिण अफ्रीका के साथ)	जनवरी, 2009
	एक्सरसाइज़ नोट बुक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट (मैसर्स केएक्सएन -डीईडी, दक्षिण अफ्रीका के साथ)	मार्च, 2009
2009-10	प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन (मैसर्स एसएनटीडीसी, दक्षिण अफ्रीका के साथ)	जुलाई, 2009

(ग) देश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए एनएसआईसी द्वारा आरंभ किए गए कार्यकलाप संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) एनएसआईसी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तथा इसे एमएसएमई के लिए विपणन समर्थन कार्यक्रमों के समन्वयन के लिए एक शीर्ष संगठन बनाने के लिए सरकार ने तीन वर्षों में एनएसआईसी को 300 करोड़ रु. का इक्विटी समर्थन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जो निम्न प्रकार से है :

वर्ष	राशि
2011-12	155 करोड़ रु. (ब.अ. 2011-12 में उपलब्ध कराया गया)
2012-13	75 करोड़ रु.
2013-14	70 करोड़ रु.

विवरण

एनएससीआई की विभिन्न स्कीमों और गतिविधियों के बारे में नोट

(i) **निविदा विपणन स्कीम** : निगम लघु पैमाने की इकाइयों की ओर से केंद्रीय और राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की थोक वैश्विक निविदा इनक्वायरीज और स्थानीय उद्यमों में भाग लेता है। इसका उद्देश्य उन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करना है जिनके पास अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के विनिर्माण की क्षमता है लेकिन ब्रांड इक्विटी और विश्वसनीयता की कमी है या सीमित वित्तीय क्षमता है। इस स्कीम के तहत निगम ने बड़ी संख्या में मदों की पहचान की है जिनके लिए यह इन विभागों और उद्यमों की इकाइयों को ठेके पर दे देता है जिनकी ओर से इसने दर उद्धृत किया है।

(ii) **संकाय विपणन स्कीम** : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निजी तौर पर प्राय: बड़े आर्डर लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विकास बाधित और सीमित होता है। तदनुसार एनएसआईसी ने संकाय दृष्टिकोण अपनाया और समान उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों का समूह/संकाय बनाया जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विपणन संबंधी समस्या समाप्त हो गई। निगम थोक मात्रा के लिए बाजार की तलाश करता है और आर्डर्स प्राप्त करता है। इन आदेशों को फिर लघु इकाइयों को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार ठेके पर दे दिया जाता है।

(iii) **सरकारी स्टोर पर्चेज कार्यक्रम** : सरकार अनेक प्रकार की वस्तुओं का एकमात्र सबसे बड़ा क्रेता है। लघु उद्योग क्षेत्र से खरीद की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 1955-56 में सरकारी स्टोर पर्चेज कार्यक्रम आरंभ किया। एनएसआईसी सरकारी खरीद के लिए सिंगल प्वाइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को पंजीकृत करता है।

(iv) **कच्चे माल सहायता स्कीम** : इस स्कीम का उद्देश्य कच्चे माल (देशी और आयातित दोनों) की खरीद का वित्तपोषण करके लघु उद्योगों/उद्यमों की सहायता करना है। यह एमएसई को गुणवत्ता उत्पादों का दिशानिर्देश करने पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है।

(v) **वाणिज्यिक बैंकों के साथ समझौता के जरिए एमएसएमईजी को ऋण सुविधाः** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पेश आने वाली बड़ी चुनौतियों में से एक वित्तीय सूचना की कमी और अनौपचारिक व्यवसाय पद्धतियों के कारण वित्त तक अपर्याप्त पहुंच है। इस संबंध में एनएसआईसी, एमएसएमई को अपने ऋण प्रस्ताव तैयार करने और वाणिज्यिक बैंकों से ऋण मंजूर कराने में सहायता करता है। एनएसआईसी ने सावधि ऋण की स्वीकृति और कार्यशील पूंजी की सुविधा के लिए दस बैंकों (अर्थात् यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूसीओ बैंक, ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, येस बैंक, एक्सिस बैंक, करूर वैश्य बैंक, एचएसबीसी और चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक) के साथ समझौता किया है।

(vi) **एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्रों (एनटीएससी) के जरिए एमएसएमईजी को प्रौद्योगिकी सहायता :** एनटीएससी अपनी विभिन्न शाखाओं और विस्तार केंद्रों के माध्यम से मटेरियल टेस्टिंग, मशीनिंग, ईडीएम, सीएनसी सुविधा, ऊर्जा एवं पर्यावरण सेवाएं, क्लासरूम और कौशल उन्नयन के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में सामान्य सुविधा और सहायता सेवाएं मुहैया कराते हैं।

(vii) **इनफोमीडियरी सेवाएंः** एनएसआईसी निविदा और व्यापार सूचना भारत विदेश में प्रौद्योगिकीय संसाधनों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लीड्स, संयुक्त उद्यम के अवसरों, सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों, एमएसएमई से संबंधित बड़े डाटाबेस आदि के संबंध में सूचना सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये सुविधाएं एनएसआईसी द्वारा अपने सदस्यों द्वारा आनलाइन की जाती हैं। इसके अलावा एनएसआईसी ने अपना वेबसोर्टल आरंभ किया है जो कि www.nsicindia.com और www.nsicparteners.co पर उपलब्ध है। इसमें लगभग 25000 भारतीय एमएसएमई और 23 देशों में प्रतिपक्षी संगठनों के बारे में बिजनेस टू बिजनेस सुविधा के लिए जानकारी दी गई है।

(viii) **ट्रेनिंग-कम-इन्क्यूबेटरः** इन्क्यूबेशन अर्थात चुनिंदा उद्यमों के चयन और प्रचालन में एमएसएमईज की सहायता करना, उद्यमशीलता को बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। एनएसआईसी ने छोटे उद्यमियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए नई दिल्ली हावड़ा और गुवाहाटी में इस प्रकार के तीन ट्रेनिंग-कम-इन्क्यूबेटर (टीआईसी) केन्द्रों की स्थापना की है। अपनी टीआईसी के अतिरिक्त एनएसआईसी ने देश भर में एमएसएमई को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत एनएसआईसी-ट्रेनिंग-कम-इन्क्यूबेटर सेंटर (एनएसआईस-टीआईसी) की स्थापना द्वारा निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाना आरंभ किया। सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत इस प्रकार के 35 एनएसआईसी-ट्रेनिग-कमइन्क्यूबेटर सेंटर की स्थापना की गई है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की निम्नलिखित योजनागत स्कीमें एनएसआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(i) **विपणन सहायता स्कीमः** एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से इस स्कीम का कार्यान्वियन कर रहा है। एनएसआईसी विभिन्न घरेलू व अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, गहन अभियानों/सोमिनारों और संकाय निर्माण के रूप में नए बाजार के अवसरों को कैप्चर करने के लिए लघु उद्यमों की दक्षता बढ़ाने और विपणन प्रयासों के संवर्द्धन में सुविधा प्रदाता का काम करता है।

(ii) **कार्यनिष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीमः** एनएसआईसी इस स्कीम का कार्यान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य सूक्ष्म औल लघु उद्यमों के बीच अपने मौजूदा प्रचालनों और खूबियों और खामियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और अपनी संगठनात्मक शक्तियों और साख को बढ़ाने के अवसर प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत साख निर्धारण लघु उद्यमों की क्षमता और ऋण पात्रता के बारे में विश्वस्त तीसरे पक्ष के मत का काम करता है। अधिकृत साख निर्धारण अभिकरण द्वारा किया गया स्वतंत्र साख निर्धारण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, ग्राहकों/क्रेताओं और खुदारा विक्रेताओं के बीच सहर्ष स्वीकार्य है।

[हिन्दी]

नहर द्वारा सिंचाई में कमी

2417. डॉ. बलीरामः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों द्वारा की जा रही सिंचाई के प्रतिशत में कमी दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नहरों के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या अनेक अवसरों पर नहर विभाग बिना पानी छोड़े ही किसानों से शुल्क प्रभारित करते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा नहरों की खुदाई और सफाई के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) नहरों में जल का प्रचालन एवं विनियमन संबंधित राज्य सरकारों के अंतर्गत परियोजना प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। नहरों में बहाव की स्थिति का विवरण परियोजना प्राधिकरणों द्वारा रखा जाता है। तथापि, देश में सृजित कुल क्षमता के प्रतिशत के रूप में वृहद, मध्यम और लघु सतही सिंचाई परियोजनाओं से सृजित क्षमता की हिस्सेदारी योजना पूर्व अवधि में 71% से घटकर 10वीं योजना के अंत में 55% हो गई है, विवरण संलग्न है।

(ख) सतही जल लघु सिंचाई परियोजना के साथ-साथ वृहद और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता को सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत पात्र परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराती रही है।

(ग) और (घ) सिंचाई सुविधाओं के लिए प्रस्तावित प्रभारों का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है।

(ङ) भारत सरकार, अतिरिक्त क्षमता सृजन के लिए पात्र वृहद/मध्यम विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं हेतु एआईबीपी के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

विवरण

सृजित एवं उपयोग की गई सिंचाई क्षमता की योजना-वार स्थिति (एमएचए)

योजना		सृजित क्षमता					उपयोग की गई क्षमता				
		वृहद और मध्यम	लघु			कुल	वृहद और मध्यम	लघु			कुल
			एस.डब्ल्यू.	जी.डब्ल्यू.	कुल			एस.डब्ल्यू.	जी.डब्ल्यू.	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1951 तक (योजना पूर्व)	संचयी	9.70	6.40	6.50	12.90	22.60	9.70	6.40	6.50	12.90	22.60
I योजना (1951-1956)	दौरान	2.50	0.03	1.13	1.16	3.66	1.28	0.03	1.13	1.16	2.44
	संचयी	12.20	6.43	7.63	14.06	26.26	10.98	6.43	7.63	14.06	25.04
II योजना (1956-1961)	दौरान	2.13	0.02	0.67	0.69	2.82	2.07	0.02	0.67	0.69	2.76
	संचयी	14.33	6.45	8.30	14.75	29.08	13.05	6.45	8.30	14.75	27.80
III योजना (1961-1966)	दौरान	2.24	0.03	2.22	2.25	4.49	2.12	0.03	2.22	2.25	4.37
	संचयी	16.57	6.48	10.52	17.00	33.57	15.17	6.48	10.52	17.00	32.17
वार्षिक योजनाएं (1966-1969)	दौरान	1.53	0.02	1.98	2.00	3.53	1.58	0.02	1.98	2.00	3.58
	संचयी	18.10	6.50	12.50	19.00	37.10	16.75	6.50	12.50	19.00	35.75
IV योजना (1969-1974)	दौरान	2.60	0.50	4.00	4.50	7.10	1.64	0.50	4.00	4.50	6.14
	संचयी	20.70	7.00	16.50	23.50	44.20	18.39	7.00	16.50	23.50	41.89
V योजना	दौरान	4.02	0.50	3.30	3.80	7.82	2.70	0.50	3.30	3.80	6.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1974-1978)	संचयी	24.72	7.50	19.80	27.30	52.02	21.16	7.50	19.80	27.30	48.46
वार्षिक योजनाएं	दौरान	1.89	0.50	2.20	2.70	4.59	1.48	0.50	2.20	2.70	4.18
(1978-1980)	संचयी	26.61	8.00	22.00	30.00	56.61	22.64	8.00	22.00	30.00	52.64
VI योजना	दौरान	1.09	1.70	5.82	7.52	8.61	0.93	1.01	4.24	5.25	6.18
(1980-1985)	संचयी	27.70	9.70	27.82	37.52	65.22	23.57	9.01	26.24	35.25	58.82
VIIवीं योजना	दौरान	2.22	1.29	7.80	9.09	11.31	1.90	0.96	6.91	7.87	9.77
(1985-1990)	संचयी	29.92	10.90	35.62	46.52	76.44	25.47	9.97	33.15	43.12	68.59
वार्षिक योजनाएं	दौरान	0.82	0.47	3.27	3.74	4.56	0.85	0.32	3.10	3.42	4.27
(1990-1992)	संचयी	30.74	11.46	38.89	50.35	81.09	26.31	10.29	36.25	46.54	72.85
VIII योजना	दौरान	2.21	1.05	1.91	2.96	5.17	2.13	0.78	1.45	2.23	4.36
(1992-1997)	संचयी	32.95	12.51	40.80	53.31	86.26	28.44	11.07	37.7	48.77	77.21
IX योजना	दौरान	4.10	1.09	2.50	3.59	7.69	2.57	0.37	0.85	1.22	3.79
(1997-2002)	संचयी	37.05	13.60	43.30	56.90	93.95	31.01	11.44	38.55	49.99	81.00
X योजना	दौरान	5.30	0.71	2.81	3.52	8.82	3.41	0.56	2.26	2.82	6.23
(2002-2007)*	संचयी	42.35	14.31	46.11	60.42	102.77	34.42	12.00	40.81	52.81	87.23

*अनंतिम

पेट्रोलियम कंपनियों को राजसहायता

2418. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री हर्ष वर्धन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई राजसहायता को देश में मुख्यत: तीन स्रोतों से संग्रहित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे स्रोतों के क्या-क्या नाम हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान संग्रहित राजसहायता का स्रोत-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान तेल कंपनियों को राजसहायता की कितनी धनराशि दिनांक-वार संवितरित की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को "पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना 2002" के तहत पीडीएस मिट्टी तेल पर 0.82 रुपया प्रति लीटर तथा घरेलू एलपीजी पर 22.58 रुपए प्रति सिलिंडर की राजकोषीय राजसहायता उपलब्ध कर रही है। उपरोक्त योजना के तहत सरकार द्वारा ओएमसीज को विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई जा रही राजसहायता के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

(करोड़ रुपए)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-सितम्बर, 2011)*
पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर राजसहायता	2,688	2,770	2,904	1,429

*अनंतिम

उपरोक्त राजसहायता के अलावा, ओएमसीज को पेट्रोल (25 जून, 2010 तक) डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर होने वाली अल्प-वसूलियों की निम्नलिखित ढंग से भार हिस्सेदारी व्यवस्था द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है:

- सरकार, तेल बाण्ड के निर्गम/नगद सहायता द्वारा।
- ओएमसीज को घरेलू अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा मूल्य रियायतें देकर।
- ओएमसीज को अल्प-वसूलियों के एक भाग को वहन करना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में ओएमसीज द्वारा झेली गईं अल्प वसूलियां और उन्हें आपस में बांटने के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए)

	वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-सितम्बर, 2011)
क.	कुल अल्प-वसूलियां	1,03,292	46,051	78,190	64,900
ख.	सरकार द्वारा बजटीय सहायता				
	तेल बाण्ड/नकद सहायता	71,292	26,000	41,000	30,000*
ग.	अपस्ट्रीम रियायत				
	कच्चे तेल और उत्पाद पर रियायत	32,000	14,430	30,297	21,633
घ.	ओएमसीज द्वारा खपाई गई अल्प-वसूली				
	ओएमसीज द्वारा खपाई गई अल्प-वसूली	शून्य	5,621	6,893	13,267#

*वित्त मंत्रालय द्वारा पुष्ट

#पूरा नहीं किया गया अंतराल और अंतराल और अनंतिम

एमजीएनआरईजीएस के तहत क्रियाकलाप

2419. श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत आवंटित निधियों का उपयोग सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को आवंटित और उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का योजना के तहत ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का निर्माण/विकास करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश सहित देश में उन राज्यों/जिलों के राज्य-वार क्या नाम हैं जहां के तहत ऐसे खेल के मैदानों का निर्माण/विकास किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का मुख्य उद्देश्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए मांग किए जाने पर प्रत्येक परिवार को एक

वर्ष में 100 दिनों तक गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा का संवर्द्धन करना है। यह अधिनियम देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत, सूखा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से कोई निधियां निर्धारित नहीं की जाती हैं। चूंकि, रोजगार मांग किए जाने पर उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए रोजगार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बार कोई आवंटन नहीं किया जाता है। जैसाकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर सूचित किया गया है, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत मजदूरी रोजगार के लिए क्रियाकलापों की प्राथमिकता इस अधिनियम की अनुसूची-I में निर्धारित की गई है। इस अधिनियम में सुझाए गए कार्यों के चयन से गरीबी के स्थायी कारणों यथा-सूखा, वन की कटाई और मृदा अपरदन का समाधान होता है ताकि रोजगार सृजन की प्रक्रिया स्थायी आधार पर चलती रह सके और प्राकृतिक संसाधन आधार को सुदृढ़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियां सृजित की जा सकें। समय-समय पर एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श से नये क्रियाकलापों/कार्यों को शामिल किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। समेकित कार्य योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित जिलों में खेल के मैदान के निर्माण कार्य को दिनांक 21.10.2011 की अधिसूचना के माध्यम से अनुसूची-I में शामिल किया गया है। एमजीएनआरईजीए की धारा 16(1) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायतें ग्राम सभा और वार्ड सभा की सिफारिशों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होंगी। एमजीएनआरईजीए की धारा 13(1) में प्रावधान है कि जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतें इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई योजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए प्रमुख प्राधिकरण होंगी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	कुल व्यय (रु. लाख)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12, 15 नवम्बर, 2011 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	296390.38	450918.00	543938.55	229305.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	3289.54	1725.74	5057.31	14.56
3.	असम	95380.73	103389.76	92104.35	34790.42
4.	बिहार	131647.97	181687.63	266425.17	41114.20
5.	छत्तीसगढ़	143447.52	132266.65	163397.81	114105.19
6.	गुजरात	19600.66	73938.25	78822.00	30541.51
7.	हरियाणा	10988.22	14355.28	21470.43	12291.50
8.	हिमाचल प्रदेश	33227.64	55655.76	50196.38	2193025
9.	जम्मू एवं कश्मीर	8772.02	18531.34	37776.70	7944.95
10.	झारखंड	134171.70	137970.19	128435.40	58843.07
11.	कर्नाटक	35787.46	273919.35	253716.51	75245.48

1	2	3	4	5	6
12.	केरल	22453.65	47151.35	70434.07	37159.27
13.	मध्य प्रदेश	355496.21	372228.08	363724.90	145693.72
14.	महाराष्ट्र	36154.33	32109.32	35811.97	42362.46
15.	मणिपुर	34965.82	39316.87	44070.51	3911.92
16.	मेघालय	8945.10	18352.79	31902.39	6551.86
17.	मिजोरम	16455.70	23823.99	29315.12	7404.30
18.	नागालैंड	27231.15	49945.76	60537.48	12.26
19.	ओडिशा	67829.29	93898.37	153314.26	43176.70
20.	पंजाब	7177.06	14991.96	16584.21	7927.35
21.	राजस्थान	616439.73	566903.40	328907.14	175549.47
22.	सिक्किम	4275.61	6408.99	8525.72	1841.98
23.	तमिलनाडु	100406.47	176123.49	232331.96	127039.20
24.	त्रिपुरा	49077.13	72940.80	63186.85	36459.96
25.	उत्तर प्रदेश	356887.72	590003.87	563120.10	252350.95
26.	उत्तराखंड	13579.33	28309.06	38019.88	13565.75
27.	पश्चिम बंगाल	94038.47	210898.16	253246.13	90238.40
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	327.54	1226.12	903.66	455.43
29.	दादरा और नगर हवेली	1.03	133.95	123.00	455.43
30.	दमन और दीव	NR	NR	NR	NR
31.	गोवा	249.96	470.12	993.28	479.87
32.	लक्षद्वीप	178.68	201.48	251.70	86.48
33.	पुडुचेरी	136.10	726.90	1082.11	756.00
34.	चंडीगढ़	NR	NR	NR	NR
	कुल	2725009.92	3790522.78	3937727.05	1619605.18

एन.आर. = सूचित नहीं।

[अनुवाद]

नई रेलगाड़ियां

2420. श्री यशवीर सिंहः
श्री सज्जन वर्माः
श्री नीरज शेखरः
श्री लक्ष्मण टुडुः
श्री एस. अलागिरीः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे का दैनिक आधार पर इंदौर (मध्य प्रदेश) तथा अजमेर के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे में बादाम हिल्स रेलवे स्टेशान से राउरकेला तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने और तंजावुर, चिदम्बरम, कुड्डालोर बरास्ता चेन्नई से शेनकोट्टई के बीच रेल सेवा बहाल करने और उत्तर प्रदेश में बलिया-वाराणसी के बीच इंटरसिटी रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) इंदौर-अजमेर और बादामपहाड़ (बादाम-हिल), राऊरकेला के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू किए जाने और तंजावूर- चिदम्बरम-कुड्डालोर के रास्ते चेन्नै-शेनकोट्टई के बीच तथा मऊ के रास्ते बलिया-वाराणसी के बीच रेलगाड़ियों को पुनः चलाए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

[हिन्दी]

अपर गंगा लीड से जलापूर्ति

2421. श्री शीश राम ओलाः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अपर गंगा लीड से राजस्थान को जलापूर्ति करने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्रक्रिया को गति देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, नहीं ऐसा, कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत शारदा-यमुना एवं यमुना-राजस्थान संपर्क की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है। यह संपर्क शारदा नदी, जोकि गंगा की सहायक नदी है, के अधिशेष जल को पीने के लिए तथा सिंचाई प्रयोजनार्थ जल उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में डाइवर्ट करेगा।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरकों की खपत

2422. श्री हेमानंद बिसवालः
श्री पूर्णमासी रामः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में उर्वरकों की राज्य-वार कितनी खपत होती है;

(ख) क्या 2003-04 से 2008-09 के बीच उर्वरकों की खपत में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुइ है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या गैर-कृषि उपयोग हेतु राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(च) सरकार द्वारा उर्वरकों की खपत में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष अर्थात् 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (अप्रैल' 11 से नवम्बर' 11) के दौरान मुख्य उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की राज्य-वार खपत (बिक्री) संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2008-09 में उर्वरकों की मांग और बिक्री रिकार्ड स्तर पर थी। उर्वरकों की खपत (बिक्री) अच्छे मानसून और इसके साथ-साथ बढ़ती सिंचाई सुविधाओं, बढ़ते फसल क्षेत्र, किसानों में उर्वरकों के उपयोग के प्रति बेकार जागरुकता और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर खरीद क्षमता पर भी आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप 2004-05 के बाद से उर्वरकों की खपत में तीव्र वृद्धि हुई है।

(घ) से (च) जी, नहीं। उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के खण्ड 25 के अंतर्गत उर्वरकों की बिक्री अथवा प्रयोग केवल मृदा के उर्वरण अथवा फसल उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य के लिए ही अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति एफसीओ के इस अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे एफसीओ के प्रावधानों और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जाता है। राज्य सरकारों को प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में दोषियों, जो किसी प्रकार के कदाचार में संलिप्त हों, के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष, (अप्रैल 11 से नवम्बर 11) के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की राज्य-वार खपत (बिक्री)

6.12.2011 (आंकड़े लाख मी.टन में)

राज्य का नाम	वर्ष	यूरिया बिक्री	डीएपी बिक्री	एमओपी बिक्री	मिश्रित बिक्री
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	2008-09	27.33	9.97	6.04	16.30
	2009-10	25.95	8.85	6.01	18.15
	2010-11	31.30	10.30	6.04	21.88
	2011-12	19.51	7.24	1.69	15.97
कर्नाटक	2008-09	12.82	8.07	5.05	8.39
	2009-10	13.77	8.46	6.08	10.76
	2010-11	14.28	8.42	4.14	13.51
	2011-12	9.91	4.97	2.02	10.32
केरल	2008-09	1.63	0.27	1.51	1.81
	2009-10	1.53	0.30	1.54	2.05
	2010-11	1.44	0.41	1.56	2.22
	2011-12	1.13	0.29	0.96	1.50
तमिलनाडु	2008-09	11.28	3.85	5.84	3.51

1	2	3	4	5	6
	2009-10	9.98	2.94	5.12	6.13
	2010-11	10.15	3.19	4.72	6.83
	2011-12	6.65	2.86	2.38	4.90
गुजरात	2008-09	18.48	8.19	2.22	4.70
	2009-10	18.12	7.62	2.69	4.01
	2010-11	21.19	8.09	2.02	6.55
	2011-12	14.33	4.90	1.11	4.70
मध्य प्रदेश	2008-09	13.59	8.14	0.88	2.15
	2009-10	15.93	9.47	1.43	2.43
	2010-11	16.92	10.92	1.33	3.52
	2011-12	11.08	6.84	0.48	3.66
छत्तीसगढ़	2008-09	5.06	2.28	0.92	1.22
	2009-10	5.27	2.65	0.90	1.04
	2010-11	5.54	2.41	0.94	1.32
	2011-12	4.48	1.44	0.24	1.31
महाराष्ट्र	2008-09	22.46	10.15	4.92	10.29
	2009-10	22.87	13.82	7.06	11.13
	2010-11	25.51	14.31	6.37	17.92
	2011-12	17.67	7.21	1.53	12.51
राजस्थान	2008-09	12.97	5.77	0.24	0.66
	2009-10	13.15	5.85	0.42	0.78
	2010-11	15.70	7.16	0.28	1.37
	2011-12	10.23	5.31	0.19	1.15
हरियाणा	2008-09	17.36	6.61	0.39	0.31
	2009-10	17.95	6.66	0.90	0.48
	2010-11	18.38	7.37	0.66	0.69
	2011-12	11.59	5.61	0.22	0.60

1	2	3	4	5	6
पंजाब	2008-09	25.77	8.82	0.81	0.57
	2009-10	24.46	8.06	108	0.55
	2010-11	27.17	9.01	0.96	1.03
	2011-12	17.91	6.82	0.39	1.05
उत्तर प्रदेश	2008-09	54.83	14.93	2.47	7.32
	2009-10	53.08	16.49	3.43	9.40
	2010-11	54.51	17.64	1.92	10.30
	2011-12	33.24	10.61	0.73	8.89
उत्तराखंड	2008-09	2.20	0.31	0.08	0.51
	2009-10	2.33	0.38	0.04	0.40
	2010-11	2.23	0.28	0.05	0.57
	2011-12	1.51	0.23	0.01	0.32
जम्मू और कश्मीर	2008-09	1.26	0.59	0.14	0.07
	2009-10	1.22	0.48	0.18	0.00
	2010-11	1.27	0.81	0.19	0.00
	2011-12	0.58	0.41	0.02	0.00
बिहार	2008-09	17.96	4.11	2.13	2.59
	2009-10	17.03	3.97	2.26	2.68
	2010-11	16.94	4.59	1.97	3.11
	2011-12	10.49	2.75	0.38	2.44
झारखंड	2008-09	1.54	0.80	0.14	0.38
	2009-10	1.50	0.82	0.17	0.68
	2010-11	1.35	0.65	0.06	0.36
	2011-12	1.58	0.53	0.02	0.38
ओडिशा	2008-09	4.60	1.89	1.34	2.55
	2009-10	4.59	2.21	1.27	2.24
	2010-11	4.57	2.19	1.32	2.31
	2011-12	4.02	1.19	0.36	2.19

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	2008-09	11.67	4.03	4.62	7.23
	2009-10	11.71	4.55	4.97	8.39
	2010-11	11.26	4.62	3.23	8.76
	2011-12	6.47	2.72	0.99	4.78
असम	2008-09	2.30	0.14	0.95	0.06
	2009-10	2.56	0.22	0.97	0.06
	2010-11	2.50	0.27	0.96	0.11
	2011-12	1.64	0.21	0.16	0.03
अखिल भारतीय	2008-09	266.51	99.03	40.95	71.22
	2009-10	264.48	103.92	46.74	82.03
	2010-11	282.23	112.87	38.91	102.98
	2011-12*	184.44	72.17	13.93	76.87

*वर्ष 2011-12 के आंकड़ें (अप्रैल 11 से नवम्बर 11)

गरीबी अनुमान की ऊपरी सीमा को हटाया जाना

2423. **डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री पूर्णमासी राम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियां मुहैया कराने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी अनुमान की ऊपरी सीमा को हटाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तेंदूलकर समिति की रिपोर्ट ने संबंधित राज्य-वार सीमाओं की तुलनाओं में देश की जनसंख्या में बीपीएल लोगों का अनुमान 37.2 प्रतिशत लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के पास बीपीएल से एपीएल बनाने वाले परिवारों के संबंध में कोई आंकड़े हैं; और

(छ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम नामक विभिन्न योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से चलाता है। इनमें से एसजीएसवाई /एनआरएलएम और आईएवाई आवंटन आधारित योजनाएं हैं, जबकि अन्य योजनाएं मांग जनित एवं परियोजना आधारित हैं। इसलिए इन योजनाओं के अंतर्गत कोई निधि आवंटित नहीं की जाती है।

एसजीएसवाई/एनआरएलएम के अंतर्गत निधियां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी के अनुपात के आधार पर आवंटित की जाती हैं और आईएवाई के अंतर्गत आवास की कमी को 75% और गरीबी के अनुपात को 25% महत्व देते हुए पूर्व-निर्धारित मानदंड के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती हैं।

(ख) और (ग) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा 3 अक्तूबर, 2011 को जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में शामिल किए जाने वाले परिवारों की संख्या की संख्या पर कोई सीमा लागू करने के लिए योजना आयोग की कार्यप्रणाली के हिसाब से गरीब के मौजूदा राज्य-वार आंकलनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

(घ) और (ङ) तेंदुलकर समिति के आंकलन के अनुसार वर्ष 2004-05 में गरीब कुल जनसंख्या का 37.2% थे। योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तेंदुलकर समिति के राज्य-वार आंकलनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए लोगों क संख्या के विषय में जानकारी/आंकड़ों की न तो निगरानी करता है और न ही ऐसी जानकारी/आंकड़े रखता है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नामक प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से चला रहा है। इस योजना का उद्देश्य सहायता-प्राप्त गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। वर्ष 2008 के दौरान स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों के माध्यम से कराए गए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन की अखिल भारतीय रिपोर्ट से पता चला है कि नमूने के रूप में शामिल किए गए स्वरोजगारी व्यक्तियों में से इस योजना की सहायता से गरीबी रेखा से ऊपर आने वालों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 17.46% से लेकर गुजरात में 33.33% तक है। इसी प्रकार गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले स्व-सहायता समूहों का प्रतिशत उत्तरांचल में 16.28% से लेकर मेघालय राज्य में 33.86% तक है।

विवरण

प्रोफेसर सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह द्वारा वर्ष 2004-2005 के संबंध में अनुशंसित गरीबी आंकलन
(गरीबों के अनुपात की गणना प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32.3	23.4	29.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.6	23.5	31.1
3.	असम	36.4	21.8	34.4
4.	बिहार	55.7	43.7	54.4
5.	छत्तीसगढ़	55.1	28.4	49.4
6.	दिल्ली	15.6	12.9	13.1
7.	गोवा	28.1	22.2	25.0
8.	गुजरात	39.1	20.1	31.8
9.	हरियाणा	24.8	22.4	24.1
10.	हिमाचल प्रदेश	25.0	4.6	22.9
11.	जम्मू और कश्मीर	14.1	10.4	13.2

1	2	3	4	5
12.	झारखंड	51.6	23.8	45.3
13.	कर्नाटक	37.5	25.9	33.4
14.	केरल	20.2	18.4	19.7
15.	मध्य प्रदेश	53.6	35.1	48.6
16.	महाराष्ट्र	47.9	25.6	38.1
17.	मणिपुर	39.3	34.5	38.0
18.	मेघालय	14.0	24.7	16.1
19.	मिजोरम	23.0	7.9	15.3
20.	नागालैंड	10.0	4.3	9.0
21.	ओडिशा	60.8	37.6	57.2
22.	पुडुचेरी	22.9	9.9	14.1
23.	पंजाब	22.1	18.7	20.9
24.	राजस्थान	35.8	29.7	34.4
25.	सिक्किम	31.8	25.9	31.1
26.	तमिलनाडु	37.5	19.7	28.9
27.	त्रिपुरा	44.5	22.5	40.6
28.	उत्तर प्रदेश	42.7	34.1	40.9
29.	उत्तराखंड	35.1	26.2	32.7
30.	पश्चिम बंगाल	38.2	24.4	34.3
	अखिल भारत	41.8	25.7	37.2

निष्पादन उपलब्धि

2424. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे नई लाइनों, दोहरीकरण और 'इलेक्ट्रिक मल्टीपल इकाई' (ईएमयू) डिब्बों के अर्जन के संबंध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पिछड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरार प्राप्त की गई उपलब्धि के निष्पादन के आधार पर रेलवे ने बारहवीं पंचवर्षी योजना हेतु लक्ष्यों को कम कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेलवे ने 2100 किलोमीटर नई लाइन, 6084 किलोमीटर आमान परिवर्तन और 3167 किलोमीटर दोहरीकरण के लक्ष्य की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में क्रमशः 1480 किलोमीटर नई लाइन, 4465 किलोमीटर आमान परिवर्तन और 2006 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य को पूरा किया है। 2011-2 के दौरान, 1075 किलोमीटर नई लाइन, 1017 किलोमीटर आमान परिवर्तन और 867 किलोमीटर दोहरीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इलेक्ट्रिक मल्टिपल यूनिट (ईएमयू) को प्राप्त करने का मूल लक्ष्य 2873 था। इस योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2010-11 के दौरान 2033 ईएमयू कार प्राप्त किये गए हैं। 2011-12 के दौरान 544 ईएमयू कारों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 9966 किलोमीटर नई लाइन, 5671 किलोमीटर आमान परिवर्तन और 5344 किलोमीटर दोहरीकरण का प्रस्ताव है।

समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम

2425. श्री पिनाकी मिश्रा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आईडब्ल्यूएमपी के तहत आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में परती भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी भूमि के विकास हेतु किस हद तक योजनाओं को लागू किया गया है और इस संबंध में किस हद तक वे लाभकारी सिद्ध हुई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग 1995-96 से तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात् समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को कार्यान्वित कर रहा है। इन तीनों कार्यक्रमों को 26.02.2009 से 'समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम' (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में एकीकृत और समेकित किया गया है। आईडब्ल्यूएमपी को वाटरशेड विकास परियोजना, 2008 हेतु सामान्य दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत इकाई लागत प्रतिमान पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों हेतु 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और अन्य क्षेत्रों हेतु 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, जिसको केन्द्र और राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

राज्य सरकारों के अनुभव और सुझावों के आधार पर दिशा-निर्देशों के प्रावधानों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई और तद्नुसार आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। वाटरशेड परियोजनाएं, 2008 हेतु सामान्य दिशा-निर्देशा में किए गए संशोधनों की विस्तृत सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है। इसके अलावा, भूमि संसाधन विभाग ने, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का और अधिक विकास करने हेतु तौर-तरीकों का सुझाव देने के लिए अधिकारियों के अधिकार प्राप्त समूह के अनुमोदन के साथ, आईडब्ल्यूएमपी हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों द्वारा समुचित औचित्य के आधार पर समेकित कार्य योजना जिलों में आईडब्ल्यूएमपी हेतु 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक के लचीले लागत प्रतिमानों की अनुमति दी है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, भूमि संसाधन विभाग द्वारा, आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा, निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित	उपयोग
2008-09	1,545.00	1,594.40
2009-10	1,762.98	1,762.62
2010-11	2,458.00	2,456.73

(घ) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी), हैदराबाद के सहयोग से भूमि संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया, 2010 के अनुसार, देश में बंजरभूमि का क्षेत्र लगभग 47.23 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है। वर्गवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत परियोजनाएं सितंबर, 2009 से स्वीकृत की जा रही हैं और ये परियोजनाएं प्रारंभिक चरण में ही हैं, जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, प्रविष्टि बिंदु कार्य और क्षमता निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। अतः, परियोजना परिणामों का आकलन अभी किया जाना है। तथापि भूमि संसाधन विभाग द्वारा टेरी, इक्रीसेट और एनआईआरडी आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों से आईडब्ल्यूएमपी पूर्व वाटरशेड विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन और प्रभाव आकलन अध्ययन को किया जा रहा है। कतिपय रिपोर्टों के प्रमुख निष्कर्ष संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

वाटरशेड परियोजनाएं, 2008 के सामान्य दिशानिर्देशों में किए गए संशोधनों की व्यापक सूची

अध्याय/पैरा सं.	सामान्य दिशा-निर्देशों के रूप में मदें	संशोधन के बाद मदें निम्नानुसार पढ़ी जाएं:
1	2	3
पैरा 9	बहु स्तरीय दृष्टिकोण	रिज से लेकर घाटी तक की एक बहु-स्तरीय नीति होगी, जिसे वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपनाया जाना चाहिए। ऊंचे स्थल या वन क्षेत्र वे स्थल होते हैं जहां जल स्रोतों का उदगम होता है। इसलिए दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्षेत्र की पहचान की जाए, और ऊपरी जल प्रवाह, जहां-कहीं संभव हो, में वन तथा पर्वतीय क्षेत्रों पर विचार किया जाए। जब ऊपरी प्रवाह क्षेत्र वन क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजनाओं की वित्त-पोषण सहायता से उपयुक्त उपचार किया जाता है तो वाटरशेड के सबसे कठोर हिस्से का समाधान किया जाता हैं वन विभाग मृदा अपरदन तथा वनों के अवक्रमण को रोकने के लिए रोक-बांध, समोच्च बांध, आदि जैसे ढांचों का प्रबंधन कर रहा है, जिससे वास्तव में निचले स्तरों को लाभ होगा। इस प्रकार, ऊपरी स्थलों, जो मुख्यत: पहाड़ी और वन आच्छादित होते हैं, में कार्यान्वयन का दायित्व मुख्यत: वन विभागों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जेएफएमसी) का होता है। वनों के प्रकार के बावजूद भूमि कृषि/वाटरशेड तथा वन भूमि उपयोग वाले चयनित वाटरशेड परियोजना क्षेत्र के अभिन्न हिस्से के रूप में भूमि, सीमांत-वन क्षेत्र तथा अवक्रमित क्षेत्रों को उपचार की जरूरत होती है जिनका वाटरशेड के निचले-क्षेत्रों में अप्रवाह/जल प्राप्ति, मृदा अपरदन और गाद, चारागाह, आदि पर प्रभाव पड़ता है और यह मृदा और नमी संरक्षण पर मुख्य रूप से ध्यान देते हुए सामाजिक वाटरशेड उपचार योजना का हिस्सा होना चाहिए। ऐसे वन क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों का वित्त पोषण आईडब्ल्यूएमपी योजना के जरिए किया जा सकता है ताकि किए गए निवेश का पूरा लाभ उठाया जा सके। वन क्षेत्रों के उपचार के लिए आईडब्ल्यूएमपी सहित मनरेगा, वनरोपण योजनाओं, आदि में सामंजस्य पैदा करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
9.IX	रिज से लेकर घाटी तक की एक बहु स्तरीय नीति होगी, जिसे वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपनाया जाना चाहिए। ऊंचे स्थल या वन क्षेत्र वे स्थल होते हैं जहां जल स्रोतों का उदगम होता है। इसलिए दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्षेत्र की पहचान की जाए, और ऊपरी जल प्रवाह, जहां-कहीं संभव हो, में वन तथा पर्वतीय क्षेत्रों पर विचार किया जाए। जब पर्यावरण और वन मंत्रालय या राज्य वन कार्यक्रमों या अन्य स्रोतों से उपयुक्त उपचार किया जाता है तो वाटरशेड के सबसे कठोर हिस्से का समाधान किया जाता है। वन विभाग मृदा अपरदन तथा वनों के अवक्रमण को रोकने के लिए रोक-बांध, समोच्च बांध, आदि जैसे ढांचों का प्रबंधन कर रहा है, जिससे वास्तव में निचले स्तरों को लाभ होगा। इस प्रकार, ऊपरी स्थलों, जो मुख्यत: पहाड़ी और वन आच्छादित होते हैं, में कार्यान्वयन का दायित्व मुख्यत: वन विभागों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जेएपुएमसी) का होता है। दूसरा स्तर मध्यवर्ती स्तर या ढालू इलाके होते हैं कृषि भूमि से ठीक ऊपर होते हैं। मध्यवर्ती ढालू क्षेत्रों में वाटरशेड प्रबंधन दृष्टिकोण से उपचार, फसल पद्धति बागवानी, कृषि वन क्षेत्र आदि सहित सभी उत्कृष्ट संभव विकल्पों पर विचार करते हुए सभी आवश्यक मुद्दों का समाधान हो जाएगा। मैदानी और समतल क्षेत्रों के तृतीय स्तर के रूप में जहां, आम तौर पर किसान खेती करते है, वहां मजदूरी आधारित कार्यों की व्यापक बहुतलता होती है। वाटरशेड विकास प्रक्रिया को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस), विछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) आदि जैसे रोजगार का सृजन करने वाले कार्यक्रमों से सहक्रियाशील बनाया जाएगा और इस प्रकार सुदृढ़ समन्वय होगा।	

1	2	3
4.	राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था	--
4.5	जिला वाटरशेड विकास इकाई	वाटरशेड प्रकोष्ठ-सह-आंकड़ा केन्द्र (डब्ल्यूसीडीसी)
पैरा 29	ऐसे जिलों में, जहां वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र हैं वहां जिला स्तर पर जिला वाटरशेड विकास इकाई (डीडब्ल्यूडीयू) नामक एक पृथम विशिष्ट इकाई की स्थापना की जाएगी, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में वाटरशेड कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी होगी और इस प्रयोजन के लिए पृथक स्वतंत्र लेखा होंगे। जहां वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र 25,000 हेक्टेयर से कम हैं, वहां परियोजनाओं को मौजूदा व्यवस्था के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। तथापि, प्रत्येक मामले में एक अधिकारी को डीआरडीए में विशेष रूप से संविदा या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा ताकि जिला स्तर पर वाटरशेड परियोजनाओं की समन्वय हो सके। डीडब्ल्यूडीयू जिला योजना समिति के साथ मिलकर कार्य करेगा। जिला स्तर पर नरेगा, बीआरजीएफ कार्यान्वयन एजेंसियों का डीडब्ल्यूडीयू में भी प्रतिनिधित्व होगा। वैकल्पिक तौर पर जिला स्तरीय समिति/कलेक्टर द्वारा परियोजना के अनुमोदन और कार्यान्वयन की प्रणाली पहले की ही तरह कायम रह सकती है।	जिला स्तर पर जिला वाटरशेड विकास इकाई (डीडब्ल्यूडीयू) नामक एक पृथक इकाई की स्थापना की जाएगी, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में वाटरशेड कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी होगी और इस प्रयोजन के लिए पृथक स्वतंत्र लेखा होंगे। इसे राज्य सरकारों की सुविधानुसार सभी कार्यक्रम जिलों में डीआरडीए/जिला परिषद/जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी/विभाग में स्थापित किया जाएगा और यह 25,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले बड़ी संख्या में वाटरशेडों का कार्यान्वयन करने वाले जिलों में व्यावसायिक समर्थन से सुदृढ़ होगा। डब्ल्यूसीडीसी जिला योजना समिति के घनिष्ठ समन्वय से कार्य करेगा। जिला कलेक्टर/सीईओ, जिला परिषद को डब्ल्यूसीडीसी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा तथा विभाग, जिसमें डब्ल्यूसीडीसी स्थित है, के जिला अधिकारी को डब्ल्यूसीडीसी का परियोजना प्रबंधक कहा जाएगा। परियोजना प्रबंधक अपने क्षेत्राधिकार में डब्ल्यूसीडीसी के दैनिक कार्य तथा वाटरशेड कार्यक्रमों का कार्यान्वयन देखेगा, जबकि जिला कलेक्टर/सीईओ, जिला परिषद कार्यक्रम की आवधिक समीक्षा सहित समन्वय और परिवर्तन करने में भूमिका निभाएगा। जिला स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा, बीआरजीएफ कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधियों को परिवर्तन हेतु कार्यक्रम की आवधिक समीक्षा बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए। *(आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में आईएपी जिलों के लिए जिला कलेक्टर डब्ल्यूसीडीसी का अध्यक्ष होगा)।*
पैरा 30	डीडब्ल्यूडीयू एक पृथक इकाई होगी जिसमें एक पूर्णकालिक प्रबंधक तथा कृषि/जल प्रबंधन/सामाजिक एकजुटता/प्रबंधन और लेखा जैसे 3 से 4 विषयों से संबंधित विशेषज्ञ होंगे जिन्हें संविदा/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण आदि पर उनकी योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। परियोजना प्रबंधन, डीब्ल्यूडीयू प्रतिनियुक्ति पर एक सेवारत सरकारी अधिकारी होगा या उसे एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा ओपन मार्किट से भर्ती किया जाएगा। यदि वह सेवारत सरकारी अधिकारी है, तो उसकी तैनाती राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। यदि ओपन मार्किट भर्ती करना आवश्यक है तो इसे एसएलएनए द्वारा किया जाएगा। परियोजना प्रबंधक, डीडब्ल्यूडीयू एसएलएनए के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर करेगा (जो तीन वर्ष से कम की अवधि के लिए नहीं होगी), जिसमें सुपरिभाषित वार्षिक लक्ष्यों का उल्लेख किया	डब्ल्यूसीडीसी एक पृथक इकाई होगी जिसमें एक परियोजना प्रबंधक होगा तथा कृषि/जल प्रबंधन/सामाजिक एकजुटता/अन्य उचित/प्रबंधन एवं लेखा के रूप में विषय से संबंधित 3 से 6 पूर्णकालिक स्टॉक शामिल होंगे (25,000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम वाले जिलों में 3 तथा 25,000 हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र से अधिक वाले जिलों में 6), तथा डॉटा एंट्री ऑपरेटर को संविदा/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण आदि पर उनकी योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। जिस डब्ल्यूसीडीसी में विभाग स्थित है, में एक जिला अधिकार होगा, वहां एक परियोजना प्रबंधक होगा। परियोजना प्रबंधक डब्ल्यूसीडीसी, एसएलएनए के परामर्श से एक सुव्यवस्थित वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा जिसके आधार पर उसके कार्य-निष्पादन की लगातार निगरानी की जाएगी। डब्ल्यूसीडीसी की स्थापना करने/सुदृढ़ बनाने के लिए व्यवस्था को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध स्टॉक, आधारभूत ढांचे और वास्तविक आवश्यकता की समीक्षा करने के बाद वित्तीय रूप से समर्थन दिया जाएगा।

1	2	3
	जाएगा जिसके आधार पर उनके कार्य-निष्पादन की लगातार निगरानी की जाएगी। डीडब्ल्यूडीयू/जिला आंकड़ा केन्द्र की स्थापना/सुदृढ़ता की व्यवस्था का वित्त-पोषण सरकार द्वारा उपलब्ध स्टॉफ, आधारभूत ढांचे और वास्तविक आवश्यकता की समीक्षा करने के बाद किया जाएगा।	
4.5	जिला वाटरशेड विकास इकाई (डीडब्लयूडीयू)	वाटरशेड-प्रकोष्ठ सह आंकड़ा केन्द्र (डब्ल्यूसीआई)
पैरा 31	जिला वाटरशेड विकास एकक (डीडब्ल्यूडीयू) के कार्य निम्न प्रकार होंगे:	वाटरशेड प्रकोष्ठ सह आंकड़ा केन्द्र (डब्ल्यूसीडीसी) के कार्य निम्न प्रकार होंगे:
क.	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सूचीकरण प्रक्रिया के अनुसार एसएलएनए के परामर्श से प्रभावकारिता परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पीआईएएस) की पहचान करना।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार जिला परिषद्/जिला पंचायत/जिला परिषद् से परामर्श कर प्रभावकारिता परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पीआईएएस) की पहचान करना।
5.	परियोजना स्तर पर संस्थागत व्यवस्था	
पैरा. 5.1	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए)	
34.	एसएलएनए, पीआईए का चयन और अनुमोदन करने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित करेगा, जो विभिन्न जिलों में वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। उन पीआईए में संबंधित विभागों, राज्य/केन्द्र सरकारों, सहकारी संस्थानों के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान/अनुसंधान निकाय, मध्यवर्ती पंचायतें, स्वैच्छिक संगठन (वीओ) शामिल हैं। तथापि, इस पीआईए में निम्नलिखित मानदण्डों का पालन किया जाए: • उन्हें विशेषकर वाटरशेड संबंधित पहलुओं या वाटरशेड विकास परियोजनाओं का पूर्व अनुभव होना चाहिए। • उन्हें समर्पित वाटरशेड विकास दलों का गठन करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।	एसएलएनए, पीआईए का चयन और अनुमोदन करने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित करेगा, जो विभिन्न जिलों में वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। उन पीआईए में संबंधित विभागों, राज्य/केन्द्र सरकारों, सहकारी संस्थानों के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान/अनुसंधान निकाय, पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतें, स्वैच्छिक संगठन (वीओ) शामिल हैं। तथापि, इन पीआईए में निम्नलिखित मानदण्डों का पालन किया जाए: • उन्हें विशेषकर वाटरशेड संबंधित पहलुओं या वाटरशेड विकास परियोजनओं के प्रबंधन का पूर्व अनुभव होना चाहिए। • उन्हें समर्पित वाटरशेड विकास दलों का गठन करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
6.	गांव स्तर पर संस्थागत प्रबंधन और जन भागीदारी	
6.3	वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी)	
पैरा 44.	ग्राम सभा, गांव में डब्ल्यूडीटी के तकनीकी समर्थन से वाटरशेड परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) का गठन करेगी। वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। ग्राम सभा, गांव के	ग्राम सभा, गांव में डब्ल्यूडीटी के तकनीकी समर्थन से वाटरशेड परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) का गठन करेगी। वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। ग्राम सभा, गांव के किसी उपयुक्त व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष

1	2	3
	किसी उपयुक्त व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में निवाचित/नियुक्त कर सकती है। वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) के सचिव को वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) के कार्याकर्ता के रूप में भुगतान किया जाएगा है। वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) में कम-से-कम 10 सदस्य होंगे; जिसमें से आधे सदस्य एसएचजी ओर प्रयोक्ता समूहों, अ.जा./अ.ज.जा. समदुाय के प्रतिनिधि गांव में महिला और भूमिहीन व्यक्ति शामिल होंगे। डब्ल्यूडीटी का एक सदस्य वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) का भी प्रतिनिधि होगा। जहां पंचायत में एक से अधिक गांव हैं, वहां संबंधित गांव में वाटरशेड विकास परियोजना का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक गांव हेतु एक पृथक उप समिति का गठन किया जाएगा। जहां किसी वाटरशेड परियोजना में एक से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पृथक समितियों का गठन किया जाएगा। वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) में एक स्वतंत्र किराए पर कार्यालय आवास उपलब्ध कराया जाएगा।	के रूप में निर्वाचित/नियुक्त कर सकती है। सरपंच औश्र या वार्ड सदस्य/पंचायत सदस्य डब्ल्यूसी के सदस्य/अध्यक्ष भी होंगे वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) के सचिव को वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) के कार्यकर्ता के रूप में भुगतान किया जाएगा। है। वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) में कम-से-कम 10 सदस्य होंगे; जिसमें से आधे सदस्य एसएचजी और प्रयोक्ता समूहों, अ.जा/अ.ज.जा. समुदाय के प्रतिनिधि गांव में महिला और भूमिहीन व्यक्ति शामिल होंगे। डब्ल्यूडीटी का एक सदस्य वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) का भी प्रतिनिधि होगा। निधियों वाटरशेड समिति को जारी की जाएंगी। वैकल्पिक तौर पर, वाटरशेड समिति का गठन जीएस द्वारा किया जाएगा और यह ग्राम पंचायत की उप-समिति होगी। ऐसी स्थिति में, डब्ल्यूसी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। निधियां डब्ल्यूसी को जारी की जाएंगी। राज्य उपर्युक्त दोनों विकल्पों में से किसी एक को अपना सकते हैं। जहां पंचायत में एक से अधिक गांव हैं, वहां संबंधित गांव में वाटरशेड विकास परियोजना का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक गांव हेतु एक पृथक उप-समिति का गठन किया जाएगा। जहां किसी वाटरशेड परियोजना में एक से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पृथक समितियों का गठन किया जाएगा। वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) में एक स्वतंत्र किराए पर कार्यालय आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
पैरा 45.	वाटरशेड समिति वाटरशेड परियोजनाओं के लिए धन प्राप्त करने के लिए अलग से एक बैंक खाता खोलेगी और अपने कार्यकलापों को शुरू करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। डब्ल्यूडीटी सदस्यों और वाटरशेड समिति के सचिव के वेतन संबंधी व्यय पीआईए को व्यावसायिक सहयोग के तहत प्रशासनिक खर्चों से प्रभारित किए जाएंगे।	वाटरशेड समिति को धन रिलीज किया जा सकता है। वाटरशेड समिति वाटरशेड परियोजनाओं के लिए धन प्राप्त करने के लिए अलग से बैंक खाता खोलेगी और अपने कार्यकलापों को शुरू करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। डब्ल्यडीटी सदस्यों और वाटरशेड समिति के सचिव के वेतन संबंधी व्यय पीआईए को व्यावसायिक सहयोग के तहत प्रशासनिक खर्चों से प्रभारित किए जाएंगे।
9.	निधियों का आवंटन, परियोजनाओं का अनुमोदन और धन का निर्गम	——
9.1	राज्यों को निधियों का आवंटन	
पैरा 66	हर वर्ष फरवरी माह की समाप्ति पर, राज्य विस्तृत वाषिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करेंगे जिनमें वे मौजूदा दायित्वों और उन नई परियोजनाओं को दर्शाएंगे जिन्हें	हर वर्ष फरवरी माह की समाप्ति पर, राज्य विस्तृत वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करेंगे जिनमें वे मौजूदा दायित्वों और उन नई परियोजनाओं को दर्शाएंगे जिन्हें वे शुरू करना चाहते हैं। तत्पश्चात् केन्द्रीय स्तर पर विभागीय नोडल एजेंसी, वर्ष के लिए उपलब्ध कुल

1	2	3
	वे शुरू करना चाहते हैं। तत्पश्चात् केन्द्रीय स्तर पर विभागीय नोडल एजेंसी, वर्ष के लिए उपलब्ध कुल बजट और पैरा-64 तथा 65 में यथोल्लिखित मानदंडों के आधार पर उन राज्यों को अलग-अलग तौर पर विशिष्ट धनराशि आवंटित करेगी जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। राज्यों द्वारा अपनी मौजूदा और नई परियोजनाओं के लिए आवंटन प्राप्त कर लिए जाने के उपरांत वे राज्य आवंटन के भीतर अपनी परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। एस.एल.एन.ए से नई परियोजनाओं के लिए मंजूरी आदेश प्राप्त होने पर; नोडली मंत्रालय सीधे जिला स्तरीय एजेंसी को धन रिलीज करेगा। यदि जिला स्तरीय एजेंसी को धन रिलीज करना व्यवहार्य नहीं है तो विभागीय नोडल एजेंसियों की मौजूदा रिलीज कार्यनिधि जारी रह सकती है।	बजट और पैरा-64 तथा 65 में यथोल्लिखित मानदंडों के आधार पर उन राज्यों को अलग-अलग तौर पर विशिष्ट धनराशि आवंटित करेगी जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। राज्यों द्वारा अपनी मौजूदा और नई परियोजनाओं के लिए आवंटन प्राप्त कर लिए जाने के उपरांत के राज्य आवंटन के भीतर अपनी परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र होंगे एसएलएनए से नई परियोजना के लिए मंजूरी आदेश प्राप्त होने पर; नोडली मंत्रालय सीधे एसएलएनए को धन रिलीज करेगा।

पैरा 67

बजट घटक	सीजी 2008 के अनुसार आईडब्ल्यूएमपी में मौजूदा प्रावधान (कुल परियोजना लागत का %)	बजट घटक	संशोधित प्रावधान (कुल परियोजना लागत का %)
- प्रशासनिक लागतें	10	- प्रशासनिक लागतें	10
- मॉनीटरिंग	1	- मॉनीटरिंग	1
- मूल्यांकन	1	- मूल्यांकन	1
तैयारी चरण		तैयारी चरण	
- एंट्री प्वाइंट कार्यकलाप,	4	- एंट्री प्वाइंट कार्यकलाप,	4
- संस्था व क्षमता निर्माण	5	- संस्था व क्षमता निर्माण	5
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित	1	- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित	1
वाटरशेड निर्माण कार्य कचरण:		वाटरशेड निर्माण कार्य चरण:	
- वाटरशेड विकास कार्य	50	- वाटरशेड विकास कार्य	56
- परिसंपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए जीवनयापन कार्यकलाप	10	- परिसंपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए जीवनयापन कार्यकलाप	9
- उत्पादन प्रणाली तथा माइक्रो उद्यम	13	- उत्पादन प्रणाली तथा माइक्रो उद्यम	10
समेकित चरण	5	समेकित चरण	3
कुल	100	कुल	100

1	2	3
पैरा 70	परियोजना अवधि में कार्यान्वयन के तीन चरणों के लिए डीब्ल्यूडीयूएस/एजेंसी को निधियों का केन्द्र सरकार का हिस्सा निम्नलिखित ढंग से अथवा नोडल मंत्रालय द्वारा यथा निर्णीत के अनुसार रिलीज किया जाएगा।	परियोजना अवधि में कार्यान्वयन के तीन चरणों के लिए एसएलएनए को निधियों का केन्द्र सरकार का हिस्सा निम्नलिखित ढंग से अथवा नोडल मंत्रालय द्वारा यथा निणीत के अनुसार रिलीज किया जाएगा।
पैरा 71	प्रत्येक जिले से प्राप्त विशिष्ट वार्षिक प्रस्तावों के आधार पर जिला कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्य सरकार को सीधे धन रिलीज किया जाएगा। ऐसा करते समय उनकी मौजूदा प्रतिबद्धताओं और नई मंजूर परियोजनाओं, जिले के लिए समग्र बजटीय प्रावधान तथा एसएलएनए द्वारा उनकी कार्ययोजनाओं के अनुमोदन को ध्यान में रखा जाएगा। डीडब्ल्यूडीयूएस/एजेंसियों पीआईएएस तथा वाटरशेड समितियों को धन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर धनराशि रिलीज करेंगी।	एसएलएनए को केन्द्र के धन का निर्गम एसएलएनए से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर सीधे किया जाएगा। धन निर्गन का पैटर्न इस प्रकार होगा। (i) वाटरशेड निर्माण कार्यो; जीवनयापन तथा उत्पादन प्रणाली और माइक्रो उद्यमों से संबंधित परियोजना निधि डीओएलआर से एसएलएनए से डब्ल्यूसीडीसी से डब्ल्यूसी की ओर जाएगी। (ii) प्रशासनिक लागत, क्षमता निर्माण, ईपीए, डीपीआर परियोजना निधियों का मॉनीटरिंग घटक
पैरा 73	वाटरशेड परियोजनाओं के लिए गांवों का चयन करने की एक अनिवार्य शर्त वाटरशेड विकास निधि में लोगों का अंशदान है। जल संभर विकास निधि में अंशदान केवल निजी भूमि पर किए गए एनआरएम कार्यों की लागत का कम से कम 10% होगा। तथापि, अनु. जाति/अनु. जनजाति, छोटे तथा सीमांत किसानों के मामले में उनकी भूमि पर किए गए एनआरएम कार्यों की लागत का 5% होगा। तथापि, अन्य निजी भूमि पर लागत सघन कृषि प्रणाली कार्यकलापों जैसे मत्सयपालन, बागवानी, कृषि-वानिकी, पशुपालन इत्यादि, जिससे संबंधित किसानों को सीधे फायदा होता हो, उनेक लिए सामान्यवर्ग के किसानों का अंशदान 40% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का अंशदान 20% होगा तथा सामान्य वर्ग के लिए कार्यकलापों की शेष लागत अर्थात 60% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए शेष लागत अर्थात् 80% हिस्सा परियोजना निधियों से आएगा लेकिन इस राशि वाटरशेड विकास परियोजना के लिए मानक यूनिट लागत प्रतिमानक के दुगुने के बराबर की राशि की अधिकमत सीमा होगी।	वाटरशेड परियोजनाओं के लिए गांवो का चयन करने की एक अनिवार्य शर्त वाटरशोड विकास निधि में लोगों का अंशदान है। जल संभर विकास निधि में अंशदान केवल निजी भूमि पर किए गए एनआरएम कार्यों की लागत का कम से कम 10% होगा। तथापि, अनु.जाति/अनु. जनजाति, छोटे तथा सीमात किसानों के मामले में उनकी भूमि पर किए गए एनआरएम कार्यो की लागत का 5% होगा। ये अंशदान कार्य के निष्पादन के समय नकद रूप में अथवा स्वैच्छिक श्रम के रूप में स्वीकार्य होंगे। स्वैच्छिक श्रम के मौद्रिक मूल्य के समतुल्य धनराशि वाटरशेड परियोजना लेखा से वाटरशेड विकास निधि खाते में अंतरित की जाएगी। यह खाता वाटरशेड समिति बैंक खाते से अलग होगा उपभोक्ता सुधार, बिक्री से आय तथा अन्य अंशदान इंटरमीडियट यूजुफ्रक्ट अधिकारों की निपटान राशियां भी वाटरशेड विकास निधि बैंक खाते में जमा कराई जाएंगी। साझा संपति संसाधनों पर परियोजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों से अर्जित आय की वाटरशेड विवाद निधि में जमा कराई जाएगी।
पैरा 74	ये अंशदान कार्य के निष्पादन के समय नकद रूप में अथवा स्वैच्छिक श्रम के रूप में स्वीकार्य होंगे। स्वैच्छिक श्रम के मौद्रिक मूल्य के समतुल्य धनराशि वाटरशेड परियोजना लेखा से वाटरशेड विकास निधि खाते में अंतरित की जाएगी। यह खाता वाटरशेड समिति बैंक	निजी भूमि पर अन्य लागत सघन कृषि प्रणाली कार्यकलापों जैसे मत्सयपालन, आगवानी, कृषि वानिकी, पशु-पालन इत्यादि जिससे संबंधित किसानों को सीधे फायदा होता हो उसके लिए सामान्यवर्ग के किसानों का अंशदान 20% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का अंशदान 10% होगा तथा परियोजना

1	2	3
	खाते से अलग होगा। उपभोक्ता सुधार, बिक्री से आय तथा अन्य अंशदान इंटरमीडियट यूजुफ्रक्ट अधिकारों की निपटान राशियां भी वाटरशेड विकास निधि बैंक खोते में जमा कराई जाएंगी। साझा संपति संसाधनों पर परियोजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों से अर्जित आय की वाटरशेड विवाद निधि में जमा कराई जाएगी।	निधियों वाटरशेड विकास की परियोजना की यूनिट लागत के दुगुने के बराबर धनराशि की अधिकतम सीमा तक कृषि प्रणाली कार्यकलाप की लागत (अर्थात रुपये 12,000/ 15,00/ प्रति हैक्टेयर जैसा भी मामला हो) को पूरा करेंगी। किसानों का अंशदान अर्थात सामान्य वर्ग के लिए इस राशि का 20% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनताति के लिए 10% (अर्थात् सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए क्रमशः रुपये 4500/- 6000 तथा रुपये 2400/- 3000 अधिकतम, जैसा भी मामला हो) वाटरशेड विकास निधि में जाएगा।

उदाहरणतः

(क) मान लिया जाए कि कृषि प्रणाली कार्यकलाप/अंत: क्षेत्र की कुल लागत है=रुपये 30,000

परियोजना निधि से दी जाने वाली कृषि प्रणाली कार्यकलाप की लागत @ रुपये 12,00/ है. परियोजना यूनिट लागत)

(सामान्य वर्ग) = 24,000/- रुपये

(अनु.जा./अनु.जनजाति) = 24,000/- रुपये

वाटरशेड विकास निधि में किसानों का अंशदान

(सामान्य वर्ग, 24000 का 20%) = 4800 रुपये

(अनु.ज./अनु. जनजाति 24,000 का 10%) = 2400 रुपये

(ख) मान लिया जाएग कि कृषि प्रणाली कार्यकलाप/हस्तक्षेप = 20,000 रुपये

कृषि प्रणाली कार्यकलाप की लागत जो @ रुपये 12,000/ है. परियोजना यूनिट लागत) की दर से परियोजना निधि से पूरी की जाएगी।

(सामान्य वर्ग) = 20,000/- रुपये

(अनु.जा./अनु.जनजाति) = 20,000/- रुपये

वाटरशेड विकास निधि में किसानों का अंशदान

(सामान्य वर्ग, 24000 का 20%) = 4000 रुपये

(अनु.ज./अनु. जनजाति 24,000 का 10%) = 2000 रुपये

ऐसे मामलों में वाटरशेड विकास निधि के प्रति किसानों का अंशदान कार्य-निष्पादन के समय नकद ही स्वीकार किया जाएगा।

विवरण II

बंजरभूमि एटलस 2010 के अनुसार, राज्यवार और श्रेणीवार बंजरभूमि

क्षेत्र वर्ग कि.मी.

क्र.सं.	राज्यों का नमा	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	कुल वं.भू.	टीजीए	% में टीजीए
1.	आंध्र प्रदेश	405.48	289	10323.01	7416.17	109.07	0.00	1215.10	504.83	15.15	130	13123.06	183548	13237	37.79	32.12	318.72	3.76	0.00	0.00	1439	1.77	3295.73	0.00	38788.22	275068	14.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	957.70	2162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1025.07	506.39	20.46	0.00	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.09	735.98	5743.84	83743	6.86
3.	असम	0.00	0.00	1956.80	1626.68	494.69	1025.46	0.00	0.00	160.15	79.41	1300.80	2132.50	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	8778.02	78438	11.19
4.	बिहार	71.83	0.00	954.39	2761.16	694.65	869.40	0.00	3.97	0.00	0.00	1196.63	76.85	60.63	11.54	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	6.66	12435	0.00	6841.09	94171	7.26
5.	छत्तीसगढ़	142.90	0.00	1049.85	3052.58	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	2943.78	3616.46	0.00	0.00	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	826.98	0.00	11817.82	135194	8.74
6.	दिल्ली	0.72	6.12	7.51	56.09	5.29	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	83.34	1483	5.62
7.	गोवा	0.00	0.00	51.89	216.38	42.79	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	58.78	3.24	0.00	14.69	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	30.95	0.35	64.33	0.00	496.27	3702	13.41
8.	गुजरात	392.02	1.73	11614.83	6658.03	0.00	80.59	696.55	0.00	0.00	0.00	1413.86	155.35	44.19	53.06	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00	15.29	0.00	149.49	0.00	21350.38	196024	10.89
9.	हरियाणा	0.00	0.96	2.98	837.95	20.86	51.22	69.61	23.26	0.00	0.00	171.02	0.00	914.58	75.63	1.79	0.00	0.00	0.00	41.19	35.36	2.51	98.13	0.00	2347.05	44212	5.31
10.	हिमाचल प्रदेश	170.23	4.52	1103.65	2268.19	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1290.43	0.00	164.36	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	0.00	5314.17	12087.20	22470.05	55473	40.36
11.	जम्मू और कश्मीर	423.14	553.24	1617.25	2280.70	74.67	0.85	16.65	56.68	0.00	0.00	4019.25	238.29	125.55	41.61	1671.02	0.00	226.07	0.00	0.00	3.88	4.98	46379.45	16021.0	73754.38	101387	72.75
12.	झारखंड	106.14	0.00	2074.06	3600.33	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4400.59	518.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82	0.29	961.56	0.00	11670.14	79706	14.64
13.	कर्नाटक	127.11	0.00	4745.46	1656.52	13.23	4.63	512.97	035	0.00	0.00	5245.32	644.85	636	9.04	11.62	9.22	0.00	0.00	0.00	28.36	0.00	1423.09	0.00	14438.12	191791	7.53
14.	केरल	0.00	0.00	725.62	787.78	5.06	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	572.25	0.00	0.00	0.00	16.48	28.70	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	307.68	0.00	2458.69	38863	6.33
15.	मध्य प्रदेश	149369	8.37	6361.08	16231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12256.23	3136.55	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.72	1.48	458.19	0.00	40042.986	308252	12.99
16.	महाराष्ट्र	547.03	0.00	11251.44	13241.14	59.03	1.76	41.00	26.36	0.00	0.00	10026.96	1189.18	149.72	21.25	3.65	29.48	0.00	0.00	0.00	30.48	0.00	1643.37	0.00	38262.81	307690	12.44
17.	मणिपुर	0.00	0.00	3718.87	900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	752.10	100.10	1555.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7027.47	12327	31.48
18.	मेघालयं	0.00	0.00	454.43	1640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	291.87	157.12	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.13	0.00	3865.76	22429	17.24
19.	मिजोरम	0.00	000	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1028.53	1589.03	3367.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6021.14	21081	28.56
20.	नगालैंड	0.00	0.00	972.55	1011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1239.09	1588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00	4815.18	6579	29.04

क्र.सं.	राज्यों का नमा	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	कुल वं.भू.	टीजीए	% में टीजीए
21.	ओडिशा	671.19	0.00	5445.08	1383.29	424.04	35.56	8.47	23.09	1023.83	421.61	4781.34	1842.38	0.00	1.88	2.79	34.15	0.00	0.00	0.00	7.90	10.67	531.11	0.00	1664.27	155707	10.69
22.	पंजाब	82.12	0.00	109.94	95.29	78.01	3439	30.14	27.87	0.00	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00	97.92	0.00	394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1019.50	50362	2.02
23.	राजस्थान	1020.17	864.75	23661.70	14619.38	64.88	64.94	347.12	269.12	0.00	0.00	11365.78	854.34	3918.42	0.00	196.69	0.00	4655.88	11188.21	15586.44	106.86	9.06	4905.72	0.00	93689.47	342239	27.38
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.90	2633.66	3280.48	7096	46.74
25.	तमिलनाडु	107.97	0.91	2128.14	2027.41	55.31	68.25	296.00	83.82	0.00	0.00	2600.55	61.13	1041.74	41.88	34.15	200.63	0.00	0.00	0.00	90.13	3.94	283.56	0.00	912536	130058	7.02
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	229.44	29.41	0.68	0.00	0.00	0.00	89.28	164.83	522.52	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1315.17	10486	12.54
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	211.28	1073.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.54	15.35	410.76	1.98	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.48	1142.16	9216.87	12790.06	53483	23.91
28.	उत्तर प्रदेश	1216.48	264.63	1160.19	1835.12	376.54	721.12	2133.28	718.46	0.00	0.00	1857.31	64.61	21.47	3.48	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16	18.07	411.75	0.00	10988.59	240928	4.56
29.	पश्चिम बंगाल	20.56	0.58	497.68	802.46	12.55	737	0.00	0.00	0.00	0.00	534.85	0.00	0.00	2.40	16.10	7.94	0.00	0.00	0.00	25.09	2.72	64.12	0.00	1994.41	88752	2.25
30.	संघ शासित क्षेत्र	0.26	6.12	2.72	49.97	0.77	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	263.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.30	9490	3.55
	योग	6999.03	1714.83	93389.55	91633.00	2532.46	2990.84	5429.83	1737.81	5625.07	4608.45	85809.54	16386.08	7196.44	316.22	2439.85	719.00	5280.07	11188.21	15627.63	505.35	6399	69373.92	40694.80	472261.95	3166414	14.91

स्रोत:आईआरएसपी6, एलआईएसएस-III सीजन डाटा पर आधारित 1,50,000 वेस्टलैण्ड मैप्स 2005-06

नोट: जम्मू और कश्मीर में 1,20,489.00 वर्ग कि.मी. को नहीं मापा गया है अत: इसलिए प्रतिशत निकालने हेतु इस पर विचार नहीं किया गया।

1. खड्डयुक्त और/ अथवा बीहड़ी भूमि (मध्यम)
2. खड्डयुक्त और/अथवा बीहड़ी भूमि (गहरी)
3. सघन झाड़ी सहित भूमि
4. ओपन झाड़ी सहित भूमि
5. जल पलावित और दलदली भूमि (स्थायी)
6. जल पलावित और दलदली भूमि (मौसमी)
7. क्षारीयता/लवणीयता से प्रभावित भूमि (मध्यम)
8. क्षारीयता/लवणीयता से प्रभावित भूमि (गहन)
9. झूम कृषि-मौजूदा झूम
10. झूम कृषि-परित्यक्त झूम
11. न्यून उपयोग/अवक्रमित वन (सक्रब डोमिन)
12. न्यून उपयोग/अवक्रमित वन (कृषि)
13. अवक्रमित चरागाहें/चराई भूमि
14. वृक्षारोपण फसलों के अधीन अवक्रमित भूमि
15. रेत-नदी
16. रेत-तटीय
17. रेत-मरुस्थलीय
18. रेत सेमी स्टैब-स्टैब 40 एम.
19. रेत सेमी स्टैब-स्टैब-15.40 एम.
20. खनन संबंधी बंजर भूमियां
21. औद्योगिक बंजर भूमियां
22. परती चट्टानी/पथरीली बंजर
23. हिम आच्छदित/ग्लेशियर क्षेत्र योग-कुल बंजरभूमि क्षेत्र टीजीए कुल भौगोलिक क्षेत्र

विवरण III

टेरी, इक्रीसेट और एनआईआरडी के माध्यम से भूमि संसाधन विभाग द्वारा किये गये आईडब्ल्यूएमपी-पूर्व वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अध्ययनों के मूल्यांकन और निर्धारण प्रभाव संबंधी अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष:

(i) **ऊर्जा एवं अनुसंधान संस्थान (टेरी) 2004:** टेरी ने 2004 में एक सार संग्रह तैयार किया जिसमें स्वतंत्र संस्थाओं एवं निकायों द्वारा 16 राज्यों के 230 जिलों में वाटरशेड कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण पड़ने वाले मुख्य प्रभावों का सार प्रस्तुत किया गया है। टेरी द्वारा संकलित किए गए वाटरशेड परियोजनाओं के प्रभाव आकलन अध्ययन से प्राप्त कुछ अनुमानित लाभ तथा आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं:–

- भूमि के प्रयोग में समग्र सुधार
- निवल बुआई क्षेत्र, समग्र फसल क्षेत्र तथा एक से अधिक फसल वाले क्षेत्र में वृद्धि
- वाटरशेड परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों में सिंचाई के विकल्पों की संख्या में वृद्धि
- ईंधन, लकड़ी तथा चारे की उपलब्धता में वृद्धि
- फसल पद्धति में एक फसल की बजाय वर्ष में दो फसलों के रूप में परिवर्तन
- शुष्क मौसम में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता
- लाभार्थियों के लिए कृषि से जुड़े रोजगार के अवसरों में तथा अन्य क्षेत्रों में गैर लाभार्थियों के लिए वृद्धि
- परियोजना के पश्चात् उन्नत किस्म को स्पष्ट वरीयता
- टैंकों एवं अन्य जलाशयों के विकास के पश्चात् मत्स्य पालन की संभावना का प्रकट होना।

(ii) **अर्द्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी), 2008:** भारत में विभिन्न वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए "भारत में वाटरशेड कार्यक्रमों का विस्तृत आकलन" नामक एक अध्ययन इक्रीसेट, हैदराबाद को सौंपा गया था। इस अध्ययन में पूर्व के अध्ययन में शामिल किए गए 311 अध्ययनों सहित 636 सूक्ष्म स्तरीय अध्ययनों की सहायता से वाटरशेड कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया ताकि अधिक प्रामाणिक एवं सही परिणाम प्राप्त हो सकें। अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया है:

- वाटरशेड कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कारण 1. 1 टन/हैक्टेयर/वर्ष मृदाक्षरण की रोकथाम हुई।
- वाटरशेड कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 500 हैक्टेयर वाटरशेड में लगभग 38 हैक्टेयर मीटर के अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया।
- सिंचाई के तहत आने वाले क्षेत्र में 52% की वृद्धि हुई जबकि फसल की सघनता में 35.5% की वृद्धि हुई।
- वाटरशेड कार्यक्रमों को लाभ अधिक आय वाले क्षेत्रों की तुलना में निम्न आय वाले क्षेत्रों में अधिक था तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सहायता से 700 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में यह लाभ और भी अधिक स्पष्ट था।
- अधिकांश वाटरशेड कार्यक्रम छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं एवं भूमिहीन श्रमिकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे तथा उन्हें वाटरशेड से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखा गया था।
- वाटरशेड कार्यक्रमों के संभावित लाभों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रबंधन का अभाव था।
- वाटरशेड कार्यक्रमों की सफलता में लोगों की भागीदारी मुख्य निर्धारक का काम करती है। लाभ लागत का अनुपात उन वाटरशेड में अधिक था जिसमें लोगों की भागीदारी ज्यादा थी।
- बृहत् वाटरशेड (1000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र) में 500 हैक्टेयर से कम क्षेत्र वाले सूक्ष्म वाटरशेड की अपेक्षा कार्य निष्पादन बेहतर होता है।

(iii) **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, 2008:** वर्ष 2008 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को दिनांक 01 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 2002 के बीच मंजूर हुई और पूरी हुई जल संभर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के संबंध में एक अध्ययन कार्य सौंपा गया था। इस अध्ययन कार्य में 9 राज्यों में 121 जिलों में फैले 837 जल-संभरों को लिया गया था। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार से हैं:

- आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी, डीडीपी क्षेत्रों में समग्र विकास हुआ है।
- मृदा क्षरण में कमी आई है।
- वर्षा जल के संग्रहण से धाराओं का बहाव कुछ हद तक स्थाई हुआ है। भू-जल का स्तर बढ़ा है। कुछ मामलों में तो परम्परागत जलाशयों में भी जल-संभरण हो गया।
- जल राशि की बढ़ी उपलब्धता से फसलों (अधिकांशत: नकदी फसलों) में विविधता देखी गयी। फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। पैदावार में भी वृद्धि हुई।
- सिंचाई साधनों में बढ़ोतरी होने के फलस्वरूप उद्यान (सब्जियां, फल, फूल) कार्य शुरू किया गया।
- पेय जल अधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ और जल उपलब्धता की अवधियों में वृद्धि हुई।
- चारा/बायोमास में बढ़ोतरी से डेयरी कार्यों में भी बढ़ोतरी हुई। पोली हाउसेज जैसे नए उद्यम भी शुरू किए गए।
- और अधिक क्षेत्र कृषि के तहत आ गया।
- इन सभी कार्य-कलापों से श्रम-दिवसों में वृद्धि हुई। लोगों के पलायन में कमी आई।
- यहां तक कि गरीब लोग भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए भेज पाए।
- गरीबों द्वारा और अधिक संख्या में पक्के मकान बनवाए गए।
- लोगों द्वारा बहुत-सी परिसंपत्तियां जुटाई गईं जिससे जीवन-स्तर में सुधार आया।

[हिन्दी]

बांधों के निर्माण संबंधी नीति

2426. **श्री आधि शंकर: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में नए बांधों के निर्माण के संबंध में नीति निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार के साथ कोई चर्चा तथा बैठकें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय का देश में नए बांधों के निर्माण के संबंध में किसी विशिष्ट नीति तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बांधों सहित जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना तथा प्रबंधन के नीतिगत पहलुओं को राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में रखा गया है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय जल नीति, 2002 के निरूपण और अंगीकरण हेतु राष्ट्रीय जल बोर्ड की दिनांक 29 अक्तूबर, 1998 को हुई दसवीं बैठक, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (एनडब्ल्यूआरसी) द्वारा गठित कार्य समूह की क्रमश: दिनांक 7 जुलाई, 2000 और 1 अप्रैल, 2002 को हुई चौथी और पांचवीं बैठक में हिस्सा लिया।

विवरण

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय जल नीति, 2002, 1 अप्रैल, 2002 को भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 5वीं बैठक में अपना ली गई थी। राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय मूल आवश्यकता तथा एक कीमती राष्ट्रीय सम्पत्ति है। जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत किए जाने की आवश्यकता है।
- विद्यमान केन्द्रीय और राज्य स्तर के अभिकरणों को एकीकृत और सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर जल संबंधी आंकड़ों के वास्ते आंकड़ा बैंकों और आंकड़ा आधारों के नेटवर्क युक्त एक सुविकसित सूचना प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

- देश में उपलब्ध जल संसाधनों तक अधिकतम संभव स्तर को उपयोज्य संसाधनों की श्रेणी लाया जाना चाहिए।

- जल की उपयोगिता के गैर परंपरागत पद्धतियों जैसे अंत: बेसिन अंतरण, भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा खारे और समुद्री जल का अलवणीकरण तथा परंपरागत जल संरक्षण पद्धदियों जैसे वर्षा जल संचयन, जिसमें छत पर वर्षा जल संचयन भी शामिल है, को उपयोज्य जल संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अपनाने की आवश्यकता है। इन तकनीकों के लिए प्रमुख अनुसंधान और विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना आवश्यक है।

- एक जल वैज्ञानिक इकाई के लिए जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन की आयोजना करनी होगी। नदी बेसिनों के नियोजित विकास और प्रबंधन के लिए उपयुक्त नदी बेसिन संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए।

- क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नदी बेसिन से दूसरी नदी बेसिन में जल के अंतरण सहित जल की कमी वाले क्षेत्रों से जल अंतरित करके जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- जहां तक संभव हो मानव व पारिस्थितिकीय पहलुओं और समाज के जो वर्ग लाभ से वंचित रह रहे हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एकीकृत एवं बहुविषयी दृष्टिकोण अपनाते हुए जल संसाधन के विकास के लिए परियोजना की आयोजना बहुउद्देशीय होनी चाहिए।

- जल के आबंटन में पेय जल को सर्वप्रथम इसके पश्चात सिंचाई, जल-विद्युत, पारिस्थितिकी, खाद्य-उद्योगों और गैर कृषि-उद्योगों, नौवहन और अन्य उपयोगों के क्रम में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

2427. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत दमन और द्वीव संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) यह संगठन किस प्रयोजनार्थ पंजीकृत है;

(ग) क्या कोई संगठन उन उद्देश्यों और लक्ष्यों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया है जिसके लिए यह पंजीकृत किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 यद्यपि एक केन्द्रीय अधिनियम है किन्तु इसका प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अत: दमन और द्वीव संघ शासित क्षेत्र में पंजीकृत सोसायटियों के अभिलेख संबंधित संघ शासित क्षेत्र सरकार के पास उपलब्ध है न की इस मंत्रालय में।

[हिन्दी]

कारों की बिक्री

2428. श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करें:

(क) क्या वर्तमान में देश में कारों का अधिकतम विनिर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितने कारों का पंजीकरण किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कारों और वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन, बिक्री और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल): (क) और (ख) सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसआईएएम) की सूचना के अनुसार, विगत दो वर्षों में कारों के उत्पादन में वृद्धि हुई। तथापि, हाल के कुछ महा में, कारों के उत्पादन में गिरावट आई है। वर्तमान वर्ष (अक्तूबर, 2011) सहित विगत तीन वर्षों में यात्री कारों का उत्पादन तथा परिवर्तन प्रतिशत इस प्रकार है:

वर्ग	2008-09	2009-10	2010-11	2010-11 (अक्तूबर, 2010 तक)	2011-12 (अक्तू. 2011 तक)
यात्री कार	15,16,967	19,32,620	24,53,113	13,71,269	13,53,634
% परविंतन	6.36	27.40	26.93	-	(-)1.29

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कारों की घरेलू बिक्री तथा निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

वर्ग	2008-09	2009-10	2010-11	2010-11
घरेलू बिक्री	12,20,475	15,28,337	19,82,702	10,47,804
निर्यात	3,31,535	4,41,709	4,38,214	2,89,426

(घ) ऑटो मिशन प्लान (2006-16) के अनुसरण में किए गए विभिन्न उपाय और नई विदेश व्यापार नीति में अतिरिक्त लाभ प्रावधान है, जिससे देश में कारों और वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन, बिक्री और निर्यात को आशा के अनुरूप प्रोत्साहन मिलेगा।

[अनुवाद]

रेलवे में छात्रावास

2429. श्री सी.आर. पाटिल:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा देश में अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए राज्य-वार कितने छात्रावास चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह छात्रावास आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या रेलवे द्वारा अधिक छात्रावास खोलने और उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) मौजूदा नीति के अनुसार, शिक्षा केन्द्रों पर रेल कर्मचारियों के आश्रितों के लिए हॉस्टल स्थापित किए जाते हैं। पुणे में हॉस्टल क्षमता बढ़ाने और लखनऊ, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बतूर, इंदौर, वडोदरा और नागपुर में नए हॉस्टल स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव हैं।

विवरण

रेलों द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	हॉस्टलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	01
4.	बिहार	01
5.	छत्तीसगढ़	01
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	02
8.	हरियाणा	01
9.	हिमाचल प्रदेश	0
10.	जम्मू और कश्मीर	01
11.	झारखंड	01
12.	केरल	01
13.	कर्नाटक	01

1	2	3
14.	मध्य प्रदेश	04
15.	महाराष्ट्र	03
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	0
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	0
20.	ओडिशा	01
21.	पंजाब	0
22.	राजस्थान	01
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	01
25.	त्रिपुरा	0
26.	उत्तराखंड	0
27.	उत्तर प्रदेश	01
28.	पश्चिम बंगाल	03
	कुल	24

मनरेगा के अंतर्गत अनियमितताएं

2430. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन की गयी विभिन्न अनियमितताओं के अंतर्गत शामिल धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का जहां बड़ी मात्रा में अनियमितता का पता चला है, वहां राज्यों को दी जाने वाली अगली किश्त पर रोक लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) दिनांक 10.11.2011 की स्थिति के अनुसार देश में महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के कार्यान्वयन में सभी प्रकार की अनियमितताओं के संबंध में मंत्रालय को कुल 2574 शिकायतें मिली हैं। शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं शिकायतें मुख्य रूप से जॉब कार्ड उपलब्ध न कराए जाने, निधियों के दुर्विनियोग, ठेकेदारों को कार्य में लगाए जाने, मस्टर रोल में हेर-फेर, जॉब कार्ड में गड़बड़ी, मजदूरी का कम भुगतान, मजदूरी का भुगतान न किए जाने, भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं, मशीनरी का उपयोग, भुगतान में विलंब आदि से संबंधित हैं। ऐसी शिकायतों से तथाकथित विभिन्न अनियमितताओं में निहित राज्य-वार या वर्ष-वार राशि के ब्यौरे का पता नहीं लगाया जा सकता है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम का कार्यान्वयन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार किया जाता है, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें विधि के अनुसार जांच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। मंत्रालय राज्य सरकारों को इस अधिनियम के अंतर्गत गंभीर शिकायतों की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने तथा सरकारी निधियों के दुर्विनियोजन एवं गबन के मामलों में यह सुनिश्चित करने के उनके दायित्व का स्मरण कराता रहा है कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, बल्कि साथ ही साथ संबंधित व्यक्तियों से वह राशि वसूलने के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार दांडिक अभियोजन कार्यवाही भी शुरू की जाए।

(ख) और (ग) अधिनियम की धारा 27(2) के तहत किसी भी राज्य को मनरेगा के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों की रिलीज पर रोक लगाने या अवरुद्ध करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि इससे ऐसे राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार में रूकावट आ सकती है और अकुशल शारीरिक श्रम कार्य के लिए मांग के आधार पर प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों तक का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने का अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा।

विवरण

10.11.2011 की स्थिति के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत शिकायतें

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	39	18	21
2.	असम	43	10	33
3.	बिहार	180	35	145
4.	छत्तीसगढ़	102	35	67
5.	गोवा	1	0	1
6.	गुजरात	44	15	29
7.	हरियाणा	62	33	29
8.	हिमाचल प्रदेश	29	14	15
9.	जम्मू और कश्मीर	6	0	6
10.	झारखंड	125	56	69
11.	कर्नाटक	31	10	21
12.	केरल	12	8	4
13.	लक्षद्वीप	2	2	0
14.	मध्य प्रदेश	418	193	225
15.	मेघालय	4	0	4
16.	महाराष्ट्र	26	14	12
17.	मणिपुर	13	2	11
18.	मिजोरम	1	1	0
19.	नागालैंड	6	3	3
20.	ओडिशा	71	26	45
21.	पंजाब	20	5	15
22.	पुडुचेरी	1	0	1
23.	राजस्थान	247	112	135
24.	सिक्किम	1	1	0
25.	तमिलनाडु	18	7	11
26.	त्रिपुरा	2	2	0
27.	उत्तर प्रदेश	999	419	580
28.	उत्तराखंड	27	6	21
29.	पश्चिम बंगाल	44	22	22
30.	अखिल भारत	2574	1049	1525

[अनुवाद]

गैस टरबाइन विद्युत स्टेशन

2431. श्री संजय निरूपमः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उड़ान में गैस टरबाइन विद्युत स्टेशन (जीटीपीएस) में 1220 मे.वा. गैस आधारित इकाई कार्यनिष्पादन के लिए तैयार है परंतु यह दीर्घ कालीन गैस आपूर्ति समझौते में फंस गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से मैसर्स रिलायंस लि. के के. जी. बेसिन से जीटीपीएस हेतु 5.4 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस आपूर्ति प्राप्त करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भूमि का अधिग्रहण, जल आपूर्ति, पर्यावरण संबंधी मंजूरी, विमानन संबंधी मंजूरी, विद्युत निर्वातन, वित्तीय खातों को बंद करना आदि जैसी सभी तैयारियां, पूरी कर ली गई हैं।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र के उप मुख्य मंत्री ने महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लि. (एमएएचएजीईएनसीओ) की 1220 मेगावाट उरण्न विद्युत परियोजना के लिए 5.4 एमएमएससीएमडी गैस आबंटित करने का अनुरोध किया है। विचाराधीन परियोजनाओं के संबंध में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत गैस के मूल्य निर्धारण और उपयोग चालू करने के लिए तैयार हो जाएंगे सभी गैस की उपलब्धता शर्त पर, केजी डी-6 क्षेत्रों से आवश्यक आबंटन कर दिया जाएगा।

राजकोट खण्ड में कार्य

2432. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को राजकोट-जयपुर लाइन पर मानक इंटर-लाकिंग प्रणाली और 'कलर लॉइट सिग्नल' संस्थापित करने और राजकोट-मेहसाणा-नई दिल्ली लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) राजकोट-जयपुर लाइन पर मानक इंटरलॉकिंगः रेलवे को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, पालनपुर-जयपुर खंड पर मानक-II (आर) इंटरलॉकिंग सहित रंगीन बत्ती वाली सिगनल व्यवस्था पहले से ही मुहैया करा दी गई है।

राजकोट-मेहसाणा-नई दिल्ली लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरणः अजमेर-पालनपुर खंड का कहीं-कहीं दोहरीकरण स्वीकृत कर दिया गया है और इसे पूरा किया जा हा है। विद्युतीकरण के संबंध में, नई दिल्ली-मेहसाणा खंड के विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार परिचालनिक और वित्तीय आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल, मेहसाणा-राजकोट खंड को विद्युतीकृत किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि रेलपथ का विद्युतीकरण वित्तीय अर्थक्षमता, यातायात की संख्या और परिचालनिक व्यवहार्यता के आधार पर निश्चित किया जाता है।

रेलवे लाइनों का दोहरीकरण

2433. श्री एन.एस.वी. चित्तनः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चेन्नई से तूतीसेनिन डिंडिगुल से कुमुली तथा पालम से इराडे खंड पर लाइन के दोहरीकरण का कार्य अब तक आरंभ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और यदि नहीं, तो उक्त खण्ड पर कार्य की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त खण्डों पर कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) चेन्नै-तूतीकोरिन, दिण्डीगुल-कुमुली और ईरोड-पलानी खंडों पर दोहरीकरण कार्यों का खंड-वार ब्यौरा, उनकी मौजूदा स्थिति और उन्हें पूरा किए जाने की लक्ष्य तिथि, जहां-कहीं निर्धारित की गई है, निम्नानुसार है:-

खंड		मौजूदा स्थिति	पूरा किए जाने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई।
(क)	चेन्नै-तूतिकोरिन		
(i)	चेन्नै-चेंगलपट्टू	दोहरी बड़ी आमान लाइन पहले से ही मौजूद है।	लाूग नहीं।
(ii)	चेंगलपट्टू-विलुपुरम	इस खंड के दौहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।	मार्च, 2013
(iii)	विलुपुरम-दिण्डीगुल	इस खंड के दोहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।	निर्धारित नहीं
(iv)	दिण्डीगुल-मदुरै	इस खंड पर दोहरी बड़ी आमान लाइन पहले से ही मौजूद है।	लागू नहीं।
(v)	मदुरै-तूतीकोरिन	इस खंड का दोहरीकरण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है	लागू नहीं
(ख).	दिण्डीगुल-कुमुली	दिण्डीगुल से कुमुली और ईरोड से पलानी को जोड़ने वाली	
(ग).	ईरोड-पलानी	ऐसी कोई रेल लाइन नहीं है।	

डीजल की चोरी

2434. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि हाल ही में रेलवे के शकूरबस्ती तेल डिपो के टैंकर में 8000 लीटर पानी पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो दोषियों को दण्डित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या विगत वर्षों में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही थीं और उनका पता नहीं लगाया जा सका था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। केरोसीन में पानी मिश्रित करने के संबंध में 10.10.2011 को निरोधक सतर्कता जांच की गई जिसमें 7610 लीटर केरोसीन के एक खड़े हुए टैंक में 779 लीटर पानी और डीजल के एक खड़े हुए टैंक में 559 लीटर पानी होने की जानकारी मिली है।

(ख) संदिग्ध कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं। बहरहाल, तेल की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करने की पद्धति को और सुदृढ़ किया गया है।

[हिन्दी]

डीडीपी क्षेत्रों की खराब हालत

2435. श्री भरत राम मेघवाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) की तुलना में मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) में जल की कमी के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मरूस्थलीकरण को रोकने और डीडीपी क्षेत्रों में सतत जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जोकि डीडीपी और डीपीएपी के कार्यान्वयन से संबंधित है, के अनुसार डीडीपी/डीपीएपी क्षेत्रों में जल की कमी के बारे में कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) भूमि संसाधन विभाग ने डीडीपी और डीपीएपी को एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के साथ दिनांक 26 फरवरी, 2009 से प्रभावी रूप में एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम नामक एक एकल संशोधित कार्यक्रम के रूप में एकीकृत किया है। एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य अपचयित प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, वनस्पति और जल का संचयन, संरक्षण और विकास करना, मृदा क्षय को रोकने, वर्षा जल संचयन और भूमि जल स्तर पर पुनर्भरण, फसल उत्पादकता में वृद्धि, बहु-फसल की शुरूआत एवं विविध कृषि आधारित कार्यकलापों, स्थायी जीविका को प्रोत्साहित करना और घरेलू आय में वृद्धि करना है।

[अनुवाद]

रेलवे क्वाटर्स

2436. श्री अब्दुल रहमान:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जोन-वार रेलवे क्वाटरों की कुल संख्या क्या हैं;

(ख) खस्ता हालत के चलते जोन-वार कितने रेलवे क्वाटर्स खाली पड़े हुए हैं;

(ग) रेलवे द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जोन-वार कितने रेलवे क्वाटरों का निर्माण किया गया;

(घ) उन रेलवे कालोनियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है जहां रेलवे द्वारा सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में 'ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन' द्वारा की गई शिकायतों पर जारी किये गये अनुदेशों का क्या निष्कर्ष निकला; और

(च) रेलवे द्वारा ऐसी कालोनियों में सुरक्षित जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेलवे के पास क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों और अन्य संगठनों में लगभग 6.2 लाख अदद क्वार्टर हैं। इनमें से कई क्वार्टरों को बहुत पहले उस समय प्रचलित मानकों के अनुसार बनाया गया था। जिन क्र्वाटरों को रहने लायक बनाया जा सकता है, उन्हें एक चरणबद्ध तरीके से सुधारा जाता है। क्वार्टरों का पुनर्स्थापन और उनमें सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यो को प्रत्येक वर्ष धन की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाता है। क्वार्टरों की संख्या, खाली पड़े क्वार्टर और पुनर्स्थापना की आवश्यकता वाले क्वार्टरों का जोन-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्वार्टरों की संख्या, खाली पड़े क्र्वाटर और पुनर्स्थापन की आवयकता वाले क्वार्टरों का जोन-वार विवरण निम्नानुसार है:

रेलवे जोन	रेलवे क्वार्टरों की कुल संख्या	खाली पड़े क्वार्टरों की संख्या	पुनर्स्थापन की आवश्कता वाले पुराने क्वार्टरों की संख्या
1	2	3	4
मध्य	43019	3762	5322
पूर्व	37229	5637	3216
पूर्व मध्य	45272	626	2253
पूर्व तट	25043	3626	507
उत्तर	75867	3047	6845

1	2	3	4
उत्तर मध्य	26266	1058	1488
पूर्वोत्तर	27015	663	3
पूर्वोत्तर सीमा	53234	4163	4472
उत्तर पश्चिम	31524	2573	2458
दक्षिण	29276	2920	2094
दक्षिण मध्य	34203	2343	4091
दक्षिण पूर्व	48306	3970	3538
दक्षिण पूर्व मध्य	23284	2584	306
दक्षिण पश्चिम	14404	1359	1073
पश्चिम	51716	4234	6003
पश्चिम मध्य	27518	1116	844
मेट्रो	645	0	0
जोड़	593821	43681	44513

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग

2437. श्री कामेश्वर बैठा:
श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई सूची में अनेक विसंगतियां पाई गई हैं जिसके कारण इसे तैयार किए जाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, जिन्हें उसके कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है, का निर्धारण करने की दृष्टि से बीपीएल जनगणना कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। बीपीएल जनगणना संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कराई जाती है तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ही बीपीएल सूचियां बनाते हैं और इनका रखरखाव/अद्यतन करते हैं। अंतिम बीपीएल जनगणना 2002 में कराई गई थी, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों पर गरीबी के प्रोक्सी इन्डिकेटर के रूप में सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर प्रत्येक परिवार की स्कोर आधारित रैंकिंग के आधार पर बनाई गई कार्य पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपलब्ध अंतिम रिपोर्टों के अनुसार बीपीएल जनगणना 2002 के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के रूप में 550.821 लाख ग्रामीण परिवारों का निर्धारण किया गया था। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बीपीएल जनगणना 2002 के आधार पर बनाई गई बीपीएल सूचियों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य समूहों का प्रावधान किया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा विसंगतियों को कम करने के लिए राज्य को यह सलाह दी गई थी कि वे बीपीएल सूची का व्यापक प्रचार प्रसार करें, इसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराएं तथा वेबसाइट एवं प्रमुख स्थानों तथा पंचायत मुख्यालयों में इसे प्रदर्शित करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र गरीब परिवार न छूटे तथा जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए राज्यों से दो स्तरीय अपील व्यवस्था उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है ताकि आपत्ति होने पर जनता पदनामित अधिकारियों के पास अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकें।

विवरण

बीपीएल जनगणना, 2002 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किए गए ग्रामीण बीपीएल परिवारों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्धारित किए गए बीपीएल परिवारों की संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	29.893
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.830
3.	असम	18.728
4.	बिहार	113.410
5.	छत्तीसगढ़	17.892
6.	दिल्ली	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है
7.	गोवा	0.071
8.	गुजरात	14.512
9.	हरियाणा	8.583
10.	हिमाचल प्रदेश	2.823
11.	जम्मू और कश्मीर	6.179
12.	झारखंड	25.480
13.	कर्नाटक	19.190
14.	केरल	उपलब्ध नहीं।
15.	मध्य प्रदेश	40.842
16.	महाराष्ट्र	45.025
17.	मणिपुर	1.693
18.	मेघालय	2.052
19.	मिजोरम	0.374
20.	नागालैंड	1.558
21.	ओडिशा	उपलब्ध नहीं।
22.	पंजाब	3.445
23.	राजस्थान	17.362
24.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं
25.	तमिलनाडु	34.848
26.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
27.	उत्तर प्रदेश	100.271
28.	उत्तराखंड	6.238
29.	पश्चिम बंगाल	39.250
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	0.107
31.	चंडीगढ़	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है
32.	दादरा व नगर हवेली	0.160
33.	दमन व दीव	0.005
34.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं।
35.	पुदुचेरी	उपलब्ध नहीं।
	कुल	550.821

*केवल अंडमान के लिए

दोहरीकरण/विद्युतीकरण कार्य

2438. श्री माणिकराव होडल्या गावित:
डॉ. शशी थरूर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उधना-जलगांव और तिरूवंनतपुरम-कन्याकुमारी खण्ड पर दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) उक्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) विद्युतीकरण सहित ऊधना-जलगांव खंड का दोहरीकरण शुरू कर दिया गया है। अमलनेर-धारनगांव खंड (25 किमी) में ट्रैक लिंकिंग कार्य अंतिम चरण में है। व्यारा-चिंचपाड़ा खंड (60 किमी) में मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी, मिट्टी आपूर्ति संबंधी आदि संबंधी कार्य अलग-अलग चरणों में हैं।

तिरुवनंतपुरम-कन्याकुमारी रेल लाइन का दोहरीकरण, स्वीकृत परियोजना नहीं है।

[अनुवाद]

उत्पादन में गिरावट

2439. श्री जोस के. मणि: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीरिया के तेल क्षेत्र जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम की हिस्सेदारी है, के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) की अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी हिमालया एनर्जी सीरिया बीवी के माध्यम से एआई फरात परियोजना में हिस्सेदारी है। एआई फरात परियोजना के तेल फील्ड से उत्पादन में सीरिया सरकार की सलाह पर सितम्बर, 2011 से लगभग 17 प्रतिशत तक कमी की गई है।

(ख) सितम्बर, 2011 से पहले परियोजना से 85,000 बैरल प्रति दिन की दर से तेल और कंडेन्सेट का उत्पादन हो रहा था। 3 सितम्बर, 2011 से यूरोपीय संघ (ईयू) देशों ने सीरिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीरिया के साथ संविदा वाले यूरोपीय देशों सितम्बर, 2011 से सीरियाई कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया है। तदनुसार, इन व्यापार प्रतिबंधों के कारण सीरिया सरकार ने एआई फुरात कंपनी के प्रबंधन को लगभग 17 प्रतिशत तक उत्पादन कम करने के लिए सलाह दी है। वर्तमान में, परियोजना से 70,500 बैरल प्रति दिन की दर से कच्चे तेल और कंडेन्सेट का उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) ईयू तेल आयात प्रतिबंध में केवल यूरोपीय देशों द्वारा सीरियाई कच्चा तेल का आयात करने पर प्रतिबंध है। ओवीएल सीरिया से कच्चा तेल उठाने की संभावनाओं के लिए भारतीय शोधन कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है।

ट्रेन प्रचालन में लापरवाही

2440. श्री बलीराम जाधव:
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि त्रुगाली से वाराणसी वाया भुवनेश्वर को 6 सितम्बर 2011 को चली विशेष ट्रेन चूक का पता चलने से पूर्व आंध्र प्रदेश के तीन रेल मण्डलों में निर्धारित मार्ग से अलग चली गई;

(ख) यदि हां, तो क्या यह चूक संवादहीनता के कारण हुई और यात्रियों में अफरातफरी मच गई;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा इस संबंध में जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं एवं चूककर्ता पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) तिरुपति से पूरी तक पूरे टैरिफ दर (एफटीआर) पर बुक की गई स्पैशल रेलगाड़ी को 07.09.2011 को दक्षिण मध्य रेलवे के केवल एक मंडल पर विशाखापटनम के निर्धारित रूट की ओर जाने के स्थान पर इसे विजयवाड़ा से बल्हारशाह की ओर गलती से मार्ग परिवर्तित कर दिया गया था। इस गलती को वारंगल स्टेशन पर नोटिस किया गया और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की गई तथा इस रेलगाड़ी को वापिस निर्धारित रूट पर भेजा गया।

(ख) जी हां। यह गलती कोचिंग डिपो, तिरुपति द्वारा गलत रूट रिले के कारण हुई थी।

(ग) जी हां।

(घ) इस मामले की दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा जांच की गई है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जवाबदेह अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासात्मक कार्रवाई की गई है।

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

2441. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तथा पन्ना/मुक्ता एवं ताप्ती तथा रिलायंस जैसे संयुक्त उद्यमों से एलपीजी के उत्पादन के लिए गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को वर्ष-वार कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गेल द्वारा वर्ष-वार एलपीजी का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना था तथा वास्तव में कितना उत्पादन किया गया;

(ग) क्या गेल ने एलपीजी के उत्पादन के लिए आपूर्ति की गई प्राकृतिक गैस को कुछ अन्य उद्योगों में विपथित कर दिया था जिससे भारी लाभ हुआ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गेल (इंडिया) लिमिटेड को एलपीज के उत्पादन के लिए ओएनजीसी के पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों और संयुक्त उद्यमों जैसे पन्ना मुक्ता और ताप्ती तथा रिलायन्स से आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस की कुल मात्रा निम्नवत् है

आंकड़े एमएमएससीएम में

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अक्तूबर से)
आएनजसी*	560.30	559.26	506.93	208.95
पीएमटी**	511.17	318.39	71.0	0
आरआईएल केजी डी6	0	376.28	724.69	465.52
योग	1071.47	1253.93	1302.69	674.47

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गेल द्वारा वास्तविक रूप से उत्पादित और उत्पादित की जाने वाली एलपीजी की कुल मात्रा निम्नवत् है:

वर्ष	तरल हाइड्रोकार्बन (एलएचसी) उत्पादन (एलपीजी सहित) (मी.ट) (समझौता ज्ञापन लक्ष्य के अनुसार)	एलएचसी वास्तविक उत्पादन (एलपीजी सहित) (मी.ट)	एलपीजी उत्पादन (मी.ट)
2008-09	1260198	1400542	1087986
2009-10	1261027	1439858	1099554
2010-11	1288061	1368971	1068157
2011-12	775748	851054	663928

*संयंत्र ऊष्मीय मान

**निवल ऊष्मीय मान

(ग) से (ङ) गेल ने रिपोर्ट दी है कि उसने एलपीजी के उत्पादन के लिए आरआईएल केजी डी6 ब्लाक से आपूर्ति की गई प्राकृतिक गैस को कुछ अन्य उद्योगों के लिए विपथित नहीं किया है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियां जारी करना

2442. श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए जिला पंचायतों को सीधे निधि जारी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार योजना आयोग द्वारा की गई समीक्षा के संदर्भ में उक्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को निधियां आवंटित करने की प्रक्रिया को संशोधित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), अब आजीविका के नाम से जानी जाने वाली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एसजीएसवाई/एनआरएलएम), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) नामक ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करता है तथा कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए), राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां सीधे रिलीज की जाती हैं। महात्मा गांधी नरेगा जहां छत्तीसगढ़ तथा हरियाणा के लिए निधियां जिला पंचायत/जिला परिषद को रिलीज की जा रही हैं के मामले के अलावा जिला पंचायतों को निधियां सीधे रिलीज नहीं की जाती हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रक्रियाओं में संशोधन करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लोक उद्यमों की अधिशेष परिसंपत्ति का उपयोग करना

2443. श्री रामसिंह राठवा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने संसाधनों के सृजन के लिए लोक उद्यमों की अधिशेष परिसंपत्ति का उपयोग करने के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इरादा किस प्रकार ऐसे संसाधनों के उपयोग करने का है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएई) ने अब तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संलग्न विवरण में दिए गए 16 उद्यमों की अधिशेष परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अनुशंसा की है।

(ग) सम्बंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम का प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन हेतु सभी पणधारियों से समुचित परामर्श के बाद व्यापक पैकेज तैयार करने के लिए उत्तरदायी है तथा इसे अनुशंसा हेतु सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड को भेजता है। इसके बाद सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करते हैं। सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकारों से भी परामर्श कर सकते हैं।

(घ) अधिशेष परिसंपत्तियों के उपयोग से सृजित संसाधनों का केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार हेतु उपयोग किया जाता है।

विवरण

क्रम. सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम
1	2
1.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
2.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड
3.	ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन लिमिटेड
4.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

1	2
5.	एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड
6.	नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
7.	बीको जोंरी लिमिटेड
8.	प्रागा टूल्स लिमिटेड
9.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड
10.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
11.	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
12.	हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
13.	एण्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड
14.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड
15.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड
16.	एचएमटी लिमिटेड

गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए लोग

2444. श्रीमती रमा देवी:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास किसी वर्ष विशेष के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए लोगों के बारे में आंकड़े/सूचना जारी करने के लिए कोई प्रणाली/तंत्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ऐसे आंकड़ों के अभाव में ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किस हद तक प्रभावित हुआ है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय विशिष्ट उद्देश्यों से अनेक योजनाएं चला रहा है और इन सभी योजनाओं में गरीबी रेखा को पार करने वाले व्यक्तियों का निर्धारण नहीं किया जाता है। तथापि, स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना नामक प्रमुख स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता-प्राप्त परिवारों (स्वरोजगारियों) को बैंक ऋणों और सरकारी सहायता के जरिए आय अर्जक परिसंपत्तियां/लघु उद्यम लगाने के अवसर मुहैया कराके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। प्रतिष्ठित स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों के जरिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान कराए गए समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यकलाप के परिणामस्वरूप गरीबी रेख को पार करने वाले स्वरोजगारी व्यक्तियों और स्वरोजगारी समूहों का प्रतिशत सबसे अधिक क्रमशः गुजरात (33.33%) और मेघालय (33.86%) में है। इसी प्रकार गरीबी रेखा को पार करने वाले स्वरोजगारी व्यक्तियों और स्वरोजगारी समूहों का प्रतिशत सबसे कम क्रमशः ओडिशा (14.87%) और छत्तीसगढ़ (14.56%) में है।

जलाशयों की भण्डारण स्थिति

2445. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूरे देश में स्थित विभिन्न जलाशयों की भण्डारण स्थिति की निगरानी कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर 2011 तक विभिन्न जलाशयों के भण्डारण का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिन्सेंट एच. पाला): (क) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश के 81 जलाशयों की भंडारण स्थिति की प्रतिदिन आधार पर निगरानी तथा इन जलाशयों में भंडारण स्थिति के संबंध में साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है।

(ख) दिनांक 31.10.2011 के बुलेटिन के आधार पर निगरानी किए जा रहे 81 जलाशयों का कुल सक्रिय भंडारण 119.899 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है जो कि पूर्ण जलाशय स्तर पर उनके संयुक्त सक्रिय भंडारण का 79% है। सीडब्ल्यूसी द्वारा 31 अक्तूबर, 2011 तक निगरानी किए गए 81 जलाशयों में जलाशय-वार जल स्तर और उनकी सृजित सक्रिय क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत के 81 महत्वपूर्ण जलाशयों की रिपोर्ट

(31.10.2011 तक)

क्र.सं.	जलाशय का नाम	राज्य	एफआरएल (मीटर)	एफआरएल पर सक्रिय क्षमता (बीसीएम)	स्तर (मीटर)	सक्रिय भंडारण क्षमता (बीसीएम)	इस वर्ष एफआरएल पर सक्रिय क्षमता के % के रूप में भंडारण
1	2	3	4	5	6	7	8
*1.	श्रीसैलम	(आंध्र प्रदेश)	269.75	8.288	264.55	5.614	68
*2.	नागार्जुन सागर	(आंध्र प्रदेश)	179.83	6.841	172.64	4.862	71
3.	श्रीरामसागर	(आंध्र प्रदेश)	332.54	2.300	331.44	2.110	92
4.	सोमसिला	(आंध्र प्रदेश)	100.58	1.994	98.18	1.517	76
5.	निचली मनैर	(आंध्र प्रदेश)	280.42	0.621	279.01	0.573	92
6.	तेनुघाट	(झारखंड)	269.14	0.821	260.60	0.368	45
7.	मैथन	(झारखंड)	146.30	0.471	146.95	0.471	100
*8.	पंचेट हिल	(झारखंड)	124.97	0.184	126.10	0.184	100
9.	कोनार	(झारखंड)	425.81	0.176	426.08	0.176	100
10.	तिलैया	(झारखंड)	368.81	0.142	368.86	0.142	100
*11.	उकाई	(गुजरात)	105.16	6.615	103.41	5.723	87
12.	साबरमती (धरोई)	(गुजरात)	189.59	0.735	189.34	0.719	98
*13.	कदाना	(गुजरात)	127.70	1.472	126.39	1.058	72
14.	शेतरंजी	(गुजरात)	55.53	0.300	55.37	0.287	96
15.	भादर	(गुजरात)	107.89	0.188	107.65	0.177	94
16.	दमनगंगा	(गुजरात)	79.86	0.502	79.65	0.493	98
17.	दांतीवाड़ा	(गुजरात)	184.10	0.399	183.70	0.374	94

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	पानम	(गुजरात)	127.41	0.697	127.00	0.668	96
*19.	गोबिंद सागर (भाखड़ा)	(हिमाचल प्रदेश)	512.06	6.229	510.01	5.636	90
*20.	पोंग बांध	(हिमाचल प्रदेश)	423.67	6.157	421.04	5.289	86
21.	कृष्णराजा सागर	(कर्नाटक)	752.50	1.163	752.18	1.122	96
*22.	तुगभद्रा	(कर्नाटक)	497.74	3.276	497.01	2.604	79
23.	घटप्रभा	(कर्नाटक)	662.95	1.391	661.33	1.269	91
24.	भद्रा	(कर्नाटक)	657.76	1.785	657.30	1.700	95
25.	लिंगानामक्की	(कर्नाटक)	554.43	4.294	553.34	3.957	92
26.	नारायणपुर	(कर्नाटक)	492.25	0.863	491.88	0.790	92
27.	मलप्रभा (रेणुका)	(कर्नाटक)	633.83	0.972	632.88	0.853	88
28.	कबिनी	(कर्नाटक)	696.16	0ए275	693ए42	0.126	46
29.	हेमावती	(कर्नाटक)	890.63	0.927	888.11	0.716	77
30.	हरांगी	(कर्नाटक)	871.42	0.220	868.70	0.147	67
31.	सुपा	(कर्नाटक)	564.00	4.120	554.27	3.017	73
32.	वानीविलास सागर	(कर्नाटक)	652.28	0.802	643.97	0.298	37
*33.	अलमट्टी	(कर्नाटक)	519.60	3.105	519.06	2.789	90
*34.	गेरूसोप्पा	(कर्नाटक)	55.00	0.130	53.76	0.122	94
35.	कल्लाड़ा (परप्पार)	(केरल)	115.82	0.507	116ए02	0.492	97
*36.	इदमलयार	(केरल)	169.00	1.018	16782	0.984	97
*37.	इदुक्की	(केरल)	732.43	1.460	727.19	1.172	80
*38.	कक्की	(केरल)	981.46	0.447	976ए84	0.369	83
*39.	पेरियार	(केरल)	867.41	0.173	863ए20	0.089	51
*40.	गांधी सागर	(मध्य प्रदेश)	399.90	6.827	396.42	4.777	70
41.	तवा	(मध्य प्रदेश)	355.40	1.944	354.88	1.944	100

1	2	3	4	5	6	7	8
*42.	बरगी	(मध्य प्रदेश)	422.76	3.180	421.65	2.912	92
*43.	बाणसागर	(मध्य प्रदेश)	341.64	5.166	341.21	4.980	96
*44.	इंदिरा सागर	(मध्य प्रदेश)	262.13	9.745	258.22	6.568	67
*45.	मिनीमाता बंगोई	(छत्तीसगढ़)	359.66	3.046	356.97	2.556	84
46.	महानदी	(छत्तीसगढ़)	348.70	0.767	345.13	0.465	61
47.	जायकवाड़ी (पैथन)	(महाराष्ट्र)	463.91	2.171	461.45	1.313	60
*48.	कोयना	(महाराष्ट्र)	657.90	2.652	655.17	2.332	88
49.	भीमा (उज्जानी)	(महाराष्ट्र)	496.83	1.517	496.83	1.517	100
50.	इसापुर	(महाराष्ट्र)	441.00	0.965	440.26	0.894	93
51.	मुला	(महाराष्ट्र)	552.30	0.609	552.04	0.595	98
52.	येलदारी	(महाराष्ट्र)	461.77	0.809	460.25	0.656	81
53.	गिरना	(महाराष्ट्र)	398.07	0.524	390.34	0.204	39
54.	खड़कवासला	(महाराष्ट्र)	582.47	0.056	581.83	0.047	84
*55.	ऊपरी वैतरणा	(महाराष्ट्र)	603.50	0.331	603.50	0.331	100
56.	ऊपरी तापी	(महाराष्ट्र)	214.00	0.255	214.00	0.255	100
*57.	पेंच (तोतलादोह)	(महाराष्ट्र)	490.00	1.091	488.33	0.925	85
*58.	हीराकुड	(ओडिशा)	192.02	5.378	191.24	4.930	92
*59.	बालीमेला	(ओडिशा)	462.08	2.676	445.83	0.537	20
*60.	सालंदी	(ओडिशा)	82.30	0.558	73.91	0.299	54
*61.	रेंगाली	(ओडिशा)	123.50	3.432	123.25	3.331	97
*62.	मचकंड (जलपूत)	(ओडिशा)	838.16	0.893	837.39	0.803	90
*63.	ऊपरी कोलाब	(ओडिशा)	858.00	0.935	849.88	0.271	29
*64.	ऊपरी इंद्रावती	(ओडिशा)	642.00	1.456	630.74	0.395	27
*65.	थीन	(पंजाब)	527.91	2.344	521.51	1.842	79

1	2	3	4	5	6	7	8
*66.	माही बजाज सागर	(राजस्थान)	280.75	1.711	281.45	1.711	100
67.	झाकम	(राजस्थान)	359.50	0.132	359.55	0.132	100
*68.	राणा प्रताप सागर	(राजस्थान)	352.81	1.436	350.52	1.006	70
69.	निचली भवानी	(तमिलनाडु)	278.89	0.792	272.81	0.460	58
*70.	मेत्तर (स्टेनली)	(तमिलनाडु)	240.79	2.647	232.01	1.529	58
71.	वैगई	(तमिलनाडु)	279.20	0.172	276.80	0.120	70
72.	पारम्बीकुलम	(तमिलनाडु)	556.26	0.380	555.51	0.364	96
73.	अलियार	(तमिलनाडु)	320.04	0.095	319.92	0.095	100
*74.	सोलायार	(तमिलनाडु)	1002.79	0.143	1002.94	0.143	100
75.	गुमती	(त्रिपुरा)	93.55	0.312	87.10	0.080	26
76.	माताटिला	(उत्तर प्रदेश)	308.46	0.707	307.12	0.568	80
*77.	रिहंद	(उत्तर प्रदेश)	268.22	5.649	265.09	4.296	76
*78.	रामगंगा	(उत्तराखंड)	365.30	2.196	362.27	1.969	90
*79.	टिहरी	(उत्तराखंड)	830.00	2.615	817.60	2.111	81
80.	मयुराक्षी	(पश्चिम बंगाल)	121.31	0.480	114.32	0.157	33
81.	कंग्साबती	(पश्चिम बंगाल)	134.14	0.914	129.72	0.422	46
	कुल 81 जलाशय के लिए			151.768		119.899	
	प्रतिशत					79	

60 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत क्षमता

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरकों की मांग

2446. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा रासायनिक उर्वरकों की मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त मांग को देखते हुए उर्वरकों के उत्पादन के लिए किन-किन कंपनियों को अनुमति दी गई है तथा ऐसी प्रत्येक कंपनी को उर्वरकों की कितनी मात्रा का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ख) केन्द्र सरकार कृषि आदानों पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों, जिसमें राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, के माध्यम से प्रत्येक फसल मौसम से

पहले उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करती है। मुख्य उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान राज्य-वार आवश्यकता को संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों के कंपनीवार उत्पादन को क्रमशः संलग्न विवरण-II, III, और IV में दर्शाया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की आवश्यकता

(आंकड़ें लाख मी.टन में)

राज्य का नाम	वर्ष	यूरिया	डीएपी	एमओपी	मिश्रित
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	2009-10	27.50	9.75	6.60	20.50
	2010-11	28.50	11.00	6.60	20.50
कर्नाटक	2009-10	13.75	8.20	5.15	11.20
	2010-11	14.00	8.60	5.65	11.20
केरल	2009-10	1.63	0.35	1.54	1.90
	2010-11	1.90	0.35	1.55	2.50
तमिलनाडु	2009-10	11.50	4.25	5.84	4.00
	2010-11	11.50	4.25	5.84	4.25
गुजरात	2009-10	18.75	8.00	2.30	4.72
	2010-11	19.50	8.40	2.30	4.83
मध्य प्रदेश	2009-10	15.25	8.50	1.20	3.55
	2010-11	16.75	10.00	1.45	3.69
छत्तीसगढ़	2009-10	5.48	1.77	0.84	1.42
	2010-11	5.70	2.84	1.06	1.40
महाराष्ट्र	2009-10	24.75	12.50	5.60	14.00
	2010-11	25.25	16.70	6.75	14.80
राजस्थान	2009-10	15.10	6.50	0.35	1.37
	2010-11	15.60	7.00	0.55	1.18
हरियाणा	2009-10	19.65	7.00	0.85	0.45
	2010-11	19.65	7.20	0.70	0.55
पंजाब	2009-10	25.50	8.50	0.91	0.55

1	2	3	4	5	6
	2010-11	26.00	9.25	1.06	0.70
उत्तर प्रदेश	2009-10	55.00	17.00	2.85	8.50
	2010-11	57.60	19.60	3.70	9.45
उत्तराखंड	2009-10	2.15	0.40	0.13	0.45
	2010-11	2.20	0.40	0.09	0.50
जम्मू और कश्मीर	2009-10	1.40	0.78	0.26	0.00
	2010-11	1.50	0.85	0.36	0.00
बिहार	2009-10	19.00	4.50	2.10	3.10
	2010-11	19.50	4.75	2.30	3.35
झारखंड	2009-10	2.05	1.15	0.15	0.50
	2010-11	2.10	1.10	0.15	0.85
ओडिशा	2009-10	5.75	2.25	1.70	3.00
	2010-11	5.750	2.50	1.90	3.00
पश्चिम बंगाल	2009-10	13.00	4.80	4.15	7.50
	2010-11	13.00	5.10	4.00	8.25
असम	2009-10	2.60	0.35	1.26	0.06
	2010-11	2.60	0.60	1.30	0.05
अखिल भारत	2009-10	281.90	106.98	43.85	87.73
	2010-11	290.79	120.92	47.80	92.00

विवरण II

वर्ष 2009-10 से 2010-11 के लिए यूरिया का संयंत्र-वार उत्पादन

संयंत्र का नाम	............उत्पादन................(‘000’ मी.टन)	
	2009-10	2010-11
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र		
एनएफएल : नांगल-II	474.0	478.5
एनएफएल : बठिण्डा	514.7	553.0

1	2	3
एनएफएल : पानीपत	512.9	470.0
एनएफएल : विजयपुर	878.5	916.6
एनएफएल : विजयपुर विस्तार	949.6	961.5
कुल (एनएफएल)	3329.7	3379.6
बीवीएफसीएल : नामरूप-II	79.2	86.1
बीवीएफसीएल : नामरूप-III	230.4	198.9
कुल (बीवीएफसीएल)	309.6	285.0
आरसीएफ ट्राम्बे-V	306.9	341.1
आरसीएफ : थाल	1782.2	1783.4
कुल (आरसीएफ)	2089.1	2124.5
एमएफएल : चेन्नै	435.9	477.9
कुल सार्वजनिक क्षेत्र	6164.3	6267.0
सहकारी क्षेत्र		
इफको : कलोल	601.2	600.1
इफको : फूलपुर	722.6	745.1
इफको : फूलपुर विस्तार	1000.1	1026.2
इफको : आंवला	1000.3	988.5
इफको : आंवला विस्तार	1000.3	1042.6
कुल (इफको)	4324.5	4402.5
कृभको : हजीरा	1779.6	1840.3
कुल सहकारी क्षेत्र	6104.1	6242.8
कुल (सार्वजनिक+सहकारी)	12268.4	12509.8
निजी क्षेत्र		
जीएसएफसी बडोदरा	281.5	245.5
एसएफसी : कोटा	382.2	403.4
डीआईएल : कानपुर	0.0	0.0
जेडआईएल : गोवा	387.5	396.8

1	2	3
स्पिक तूतीकोरिन	0.0	300.0
एमसीएफ : मंगलौर	379.5	379.4
जीएनएफसी : भरूच	601.7	643.2
आईजीएफ : जगदीशपुर	1096.1	1098.5
एनएफसीएल काकीनाडा-I	757.0	831.6
एनएफसीएल काकीनाडा-II	723.1	824.0
सीएफसीएल : गडेपान-I	1019.6	1032.2
सीएफसीएल : गडेपान-II	1011.2	1068.0
टीसीएल : बबराला	1231.7	1116.7
केएसएफएल : शाहजहांपुर	972.8	1030.5
कुल निजी क्षेत्र	8843.9	9370.7
कुल (सार्वजनिक+सहकारी+निजी)	21112.3	21880.5

विवरण III

वर्ष 2009-10 से 2010-11 के लिए डीएपी का संयंत्र-वार उत्पादन

संयंत्रों के नाम	............उत्पादन................('000' मी.टन)	
	2009-10	2010-11
सहकारी क्षेत्र		
इफको : कांडला	722.7	60.1
इफको : पारादीप	402.3	916.5
कुल सहकारी क्षेत्र	1125.0	976.6
निजी क्षेत्र		
जीएसएफसी : वडोदरा	0.0	0.0
जेडआईएल : गोवा	351.8	151.6
स्पिक : तूतीकोरिन	0.0	30.4
एमसीएफ : मंगलौर	198.1	177.8
टीसीएल : हल्दिया	183.7	190.3
जीएसएफसी : सिक्का-I	921.8	706.1

1	2	3
जीएसएफसी : सिक्का-II	0.0	0.0
कुल (सिक्का-I और II)	921.8	706.1
सीआईएल : काकीनाड़ा	520.6	402.5
सीआईएल : विजाग	0.0	31.8
हिण्डालको इंडस्ट्रीज : दाहेज	181.8	214.2
पीपीएल : पारादीप	763.7	655.6
कुल निजी क्षेत्र	3121.5	2560.3
कुल (सहकारी+निजी)	4246.5	3536.9

जीएसएफसी : सिक्का-I और II का उत्पादन संयुक्त है।

विवरण-IV

वर्ष 2009-10 से 2010-11 के लिए मिश्रित उर्वरकों का संयंत्र-वार उत्पादन

कंपनी का नाम/इकाई	उत्पाद का नाम	............उत्पादन............('000' मी.टन)	
		2009-10	2010-11
1	2	3	4
सार्वजनिक क्षेत्र			
फैक्ट : उद्योगमण्डल	20:20	181.3	147.6
फैक्ट : कोचीन-II	20:20	576.8	496.2
कुल (फैक्ट)		758.1	643.8
आरसीएफ : ट्राम्बे	15:15:15	490.4	446.0
	10:26:26	0.0	0.0
आरसीएफ : ट्राम्बे-IV	20.8:20.8	12.9	0.0
	20:20	0.0	157.9
कुल (आरसीएफ)		503.3	603.9
एमएफएल : चेन्नई	17:17:17	0.0	0.0
	19:19:19	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.0
कुल (एमएफएल)		0.0	0.0

1	2	3	4
कुल सार्वजनिक क्षेत्र		1261.4	1247.7
सहकारी क्षेत्र			
इफको : कांडला	10:26:26	1191.1	1610.1
	12:32:16	460.6	846.2
कुल (इफको/कांडला)		1651.7	2456.3
इफको (ओसीएफ) : पारादीप	20:20	1097.7	745.3
	10:26:26	0.0	0.0
	12:32:16	0.0	0.0
कुल (इफको) : परादीप		1097.7	745.3
कुल (इफको)		2749.4	3201.6
निजी क्षेत्र			
जीएसएफसी: वड़ोदरा	20:20	292.9	280.3
सीआईएल: विजाग	28:28	290.1	129.3
	14:35:14	175.7	137.0
	20:20	563.7	592.5
	10:26:26	23.9	0.0
कुल (सीआईएल)		1053.4	858.8
जेडआईएल: गोवा	19:19:19	0.0	0.0
	28:28	0.0	0.0
	14:35:14	0.0	0.0
	10:26:26	208.9	332.8
	20:20	22.6	0.0
	12:32:16	134.7	176.7
कुल (जेडआईएल)		366.2	509.5
स्पिक : तूतीकोरिन	20:20	174.4	175.4
	17:17:17	0.0	0.0
कुल (स्पिक)		174.4	175.4
एमसीएफ : मंगलौर	20:20	84.1	45.7
	16:20	0.0	0.0

1	2	3	4
कुल (एमसीएफ)		84.1	45.7
सीआईएल : इन्नौर	16:20	212.6	248.3
	20:20	0.0	12.5
कुल (सीएफएल)		212.6	260.8
जीएनएफसी : भरूच	20:20	166.5	166.2
कुल (जीएनएफसी)		166.5	166.2
टीसीएल : हल्दिया	28:28	0.0	0.0
	14:35:14	0.0	0.0
	15:15:15	0.0	0.0
	12:32:16	30.2	9.8
कुल (टीसीएल)	10:26:26	363.8	351.4
जीएसएफसी सिक्का-I	20:20	0.0	0.0
	10:26:26	0.0	0.0
	12:32:16	0.0	0.0
जीएसएफसी सिक्का-II	12:32:16	0.0	0.0
सीआईएल : काकीनाडा	20:20	4.2	0.0
	14:35:14	478.1	515.4
	17:17:17	0.0	0.0
	12:32:16	17.0	36.1
	10:26:26	236.3	407.3
कुल (जीएफसीएल)		735.6	958.8
हिण्डालको इण्ड : दाहेज	10:26:26	0.0	0.0
	12:32:16	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.0
डीएफपीसीएल : तलोजा	23:23	100.6	123.5
पीपीएल : पारादीप*	20:20	242.7	304.7

1	2	3	4
	28:28	0.0	0.0
	16:20	0.0	0.0
	14:35:14	0.0	30.0
	12:32:16	33.0	53.3
	10:26:26	171.5	149.5
कुल (पीपीएल)		447.2	537.5
कुल निजी क्षेत्र		4027.5	4277.7
कुल (सरकारी+सहकारी+निजी)		8038.3	8727.0

[अनुवाद]

भू-जल प्रबंधन

2447. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: क्या **जल संसाधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सहित अन्य राज्यों से भू-जल प्रबंधन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिन्सेंट एच. पाला): (क) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण भू-जल प्रबंधन राज्यों की जिम्मेदारी है। केरल सहित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों से भू-जल प्रबंधन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दौंड-मनमाड़ लाइन का विद्युतीकरण

2448. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य रेलवे के अंतर्गत दौंड-मनमाड़ खण्ड पर विद्युतीकरण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अभी तक इसके लिए आबंटित/खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दौंड-मनमाड खंड पर विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है।

(ख) 2011-12 के दौरान 120 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

(ग) खंड को मार्च, 2013 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है।

कापार्ट द्वारा स्वीकृत योजनाएं

2449. श्री समीर भुजबल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में 'काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पिपुल्स एक्शान एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी (कापार्ट)' द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) शुरू किए गए कार्य तथा इन योजनाओं में कवर किए गए जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) चालू वर्ष सहित विगत तीन वर्षों अर्थात् 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए मंजूर की गई योजनाएं निम्नानुसार हैं:

योजनाएं	2008-09	2009-10 परियोजनाओं की संख्या	2010-11	2011-12
पीसी	9	5	–	–
आट्‌र्स	1	1	–	–
ओबी/डब्ल्यूएस	4	–	–	–
ग्राम श्री मेले	3	–	–	–
अपंगता	–	2	–	–

(ख) और (ग) इन योजनाओं में शुरू किए गए कार्यों तथा कवर किए गए जिलों का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के लिए कपार्ट योजनाओं में शुरू किए गए कार्य तथा कवर किए गए जिलों तथा उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	वीओ नाम	पता	फाईल सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित राशि	अनुमोदित की तारीख	रिलीज की गई राशि	परियोजना की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	औरंगाबाद	दिलासा जन विकास प्रतिष्ठान	5-शिवालिक अपार्टमेंट, समाधान कॉलोनी, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	WS/MAH/11/1/2008	कर्शाला ओजित करना	70000	15/5/200	80:00	परियोजना रद्द कर दी गई।
2.	चंद्रपुर	शिव ग्रामीण विकास संस्था	खडसांगी, तालु, चुभुर जिला-चंद्रपुर	PC/MAH/11/7/2007	प्रशिक्षण एवं आय सृजन कार्यक्रम	180150	11/4/200 80:00	90075	वित्त प्रभाग द्वारा अनुदान रिलीज किया गया/ प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा
3.	धुले	अप्पासाहेब ग्रामीण विकास संस्था	C/o सोहनलाल क. छाजेड, अदितिनाथ पार्क, ओपो, नटराज थियेटर	WS/MAH/11/3/2008	धूले एवं नंदुरबार में कपार्ट दिशा निर्देशो पर दो दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला	70000	2/5/2009 0:00	50000	परियोजना रद्द कर दी गई।
4.	धुले	श्री छत्रपति शिवाजी प्रसारक मंडल	16, बाबू नेजाती सुभाषचंद्र कॉलोनी, गोंडुर रोड देवपुर	OB/MAH/11/2/2008	नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण लोगों का क्षमता निर्माण	386512	2/5/2009 0:00	193256	वित्त प्रभाग द्वारा अनुदान रिलीज किया गया/प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	लातूर	प्रयास सेवाभावी संस्था	ग्रा.व पो. कुमथा (खुर्द) ता. उडगीर	PC/MAH/11/12/2007	ग्रामीण युवा के लिए कम्प्यूटर	342000	11/4/200 80:00	171000	वित्त प्रभाग द्वारा अनुदान रिलीज किया गया/प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा
6.	लातूर	विचारधारा ग्रामीण विकास संस्था	C/o मानवलोक परधेवाड़ी ग्रा.पो. कारला, ता.-औसा	PC/MAH/11/9/2008	स्व-सहाता समूहों के लिए सोया उत्पाद के जरिए आयसृजन	293000	2/5/2009 0:00	146500	वित्त प्रभाग द्वारा अनुदान रिलीज किया गया/प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा
7.	नागपुर	विदर्भ हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन वेलफेयर एसोसिएशन	प्लॉट नं. 47/3, औलिया नगर ताज बाग बस स्टॉप, उमरेड रोड, नागपुर-24	GSM/MAH/11/6/2008	ग्रामश्री मेला का आयोजन	1000000	2/5/2009 0.00	989898	परियोजना रद्द कर दी गई।
8.	नांदेड़	चक्रधर ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान	44, सरपंचनगर, मालेगांव रोड, नांदेड़-431605	GSM/MAH/11/6/2008	ग्रामश्री मेला काआयोजन	561000	11/5/200 80.00	545369	परियोजना रद्द कर दी गई।
9.	नांदेड़	मरकन्देश्वर जन कल्याण शिक्षण प्रसारक मंडल	शिवालय, 14-विवेक नगर, जिला-नांदेड़	PC/MAH/17/27/2006	ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम	1158520	1/20/200 90.00	439010	परियोजना रद्द कर दी गई।
10.	नांदेड़	संत गोरा कुमार शिक्षण संस्था	राजेश्री निवास, श्रीनाथ नगर नियर साईबाबा टेम्पल, तरोडा (बी.के.), तालु, व जिला नांदेड़	PC/MAH/17/27/2008	महिलाओं के लिए सशक्तिकरण: हिंगोली जिले में केला का उपयोग तथा उपक्रम	416650	2/5/2009 0:00		परियोजना रद्द कर दी गई।
11.	नांदेड़	स्व.डॉ.एस.बी. निर्मल बुहुउद्देश्यीय सवाभावी संस्था	दिलीप सिंह कॉलोनी, गोवर्धन घाट रोड, वजीराबाद	PC/MAH/17/27/2008	महिलाओं के लिए केले के चिप्स तथा पापड़ बनाने में जीवन सक्षम प्रशिक्षण कार्यक्रम	347602	2/6/2009 0:00	34760	पूर्ण बंद
12.	परभनी	राजे संभाजी सेवाभावी संस्था	ग्रा.पो. किन्होला, तालु, जिला-परभनी	ARTS/MAH/11/4/2007	रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फेरों सीमेंट टैंक	838506	11/2/200 80:00	838506	पूर्ण बंद
13.	पुणे	दियां-दीप जनकल्याण फाउंडेशन	407 शुक्रवार पेठ, शिवाजी रोड, पुणे	PC/MAH/11/13/2007	महिलाओं के लिए समेकित आजीविका विकास सहायता	642000	11/4/200 80:00	321000	परियोजना रद्द कर दी गई

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	पुणे	महिला शक्ति प्रतिष्ठान	एल, 503 भारती विद्यापीठ, कटराज, पुना	GSM/MAH/11/8/2008	पुणे में ग्राम श्री मेले का आयोजन	691000	11/5/200 80:00	644841	परियोजना रद्द कर दी गई
15.	रत्नागिरी	स्नेह समृद्धि मंडल	सावली "सप्तलींगीनगर, ग्रा.पो. सदावली, तालु, संगेमेश्वर जिला-रत्नागिरी"	PC/MAH/11/2/2008	पापड़ बनान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	821000	11/4/200 80:00		परियोजना रद्द कर दी गई
16.	रत्नागिरी	स्नेह समृद्धि मंडल	सावली "सप्तलींगीनगर, तालु, संगेमेश्वर जिला-रत्नागिरी"	WS/MAH/11/2/2008	कपार्ट दिशानिर्देशों पर दो दिवसी अभिमुखीकरण कार्यशाला	70000	11/5/200 80:00	3500	परियोजना रद्द कर दी गई
17.	अहमदनगर	चिखाली विकास प्रतिष्ठान	ग्रा.पो. चिखाली, ब्लॉक-श्रीगोंडा, जिला-अहमदनगर	PC/MAH/11/2007	अगरबती बनाने तथा रोजगार विकास सृजित करना	328580	11/2/200 80:00	164275	परियोजना रद्द कर दी गई
			कुल			3216490	49766332		

वर्ष 2009-10 के लिए कपार्ट योजनाओं में शुरू किए गए कार्य तथा कवर किए गए जिलों तथा उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	स्वैच्छिक संगठन का नाम	पता	फाईल सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित राशि	अनुमोदित की तारीख	कुल रिलीज की गई राशि	परियोजना का उप चरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भंडारा	पंढरपुर आदिवासी ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान	सुश्री, गौरी किशोकर लाली, अम्बेडकर बर्ड, आशोकनगर	PC/MAH/11/13/2008	प्रशिक्षण एवं आयसृजन कार्यक्रम स्वीकार की जानी है।	148000	8/7/2009 0.00		निबंधन एवं शर्ते स्वैच्छिक संगठन
2.	कोल्हापुर	भारतीय शेतकारी (किसान) मंडल, करांझफे	एक्ट, करांझफे, तालु, राधानगरी, जिला कोल्हापुर	PC/MAH/11/8/2008	जंगली एवं औषधीय पौधों एवं फल एवं सब्जियों की प्राथमिक प्रसंस्करण पर एसएचजी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण	92000	8/7/2009 0:00		स्वैच्छिक संगठन की निबंधन व शर्ते स्वीकार/अनुदान की रिलीज के लिए पेंडिंग
3.	नांदेड	एएईई तुलीभवानी सेवाभाई संस्था, भोकर	C/o सुनील बजाज, न्यू मोंढा, भोकर	PC/MAH/1/14/2007	ग्रामीण युवाओं के लिए आय सृजन करने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिलाना	187000	8/7/2009 0:00		निबंधन एवं शर्ते स्वैच्छिक संगठन द्वारा स्वीकार की जानी है।
4.	नांदेड	ग्राम विकास सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक युवक सेवाभावी संस्था	1-11-861, वसंत नगर, नांदेड	PC/MAH/11/4/2008	पशुधन पालन के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना	94800	8/7/2009 0:00		निबंधन एवं शर्ते स्वैच्छिक संगठन द्वारा स्वीकार की जानी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	पुणे	सोशल एक्शन फॉर एसोसिएशन एंड डवलपमेंट	ए-4 शांति गार्डेन, आनंद नगर, सिन्हागड रोड, जिला-पुणे, महाराष्ट	PC/MAH/11/15/2008	स्वसहायता समूहों के क्षमता निर्माण के जरिए सामाजिक रूप से बहिष्कृत एवं वंचित महिलाओं के लिए आय सृजित करना	599000	8/7/2009 0:00		परियोजना रद्द कर दी गई
6.	सतारा	अप्रोप्रियेट रूरल टेक्नोलॉजी ईंस्टिट्यूट	कार्वे बंगला, एनआर अधिकारगृह, लक्ष्मी नगर फल्टन, जिला-सतारा, महाराष्ट्र	ARTS/MAH/17/12/2008	महाराष्ट्र में ग्राम आधारित समुचित प्रौद्योगिकियों के उपक्रम के विकास पर कार्यशाला	227700	11/23/2009 0:00	194930	वित्त प्रभाग द्वारा अनुदान रिलीज किया गया/प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा
7.	वर्धा	नालंदा बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था कार्यक्रम	ग्रा. वागला, पो. कोपाड़ा, ता. सलू, वर्धा	DIS/MAH/11/3/2008	समुदाय आधारित अपंग व्यक्तियों का प्रशिक्षण कार्यकूम	322400	8/7/2009		निबंधन एवं शर्तें स्वैच्छिक संगठन द्वारा स्वीकार की जानी है।
8.	वर्धा	युवा क्रीड़ा व्यायाम एवं शिक्षण प्रसारक मंडल	C/o प्रो. आर.के. मून, राष्ट्रभाषा रोड, बी/एच राठी कम्पलैक्स, वर्धा	DIS/MAH/11/2/2008	अपंग व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना	225600	8/7/2009 0:00		निबंधन एवं शर्तें स्वैच्छिक संगठन द्वारा स्वीकार की जानी है।
		कुल				1896500	194930		

न्यायाधीशों की नियुक्ति

2450. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में वर्ष 1993 और 1998 के 'एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड' जजमेंट से अव्यवस्थित हुए शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के साविधानिक संतुलन को कायम करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सभा में पुर:स्थापित न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक की स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायलय के 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय और तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय पर आधारित है, इसके संबंध में विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया है तथा उसको बदलने के लिए मांगे उठती रही हैं। तथापि, किसी प्रस्ताव को सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 को लोक सभा में 1.12.2010 को पुर:स्थापित कर दिया गया था तथा समीक्षा और रिपोर्ट के लिए विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने 30.08.2011 को संसद् को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, उक्त विधेयक का संशोधन करने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

कारपोरेट संरक्षा योजना

2451. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे संरक्षा निधि के अंतर्गत संरक्षा कार्यों को करने के लिए आवंटित निधि के उपयोग का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या समपारों को रेल उपरि पुल/रेल अधोगामी पुल में बदलने में प्रगति बहुत कम हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केवल 12.62 प्रतिशत चिह्नित समपार को बदला गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कारपोरेट संरक्षा योजना में प्रस्तावित समपारों पर अन्य सुधार कार्यों में प्रगति भी बहुत कम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) वर्ष 2010-11 में रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत सड़क संबंधी संरक्षा कार्यों के लिए मुहैया कराए गए 1,700 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में वर्ष के दौरान 1101 करोड़ रुपए खर्च किया गया जो 64.8% का उपयोग दर्शाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 01.04.2011 को एक लाख से अधिक गाड़ी वाहन इकाई वाले और ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण के साथ लागत में भागीदारी के लिए अर्हक 2194 समपारों में से ऊपरी/निचले सड़क पुलों संबंधी 914 कार्यों के स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, विगत वर्षों में 2831 समपारों के स्थान पर ऊपर/निचले सड़क पुलों की व्यवस्था की गई है।

(ङ) और (च) समपारों पर सुधार कार्यों के रूप में लिफिंटग बेरियरों की व्यवस्था, चौकीदार की तैनाती, रेट्रो रिफ्लैक्टिव सेफ्टी बोर्ड लगाना, गतिरोधकों की व्यवस्था आदि की योजना है और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार, इन कार्यों को निष्पादित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत भविष्य निधि संबंधित सुविधाएं

2452. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत कामगारों को भविष्य निधि की सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

साप्ताहिक विशेष गरीब रथ

2453. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के तीर्थयात्रियों की भारी मांग के बावजूद भी यशवंतपुर-शिरडी गरीब रथ के निरस्तीकरण के पीछे क्या कारण हैं;

(ख) क्या रेलवे इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के हित को देखते हुए वाया यशवंतपुर/हुबली/गडग/बागलकोट आदि से शिरडी को कोई विशेष ट्रेन चलाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) यशवंतपुर और साईं नगर शिरडी के बीच कोई नियमित गरीब रथ रेलगाड़ी नहीं है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को क्लियर करने के लिए वयस्त अवधियों के दौरान विशेष रेल गाड़ियां चलाई जाती हैं।

(ख) और (ग) इस समय यात्रियों की भीड़ को क्लियर करने के लिए 29.12.2011 तक बेंगलूरू, गुंतकल, गडग, बागलकोट के रास्ते मैसूर और साईंनगर शिरडी के बीच एक विशेष रेलगाड़ी 06201/06202 चलाई जा रही है।

कर्नाटक में दोहरीकरण कार्य

2454. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में मंडल-वार उन रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है जहां दोहरे ट्रैक की अनुपलब्धता के कारण यातायात बाधित होता है;

(ख) क्या रेलवे का विचार बेहतर यातायात के लिए ऐसे मार्गों का दोहरीकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो मंडल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) कर्नाटक में इकहरी लाइन के कारण किसी भी रेल मार्ग पर यातायात प्रभावित नहीं होता। बहरहाल, कतिपय मार्गों पर अधिक संकुलन रहता है क्योंकि उनकी क्षमता का उपयोग बहुत अधिक है। इन इकहरी लाइन मार्गों की मंडल-वार सूची और इन मार्गों पर क्षमता संवर्धन के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

क्र.सं.	मंडल	खंड	लंबाई	टिप्पणी
1.	मैसूर	हसन जंक्शन-सकलेशपुर-सुब्रामण्या रोड-मंगलौर	183	मुख्यतः घाट सेक्शन जहां चार्टेड क्षमता कम और गाडियां भी कम हैं। इस खंड में क्षमता संवर्धन के लिए यातायात सुविधा कार्य प्रगति पर हैं।
2.	मैसूर	तुमकुर-अरसीकेरै जंक्शन	96	इस खंड में क्षमता संवर्धन के लिए यातायात सुविधा संबंधी कार्य प्रगति पर है।
3.	मैसूर	अरसीकेरै-बिरूर-चिकजाजपुर	113	दोहरीकरण स्वीकृत और कार्य प्रगति पर है।
4.	मैसूर	चिकजाजपुर-हरिहर-हुबली	190	इस खंड में क्षमता संवर्धन के लिए यातायात सुविधा संबंधी कार्य प्रगति पर है।
5.	मैसूर	अरसीकेरै जंक्शन-हासन जंक्शन	47	इस खंड में खमता संवर्धन के लिए यातायात सुविधा संबंधी कार्य प्रगति पर है।
6.	बेंगलूरू	बेंगलूरू-मैसूर जंक्शन	123	दोहरीकरण स्वीकृत और कार्य प्रगति पर है।
7.	हुबली	कैसल रोंक-कुलेम	26	हॉसपेट-वास्को के बीच (352.28 किमी.) दोहरीकरण स्वीकृत।
8.	हुबली	हॉसपेट-स्वामीहाली	59	इस खंड में क्षमता संवर्धन के लिए यातायात सुविधा संबंधी कार्य प्रगति पर है।
9.	पालघाट	मंगलौर जंक्शन-ठोकूर	16	विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण स्वीकृत और कार्य प्रगति पर है।

माल डिब्बों की उपलब्धता

2455. श्री गुरु दास दासगुप्तः
श्री भूदेव चौधरीः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में माल डिब्बों की कमी के कारण मालगाड़ियों द्वारा ढुलाई के लिए बुक आवश्यक वस्तुएं रेलवे लाइन के पास लंबे समय तक पड़ी रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो माल के समय पर ढुलाई के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में माल डिब्बा विनिर्माण इकाइयों का ब्यौरा क्या है तथा उनके उत्पाद को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या रेलवे का विचार देश में ऐसी अन्य इकाइयां स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या रेलवे पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में माल डिब्बों के उत्पादन/खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। रेल द्वारा आवश्यक पण्यों के परिवहन हेतु मालडिब्बे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में मालडिब्बा विनिर्माण इकाइयों का विवरण निम्नानुसार हैं:

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां

1. मैसर्स ब्रिज और रुफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कनकरिया सेंटर, 5वां तल, 2/1, रस्सेल स्ट्रीट, कोलकाता-700071

2. मैसर्स ब्रेथवेट एंड कंपनी लि., 5, हाइड रोड, कोलकाता-700043

3. मैसर्स बर्न स्टैंडड्र कंपनी लि. बर्नपुर वर्क्स, बर्नपुर

4. मैसर्स बर्न स्टैंडेर्ड कंपनी लिमिटेड, हावड़ा वर्क्स, नित्यधन मुखर्जी रोड, हावड़ा-711101

5. मैसर्स भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, मोकामा वर्क्स, मोकामा

6. मैसर्स भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरपुर वर्क्स, मुजफ्फरपुर-842001 (बिहार)

निजी इंडस्ट्रीज

7. मैसर्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जीटी रोड, साहिबाबाद-201005, गाजियाबाद (उ.प्र.)

8. मैसर्स बेस्को लिमिटेड (वैगन डिवीजन), 8, अनिल मैत्रा रोड, बालीगंज, कोलकाता-700019

9. मैसर्स जेस्सप एंड कंपनी लि., 21 एंड 22, जेस्सोर रोड, दमदम, कोलकाता-700028

10. मैसर्स टेक्समेको रेल एंड इंजी. लिमिटेड, बेलधरिया, कोलकाता

11. मैसर्स टिटागढ़ वैगन लि., "प्रेमलता" चौथा तल, 39, शेक्सपियर सारणी, कोलकाता-700017

12. मैसर्स हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एवं इंडस्ट्रीज लि., मोदी बिल्डिंग, 27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001

13. मैसर्स ज्यूपिटर वैगन लिमिटेड, 11, सत्येन दत्ता रोड, कोलकाता-700029

14. मैसर्स सिम्मको लिमिटेड, इंद्रा पैलेस, तीसरा तल, एच ब्लॉक, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-100001

इन इकाइयों के अतिरिक्त, रेलवे जमालपुर (पूर्व रेलवे), समस्तीपुर (पूर्व मध्य रेलवे), गोल्डन रॉक (दक्षिण रेलवे), अमृतसर (उत्तर रेलवे) और हुबली (दक्षिण पश्चिम रेलवे) पर अपने कारखानों में भी मालडिब्बों का विनिर्माण कर रही है। माल डिब्बा उत्पादन बढ़ाने के लिए एक लिखित कदम उठाढ जा रहे हैं।

(i) नए क्रयादेश पर निर्णय लेते समय बकाया क्रयादेशों तथा माल डिब्बा विनिर्माणकर्ताओं के विगत के प्रदर्शन पर विचार किया जाता है।

(ii) उच्चतर उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए नॉन परफोरसिंग यूनिट से क्रयादेश वापस लेकर परफोरमिंग यूनिट को मिडटर्म क्रयादेश दिए जाते हैं।

(iii) इसके अलावा, रेलवे ने सार्वजनिक क्षेत्र की कतिपय तत्कालीन बीमारू माल डिब्बा विनिर्माण यूनिटों को अधिग्रहण करके उन्हें पुनर्जीवित किया है।

(घ) और (ङ) मालडिब्बों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मालडिब्बा विनिर्माण फैक्टरियों स्वीकृत की गयी हैं। योजना तैयार की गई है।

स्वीकृत: (i) गुवाहाटी (ii) बुनियादपुर (iii) काजीपेट

योजनाबद्ध: (i) कालाहांडी/भुवनेश्वर (ii) कोलार (iii) अलप्पुझा

(च) और (छ) अनुमानित यातायात की आवश्यकताओं के दृष्टिगत माल डिब्बों के बेड़े में वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है।

पूर्व तट रेलवे

2456. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत नए रेल मंडल के अधीन बांसपानी-पदापहाड़, रुपसा-बांगरीपोसी और भद्रक-लक्ष्मण-नाथ रोड खंड को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत संबलपुर मंडल के अधीन झारसगुडा-बरसुआन-किरिगुरू राउरकेला- नुआगांव और झारसगुडा-हेमगिरि खंडों को भी शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्वेषण के लिए सर्वेक्षण

2457. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कंपनियों द्वारा पूरा किए गए अन्वेषण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पूर्वोत्तर राज्यें में निकाले गए कच्चे तेल का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल के व्यावसायिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी), आयल इंडिया लि. (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में किए गए अन्वेषणात्मक कार्यों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

ओएनजीसी–01.10.2011 की स्थिति के अनुसार, ओएनजीसी ने असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, और सिक्किम राज्यों में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बराबर कुल 91605 वर्ग किलो मीटर (एसकेएम)/अर्द्ध विस्तृत मैपिंग (एसडीएम), गुरुत्व चुंबकीय सर्वेक्षण के 27394 स्टेशन और 37982 ग्राउंड लाइन किलोमीटर द्वि-आयामी भूकंपीय का अर्जन और 5016.27 वर्ग कि.मी. त्रि-आयामी भूकंपीय आंकड़ों के अर्जन का कार्य किया है ओएनजीसी ने असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में 856 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन भी किया है।

ओआईएल–ओआईएल ने असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 27347 द्वि-आयामी भूकंपीय सर्वेक्षण, असम और अरुणाचल प्रदेश में 7676 वर्ग किलो मीटर का त्रि-आयामी भूकंपीय सर्वेक्षण किया है। इसके अतिरिक्त, ओआईएल ने 4495.56 किलो मीटर वेधन किया है।

निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां–निजी/जेवीज कंपनियों द्वारा किए गए अन्वेषण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

(i) 4492 लाइन किलो मीटर (एलकेएम) द्वि-आयामी भूकंपीय सर्वेक्षण और 1660 वर्ग किलो मीटर त्रि-आयामी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन।

(ii) 18 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन।

(iii) 3 ब्लाकों (असम में 1 ब्लाक और त्रिपुरा में 2 ब्लाक) में 4 गैस खोजें की गईं।

(ग) और (घ) विगत पांच वर्षों (अर्थात् 2006-07 से 2010-11 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में कच्चे तेल के उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	तेल उत्पादन मिलियन मीट्रिक टनों (एमएमटी) में		
	ओएनजीसी	ओआईएल	निजी/जेवीज
2006-07	1.331	3.107	0.07
2007-08	1.290	3.101	0.07
2008-09	1.223	3.468	0.085
2009-10	1.191	3.572	0.109
2010-11	1.150	3.586	0.103
2011-12*	0.699	2.262	0.0538

*अक्तूबर, 2011 तक

ई.सी.आर. के अंतर्गत सर्वेक्षण

2458. श्री दिनेश कश्यप: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नई रेलवे लाइनों के लिए परियोजना-वार चल रहे सर्वेक्षण कार्यों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अभी तक इन पर आंबटित/व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत हाजीपुर में नई रेल लाइनों के लिए चालू सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति का परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कि.मी.	पूरा करने की लक्षित तिथि, यदि कोई हो, तो सहित मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
1.	कियूल-गया	120	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
2.	घाटशिला-रांची	106	सर्वेक्षण को बजट 2011-12 में शामिल किया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू हो गए हैं।
3.	सिमरी बख्तियारपुर-बिहारीगंज	54	सर्वेक्षण को बजट 2011-12 में शामिल किया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू हो गए हैं।
4.	मधुबनी, फेनहरा के रास्ते चकिया-बैरगनिया	50	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
5.	कुशेश्वरस्थान-सहरसा	35	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
6.	एकंगरसराय के रास्ते बिहारशरीफ-जहानाबाद	65	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
7.	मानपुर के रास्ते इस्लामपुर-बोधगया	50	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
8.	उदाखुनगंज के रास्ते बिहारीगंज-नौगछिया	50	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
9.	गोपालगंज के रास्ते बेतिया-थावे	45	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
10.	बेतिया-तुरकोलिया	40	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

1	2	3	4
11.	मेजरगंज, कनहौली के रास्ते धेंग-सोनबरसा	30	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
12.	लौरिया के रास्ते अरोराज-नरकटियागंज	70	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
13.	अलीनगर, त्रिमुहानी, बहेदी के रास्ते लोहना-मुक्तापुर	75	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
14.	हाजीपुर-बछवरा	70	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
15.	मुज्जफरपुर-हाजीपुर	53	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
16.	मोकामा-आरा	138	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
17.	बापुधाम मोतीहारी-रीमा (सीतामढ़ी)	60	प्रारंभिक कार्य शुरू हो गए हैं।
18.	मेरल ग्राम-भावनाथपुर लाइन का चोपन तक विस्तार	150	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
19.	मधुबन-गिरीडीह	25	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
20.	महुआ, ताजपुर के रास्ते भगवानपुर-समस्तीपुर	60	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
21.	हजारीबाग-गढ़वा रोड	161	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
22.	खिजर सराय/सरबहदा के रास्ते इस्लामपुर-मानपुर	45	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
23.	चौसा-पचरसी के रास्ते बिहारीगंज-थाना	50	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
24.	बांका से जमुई तक	70	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
25.	थावे-मोतिहारी-चौरा दानो	90	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
26.	मधुबनी-कमतौल	30	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
27.	बहेदी-शिवाजीनगर-रूसेरा-मंझौल-बरौनी	65	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
28.	बक्सर-आरा-पटना-मोकामा	207	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।

1	2	3	4
29.	किशनपट्टी, जमालपुर के रास्ते घोघरडीहा से घोगेपुर तक	50	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
30.	पावापुरी-नवादा	35	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।
31.	निर्मली से भपतीपाई तक	20	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
32.	टोरी-चतरा	66	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
33.	सोनुचकई के रास्ते झाझा-गिरीडीह	82	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
34.	सतगवां के रास्ते नवाडाह-गिरीडीह	136	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
35.	बेलथरारोड से बांसीडीह तक	54	सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
36.	गोगरी, परवता अगवानी घाट, सलरपुर के रास्ते महेशकुंट-नारायणपुर	55	सर्वेक्षण शुरू हो गया है और 2011-12 तक पूरा होने की आशा है।

2011-12 के लिए लगभग 79.69 लाख रुपए परिव्यय मुहैया कराया गया है जिसमें से अक्टूबर, 2011 तक 3.64 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

रासायनिक (शिक्षा, अनुसंधान और विकास) संस्थाओं की स्थापना

2459. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों में रासायनिक संस्थानों (शिक्षा, अनुसंधान और विकास) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संस्थानों की स्थापना के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग में देश के विभिन्न राज्यों में रसायन (शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास) संस्थानों को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

असम के लिए परियोजनाएं

2460. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम राज्य के लिए रेल बजट 2010-11 और 2011-12 में घोषित विभिन्न रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) बराक घाटी परियोजना के अंतर्गत आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है जो पिछले 15 वर्षों से लंबित है; और

(घ) उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) असम राज्य से संबंधित मुरकोंगसलेक-पासीघाट नई पाइन परियोजना को रेल बजट 2011-12 में शामिल किया गया है। इस परियोजना पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, नक्शे तैयार करने, अनुमान लगाने आदि संबंधी प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं:

(ग) बराक वैली के अंतर्गत आमान परिवर्तन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अक्तूबर, 2011 तक समग्र प्रगति (%)	स्थिति/पूरा किए जाने की लक्ष्य तिथि
1.	लामडिंग-सिलचर-जीरीबाग, बदरपुर से बरईग्राम और बरईग्राम-कुमारघाट (367.79 किमी.) खंडों का आमान परिवर्तन (राष्ट्रीय परियोजना)	68.93%	कार्य प्रगति पर है। पूरा किए जाने की लक्ष्य तिथि दिसंबर, 2013 है।
2.	कटखल-भैराबी का आमान परिवर्तन (84 किमी)	37.50	कार्य प्रगति पर है। पूरा किए जाने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2014 है।

(घ) कार्यों की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखते हुए इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शेष राजस्व और वन भूमि आदि को सौंपे जाने के संबंध में राजस्व विभाग तथा वन विभाग से फॉलो-अप किया जा रहा है।

भूमि पर खेती संबंधी कार्यकलाप

2461. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी कृषि को चिह्नित करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है जहां एक वर्ष या उससे अधिक समय से खेती संबंधी कार्यकलाप नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सहित देश में राज्य-वार उक्त भूमि का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी भूमि का उपयोग वनीकरण या अन्य प्रयोजन के लिए करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) अभी तक ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय द्वारा उस कृषि भूमि को पहचानने के लिए कोई भी विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया जाता है जहां एक अथवा अधिक वर्षों से कृषि संबंधी कार्यकलाप नहीं किए गए हैं। तथापि, कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि कृषि जनगणना संचालित करने की प्रक्रिया में, मौजूदा परती, मौजूदा परती से अलग परती भूमि, खेती योग्य बंजर भूमि तथा प्रचालनात्मक भूमि धारकों को छोड़कर अन्य अकृष्य भूमि श्रेणियों सहित भूमि उपयोग श्रेणियों के विषय में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इन भूमि उपयोग श्रेणियों को संलग्न विवरण-I में परिभाषित किया गया है। नवीनतम कृषि जनगणना (2005-06) के अनुसार, कर्नाटक सहित, भूमि की इन श्रेणियों के अंतर्गत राज्य-वर अनुमानित क्षेत्र संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) उस कृषि भूमि हेतु कोई भी विशिष्ट योजना/कार्यक्रम अथवा प्रस्ताव नहीं है जहां वनीकरण अथवा अन्य कारणों से खेती कार्य को एक अथवा अधिक वर्षों से नहीं किया जा रहा हैं तथापि, भूमि संसाधन विभाग, वर्षा संपोषित/अवक्रमित क्षेत्रों के विकास हेतु वाटरशेड आधार पर क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। वनीकरण परियोजना क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं और भूमि की उपयुक्तता के आधार पर वाटरशेड कार्यक्रमों के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्यों में से एक है।

विवरण I

चुनिंदा भूमि प्रयोग श्रेणियों की प्रिरभाषाएं

1. **मौजूदा परती भूमि:** फसल देने वाले क्षेत्र, जिन्हें मौजूदा वर्ष के दौरान परती रखा जाता है परंतु जिन पर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान खेती की गयी थी। उदाहरणार्थ बीज डाले जाने योग्य कोई ऐसा क्षेत्र जिस पर इसी वर्ष फसल नहीं उगाई गयी हो, इसे मौजूदा परती क्षेत्र माना जा सकता है।

2. **वर्तमान परती भूमि को छोड़कर अन्य परती भूमि:** ऐसे सभी भू-खंड जिन पर काश्त की जाती है परंतु जहां एक वर्ष से अनधिक परंतु पांच वर्ष से अनधिक अर्थात् एक वर्ष के बराबर अथवा इससे अधिक परंतु जहां 5 वर्ष से कम अथवा इसके बराबर समय तक खेती न की गयी हो। ऐसी भूमि को परती रखने के लिए नीचे उल्लिखित एक अथवा इससे अधिक कारण हो सकते हैं।

(i) काश्तकार की दरिद्रता

(ii) अपर्याप्त जल आपूर्ति

(iii) फसली बुखार वाला वातावरण

(iv) नहरों और नदियों को दूषित करना और

(v) अपर्याप्त स्वरूप का पारिश्रमिक वाली खेती

3. परती भूमि को छोड़कर अन्य भूमि जहां खेती न की गयी हो: इसमें निम्नलिखित भूमि शामिल होगी:

(i) **स्थायी चारागाहें तथा अन्य चराई भूमियां:** सभी चराई भूमियां चाहे वे स्थायी चारागाहें और घास के मैदान हो अथवा नहीं। तथापि, सार्वजनिक चराई ग्राम भूमियों को, अलग किया जा सकता है।

(ii) **विविध वृक्ष फसलों के अधीन भूमि:** कृष्य भूमि, जो निवल बोये क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है परंतु कुछ कृषि उपयोग में लगाई गई है। कैजूआराइना वृक्ष, छाजन घासे, बांस झाड़ियां तथा अन्य ईंधन हेतु बाग जो कि उपवनों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, इस श्रेणी के अंतर्गत समाहित होंगे।

4. खेती योग्य अपशिष्ट: खेती हेतु उपलब्ध सभी भूमियां चाहे उनमें खेती नहीं की गई अथवा एक बार खती की गई है परंतु जो वर्तमान वर्ष और किसी एक कारणवश पिछले पांच वर्षों अथवा अनुक्रमण में अधिक के दौरान कृष्ट नहीं हुई हैं, अथवा अन्य श्रेणी अर्थात् > अनुक्रम में 5 वर्षों के अनुक्रमाण में। इस प्रकार की भूमियां पूर्णत: अथवा अंशत: झाड़ियों और जंगलों से आच्छादित हो सकती है, जिनका कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है। एक बार खेती की गई भूमि परंतु अनुक्रम में पांच वर्षों तक कृष्ट नहीं हुई है, भी इसमें सम्मिलित होगी।

विवरण II

मौजूदा परती भूमि, मौजूदा परती भूमि के अलावा अन्य बंजरभूमि, खेती योग्य बंजरभूमि तथा अन्य गैर खेती योग्य भूमि को छोड़कर देश में कृषि जनगणना (2005-06)# के परिणामों के अनुसार बंजरभूमि का राज्यवार अनुमानित क्षेत्र

(क्षेत्र है. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मौजूदा परती क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र	मौजूदा क्षेत्र को छोड़कर परती भूमि	काश्त किये जाने योग्य क्षेत्र	खेती किए जाने योग्य बंजरभूमि अन्य गैर-खेती योग्य भूमि परती भूमि को छोड़कर
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2629053	168445	24418	26776
2.	अरुणाचल प्रदेश	36541	52102	28401	33681
3.	असम	4266	2184	827	28458
4.	बिहार*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	छत्तीसगढ़	77504	60493	34726	13868
6.	गोवा	800	253	235	713
7.	गुजरात	292677	6573	1705	5852
8.	हरियाणा	38228	144	567	162
9.	हिमाचल प्रदेश	28247	16824	77051	162938
10.	जम्मू और कश्मीर	24710	26434	1306	58660
11.	झारखंड*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	कर्नाटक	901918	63382	56212	63270

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	26382	14771	25191	12501
14.	मध्य प्रदेश	700173	207552	194721	136503
15.	महाराष्ट्र*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	मणिपुर	155	48	29	28
17.	मेघालय	23563	3839	2647	4752
18.	मिजोरम	0	0	0	0
19.	नागालैंड	159202	274898	92088	173240
20.	ओडिशा	136179	32636	14856	19108
21.	पंजाब	3529	145	125	105
22.	राजस्थान	2476839	1256246	521757	178489
23.	सिक्किम	4971	4492	3310	7766
24.	तमिलनाडु	1753578	56644	19536	28438
25.	त्रिपुरा	446	1020	1703	1451
26.	उत्तर प्रदेश	849907	73270	16323	73403
27.	उत्तराखंड	63808	22407	7531	14117
28.	पश्चिम बंगाल	33707	8330	24702	20854
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1237	1459	1076	1482
30.	चंडीगढ़	59	3	5	8
31.	दादरा और नगर हवेली	543	29	74	31
32.	दमन और द्वीप	164	66	115	147
33.	दिल्ली	310	48	19	65
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	1978	736	435	233
	सम्पूर्ण भारत	10270676	2355473	1151690	1067096

नोट: आंकड़ों को पूर्णांकित करने से योग समान नहीं हो सकता। एनए-लागू नहीं।

*बिहार, झारखंड तथा महाराष्ट्र राज्य में 2005-06 में कृषि संबंधी गणना नहीं की जा सकी।

*कृषि संबंधी गणना पांच वर्षों के अंतराल में की जाती है।

[हिन्दी]

तेल रिसाव

2462. श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश के तटीय भागों में तेल रिसाव से संबंधित घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे किस हद तक हानि हुई है;

(ग) तेल रिसाव आपदा से निपटने के लिए सरकार की आकस्मिक योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दादर नदी, कांधार क्षेत्र और अंकलेश्वर पर चल रही परियोजनाओं को तेल रिसाव के परिणामस्वरूप रोक दिया गया अथवा कम कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2009-10 में तेल के बिखरने की किसी घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, वर्ष 2010-11 में कुछ छुटपुट घटनाओं की सूचना मिली थी जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है–

दिनांक 20 जुलाई, 2010 को मुंबई अपतट में चेन टूट जाने के कारण एकल बिंदु लंगर (एसपीएम) अपनी जगह से छिटक गया था जिसके परिणामस्वरूप 80 मीट्रिक टन (एमटी) तेल का रिसाव हुआ। पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए तेल बिखराव डिस्पर्सेंट का प्रयोग किया गया था। इस घटना में मानव जीवन को नुकसान पहुंचने या आग लगने की किसी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी।

21 जनवरी, 2011 को मुंबई अपतट में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) मुंबई-उरण तेल ट्रंक (एमयूटी) की उप समुद्री पाइपलाइन से थोड़ा तेल रिसाव हुआ था। मुंबई हाई से तेल उत्पादन अन्य ट्रंक पाइपलाइन को पथांतरण कर दिया गया था।

(ग) भारत सरकार के सचिवों की समिति ने भारत के समुद्री अंचलों में तेल के बिखराव के लिए 1993 में राष्ट्रीय तेल बिखराव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएस-डीसीपी) को अनुमोदित कर दिया है। इस योजना को कार्यान्वित करने और समुद्र में तेल का बिखराव होने पर जवाबी क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिए महानिदेशक तटरक्षक को केन्द्रीय समन्वय प्राधिकारी (सीसीए) के रूप में पदनामित किया गया है।

(घ) और (ङ) इस क्षेत्र में तेल के बिखराव की किसी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

आरआईएल द्वारा उत्पादन में कमी

2463. श्री रामकिशुन:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने प्रथम चरण में 22 कुओं को ड्रिल करने का प्रस्ताव किया था परंतु केवल 18 कुओं को ही ड्रिल किया है तथा केजी बेसिन के डी-6 ब्लॉक में उत्पादन में लगातार कमी दर्ज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में आरआईएल के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केजी बेसिन में आरआईएल को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) प्रबंधन समिति द्वारा ब्लॉक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लॉक में डी-1 और डी-3 क्षेत्रों में रिजर्वायर उत्पादन कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है और संविदाकार को अनुमोदित क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) के अनुसार और अधिक कूपों का वेधन करने तथा एफडीपी में परिकल्पित उत्पादन प्राप्त करने को कहा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

2464. श्री किशनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **जल संसाधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई सिंचाई परियोजनाएं जिन्हें चालू योजना के दौरान पूरा किया जाना था उनको पूरा करने में अब देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विलंब के कारण राज्य-वार लागत में कितनी वृद्धि हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) राज्यों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, XIवीं योजना के दौरान 334 परियोजनाएं चल रही हैं तथा XIवीं योजना के दौरान इन परियोजनाओं के अतिरिक्त 93 नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन 427 परियोजनाओं में से 337 परियोजनाओं के XIIवीं योजना में स्पिल ओवर होने की संभावना है। समय-सीमा लंघन के लिए विभिन्न कारणों में (i) निधि संबंधी समस्याएं (ii) परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी मुद्दे (iii) भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे (iv) वन एवं पर्यावरण स्वीकृति (v) अंतर-विभागीय स्वीकृति अर्थात रेलवे, सड़क एवं राजमार्ग, विद्युत विभाग आदि, शामिल हैं।

(ग) चालू योजना अवधि के दौरान लक्षित परियोजनाओं को पूरा करने से संबंधित लागत राशि को बढ़ाने के संबंध में जानकारी लेने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को लागत के संशोधन हेतु विस्तृत आकलन तैयार करना होगा।

सुनामी संभावित क्षेत्र

2465. श्री निशिकांत दुबे: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुनामी संभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में कार्यरत सुनामी चेतावनी केन्द्रों की स्थान-वार संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे केन्द्रों के विकास हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में (श्री अश्विनी कुमार): (क) भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह हिंद महासागर के दो सबडक्शन जोन, अर्थात् अंडमान-सुंडा-सुमात्रा-जावा सबडक्शन जोन और मकरान जोन, में सुनामी पैदा करने वाले भूकंप (परिमाण > 6.5) से आने वाली सुनामी के प्रति अतिसंवेदनशील है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इंकॉइस), गजुलारामारम, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश स्थित राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केन्द्र, भारत में संपूर्ण तटरेखा और द्वीपसमूहों के लिए सुनामी संबंधी चेतावनियां जारी करने वाली कार्यरत एजेंसी है।

(ग) राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी सुविधा स्थापित करने के संबंध में राज्य-वार कोई निधि उपलब्ध नहीं की गई।

बंगाल में भूकंप

2466. श्री पुलीन बिहारी बासके: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में उत्तर बंगाल के दुआर में आए भूकंप की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूकंप आने से पूर्व लोगों को चेतावनी देने के लिए किन्हीं सूचना केन्द्रों की स्थापना की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) 11 नवंबर, 2011 को 15:27 बजे (भारतीय मानक समय) जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल में मध्यम तीव्रता (परिमाण: 3.8) वाला एक भूकम्प आया, इसका अधिकेन्द्र 26.7° उत्तर अक्षांश तथा 89.4° पूर्व देशांतर में था।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस समय भूकंप आने के बारे में अग्रिम रूप में पूर्व सूचना देने की कोई वैज्ञानिक तकनीक विश्व में कहीं भी उपलब्ध

नहीं है। यद्यपि मौजूदा तंत्र भूकंप आने के बाद, सभी संबंधित केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्राधिकरणों को भूकंप के स्थान, तीव्रता तथा क्षेत्रीय विस्तार के बारे में सूचित करता है, ताकि आपात स्थिति से निपटने के लिए कार्रवाई की जा सके।

बिहार में पीएमजीएसवाई

2467. श्री पूर्णमासी राम: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत शुरू की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन परियोजनाओं की गोपालगंज सहित जिला-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) जिन परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक शुरू नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार की एजेंसियों को दी गयी परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जिन एजेंसियों ने अब तक कार्य शुरू नहीं किया है उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 वर्षों के दौरान बिहार राज्य में कुल 5,885 सड़क कार्य शुरू किए गए थे, जिनमें से 1,085 सड़क कार्य राज्य के द्वारा पूरे कर दिए गए हैं। परियोजनाओं की मंजूरी के लिए राज्य को इकाई के रूप में लिया गया है इसलिए एनआरआरडीए स्तर पर जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। केन्द्रीय एजेंसियों को सौंपे सड़क कार्यों सहित कुल 346 सड़क कार्य अभी शुरू नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 वर्षों के दौरान केन्द्रीय एजेंसियों को 1,328 सड़क कार्य सौंपे गए थे, जिनमें से 551 सड़क कार्य पूरे किए गए हैं तथा 673 सड़क कार्य विभिन्न चरणों पर हैं, तथा 104 सड़क कार्या ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार को अंतरित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

पठानकोट-जोगिंदर नगर खंड पर सुरक्षा व्यवस्था

2468. श्री भूदेव चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त है तथा पठानकोट-जोगिंदर नगर रेलवे खंड के 33 रेलवे स्टेशनों पर केवल 22 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं;

(ख) यदि हां, तो रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु की गयी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में रेलगाड़ियों में हमले, चोरी और डकैती की घटनाओं को रोकने हेतु रेलवे द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस गाड़ी मार्गरक्षण दस्तों की तैनाती करके लंबी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों में सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इस समय, पठानकोट रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल के 107 कर्मचारी तैनात हैं और जोगिंदर नगर खंड तक राजकीय रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल के 30 कर्मचारी तैनात हैं।

(ग) स्टेशन परिसरों और गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन वे राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से करते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के उद्देश्य से गाड़ियों के मार्गरक्षण, अखिल भारतीय सुरक्षा हेल्प लाइन की स्थापना, आधुनिक सुरक्षा से संबंधित उपकरणों की खरीद, अतिरिक्त पदों के सृजन के जरिये रेलवे की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाकर विभिन्न उपाए किए गए हैं।

[अनुवाद]

अंगमाली-साबरीमाला परियोजना

2469. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इसके आरंभ से अंगमाली-साबरीमाला परियोजना हेतु निर्धारित/आवंटित/खर्च की गयी धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने केरल सरकार को उक्त परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वहन करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) अंगमाली-सबरीमाला नई लाइन परियोजना पर मुहैया कराया गया बजट परिव्यय और उस पर वहन किए गए व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसर है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट परिव्यय	किया गया व्यय
1997-1998	1.00	-
1998-1999	0.01	0.01
1999-2000	5.00	0.2256
2000-2001	1.00	0.3874
2001-2002	20.00	0.3278
2002-2003	10.00	3.9608
2003-2004	10.00	0.4576
2004-2005	2.00	0.2339
2005-2006	1.00	0.3074
2006-2007	5.00	1.2924
2007-2008	10.00	10.2989
2008-2009	15.00	27.6176
2009-2010	15.00	17.2163
2010-2011	25.00	6.00
2011-2012	83.00	3.0301 (30.11.2011 तक)

(ख) और (ग) जी हां। परियोजना की लागत में भारी वृद्धि के कारण रेल मंत्रालय इसकी लागत में भागी दारी के लिए केरल सरकार के साथ पत्राचार कर रही है।

कर मुक्त बॉण्ड

2470. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार कर मुक्त बॉण्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए उगाहने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) को पब्लिक इश्यू/प्राइवट प्लेसमेंट के माध्यम से 10/15 वर्ष की अवधि वाले कर मुक्त बॉण्ड जारी करके वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 10,000 करोड़ रुपए की सीमा तक निधियां जुटाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

आसियान द्वारा सहयोग

2471. श्री कीर्ति आजाद: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) सूक्ष्म, लघु और मधयम उद्यम क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो शुरू किए गए/विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संयुक्त उद्यम से भारत को होने वाले संभावित लाभ का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (घ) वर्तमान में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के बीच कोई समझौता/संमझौता ज्ञापन (एमओयू) नहीं है। तथापि, आसियान के सामने इस मामले को उठाने के लिए इस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय (एमईए) को एक एमओयू का मसौदा भेजा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के स्टेशनों पर जन सुविधाएं

2472. श्री राकेश पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाराणसी-लखनऊ खंड के मालीपुर स्टेशन पर शेड, पेयजल और उपरि पुल जैसी यात्री सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों विशेषकर मालीपुर रेलवे स्टेशन पर ये सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मालीपुर सहित उत्तर प्रदेश के सभी स्टेशनों पर मानदंडों के अनुसार आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था पहले ही कर दी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आरपीएफ एण्ड जीआरपी के बीच समन्वय

2473. **श्री पी.टी. थॉमस:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) तथा राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय हेतु प्रभावी उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को यह सूचना प्राप्त हुई है कि कई मामलों में रेलगाड़ियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) फार्म उपलब्ध नहीं होते हैं;

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में रेलगाड़ियों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए रेलवे ने अन्य क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। रेलवे बोर्ड, जोनल, मण्डल स्तर तथा पोस्ट लेवल पर, राजकीय रेल पुलिस और राज्य पुलिस के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर के प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा रहा हे।

(ग) और (घ) गाड़ियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों जैसे गाड़ी संचालकों, टिकट संग्राहकों, गार्डों, कोच परिचारकों, राजकीय रेल पुलिस (रारेपु) और रेल सुरक्षा बल की मार्गरक्षण पार्टियों के पास एफआईआर फार्म उपलब्ध होते हैं। इसका कड़ाई से अनुपालन करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दुहराए भी गए हैं।

(ङ) देश में गाड़ियों की सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए गाड़ियों का मार्ग रक्षण, पहुंच नियंत्रण, आधुनिक सुरक्षा से संबंधित उपकरण की व्यवस्था, जनशक्ति और सुरक्षा संबंधी अवसंरचना को सुदढ़ करने जैसे उपाय किये गए हैं।

केरल के लिए परियोजनाएं

2474. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को उत्तर मालाबार विशेषकर केरल के कासरगौड और कन्नूर जिले में रेल नेटवर्क/परियोजनाओं के विकास हेतु जन प्रतिनिधियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस पर परियोजना-वार क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) गत दो रेल बजटों में केरल राज्य के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त परियोजनाओं के लिए किए गए/जारी बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त घोषणाओं को पूरा करने/कार्यान्वयन की गति को तेज करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केरल में कसरगोड और कन्नुर जिले के उत्तर मालबार क्षेत्र में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली नई लाइन परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रम सं.	प्रस्ताव	स्थिति
1.	थलेस्सेरी-मैसूर नई लाइन	एक अद्यतन सर्वेक्षण शुरू हो गया है।
2.	कंहनगढ-पंथुर नई लाइन	सर्वेक्षण रिपोर्ट विचाराधीन है।

(ग) और (घ) पिछले दो रेल बजटों (2010-11 एवं 2011-12) में घोषित केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली नई परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	प्रस्ताव	वर्तमान स्थिति
	नई लाइन	
1.	मदुरै-कोट्टायम	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण रिपोर्ट जांचाधीन है।
2.	एरूमेली-पुनलुर-त्रिवेंद्रम	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।
3.	थलेस्सेरी-मैसूर	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।
4.	अडूर-कोट्टरकरा के रास्ते चेंगनुर-त्रिवेंद्रम	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।
5.	मदुरै-एरणकुलम	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।
6.	थकझी-तिरूवल्ला	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।
7.	तिरूवल्ला-रन्नी-पंपा	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।
8.	कोझिकोडे-बेपोर	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।
9.	नंजनगोडे-नीलांबुर रोड	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।
10.	कन्नुर-मट्टन्नुर	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।
	दोहरीकरण	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।,
1.	एरणाकुलम-शोराणुर चौथी लाइन	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।
2.	पोदनुर-पालघाट तीसरी लाइन	परियोजना स्वीकृत नहीं है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।

कुम्बलम से थुरावुरतक दोहरीकरण को रेल बजट 2011-12 में स्वीकृत किया गया है और अनुमानों की तैयारी शुरू कर दी गयी है।

(ङ) रेलवे द्वारा सामना की जा रही संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए उपर्युक्त सर्वेक्षण और दोहरीकरण कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रहे हैं।

[हिन्दी]

हाजीपुर-सुगौली लाइन

2475. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाजीपुर-सुगौली रेलवे लाइन के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त कार्य को पूरा करने की गति तेज करने तथा उपरि व्यय को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) अब तक जारी/व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) परियोजना के कुल 150 किलोमीटर लंबाई में से 82 किलोमीटर लम्बाई के लिए मिट्टी, पुल और भवन संबंधी कार्यों के लिए निविदा दे दी गई है और कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) रेलवे को भूमि शीघ्र सुपूर्द करने के लिए और संरेखण पर पड़ने वाले संरचनाओं को हटाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

(ग) इस परियोजना पर मार्च, 2011 तक 164.9 करोड़ रुपये व्यय किया गया है और बजट 2011-12 में 20 करोड़ रुपये की परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगामी वर्षों में कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

नेपाल में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं

2476. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
योगी आदित्यनाथ:
श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेपाल से उद्गम वाली नदियों के तटबंध बनाने पर भारत और नेपाल के बीच चल रही वार्ता के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) नेपाल में उक्त बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में विलंब के, यदि कोई हो तो, के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नेपाल में उच्च भूमि पर नदियों को नियंत्रित करने के लिए लालबाकेया, बागमती, कमला तथा खांडों नदियों पर बाढ़ तटबंध को ऊँचा उठाने, मजबूत करने तथा विस्तार करने के लिए नेपाल सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। इसके अतिरिक्त, नेपाल में कोसी एवं गंडक परियोजना की बाढ़ सुरक्षा कार्यें की देखरेख क्रमश: बिहार एवं उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त केंद्रीय सहायता से की जाती है।

नेपाल में लालबाकेया, बागमती एवं कमला नदियों के साथ तटबंधों का प्रमुख भाग पूरा कर लिया गया है। इन तटबंधों के पूरा होने की अनुसूची से संबंधित जानकारी नहीं है क्योंकि यह नेपाल सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

इसके अतिरिक्त नेपाल सरकार ने नेपाल से भारत में आने वाली अन्य नदियों पर तटबंधों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

खादी उत्पादों की प्रदर्शनी

2477. श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान खादी और ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उत्पादों की राज्य-वार कुल कितनी प्रदर्शनियां आयोजित की गयी हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, वर्ष-वार इस हेतु कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) खादी उत्पादों को बढ़ावा देने में ये प्रदर्शनियां किस हद तक सहायक हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खादी व ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों की राज्य/संघ शासित प्रदेश वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त प्रदर्शनियों में किया गया राज्य/संघ शासित प्रदेश वार व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) केवीआईसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों ने प्रचार के लिए एक सस्ते माध्यम और साथ ही उत्पादों हेतु विपणन अवसरों के रूप में काम किया है। उन्होंने अनन्य तथा विशिष्ट केवीआईसी उत्पादों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के एक माध्यम के रूप में भी काम किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, ऐसी प्रदर्शनियों के माध्यम से 110.70 करोड़ रुपए की बिक्री की गई।

(घ) केवीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के अन्य उपायों के बीच, सरकार ने खादी तथा पोलिवस्त्र के उत्पादन मूल्य पर 20% की सहायता प्रदान करने के लिए 2010-11 से एक बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना आरंभ की है।

विवरण I

केवीआई उत्पादों के लिए केवीआईसी द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आयोजित प्रदर्शनियों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 नवंबर 2011 तक
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	0	0	1	0
2.	दिल्ली	10	7	7	2

1	2	3	4	5	6
3.	हरियाणा	17	12	12	2
4.	हिमाचल प्रदेश	8	7	6	1
5.	जम्मू और कश्मीर	11	3	4	0
6.	पंजाब	11	8	9	0
7.	राजस्थान	34	17	19	0
8.	बिहार	25	5	0	0
9.	झारखंड	8	11	9	0
10.	ओडिशा	15	20	17	4
11.	पश्चिम बंगाल	8	5	10	0
12.	सिक्किम	3	3	2	0
13.	अरुणाचल प्रदेश	13	10	11	0
14.	असम	18	7	16	0
15.	मणिपुर	1	4	5	0
16.	मेघालय	7	7	7	1
17.	मिजोरम	7	5	5	1
18.	नागालैण्ड	6	5	6	0
19.	त्रिपुरा	3	2	1	0
20.	आंध्र प्रदेश	10	6	12	6
21.	कर्नाटक	17	16	13	6
22.	केरल	6	9	9	2
23.	तमिलनाडु	23	16	15	0
24.	गोवा	0	0	1	0
25.	गुजरात	12	18	15	10
26.	महाराष्ट्र	14	16	16	1
27.	छत्तीसगढ़	6	9	9	4
28.	मध्य प्रदेश	9	25	26	20
29.	उत्तराखंड	7	6	7	0
30.	उत्तर प्रदेश	44	41	35	16
	कुल योग	353	300	305	76

विवरण II

केवीआईसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार किए गए खर्च

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल खर्च (लाख रुपए में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 नवम्बर 2011 तक स्वीकृत
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	0	0	1.00	0
2.	दिल्ली	46.00	128.95	216.56	279.00
3.	हरियाणा	79.00	63.57	64.00	40.00
4.	हिमाचल प्रदेश	11.43	10.59	51ए25	30.00
5.	जम्मू और कश्मीर	41.00	12.00	16.97	0.00
6.	पंजाब	35.00	22.00	23.00	0.10
7.	राजस्थान	101.30	63.94	34.63	10.00
8.	बिहार	41.40	18ए00	0.00	0.00
9.	झारखंड	22.36	10.65	17.85	10.00
10.	ओडिशा	21.19	19.69	27.82	13.40
11.	पश्चिम बंगाल	23.38	17.16	24.63	10.00
12.	सिक्किम	6.99	6.98	5.96	0
13.	अरुणाचल प्रदेश	26.01	14.00	34.00	10.00
14.	असम	44.70	20.00	57.00	10.00
15.	मणिपुर	2.00	4.00	9.00	0.00
16.	मेघालय	21.50	17.93	19.00	10.00
17.	मिजोरम	21.00	9.00	9.00	1.00
18.	नागालैण्ड	9.37	8.94	38.00	0.10
19.	त्रिपुरा	2.69	1.69	0.88	0.00
20.	आंध्र प्रदेश	18.89	18.00	15.95	16.00
21.	कर्नाटक	70.00	27.98	25.95	15.60
22.	केरल	27.00	18.75	21.93	10.00
23.	तमिलनाडु	50.10	22.91	18.72	10.00

1	2	3	4	5	6
24.	गोवा	0	0	10.00	10.00
25.	गुजरात	38.00	70.00	67.00	18.50
26.	महाराष्ट्र	41.87	83.07	77.23	40.00
27.	छत्तीसगढ़	18.00	11.40	12.84	6.40
28.	मध्य प्रदेश	24.16	32.82	36.98	24.46
29.	उत्तराखंड	17.93	16.76र	18.69	10.00
30.	उत्तर प्रदेश	194.33	113.56	66.64	35.50
	कुल योग	1056.60	864.34	1022.48	620.06

भू-जल का संदूषण

2478. श्री नीरज शेखर:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री यशवीर सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मिडिया रिपोर्टों की जानकारी है कि भू-जल में आर्सेनिक के मिलने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक भू-जल में आर्सेनिक की मात्रा वाले उत्तर प्रदेश के बलिया सहित राज्य-वार जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर्सेनिक का खतरा 1970 से और अधिक बढ़ गया है जब सरकार ने करोड़ों नलकूप बलिया क्षेत्र में खोदे थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा निर्मित 'अन्वेषणात्मक कुएं' सफल नहीं हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इस संबंध में रुपयों का बड़ी मात्रा में दुरुपयोग तथा चोरी की घटना सामने आयी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और संबंधित राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा कराए गए अध्ययनों के अनुसार जिन जिलों में भूमि जल में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 10 पीपीबी की अनुमत्य मात्रा से अधिक आर्सेनिक सकेन्द्रण है, का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय ने बलिया क्षेत्र में 1970 के दशक से सरकार द्वारा खोदे गए कुंओं और आर्सेनिक के खतरे के बढ़ने के बीच संबंध होने के विषय में कोई अध्ययन नहीं करवाया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड आर्सेनिक मुक्त जलभृत्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्वेषणात्मक कुओं का निर्माण करवाता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा खोदे गए कुंए सफल रहे हैं और सार्वजनिक जलापूर्ति स्कीमों में इस्तेमाल के लिए संबंधित राज्य अभिकरणों को सौंप दिए गए हैं।

(च) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा खोदे गए अन्वेषणात्मक कुओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(छ) जल संसाधन मंत्रालय को आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक कुओं की खुदाई में पैसे के दुरूपयोग और अन्यत्र उपयोग की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ज) उपर्युक्त (छ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

भूमि जल में आर्सेनिक संदूषण प्रभावित जिलों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आर्सेनिक (0.01 मि.ग्रा./लि. से अधिक)
1.	असम	धेमाजी
2.	बिहार	बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगडिया, किशनगंज, लखीसराय, मंगेर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारन, वैशाली
3.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव
4.	पंजाब	मानसा, भटिंडा (छुट पुट घटनाएं)
5.	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर, बदायूं, बागपत, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, खेरी, लखीमपुर खेरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, उन्नाव (राज्य सरकार के साथ-साथ सीजीडब्ल्यूबी से प्राप्त सूचनानुसार)
6.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान, हुगली, हावड़ा, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, उत्तरी-24 परगना, दक्षिणी-24 परगना

विवरण II

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा आर्सेनिक प्रभावित जिलों में खोदे गए अन्वेषणात्मक कुओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिला	खोदे गए अन्वेषणात्मक कुओं की संख्या
1	2	3	4
1.	बिहार	भोजपुर	7
		बक्सर	3
		पटना	3
		समस्तीपुर	4
		सारण	2
		बेगूसराय	4
		दरभंगा	2
		भागलपुर	2
2.	उत्तर प्रदेश	बलिया	11
		बलरामपुर	3
		गोंडा	2
		लखीमपुर खिरी	5
		सिद्धार्थ नगर	1
		मऊ	1
		गाजीपुर	3
3.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	34
		नाडिया	21
		उत्तरी 24 परगना	50
		हुगली	4
		बर्द्धमान	8
		हाओरा	5
		मालदा	5
		दक्षिणी 24 परगना	9
4.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	6

[हिन्दी]

रेलवे का राजस्व/व्यय

2479. श्री आर.के. सिंह पटेल:
शेख सैदुल हक:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री एस. अलागिरी:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को भारी राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप कई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राजस्व कमी के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान योजना और गैर-योजना मदों के अंतर्गत सृजित राजस्व और हुए व्यय का ब्यौरा है; और

(घ) राजस्व को बढ़ाने तथा गैर-योजना व्यय में कटौती करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मौजूदा वित्तीय वर्ष में वास्तविक वित्तीय स्थिति मई, 2012 में लेखों के बंद होने पश्चात् ही उपलब्ध होगी। बहरहाल, अक्तूबर, 2011 के अंत तक 1997 करोड़ रु. (लगभग) के लक्ष्य की तुलना में आमदनी की वसूली में कमी हुई है। राजस्व में कमी के कारण मुख्यत: कुछ राज्यों में बंद, आंदोलनों, कोहरे और लौह-अयस्क के खनन पर प्रतिबंध आदि से यातायात का बाधित होना है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाएं प्रगति पर रही हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में योजनागत और गैर-योजनागत योजना शीर्षों में आमदनी और किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	
		योजनागत	गैर-योजनागत
2008-09	81658.98	36335.51	72484.53
2009-10	89229.29	39671.85	83685.20
2010-11	96681.02	40792.74	90334.88
2011-12	56153.86	25513.09	58717.82

(घ) राजस्व बढ़ाए जाने के लिए रेलों द्वारा किए जा रहे उपायों में फ्रेट कारों की वहन क्षमता के साथ-साथ एक्सल लोड में उत्तरोतर वृद्धि के माध्यम से इष्टतम परिचालनिक कुशलता एवं आमदनी हैं। इसके अलावा, रेलों ने अतिरिक्त यातायात बढ़ाए जाने के लिए कई कदम भी उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ विभिन्न अवधियों में बढ़ती मांग के कारण उपजी विशेष समस्याओं के लिए दर सूची का कार्यान्वयन शामिल है। विशेषरूप से गाड़ी के खाली हो जाने के बाद वापसी दिशा की ओर तथा कम व्यस्त अवधि के दौरान यातायात को आकर्षित किए जाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी हैं।

जहां तक व्यय पर नियंत्रण का संबंध है उसके लिए अनियंत्रित व्यय को दूर करने तथा गैर-योजनागत व्यय की वृद्धि पर नियंत्रण करना रेलों का सतत् प्रयास रहता है। उठाए गए कदमों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए निर्माण कार्यों पर व्यय की प्राथमिकता, वस्तु-सूची प्रबंधन में सुधार, ईंधन खपत का इष्टतमीकरण, संविदागत भुगतान, समयोपरि भत्ता, सामग्री खरीद आदि जैसे क्षेत्रों में व्यय पर कड़ा नियंत्रण, आतिथ्य, प्रचार-प्रसार, विज्ञापनों, उद्घाटन समारोहों, सेमिनारों और वर्कशॉप, आकस्मिक कार्यालय व्यय आदि जैसे क्षेत्रों में किफायती एवं आर्थिक उपाय शामिल हैं।

तेल कुओं की समीक्षा

2480. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री हरीश चौधरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वजनिक और निजी दोनों के राज्य-वार, तेल कुओं की अवस्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम के तेल कुओं ड्रिलिंग कार्य की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी समीक्षा का ब्यौरा क्या है तथा समीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समीक्षा के बाद, यदि कोई हो तो, क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) तेल कुओं के ड्रिलिंग के कार्य की निगरानी हेतु सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रावधानों के क्रियान्वयन में बरती गयी ढील की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा वेधित तेल कूपों

की संख्या लगभग 6303 है। तेल कूपों के राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

राज्य	तेल कूपों संख्या
गुजरात	3560
असम	1222
अरुणाचल प्रदेश	53
आंध्र प्रदेश	47
तमिलनाडु	145
राजस्थान	86
योग जमीनी	5113
पूर्वी अपतटीय	38
पश्चिमी अपतटीय	1152
योग अपतटीय	1190
समय योग	6303

(ख) से (ङ) अन्वेषणात्मक और विकासात्मक वेधन सहित आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी के निष्पादन की समीक्षा योजना आयोग और लोग उद्यम विभाग द्वारा की जाती है।

अन्वेषणात्मक और विकासात्मक वेधन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी होने की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई की सलाह अनुपालनार्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी जाती है। ओएनजीसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर निगरानी, पश्चातवर्ती निष्पादन समीक्षा बैठकों में रखी जाती हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण

2481. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण कार्य उन्नत और अद्यतन तकनीक के द्वारा नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण में उपयोग की जा रही नवीनतम तकनीक का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्पादन की लागत में नवीनतम तकनीक के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण कार्य करने के लिए नवीनतम और उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रही हैं।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान तेल और गैस का अन्वेषण करने के लिए भूकम्पीय आंकड़ा अर्जन, प्रसंस्करण एवं निर्वचन, कूप लागिंग और वेधन के क्षेत्र में उपयोग में लाई जा रही नवीनतम प्रमाणित प्रौद्योगियों का विवरण नीचे दिया गया है:

- बहु-संघटन और दीर्घ आफसेट भूकंपीय
- प्री-स्टेक गहनता प्रवसन (पीएसडीएम) प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भूकम्पीय आंकड़ा प्रसंस्करण
- निष्क्रिय भूकम्पीय टॉमोग्राफी
- विषाक्त अनुपात मॉडलिंग
- आयाम बनाम आफसेट विश्लेषण
- संलिष्ट छिद्र रडार (एसएआर) बिम्बविधानीय प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग
- वायुवाहित गुरुत्व-चुम्बकीय सर्वेक्षण
- प्रतिरोधीय एनिसट्रोफी माप
- नाभिकीय चुम्बकीय अनुकम्पन (एनएमआर) माप
- उन्नत ध्वनिक माप
- वेधन के दौरान माप (एमडब्ल्यूडी) और वेधन के दौरान लागिंग (एलडब्ल्यूडी) प्रौद्योगिकियां।

(घ) हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण में कई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, हाइड्रोकार्बन खोजों के संदर्भ में अन्वेषणीय सफलता के अवसरों में बढ़ोतरी में सहायक होता है। इससे तेल और गैस की खोज करने की लागत में भी कमी आएगी।

[अनुवाद]

सिंचाई में सरकारी-निजी भागीदारी

2482. श्री नित्यानंद प्रधानः
श्री वैजयंत पांडाः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सिंचाई क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा राज्य में क्रियान्वयनाधीन विभिन्न ऐसी परियोजनाओं की स्थिति क्या है और इन्हें किस समय-सीमा के अधीन पूरा किए जाने तथा प्रचालन शुरू किए जाने की सम्भावना है;

(घ) राज्य में इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के मार्ग में कौन सी बाधाएं आ रही हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या उपाय किए गए है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ङ) राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में परिकल्पना है कि "जहां संभव हो विविध उपयोगों के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र की सहभागिता से नए विचारों की शुरूआत, वित्तीय संसाधन जुटाने तथा कारपोरेट प्रबंधन की शुरूआत और प्रयोक्ताओं के लिए दक्ष सेवा प्रदानगी और बेहतर जवाबदेही उपलबध कराने में सहायता मिल सकती है। विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर, जल संसाधन सुविधाओं के निर्माण, स्वामित्व, संचालन पटेट्दारी और अंतरण में निजी क्षेत्र सहभागिता के विभिन्न संयोजनों पर विचार किया जा सकता हे।"

जल राज्य का विषय होने के नाते, सभी संबंधित कार्यकलाप संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं।

रेल सुरक्षा हेतु प्रौद्योगिकी

2483. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोडः
श्री वैजयंत पांडाः
श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः
डॉ. रत्ना डेः
श्री जगदानंद सिंहः
श्री नित्यानंद प्रधानः
श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री एस. पक्कीरप्पाः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे रेल यात्रा को दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु नयी प्रौद्योगिकी को अपनाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अपनायी गयी प्रौद्योगिकी तथा इसके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा ऐसी प्रत्येक प्रौद्योगिकी को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने समूचे देश में ऐसी प्रत्येक प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेल यात्रा को दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु रेलवे ने अन्य क्या कदम उठाए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) से (घ) रेलवे की संरक्षा हेतु परीक्षण/कार्यान्वयन के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधुनिक प्रौद्योगिकियां निम्नानुसार हैं:

(i) **गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस)**- टीपीडब्ल्यू प्रणाली मानवीय चूक जैसे डेंजर पर सिगनल पासिंग और ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का उन्मूलन करती है। दक्षिण और उत्तर/उत्तर मध्य रेलवे के लिए टीपीडब्ल्यू प्रणाली की दो पायलट परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी। दक्षिण रेलवे के उपनगरीय खंड अर्थात चैन्ने सेंट्रल और गुमिडपुंडी (50 मार्ग किमी.) पर एक पायलट परियोजना को 02.05.2008 को शुरू किया गया है और यह काम कर रही है। उत्तर मध्य रेलवे के दिल्ली-आगरा खंड (200 मार्ग किमी.) के गैर-उपनगरीय खंडों पर टीपीडब्ल्यू प्रणाली के पायलट परियोजना का सेवा परीक्षण पर प्रगति पर हैं। पूर्व रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और पश्चिम रेलवे के 895 मार्ग किमी. पर कुल 599.47 करोड़ रुपए की लागत वाले पांच कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राइट्स द्वारा कम लागत वाले टीपीडब्ल्यू प्रणाली का पता लगाया जा रहा हैं टीपीडब्ल्यू कार्यों के लिए वर्ष 2011-12 हेतु 50.8 करोड़ रुपए निधि का आबंटन किया गया है।

(ii) **टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी)**- कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए टक्कर रोधी उपकरणों को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के 1736 मार्ग किमी. पर लगाया गया था। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से प्राप्त अनुभव के आधार पर विद्युतीकृत पाई गई मल्टिपल लाइनों, स्वचालित सिगनलिंग खंडों के लिए इसकी विशिष्टयों में आशोधन किए गए थे और इनका परीक्षण दक्षिण रेलवे पर किया गया था। सॉफ्टवेयर का आशोधन करने के लिए परीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा विश्लेषण किया जा रहा हैं। कमियों को दूर करने के बाद आगे परीक्षण किया जाएगा। 7 जोनों के लिए 6760 मार्ग किमी. पर टक्कर रोधी उपकरण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2011-12 के लिए 28 करोड़ रुपए निधि का आबंटन किया गया है।

(iii) **सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी)**- ड्राइवरों के सेंसिंग पोंजीविट एक्शन के माध्यम से जैसे हार्न की आवाज, प्रत्येक 60 सेकेंड में ब्रेक का बटन दबाना और कमी होने पर ब्रेक लगाने के संबंध में ड्राइवरों की चैकन्नेपन का पता लगाने के लिए रेलइंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए जा रहे हैं ताकि गाड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लगभग 7 प्रतिशत डीजल रेलइंजनों और 25 प्रतिशत बिजली रेलइंजनों में वीसीडी लगाए गए हैं। शेष रेलइंजनों में 2012 तक वीसीडी लगाने का लक्ष्य है।

(iv) **सवारी डिब्बों में व्यापक अग्नि और धुआं संसूचन प्रणाली**- नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस के एक रेक में अग्नि और धुआं संसूचन प्रणाली पर फील्ड परीक्षण हेतु पायलट परियोजना शुरू की गई है। बताया गया है कि प्रणाली संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। बाद में अधिकाधिक सवारीडिब्बों पर फील्ड परीक्षण करने की योजना बनाई गई है।

सुरक्षित और विश्वसनीय गाड़ियों के परिचालन के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना एक सतत् प्रक्रिया है। चरणों में किए गए परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने और तदनुसार निधियों के आवंटन के आधार पर संपूर्ण रेलवे नेटवर्क पर इन प्रणालियों को लगाने पर विचार किया जाएगा।

(ङ) एसएमएस, नुक्कड़, नाटक, अखबारों में विज्ञापनों, रेडियो/टीवी वार्तालापों, विद्यालयों में कॉउंसलिंग, ग्राम पंचायतों आदि के साथ इंटरएक्शन के जरिये बिना चौकीदार वाले समपारों को सुरक्षित ढंग से पार करने के लिए लोगों को शिक्षित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण योजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2484. श्री सुवेन्दु अधिकारी:
डॉ. भोला सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संस्थाओं/संगठनों को क्या कार्य सौंपे गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन संस्थाओं/संगठनों द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी करने के लिए किसी निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आजीविका अवसर और शहरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) फ्रेमवर्क के जरिए ग्राम पंचायत(तों) में संभावित विकास केंद्र के आसपास सघन क्षेत्रों का व्यापक एवं त्वरित विकास करने का प्रस्ताव किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य आजीविका अवसरों, शहरी सुविधाओं एवं आधारभूत सुविधा का विकास करने के लिए निजी भागीदारों का चयन करना तथा उन्हें चुनी गई पंचायतों/पंचायतों के समूहों में 10 वर्षों के लिए अनुरक्षण की जिम्मेवारी सौंपना है।

(ख) छः कंपनियों अर्थात् मै. इफ्रास्ट्रक्चर केरल लिमि. (आईएनकेईएल), मैं. मेगा इंजिनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि. (एमआईएल), मै. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस), मै. मार्ग लिमि., मै. एसवीईसी कंस्ट्रक्शन और मै. एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमि. ने आंध्र प्रदेश (2), केरल (2), महाराष्ट्र (1), पुदुचेरी (1), राजस्थान (2) और उत्तराखंड (1) नामक 6 राज्यों में पुरा परियोजनाएं शुरू करने के लिए 9 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की है। फिलहाल, तकनीकी विशेषज्ञ विस्तृत परियोजना रिपोर्टो का मूल्यांकन कर रहे हैं।

(ग) इस योजना के तहत, चुनिंदा निजी भागीदार को तेल आपूर्ति एवं मलजल निकासी, सड़कें, नालियां, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग तथा विद्युत वितरण जैसी सुविधाएं मुहैया करानी होती हैं और पुरा परियोजना के भाग के रूप में कुछ आर्थिक एवं कौशल विकास क्रियाकलाप करने की जरूरत होती है। निजी भागीदार ग्राम आधारित पर्यटन, समेकित ग्रामीण केन्द्र, ग्रामीण बाजार, एग्री-कॉमन सर्विस सेंटर और वेयर हाउसिंग आदि जैसी "एड-ऑन" राजस्व-अर्जक सुविधाएं भी मुहैया करा सकते हैं।

(घ) और (ङ) योजना दिशा-निर्देशों के तहत, परियोजना जीवनचक्र के दौरान निष्पादन का निरीक्षण एवं निगरानी करने के लिए ग्राम पंचायतों के पुरा समूह में स्वतंत्र अभियंता नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है।

नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजनाएं

2485. श्री लालचंद कटारिया:
श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री उदय प्रताप सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के नक्सली प्रभावित जिलों में संचालित प्र.मं. ग्रामीण स्वरोजगार योजना, 'मनरेगा' और पनधारा विकास कार्यक्रम जैसी विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन योजनाओं के तहत लक्ष्य पूर्ति के सिलसिले में छूट देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में उक्त योजनाओं को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाएं यथा-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), इंदिर आवास योजना (आईएवाई), समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) कार्यान्वित कर रहा है जिसमें वामपंथी उग्रवाद/समेकित कार्य योजना (आईएपी) वाले जिले भी शामिल हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित/आईएपी जिलों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा अब तक दी गई लोचनीयता इस प्रकार हैं–

1. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनी कुछ योजनाओं के दिशा-निर्देशों में लोचनीयता दी है। तदनुसार, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दिशा-निर्देशों में लोचनीयता दी गई है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) अन्य क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों की आबादी की तुलना में समेकित कार्य योजना जिले की सभी बसावटें, चाहे वे अनुसूची-V के क्षेत्र में हो या नहीं, वहां 250 और उसमें अधिक की आबादी (2001 की जनगणना में) वाली सभी बसावटें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र होंगी।

(ii) अन्य क्षेत्रों में 50 मीटर की तुलना में समेकित कार्य योजना जिलों में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 75 मीटर तक के पुलों की लागत को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित/आईएपी जिलों के मामले में न्यूनतम निविदा पैकेज की राशि घटाकर 50.00 लाख रु. कर दी गई है।

(iv) कार्यों को पूरा करने के लिए 24 कैलेण्डर माह तक की समय सीमा की अनुमति दी जाएगी। तथापि, लागत वृद्धि के कारण किसी भी प्रकार की अतिरिक्त देयता को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्यक्रम निधि से वहन नहीं किया जाएगा।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए): समेकित कार्य योजना (आईएपी) वाले जिलों में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस योजना के कुछ प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं–

(i) लागत में हिस्सेदारी: अगले 10 वर्षों के लिए क्रमशः केंद्र और राज्य के 75:25 के अनुपात में अंशदान से आईएपी वाले जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) और कनिष्ठ अभियंता (जेई) नियुक्त किया जा सकता है।

(ii) मॉडल भर्ती एवं सेवा नियमावली में संशोधन: पीडीओ और जेई की भर्ती जिला स्तर पर की जानी चाहिए न

कि राज्य स्तर पर और अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए। पीडीओ की नियुक्ति के मामले में किसी विषय में स्नातक व्यक्ति पर विचार किया जा सकता है।

(iii) जहां कतिपय परिस्थितियों के अध्यधीन आईएपी जिलों में बैंकों एवं डाकघरों की सीमित संस्थागत पहुंच और विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं, बैंक/डाकघर के माध्यम से मजदूरी भुगतान कराने में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर आईएपी जिलों में नकद के माध्यम से एमजीएनआरईजीए मजदूरी का भुगतान कराने की अनुमति राज्य सरकारों को देने का निर्णय लिया गया है। नकद भुगतान की व्यवस्था एक वर्ष के लिए अंतरिम व्यवस्था तब तक के लिए होगी जब तक समुचित बैंक एवं डाक की व्यवस्था हो जाती है।

(iv) दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना के माध्यम से खेल के मैदान के निर्माण कार्य को आईएपी जिलों में अनुमेय कार्यों की सूची में शामिल किया गया है।

3. **इंदिरा आवास योजना:** इंदिरा आवास योजना के मामले में नक्सल प्रभावित जिलों में योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित संशोधन किया गया एवं लोचनीयता दी गई है–

(i) निर्धारित किए गए 60 आईएपी जिलों को अब दुर्गम क्षेत्रों के रूप में माना गया है और वे पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई 48,500 रु. तक की अधिकतम इकाई सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ii) 60 आईएपी जिलों में जिला प्रशासन को यह अनुमति दी गई है कि यदि उसे जरूरत महसूस होती है तो वह वृद्धों, विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण कर सकता है।

(iii) 60 आईएपी जिलों में समूह दृष्टिकोण अपनाए जाने का अनुरोध किया गया है ताकि सुविधाओं में बेहतर तालमेल लाया जा सके और इन क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।

4. **समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी):** भूमि संसाधन विभाग ने एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों के अधिकार संपन्न समूह के अनुमोदन से आईएपी जिलों में आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) द्वारा पर्याप्त औचित्य के आधार पर प्रति हेक्टेयर 12,000 रुपए से 15,000 रुपए तक लागत मानदंड में लोचनीयता की अनुमति दी है।

[अनुवाद]

पी.यू.आर.ए. योजना

2486. श्री ए॰ सम्पत:
श्री जफर अली नकवी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता संबंधी योजना (पी.यू.आर.ए.) संचालित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी राशि जारी तथा व्यय की गई;

(घ) क्या इस योजना के लिए राज्यों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा अनुमति प्राप्त करना आवशयक है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का इस योजना को सभी जिलों में कार्यान्वित करने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार पी.यू.आर.ए. योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय निकायों की वर्धित भूमिका बढ़ाने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-स्तर को बेहतर बनाने ने उद्देश्य से आजीविका अवसर और शहरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) फ्रेमवर्क के जरिए ग्राम पंचायतों में संभावित विकास केन्द्र के आसपास सघन क्षेत्रों का व्यापक एवं त्वरित विकास करने का प्रस्ताव किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य आजीविका अवसरों, शहरी सुविधाओं एवं आधारभूत सुविधा का विकास करने के लिए निजी भागीदारों का चयन करना तथा उन्हें चुनी गई पंचायतों/पंचायतों के समूहों में 10 वर्षों के लिए अनुरक्षण की जिम्मेवारी सौंपना है। इस योजना के तहत, चुनिंदा निजी भागीदार को जल आपूर्ति एवं मलजल निकासी, सड़कें, नालियां,

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग तथा विद्युत वितरण जैसी सुविधाएं मुहैया करानी होती हैं और पुरा परियोजना के भाग के रूप में कुछ आर्थिक एवं कौशल विकास क्रियाकलाप करने की जरूरत होती है। निजी भागीदार ग्राम आधारित पर्यटन, समेकित ग्रामीण केन्द्र, ग्रामीण बाजार, एग्री-कॉमन सर्विस सेंटर और वेयर हाउसिंग आदि जैसी "एड-ऑन" राजस्व-अर्जक सुविधाएं भी मुहैया करा सकते हैं।

(ख) छह कंपनियों अर्थात् मै. इंफ्रास्ट्रक्चर केरला लिमि. (आईएनकेईएल), मै. मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (एमईआईएल), मै. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस), मै. मार्ग लिमि., मै. एसवीईसी कंस्ट्रक्शन और मै. एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लि. ने आंध्र प्रदेश (2), केरल (2), महाराष्ट्र (1), पुडुचेरी (1), राजस्थान (2) और उत्तराखंड (1) नामक 6 राज्यों में पुरा परियोजनाएं शुरू करने के लिए 9 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की है। फिलहाल, तकनीकी विशेषज्ञ विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन कर रहे हैं।

(ग) पुनर्गठित पुरा योजना 21 जनवरी, 2010 से शुरू की गई थी। विगत तीन वर्षों के दौरान कोई परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई थी। तथापि, वर्ष 2010-11 में, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, राजस्थान और उत्तराखड की संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के लिए 66.20 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे। वर्ष 2011-12 के लिए बजट आवंटन 100.00 करोड़ रुपए है और वर्तमान वर्ष में आज की तारीख तक कोई धनराशि रिलीज नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। निजी भागीदार को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना पड़ता है। उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित सभी 9 परियोजनाओं के संबंध में, निजी भागदारों ने संबंधित राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र ले लिए हैं।

(च) और (छ) इस मंत्रालय को 6 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश (2), केरल (2), महाराष्ट्र (1), पुडुचेरी (1), राजस्थान (2) और उत्तराखंड (1) में पुरा परियोजनाएं शुरू करने के लिए निजी भागीदारों से 9 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर-खीरी जिले के संबंध में कोई डीपीआर नहीं मिली है।

(ज) और (झ) इस योजना के अंतर्गत, निजी भागीदार द्वारा परियोजना कार्यान्वित करने के लिए पंचायत/पंचायतों के समूह की सहमति लेनी पड़ती है। पंचायत द्वारा निजी भागीदार के साथ रियायत करार संपन्न करना पुरा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक अनिवार्य शर्त भी है। रियायत अवधि के अंत में, पंचायत पीपीपी के जरिए सृजित परिसंपत्तियों को अपने जिम्मे ले सकती है ताकि जनता को आगे भी सुविधाएं मिलती रहें।

[हिन्दी]

'मनरेगा' के अंतर्गत कामगार

2487. श्री राकेश सचानः
डॉ. एम. तम्बिदुरईः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत राज्य-वार कितने कामगारों को रोजगार दिया गया;

(ख) क्या उक्त योजना के तहत रोजगार प्राप्त कामगारों की संख्या में हाल में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कामगारों को कम मजदूरी के भुगतान संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार कितनी शिकायतें मिली हैं;

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या जिन कामगारों को रोजगार नहीं मिला, उन्हें बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि हीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 5.49 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया जबकि वर्ष 2008-09 में 4.51 करोड़ परिवारों को और वर्ष 2009-10 में 5.26 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया। पिछले वर्षों के दौरान रोजगार पाने वाले परिवारों की कुल संख्या लगातार बढ़ती रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान (अक्टूबर, 2011 तक) मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वाले परिवारों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

(घ) से (च) देश में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के विषय में बड़ी संख्या में सभी प्रकार की शिकयतें मंत्रालय को प्राप्त होती हैं। मनरेगा के अंतर्गत कम मजदूरी के भुगतान से संबंधित

मामलों की ऐसी 61 शिकायतें मंत्रालय में 10.11.2011 तक प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। चूंकि इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपनी बनाई योजनाओं के अनुसार करती हैं, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें कानून के अनुसार जांच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। मंत्रालय राज्य सरकारों को अधिनियम के अंतर्गत उनके इस दायित्व का स्मरण कराता रहा है कि वे गंभी शिकायतों की जांच कराएं, आवश्यक कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी निधियों के दुर्विनियोजन और गबन के मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए बल्कि संबंधित व्यक्तियों से कानून के अनुसार राशि की वसूली करने के लिए साथ-साथ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत उनका दांडिक अभियोजन भी किया जाना चाहिए।

(छ) से (झ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत धारा 7 के अनुसार बेरोजगारी भत्ता तब देय होता है, जब किसी आवेदक को रोजगार की मांग करने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तारीख को रोजगार की मांग की गई है, उस तारीख से 15 दिनों के भीतर, इनमें से जो भी बाद का हो, रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत देय या भुगतान किए गए बेराजगारी भत्ते की राशि से संबंधित जानकारी वर्ष 2009-10 तक प्रबंधन आसूचना प्रणाली में नहीं डाली जा रही थी। तथापि, 2010-11 के बाद से, देय बेराजगारी भत्ते के दिनों की संख्या और उन दिनों की संख्या, जिनके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया है, से संबंधित जानकारी एमआईएस में डाली जाती है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से एमआईएस में डाले गए वर्ष 2010-11 और 2011-12 (31 अक्टूबर तक) के ये ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दर्शाए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अब तक 2011-12 में बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी गई किसी भी राशि की सूचना एमआईएस में नहीं दी गई है।

विवरण-I

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वाले परिवार

क्र.सं.	राज्य	रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अक्टूबर, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5699557	6158493	6200423	4014803
2.	अरुणाचल प्रदेश	80714	68157	134527	2381
3.	असम	1877393	2137270	1798372	753498
4.	बिहार	3822484	4127330	4738464	565804
5.	छत्तीसगढ़	2270415	2025845	2485581	2102633
6.	गुजरात	850691	1596402	1096223	571354
7.	हरियाणा	162932	156406	235281	178616
8.	हिमाचल प्रदेश	445713	497336	444247	337672
9.	जम्मू व कश्मीर	199166	336036	492277	96269

1	2	3	4	5	6
10.	झारखंड	1576348	1702599	1987360	1096322
11.	कर्नाटक	896212	3535281	2224468	486405
12.	केरल	692015	955976	1175816	1108212
13.	मध्य प्रदेश	5207665	4714591	4407643	2314918
14.	महाराष्ट्र	906297	591547	451169	654895
15.	मणिपुर	381109	418564	433856	198116
16.	मेघालय	224263	300482	346149	150016
17.	मिजोरम	172775	180140	170894	166148
18.	नागालैंड	296689	325242	350815	एनआर
19.	ओडिशा	1199006	1398300	2004815	869072
20.	पंजाब	147336	271934	278134	157181
21.	राजस्थान	6373093	6522264	5859667	3851210
22.	सिक्किम	52006	54156	56401	29861
23.	तमिलनाडु	3345648	4373257	4969140	4920805
24.	त्रिपुरा	549022	576487	557055	537893
25.	उत्तर प्रदेश	4336466	5483434	6431213	5317002
26.	उत्तराखंड	298741	52304	542391	221173
27.	पश्चिम बंगाल	3025854	3479915	4998239	2317851
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5975	20337	17636	11659
29.	दादरा व नगर हवेली	1919	3741	2290	एनआर
30.	दमन व दीव				एनआर
31.	गोवा	0	6604	163897	9414
32.	लक्षद्वीप	3024	5192	4507	2027
33.	पुडुचेरी	12264	40377	38118	34867
34.	चंडीगढ़				एनआर
	जोड़	**45112792**	**52585999**	**54947068**	**33078077**

विवरण-II

मनरेगा के अंतर्गत कम मजदूरी संबंधित मामले

क्र.सं.	राज्य	कम भुगतान वाले मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	6
5.	छत्तीसगढ़	0
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	0
8.	हरियाणा	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	जम्मू और कश्मीर	0
11.	झारखंड	5
12.	कर्नाटक	0
13.	केरल	0
14.	लक्षद्वीप	0
15.	मध्य प्रदेश	5
16.	महाराष्ट्र	0
17.	मणिपुर	0
18.	मेघालय	0
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैंड	0
21.	उड़ीसा	1
22.	पंजाब	0
23.	राजस्थान	14
24.	तमिलनाडु	1
25.	त्रिपुरा	0
26.	उत्तर प्रदेश	24
27.	उत्तराखंड	0
28.	पश्चिम बंगाल	1
29.	सिक्किम	0
	कुल	**61**

विवरण-III

एम.आई.एस. में डाले गए वर्ष 2010-11 और 2011-12 (31 अक्टूबर 2011 तक) के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	बकाया बेरोजगारी भत्ता के दिनों की संख्या		भुगतान किए गए दिनों की संख्या	भुगतान की गई राशि
		2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	345	31518	0	0
3.	असम	3969	9251	0	0

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	333072	466319	0	0
5.	छत्तीसगढ़	12074	6658	0	0
6.	गोवा	160	175	0	0
7.	गुजरात	70343	7746	12	1120
8.	हरियाणा	28	5220	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	5215	986	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	176265	53151	13	110
11.	झारखंड	5881	86263	0	0
12.	कर्नाटक	149879	3129	0	0
13.	केरल	14529	5128	0	0
14.	मध्य प्रदेश	38126	17752	70	1700
15.	महाराष्ट्र	27795	104819	64	6914
16.	मणिपुर	300810	340406	0	0
17.	मेघालय	27765	10890	0	0
18.	मिजोरम	238500	162378	0	0
19.	नागालैंड	16	असूचित	0	0
20.	ओडिशा	12250	5667	0	0
21.	पंजाब	3546	8012	54	4315
22.	राजस्थान	50735	15355	0	0
23.	सिक्किम	29760	23643	0	0
24.	तमिलनाडु	165566	2592013	516	117624
25.	त्रिपुरा	2333	10243	6	600
26.	उत्तर प्रदेश	365336	137786	147	17520
27.	उत्तराखंड	57938	52654	0	0
28.	पश्चिम बगांल	57586	14228	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4671	1167	0	0
30.	लक्षद्वीप	2987	552	0	0
31.	पुदुचेरी	105	491	0	0
	कुल	2157585	1795960	882	149903

रसोई गैस वितरण एजेंसियों की स्थापना

2488. श्री देवजी एम. पटेल:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राजस्थान के दौसा, अलवर, जालौर और सिरोही क्षेत्रों में शुरू की गई रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोलियम पदार्थों के खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान जिन एजेंसियों की पड़ताल की गई उन्हें शुरू किया जाना अभी शेष है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या राजीव गांधी ग्रामीण रसोई गैस वितरण योजना के तहत राजस्थान के विभिन्न स्थानों में वितरक तय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों और अप्रैल 2011 से सितम्बर, 2011 की अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने राजस्थान के दौसा, अलवर, जलौर और सिरोही जिलों में 45 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 71 खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) डीलरशिपों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, इनमें से 13 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 50 खुदरा बिक्री केन्द्र पहले से ही चालू कर दिए गए हैं। चालू किए गए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और आरओज के ब्यौरे निम्नवत् हैं–

क्र.सं.	जिलों का नाम	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/ आरओज की संख्या
1	2	3
1.	दौसा	03 (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें) 11 (आरओज)
2.	अलवर	04 (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें) 16 (आरओज)
3.	जलौर	02 (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों) 14 (आरओज)
4.	सिरोही	04 (एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों (09 (आरओज)

इन जिलों में शेष स्थल विभिन्न अनिवार्य लाइसेंसों और अनुमोदनों की प्राप्ति न होने के कारण, शिकायतों/वाद के निपटान, लंबिक न्यायालय मामलों आदि के कारण चालू किए जाने के लिए लंबित हैं। लंबित डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/डीलर शिपों को चालू जाना उपरोक्त कारकों की शर्त पर निर्भर करता है और ओएमसीज शीघ्र चालू करने हेतु कार्यवाही कर रही है।

(घ) और (ङ) ओएमसीज ने राजस्थान राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना के तहत 298 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, इनमें से 98 पहले से ही चालू कर दिए गए हैं। मौजूदा नीति के अनुसार शेष स्थलों के चयन के लिए कार्रवाई प्रगति पर है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसमें विज्ञापन, आवेदन प्रपत्रों की प्राप्ति, उनकी जांच, उम्मीदवारों का चयन, चयनित उम्मीदवारों के प्रत्यय पत्रों का क्षेत्र सत्यापन, बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, विभिन्न अनिवार्य लाइसेंसों और अनुमोदनों को प्राप्त किया जाना शामिल है, प्रक्रिया के विधिवत् रूप से पूरा होने के बाद ही आबंटन किया जाएगा।

अन्य देशों के साथ जल-संधियां

2489. श्री हर्ष वर्धन:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अनेक देशों के साथ जल-वितरण संबंधी संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत को कितनी मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) फरक्का (भारत) में गंगा जल की हिस्सेदारी के संबंध में बांग्लादेश सरकार के साथ 12 दिसंबर, 1996 को भारत सरकार ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जो निम्नानुसार हैं–

फरक्का में उपलब्धता	भारत का हिस्सा	बांग्लादेश का हिस्सा
70,000 क्यूसेक या उससे कम	50%	50%
70,000 क्यूसेक −75,000 क्यूसेक	शेष बहाव	35,000 क्यूसेक
75,000 क्यूसेक या उससे अधिक	4,00,00 क्यूसेक	शेष बहाव

इस शर्त के अधीन कि 11 मार्च से 10 मई की अवधि के दौरान वैकल्पिक तीन 10 दिवसीय अवधि में भारत और बंग्लादेश प्रत्येक को जल की गारंटित मात्रा 35,000 क्यूसेक प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ परियोजना-आधारित संधि/समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो निम्नानुसार हैं–

कोसी परियोजना समझौता यह अभिकल्पित करता है कि महामहिम नेपाल सरकार (वर्तमान में नेपाल सरकार) को कोसी नदी और सन-कोसी नदी या कोसी बेसिन के भीतर कोसी नदी की किन्हीं अन्य वितरिकाओं से सिंचाई अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए समय-समय पर जैसा भी अपेक्षित हो, नेपाल स्थित जल की निकासी हेतु सभी अधिकार होंगे। संघ (भारत सरकार) को बैराज स्थल पर कोसी नदी में समय-समय पर उपलब्ध शेष सभी जलापूर्ति को विनियमित करने का अधिकार होगा।

(i) भारत और नेपाल के बीच गंडक परियोजना समझौता, 1964

गंडक परियोजना समझौता यह अभिकल्पित करता है कि महामहिम नेपाल सरकार (वर्तमान में नेपाल सरकार) के पास घाटी में समय-समय पर उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध जल से सिंचाई अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नेपाल स्थित नदी अथवा उनकी वितरिकाओं से जल की निकासी हेतु अधिकार बने रहेंगे।

(ii) भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि, 1996

अनुच्छेद-3 में निम्नानुसार है–

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (इसके बाद इसे 'परियोजना' कहा जायेगा) का निर्माण महाकाली नदी क्षेत्र, जहां यह दोनों देशों (भारत और नेपाल) के बीच सीमा बनाता है, में किया जाना है और इसलिए दोनों ही पक्ष (भारत सरकार और नेपाल सरकार) सहमत है कि महाकाली नदी के जल से संबंधित उनके मौजूदा उपभोग में बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव से वे महाकाली नदी के जल के उपयोग में समान हकदार होंगे।

अनुच्छेद-4 में निम्नानुसार हैं–

भारत नेपाली क्षेत्र के दोधारा-चांदनी क्षेत्र की सिंचाई के लिए 10 एम3/एस (350 क्यूसेक) जल की आपूर्ति करेगा। इस संबंधित तकनीकी और अन्य विषय आपस में मिलकर तय किए जाएंगे।

[अनुवाद]

रेलवे-स्टेशनों का रख-रखाव

2490. श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री उदय सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग वित्तीय बाधाओं के कारण देश के रेलवे-स्टेशनों का रख-रखाव नहीं कर पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग का इन रेलवे-स्टेशनों के रख-रखाव हेतु विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहायता लेने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश के रेलवे-स्टेशनों के रख-रखाव हेतु अन्य किन उपायों पर विचार किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्टेशनों का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। अनुरक्षण कार्यों को कार्यों की आपसी प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है।

[हिन्दी]

'मनरेगा' के अंतर्गत विशिष्ट पहचान-पत्र

2491. श्रीमती सुमित्रा महाजनः
श्री पिनाकी मिश्राः
श्री रवनीत सिंहः
श्री कीर्ति आजादः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) को 'आधार' पत्र/विशिष्ट पहचान-पत्र योजना से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केवल 'आधार' पहचान-पत्र धारक श्रमिक ही योजना के तहत रोजगार पाने के पात्र होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में मध्य प्रदेश सहित देश भर में राज्य-वार कितने 'आधार'/विशिष्ट पहचान-पत्र जारी किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क), (ख) और (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में प्रत्येक पंजीकृत मनरेगा कर्मी की आधार संख्या की प्रविष्टि करने के लिए हाल ही में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को देश में मनरेगा कर्मियों को जारी की गई आधार संख्या के संबंध में आंकड़ों की प्रविष्टि करना अभी शुरू किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इथेनॉल का मिश्रण

2492. डॉ. संजय सिंहः
राजकुमारी रत्ना सिंहः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक कितनी मात्रा में इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल व डीजल की बिक्री की गई है; और

(ख) इस पेट्रोल व डीजल का प्रति लीटर कितना मूल्य रखा गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) देश में नवंबर 2006 से नवंबर, 2011 तक तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा बेचे गए एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की मात्रा 17,980 हजार किलो लीटर है।

देश में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा एथेनोल मिश्रित डीजल की कोई बिक्री नहीं की गई है।

(ख) एथेनोल मिश्रित पेट्रोल को पेट्रोल की ही भांति उसी मूल्य पर बेचा जा रहा है।

गैस की खोज हेतु अनुबंध

2493. श्री अंजनकुमार एम. यादवः
श्रीमती रमा देवीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस आशय का एक विधेयक लाने का विचार कर रही है कि देश में गैस के खोज कार्य का अनुबंध केवल तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) से ही किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार देश में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए केवल आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) को ठेके देने के संबंध में कोई विधेयक लाने पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) 1999 में कई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के कार्यान्वयन के बाद हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए सभी ब्लॉक, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से विदेशी कंपनियों सहित

राष्ट्रीय तेल कंपनियों और निजी कंपनियों को प्रदान किए जाते हैं। एनईएलपी सभी कंपनियों को समान अवसर और कार्य करने के समान क्षेत्र प्रदान करता है। एनईएलपी क्षेत्र के तहत नामांकन आधार पर कोई ब्लाक आबंटित नहीं किया जाता है।

ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी

2494. श्री उदय प्रताप सिंहः
श्री जगदानंद सिंहः
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीरः
श्री लालचन्द कटारियाः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी के लिहाज़ से इनका कोई निरीक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी बार ऐसा निरीक्षण किया गया तथा इसका ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी में राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षणकर्ताओं की क्या भूमिका रहती है;

(घ) क्या राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षणकर्ताओं को भी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने सभी कार्यान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समान मूल्यांकन के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों की समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) को संबंधित जिलों का दौरा करने के लिए नियुक्त करता है। क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत मंत्रालय के पदनामित अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी करने के लिए किए गए ऐसे निरीक्षणों/दौरों की संख्या नीचे दी गई है–

क्र.सं.	निरीक्षण का प्रकार	निम्नलिखित वर्षों के दौरान निरीक्षणों की संख्या		
		2009-10	2010-11	2011-12 (नवम्बर, 2011 तक)
1.	एनएलएम	589	585	62
2.	क्षेत्र अधिकारी	12	9	10

निरीक्षण रिपोर्टों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सुधारात्मक कार्रवाई हेतु चर्चा की जाती है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक तृतीय पक्ष स्वतंत्र निगरानी पद्धति के रूप में राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम) योजना विकसित की है। राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने एवं अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने, सृजित परिसम्पत्तियों को सत्यापन करने, ग्रामवासियों के साथ चर्चा करने के लिए जिलों का दौरा करने और संबंधित रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं को क्षेत्र स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए भी भी कहा जाता है।

(घ) ऐसा कोई मामला मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, हां।

(छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और देश के विभिन्न भागों में स्थित स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का समतर्वी मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया है।

जल वैज्ञानिक परियोजना चरण-II

2495. श्री महाबल मिश्राः
श्री रामकिशुनः
श्री जगदीश ठाकोरः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जिन-जिन राज्यों तथा केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में जल वैज्ञानिक परियोजना चरण-कार्यान्वित की जा रही है उनका परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई है क्या इसमें विश्व बैंक द्वारा भी कोई राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस सहायता के लिए कोई नियम व शर्तें तय की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जल वैज्ञानिक परियोजना चरण-का उद्देश्य पूरा हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) आज की तिथि तक, जल वैज्ञानिक परियोजना चरण-II के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जलविज्ञान परियोजना-II-13 राज्यों और 8 केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों में कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजना को तीन घटकों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है–

(i) **घटक** I. सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण। इस घटक में तीन उप-घटक नामत: (i) मौजूदा राज्यों में जल विज्ञान परियोजना-I' के कार्यकलापों का समेकन; (ii) जागरूकता बढ़ाना, प्रसार और जानकारी का आदान-प्रदान; और (iii) कार्यान्वयन संबंधी सहायता, शामिल होंगे।

(i) **घटक** II. ऊर्ध्वाधर (वर्टीकल) विस्तार। इस घटक में जलविज्ञानीय सूचना प्रणाली (एचआईएस) के उपयोग को बढ़ाने और भविष्य में अनुकरण हेतु वास्तविक जलवैज्ञानिक आंकड़ों के अनुप्रयोग के प्रदर्शन वाले संबंधी सभी कार्यकलाप शामिल हैं। उपघटकों में (i) जल वैज्ञानिक डिजाइन एडस का विकास, (ii) निर्णय सहायता प्रणाली का विकास; और (iii) उद्देश्यपरक अध्ययनों का कार्यान्वयन, शामिल हैं।

(iii) **घटक** III. समस्तर (हॉरीजेंटल) विस्तार/जल विज्ञान परियोजना-II के अंतर्गत शामिल चार नए राज्यों में, चार उपघटकों (ii) आंकड़ा एकत्रीकरण नेटवर्क का उन्नयन/स्थापना; (ii) आंकड़ा संसाधन की स्थापना और प्रबंधन प्रणालियां (iii) उद्देश्यपरक अध्ययनों और (iv) प्रशिक्षण, का वित्तपोषण किया जाएगा।

संबंधित राज्य/केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों में कार्यान्वित किए जा रहे घटकों को दर्शाते हुए राज्यों/केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) विश्व बैंक द्वारा दी गई निधि समेत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और वर्तमान वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई निधि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	कार्यान्वयनकारी अभिकरणों द्वारा खर्च की गई निधि	विश्व बैंक द्वारा ऋण के तहत संवितिरित राशि
1.	2008-09	29.98	17.65
2.	2009-10	51.95	32.10
3.	2010-11	72.87	50.33
4.	2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	17.78	38.36

(ग) जी, हां।

(घ) विश्व बैंक द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा ऋण करार में दिया गया है जिसकी एक प्रति विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) जल विज्ञान परियोजना-I(एचपी-I) दिसम्बर, 1995 में प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य आंकड़ा उपयोग के लिए आंकड़ा एकत्रीकरण, आंकड़ों की वैधता और भंडारण सहित सास्थनिक व्यवस्थाओं, क्षमता निर्माण, भौतिक सुविधाओं और जलविज्ञानीय, जल मौसम विज्ञानीय सेवाओं और जल गुणवत्ता आंकड़ा प्रणालियों में सुधार करना था। एचपी-I-9 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु) और केन्द्र सरकार के 6 प्रतिष्ठानों (सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूपीआरएस, आईएमडी, जल संसाधन मंत्रालय और एनआईएच) में कार्यान्वित की गई थी। एचपी-के उद्देश्यों को मानकीकृत प्रक्रिया द्वारा भौतिक अवसंरचना और आंकड़ा संग्रहण की क्षमताओं, आंकड़ा संसाधन, आंकड़ा भंडारण और विश्वनीय व्यापक और समय पर आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत आंकड़ा वैधीकरण वाली एकीकृत जल विज्ञानीय सूचना प्रणाली का सृजन करके व्यापक तौर पर प्राप्त किए गए हैं।

(छ) एचपी-परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

जलविज्ञान परियोजना-II के अंतर्गत राज्य/केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों में कार्यान्वित किए जा रहे घटकों को दर्शाते हुए राज्यों/केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों के नाम

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्यान्वित किए जा रहे घटक
1.	आंध्र प्रदेश	I एवं II
2.	छत्तीसगढ़	I एवं II
3.	गोवा	I एवं III
4.	गुजरात	I एवं II
5.	हिमाचल प्रदेश	I एवं III
6.	कर्नाटक	I एवं II
7.	केरल	I एवं II
8.	मध्य प्रदेश	I एवं II
9.	महाराष्ट्र	I एवं II
10.	ओडिशा	I एवं II
11.	पुदुचेरी	I एवं III
12.	पंजाब	I एवं III
13.	तमिलनाडु	I एवं II

क्र.सं.	केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों के नाम	कार्यान्वित किए जा रहे घटक
1	2	3
1.	भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीएमबी)	I एवं II
2.	केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)	I एवं II
3.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)	I, II एवं III
4.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)	I एवं II
5.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला (सीडब्ल्यूपीआरएस)	I एवं II
6.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच)	I एवं II
7.	जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर)	I एवं II
8.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)	I एवं II

विवरण II

ऋण करार

राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करते हुए भारत (उधारकर्ता) तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना एवं विकास बैंक (बैंक) के बीच दिनांक 19 जनवरी, 2006 को किया गया करार।

जबकि (क) उधारकर्ता ने इस करार (परियोजना) की अनुसूची-2 में उल्लिखित परियोजना की व्यावहारिकता एवं प्राथमिकता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात् इस परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक से अनुरोध किया है; (ख) इस परियोजना को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, ओडिशा, पडुचेरी, पंजाब एवं तमिलनाडु राज्यों (इसके पश्चात् परियोजना राज्य कहा जाएगा) के आंशिक तथा भाकड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान स्टेशन, भारतीय मौसम विभाग, जल संसाधन मंत्रालय तथा नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलोजी उधारकर्ता (केन्द्रीय अभिकरण) आंशिक रूप से उधारकर्ता की सहायता से तथा, ऐसी सहायता के एक भाग के रूप में, उधारकर्ता प्रत्येक परियोजना राज्य को तथा केन्द्रीय अभिकरणों को ऋण के एक भाग के रूप में करार के प्रावधान के अनुसार ऋण सहायता प्रदान करेगा; और

जबकि बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ, आगे की बातों के आधार पर इस करार में तथा बैंक एवं परियोजना राज्यों (परियोजना करार) के साथ किये गये इसी तिथि के करार में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर ऋण प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

अत: अब एतद् द्वारा दोनों पक्ष निम्नलिखित पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं:

अनुच्छेद-I

सामान्य शर्तें : परिभाषाएं

धारा 1.01 इस करार के साथ समग्र भाग के रूप में निम्नलिखित आशोधन (सामान्य शर्तें) के साथ "एकल करेंसी ऋण

के लिए ऋण एवं गारंटी करार पर लागू समान्य शर्तें: धारा 5.01 में दिया गया पाठ, जो इस प्रकार पढ़ा जाता है (क) किसी देश जो बैंक का एक सदस्य नहीं है अथवा जिसमें से निर्मित सामान या जिस से प्रदत्त सेवाएं: अथवा (ख) के क्षेत्र में व्यय हेतु" पूर्ण रूप से हटाया गया है।

धारा 1.02 अन्यथा अपेक्षित न हो इस करार के सामान्य शर्तों एवं आमुख में निर्धारित विभिन्न निबंधन एवं शर्तों के तदनुरूप अर्थ है और नीचे दिये गये अतिरिक्त वाक्यांश के निम्नलिखित अर्थ हैं;

(क) "बी.बी.एम.बी." का तात्पर्य उधारकर्ता के भाखरा-व्यास प्रबंधन बोर्ड से है अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी से है;

(ख) "केन्द्रीय अभिकरण" अथवा "सी.ए." का तात्पर्य निम्नलिखित में से किसी एक अथवा सभी से है: एमओडब्ल्यूआर, बीबीएमबी, सीपीसीबी, सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूपीआरएस, आईएमडी और एनआईएच;

(ग) "सीजीडब्ल्यूबी" का तात्पर्य केन्द्रीय भूजल बोर्ड अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी से है;

(घ) "सीपीसीबी" का तात्पर्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी से है;

(ङ) "सीडब्ल्यूसी" का तात्पर्य केन्द्रीय जल आयोग अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी से है।

(च) "सीडब्ल्यूपीआरएस" का तात्पर्य केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी से है।

(छ) "पत्र श्रेणियों" का तात्पर्य इस करार की अनुसूची-I के भाग क में सारणी में निर्धारित (1) एवं (5) श्रेणियों से है।

(ज) "पात्र व्यय" का तात्पर्य इस करार की धारा 2.02 में उल्लिखित सामान्य कार्य एवं परामर्श सेवाओं के लिए व्यय से है।

(झ) "राजकोषीय वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले उधारकर्ता एवं परियोजना राज्यों के राजकोषीय वर्ष से है।

(ञ) "वित्तीय निगरानी रिपोर्ट" अथवा "एफएमआर" का तात्पर्य इस करार की धारा 4.02 में तथा परियोजना करार की धारा 3.02 के अनुसरण में तैयार की गयी प्रत्येक रिपोर्ट से है।

(ट) "एचआईएस" का तात्पर्य हाइड्रोलोजीकल सूचना प्रणाली से है।

(ठ) "एचआईएससीएस" से तात्पर्य इस करार की अनुसूची-4 के पैरा-1(ग) में उल्लिखित एचआईएस समन्वय सचिवालय से है।

(ड) "एचआईएसएमजी" का तात्पर्य है इस करार की अनुसूची-4 के पैरा-1(ख) में उल्लिखित एचआईएस प्रबंध समूह।

(ढ) एचपी-1 का तात्पर्य इंडिया: हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट, जिसके समर्थन में दिनांक 22 सितम्बर, 1995 के विकास ऋण करार के अनुसरण में एसोशियेशन द्वारा विकास ऋण (ऋण संख्या-2774-आईएन) प्रदान किया गया था जो बाद में संशोधित किया गया;

(ण) "एचपी-1 राज्य" का तात्पर्य उधारकर्ता के कोई अथवा सभी 9 राज्य जो एचपी-1 के कार्यान्वयन में हिस्सेदारी है, और इसके अन्दर वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

(त) "आईए" का तात्पर्य कार्यान्वयन अभिकरण सीए अथवा एसएलए;

(थ) "आईएमडी" का तात्पर्य उधारकर्ता का भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, अथवा उसका कोई उत्तराधिकारी;

(द) "एमओडब्ल्यूआर" का तात्पर्य जल संसाधन मंत्रालय अथवा उसका कोई उत्तराधिकारी।

(ध) "एनएलएससी" का तात्पर्य राष्ट्रीय स्तर स्टीरिंग कमेटी जिसका उल्लेख इस करार की अनुसूची-4 के पैरा-1(क) में है।

(न) "न्यू स्टेट्स" का तात्पर्य एचपी-1 स्टेट्स के अलावा एक या अधिक परियोजना राज्य।

(प) "एनआईएच" का तात्पर्य उधारकर्ता का नेशनल इन्स्टीट्यूटब् आफ हाइड्रोलोजी, अथवा उसका कोई उत्तराधिकारी।

(फ) "प्रोक्यूरमेंट प्लान" का तात्पर्य उधारकर्ता का प्रोक्यूरमेंट प्लान, दि. जून, 2004 जिसमें परियोजना कार्यान्वयन की प्रारंभिक एक 10 महीनों की अथवा लम्बी शामिल करते हुए, जिसे परियोजना कार्यान्वयन के बाद के 10 महीने की अवधि (अथवा लम्बी) को सम्मिलित करने के लिए इस करार की धारा 3.02 के प्रावधानों सहित तदनुसार समय-समय पर अद्यतन किया जायेगा।

(ब) "प्रोजेक्ट एग्रीमेंट" का तात्पर्य बैंक और प्रोजेक्ट के राज्यों के बीच का इसी तारीख का करार से है, जो समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार होगा; ऐसे निबंधनों में परियोजना करार की समस्त अनुसूचियां एवं करार शामिल हो।

(भ) "परियोजना कार्यान्वयन योजना" का तात्पर्य उधारकर्ता द्वारा स्वीकार की गयी जून, 2004 की परियोजना कार्यान्वयन योजना से है; जिसमें प्रोजेक्ट में कार्यान्वियन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए उधारकर्ता, बैंक और परियोजना राज्यों के बीच में सहमति व्यक्त की गई है, दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया विधियों का ब्यौरा दिया गया है।

(म) "परियोजना राज्य" का तात्पर्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब तथा तमिलनाडु राज्यों अथवा उनके उत्तराधिकारी से है;

(य) "रिपोर्ट आधारित वितरण" का तात्पर्य इस करार की अनुसूची-1 के पैरा-.5 में उल्लिखित ऋण खाते से निधि की निकासी के लिए उधारकर्ता के विकल्प से है;

(क क) "सेमिस्टर" का तात्पर्य 1 अप्रैल अथवा 1 अक्टूबर को शुरू होने वाले छह माह वाले कैलेंडर महीनों की लगातार अवधि से है;

(ख ख) "एसएलए-एसईसी" का तात्पर्य परियोजना करार की अनुसूची के पैरा-1(ग) में उल्लिखित सचिवालय से है;

(ग ग) "राज्य स्तरीय अभिकरण" अथवा "एसएलए" का तात्पर्य हाइड्रोलोजी अथवा विभाग अथवा किसी परियोजना राज्य में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी अन्य अभिकरण या, किसी परियोजना राज्य में अलग से सतही एवं भूजल विभाग अथवा अभिकरण हो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा अधिक ऐसे विभाग एवं अभिकरण; और

(घ घ) "विशेष खाता" का तात्पर्य इस करार की अनुसूची-1 के पैरा-ख में उल्लिखित खाते से है;

अनुच्छेद-II

ऋण

धारा 2.01 बैंक ऋण करार में निर्धारित अथवा उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों पर एक सौ चार मिलियन नौ सो अस्सी हजार अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डालर 104,980,000) उधारकर्ता को उधार के रूप में देने की लिए सहमत है।

धारा 2.02 इस करार में अनुसूची-1 प्रावधान के अनुसरण में परियोजना के लिए अपेक्षित सामान्य कार्य एवं सेवाओं के लिए अपेक्षित लागत तथा इस करार की धारा 2.04 में उल्लिखित उधार एवं की के संबंध में व्यय हेतु ऋण खाते से ऋण राशि निकासी की जा सकती है।

धारा 2.03 समाप्ति की तारीख 30 जून, 2012 होगी, अथवा उसके बाद की कोई तारीख जो उधारकर्ता के साथ विचार-विमर्श के साथ बैंक द्वारा तय की जायेगी। इस प्रकार की बाद की तारीख बैंक द्वारा सुनिश्चित रूप से उधारकर्तो को सूचित की जायेगी।

धारा 2.04 उधारकर्ता ऋण राशि की 1 प्रतिशत समतुल्य राशि फ्रंट एंड फी के रूप में बैंक को भुगतान करेगा, जो बैंक द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले किसी प्रकार की राहत राशि के अध्याधीन तय की जायेगी। प्रभावित तारीख को या उसके बाद, बैंक उधारकर्ता के नाम पर ऋण खाते से राशि का भुगतान करेगा।

धारा 2.05 उधारकर्ता प्रतिवर्ष मूल ऋण राशि पर एक प्रतिशत का $^{3}/_{4}$ दर से प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में बैंक को भुगतान करेगा।

धारा 2.06 (क) उधारकर्ता समय-समय पर लिये गये और बकाया मूल ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा जो प्रत्येक ब्याज अवधि के लिए एलआईबीओआर बेस रेट प्लस एक आईबीओआर टोटल स्प्रेड के समान राशि होगी।

(ख) इस धारा के प्रयोजन हेतु:

(I) "ब्याज अवधि" का तात्पर्य इस प्रकार की प्रारंभिक अवधि, करार की तारीख सहित से है किन्तु उसके पश्चात आने वाली प्रथम ब्याज भुगतान तारीख को छोड़ भी, तथा प्रारंभिक अवधि के पश्चात प्रत्येक अवधि जो ब्याज भुगतान तारीख से एवं सहित होगी। लेकिन अगली ब्याज भुगतान तारीख को छोड़कर होगी।

(II) "ब्याज भुगतान की तारीख" का तात्पर्य इस करार की अनुसूची 2.07 में निर्दिष्ट किसी तारीख से है,

(III) "एलआईबीओआर आधारित दर" का तात्पर्य प्रत्येक ब्याज अवधि के लिए, आईसी ब्याज अवधि (अथवा ब्याज अवधि की प्रांरभिक अवधि के मामले में आईसी ब्याज अवधि के उत्तगामी पहले दिन को अथवा आने वाली ब्याज भुगतान तारीख के लिए जो बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार के अन्तर्गत निर्धारित हैं और प्रतिवर्ष प्रतिशत के रूप में उल्लिखित हैं के प्रथम दिन के मूल्य के लिए डालर में छ: माही जमा राशि के लिए लंडन इंटर बैंक ऑफर्ा रेट से है।

(IV) "एलआईबीओआर टोटल स्प्रेड" का तात्पर्य प्रत्येक ब्याज अवधि के लिए' (क) 1 प्रतिशत का तीन-चौथाई भारित औसत मार्जिन से कम (अथवा अधिक) (1 प्रतिशत का); (ख) भारित औसत मार्जिन से कम (अथवा अधिक) लंडन इंटर बैंक आफार्ड रेट के बीच (अथवा ऊपर) ऐसी ब्याज अवधि के लिए अथवा छमाही जमा राशियों के लिए अन्य संदर्भित दर जो ऋण सहित एकल करैंसी उधार हेतु निधियन के लिए बैंक द्वारा आवंटित

भाग अथवा बैंक के बकाया राशि के संबंधित होगा जो बैंक के विवेकाधिकार के आधार पर निर्धारित हो और प्रति वर्ष प्रतिशत के रूप में उल्लिखित हो।

(ग) एलआईबीओआर आधार पर एवं एलआईबीओआर टोटल स्प्रेड जो प्रत्येक ब्याज अवधि में ही उसके संबंध में निर्धारण के तुरंत पश्चात बैंक उधारकर्ता को सूचित करेगा।

(घ) इस धारा 2.06 में उल्लिखित ब्याज दर निर्धारण प्रभावित होने वाले बाजार प्रक्रिया में जब कभी परिवर्तन आता है उसके आलोक में समस्त उधारकर्ताओं के संबंध में बैंक निर्णय लेता है और इसके आधार पर ऋण पर लागू ब्याज दर का निर्धारण होता है। बैंक छः महीने के नोटिस उधारकर्ताओं को देते हुए नये आधार पर ब्याज दर तय कर सकता है। नया आधार उधारकर्ता द्वारा उक्त अवधि के दौरान अपने आपत्ति की सूचना नहीं देता है तो नोटिस अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होगा।

धारा 2.07 बकाये के रूप में ब्याज एवं अन्य प्रभार प्रत्येक वर्ष में 15 सितंबर को अर्द्धवार्षिकी के आधार पर देय होंगे।

धारा 2.08 उधारकर्ता इस करार की अनुसूची-5 में निर्धारित समय सीमा के आधार पर ऋण राशि की मूल राशि का भुगतान करेगा।

अनुच्छेद-III

परियोजना का निष्पादन

धारा 3.01 (क) उधारकर्ता इस परियोजना की लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करता है जो इस प्रकार है:

(1) परियोजना के भाग क एवं ख जल संसाधन मंत्रालय और अन्य केंद्रीय अभिकरणों के माध्यम से विधिवत कुशलता एवं दक्षता के साथ पर्याप्त प्रशासनिक सहमति वित्तीय, तकनीकी एवं अभियांत्रिक पद्धतियों के अनुरूप तथा सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना के लिए अपेक्षित निधियां, सुविधाएं सेवाएं एवं अन्य संसाधन प्रदान करेगा और

(2) इस करार के अंतर्गत बाध्यताओं पर किसी प्रकार की सीमाओं अथवा नियंत्रणों के बिना परियोजना के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए परियोजना राज्यों को प्रेरित करेगा, इसमें परियोजना राज्यों के निर्धारित सभी दायित्वों द्वारा सभी कार्य किए अथवा करवाए जाएंगे, जिसमें परियोजना राज्यों को इन दायित्वों के निर्वाह के लिए सक्षम बनाने हेतु आवश्यक अथवा समुचित निधि, सुविधाओं, सेवाओं और अन्य संसाधनों संबंधी प्रावधान शामिल होंगे, और ऐसे कार्य निष्पादन को रोकने अथवा बाधा डालने वाला कोई कार्य नहीं किया जाएगा अथवा किए जाने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) इस धारा के अनुच्छेद (क) के प्रतिबंध के बिना बैंक और ऋण लेने वाले को अन्यथा सहमत होने को छोड़कर उधार लेने वाला इस करार की अनुसूची 4 में दिए गए कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार परियोजना के (क) और (ख) के संबंधित हिस्सों के कार्य केंद्रीय अभिकरणों से करवाएगा।

(ग) भारत के राज्यों और केंद्रीय अभिकरणों को विकास देने हेतु ऋण लेने वाले की मानक व्यवस्थाओं के अनुसार उधार लेने वाला परियोजना राज्यों और केन्द्रीय अभिकरणों को ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेगा।

धारा 3.02 (क) बैंक की सहमति अन्यथा होने को छोड़कर परियोजना हेतु अपेक्षित सामान, कार्यों और परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति तथा ऋण लेने संबंधी कार्यवाही इस करार की अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, उक्त प्रावधानों को अधिप्राप्ति योजना में और विस्तृत किया जा सकता है।

(ख) ऋण लेने वाला परियोजना राज्यों और केंद्रीय अभिकरणों से बैंक द्वारा स्वीकार्य दिशानिर्देशों के अनुसार अधिप्राप्ति योजना को अद्यतन कराएगा तथा इस अद्यतन रिपोर्ट को बैंक के अनुमोदन हेतु पूर्व की अधिप्राप्ति योजना की दिनांक के पश्चात 12 महीनों के पहले उपलब्ध करवाएगा।

धारा 3.03: सामान्य अवस्थाओं की धारा 9.07 तथा इसके प्रतिबंध के बिना उधार लेने वाला–

(क) बैंकों को स्वीकार्य दिशानिर्देशों के आधार पर तथा समापन की तिथि से 6 महीनों के भीतर अथवा इस प्रयोजन के लिए ऋण लेने वाले और बैंक के बीच हुई सहमति से ऐसी कोई आगे की तारीख को परियोजना के भविष्य के प्रचालन हेतु योजना तैयार करेगा तथा

(ख) उक्त योजना पर बैंक को ऋण लेने वाले के साथ विचारों को आदान प्रदान करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

धारा 3.04 बैंक और ऋण लेने वाला एतद द्वारा धारा 9.04, 9.06, 9.07, 9.08 और 9.09 में दी गई सामान्य अवस्थाओं में दिए गए कर्तव्यों से सहमत है। (बीमा, सामान और सेवाओं के उपयोग, आयोजनाओं और अनुसूचियों, प्रलेखों और रिपोर्टों, अनुरक्षण और भूमि अधिग्रहण के संबंध में क्रमशः) परियोजना का संबद्ध भाग क, ख और भाग (ग) में दिए गए है, इसे परियोजना करार की धारा 2.03 के अनुपालन में परियोजना राज्यों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद-IV

वित्तीय प्रतिज्ञा पत्र

धारा 4.01 (क) ऋण लेने वाला केंद्रीय अभिकरणों से वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और अनुरक्षण करवाएगा जिसमें बैंक में स्वीकार्य अनुप्रयोग किए जाने वाले लेखा मानकों के अनुसार प्रलेखों और लेखों का अनुरक्षण वित्तीय विवरण तैयार करना शामिल है, जो परियोजना के भाग (क) और (ख) के संबद्ध भागों से संबंधित प्रचालन, संसाधन, व्यय को दर्शाने के लिए पर्याप्त हों।

(ख) ऋण लेने वाले केंद्रीय अभिकरणों से

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु इस धारा के (क) के पैरा में उल्लिखित संबंधित वित्तीय विवरण प्राप्त लेखा परीक्षा कराने, बैंक में स्वीकार्य लेखा परीक्षा लगातार उपयोग किए जाने वाले मानकों के अनुसार बैंक के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से कराएगा।

(ii) प्राप्त होने पर बैंक को देगा, परंतु किसी भी मामले में ऐसे प्रत्येक वित्त वर्ष (अथवा बैंक द्वारा सहमत अन्य कोई अवधि) के अंत तक प्रदान करेगा। (क) ऐसे वित्तीय वर्ष (अथवा बैंक द्वारा सहमत अन्य कोई अवधि में इस धारा के पैरा (क) में उल्लिखित संबंधित वित्तीय विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां) (ख) बैंक के पूर्णरूप से सहमत होने पर उक्त लेखा परीक्षकों द्वारा इन विवरणों पर दी गई राय तथा (ग) बैंक को ऐसे प्रलेखों, लेखों तथा ऐसे वित्तीय विवरणों संबंधित लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा से संबंधित अन्य सूचना बैंक द्वारा समय-समय पर की गई वाजिब मांगों के अनुसार प्रदान करेगा।

(ग) ऋण लेखों से किए गए आहरणों से संबंधित सभी व्यायों का रिपोर्ट के आधार पर संवितरण करना अथवा व्यय के विवरण के आधार पर किया जाएगा, ऋण लेने वाला–

(i) सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रलेखों (संविदा, आदेश, मार्ग पत्र, बिलों, रसीदों और अन्य दस्तावेजों), जो किए गए व्यय का साक्ष्य है, को तथा ऋण लेखा से किए गए अंतिम आहरण किए गए वित्तीय वर्ष हेतु लेखा रिपोर्ट बैंक द्वारा प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम एक वर्ष तक अपने पास रखेगा।

(ii) बैंक प्रतिनिधियों को ऐसे रिकार्डो की जांच करने के लिए सक्षम बनाना;

यह सुनिश्चित करना कि व्यय की ऐसी रिपोर्ट अथवा विवरण किसी उस लेखा परीक्षा में शामिल किया जाता है जिसके लिए बैंक इस धारा के पैराग्राफ (ख) के अनुसरण में अनुरोध कर सकता है।

धारा 4.02 (क) परियोजना के भाग (क) और (ख) के संबंधित भागों के उद्देश्यों हेतु ऋण लेने वाला, फार्म में बैंक की पूरी संतुष्टि के अनुरूप एक वित्तीय निगरानी रिपोर्ट तैयार करके बैंक को प्रस्तुत करेगा, जिसमें

(i) संचयी तौर पर तथा उक्त रिपोर्ट द्वारा शामिल अवधि दोनों के लिए परियोजना हेतु निधि के स्रोतों और उपयोगों पेश करेगा ऋण के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधि को अलग से दर्शाया जाएगा, और ऐसी निधि के वास्तविक और नियोजितउपयोगों के बीच परिवर्तिता स्पष्ट की जाएगी।

संचयी तौर पर तथा उक्त रिपोर्ट द्वारा शामिल अवधि दोनों के लिए परियोजना कार्यान्वयन में वास्तविक प्रगति का उल्लेख होगा, और वास्तविक और नियोजित परियोजना कार्यान्वयन के बीच परिवर्तिता स्पष्ट की जाएगी, और

उक्त रिपोर्ट द्वारा शामिल अवधि के अंत तक परियोजना के तहत अधिप्रापण की स्थिति पेश करेगा।

(ख) पहली एफएमआर बैंक को प्रभावी दिनांक के बाद, पहले सत्र की समाप्ति के पैंतालीस (45) दिनों के भीतर बैंक को प्रस्तुत की जाएगी, और इस पहले सत्र के अंत के दौरान परियोजना के तहत होने वाले पहले खर्च के समय से अवधि को शामिल करेगा। तदुपरान्त प्रत्येक बाद के सत्र के बाद पैंतालीस (45) दिनों के भीतर बैंक को प्रत्येक एफएमआर प्रस्तुत करेगा और इस सत्र को शामिल करेगा।

अनुच्छेद-V

बैंक के समाधान

धारा 5.01 सामान्य शर्तों की धारा 6.02 के अनुसरण में निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यवाहियां विनिर्दिष्ट की जाती हैं:

(क) कोई परियोजना राज्य, परियोजना करार के अन्तर्गत अपने किसी दायित्व का निर्वाह करने में असफल रहेगा और

(ख) ऋण करार की तारीख समाप्त होने के बाद होने वाली किसी कार्यवाही के फलस्वरूप एक असाधारण स्थिति पैदा होगी जिससे किसी परियोजना राज्य द्वारा परियोजना करार के तहत अपने दायित्वों के निर्वाह की संभावना कम हो जाएगी।

धारा 5.02 सामान्यशर्तो की धारा 7.01 (ट) के अनुसरण में, निम्नलिखित कार्यवाही विनिर्दिष्ट की जाती है अर्थात् इस करार की धारा 5.01 के पैराग्राफ (क) विनिर्दिष्ट कार्यवाही होगी और इस संबंध में बैंक द्वारा ऋण लेने वाले को दिए गए नोटिस के बाद साठ (60) दिनों तक जारी रहेगी।

अनुच्छेद-VI

प्रभावी तारीख, समाप्ति

धारा 6.01 सामान्य शर्तों की धारा 12.02 (ग) के आशय के भीतर निम्नलिखित को एक अतिरिक्त मद के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिसे बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले विचार अथवा विचारों में शामिल किया जाता है, अर्थात्, कि परियोजना करार, प्रत्येक परियोजना राज्य द्वारा विधिवत प्राधिकृत कर दिया गया है अथवा स्वीकृत कर दिया गया है, और उसी शर्तों के अनुसार प्रत्येक परियोजना राज्य कानूनी तौर पर बाध्यकारी है।

धारा 6.02 सामान्य शर्तों की धारा 12.04 के उद्देश्यों हेतु एतद्द्वारा इस करार की समाप्ति के बाद नब्बे (90) दिन के बाद की तारीख विनिर्दिष्ट की जाती हैं।

अनुच्छेद-VII

ऋण लेने वाले के प्रतिनिधि; पते

धारा 7.01 ऋण लेने वाले के वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग का सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप-सचिव अथवा अवर सचिव को सामान्य शर्तों की धारा 11.03 के प्रयोजनार्थ ऋण लेने वाले के प्रतिनिधि के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है।

धारा 7.02 सामान्य शर्तों की धारा 11.01 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित पते विनिर्दिष्ट किए जाते हैं।

ऋण लेने वाले के लिए:
सचिव, भारत सरकार
आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली, पिन-110001, भारत

केबल पता	टेलेक्स
इसीओएफएआईआरएस	953-3166175

बैंक के लिए:
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक
1818 एच स्ट्रीट, एन डब्ल्यू
वाशिंगटन, डी सी : 200433
संयुक्त राज्य अमेरिका

केबिल पता	टेलेक्स	फेसीमाड्ल्
आईएनटीबीएएफआरएडी वाशिंगटन, डी.सी.	248423 (एमसीआई) अथवा 64145 (एमसीआई)	1-202-477-6391

विवरण-III

जलविज्ञानी परियोजना-II के कार्यान्वयन में अभी तक हुई प्रगति

1. निर्णय सहयोग प्रणाली (योजना) (डीएसएस योजना): डीएसएस (योजना) संघटक का कार्यान्वयन राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच) द्वारा 9 राज्यों में नदी बेसिन में जल संसाधन की दक्ष योजना तथा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग प्रणाली (योजना) के विकास हेतु किया गया जोकि एचपी-I का भाग है। इस संघटक के कार्यान्वयन में एनआईएच को सहायता देने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। अभी तक (क) प्रारम्भिक रिपोर्ट (ख) आवश्यकता आकलन रिपोर्ट (ग) माडल संकल्पनात्मक रिपोर्ट तथा (घ) डाटाबेस विकास रिपोर्ट तैयार की गई है। ऊपरी भीमा बेसिन हेतु जेनरिक माडल का विकास पूरा किया गया है। छ: राज्यों हेतु डीएसएस माडल को प्रचालन में लाने का कार्य उनकी आवश्यकतानुसार लगभग पूरा हो गया है। शेष 3 राज्यों में, अनुरूपण अध्ययन पर कार्रवाई की जा रही है।

2. निर्णय सहयोग प्रणाली (वास्तविक समय) (डीएसएस) (वास्तविक समय): डीएसएस (वास्तविक समय) का विकास भाखड़ा बेस प्रबंधन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता की नियुक्ति द्वारा किया जा रहा है इसका प्रयोग जलाशयों से जल निकासी तथा जल विद्युत टरबाइन को चलाने, स्पिलवे गेट के प्रचालन, बाढ़ चेतावनी को जारी करने तथा वास्तविक समय आधार पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रों के निष्क्रमण उपायों के परिनियोजन हेतु निर्णय सहयोग के रूप में किया जाएगा। अभी तक (क) आवश्यकता आकलन तथा (ख) डाटाबेस, हार्डवेयर, माडलिंग, सॉफ्टवेयर तथा प्रचालन सॉफ्टवेयर हेतु विनिर्देशन और डाटा अधिग्रहण प्रणाली (डीएएस) उपकरण तैयार किए गए हैं।

3. जलविज्ञानी डिजाइन अनुदान (सतही जल) एचडीए (एसडब्ल्यू): एचडीए (एसडब्ल्यू) का कार्यान्वयन केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा सतही जल संसाधन हेतु डिजाइन अनुदान के विकास हेतु किया गया है। इससे इस फील्ड में आधुनिकतम, जानकारी के प्रयोग द्वारा जलविज्ञानी डिजाइन अनुदान के लिए में जलविज्ञानी डिजाइन पद्धति (राज्यों तथा केन्द्र संगठनों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही) के मानकीकरण में सहायता होगी। अभी तक जलविज्ञानी डिजाइन अनुदान पर आधुनिकतम रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है। एचडीए-I (जल संसाधन क्षमता-उपलब्धता का आकलन/जल प्राप्ति आकलन) एचडीए-II (अभिकल्पित बाढ़ का अनुमान) तथा एचडीए-III (गादभाख दर अनुमान) हेतु माडल की तैयारी प्रगति पर है।

4. जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना समन्वय सचिवालय (पीसीएस) की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना की मॉनीटरिंग तथा समन्वय हेतु की गई। पीसीएस तथा सभी कार्यान्वयन

अभिकरणों को तकनीकी तथा प्रबंधन सहयोग उपलब्ध करवाने हेतु पीसीएस द्वारा परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

5. वास्तविक समय नहर प्रवाह पूर्वानुमान तथा जलाशय प्रचालन प्रणाली और महाराष्ट्र में आरटीडीएएस उपकरणों की संस्थापना: परामर्शी द्वारा मॉडल का विकास किया गया तथा वास्तविक समय आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली की स्थापना की गई। आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली तथा मॉडल की सहायता से वास्तविक समय नहर प्रवाह पूर्वानुमान तथा जलाशय प्रचालन महाराष्ट्र में ऊपरी भीमा तथा कृष्णा नदियों पर किया जाएगा।

6. राज्यों तथा केन्द्र सरकार के अभिकरण परियोजना के विभिन्न संघटनों के अंतर्गत राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विभिन्न उपकरण खरीदने तथा कार्य करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। कुछ मुख्य कार्यकलापों पर एचपी-II के अंतर्गत भागीदारी अभिकरणों द्वारा की गई प्रगति निम्न प्रकार से है:

(i) नए राज्यों में एचआईएस की स्थापना हेतु, जो कि एचपी-I का भाग नहीं है, नामत: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा, तथा पुदुच्चेरी, जल मौसम विज्ञान का नेटवर्क तथा जल गुणवत्ता स्थलों को अन्तिम रूप दे दिया गया तथा वे स्थापना के विभिनन स्तरों के अंतर्गत है।

(ii) सीजीडब्ल्यूबी ने चेन्नई, गोवा तथा पंजाब में 149 पीजोमीटर का निर्माण किया तथा कार्य किया।

(iii) गुजरात राज्य में 214 पीजामीटरों का निर्माण किया जा रहा है।

(iv) एनडब्ल्यूए, सीडब्ल्यूसी पुणे की 2 कक्षाओं, एक कम्प्यूटर लैब तथा कृष्णा होस्टल के विस्तार का निर्माण प्रगति पर है।

(v) सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे में पुस्तकालय भवन का आधुनिकीकरण पूरा होने वाला है।

(vi) हिमाचल प्रदेश तथा गोवा में राज्य आंकड़ा केन्द्र भवन का निर्माण पूरा हो गया है तथा पुदुचेरी में यह कार्य प्रगति पर है।

(vii) हिमाचल प्रदेश में 5 खंडीय आंकड़ा केन्द्र भवन तथा 12 उप-खंडीय आंकड़ा केन्द्र भवनों तथा 2 प्रयोगशाला भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(viii) एचपी-I राज्यों द्वारा स्थापित विभिन्न आंकड़ा केन्द्रों, जल मौसम विज्ञान तथा जल गुणवत्ता नेटवर्क या हार्डवेयर, सोफ्टवेयर की खरीद तथा आंकड़ा केन्द्रों के आधुनिकीकरण द्वारा उन्नयन/इष्टतमीकरण किया जा रहा है।

(ix) कुल 41 उद्देश्यपरक अध्ययनों (पीडीएस) को मुख्य परियोजनाओं के रूप में जल संसाधन क्षेत्र में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किया जाएगा जिसको जब और जैसे आवश्यक हो अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किया जाएगा। जिसको जब और जैसे आवश्यक हो अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दोहराया जाएगा। यह कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत है।

(x) सभी राज्यों ने जल विज्ञानी आंकड़ा उपयोगकर्त्ता समूह (एचडीयूजी) बनाया जोकि उपयोगकर्ताओं (पणधारियों) के आवश्यकतानुसार आंकड़े उपलब्ध करवाने तथा आंकड़ा उपयोगकर्ताओं के मध्य विचार-विमर्श हेतु सामान्य मंच के रूप में कार्य करता है। जलविज्ञानी आंकड़ा उपलब्धता तथा उपयोग के बारे में जागरुकता लाने के राज्यों को दिशानिर्देश उपलब्ध करने के लिए कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण किए जाते हैं।

[अनुवाद]

कावेरी जल-विवाद न्यायाधिकरण

2496. श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री पी. कुमार:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा कावेरी प्रबंधन बोर्ड का तत्काल गठन करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस मामले पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(छ) क्या न्यायाधिकरण का कार्यकाल और विस्तारित किया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) विगत तीन वर्षों के दौरान कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) ने दिनांक 05.02.2007 को अंतर्राज्यीय नदी विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत कर दिए हैं।

(ख) सीडब्ल्यूडीटी ने निचले कोलरून एनीकट पर कावेरी की 50% निर्भरतायोग्य जल क्षमता (यील्ड) 740 हजार मिलियन घनमीटर (टीएमसी) आकलित की है और पक्षकार राज्यों के बीच इसे निम्नानुसार बांटा है:

तमिलनाडु	:	419 टीएमसी
कर्नाटक	:	270 टीएमसी
केरल	:	30 टीएमसी
संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी	:	7 टीएमसी
पर्यावरणीय सुरक्षा	:	10 टीएमसी
समुद्र अपरिहार्य प्रवाह	:	4 टीएमसी
कुल	:	740 टीएमसी

(ग) पक्षकार राज्यों और केन्द्र सरकार ने अधिकरण से उसकी 5.2.2007 की रिपोर्ट और निर्णय के संबंध में आईएसआरडब्ल्यूटी अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन मांगा है। इसके अतिरिक्त, पक्षकार राज्यों ने अधिकरण की दिनांक 5.2.2007 की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में अलग से विशेष अनुमति याचिका भी दायर की है।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने दिनांक 17.10.2011 के पत्र द्वारा केन्द्र सरकार से कावेरी जल विवाद अधिकरण के दिनांक 5.2.2007 के अंतिम आदेश को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने और कावेरी प्रबंधन बोर्ड स्थापित करने का अनुरोध किया है।

(च)पक्षकार राज्यों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका निपटारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना है और उसके बाद अधिकरण अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजेगा। इस प्रकार मामला न्यायाधीन है।

(छ) और (ज) केन्द्र सरकार ने 2 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना द्वारा सीडब्ल्यूडीटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख 2 नवम्बर, 2012 तक बढ़ा दी है।

(झ) सीडब्ल्यूडीटी को पिछले तीन वर्षों में आवंटित बजट का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	बजट आवंटन (हजार रुपए में)
2008-09	13702
2009-10	16000
2010-11	19292

अस्वास्थ्यकर ईंधन का उपयोग

2497. डॉ. क्रुपारानी किल्ली: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीण-जन केरोसिन और काष्ठ ईंधन जैसे अस्वास्थ्यकर ईंधन का इस्तेमाल करने पर विवश न हों;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और विशेषकर आंध्र प्रदेश में, इस ओर अब तक क्या प्रतिक्रिया मिली है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में 'सामुदायिक रसोई' की योजना सफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सरकार ने "विजन 2015" तैयार किया है, जिसके तहत वर्ष 2009 और 2015 के बीच विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा अछूते क्षेत्रों में 5.5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शनें को जारी करते हुए, देश में एलपीजी आबादी को बढ़ाकर 50% तक किय जाना प्रस्तावित है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए एक चरणबद्ध ढंग से स्थलों का मूल्यांकन/उनकी पहचान कर रही हैं।

विगत तीन वर्षों और अप्रैल, 2011 से सितम्बर, 2011 की अवधि के दौरान, ओएमसीज ने आंध्र प्रदेश राज्य में 158 नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरकों

(आरजीजीएलवीज) के तहत 75 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू की हैं।

(ग) और (घ) दिनांक 01.10.2011 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में 212 सहित ओएमसीज ने देश में 3192 सामुदायिक रसोइयों की स्थापना की है।

ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर सामुदायिक रसोइयां सफलतापूर्वक प्रचालन कर रही हैं।

[हिन्दी]

डीजल और रसोई गैस के मूल्य में कमी

2498. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डीजल और रसोई गैस सिलिण्डर का मूल्य घटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी डीजल और रसोई गैस का मूल्य घटा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) वर्तमान में, सरकार के समक्ष डीजल और घरेलू एलपीजी के मूल्यों में कमी करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) दिनांक 25.06.2011 को हुए पिछले मूल्य संशोधन से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डीजल और एलपीजी के मासिक औसत मूल्य के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

माह	डीजल (अमरीकी डालर प्रति बैरल)	एलपीजी (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
जून, 2011	123.44	897.00
जुलाई, 2011	125.96	839.00
अगस्त, 2011	120.24	865.00
सितम्बर, 2011	120.02	835.00
अक्तूबर, 2011	118.99	783.00
नवम्बर, 2011	125.59	786.00

नोट: डीजल (0.5 प्रतिशत सल्फर) का मूल्य अरब खाड़ी बाजार के लिए और एलपीजी का मूल्य 60:40 ब्यूटेन/प्रोपेन अनुपात पर आधारित सऊदी अरब को सीपी के लिए है।

अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में होने वाली वृद्धि के प्रभाव से तथा घरेलू स्फीतिकारी दशाओं से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार द्वारा डीजल, और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को आवश्यकतानुसार बढ़ाया घटाया जाता है। इनका वर्तमान मूल्य अपेक्षित बाजार मूल्य से नीचे है, जिसके परिणामत: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को इन उत्पादों की बिक्री पर भारी अल्प-वसूलियां झेलनी पड़ रही हैं। दिनांक 01.12. 2011 से प्रभावी रिफाइनरी द्वारा मूल्य के आधार पर, ओएमसीज को वर्तमान में डीजल की बिक्री पर 12.03 रुपए प्रति लीटर और घरेलू एलपीजी सिलिंडर पर 287.00 रुपए प्रति सिलिंडर की अल्प-वसूली झेलनी पड़ रही है।

किसान सेवा केंद्र

2499. श्री महेश्वर हजारी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर बिहार में कहां-कहां किसान सेवा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) क्या इस आबंटन में अ.जा. और अ.ज.जा. वर्गों हेतु आरक्षण-नीति का पालन किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) किसानों के घर के पास डीजल, अन्य पेट्रोलियम उत्पादों और गैर-ईंधन उत्पादों की पहुंच बनाने के लिए इन्हें ग्रामीण/कृषि बाजारों में उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) द्वारा विकसित किए गए किसान सेवा केन्द्र (केएसकेज)/हमारा पंप/ग्रामीण खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) कम लागत वाले खुदरा बिक्री केन्द्र होते हैं। किसान सेवा केन्द्रों (केएसकेज)/हमारा पंप/ग्रामीण बिक्री केन्द्रों (आरओज) के आवंटन में अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए 25% आरक्षण है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अप्रैल-सितम्बर, 2011 के दौरान आईओसी ने देश में 1825 केएसकेज चालू किए हैं जिनमें से 152 केएसकेज बिहार में हैं। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष

में अप्रैल-सितम्बर, 2011 के दौरान बीपीसी ने देश में 497 ग्रामीण आरओज चालू किए हैं जिनमें से 66 ग्रामीण आरओज बिहार में हैं। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अप्रैल-सितम्बर, 2011 के दौरान एचपीसी ने देश में 610 हमारा पंप चालू किए हैं जिनमें से 28 हमारा पंप बिहार में हैं।

[अनुवाद]

अर्ह वैज्ञानिकों की कमी

2500. श्री पी.के. बिजू: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों/प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु अर्ह वैज्ञानिकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिकों का निजी क्षेत्र की ओर पलायन हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो अर्ह वैज्ञानिकों को संस्थानों में कार्यरत रखने तथा देश से प्रतिभा का पलायन रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी नहीं। मंत्रालय के अधीन विभिन्न अनुसंधान संस्थानों/प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु अर्ह वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं है।

(ग) और (घ) जी नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों से निजी क्षेत्र में पलायन करने वाले वैज्ञानिकों की संख्या नगण्य है। तथापि, सरकार ने देश में वैज्ञानिकों को बरकरार रखने के लिए बहुत से उपाए किए हैं। इन उपायों में शामिल हैं: संविदात्मक अनुसंधान एवं विकास, परामर्श और प्रीमिया तथा वैज्ञानिकों के साथ प्रौद्योगिकी के अन्तरण से प्राप्त रॉयल्टी से अर्जित लाभ की हिस्सेदारी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), शैक्षिक जगत और उद्योगों के बीच वैज्ञानिकों की गतिशीलता, सेवा में रहते हुए ज्ञान उद्यमों की स्थापना, अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) जैसी नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरूआत, क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए परिव्यय में वृद्धि छठे वेतन आयोग के अनुसार वैज्ञानिकों के लिए बेहतर वेतनमान 'एच' ग्रेड में अतिरिक्त पदों का सृजन, अध्येतावृत्ति परिलब्धियों में वृद्धि आदि।

कृषि एवं ग्रामोद्योगों में रोजगार

2501. श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि उद्योग, ग्रामोद्योगों, कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या राज्य-वार अलग-अलग कितनी है; और

(ख) इन उद्योगों का संवर्धन करने तथा ग्रामीणजनों को उत्पादन बढ़ाकर अपने उत्पाद का विपणन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहक उपाय किए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की चौथी अखिल भारतीय गणना के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 596.66 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है, जिसमें कृषि, ग्रामीण, कुटीर और लघु उद्योग शामिल है। 1994-95 से 2007-08 तक पूर्व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और 2008-09 से 2010-11 के दौरान जारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित रोजगार का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एमएसएमई मंत्रालय में सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश में कृषि, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती रही है। गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने 2008-09 से विशेष रूप से एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम के रूप में पीएमईजीपी को आरंभ किया है। खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कॅयर बोर्ड भी अपने विभागीय बिक्री केंद्रों के माध्यम से इन इकाइयों को विपणन अवसर प्रदान करने के अलावा, समय-समय पर सक्रिय रूप से खादी व ग्रामोद्योग उत्पादों और कॅयर उत्पादों की प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं।

विवरण

आरईजीपी/पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुमानित रूप से सृजित रोजगार के अवसर

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95 से 2007-08 तक आरईजीपी के अंतर्गत अनुमानित रूप से सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	2008-09 से 2010-11 तक आरईजीपी के अंतर्गत अनुमानित रूप से सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4
1.	चंडीगढ़	1580	962
2.	दिल्ली	5275	963

1	2	3	4
3.	हरियाणा	239097	19631
4.	हिमाचल प्रदेश	113482	9834
5.	जम्मू और कश्मीर	144985	40606
6.	पंजाब	237323	19663
7.	राजस्थान	511727	42784
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7809	985
9.	बिहार	59601	72158
10.	झारखंड	41674	23680
11.	ओडिशा	93636	60194
12.	पश्चिम बंगाल	370292	166017
13.	अरुणाचल प्रदेश	12081	4840
14.	असम	185197	66013
15.	मणिपुर	19157	2792
16.	मेघालय	36450	3776
17.	मिजोरम	70710	5363
18.	नागालैण्ड	109532	1732
19.	त्रिपुरा	40812	4250
20.	सिक्किम	11730	650
21.	आंध्र प्रदेश	493070	135875
22.	कर्नाटक	304434	43398
23.	केरल	260332	30995
24.	लक्षद्वीप	501	320
25.	पुदुचेरी	15261	1633
26.	तमिलनाडु	186344	89376
27.	गोवा	25183	3875
28.	गुजरात*	67386	31804
29.	महाराष्ट्र**	302413	72166
30.	छत्तीसगढ़	111335	31463
31.	मध्य प्रदेश	298681	33921
32.	उत्तराखंड	80954	20951
33.	उत्तर प्रदेश	485968	114461
	योग	4944012	1157091

*दमन दीव सहित **दादरा और नगर हवेली सहित।

रेलगाड़ियों में सुरक्षा-जांच

2502. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न रेलगाड़ियों के मालवाहन डिब्बों में लाए-ले जाने वाले पार्सलों/माल की कोई सुरक्षा-जांच होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। यह सुनिश्चित करने के लिए माल डिब्बे में कोई निषिद्ध माल, खतरनाक या आपत्तिजनक माल न लादा जाए, पार्सल और सामान में औचक जांचें की जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लोक-अभियोजकों की नियुक्ति

2503. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जब से दाण्डिक प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के उस उपबंध जिसमें उच्च न्यायालयों में लोक-अभियोजकों की नियुक्ति के सिलसिले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है—को हटाया गया है, तब से लोक-अभियोजकों की कार्य-गुणता प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारमूलक कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्रीलंका रेलवे के साथ अनुबंध

2504. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'इरकॉन'/भारतीय रेलवे और श्रीलंका रेलवे के बीच श्रीलंका के रेल-नेटवर्क हेतु सिग्नल और दूरसंचार प्रणाली के अधिष्ठापन और आपूर्ति हेतु समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) उक्त समझौते के तहत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा नियत की गई है; और

(घ) ऐसी अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऐसे ही वैदेशिक समझौतों पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने श्रीलंका के उत्तर प्रांत में रेलवे के लिए आपूर्ति तथा सिग्नल एवं दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने के लिए 17.08.2011 को श्रीलंका सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना का संविदागत मूल्य 86.51 मिलियन यूएस डॉलर है।

(ग) उपर्युक्त संविदा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को अग्रिम भुगतान करने पर ही प्रभावी होगा और उसके बाद उसे पूरा करने के लिए 36 माह की अवधि होगी।

(घ) इस समय इस प्रकार की किसी दूसरी परियोजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

नए अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की स्थापना

2505. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आगामी वित्त वर्ष के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अथवा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत नए अनुसंधन एवं विकास संस्थान स्थापित किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना किन-किन क्षेत्रकों व स्थलों पर की जाएगी;

(ग) क्या हर्बल तकनीकों की संभावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से कर्नाटक में एक नया संस्थान स्थापित करने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी हां। आगामी वित्त वर्ष के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किए जाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है:–

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी):

(i) नेशनल सेंटर फॉर मोलिक्यूलर मैटेरियल्स रिसर्च (एनसीएमएमआर), तिरूवनंतपुरम, केरल

(ii) नॉर्थ इस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलोजी एप्लिकेशन एंड रीच (एनईसीटीएआर), शिलांग, मेघालय

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)

(i) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ मैरिन बायोटेक्नोलोजी एंड माइक्रो बायोलॉजी, तथा

(ii) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ बायोइन्फोर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशन बायोलॉजी

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के उपर्युक्त दो संस्थानों की स्थापना के स्थलों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का उत्पादन

2506. **श्री ओम प्रकाश यादव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कच्चे तेल के उत्पादन हेतु तेल कंपनियों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्तावधि के दौरान कंपनी-वार निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितने प्रतिशत तेल का उत्पादन हुआ; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के लक्ष्य और उनके द्वारा वास्तविक रूप से उत्पादित कच्चे तेल का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	2009-10			2010-11		
	ओएनजीसी	ओआईएल	निजी/सं.उ.	ओएनजीसी	ओआईएल	निजी/सं.उ.
लक्ष्य (एमएमटी)*	25.764	3.57	6.624	24.948	3.70	8.830
वास्तविक (एमएमटी)	24.761	3.572	5.262	24.419	3.586	9.682
लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक उत्पादन	95.76	100.8	79.4	97.88	96.9	109.6

*मिलियन मीट्रिक टन

(घ) ओएनजीसी द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में कमी होने के कारण नीचे दिए गए हैं:

- वर्ष 2005 में मुंबई हाई में बीएचएन प्लेटफार्म में नुकसान होने के कारण कच्चे तेल के उत्पादन में परिणामी प्रभाव।
- हीरा पुनर्विकास योजना के अंतर्गत नए कूपों से उत्पादन में देरी।
- मुंबई हाई और वसई पूर्वी क्षेत्रों से नए विविधीकृत कूपों से अनुमानों से कम लाभ होना।
- असम परिसम्पति में मूल उत्पादन में कमी और अंकलेश्वर परिसम्पत्ति के प्रमुख परिपक्व क्षेत्रों में जल कटाव में वृद्धि।
- असम परिसम्पत्ति में चल रही उन्नत तेल निकासी (आईओआर) योजनाओं से अनुमानों से कम प्राप्ति।

वर्ष 2010-11 के दौरान ओआईएल के संबंध में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) के 89 दिनों तक बंद रहने के कारण आई।

निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के संबंध में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी, राजस्थान में परिवहन पाइपलाइन की अनुलब्धता होना, पूर्वी अपतट में केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लॉक में एमए क्षेत्र में वेधन में देरी होना और पूर्वी आपतट में पीवाई-3 क्षेत्र का लम्बे समय तक बंद रहने कारण हैं।

[अनुवाद]

'मनरेगा' के संबंध में अध्ययन

2507. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रभाव के संबंध में कोई सुबद्ध अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार की इस योजना के अंतर्गत और अधिक कामगारों को शामिल करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के बारे में महात्मा गांधी नरेगा संबंधी स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए संस्थाओं का समर्थन किया है। उक्त स्वतंत्र अध्ययनों के निष्कर्षों में कहा गया है कि महात्मा गांधी नरेगा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। कार्यक्रम के बहुविध प्रभावों में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका विविधीकरण तथा कार्य की उपलब्धता में वृद्धि शामिल है। महात्मा गांधी नरेगा के स्वरूप एवं इसके प्रावधानों से उत्पादक रोजगार सृजित करने, ग्रामीण महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने तथा सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करने में सहायता मिली है। महात्मा गांधी नरेगा से भूजल, कृषि उत्पादकता तथा फसल में सुधार और जल, कृषि तथा आजीविका वंचन सूचकांक के कमी में भी सहायता मिली है।

(ग) से (ङ) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से अधिनियम की अनुसूची-I में समय-समय पर नये कार्यकलापों/कार्यों को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है। कार्यक्षेत्र को बढ़ाने तथा शुरू किए जाने वाले कार्यों को शामिल करने के लिए अधिनियम-I के पैरा 1 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

(i) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008 (22.7.09 की अधिसूचना के द्वारा शामिल में यथा परिभाषित लघु एवं सीमान्त किसानों के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई सुविधा, बागवानी तथा भूमि विकास सुविधाएं

(ii) ग्राम ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण (दिनांक 11.11.2009 की अधिसूचना द्वारा शामिल)।

(iii) अनुसूचित जाति तथा अन्य पारम्परिक वन निवासी वन (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाभार्थियों को सिंचाई सुविधा, बागवानी तथा भूमि विकास सुविधाएं (दिनांक 22.9.11 की अधिसूचना द्वारा शामिल)।

(iv) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ ताल-मेल से स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच (दिनांक 30.9.11 की अधिसूचना द्वारा शामिल)।

(v) केन्द्र सरकार द्वारा समेकित कार्य-योजना द्वारा निर्धारित जिलों में खेल मैदानों का निर्माण (दिनांक 21.10.2011 की अधिसूचना द्वारा शामिल)।

उर्वरक क्षेत्र में निवेश

2508. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दशक के बाद से उर्वरक क्षेत्र में कोई नया निवेश नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या मौजूदा निवेश नीति में विभिन्न विसंगतियों के परिणामस्वरूप उर्वरक क्षेत्र में नए निवेश में कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन विसंगतियों को दूर करने और निवेश नीति में परिवहन लागत को पूरी मान्यता दिये जाने तथा परिकल्पित पूंजी लागत के आंकड़ों के आधार पर कृत्रिम रूप से न्यूनतम और अधिकतम कीमत तय करने की बजाए गैस की लागत के लिए पूरे मुआवजे का प्रावधान किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ङ) सरकार ने इस क्षेत्र में अत्यधिक अपेक्षित निवेश को आकर्षित करने के लिए यूरिया क्षेत्र हेतु 4 सितंबर, 2008 को एक नई निवेश नीति अधिसूचित की है। इस

नीति के परिणामस्वरूप मौजूदा संयंत्रों के पुनरुद्धार के माध्यम से स्वदेशी यूरिया उत्पाद में लगभग दो मिलियन टन की वृद्धि हुई है। विस्तार पुनरुद्धार एवं ग्रीनफील्ड संयंत्रों के लिए किसी प्रकार के नया निवेश को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए मंत्री समूह (जीओएम) ने 5 जनवरी, 2011 को हुई अपनी बैठक में उर्वरक नीति की समीक्षा के लिए योजना आयोग के सदस्य डॉ. सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में निवेश नीति से संबंधित विषयों की समक्षा करने और उसमें प्रस्तावित संशोधन और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और इसकी रिपोर्ट को शीघ्र अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएण्डके उर्वरकों के लिए फॉस्फेट क्षेत्र कच्चे माल के लिए 90% और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए 100% आयात पर निर्भर है। अत: एसएसपी उर्वरकों के अलावा पीएण्डके क्षेत्र में किसी नए निवेश की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

तीव्रगामी रेलगाड़ियां

2509. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का दिल्ली के उपनगरों विशेषकर मेरठ, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत आदि में दिल्ली-आगरा की तर्ज पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली नई रेलगाड़ियां चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पेट्रोल और डीजल में मिलावट को रोकना

2510. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल में मिलावट की रोकथाम के लिए संग्रहित नमूनों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से मिलावटी पाए गए नमूनों की संख्या कितनी है; और

(ग) प्राप्त शिकायतों की प्रकृति क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) गत वर्ष अर्थात् 2010-11 और चालू वर्ष (अप्रैल-सितम्बर, 2011) के दौरान देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा महाराष्ट्र राज्य में 13,490 नमूनों सहित पेट्रोल और डीजल के 1,23,132 नमूने लिए गए थे। इनमें से महाराष्ट्र राज्य में 7 मामलों सहित 103 नमूने मिलावटी पाए गए थे।

(ग) गत वर्ष अर्थात 2010-11 और चालू वर्ष (अप्रैल-सितम्बर, 2011) के दौरान, देश में अपमिश्रण के सिद्ध हुए मामलों के विरुद्ध ओएमसीज द्वारा विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के तहत 31 खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप समाप्त कर दी है और उद्योग परिवहन अनुशासन दिशानिर्देशों (टीडीजी) के तहत 18 टैंक ट्रकों को काली सूची में डाल दिया गया है। इसके अलावा, कुछ मामलों में जांच विभिन्न स्तरों पर है और 5 मामले न्याय निर्णयाधीन हैं।

ओवीएल द्वारा निवेश

2511. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी विदेश लिमि. (ओवीएल) का इराक तेल ब्लॉक में 1.5 बिलियन डॉलर के निवेश का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी.एन. सिंह): (क) वर्तमान में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) का इराक तेल ब्लाक में 1.5 बिलियन अमरिकी डालर का विनेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सीसीआई का कार्य-निष्पादन

2512. श्री रवनीत सिंह: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना का क्या उद्देश्य है;

(ख) सीसीआई के 1 मार्च, 2009 से शुरू होने के पश्चात् अब तक सीसीआई के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) सीसीआई द्वारा वर्तमान मुद्दों जैसे चीनी की कीमत, सीमेंट की कीमतों में वृद्धि, स्टील की कीमतों में वृद्धि आदि के समाधान के लिए किए गए कार्य तथा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सीसीआई द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी.एन. सिंह): (क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को खत्म करने, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने एवं उसे बनाए रखने, ग्राहकों के हितों की रक्षा करने एवं भारत में बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एवं उससे संबंधित या प्रासंगिक मुद्दों हेतु किया गया है।

(ख) 28.11.2011 तक आयोग को प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धाराओं 3 एवं 4 के तहत 166 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 88 मामले अब तक निपटाए जा चुके हैं/बंद किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग को तात्कालीन एमआरटीपी आयोग से 50 मामले अंतरण के आधार पर प्राप्त हुए हैं जिनमें से 41 मामले अब तक निपटाए जा चुके हैं/बंद किए जा चुके हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धाराओं 5 एवं 6 के तहत प्राप्त 12 मामलों में से आयोग ने 9 मामले निपटा दिए हैं।

(ग) और (घ) आयोग ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े मामलों से संबंधित सूचना यथा चीनी मूल्य में वृद्धि, सीमेंट मूल्य में वृद्धि, इस्पात मूल्य में वृद्धि, हवाई यात्रा के किरायों में वृद्धि, प्याज के मूल्यों में वृद्धि आदि की जांच करता रहा है। प्रतिस्पर्धा आयोग, जो कि अधिनियम के तहत एक स्वायत्तशासी सांविधिक निकाय है, की कार्यवाहियां अर्द्धन्यायिक प्रकृति की होती हैं।

एमएईएफ द्वारा वित्तीय सहायता

2513. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा गैर-सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों को आबंटित/संस्वीकृत वित्तीय सहायता का योजना-वार/स्थानीय निकाय-वार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अधीन इन गैर-सरकारी संगठनों को योजना-वार/गैर-सरकारी संगठन/स्थानीय निकाय-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता का वास्तव में उपयोग किया गया है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान फाउंडेशन के पास सहायता-अनुदान को जारी करने के कई मामले लंबित पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इन मामलों को कब तक स्वीकृत किए जाने और निधियां जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा सहायता-अनुदान योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 229 गैर-सरकारी संगठनों को 30.66 करोड़ रुपए राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है। प्रतिष्ठान द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों को आवंटित/स्वीकृत वित्तीय सहायता के ब्यौरे प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) प्रतिष्ठान द्वारा स्वीकृत सहायता-अनुदान 70:30 के अनुपात में दो किश्तों में निर्गत की जाती है। दूसरी किश्त, जो 30% होती है, तब जारी की जाती है, जब पहले निर्गत धनराशि को उपयोग में ले लिए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत 30.66 करोड़ रुपए की राशि में से प्रतिष्ठान द्वारा 209 गैर-सरकारी संगठनों में से 64 गैर-सरकारी संगठनों को द्वितीय किश्त के रूप में 2.44 करोड़ रुपए की राशि भी निर्गत की जा चुकी है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) चूंकि यह प्रस्ताव सभी दृष्टि से पूर्ण नहीं थे, इसलिए गैर-सरकारी संगठनों को सलाह दी गयी है कि प्रतिष्ठान द्वारा सहायता अनुदान निर्गत किए जाने संबंधी अपने प्रस्तावों को प्रक्रिया में लाने के लिए सभी अपेक्षित कागजात प्रस्तुत करें। प्रतिष्ठान द्वारा आवेदनों पर पहले-आओ, पहले-पाओ के आधार पर विचार किया जाता है, बशर्ते कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों तथा आवेदन सभी दृष्टि से पूर्ण हों।

भुसावल मंडल के अधीन परियोजनाएं

2514. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के अधीन मंजूर/शुरू की गयी विभिन्न रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे को इन परियोजनाओं में अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) परियोजनाओं को मंडलवार स्वीकृत/शुरू नहीं किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान और विकास

2515. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को बड़ी भूमिका देकर उन्हें शामिल करते हुए अनुसंधान और विकास को अधिक महत्व दिए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न राज्यों में अनुसंधान और विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों तथा अन्य स्वायत्त संगठनों को अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं के लिए निधिकरण सहायता प्रदान करता रहा है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, संघ सरकार ने वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान क्रमश: 1072.08 करोड़ रुपए, 1467.19 करोड़ रुपए तथा 1270.70 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 2781, 3515 और 4808 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का निधिकरण किया है। तथापि, XIIवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में, सार्वजनिक और सामाजिक लाभ-कृषि, जन स्वास्थ्य, पर्यावरण, ऊर्जा और जल संबंधी क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकियां और सामाजिक लाभ-कृषि, जन स्वास्थ्य, पर्यावरण ऊर्जा और जल, संबंधी क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकियां अपनाने तथा उनका प्रचार करने में राज्यों को सहायता कर केन्द्र-राज्य प्रौद्योगिकी भागीदारियों पर विशेष बल दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में भूकंप की संभावना

2516 श्री नवील जिन्दल: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में महसूस किए गए भूकंपों का उनकी तीव्रता सहित भूकंपीय क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के पूर्वोत्तर राज्य उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में भूकंपनीयता का बांधों के निर्माण पर प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्यागिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आए भूकंप, भूकंप के आने के समय, अधिकेन्द्र (अक्षांश और देशांतर), केन्द्रीय गहराई, परिणाम, प्रदेश और भूकंपीय जोन जिसमें अधिकेन्द्र क्षेत्र आता है, का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया है।

(ख) जी हां।

(ग) देश के सभी उत्तर-पूर्वी राज्य भूकंपी जोन-V में आते हैं, जो भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है। भारतीय मानक ब्यूरो [आईएस 1893 (भाग-I): 2002] के वर्गीकरण के अनुसार देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों अर्थात् जोन-II, III, IV तथा V में बांटा

गया है। इनमें से जोन V भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील प्रदेश है, जबकि जोन II सबसे कम संवेदनशील क्षेत्र है।

(घ) विश्व स्तर की प्रमुख अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए निर्धारित स्थलों पर व्यापक भू-तकनीकी अन्वेषण किए जाते हैं। तद्नुसार प्रमुख अवंसंरचना परियोजनाओं का स्थल चुनने से पहले प्रस्तावित अवसंरचना की संरचनागत डिजाइन और सुरक्षा योजना के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और प्रचालनात्मक आधार की अच्छी तरह जांच की जाती है।

(ङ) जल संसाधन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि राष्ट्रीय महत्व वाली विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के स्थान-निर्धारण के लिए विभिन्न विनियामक जिम्मेदारियां निभाते हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान देश में आए भूकम्प का ब्यौरा

वर्ष	माह	दिन	घंटे (यू.टी.सी.)	मिनट (डिग्री उत्तर)	सेकंड (डिग्री पूर्वी)	अक्षांश (किमी.)	देशांतर	गहराई	परिमाण	प्रदेश	भूकंपीय प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	1	1	16	37	22.3	25.07	92.11	39.9	3.2	बांग्लादेश-भारत (मेघालय) सीमांत प्रदेश	5
2009	1	1	21	56	56.1	28.97	76.95	10.0	2.0	हरियाणा भारत	3/4
2009	1	2	6	25	57.5	27.98	76.57	19.8	2.1	राजस्थान-हरियाणा सीमांत प्रदेश, भारत	3
2009	1	3	13	9	55.4	30.57	79.25	10.0	3.8	उत्तराखंड, भारत	5
2009	1	4	5	20	6.4	21.57	75.31	10.0	4.2	मध्य प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश, भारत	3
2009	1	4	20	23	1.4	6.90	93.77	33.0	5.3	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	1	7	10	27	1.6	27.98	93.10	20.0	4.7	अरुणाचल प्रदेश, भारत	5
2009	1	8	20	57	52.4	17.71	73.29	10.0	2.6	महाराष्ट्र, भारत	3
2009	1	9	9	44	9.8	28.93	77.01	10.0	2.1	हरियाणा, भारत	3/4
2009	1	9	12	21	20.0	31.91	78.34	10.0	3.0	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	1	9	12	40	19.2	31.76	78.27	10.0	4.2	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	1	11	21	50	10.2	22.86	82.39	10.0	2.2	छत्तीसगढ़ ,भारत	2
2009	1	14	12	47	3.2	32.93	76.19	10.0	2.8	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर सीमांत प्रदेश, भारत	4
2009	1	23	9	2	53.1	18.12	81.34	15.0	2.6	आंध्र प्रदेश	2
2009	1	26	16	0	30.9	32.99	75.97	10.0	3.2	जम्मू और कश्मीर-हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	4
2009	1	26	17	50	42.1	33.95	76.20	10.0	2.3	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	1	27	6	6	10.6	36.09	76.68	33.0	4.0	भारत (जम्मू और कश्मीर) चीन सीमांत प्रदेश	4
2009	1	27	7	8	25.1	30.10	75.55	14.5	2.0	पंजाब, भारत	3
2009	1	28	20	29	58.4	13.78	92.67	33.0	5.2	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	1	29	0	35	2.1	23.70	68.17	10.0	3.7	पश्चिम बंगाल, भारत	3/4
2009	1	29	10	24	9.0	11.74	95.03	20.0	4.5	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	1	31	3	7	15.3	32.59	76.40	15.0	3.8	हिमाचल प्रदेश, भारत	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	1	31	4	27	36.2	12.23	95.18	20.0	5.2	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	1	31	10	54	0.5	25.59	90.66	10.0	3.7	मेघालय, भारत	5
2009	1	31	19	13	24.5	28.99	77.11	10.0	2.2	हरियाणा, भारत	3,4
2009	2	1	18	31	59.4	28.92	77.54	13.9	2.6	उत्तर प्रदेश-दिल्ली सीमांत प्रदेश	4
2009	2	5	17	6	17.6	33.07	76.58	10.0	3.1	हिमाचल प्रदेश-जम्मू और कश्मीर सीमांत प्रदेश, भारत	4
2009	2	6	7	32	31.8	24.79	95.22	33.0	4.2	म्यांमार-भारत (मणिपुर) सीमांत प्रदेश	5
2009	2	8	6	2	18.2	28.60	76.87	10.0	2.1	हरियाणा-दिल्ली सीमांत प्रदेश	4
2009	2	8	8	34	26.7	29.09	76.21	10.0	2.2	हरियाणा, भारत	3,4
2009	2	8	15	42	10.9	27.37	75.32	10.0	2.9	राजस्थान, भारत	2
2009	2	10	0	6	12.9	35.04	75.20	33.0	3.0	जम्मू और कश्मीर, भारत	5
2009	2	10	12	14	26.3	34.45	74.26	33.0	3.7	जम्मू और कश्मीर, भारत	5
2009	2	11	7	33	27.3	23.21	70.38	10.0	3.4	कच्छ प्रदेश, गुजरात, भारत	5
2009	2	12	2	12	20.5	31.57	77.43	18.3	3.2	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	2	14	16	28	5.3	29.88	80.04	10.0	3.4	उत्तराखंड, भारत	5
2009	2	15	19	35	56.4	25.92	90.25	10.0	4.3	असम-मेघालय सीमांत प्रदेश	5
2009	2	18	6	4	26.1	17.20	73.83	15.0	2.6	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	5
2009	2	19	10	40	36.3	30.34	80.57	10.0	3.1	भारत (उत्तराखंड) तिब्बत सीमा	5
2009	2	20	3	48	48.6	34.15	73.46	10.0	5.4	भारत (जम्मू और कश्मीर) पाकिस्तान सीमां प्रदेश	5
2009	2	22	13	23	50.9	36.13	74.18	33.0	3.9	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	2	24	17	46	10.8	26.29	94.87	33.0	4.8	भारत (नागालैंड)म्यांमार सीमा	5
2009	2	25	4	4	21.5	30.73	79.71	10.0	3.5	उत्तराखंड, भारत	5
2009	2	26	15	32	29.0	11.97	91.03	33.0	4.4	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	2	27	10	42	38.5	20.51	89.07	10.0	4.9	बंगाल की खाड़ी	
2009	3	2	14	48	51.1	30.88	79.96	10.0	2.9	भारत (उत्तराखंड) तिब्बत सीमा	5
2009	3	3	0	59	18.3	33.79	78.57	10.0	3.0	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	3	3	1	10	11.8	33.98	78.60	10.0	3.2	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	3	10	17	43	17.6	23.40	69.05	10.0	3.1	कच्छ प्रदेश, गुजरात, भारत	5
2009	3	11	2	49	48.0	33.35	76.05	10.0	2.9	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	3	11	12	58	43.7	10.93	91.89	10.0	5.1	अंडमान द्वीपसमूह, भारत	5
2009	3	11	16	38	44.9	17.29	73.56	10.0	2.5	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	5
2009	3	12	16	21	36.1	32.49	76.36	10.0	3.6	हिमाचल प्रदेश, भारत	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	3	13	0	34	18.5	36.85	76.63	10.0	3.4	चीन-भारत (जम्मू और कश्मीर) सीमांत प्रदेश	4
2009	3	14	2	22	49.6	28.91	76.96	9.1	2.7	हरियाणा-दिल्ली सीमांत प्रदेश	4
2009	3	15	9	14	17.3	32.38	76.63	10.0	3.8	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	3	17	1	3	13.4	9.83	91.45	33.0	4.9	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	3	18	11	23	47.3	30.86	78.11	10.0	3.4	उत्तराखंड, भारत	5
2009	3	18	12	44	32.3	32.03	75.67	10.0	3.1	पंजाब-हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	4
2009	3	19	5	24	39.4	34.43	73.50	10.0	4.0	भारत (जम्मू और कश्मीर) पाकिस्तान सीमांत प्रदेश	4
2009	3	21	14	10	6.6	11.01	91.75	33.0	4.1	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2009	3	23	13	44	43.8	10.89	91.68	10.0	4.3	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	3	24	1	18	31.3	30.47	75.41	10.0	2.4	पंजाब, भारत	3
2009	3	24	12	2	48.6	30.71	79.10	10.0	2.5	उत्तराखंड, भारत	5
2009	3	24	12	51	38.8	31.24	77.88	10.0	2.9	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	3	26	4	44	13.0	22.49	85.77	10.0	4.2	झारखंड, भारत	3
2009	3	26	10	5	32.3	28.15	76.78	10.0	2.1	हरियाणा-राजस्थान सीमांत प्रदेश, भारत	2
2009	3	29	12	30	51.9	32.96	76.18	10.0	2.9	हिमाचल प्रदेश-जम्मू और कश्मीर सीमांत प्रदेश, भारत	5
2009	3	31	1	45	9.9	23.06	70.60	46.0	3.3	कच्छ प्रदेश, गुजरात, भारत	5
2009	3	31	1	56	42.6	33.79	75.48	10.0	3.4	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	4	4	1	23	30.1	32.66	76.46	10.0	2.8	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	4	4	3	6	22.5	31.08	74.46	15.0	2.9	पंजाब, भारत	4
2009	4	6	16	57	30. 9	28.26	76.48	15.4	2.4	हरियाणा, भारत	4
2009	4	8	6	56	27.6	27.62	76.83	20.0	2.0	राजस्थान, भारत	3
2009	4	9	0	44	27.5	30.41	80.66	10.0	3.3	उत्तराखंड, भारत	5
2009	4	9	1	46	57.1	27.01	70.62	35.7	5.2	राजस्थान, भारत	3
2009	4	9	8	10	57.2	6.43	94.39	101.5	5.3	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	4	9	9	43	20.7	30.25	80.22	10.0	2.9	उत्तराखंड, भारत	5
2009	4	9	15	23	25.4	28. 51	76.84	10.0	2.2	हरियाणा, भारत	4
2009	4	10	1	43	42.3	30.92	79. 93	10.0	3.0	तिब्बत-भारत (उत्तराखंड) सीमा	5
2009	4	10	8	33	36.3	29.24	79.06	10.0	2.5	उत्तराखंड, भारत	4
2009	4	12	2	11	56.6	30.02	75.33	10.0	2.6	पंजाब-हरियाणा सीमांत प्रदेश, भारत	3
2009	4	12	6	47	38.4	25.38	91.69	33.0	3.3	मेघालय, भारत	5
2009	4	12	18	42	10.9	23.38	70.09	15.0	3.5	कच्छ प्रदेश, गुजरात, भारत	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	4	14	16	56	40.2	22.33	92.33	10.0	3.8	म्यांमार-भारत (मिजोरम) सीमांत प्रदेश	5
2009	4	14	18	23	21.8	29.02	77.99	6.2	2.2	उत्तर प्रदेश, भारत	4
2009	4	15	11	25	59.4	27.38	76.03	7.9	2.8	राजस्थान, भारत	3
2009	4	18	1	33	44.3	31.49	77.46	10.0	3.4	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	4	23	13	26	54.9	27.49	77.12	10.0	2.3	राजस्थान, भारत	4
2009	4	23	17	12	4.2	31.67	77.17	10.0	2.3	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	4	25	13	24	14.6	28.51	76.97	10.0	1.9	दिल्ली	4
2009	4	25	14	29	28.4	26.14	91.45	30.4	4.2	असम, भारत	5
2009	4	27	4	2	14.6	36.00	75.44	10.0	3.4	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	4	30	11	58	23.8	33.33	74 .60	33.0	3.0	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	5	4	19	43	16.7	28.70	76.46	10.0	2.6	हरियाणा, भारत	4
2009	5	5	14	27	3.6	36.36	73.33	10.0	3.7	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	5	5	21	55	21.7	27.85	76.65	22.4	2.5	राजस्थान-हरियाणा सीमांत प्रदेश, भारत	4
2009	5	5	22	59	1.1	31.48	76.93	10.0	2.8	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	5	5	23	48	57.3	31.47	77.02	14.8	2.1	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	5	7	1	9	42.0	35.95	74.56	10.0	4.0	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	5	9	2	51	17.5	11.69	92.06	36.5	4.7	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	5	9	19	55	9.3	7.55	94.32	51.7	4.3	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	5	10	11	2	48.4	30.33	77.06	10.0	3.4	हरियाणा, भारत	4
2009	5	15	15	6	31.6	23.67	93.93	33.0	4.5	म्यांमार-भारत (मणिपुर) सीमांत प्रदेश	5
2009	5	15	18	39	23.0	30.45	79.31	10.0	3.1	उत्तराखंड, भारत	5
2009	5	15	18	42	46.1	30.61	79.35	10.0	3.6	उत्तराखंड, भारत	5
2009	5	17	13	22	1.2	28.63	77.20	17.1	2.0	दिल्ली	4
2009	5	18	23	3	53.3	27.53	87.97	10.0	4.0	नेपाल-भारत (सिक्किम) सीमा	4
2009	5	19	19	29	47.3	33.23	75.57	10.0	4.8	जम्मू और कश्मीर, भारत	5
2009	5	20	19	43	51.7	30.38	79. 60	10.0	3.5	उत्तराखंड, भारत	5
2009	5	23	2	44	32.7	33.91	74.35	10.0	3.1	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	5	27	13	30	58.8	32.89	75.41	10.0	3.8	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	5	28	15	34	2.8	30.25	77. 55	10.0	3.0	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सीमांत प्रदेश, भारत	4
2009	5	29	20	45	49.5	31.86	77.95	23.9	2.9	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	5	30	8	1	7.1	29.70	77.65	22.7	2.6	उत्तर-प्रदेश-उत्तराखंड सीमांत प्रदेश, भारत	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	6	1	1	40	55.1	26.50	89.17	15.0	3.7	मेघालय, भारत	5
2009	6	1	9	23	35.5	29.22	77.49	10.0	2.5	उत्तर प्रदेश, भारत	4
2009	6	2	6	36	11.2	30.44	80. 45	10.0	4.2	भारत (उत्तराखंड) म्यांमार सीमा	5
2009	6	3	18	42	55.6	23.42	92.98	10.0	4.2	भारत (मिजोरम)-म्यांमार सीमा	5
2009	6	3	19	3	6.1	23.33	94.00	10.0	4.5	म्यांमार-भारत (मिजोरम) सीमांत प्रदेश	5
2009	6	4	13	50	56.7	32.96	76.07	10.0	3.8	हिमाचल प्रदेश-जम्मू और कश्मीर सीमांत प्रदेश, भारत	5
2009	6	9	5	38	22.5	10.85	91.60	33.8	5.2	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	6	11	3	17	20.2	13.15	93.20	41.9	4.5	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	6	15	12	5	25.1	9.03	93.62	19.3	5.4	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	6	15	18	26	22.3	29.54	76.06	31.1	2.8	हरियाणा, भारत	4
2009	6	16	17	12	7.1	27.98	75.19	10.0	2.6	राजस्थान, भारत	3
2009	6	16	19	47	56.9	31.37	76. 94	10.0	2.6	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	6	17	12	7	31.9	29.59	77.77	10.0	3.7	उत्तर प्रदेश, भारत	4
2009	6	17	16	0	53.4	29.38	77.60	10.0	2.4	उत्तर प्रदेश, भारत	4
2009	6	18	9	43	54.2	32.09	75.66	10.0	2.5	पंजाब-हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	4
2009	6	18	17	52	5.4	28.89	76.65	10.0	2.6	हरियाणा, भारत	4
2009	6	19	3	3	55.6	32.01	75.82	10.0	2.4	पंजाब-हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	4
2009	6	22	13	1	51.6	29.44	80.11	10.0	2.5	उत्तराखंड, भारत	5
2009	6	22	21	4	51.4	29.70	79.60	15.0	2.1	उत्तराखंड, भारत	5
2009	6	22	22	44	27.8	12.36	94.81	64.1	4.5	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	6	22	23	10	3.5	12.14	95.04	15.0	5.1	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	6	22	23	16	30.0	12.15	94.79	12.0	5.0	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	6	25	8	27	5.5	34.20	75.08	10.0	3.1	जम्मू और कश्मीर, भारत	5
2009	6	28	1	30	48.5	31.92	75.26	9.1	2.9	पंजाब, भारत	4
2009	6	28	12	41	19.3	32.65	76.35	10.0	2.9	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	6	30	9	12	54.7	10.44	92.35	33.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	6	30	11	46	33.3	29.45	80.34	15.0	3.3	भारत (उत्तराखंड)-नेपाल सीमा	5
2009	7	5	7	22	19.6	31.30	77.24	10.0	2.3	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	7	5	19	32	18.4	31.33	75.65	10.0	2.1	पंजाब, भारत	4
2009	7	7	0	1	55.7	17.32	73.76	10.0	2.9	कोयला प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2009	7	7	10	50	23.2	20.81	82.90	16.2	3.0	ओडिशा	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	7	8	18	9	45.7	27.25	75.38	10.0	2.8	राजस्थान, भारत	2
2009	7	9	1	39	49.7	33.93	74.41	10.0	3.0	जम्मू और कश्मीर, भारत	4/5
2009	7	9	2	31	53.4	31.44	77.28	10.0	2.7	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	7	11	8	51	55.3	22.31	94.36	10.0	4.3	म्यांमार-भारत (मिजोरम) सीमा	5
2009	7	13	7	39	6.0	26.41	89.60	12.0	4.1	असम, भारत	5
2009	7	15	0	55	30.6	30.59	76.25	10.0	2.7	पंजाब, भारत	4
2009	7	16	2	1	34.1	32.50	76.71	9.7	2.3	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	7	17	11	7	48.5	32.49	76.21	33.0	4.6	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	7	18	3	30	58.3	27.77	75.80	31.5	3.2	राजस्थान, भारत	4
2009	7	18	4	48	3.9	32.73	75.65	29.4	3.3	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	7	19	5	27	46.1	30.84	77.17	20.9	2.4	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	7	23	5	12	0.3	32.11	76.29	10.0	2.1	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	7	25	23	28	4.5	28.49	77.20	26.3	2.3	दिल्ली	4
2009	7	26	7	40	13.0	10.72	94.41	10.0	4.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	8	11	16.2	10.79	94.33	10.0	4.7	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	8	40	55.1	10.66	94.39	10.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	9	40	21.1	10.65	94.44	10.0	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	10	14	15.6	10.89	94.44	10.0	5.0	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	10	42	25.8	10.68	94.33	10.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	10	58	2.1	10.78	94.43	10.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	11	18	49.9	10.73	94.56	10.0	4.5	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	11	55	44.6	10.62	94.11	10.0	4.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	12	34	32.4	10.72	94.40	10.0	4.7	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	12	48	34.9	10.83	94.51	10.0	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	13	29	15.8	10.67	94.39	10.0	5.1	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	13	48	55.3	10.73	94.19	10.0	4.7	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	14	27	0.1	10.53	94.53	10.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	14	49	23.4	10.64	94.35	10.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	14	58	14.8	10.68	94.29	10.0	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	15	26	57.3	10.78	94.29	10.0	5.0	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	15	51	1.8	10.70	94.39	10.0	4.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	7	26	17	1	4.5	10.64	94.32	10.0	4.5	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	17	11	30.0	10.80	94.37	10.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	17	47	54.8	10.74	94.34	10.0	4.9	।दकंउंद पेसंदकेए प्दकपं त्महपवद	5
2009	7	26	19	45	8.6	10.75	94.18	10.0	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	26	21	49	20.9	10.57	94.22	10.0	4.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	27	2	9	13.6	10.68	94.33	10.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	27	3	31	50.2	10.57	94.34	10.0	4.7	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	27	5	39	38.3	10.73	94.20	10.0	4.5	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	27	12	8	12.5	10.58	94.35	10.0	4.8	।दकंउंद पेसंदकेए प्दकपं त्महपवद	5
2009	7	27	19	15	21.7	10.64	94.36	10.0	4.5	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	27	21	15	2.1	10.70	94.30	10.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	28	5	14	57.8	10.63	94.19	10.0	5.1	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	28	13	8	59.3	12.41	92.40	10.0	4.5	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	28	19	14	7.3	10.73	94.19	10.0	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	7	30	3	43	40.0	31.67	77.54	15.0	3.6	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	7	30	15	42	44.8	32.25	76.67	12. 2	3.2	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	8	1	18	49	57.5	22.30	79.69	10.0	3.5	मध्य प्रदेश, भारत	2
2009	8	2	10	42	41.6	12.19	92.18	11.0	4.2	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2009	8	3	22	51	25.5	31.37	77.30	10.0	2.6	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	8	6	19	22	1.8	32.05	76.19	10.0	2.9	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	8	6	2.3	44	25.0	33.18	75.50	10.0	3.3	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	8	7	11	25	8.2	32.33	76.42	10.0	3.7	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	8	8	0	59	29.1	36.15	72.73	10.0	3.2	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	8	9	11	58	31.3	31.36	77.57	33.0	2.8	हिमाचल प्रदेश, भारत	4/5
2009	8	10	19	55	37.5	14.10	92.83	10.0	6.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	10	21	19	38.6	14.36	92.90	10.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	10	22	56	18.1	13.87	92.40	10.0	4.2	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	11	0	20	11.3	14.02	92.94	34.6	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	11	1	42	52.4	14.01	93.09	38.6	4.3	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	11	4	38	0.2	14.24	93.00	32.3	4.3	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	11	6	10	2.2	14.14	93.20	38.7	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	8	11	7	14	37.0	14.12	92.97	38.6	4.5	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	11	7	54	38.2	14.37	92.83	22.3	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	11	8	51	29.4	14.15	93.16	38.6	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	11	15	19	5.9	14.00	92.89	15.0	4.4	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	11	21	43	47.4	24.22	94.61	116.2	5.3	म्यांमार-भारत (मणिपुर) सीमा	5
2009	8	12	0	4	10.9	14.41	93.06	33.0	4.2	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	12	3	2	54.4	13.87	93.01	75.9	4.4	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	12	4	9	5.9	14.01	92.95	38.7	3.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	12	4	33	25.1	8.94	93.71	51.8	4.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	12	23	6	30.6	29.59	79.66	10.0	2.9	उत्तराखंड, भारत	5
2009	8	13	0	54	47.8	14.14	92.95	15.0	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	13	9	21	34.8	14.12	92.65	13.3	5.7	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	13	14	43	39.7	14.28	93.23	41.2	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	13	20	40	7.3	30.90	78.07	10.0	2.8	उत्तराखंड, भारत	5
2009	8	13	20	49	32.9	13.89	92.80	44.1	4.7	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	14	19	39	51.2	13.99	93.07	38.7	5.2	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	16	13	23	39.7	31.38	77.12	10.0	2.6	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	8	17	21	27	58.6	13.94	92.83	44.5	4.0	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	18	5	37	56.9	14.13	92.87	39.3	4.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	19	10	5	42.1	31.85	78.43	10.0	2.9	हिमाचल प्रदेश, भारत प्रदेश	4
2009	8	19	10	45	13.1	26.58	92.57	10.0	5.1	असम, भारत	5
2009	8	21	12	46	5.1	14.26	93.08	22.5	4.4	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	21	14	26	2.0	14.19	93.14	29.9	4.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	25	17	21	12.7	32.83	76.19	10.0	3.0	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	8	26	2	57	49.6	14.17	93.10	18.3	4.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	27	16	54	23.2	29.94	80.14	69.2	4.0	उत्तराखंड, भारत	5
2009	8	27	17	50	55.6	14.39	93.35	33.0	4.3	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	27	22	39	4.4	14.41	93.07	13.1	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	31	10	41	31.0	14.31	92.84	15.0	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	8	31	17	45	11.7	34.64	77.47	33.0	3.4	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	9	1	12	45	30.8	28.17	77.41	10.0	2.7	हरियाणा, भारत	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	9	2	17	21	55.1	11.01	93.51	117.5	4.7	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	9	3	0	49	43.0	14.09	93.03	80.0	4.2	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	9	3	19	51	9.4	24.30	94.37	107.5	5.6	म्यांमार भारत (मणिपुर) सीमा	5
2009	9	5	6	40	8.0	23.19	70.25	10.0	4.1	गुजरात, भारत	5
2009	9	6	1	14	42.2	13.94	92.80	33.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	9	7	6	51	59.7	33.25	75.56	10.2	3.2	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	9	7	14	59	57.0	32.93	75.65	10.0	3.1	जम्मू और कश्मीर, भारत	5
2009	9	7	15	19	52.7	32.90	75.76	10.0	3.1	जम्मू और कश्मीर, भारत	5
2009	9	8	19	32	48.8	14.24	93.41	26.4	4.3	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2009	9	9	0	7	15.6	10.30	93.87	162.2	4.6	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2009	9	9	14	4	57.5	32.86	75.75	10.0	3.0	जम्मू और कश्मीर, भारत	5
2009	9	10	3	26	58.7	31.28	76.85	10.0	3.3	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	9	11	5	56	51.0	29.99	76.99	10.0	2.7	हरियाणा, भारत	4
2009	9	12	4	43	26.7	8.56	94.01	15.0	4.6	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	9	14	7	22	20.0	28.30	76.45	10.0	2.6	हरियाणा, भारत	4
2009	9	14	13	28	38.6	33.05	75.70	25.3	3.0	जम्मू और कश्मीर, भार	4
2009	9	15	18	36	1.9	24.72	94.99	10.0	4.4	म्यांमार-भारत (मणिपुर) सीमा	5
2009	9	18	0	19	41.1	13.23	92.46	99.1	3.9	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2009	9	18	14	17	43.0	30.66	79.40	20.0	3.0	उत्तराखंड, भारत	5
2009	9	19	18	20	35.5	28.76	79.80	10.0	3.8	उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	4
2009	9	19	23	18	8.4	29.31	75.86	10.0	2.4	हरियाणा, भारत	3
2009	9	21	6	6	47.2	13.64	92.04	10.0	4.4	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2009	9	21	9	43	52.9	30.86	79.02	36.3	5.0	उत्तराखंड, भारत	5
2009	9	21	20	49	58.6	30.83	78.94	10.0	2.5	उत्तराखंड, भारत	5
2009	9	23	2	45	11.0	32.93	75.77	10.0	2.4	जम्मू और कश्मीर, भारत	5
2009	9	25	22	40	7.2	32.98	75.74	10.0	3.0	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	9	26	14	32	9.6	27.78	76.65	10.0	2.4	राजस्थान-हरियाणा सीमांत प्रदेश, भारत	3
2009	9	30	9	35	54.3	31.53	77.15	10.0	2.6	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	10	2	2	27	44.5	29.64	77.26	10.0	2.9	उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा, भारत	4
2009	10	2	18	28	58.0	14.07	93.94	33.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	10	3	5	20	54.7	30.00	79. 86	16.4	4.8	न्जजतींदकए प्दकपं	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	10	3	14	27	57.6	14.04	92.46	10.0	4.2	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2009	10	3	19	44	47.2	31.03	77.06	10.0	2.8	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	10	4	10	29	58.8	33.66	75.25	38.7	3.0	जम्मू और कश्मीर, भारत	1
2009	10	7	2	1	5.7	31.51	77.29	10.0	3.0	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	10	7	6	21	55.2	23.32	70.15	10.0	3.1	कच्छ प्रदेश, गुजरात, भारत	5
2009	10	7	13	34	32.3	30.42	79.39	10.0	2.9	उत्तराखंड, भारत	5
2009	10	8	8	28	33.7	28.73	76.65	10.0	2.6	हरियाणा, भारत	4
2009	10	8	17	23	59.1	28.89	77.00	10.0	2.6	हरियाणा, भारत	4
2009	10	9	13	26	42.1	26.98	74.28	10.0	3.1	राजस्थान, भारत	2
2009	10	10	23	29	24.8	13.90	92.44	10.0	3.5	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2009	10	14	17	27	19.0	36.06	78.28	33.0	3.8	चीन-भारत (जम्मू और कश्मीर) सीमांत प्रदेश	4
2009	10	14	23	4	52.3	10.89	91.67	10.0	3.8	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2009	10	18	7	0	41.4	28.52	75.62	10.0	2.6	राजस्थान-हरियाणा सीमांत प्रदेश, भारत	3
2009	10	20	9	28	42.4	11.77	95.17	10.0	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	10	20	19	21	17.5	30.58	80.02	10.0	3.1	उत्तराखंड, भारत	5
2009	10	20	23	44	8.3	30.84	78.00	10.0	3.4	उत्तराखंड, भारत	4
2009	10	25	1	23	10.6	30.30	80.39	10.0	2.8	उत्तराखंड, भारत	5
2009	10	27	6	43	17.1	22.93	69.90	10.0	3.2	कच्छ प्रदेश, गुजरात, भारत	5
2009	10	27	18	10	16.4	13.98	92.74	15.0	4.4	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	10	27	20	16	17.5	30.37	76.55	10.0	3.0	पंजाब, भारत	4
2009	10	28	13	40	11.1	23.63	69.87	10.0	4.4	कच्छ प्रदेश, गुजरात, भारत	5
2009	10	28	19	4	20.3	30.45	76.23	10.0	2.6	पंजाब, भारत	3
2009	10	29	14	5	52.8	27.01	76.28	10.0	2.6	राजस्थान, भारत	3
2009	10	29	19	57	0.6	26.30	89.97	10.0	4.8	असम, भारत	5
2009	10	29	21	5	16.3	8.07	91.90	10.0	5.0	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	10	31	15	54	26.8	31.86	76.90	10.0	2.5	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	11	2	21	35	45.1	14.13	93.05	10.0	5.5	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2009	11	6	2	26	10.2	13.12	92.36	10.0	4.5	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2009	11	6	19	50	9.9	14.03	93.22	10.0	4.5	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2009	11	6	20	58	13.8	26.34	92.01	10.0	3.4	अमस, भारत	5
2009	11	10	2	48	44.5	8.08	91.95	10.0	6.1	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	11	10	13	55	51.6	31.09	76.79	10.0	3.0	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	11	14	13	3	34.9	17.14	73.75	10.0	4.8	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र भारत	4
2009	11	14	13	34	35.5	17.17	73.83	10.0	4.1	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2009	11	17	0	12	51.1	33.25	76.44	15.1	3.2	जम्मू और कश्मीर-हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	4
2009	11	17	17	39	36.5	27.91	92.99	33.0	4.6	अरुणाचल प्रदेश	5
2009	11	20	3	58	31.6	33.44	75.78	38.2	3.6	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	11	25	17	5	53.9	33.65	78.23	10.0	3.5	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	11	26	6	13	3.4	13.64	92.72	33.0	5.1	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	12	1	11	40	45.6	13.65	92.72	28.4	5.4	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	12	2	1	55	18.9	30.73	77.55	10.0	2.8	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	12	3	15	56	41.1	34.47	76.31	10.0	3.1	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	12	4	1	21	10.2	28.72	77.59	10.0	2.5	उत्तर प्रदेश, भारत	3
2009	12	5	8	41	22.6	17.26	73.77	10.0	3.2	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र भारत	4
2009	12	5	11	47	17.6	12.29	90.50	10.0	4.1	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	12	5	11	56	11.0	12.49	90.64	10.0	3.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	12	5	13	10	46.2	12.42	90.63	10.0	3.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	12	5	17	0	35.4	29.00	76.95	10.0	2.2	हरियाणा-दिल्ली सीमांत प्रदेश	4
2009	12	7	22	16	34.0	14.14	93.41	33.0	4.1	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	12	8	7	5	20.3	30.36	80.31	10.0	4.1	उत्तराखंड, भारत	5
2009	12	10	16	18	57.1	36.06	76.36	10.0	4.3	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	12	11	11	20	54.6	27.71	77.13	10.0	2.3	राजस्थान-हरियाणा सीमांत प्रदेश, भारत	4
2009	12	11	14	3	10.9	14.30	80.53	28.8	3.6	आंध्र प्रदेश तट के निकट, भारत	3
2009	12	12	11	51	25.4	17.14	73.81	10.0	5.0	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2009	12	12	16	25	41.6	17.19	73.72	10.0	4.4	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2009	12	12	21	55	2.9	17.19	73.79	10.0	4.1	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2009	12	15	0	20	44.5	27.50	75.91	10.0	3.0	राजस्थान, भारत	3
2009	12	15	23	12	14.9	30.09	80.13	10.0	3.2	उत्तराखंड, भारत	5
2009	12	16	5	25	56.1	17.22	73.66	10.0	3.1	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2009	12	16	5	27	3.3	17.22	73.78	10.0	3.6	ज्ञवलदं त्महपवदए डीं.ए प्दकपं	4
2009	12	16	9	55	58.5	28.82	76.21	10.0	2.5	हरियाणा, भारत	4
2009	12	18	23	32	56.5	34.12	73.87	10.0	3.6	जम्मू और कश्मीर, भारत	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	12	20	17	29	12.6	17.22	73.81	10.0	2.8	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2009	12	21	11	12	17.5	17.19	73.77	10.0	2.9	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2009	12	21	15	20	32.6	31.38	77.91	10.0	3.0	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	12	23	3	49	29.8	17.18	73.78	10.0	3.8	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र भारत	4
2009	12	23	6	3	2.5	31.47	77.18	10.0	3.0	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2009	12	26	0	23	38.3	14.14	92.82	27.2	5.0	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	12	27	17	18	45.6	14.31	92.96	10.0	3.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	12	28	0	34	1.4	32.40	76.48	10.0	3.3	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2009	12	28	6	55	20.0	33.29	77.40	10.0	3.0	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2009	12	29	21	51	55.8	22.88	69.80	10.0	3.2	कच्छ प्रदेश, गुजरात, भारत	5
2010	1	3	20	5	7.1	32.91	78.85	15.0	2.9	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	1	5	15	4	31.7	30.00	79.97	10.0	3.4	उत्तराखंड, भारत	5
2010	1	7	22	19	51.7	33.98	79.01	15.0	3.2	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	1	9	0	15	53.8	26.96	75.45	10.0	2.3	राजस्थान, भारत	2
2010	1	10	17	0	39.9	26.02	76.01	10.0	2.7	राजस्थान, भारत	2
2010	1	11	3	38	42.0	14.27	93.11	33.0	4.0	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	1	11	5	15	18.0	29.82	80.36	10.0	4.1	उत्तराखंड, भारत	5
2010	1	11	6	11	8.1	33.51	75.44	19.1	3.7	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	1	11	19	42	44.6	30.89	77.88	10.0	2.8	उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	4
2010	1	12	9	25	29.3	17.18	73.64	10.0	4.1	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2010	1	12	10	46	56.4	36.14	78.01	33.0	3.4	चीन-भारत (जम्मू और कश्मीर) सीमांत प्रदेश	4
2010	1	13	10	17	55.6	28.88	77.64	10.0	2.9	उत्तर प्रदेश, भारत	4
2010	1	16	15	42	30.9	27.80	76.44	10.0	2.2	राजस्थान-हरियाणा सीमांत प्रदेश, भारत	3
2010	1	18	5	58	32.0	32.83	76.68	10.0	2.7	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2010	1	19	20	45	54.6	32.35	76.76	10.0	3.6	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2010	1	20	13	44	40.4	10.88	91.75	10.0	4.0	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2010	1	26	6	51	20.1	29.72	80.55	33.0	3.5	नेपाल-भारत (उत्तराखंड) सीमा	5
2010	1	26	16	46	6.5	17.24	73.79	10.0	3.4	कोयला प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2010	1	27	12	10	14.4	30.44	78.43	10.0	3.2	उत्तराखंड, भारत	5
2010	1	29	9	41	2.4	29.17	77.01	10.0	3.3	हरियाणा, भारत	4
2010	1	30	8	18	7.8	28.96	76.45	10.0	2.3	हरियाणा, भारत	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	1	30	16	39	27.1	12.92	92.10	10.0	4.0	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2010	1	31	0	42	54.5	32.77	76.04	10.0	2.8	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2010	2	1	5	38	46.7	28.15	75.96	15.0	2.7	राजस्थान-हरियाणा सीमांत प्रदेश, भारत	3
2010	2	2	14	35	49.4	30.52	76.03	10.0	3.3	पंजाब, भारत	4
2010	2	3	5	17	11.2	28.70	76.77	10.0	2.9	हरियाणा-दिल्ली सीमांत प्रदेश	4
2010	2	5	12	17	1.2	27.59	76.30	10.0	2.4	राजस्थान, भारत	3/4
2010	2	5	15	14	37.7	23.64	70.16	10.0	3.0	कच्छ प्रदेश, गुजरात, भारत	5
2010	2	13	0	31	29.5	8.68	92.14	31.6	4.6	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	2	16	4	14	25.2	14.05	92.87	33.0	4.5	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	2	16	7	7	52.4	14.05	92.90	33.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	2	16	20	57	55.6	27.96	92.88	25.9	4.2	अरुणाचल प्रदेश, भारत	5
2010	2	19	2	15	29.9	13.01	93.44	82.3	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	2	21	8	9	40.8	28.54	76.23	10.0	2.1	हरियाणा, भारत	3/4
2010	2	22	17	23	46.5	29.93	80.07	10.0	4.6	उत्तराखंड, भारत	5
2010	2	23	6	55	45.4	26.28	93.03	33.0	4.7	असम, भारत	5
2010	2	24	13	6	45.8	32.20	76.26	10.0	3.2	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2010	2	24	19	20	52.7	28.58	76.97	10.0	2.6	दिल्ली-हरियाणा सीमांत प्रदेश	4
2010	2	25	0	49	57.5	28.33	77.39	10.0	2.6	हरियाणा, भारत	4/3
2010	2	25	3	51	46.0	14.27	93.25	10.0	4.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	2	25	22	26	32.4	27.21	88.28	10.0	3.2	सिक्किम, भारत	4
2010	2	26	1	34	45.7	35.24	78.08	33.0	3.7	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	3	1	21	15	15.8	14.19	92.88	30.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	3	2	1	26	56.2	30.58	79.41	10.0	2.7	उत्तराखंड, भारत	5
2010	3	3	11	48	18.8	28.83	76.97	16.4	2.3	हरियाणा-दिल्ली सीमांत प्रदेश	4
2010	3	5	5	15	52.2	29.16	76.92	10.0	2.7	हरियाणा, भारत	4
2010	3	7	0	27	5.1	27.59	74.68	10.0	2.7	राजस्थान, भारत	2
2010	3	8	2	7	46.8	30.85	75.60	10.0	2.5	पंजाब, भारत	4
2010	3	8	14	27	17.5	29.69	80.16	10.0	3.1	उत्तराखंड, भारत	5
2010	3	10	17	5	57.9	32.85	76.27	10.0	3.6	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2010	3	11	7	53	16.7	32.60	76.65	10.0	3.0	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2010	3	13	21	45	10.4	32.43	75.95	10.0	3.1	हिमाचल प्रदेश, भारत	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	3	14	2	43	27.0	8.80	92.27	33.0	4.7	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	3	14	6	53	22.0	31.62	76.07	27.1	4.5	पंजाब हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	4
2010	3	14	19	9	8.5	34.94	73.85	33.0	5.2	पाकिस्तान-भारत (जम्मू और कश्मीर) सीमांत प्रदेश	4
2010	3	15	8	9	22.7	28.89	76.64	10.0	2.3	हरियाणा, भारत	4
2010	3	16	5	23	2.0	29.21	77.22	10.0	2.8	हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा, भारत	4
2010	3	16	22	44	50.4	31.71	78.06	10.0	3.1	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2010	3	20	20	15	6.5	13.97	92.87	33.0	4.3	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	3	20	23	26	43.3	30.35	80.30	10.0	3.2	उत्तराखंड, भारत	5
2010	3	22	3	54	22.0	28.72	76.57	10.0	2.2	हरियाणा, भारत	4
2010	3	23	6	25	33.1	30.74	80.01	10.0	3.2	उत्तराखंड भारत	5
2010	3	23	9	59	53.9	33.98	75.38	10.0	3.8	जम्मू और कश्मीर, भारत	5
2010	3	23	17	46	44.1	28.66	76.62	10.0	2.8	हरियाणा, भारत	4
2010	3	25	2	33	32.1	32.72	75.92	10.0	3.5	हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर सीमांत प्रदेश, भारत	5
2010	3	27	17	20	2.0	13.64	92.75	14.2	4.0	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	3	28	19	19	20.8	12.97	92.36	10.0	3.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	3	29	3	13	35.6	30.87	76.51	15.0	2.7	पंजाब-हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	4
2010	3	30	16	54	48.9	13.64	92.67	33.0	6.4	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	3	30	20	33	37.3	13.11	92.36	33.0	4.3	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	3	30	23	42	22.4	34.25	73.38	10.0	3.3	पाकिस्तान-भारत (जम्मू और कश्मीर) सीमांत प्रदेश	4
2010	3	31	7	21	10.6	13.05	92.21	10.0	4.1	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	4	1	7	19	59.8	13.61	92.92	35.0	4.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	4	2	19	41	38.0	32.65	76.53	10.0	3.7	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2010	4	4	18	18	24.8	31.44	77.14	10.0	2.7	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2010	4	4	19	4	13.0	31.35	76.95	10.0	2.6	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2010	4	7	7	5	51.2	27.79	76.62	10.0	3.4	राजस्थान, भारत	4
2010	4	10	12	26	19.7	32.97	76.23	10.0	3.9	हिमाचल प्रदेश-जम्मू और कश्मीर सीमांत प्रदेश, भारत	4
2010	4	10	19	56	53.4	33.05	76.25	10.0	2.9	हिमाचल प्रदेश-जम्मू और कश्मीर सीमांत प्रदेश, भारत	4
2010	4	13	20	14	56.2	7.93	91.85	10.0	5.3	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	4	14	6	19	24.2	27.55	82.80	10.0	3.4	नेपाल-भारत (उत्तर प्रदेश) सीमांत	4
2010	4	15	8	12	8.4	28.93	76.93	23.0	2.7	हतरयाणा-दिल्ली सीमांत प्रदेश	4
2010	4	15	9	7	59.7	30.24	76.75	10.0	2.8	हरियाणा, भारत	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	4	15	20	22	40.8	18.69	74.31	10.0	3.3	महाराष्ट्र, भारत	3
2010	4	16	19	49	25.2	30.81	77.97	10.0	2.6	उत्तराखंडद्व भारत	4
2010	4	19	13	54	6.6	11.02	93.86	155.1	4.7	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	4	19	22	33	4.0	31.36	75.03	10.0	2.6	पंजाब, भारत	4
2010	4	23	2	27.6	35.83	77.79	33	0	4.5	चीन-भारत (जम्मू और कश्मीर) सीमांत प्रदेश	4
2010	4	23	5	27	27.6	31ए85	76.00	10.0	2.8	हिमाचल प्रदेश-पंजाब सीमांत प्रदेश, भारत	4/5
2010	4	26	10	37	41.7	35.34	75.29	10.0	4.3	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	4	27	14	20	37.5	24.19	93.71	33.0	4.1	मणिपुर, भारत	5
2010	4	28	18	54	40.4	24.24	94.27	33.0	4.5	भारत (मणिपुर) म्यांमार सीमा	5
2010	5	1	21	18	58.2	13.62	92.64	33.0	5.0	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	5	1	22	36	27.1	29.91	80.10	18.2	4.6	उत्तराखंड, भारत	5
2010	5	2	1	44	44.1	6.48	92.78	10.0	4.7	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	5	2	5	53	44.5	13.58	92.53	24.4	4.5	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	5	3	9	50	27.8	32.14	76.48	10.0	3.5	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2010	5	3	17	15	9.4	30.31	78.31	15.5	4.1	उत्तराखंड, भारत	5
2010	5	5	9	31	10.6	14.24	92.85	20.1	4.3	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	5	7	5	39	29.5	25.16	92.36	10.0	3.3	मेघालय, भारत	5
2010	5	7	9	23	53.5	13.66	92.65	33.0	4.7	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	5	7	17	58	37.2	9.38	92.83	33.0	4.7	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	5	10	13	55	34.2	33.10	77.00	33.0	3.2	जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश भारत	4
2010	5	13	0	19	32.0	14 .04	92.43	33.0	4.2	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	5	13	8	47	4.6	29.09	77.61	10.0	3.0	उत्तर प्रदेश, भारत	4
2010	5	14	8	40	37.6	31.36	76.86	10.0	3.3	हिमाचल प्रदेश, भारत	4/5
2010	5	14	11	31	31.1	14.06	92.72	33.0	4.2	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	5	14	1.6	59	18.0	14.06	92.87	33.0	4.4	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	5	16	8	55	47.2	14.40	93.06	33.0	5.3	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	5	17	9	19	12.0	14.22	93.24	33.0	4.2	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	5	18	16	50	18.8	33.36	75.36	10.0	3.2	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	5	22	17	34	4.1	26.86	74.40	10.0	2.5	राजस्थान, भारत	2
2010	5	25	0	51	58.7	11.25	92.06	33.0	4.5	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	5	26	2	22	20.5	32.02	76.92	10.0	2.9	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2010	5	29	7	25	5.6	31.09	77.78	10.0	4.5	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2010	5	28	10	15	45.6	27.96	75.56	10.0	2.4	राजस्थान, भारत	4
2010	5	30	10	2	13.9	35.53	77.55	10.0	3.7	भारत (जम्मू और कश्मीर), चीन सीमांत प्रदेश	4
2010	5	31	11	37	2.0	29.95	79.98	10.0	3.6	उत्तराखंड, भारत	5
2010	5	31	19	51	46.2	11.23	93.92	105.4	6.1	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	6	1	13	33	56.9	24.15	94.83	33.0	4.3	म्यांमार-भारत (मणिपुर) सीमांत प्रदेश	5
2010	6	1	17	40	7.7	26.26	74.56	10.0	2.7	राजस्थान, भारत	2
2010	6	2	0	56	16.4	36.23	76.05	33.0	4.1	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	6	2	3	30	5.2	31.56	76.82	18.3	3.1	हिमाचल प्रदेश भारत	5
2010	6	2	18	6	4.4	28.71	76.64	10.0	2.6	हरियाणा, भारत	4
2010	6	4	11	58	5.7	33.34	75.32	33.0	3.5	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	6	7	17	12	34.2	28.83	77.32	10.0	3.2	उत्तर प्रदेश दिल्ली सीमांत प्रदेश	4
2010	6	8	11	46	51.3	28.53	79.59	10.0	2.7	उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली सीमांत प्रदेश	4
2010	6	12	9	42	44.7	30.97	78.06	10.0	2.9	उत्तराखंड, भारत	4/5
2010	6	12	19	26	50.6	7. 90	91.96	33.0	7.0	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2009	6	14	16	55	44.7	29.28	80.28	10.0	2.9	उत्तराखंड, भारत	4
2010	6	15	9	14	31.8	7.51	91.78	33.0	4.2	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	6	15	23	24	28.6	7.57	91.79	33.0	4.8	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	6	17	12	48	55.1	29.88	80.71	10.0	3.2	नेपाल-भारत (उत्तराखंड) सीमांत प्रदेश	5
2010	6	17	16	27	35.4	29.91	80.76	10.0	2.9	नेपाल-भारत (उत्तराखंड) सीमांत प्रदेश	5
2010	6	18	23	9	32.6	13.29	92.82	10.0	6.1	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	6	19	9	23	38.5	27.89	76.49	10.0	3.0	राजस्थान-हरियाणा सीमांत प्रदेश, भारत	3/4
2010	6	20	2	10	33.4	8.11	92.08	10.0	4.3	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	6	21	8	42	19.1	32.77	75.99	10.0	3.4	हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर सीमांत प्रदेश, भारत	4
2010	6	22	15	42	20.2	30.05	79.65	33.0	2.8	उत्तराखंड, भारत	5
2010	6	24	4	8	35.8	7.82	91.94	21.2	5.4	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	6	25	7	29	1.0	7.72	91.89	33.0	5.0	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	6	27	9	43	52.0	14.04	95.34	33.0	4.7	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	7	2	18	23	8.0	10.19	92.10	13.8	5.4	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	7	4	2	35	58.9	29.77	80.54	10.0	4.5	नेपाल-भारत (उत्तराखंड) सीमांत प्रदेश	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	7	5	10	48	41.2	18.43	76.84	16.2	2.7	महाराष्ट्र, भारत	3
2010	7	6	19	8	23.4	29.80	80.53	10.0	4.7	नेपाल-भारत (उत्तराखंड) सीमांत प्रदेश	5
2010	7	7	16	52	3.7	18.12	76.66	10.0	2.9	महाराष्ट्र, भारत	3
2010	7	8	13	47	0.8	14.44	93.04	33.0	5.3	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	7	8	19	6	32.0	32.35	75.59	10.0	3.9	पंजाब-हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	4
2010	7	9	2	8	40.8	11.29	93.48	90.2	4.3	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	7	9	16	52	44.1	27.92	76.43	10.0	2.4	राजस्थान-हरियाणा सीमांत प्रदेश, भारत	4
2010	7	10	3	16	19.3	30.01	79.62	10.0	4.4	उत्तराखंड, भारत	5
2010	7	10	5	49	13.9	27.78	80.60	10.0	2.6	उत्तर प्रदेश, भारत	4
2010	7	10	16	49	21.6	31.72	77.33	10.0	4.0	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2010	7	11	1	26	44.0	30.36	79.44	10.0	3.5	उत्तराखंड, भारत	5
2010	7	11	13	40	16.7	32.81	76.25	10.0	3.3	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2010	7	11	21	8	24.7	7.64	91.88	33.0	5.1	निकोबार द्वीपसूह, भारत प्रदेश	5
2010	7	17	1	53	38.8	32.98	73.97	10.0	3.5	पाकिस्तान-भारत (जम्मू और कश्मीर) सीमांत प्रदेश	4
2010	7	18	11	49	16.5	30.07	79.79	10.0	2.9	उत्तराखंड, भारत	5
2010	7	20	8	31	0.9	28.76	77.02	10.0	2.4	दिल्ली	4
2010	7	21	22	19	42.4	31.50	77.50	10.0	2.7	हिमाचल प्रदेश, भारत	5/4
2010	7	22	6	20	27.5	10.92	91.83	33.0	4.4	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	7	23	8	48	31.4	28.52	75.35	10.0	2.1	राजस्थान, भारत	4
2010	7	25	6	25	14.0	10.91	91.81	33.0	4.0	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	7	25	13	6	18.8	30.19	78.53	10.0	3.1	उत्तराखंड, भारत	4
2010	7	26	19	13	27.5	26.43	91.32	33.0	4.1	असम, भारत	5
2010	8	3	1	48	12.3	11.02	93 .27	79.3	5.0	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	8	6	16	10	40.3	32.77	77.94	38.9	3.1	जम्मू और कश्मीर-हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	4
2010	8	7	7	39	33.6	17.14	73.46	10.0	3.4	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2010	8	8	18	13	43.8	31.35	74.47	10.0	3.6	पाकिस्तान-भारत (पंजाब) सीमांत प्रदेश	4
2010	8	9	22	21	46.2	13.70	92.72	31.4	5.3	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	8	11	23	55	19.7	23.50	70.31	10.0	3.9	कच्छ प्रदेश, गुजरात, भारत	5
2010	8	13	17	11	7.9	31.37	77.74	10.0	3.4	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2010	8	14	8	51	5.5	30.83	76. 75	10.0	2.7	पंजाब-हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	3/4
2010	8	15	6	8	53.7	26.42	74.34	10.0	4.0	राजस्थान, भारत	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	3	16	19	36	45.5	19.34	73.79	10.0	2.5	महाराष्ट्र, भारत	3
2010	8	17	1	39	28.7	11.47	94.89	10.0	5.2	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	8	19	10	38	12.8	31.38	78.61	10.0	3.1	हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड सीमांत प्रदेश, भारत	4
2010	8	19	22	19	16.7	11.28	95.23	10. 0	5.0	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	8	21	15	2	35.5	32.79	76.85	10.0	3.5	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2010	3	23	2	11	22.1	23.38	70.39	10.0	3.7	कच्छम प्रदेश, गुजरात, भारत	5
2010	8	25	18	21	26.0	23.61	70.23	10.0	3.2	कच्छ प्रदेश, गुजरात, भारत	5
2010	8	26	4	4	36.5	10.20	93.60	10.0	4.0	अंडमान द्वीपसूमह, भारत प्रदेश	5
2010	8	27	14	6	34.6	28.80	77.54	10.0	2.7	उत्तर प्रदेश दिल्ली सीमांत प्रदेश	4
2010	8	27	14	42	48.9	36.19	72.76	33.0	4.1	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	8	27	15	42	8.9	10.94	92.01	33.0	4.3	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	8	29	18	31	12.4	33.13	76.07	10.0	3.8	जम्मू और कश्मीर-हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	4
2010	8	30	15	45	12.5	29.02	77.22	10.0	2.9	हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा, भारत	4
2010	8	30	15	47	24.0	29.04	77.29	10.0	2.9	हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा, भारत	4
2010	8	31	5	55	50.8	17.18	73.80	10.0	3.2	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2010	9	2	3	9	9.2	23.65	71.96	10.0	4.1	गुजरात, भारत	3
2010	9	2	9	30	32. 9	28.39	75. 34	10.0	2.8	राजस्थान, भारत	3
2010	9	2	16	12	45.9	8.51	91.88	34.3	4.4	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	9	9	22	38	39.3	28.64	76.93	12.9	2.3	दिल्ली-हरियाणा, सीमांत प्रदेश	4
2010	9	11	3	10	39.9	33.83	75.10	33.0	4.6	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	9	11	7	2	7.9	25.92	90.23	10.0	4.6	मेघालय, भारत प्रदेश	5
2010	9	11	11	43	6.9	7.80	94.40	10.0	5.4	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	9	12	0	56	34.4	33.53	74.13	10.0	3.7	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	9	18	22	5	53.3	31.47	74.98	10.0	3.5	पंजाब, भारत	4
2010	9	19	11	10	18.1	11.18	95.06	10.0	4.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	9	19	17	26	21.9	23.61	70.46	10.0	3.0	कच्छ प्रदेश, गुजरात, भारत	5
2010	9	21	8	36	7.0	33.85	75.08	10.0	3.6	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	9	24	18	45	5.5	33.06	79.20	10.0	3.0	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	9	27	4	36	54.2	12.41	92.61	33.0	4.6	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	9	29	15	28	46.8	17.18	73.68	10.0	3.8	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2010	9	30	5	48	45.6	29.01	77.32	10.0	2.3	उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा, भारत	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	10	3	2	58	10.0	14.11	92.98	18.1	4.7	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	10	4	3	40	23.9	33.88	77.75	10.0	3.1	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	10	6	2	55	11.4	31.67	76.38	10.0	3.3	हिमाचल प्रदेश, भारत	5
2010	10	14	22	41	51.3	28.50	79.89	39.1	2.8	उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमांत प्रदेश	4
2010	10	16	19	51	50.8	6.66	94.44	94.2	5.6	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	10	17	5	32	31.3	10.81	91.15	10.0	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	10	17	10	15	12.1	13.04	92.38	33.0	4.9	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	10	22	7	4	56.6	28.69	76.59	10.0	2.4	हरियाणा, भारत	4
2010	10	31	14	39	21.6	30.88	78.05	10.0	2.4	उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमांत प्रदेश, भारत	3
2010	11	3	14	33	36.4	28.72	76.53	10.0	2.4	हरियाणा, भारत	3
2010	11	3	22	38	17.2	29.73	80.56	10.0	2.9	नेपाल-भारत (उत्तराखंड) सीमांत प्रदेश	5
2010	11	4	20	23	33.7	31.35	77.21	28.6	2.7	हिमाचल प्रदेश, भारत	4/5
2010	11	5	15	5	47.5	24.61	72.53	10.0	3.0	राजस्थान, भारत	3
2010	11	7	3	40	17.9	34.59	73.88	33.0	4.4	जम्मू और कश्मीर, भारत	4
2010	11	9	22	46	21.0	25.22	73.72	10.0	4.7	राजस्थान, भारत	2
2010	11	12	18	20	26.9	21.24	70.32	10.0	2.8	गुजरात, भारत	3
2010	11	15	0	29	24.1	14.07	93.72	33.0	4.8	अंडमान द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	11	16	11	42	7.9	17.32	73.71	10.0	3.4	कोयना प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत	4
2010	11	17	4	37	9.1	28.72	94.52	34.7	4.4	अरुणाचल प्रदेश, भारत	5
2010	11	21	22	51	38.8	6.54	95.94	241.2	4.7	निकोबार द्वीपसमूह, भारत प्रदेश	5
2010	11	22	10	0	33.9	30.83	78.15	10.0	2.6	उत्तराखंड, भारत	4
2010	11	25	17	14	11.3	32.00	78.10	10.0	2.9	हिमाचल प्रदेश, भारत	4
2010	11	27	6	27	17.3	27.78	75. 53	10.0	2.8	राजस्थान, भारत	2
2010	11	29	9	2	7.5	28.37	76.23	22.5	2. 0	हरियाणा, भारत	4
2010	12	12	1	40	4.0	25.0	93.3	15.0	4. 8	मणिपुर (तमेंगलोंग) असम सीमा	5
2010	12	26	5	47	12.0	25.1	85.8	15.0	3.0	नालंदा, बिहार	4/5
2010	12	29	14	4	0	26.0	92.1	15.0	3.5	मेघालय	5
2011	01	08	15	10	10	23.3	70.4	10	3.1	कच्छ, गुजरात	5
2011	01	18	12	17	36	26. 5	81.9	5	3.3	फैजाबाद-सुल्तानपुर जिला	3
2011	01	26	03	06	45	29.0	77.2	10	3.2	हरियाणा (जिला सोनीपत) उ.प्र. (जिला बागपत) सीमांत प्रदेश	4
2011	01	27	22	40	04	24.3	94.4	75	4.6	म्यांमार-भारत (मणिपुर) सीमांत प्रदेश	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011	02	01	08	52	44	23.7	91.8	10	3.8	त्रिपुरा	5
2011	02	01	13	39	56	11.3	93.8	33	5.3	अंडमान द्वीपसमूह के पूर्वी तट के निकट	5
2011	02	04	13	53	39	24.8	94.6	72	6.4	म्यांमार-भारत (मणिपुर) सीमांत प्रदेश	5
2011	02	05	13	57	37	16.5	74.3	5	3.1	कर्नाटक (बेलगांव) महाराष्ट्र (कोल्हापुर) सीमा प्रदेश	2
2011	02	08	07	23	14	22.5	76.6	8	3.5	सिउनी, मध्य प्रदेश	2.3
2011	02	09	04	36	38	36.1	73.6	15	5.0	उत्तर-पश्चिमी कश्मीर	4.5
2011	02	10	19	27	23	09.2	92.4	45	4.4	निकोबार द्वीपसमूह	5
2011	02	12	10	22	40	23.5	91.0	10	4.0	बांग्लादेश-भारत (त्रिपुरा) सीमा प्रदेश	5
2011	02	13	00	12	05	14.2	92.9	10	4.6	उत्तरी अंडमान द्वीपसमूह	5
2011	02	16	10	25	25	10.3	91.7	20	4.8	छोट अंडमान द्वीपसमूह के पश्चिमी तट के निकट	5
2011	02	18	14	44	14	28.6	77.3	05	2.3	दिल्ली	4
2011	02	22	22	57	27	24.4	94.4	83	4.1	म्यांमार-भारत (मणिपुर) सीमा प्रदेश	5
2011	02	26	15	40	08	27.5	75.6	10	3.0	नीम का थाना (जिला सीकर), राजस्थान	2.3
2011	03	02	22	00	28	19.0	77.5	5	2.6	नानदेड जिला, महाराष्ट्र	2
2011	03	09	13	57	26	8.7	92.4	33	5.0	निकोबार द्वीपसमूह	5
2011	03	14	09	01	29	30.5	79.1	8	3.3	चमोली, उत्तराखंड	5
2011	03	16	02	16	52	29.6	80.1	33	2.5	पिथौरागढ़, उत्तराखंड	5
2011	03	19	12	42	38	13.1	92.4	3	4.8	अंडमान द्वीपसमूह के पश्चिमी तट के निकट	5
2011	03	23	05	55	53	36.3	76.6	57	5.2	भारत (जम्मू एवं कश्मीर) चीन सीमा प्रदेश	4
2011	03	24	13	55	14	20.9	99.9	33	6.7	म्यांमार	
2011	04	04	11	31	40	29.6	80.8	10	5.7	नेपाल-भारत सीमा प्रदेश	4.5
2011	04	16	03	42	24	18.1	76.6	10	2.6	महाराष्ट्र	2
2011	04	26	17	00	40	25.5	92.5	70	4.3	मेघालय-असम सीमा प्रदेश	5
2011	04	28	09	53	07	33.3	76.6	10	3.8	हिमाचल-जम्मू और कश्मीर सीमा प्रदेश	4
2011	04	29	02	39	16	25.9	94.7	10	4.3	नागालैंड	5
2011	04	29	08	56	49	4.2	95.9	57	5.7	उत्तरी सुमात्रा	
2011	05	04	20	57	15	30.2	80.4	10	5.0	भारत-नेपाल सीमांत प्रदेश	5
2011	05	11	17	07	17	18.2	76.7	5	2.8	लातूर जिला, महाराष्ट्र	3
2011	05	13	13	06	08	32.4	76.4	9	3.4	चंबा, हिमाचल प्रदेश	4.5
											भूकंपीय प्रदेश
2011	05	13	14	41	01	30.5	78.4	5	2.9	उत्तरकाशी, उत्तराखंड	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011	05	17	16	00	45	23.5	70.4	15	3.5	कच्छ प्रदेश, गुजरात	5
2011	05	18	01	07	19	10.7	77.7	5	3.0	तिरूप्पुर जिला, तमिलनाडू	2
2011	05	24	03	14	21	25.2	92.4	20	3.4	मेघालय, भारत	5
2011	05	29	00	05	37.5	28.0	76.5	8	3.3	राजस्थान-हरियाणा सीमांत प्रदेश	3.4
2011	06	03	00	53	21	27.5	88.0	26	4.9	नेपाल-सिक्किम (भारत) सीमांत प्रदेश	4
2011	06	03	07	27	13	97	92.7	10	5.9	नेपाल-सिक्किम (भारत) सीमांत प्रदेश	5
2011	06	05	17	45	00	24.6	92.1	12	3.0	निकोबार द्वीपसमूह	5
2011	06	09	9	51	00	14.2	93.0	8	4.7	अंडमान द्वीपसमूह	5
2011	06	13	15	47	59	25.7	91.4	10	2.9	मेघालय	5
2011	06	15	00	59	27	30.. 6	80. 1	10	3.4	पिथौरागढ़, उत्तराखंड	5
2011	06	20	06	27	18	30.5	79.3	12	4.6	चमोली, उत्तराखंड	5
2011	06	23	12	39	39	23.9	91.1	30	4.2	त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमा प्रदेश	5
2011	06	23	22	13	46	30.0	80.5	5	3.2	उत्तराखंड-नेपाल सीमा प्रदेश	4.5
2011	06	30	09	44	02	29.9	79.3	14	3.4	चमोली-अलमोड़ा जिला सीमा प्रदेश	5
2011	07	04	09	44	02	29.9	79.3	14	3.4	चमोली-अलमोड़ा जिला सीमा, उत्तराखंड	5
2011	07	01	21	45	33	25.5	93.0	10	3.6	उत्तरी कछार	5
2011	07	07	16	49	37	29.4	94.4	33	3.7	चीन-भारत सीमांत प्रदेश	5
2011	07	12	01	41	06	29.6	80.4	5	3.1	भारत (जिला पिथोरागढ़, उत्तराखंड)-नेपाल सीमा प्रदेश	5
2011	07	12	07	17	00	26.4	93.3	33	3.9	मध्य असम	5
2011	07	14	15	17	41	17.2	73.8	28	3.2	कोयना प्रदेश	4
2011	07	16	09	36	49	09.9	92.7	10	4.6	निकोबार द्वीपसमूह, भारत	5
2011	07	22	00	58	51	24.7	92.0	15	3.9	बांग्लादेश, भारत (मेघालय) सीमा प्रदेश	5
2011	07	26	07	39	17	09.6	76.6	15	3.5	कोट्टयम-इडुकी जिला सीमा प्रदेश, केरल	3
2011	07	26	08	45	56	09.7	76.8	15	3.2	कोट्टयम-इडुकी जिला सीमा प्रदेश, केरल	3
2011	07	28	17	53	40	25.3	88.6	18	4.5	भारत (पश्चिम बंगाल) बांग्लादेश सीमा प्रदेश	4
2011	07	28	18	42	34	33.3	76.0	21	4.4	किश्तवार, जम्मू और कश्मीर	4
2011	08	04	19	00	38	28.9	76.9	10	2.2	हरियाणा	4
2011	08	09	03	33	48	22.8	86.5	5	3.4	पश्चिम बंगाल (पुरुलिया) झारखंड (जमशेदपुर) सीमा प्रदेश	3
2011	08	12	06	06	32	11.1	79.1	33	3.5	आडेयालूर, तमिलनाडु	2
2011	08	13	02	59	14	23.3	70.2	33	4.0	कच्छ प्रदेश, गुजरात	5
2011	08	14	15	53	51	23.5	70.4	15	2.9	कच्छ प्रदेश, गुजरात	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011	08	23	01	23	00	33.1	76.9	20	4.8	हिमाचल (जिला-लाहोल एवं स्पीती) जम्मू और कश्मीर (जिला-लद्दाख) सीमा प्रदेश	4
2011	08	23	20	14	03	28.7	77.0	2	2.5	जिला सोनीपत, हरियाणा	4
2011	08	28	08	01	47	25.9	69.8	15	3.5	पाकिस्तान-भारत (जिला बाड़मेर) सीमा प्रदेश	3
2011	08	28	08	54	03	30.9	78.5	7	2.8	उत्तरकाशी, उत्तराखंड	4
2011	08	29	15	41	07	12.6	78.7	7	3.2	कृष्णागिरि-वेल्लोर सीमा प्रदेश, तमिलनाडु	2.3
2011	09	04	20	52	51	25.2	94.3	20	4.2	उखरूल, मणिपुर	5
2011	09	07	00	33	20	26.0	91.2	15	3.7	जिला कंबराब, असम	5
2011	09	07	17	58	18	28.6	77.0	8	4.2	दिल्ली-हरियाणा (जिला-सोनीपत) प्रदेश	4
2011	09	09	10	26	44	28.6	77.2	5	1.8	दिल्ली	4
2011	09	09	14	27	46.8	19.6	73.0	9	2.4	थाणे जिला, महाराष्ट्र	3
2011	09	11	14	33	46	23.3	70.2	5	3.4	कच्छ प्रदेश, गुजरात	5
2011	09	14	23	28	31	28.6	77.1	5	2.4	सोनीपत दिल्ली-हरियाणा सीमा प्रदेश	4
2011	09	18	12	40	47	27.7	88.2	10	6.8	सिक्किम-नेपाल सीमा प्रदेश	4
2011	09	18	13	11	59	27.7	88.5	5	5.3	भारत (सिक्किम)-नेपाल सीमा प्रदेश	4
2011	09	18	13	54	17	27.5	88.4	9	4.5	भारत (सिक्किम)-नेपाल सीमा प्रदेश	4
2011	09	18	21	51	52	27.6	88.4	28	4.2	भारत (सिक्किम)-नेपाल सीमा प्रदेश	4
2011	09	19	00	52	03	18.0	76.7	05	3.9	लातूर, महाराष्ट्र	3
2011	09	21	02	24	36	30.9	78.3	10	3.1	उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड	4
2011	09	22	16	44	43	27.6	88.4	30	3.9	सिक्किम	4
2011	09	23	13	23	21	24.4	93.8	33	4.5	इम्फाल	5
2011	09	24	14	32	18	30.9	78.3	10	3.0	उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड	4
2011	09	24	15	21	35	34.1	75.2	42	4.3	जम्मू और कश्मीर, भारत	4.5
2011	09	27	11	02	59	36.7	76.7	84	4.9	भारत (जम्मू और कश्मीर)-चीन सीमा प्रदेश	4
2011	09	28	14	39	26	10.9	94.5	10	4.7	अंडमान सागर	5
2011	10	01	04	22	15	13.0	95.8	10	5.0	अंडमान सागर	5
2011	10	01	12	48	57	13.0	95.8	7	4.9	अंडमान सागर	5
2011	10	03	04	35	07	13.4	95. 7	10	4.8	उत्तरी अंडमान सागर	5
2011	10	11	06	34	28	28.3	94.1	5	3.6	अरुणाचल प्रदेश, भारत	5
2011	10	11	13	40	24	13.9	93.8	10	4.9	उत्तरी अंडमान सागर	5
2011	10	12	10	27	25	28.2	76.0	6	3.5	राजस्थान (झुनझुनू जिला)- हरियाणा (महेन्द्रगढ़ जिला) सीमा प्रदेश	3.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011	10	13	19	32	54	24.0	91.5	10	3.7	भारत (त्रिपुरा)-बांग्लादेश सीमा प्रदेश	5
2011	10	15	10	49	16	23.6	86.9	5	3.0	बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल	3
2011	10	15	10	51	2	23.6	86.9	5	2.8	बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल	3
2011	10	17	13	04	50	27.3	88.4	5	3.5	सिक्किम	4
2011	10	19	18	53	45	16.5	79.0	7	3.6	नालगोंडा-महबूब नगर जिला सीमा प्रदेश, आंध्र प्रदेश	5
2011	10	20	17	18	34	21.2	70.7	10	5.3	जिला जूनागढ़, गुजरात	3
2011	10	21	02	49	41	27.3	88.6	9	3.0	सिक्किम	4
2011	10	21	03	07	07	21.1	70. 5	10	3.7	जूनागढ़, गुजरात	3
2011	10	21	14	40	32	24.8	94.0	36	4.5	इम्फाल, मणिपुर	5
2011	10	26	16	17	32	31.5	76.8	5	3.5	मंडी, हिमाचल प्रदेश	5
2011	10	29	00	43	41	27.4	88.4	5	3.6	सिक्किम, भारत	4
2011	10	29	09	03	06	27.7	88.4	10	2.5	सिक्किम, भारत	4
2011	10	29	10	18	03	27.5	88.3	10	2.5	सिक्किम, भारत	4
2011	10	30	13	38	55	26.9	92.3	5	3.6	असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा प्रदेश	5
2011	10	30	15	10	29	27.5	88.3	5	2.9	सिक्किम-नेपाल, सीमा प्रदेश	4
2011	11	03	19	37	19	29.7	806	5	34	भारत (उत्तराखंड)-नेपाल सीमा प्रदेश	5
2011	11	[illegible]	02	32	05	21.4	85.8	10	3.7	केंदूझारगढ़, ओडिशा	2
2011	11	06	18	34	44	30.6	80.3	10	3.8	भारत (उत्तराखंड)-चीन सीमा प्रदेश	5
2011	11	08	12	41	33	26.3	90.6	15	3.7	बारपेटा, असम	5
2011	11	08	13	37	29	24.7	94.2	60	3.7	उखरूल, मणिपुर	5
2011	11	09	09	57	32	26.7	89.4	15	3.8	जलापाईगुड़ी पश्चिम बंगाल	45
2011	11	09	15	21	51	20.3	82.6	10	2.5	न्यूपाड़ा ओडिशा	2
2011	11	11	09	57	32	26.7	89.4	15	3.8	जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	4
2011	11	12	07	01	51	21.1	70.5	10	4.3	जूनागढ़, गुजरात	3
2011	11	15	10	18	40	11.3	93.7	33	4. 5	अंडमान सागर	5
2011	11	15	16	59	31	11.0	77.6	7	2.8	तिरुप्पुर जिला, तमिलनाडू	23
2011	11	18	00	15	35	09.8	77.1	5	3.1	इडुकी, केरल	3
2011	11	20	10	29	17	30.4	78.7	33	3.2	उत्तरकाशी, उत्तराखंड	4
2011	11	21	03	15	33	25.1	45.3	80	5.8	भारत, म्यांमार सीमांत क्षेत्र	5

कौशल विकास कार्यक्रम

2517. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर उन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जहां कोई प्रशिक्षण सुविधा नहीं है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए पहचान किए गए कलस्टरों तथा जनजातीय लोगों के लिए प्रशिक्षण सहित इसमें शामिल संगठनों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार कितनी निधि आबंटित और उपयोग की गयी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार एमएसएमई विकास संस्थानों इडीआई, केवीआईसी, एनएसआईसी और कॅयर बोर्ड के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करती है।

(ख) इन संस्थानों द्वारा आयोजित कौशल विकास कार्यक्रमों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम तथा व्यवसाय कौशल कार्यक्रम शामिल हैं। ये कार्यक्रम ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों सहित अखिल भारतीय स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं।

(ग) जनजातीय लोगों सहित युवाओं के प्रशिक्षण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उद्यमिता विकास संस्थानों एमएसएमई-डीआई, केवीआईसी, एनएसआईसी और कॅयर बोर्ड के प्रशिक्षण साझेदारों का ब्यौरा सार्वजनिक डुमेन www.msme.gov.in पर उपलब्ध है। निधियों का आवंटन राज्यवार या क्लस्टर वार नहीं किया जाता है।

(घ) सू.ल. और म.उ. मंत्रालय के लिए वर्ष 2011-12 के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए निधियों का आवंटन 110.56 करोड़ रुपए है। राज्यवार कोई आवंटन नहीं किया गया है।

कलासा-बांदुरी परियोजना

2518. श्री शिवराम गौडा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कलासा-बांदुरी परियोजना के संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) कर्नाटक राज्य सरकार से कलासा-बांदुरी परियोजना के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर-नागरकोइल एक्सप्रेस के फेरों की संख्या

2519. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बंगलौर-नागरकोइल एक्सप्रेस (16537/16538) के फेरों को बढ़ाकर उसे सुविधाजनक समय-सारणी के साथ दैनिक रेलगाड़ी के रूप में चलाने की लंबे समय से लंबित मांग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सेवा को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। 16537/16538 बेंगलूरू-नागरकोइल साप्ताहिक एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि किए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें माननीय संसद सदस्य का अभ्यावेदन भी शामिल है।

(ग) 16537/16538 बेंगलूरू-नागरकोइल साप्ताहिक एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि किए जाने की जांच की गयी है। परन्तु इसे फिलहाल परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण कार्यान्वयन हेतु व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

धारा 498क का दुरुपयोग

2520. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** धारा 498क के दुरुपयोग के बारे में 18 अगस्त, 2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2772 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विधि आयोग द्वारा कब तक इस धारा के अधीन परिवर्तनों का सुझाव दिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य (13 अगस्त, 2010 को निर्णीत) और धारा 498क से संबंधित राम गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (आदेश तारीख 30 जुलाई, 2010) के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षित किया है कि शिकायतें सदैव सद्भावपूर्ण नहीं होती है और कभी-कभी त्रिर्यक हेतुक के साथ फाइल की जाती हैं। न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ, धारा 498क के विभिन्न पहलूओं, जिसके अंतर्गत इसे शमनीय बनाना भी है, की समीक्षा करने के लिए भारत विधि आयोग से अनुरोध किया है। भारत विधि आयोग ने, भारत के माननंाय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त विनिश्चयों पर विचार किया है। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं। धारा 498क से संबंधित विषय पर, भारत के विधि आयोग की 31 अक्तूबर, 2011 को आयोजित बैठक में बहस हुई है तथा विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, भारत विधि आयोग, ऐसी रिपोट तैयार करेगा जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराध को 'शमनीय बनाने' या नहीं बनाने की आवश्यकता पर ब्यौरे होंगे। रिपोर्ट, धारा 498क से संबंधित अन्य पहलुओं, जैसे कि इसे जमानतीय बनाने, गिरफ्तारी की प्रक्रिया, सुलह आदि से भी संबंधित होगी।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना

2521. श्रीमती जे. शांता: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) देश में आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं सहित महिला किसानों के प्रौद्योगिकीय, ऋण कौशाल तथा बाजार सशाक्तिकरण के लिए क्या कदम प्रस्तावित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना की घोषणा 2010-2011 के बजट भाषण में हुई थी। योजना को परिचालित करने के लिए दिशानिर्देशों को बनाया गया था तथा राज्यों को योजना के अंतर्गत प्रस्तावों को भेजने का अनुरोध किया गया था। वर्ष 2010-11 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छह राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। चालू वर्ष के दौरान राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को संपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि महिला किसानों को सामुदायिक संगठनों से जोड़कर ऋण, बीमा और इनपुट, ,खरीद, मूल्य संवर्धन और उत्पाद के विपणन से विकल्पों के पूरे पैकेज़ उपलब्ध हो सकें उन्हें हैंडहोल्डिंग, औपचारिक और व्यावसायिक पाठयक्रमों के माध्यम से महिलाओं के क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन पर बल देने को भी कहा गया है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लक्ष्य समूह को निर्धारित करते समय कृषि और इससे जुड़े क्रियाकलापों (संवर्धन), उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन) में लगे महिला प्रधान परिवारों (एक महिला), कम संसाधन वाले परिवारों तथा महिला समूहों को प्राथमिकता देना अपेक्षित है।

पीपीपी मोड में परिवहन

2522. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का देश में निजी फर्मों को कोमोडिटी परिवहन के लिए रेलवे नेटवर्क के उपयोग तथा 'फ्रेट टर्मिनलों' का विकास करने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) वास्तविक उपयोगकर्ताओं को भंडारण समस्याओं के निदान सहित कुशल और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया कराए जाने हेतु निजी निवेश से फ्रेट टर्मिनलों के नेटवर्क के त्वरित विकास के लिए 31.05.2010 को निजी फ्रेट टर्मिनल नामक एक नई योजना शुरू की गई है। निजी फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी), ग्रीन फील्ड सुविधाएं हो सकती है। निजी भूमि पर निजी पार्टियों द्वारा विकसित किया जा सकता हैं या ब्राऊन फील्ड सुविधाएं अर्थात् निजी भूमि पर मौजूदा निजी साइडिंग/कंटेनर टर्मिनल हो सकती है, जिन्हें मौजूदा योजना के प्रावधानों के अंतर्गत निजी फ्रेट टर्मिनलों में परिवर्तित किए जाने की अनुमति दी जा सकती है। इस योजना से निजी निवेशकों द्वारा टर्मिनलों पर यातायात संभलाई में सुविधा मिलेगी जिससे भारतीय रेल का मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। इस योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से बामनहारी, नाभा (उत्तर रेलवे), रूद्रपुर (पूर्वोत्तर रेलवे), वर्धा, तडाली, कलामबोली और सोमाथाने (मध्य रेलवे) में 7 प्रस्तावों को जोनल रेलों द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है और तिम्मापुर (दक्षिण मध्य रेलवे) में एक निजी फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) को अधिसूचित किया गया है।

उर्वरक, शीरा, खाद्य तेल, कास्टिक सोडा, रसायन, पेट्रो रसायन, अल्यूमिना, थोक सीमेन्ट, फ्लाई ऐश आदि जैसी वस्तुओं, जिनमें रेल गुणांक काफी कम होता है, में रेलवे के हिस्से में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर स्कीम (एसएफटीओ) नामक योजना शुरू की गई है, ताकि इन वस्तुओं के परिवहन के लिए अपेक्षित विशेष प्रयोजन वाले वैगनों में निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। इस नीति को 31.05.2010 को जारी किया गया है। कास्टिक सोडा के परिवहन हेतु 3 रेक (टैंक वैगन) और अल्यूमिना के परिवहन हेतु 3 रेक के लिए मैसर्स फोरसी से प्राप्त प्रस्ताव को रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

विकास कार्यों की समीक्षा के लिए तंत्र

2523. श्री हरीश चौधरी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अल्पसंख्यकों के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों की समीक्षा के लिए कोई तंत्र सृजित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए त्रि-चरणीय–जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और केन्द्र स्तर पर निगरानी तंत्र की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गठित जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय समितियां एमएसडीपी के तहत परियोजनाओं की भी समीक्षा करती हैं। केन्द्र स्तरीय शक्ति प्राप्त समिति केन्द्र स्तर पर ओवर साइट कमेटी का कार्य करती है।

मंत्रालय द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर तैनात किए गए हैं, जो रक्षा सेवा, केन्द्रीय और राज्य सरकारों से सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं और देश भर के विभिन्न जिलों में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विकास योजनाओं की निगरानी करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के ये मॉनीटर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी 7 योजनाओं की निगरानी के लिए जिलों का दौरा करते हैं और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को समेकित तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

गोदामों में माल उतारने की प्रक्रिया के कारण हानि

2524. श्री हुक्कमदेव नारायण यादव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** 8 सितंबर, 2011 के तारांकित प्रश्न संख्या 5812 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान थोक विक्रताओं के गोदामों में माल उतारने तथा खुदरा विक्रेताओं तक उसकी ढुलाई की प्रक्रिया के दौरान कितनी हानि हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों के खुदरा विक्रेताओं को विनिर्माता कंपनियों द्वारा प्रति बोरा/प्रति टन दी जाने वाली परिवहन लागत सहायता की कंपनी-वार राशि कितनी है;

(ग) क्या खुदरा विक्रेताओं को उर्वरकों को दूर-दराज के क्षेत्रों तक ले जाना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को परिवहन लागत के एवज में अधिक राशि देनी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को सहायता प्रदान करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) उर्वरक विभाग द्वारा थोक विक्रेताओं के गोदामों में माल की उतराई और उन्हें लोड करके खुदरा व्यापरियों को भेजने के दौरान हुई हानि की सूचना नहीं रखी जाती, क्योंकि इसकी विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है।

(ख) से (घ) एक-समान भाड़ा राजसहायता नीति के अनुसार बंदरगाह/संयंत्र से निकटतम रैक प्वाइंट तक रेल परिवहन राजसहायता की भारतीय रेल द्वारा जारी रेल रसीद (आरआर) के आधार पर पूरी प्रतिपूर्ति की जाती है। निकटतम रैक प्वाइंट से ब्लॉक मुख्यालय तक मानकीय परिवहन की प्रतिपूर्ति उर्वरक विभाग द्वारा टैरिफ कमीशन द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन के बाद की गई सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित प्रति टन, प्रति कि.मी. आधार पर की जाती है। इसलिए सरकार ब्लॉक स्तर पर देश में संयंत्र/बंदरगाहों से विभिन्न स्थलों तक उर्वरकों का संचलन करने के लिए उत्पादकों/आयातकों को पूरी अंतर्देशीय परिवहन लागत का भुगतान कर रही है। कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कंपनी की लागत पर थोक विक्रेताओं के जरिए या सीधे निकटतम रैक प्वाइंट से खुदरा व्यापारियों तक उर्वरकों की आपूर्ति करें। चूंकि सड़क भाड़े के लिए टैरिफ कमीशन की सिफारिश राज्य दर राज्य, जिला दर जिला आदि में भिन्न-भिन्न है, अत: थोक विक्रेताओं के जरिए या सीधे खुदरा व्यापारियों का उर्वरक कंपनियों द्वारा खर्च की गई/प्रतिपूर्ति की गई लागत को उर्वरक विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है।

एमजीएनआरईजीएस के अधीन प्रशासनिक व्यय

2525. कुमारी मीनाक्षी नटराजन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अधीन विभिन्न शीर्षों पर होने वाले व्यय के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) प्रशासनिक व्यय शीर्ष के अधीन होने वाले व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में इस योजना के अधीन कार्य की दरें नियत कर दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत निधियों का उपयोग एमजीएनआरईजीए के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि नियमावली, 2006, समय-समय पर जारी मानदंडों एवं मार्गदर्शनों द्वारा संचाचित होता है। केन्द्र सरकार अकुशल शारीरिक कार्य करने वालों को अधिसूचित मजदूरी दर पर मजदूरी के भुगतान पर संपूर्ण व्यय का वहन करती है। योजना के अंतर्गत लिए गए कुशल एवं अर्द्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित परियोजना के सामग्री घटक की लागत कुल परियोजना लागत की 40 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी। केन्द्र सरकार कुशल एवं अर्द्धकुशल कामगारों की मजदूरी सहित 75 प्रतिशत सामग्री लागत का वहन करती है। एमजीएनआरईजीए के समर्पित स्टाफ की तैनाती, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन एवं प्रशासकीय सहायक संरचना को सुदृढ़ करने, शिकायत निवारण, सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना आदि के लिए प्रशासनिक व्यय के रूप में 6 प्रतिशत तक की निधियों की अनुमति दी गई है।

(ख) जैसाकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्टूबर, 2011 तक) के लिए प्रशासनिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत शीर्ष के अंतर्गत किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 7 में प्रावधान है कि जब मजदूरी कार्य की मात्रा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो तो मजदूरी का भुगतान राज्य परिषद के परामर्श से विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। दरों की अनुसूची बनाना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और इसके संबंध में राज्य-वार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। राज्य सरकार को स्थान विशिष्ट विस्तृत अवलोकन के पश्चात कार्य की मात्रा का पालन करने एवं दर निर्धारित करने के लिए व्यापक कार्य, समय और गति अध्ययन करना होता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्रशासनिक व्यय (रु. लाख में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12, अक्टूबर, 2011 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	17236.98	19906.00	42760.86	11732.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	218.16	84.67	270.09	12.03
3.	असम	2915.05	3411.08	4401.85	1911.38
4.	बिहार	5061.53	6430.59	10950.49	1160.14
5.	छत्तीसगढ़	4096.11	4812.42	6782.80	2563.40
6.	गुजरात	1080.47	2457.29	3868.96	2527.33
7.	हरियाणा	363.32	573.61	708.68	430.96
8.	हिमाचल प्रदेश	406.46	2458.18	2447.78	1008.10

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर	353.14	509.69	1109.20	500.63
10.	झारखंड	3342.44	4483.25	5883.73	2616.15
11.	कर्नाटक	1634.51	3716.41	6120.18	1865.65
12.	केरल	1793.09	2429.33	3099.97	1529.32
13.	मध्य प्रदेश	13876.43	11169.53	11536.69	5424.36
14.	महाराष्ट्र	1666.77	1473.99	1721.15	1038.78
15.	मणिपुर	1078.99	2031.54	2098.67	103.47
16.	मेघालय	431.75	782.39	1332.44	239.31
17.	मिजोरम	562.66	1166.38	1699.89	493.44
18.	नागालैंड	1099.36	2595.12	3436.84	0.00
19.	ओडिशा	2757.74	3299.24	4797.42	1550.85
20.	पंजाब	421.10	708.59	946.87	429.83
21.	राजस्थान	12704.83	11507.00	15260.57	9172.90
22.	सिक्किम	152.34	305.28	491.40	122.99
23.	तमिलनाडु	4506.65	5041.19	10878.86	2567.50
24.	त्रिपुरा	1064.24	2211.91	3288.37	1434.41
25.	उत्तर प्रदेश	11027.35	20885.60	22579.68	9804.12
26.	उत्तराखंड	838.08	1072.59	1387.78	533.72
27.	पश्चिम बंगाल	3936.14	7998.79	9629.43	5159.06
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	193.65	364.60	139.90	26.52
29.	दादरा और नगर हवेली	0.07	12.68	10.22	एनआर
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	
31.	गोवा	88.12	183.20	241.69	52.47
32.	लक्षद्वीप	3.88	22.48	24.54	11.59
33.	पुडुचेरी	6.10	37.10	58.15	13.47
34.	चंडीगढ़	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
	कुल	94917.51	124141.72	179965.15	66036.41

एन.आर. = सूचित नहीं।

[अनुवाद]

जल का स्रोत

2526. श्री मनोहर तिरकी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में उपलब्ध जल स्रोतों के 34 प्रतिशत का मूल स्रोत देश से बाहर है;

(ख) यदि हां, तो इन जल स्रोतों के नाम और जिन देशों में ये अवस्थित हैं, उन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन देशों की सरकारों के साथ जल के बंटवारे के लिए कोई दीर्घकालिक समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना (जीबीएम) की मुख्य धारा अथवा वितरिकाएं और सिंधु नदी पड़ोसी देशों से प्रारंभ होती है। नदी बेसिन और देश जहां से मुख्य धाराएं अथवा वितरिकाएं प्रारंभ होती हैं, इस प्रकार हैं:

नदी	देश
गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना	चीन, नेपाल, भूटान
सिंधु	चीन, अफगानिस्तान

गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना का लगभग 30% प्रति प्रवाह आवाह क्षेत्र सिंधु का लगभग 13% ऊपरी आवाह क्षेत्र पड़ोसी देशों में पड़ता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने समग्र जल बंटवारे हेतु इन देशों के साथ कोई दीर्घावधि समझौता नहीं किया है। तथापि, भारत ने जल संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग क लिए समझौता किया है।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना

2527. श्री वरुण गांधी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिए कोई कदम उठाया है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं को घर खरीदने या अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण तक पहुंच प्रदान कर उनका सशक्तिकरण करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन महिलाओं की संख्या का कोई आकलन किया है जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) अप्रैल, 1999 से चल रही स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को एक व्यापक स्वरोजगार योजना के रूप में बनाया गया है जिसका उद्देश्य आय सर्जक परिसम्पत्तियों/आर्थिक क्रियाकलापों के जरिए ग्रामीण बीपीएल परिवारों को स्थायी आय उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। एसजीएसवाई मूलतः महिलाओं पर केन्द्रित कार्यक्रम है। एसजीएसवाई, जिसका तात्पर्य महिलाओं के सशक्तीकरण से है, और इसमें सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तीकरण तथा समावेशी विकास शामिल है, में अंतर्निमित व्यवस्था की गई है। प्रत्येक ब्लॉक में बनाए गए 50% स्वसहायता समूह केवल महिलाओं के लिए होने चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि एक वर्ष में सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों में से 40% महिलाएं होनी चाहिए।

एसजीएसवाई को अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जिसे अब परिणामों की लक्षित एवं समयबद्ध ढंग से मिशन मोड में कार्यान्वित करने के लिए 'आजीविका' का नाम दिया गया है। प्रस्तावित एनआरएलएम से यह अपेक्ष की जाती है कि वह महिला सशक्तीकरण के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। एनआरएलएम में एसएचजी सदस्यों को उनकी उपभोग संबंधी जरूरतों को पूरा करने तथा आय सर्जक क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

कृषि में ग्रामीण बीपीएल महिलाओं को सशक्त बनाने के अवसरों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 'महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना' (एमकेएसपी) का कार्यान्वियन कर रहा है जो कि एनआरएलएम का एक उप घटक है। एमकेएसपी के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से यह कहा गया है कि वे महिला किसानों को ऋण, बीमा एवं इनपुटों, प्रापण, मूल्य संवर्द्धन तथा उत्पादों के बिक्री का पूरा अवसर मुहैया कराते हुए उन्हें समुदाय आधारित संगठनों के साथ जोड़ते हुए सभी तरह की सेवाएं मुहैया कराएं।

इंदिरा आवास योजना को इस मंत्रालय द्वारा 1985-86 से क्रियान्वित किया जा रहा है और इसमें महिलाओं के लिए अलग से वित्तीय लाभ एवं वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

तथापि, आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, बनाए गए मकानों का आबंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर किया जाएगा। वैकल्पिक तौर पर इसे पति तथा पत्नी दोनों के नाम पर आबंटित किया जा सकता है। यदि परिवार में कोई भी पात्र महिला सदस्य मौजूद/जीवित नहीं है तो आईएवाई मकान को पात्र बीपीएल परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर आबंटित किया जा सकता है।

(ग) और (घ) एसजीएसवाई के शुरू होने से लेकर अब तक इसके अंतर्गत लगभग 102.73 लाख महिला स्वरोजगारियों की सहायता की गई है जो कि उक्त अवधि के दौरान सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों के 60% से अधिक है। एमकेएसपी के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान 6 राज्यों से कुल 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से कुल 22,38,700 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईएवाई के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्य, बनाए गए/मंजूर किए गए मकानों तथा महिलाओं के नाम पर और पति तथा पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर आबंटित किए गए मकानों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:-

(लाख में)

वर्ष	वास्तविक लक्ष्य	बनाए गए/मंजूर किए गए मकान	महिलाओं के लिए बनाए गए/मंजूर किए गए मकान	पति तथा पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से आबंटित किए गए मकान
2007-08	21.27	19.92	13.01	6.44
2008-09	21.27	30.14	17.18	9.02
2009-10	40.52	42.27	25.28	10.99
2010-11	29.08	33.48	20.29	8.90
2011-.12	27.27	23.10	14.16	4.61

सरकारी क्षेत्र के अध्यक्ष-विहीन उपक्रम

2528. श्री रूद्रमाधव राय:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रम (पीएसयू) अध्यक्ष के बिना चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप पीएसयू का कार्यकरण कितना प्रभावित हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इन पीएसयू में शीर्ष पदों को भरे जाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(छ) गत एक वर्ष के दौरान नियुक्ति संबंधी समिति की कितनी बार बैठक हुई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 30.11.2011 तक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों के 31 पर रिक्त पड़े हैं। इन 31 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार ने पहले से ही अतिरिक्त पदभार व्यवस्था के लिए मार्ग-निर्देश जारी किए हुए हैं ताकि इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का नियमित उद्यमों का नियमित कार्यकरण प्रभावित न हो।

(घ) और (ङ) उक्त 31 पदों में से 12 पदों के सम्बंध में लोक उद्यम चयन बोर्ड ने पहले से ही सिफारिशें कर दी हैं और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। 14 पदों के

संदर्भ में लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों की प्रतीक्षा है और शेष 05 पदों में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है लेकिन नियुक्त अधिकारियों द्वारा अभी कार्यभार ग्रहण किया जाना है।

(च) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर के रिक्त पदों को भरना एक निरन्तर प्रक्रिया है और उक्त रिक्त पदों को तब नियमित आधार पर भरा जाएगा जब पदधारक इस सम्बंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पदभार ग्रहण कर लेता है।

(छ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को फाईलों के परिचालन के माध्यम से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

विवरण

उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची जहां मुख्य कार्यपालक का पद रिक्त है

30.11.2011 के अनुसार

क्रम सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का नाम
1	2
1.	ब्रह्मपुत्र क्रेकर्स एण्ड पोलीमर्स लिमिटेड
2.	सेन्ट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
4.	सेन्ट्रल रेलसाइड वेयरहाऊसिंग कम्पनी लिमिटेड
5.	चैन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
6.	कोल इंडिया लिमिटेड
7.	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड
9.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
10.	हिन्दुस्तान एयरोनटिक्स लिमिटेड
11.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड
12.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
13.	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड
14.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
15.	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड
16.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
17.	हुगली डॉक एण्ड पोट इंजीनियर्स लिमिटेड
18.	होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
19.	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
20.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
21.	मेकॉन लिमिटेड
22.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
23.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड
24.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
25.	नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड
26.	नेपा लिमिटेड
27.	एनएचपीसी लिमिटेड
28.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड
29.	राइट्स लिमिटेड
30.	एसजेवीएन लिमिटेड
31.	टेलिकम्यूनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

[हिन्दी]

डीजल तथा एलपीजी की कीमतों को नियंत्रण-मुक्त करना

2529. श्री राकेश सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक सलाहकार परिषद् ने डीजल और एलपीजी की कीमतों को नियंत्रण-मुक्त करने के लिए कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सूचित किया है कि उनके द्वारा डीजल और एलपीजी के मूल्यों को

नियंत्रणमुक्त करने के संबंध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई है।

[अनुवाद]

चेक डैमों का निर्माण

2530. **श्री आनंदराव अडसुलः**
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री गजानन ध. बाबरः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से नदियों पर चेक डैमों का निर्माण करने का अनुरोध किया है ताकि अधिशेष जल को संग्रहित किर्या जा सके और तत्संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट बनायी जाए;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने नदियों की धारा पर चेक डैमों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधि का आवंटन किया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गयी अतिरिक्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने अधिशेष जल को संग्रहित करने तथा साथ ही तत्संबंधी विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए राज्य सरकारों से नदियों पर चैक डैमों का निर्माण करने का अनुरोध नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदयाः सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुई*]

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदयाः सभा अब मद संख्या 2, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र को लेगी

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री महोदय की टिप्पणी में अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

1. (एक) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

   (दो) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5413/15/11]

2. (एक) सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

   (दो) सेंट्रल फूटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5414/15/11]

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

3. (एक) सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल फूटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5415/15/11]

भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5416/15/11]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5417/15/11]

(ग) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5418/15/11]

(घ) (एक) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5419/15/11]

(ङ) (एक सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिपपणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 5420/15/11]

2. (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5421/15/11]

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5422/15/11]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी का.आ. 2202(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में कतिपय और संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5423/15/11]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीकान्त जेना): मैं सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 33 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 665(अ) जो 8 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5424/15/11]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5425/15/11]

(ख) (एक) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 5426/15/11]

2. (एक) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 5427/15/11]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी. सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लॉरी लिमिटेड कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 5428/15/11]

(ख) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 5429/15/11]

(ग) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 5430/15/11]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2011 जो 26 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 718(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5431/15/11]

(3) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5432/15/11]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5433/15/11]

---

*वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे 11.08.2011 को सभापटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

13वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं 'तटरक्षक संगठन का कार्यनिष्पादन' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

अपराह्न 12.01$^{1}/_{2}$ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी आगे अनुवर्ती कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2005-06)' के बारे में की गई कार्यवाही संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2006-07)' के बारे में की गई कार्यवाही संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की 'अनुदानों की माँगों (2006-07)' के बारे में की गई कार्यवाही संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता) की 'अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में की गई कार्यवाही संबंधी बत्तीसवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(5) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की माँगों (2007-08)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी तैंतीसवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(6) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की माँगों (2007-08)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी चौंतीसवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(7) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की माँगों (2008-09)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी चवालिसवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(8) 'देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिदृश्य' के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के बारे में की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(9) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की 'अनुदानों की माँगों (2009-10)' के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी बारहवां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.02 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति (एक) 23वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी. के. बिजू (अलथूर) : मैं 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2010' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 239वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। ...*(व्यवधान)*

(दो) साक्ष्य

श्री पी. के. बिजू : मैं 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2010' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखता हूं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02½ बजे

इस समय श्री सी. राजेन्द्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकार सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित 'ब्रह्मपुत्र बोर्ड का कार्यकरण' के बारे में जल संसाधन संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : अध्यक्ष महोदया, मैं लोकसभा समाचार-भाग दो, दिनांक 1 सितंबर, 2004 द्वारा जारी किए गए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73क के अनुसरण में जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित "ब्रह्मपुत्र बोर्ड की कार्यप्रणाली" के जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दिए गए वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 217वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।**

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निर्देश पर तथा लोकसभा के दिनांक 1 सितंबर, 2004 बुलेटिन भाग-II में निहित लोकसभा में प्रक्रिया नियमावली तथा कार्य संचालन के प्रावधानों के अनुसरण में विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 222वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5434/15/11

** सभा पटल पर रख गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5435/15/11

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के संबंध में उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 'अनुदान की माँग (2010-11)' पर समिति की 217 वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 222वीं रिपोर्ट में इक्कीस सिफारिशें/टिप्पणियाँ हैं। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मोटे तौर पर प्लॉन योजनाओं के तहत निधियों के आबंटन तथा खादी व ग्रामोद्योगों और कॅयर क्षेत्र के संवर्धन सहित उनके कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने से संबंधित हैं। मेरे मंत्रायल ने इन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है। प्रत्येक सिफारिश/टिप्पणी पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने वाली कृत कार्रवाई टिप्पण को 23.06.2011 को समिति के सचिवालय को भेज दिया गया है।

समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में इस वक्तव्य के अनुबंध में विस्तार से दिया गया है, जिसे सदन के पटल पर रख दिय गया है। मैं अनुबंध की विषय-वस्तु को पढ़ने में सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा तथा अनुरोध करूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.04 बजे

अनुपूरक अनुदानों की माँगें (रेल), 2011-12

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : मैं श्री दिनेश त्रिवेदी की ओर से वर्ष 2011-12 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल टी 5436/15/11)

अपराह्न 12.04½ बजे

(एक) भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के. वी. थॉमस): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2 दिनांक 08-12-2011 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है "कि भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. के. वी. थॉमस: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अपराहन 12.05 बजे

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक, 2011**

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): महोदया, श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है : "कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नमो नारायण मीणा : महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएँगे। माननीय सदस्य प्रथानुसार सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप से तुंरत पर्चियां सौंपे।

(एक) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र के गड़चिरोली, वाडसा, देवरी और ब्रह्मपुरी शहरों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2 दिनांक 08-12-2011 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।
***सभा पटल पर रखे माने गये।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर) : केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत देश के अब तक जिन शहरों और कस्बों को शामिल किया गया है, उनमें अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य आबादी वाले शहरों एवं कस्बों की संख्या बहुत कम है गरीब एवं पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि सरकार इस मिशन के अंतर्गत देश के ऐसे शहर एवं कस्बों, जो अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य वाले हैं, उन्हें वरीयता प्रदान करके मिशन की सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी बाहुल्य कस्बों-गड़चिरौली बड़सा, देवरी व ब्रह्मपुरी को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत वरीयता देकर शामिल करके इन कस्बों में रहने वाले आदिवासी गरीब नागरिकों को भी इस कार्यक्रम की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(दो) राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री इज्यराज सिंह (कोटा) : मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा अंतर्गत बूंदी एवं कोटा दो ज़िलें हैं जिनका भू-जल स्तर काफी तेजी के साथ नीचे जा रहा है और इन दोनों ज़िलों को डार्क जोन के अंतर्गत रखा हुआ है। कोटा एवं बूंदी ज़िले में गिरते जल स्तर से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं यहां की उपजाऊ भूमि बंजर होने लगी है। यह दोनों ज़िले राजस्थान के हरे भरे ज़िले हैं और राजस्थान का अधिकांश खाद्यान्न का उत्पादन इन्हीं ज़िलों से होता है। खाद्यान्न का उत्पादन अधिक होने से कोटा की अनाज मंडियां काफी मशहूर है। यहां पर कई नदियां हैं परंतु उनमें धीरे-धीरे पानी कम होता जा रहा है। इन सबके कारण कोटा एवं बूंदी ज़िलों में आने वाले समय में भू-जल स्तर में गिरावट होने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसके संकेत दिखने लगे हैं।

सरकार से अनुरोध है कि कोटा एवं बूंदी ज़िलों में भू-जल स्तर को ऊपर लाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं इन दोनों ज़िलों में लागू की जाये जिससे इन दोनों ज़िलों की भूमि को बंजर होने से बचाया जा सके।

(तीन) धुंध भरे मौसम के कारण फैजाबाद और लखनऊ के बीच रद्द की गई यात्री रेल सेवाएं पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. निर्मल खत्री (फ़ैज़ाबाद) : उत्तर रेलवे द्वारा कोहरे के कारण वाराणसी-फैजाबाद-लखनऊ तथा इलाहाबाद के मध्य चलने वाली सभी पैसेंजर/लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जिससे आम गरीब जनता व दैनिक यात्रियों को जो प्रतिदिन इस रूट पर अपनी नौकरी व आजीविका के लिए अप डाउन करते हैं, काफी परेशानी हो रही है।

रेलवे तत्काल इन बंद ट्रेनों को आम ट्रेन पैसेंजरों के हित में जल्द से जल्द प्रारंभ करे।

(चार) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में जनजातीय लोगों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. कृपारानी किल्ली (श्रीकाकुलम): भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में यथा अधिसूचित 533 जनजातियाँ विभिन्न राज्यों (जिनमें से अनेक एक जैसी हैं) में हैं। आज कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.08% है। स्वंतत्रता प्राप्त के 60 वर्ष बाद एवं उनके जीवन-स्तर को सुधारने हेतु किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद भी जनजातीय लोग आज भी पिछड़ेपन से ग्रस्त हैं। श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश एवं देश में सबसे पिछड़े ज़िलों में से एक है। इस ज़िले में बहुत से जनजातीय लोग एंव आदिम जनजातीय समूह (मी.टी.जी.) हैं। अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है तथा झूम कृषि एवं वन उत्पाद संग्रहण पर निर्भर हैं। जनजातीय गांव सुसंपर्कित नहीं हैं तथा स्वास्थय, शिक्षा, विपणन एंव जीवन स्तर के मामले में बेहद पीछे हैं। जनजातीय लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न कानूनों के अंतर्गत कई अधिकार एवं शिकायतें प्रदान की गई हैं परंतु वे अपनी अनभिज्ञता एंव प्रवर्तन एजेंसियों की उदासीनता के कारण सविधिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त कई लाभों से वंचित हैं।

इसलिए, में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह जनजातीय जनसंख्या का खासकर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले की समस्याओं पर ध्यान देकर तदनुसार सुधारत्मक कदम उठाएं।

(पांच) तमिलनाडु में रोयापुरम रेलवे स्टेशन को चेन्नई के तीसरे रेलवे टर्मिनस के रूप में विकसित करने तथा एग्मौर रेलवे स्टेशन से दक्षिणी ज़िलों की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों का प्रचालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): तमिलनाडु के लोगों में बड़े पैमाने पर यह आशंका व्याप्त है कि दक्षिण की ओर जाने

वाली सभी रेलगाड़ियों, जो अभी तक एगमोर से चलती हैं, को ताम्ब्रम से चलाया जाएगा। यदि दक्षिणी ज़िलों से आने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ताम्ब्रम में ठहराव दिया जाता है, तो दैनिक यात्रियों विशेषकर महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों को दक्षिण से उत्तर एंव उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के लिए चेन्नै एगमोर/सेंट्रल पहुंचने में भारी परेशानी होगी। ताम्ब्रम प्लेटफार्म की लंबाई लगभग एक कि.मी. है तथा उन्हें पैदल उपरी पुल को काफी मशक्कत से पर करना होगा इसके अतिरिक्त ताम्ब्रम से चेन्नै एगमोर तथा सेंट्रल की दूरी 35 कि.मी. से अधिक है। ऑटो इसके लिए मनमाना भाड़ा वसूल कर रहे हैं।

यह सुविचारित मत है कि रोयापुरम (दक्षिण भारत का पहला रेलवे स्टेशन) जो चेन्नै सेंट्रल रेलवे स्टेशन से महज पाँच कि.मी. दूर स्थित है, को चेले सेंट्रल तथा एगमोर के बाद तीसरे टर्मिनल के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है। देश के पूर्वी, पश्चिमी तथा अन्य भागों की ओर जाने वाली 16 लंबी दूरी की एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रोयापुरम रेलवे स्टेशन से होकर जाती है। इस स्टेशन के पास 72 एकड़ में फैला भू-क्षेत्र है, जिसमें 16 प्लेटफार्म बनाए जा सकते है। अभी यह कम उपयोग में लाया गया प्लेटफार्म है, जहां उपयोग में नहीं लाई गई भूमि/भवन, झाड़ फूंस जर्जर भवन है। उत्तरी एंव दक्षिणी ब्लॉक में सार्वजनिक एवं निजी वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाए जा सकते हैं।

चेन्नै सेंट्रल पहले से ही बहुत भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। एगमोर स्टेशन चेन्नै सेंट्रल से उत्तर की ओर जाने वाली लगभग 10 रेलगाड़ियों को स्थानांतरित करने तथा उत्तरी राज्यों की ओर जाने वाली इतनी ही रेलगाड़ियों के गुजरने के कारण भी भीड़-भाड़ ग्रस्त है। इस समस्या को दूर करने के लिए रोयापुरम नए आधुनिक तीसरे रेल टर्मिनल घोषित करने के लिए आदर्श स्थान है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखकर माननीय रेलमंत्री जी से विनम् अनुरोध है कि वे इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए कि वर्तमान में चेन्नै इगमोर से चलने वाली सभी रेलगाड़ियों को केवल इगमोर से ही प्रचालित किया जाए। चेन्नै सेंट्रल में भीड़-भाड़ की समस्या से निपटने के लिए रोयापुरम रेलवे स्टेशन को चेन्नै के तीसरे रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

(छह) देश की आगामी जातिगत संगणना में ईसाइयों की उपजातियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देभित): आगामी जाति आधारित जनगणना करने वाले अधिकारियों को इसाईयों की जातियों का पता लगाने के निदेश के साथ शुरू की जानि चाहिए। देश का अत्यंत लघु अल्पसंख्यक आंग्ल-भारतीय समुदाय बात से चिंतित हैं कि जनगणना-अधिकारियों द्वारा उनकी पहचान नहीं की जाएगी क्योंकि उन्हें इस बात का आशंका है कि उनकी गणन अन्य इसाईयों के साथ की जाएगी। उन राज्यों और क्षेत्रों में जहां आंग्ल-भारतीय रहते हैं, वहां जनगणना अधिकारियों को उनकी उपजाति के बारे में पूछने तथा तद्नुसार गणना करने के लिए निदेश दिया जाए।

पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों तथा भारत के अनेक शहरों में, जहां आंग्ल भारतीय रह रहे हैं वहां जाति आधारित जनगणना करने के बारे में विचार किया जाए तथा जनगणना-अधिकारियों को विशेषकर इसाईयों की उपजातियों का पता लगाने का निदेश दिया जाए ताकि आंग्ल-भारतीयों की संख्या का पता लगाया जा सके।

(सात) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाऊ केमिकल्स के संचालन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): देश की जनता भोपाल गैस त्रासदी कांड को अभी तक भुला नहीं पाई है। मेरे द्वारा बार-बार केंद्र सरकार का ध्यान दिलाने के बावजूद केंद्र सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी को पैदा करने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड उर्फ डाउ केमिकल्स के उत्पादन के लिए गुजरात आल्कनीक एंड केमिकल्स को 50% की हिस्सेदारी दे दी है। मेरा निवेदन है कि जिस कंपनी के अधिकारी वारेन एंडर्सन को भोपाल गैस त्रासदी का ज़िम्मेदार ठहराया गया था उसी अधिकारी से बात करके उसी कंपनी को मेरे संसदीय क्षेत्र के दहेज स्थान पर अनेक सुविधाएं प्रदान करके 600 करोड़ का क्लोशेमिथेन प्रोजेक्ट को चलाने की मंजूरी देना कहां तक न्यायोचित है।

अत: मेरा अनुरोध है कि भारत में सबसे बड़ी भयंकर गैस त्रासदी को पैदा कर हजारों लोगों की जान लेने वाली कंपनी को फिर से भारत में पैर जमाने से रोका जाए और इस कंपनी को काम करने से रोका जाए जिससे भोपाल गैस जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो सके।

(आठ) देश में वृद्ध विधवा और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को पर्याप्त पेंशन दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): देश में 60 वर्ष की आयु से ऊपर सभी बुजुर्गों को बीपीएल की शर्त सहित भूमि से आय व संतान की आय आदि सभी शर्तें हटाकर बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए उचित पैंशन का प्रावधान तुरंत करके बुढ़ापे को

आत्म-सम्मान व जीने की सुरक्षा प्रदान करें तथा इसी तर्ज पर विधवाओं व अपंगों को भी उचित पेंशन का प्रावधान कर जीने की सुरक्षा व आत्म-सम्मान प्रदान किया जाए।

(नौ) सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए हिमाचय प्रदेश का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): मैं माननीय रक्षामंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश से अपेक्षाकृत ज्यादा लोग देश की रक्षा सेनाओं में भर्ती होकर देश की रक्षा करने में गर्व महसूस करते रहे हैं, लेकिन जबसे देश की सशस्त्र सेनाओं में आनुपातिक भर्ती नीति के अंतर्गत प्रदेशों से भर्ती योग्य पुरुषों की नियुक्ति की जाने लगी है, तब से हिमाचल प्रदेश से सेना में कम लोग भर्ती किए जाते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कम है। चीन एवं पाकिस्तान के साथ अब तक हुए युद्धों में हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं।

जैसाकि आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश को विशेष पहाड़ी राज्य का दर्जा हासिल है। हिमाचल प्रदेश में खेती योग्य भूमि बहुत कम है। वहां वाणिज्यिक गतिविधियां भी बहुत ज्यादा नहीं है। प्रदेश के नौजवानों को सेना में भर्ती होकर रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक, जलवायु एंव वातावरण संबंधी कठिन परिस्थितियों के कारण वहां पले-बढ़े नौजवानों में देश की सीमाओं विशेष रूप से पर्वतीय सीमाओं पर लड़ने की विशेष क्षमता एंव दक्षता होती है। अत: मेरा निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश से सेना में भर्ती का कोटा बढ़ाना जाए।

[अनुवाद]

(दस) कर्नाटक के बेलगाम शहर के निवासियों को जलपूर्ति करने के लिए वहां जल उपचार संयंत्र की स्थापना करने के लिए रक्षा प्राधिकरण के अंतर्गत भूमि दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश अंगड़ी (बेलगाम) : बेलगाम जिला प्रशासन (कर्नाटक) ने शहरी जलपूर्ति तथा जल निकासी बोर्ड (के. डब्ल्यू. एस डी.बी.) बेलगाम हेतु बेलगाम रक्षा अधिकारियों से तुर्का माट्टी जोन, बेलगाम में वैकल्पिक और उतने ही क्षेत्रफल की भूमि उपलब्ध कराने के उपबंध के बदले लगभग 5 एकड़ रक्षा भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ताकि गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे बेलगाम शहर के निवासियों और रक्षा कर्मियों के लिए स्वच्छ तथा सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 6 एम. जी. डी. क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र की स्थापना करने में सक्षम हो सके।

बेलगाम रक्षा स्कंध की सहमति प्राप्त करने के लिए यह मामला वर्ष 2001 से लंबित है। जल शोधन संयत्र की स्थापना और विद्युत आपूर्ति के अभाव में भी पूरे शहर को जलापूर्ति करने के लिए यह विशेष स्थान आदर्श स्थिति में है तथा राजनीतिक रूप से सर्वोपयुक्त है इसलिए, मैं रक्षा मंत्रायल से अनुरोध करता हूं कि वह जन-हित में इस रक्षा भूमि को उपलब्ध कराए जाने के कार्य को सुनिश्चित करने हेतु बेलगाम स्थित रक्षा प्राधिकारियां को निदेश दे।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन (चन्दौली): मेरे संसदीय क्षेत्र चंदौली (लोक सभा) के जनपद चंदौली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहे हैं। जिन ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है उनकी गुणवत्ता बिल्कुल घटिया स्तर की है, जिसके कारण सड़कें बहुत जल्द खराब हो जाती है। खराब सड़कों का पुनरूद्धार भी नहीं कराया जा रहा है। जबकि जनपद चंदौली (उ.प्र.) एक नक्सल गतिविधियों में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे स्थानीय नागरिकों को सामान्य जीवनयापन करने में भी बाधा हो रही है। अत: भारत सरकार से मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने के लिए तथा नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु भारत सरकार विशेष राशि जारी करें ताकि पूरे जनपद में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराकर स्थानीय नागरिकों को सामान्य जीवनयापन करने में मदद मिले साथ ही अभी तक जनपद चंदौली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कराए गए घटिया किस्म के निर्माण कार्य की भी जांच कराई जाए तथा क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनरूद्धार करने हेतु भी आदेश दिया जाए।

(बारह) देश में अतिसार संबंधी रोगों के कारण उच्च शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी): अभी हाल ही में प्रकाशित ब्रिटिश पत्रिका 'लैसेंट' की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दस्त की वजह से वर्ष 2008 में रोटावायरस संक्रमित पेचिस के कारण 98 हजार सौ 21 नवजात शिशुओं की मौत हुई, यह संख्या पूरी दुनिया में 22 फीसदी है।

इस रिपोर्ट में पड़ोसी बांग्लादेश के मुकाबले भारत की वजह से मौत हो जाती है। खेद की बात है कि वर्षों से चली आ रही इस बीमारी के लिए सरकार अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं

करा सकी है। इस पर कई वर्षों से अनुसंधान चल रहा है। मेरा मानना है कि यदि दस्त का टीका सरकार उपलब्ध करा दें और सभी नवजात शिशुओं के टीकाकरण अभियान में उसे शामिल कर दे, तो असमय मौतों पर काफी हद तक विराम लगाया जा सकता है।

मेरी मांग है कि सरकार दस्त के कारण देश में होने वाली नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोकने के लिए अविलंब सभी आवश्यक कदम उठाए।

[अनुवाद]

(तेरह) केरल में परंपरागत उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघा और बीड़ी कर्मकारों के लिए एक विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : हमारे देश के परंपरागत उद्योग यथा बीड़ी, हथकरघा, नारियल के रेशे, वस्त्र, खादी, बांस, आधारित हथकरघा, कारीगरी और ग्रामीण (कुटीर) उद्योग उत्पादन की उच्च लागत, निम्न गुणवत्ता, विविधीकृत उत्पादन रेंज के नहीं होने, अनपयुक्त प्रौद्योगिकी और पेशेवर विपणन और निर्यात की अक्षमता और गुणवत्ता में वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा मूल्य के कारण केरल के इन अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में कामगारों को अत्यधिक कठिनाईयों और व्यापक छटनी का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है।

अत: इन कारोबारियों को विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता हैं। विभिन्न ट्रेड यूनियनों और सरकारों ने केंद्र सरकार को एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें विशेष रूप से केरल में हथकरघा और बीड़ी कामगारों को विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया गया है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इन परंपरागत उद्योगों की दयनीय दशा पर विचार करे और यथाशीघ्र विशेष पैकेज दे।

(चौदह) ओडिशा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के की गति में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री रूद्रमाधव राय (कंधमाल): यद्यपि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरूआत की गई है किन्तु किन्तु खराब कार्यनिष्पादन के कारण आवश्यकता के अनुरूप जनशक्ति को नहीं लगाए जाने से देश भर में इस कार्य के कार्यान्वयन में देरी हो रही है।

ओडिशा में एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और एनएचपीसी जैसे सीपीएसयू को आरजीजीवीवाई योजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है जिसमें तीव्रता लाए जाने की आवश्यकता है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे उपयुक्त कार्रवाई करे और निर्देश जारी करे ताकि पीएसयू इस योजना को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए विद्युतीकरण का कार्य पूरा करे।

(पंद्रह) महाराष्ट्र में नवी मुंबई में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के विकास के प्रस्ताव को पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने मई, 2007 में नवी मुंबई में नवी मुंबई में हरित पट्टी विमानपत्तन को विकसित करने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया है।

महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (एनएमआईए) को विकसित करने हेतु अनुमोदन दे दिया और जुलाई, 2008 में सीआईडीसीओ को नोडल ऐजेंसी के रूप में नियुक्त किया।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कतिपय शर्तों पर सीआईडीसीओ द्वारा नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हेतु भेजे गए पर्यावरण और तटीय विनियमन क्षेत्र संबंधी प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। सीआईडीसीओ ने पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करने के लिए पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई. आई. ए.) करने हेतु विचारार्थ विषय के अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास आवेदन किया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने तटीय पर्यावरण की क्षति को पाटने के लिए आवश्यक पर्याप्त पर्यावरण सुरक्षोपायों को निगमित करने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के अध्यधीन नवी मुंबई, पर हरित पट्टी विमानपत्तन के विकास की अनुमति के लिए सीआरजेड अधिसूचना, 1991 को संशोधित किया है। अगस्त, 2009 में विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन हेतु विचारार्थ विषय को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एम सी जेड एम ए) ने सीआरजेड अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर विचार किया और जुलाई, 2009 में पर्यावरण और वन मंत्रालय को संस्तुत किया। ईआईए की प्रारूप अध्ययन रिपोर्ट को विचारार्थ विषय के संदर्भ में तैयार किया गया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की गई और इसके आधार पर सीआईडीसीओ ने अंतिम ईआईए रिपोर्ट तैयार की और दिनांक 7.6.2010 को पर्यावरण और वन मंत्रालय को सौंप दी।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और सीआरजेड अनुमति में निर्धारित विभिन्न शर्तों के अनुपालन के लिए सीआईडीसीओ द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई शुरू की गई है:

(i) नवी मुंबई विकास योजना का संशोधन 'सिडको' द्वारा तैयार किया गया है।

(ii) वन संबंधी स्वीकृति लेने वाले प्रस्ताव को 6 दिसंबर 2010 को प्रस्तुत किया गया था।

(iii) मुंबई उच्च न्यायालय में प्रस्ताव-सूचना दर्ज़ करने के लिए आवेदन का प्रारूप 'सिडको' द्वारा तैयार किया गया है।

(iv) कोकण मंडल के मंडल आयुक्त को परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापत और पुनर्वास पैकेज के लिए तथा उनसे समझौता करने के लिए प्राधिवृत किया गया है।

(v) वागिवली में एक मैनग्रोव पार्क के विकास के लिए विभिन्न कार्य कलापों से संबंधित प्रारंभिक रिपोर्ट मैर्सस लेविस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है और 'सिडको' द्वारा आगे कार्यवाई की जा रही है।

(vi) एन एम आई ए के आस-पास जल निकासी के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति की प्राक्रिया चल रही है।

(vii) सी. डल्ब्यू. पी. आर., पुणे को हाइड्रोलिक अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। मैं अनुरोध करता हूं कि विमान पत्तन परियोजना को गति देने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र शीघ्र दिया जाए।

(सोलह) मुम्बई-नागरकोइल- मुम्बई रेलगाड़ी (संख्या 26339-40) को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमार (तिरूचिरापल्ली): तमिलनाडु के दक्षिणी भागों विशेषकर तिरुनेलवेली और कथाकुमारी ज़िलों से बड़ी संख्या में लोग मुंबई में बसे है और वे वहां पांच दशकों से अधिक समय से रह रहे हैं। अधिकांश लोग दिहाड़ी पर कार्य करते हैं तथा बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। त्योहारों के समय और महत्त्वपूर्ण पारिवारिक समारोहों में शामिल होने के लिए उनको अपने पैतृक स्थान पर बार-बार जाना पड़ता है। वर्तमान में मुंबई और नागरकोइल के बीच केवल एक रेलगाड़ी (गाड़ी सं. 26339-26340) चलती है। यह रेलगाड़ी सप्ताह में 5 दिन चलती है। लोगों को मुंबई से तमिलनाडु तक रेलगाड़ी की समुचित सुविधा के बिना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई-नागरकोइल-मुंबई रेलगाड़ी (रेलगाड़ी सं. 26339-26340) को प्रतिदिन चलाए जाने की मांग लंबे समय से लंबित है। मैं मुंबई में रहने वाले तमिलनाडु के लोगों की ओर से और इस सम्मानित सभा के माध्यम से माननीय रेलमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस रेलगाड़ी को सप्ताह में पाँच दिन की जगह प्रतिदिन चलाए।

(सत्रह) पश्चिम बंगाल में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा विभिन्न कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): हमारे देश में कृषि क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विगत कुछ वर्षो से यह देखा गया है कि जब कभी भी कृषि क्षेत्र की विकास दर कम होती है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इस वर्ष यह क्षेत्र बहुत-सी समस्याओं से ग्रस्त हैं। एक ओर उर्वरकों की कीमतों में हाल ही में भारी वृद्धि हुई हैं। तो दूसरी ओर इसकी उपलब्धता में काफी कमी आई है। इससे कृषक समुदाय विशेष रुप से पश्चिम बंगाल के मामले में किसानों को बहुत परेशानी में डाल दिया है।

इसके अलावा, उन्हें बाजार में अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभप्रद दाम नहीं मिल रहे हैं। यहां तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आदान लागत मूल्य से भी कम हैं जिसमें मुद्रास्फीति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई हैं।

उपयुक्त को ध्यान में रखते हुऐ सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह उर्वरकों की कीमतों को कम करने के लिए तत्काल उपाय करें तथा एक ओर वहनीय कीमत पर समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करें तथा साथ ही दूसरी ओर देश के कृषक समुदाय को बचाने के लिए विभिन्न कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए।

(अठारह) मुल्लापेरियार बांध मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि (कोट्टयम): मुल्लापेरियार बांध का निर्माण 1895 में हुआ था और अपनी उपयोगिता अवधि को पूरा कर चुका हैं। पिछले चार महीनों के दौरान हुए बीस कंपनों से इसके पुराने ढांचे में दरारे आ गई हैं। पिछले बार 18 नवंबर को रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। वैज्ञानिकों और अभियंताओं द्वारा किए गए भूकंपीय अध्ययनों से यह पाया गया कि बांध के क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 6.5 तक की तीव्रता के कम्पन आने की आशंका है।

केरल के लोगों ने तमिलनाडु के साथ हमेशा मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। केरल राज्य सरकार ने अब

जीर्णशीर्ण ढांचें की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांध की भंडारण क्षमता स्तर को कम करने का निर्णय लिया है जबकि तमिलनाडु को पानी की मात्रा के किए गए वायदे से एक बूंद भी पानी की आपूर्ति को कम नहीं करने पर जोर दिया है। यह बहुत पहले ही साबित हो गया था कि केवल एक नया बांध ही, नदी के निचले हिस्सों में रह रहे तीस लाख से अधिक लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएगा जिनकी जीवन बांध की तलहटी में बार-बार होने वाले कंपनों से बारह महीने खतरे में रहती है। केरल सरकार एक नए बांध के निर्माण का निर्णय लेकर आपदा की स्थिति में नदी के निचले हिस्सों में रहने वाले तीस लाख से अधिक लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सभी से गंभीरतापूर्वक अपील करता हूं कि वे केरल सरकार के आदान-प्रदान की भावना के निर्णय को मानेंगे। मौजूदा बांध क्षेत्र में नीचे के हिस्से में और तमिलनाडु के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों जिनकी जीविका मुल्लापेरियार बांध के पानी की आपूर्ति पर निर्भर है, के व्यापक हित में एक बांध के निर्माण के लिए केरल सरकार द्वारा दिया गया तर्क बुद्धिमत्तापूर्ण एवं व्यावहारिक है इसलिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल और तमिलनाडु दोनों सरकारों की आपसी सहमति से इस मुद्दे का समाधान करे।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाएँ, महँगाई पर चर्चा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप लोग बैठ जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह बहुत महत्त्वपूर्ण चर्चा है।

....(व्यवधान)

अपराह्न: 12:06$^1/_4$ बजे

इस समय श्री सी. राजेंद्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाए। बहुत दिनों से सभी चाहते थे कि महंगाई और इनफ्लेशन पर चर्चा हो। 193 के तहत चर्चा लगी हुई है। सबकी इच्छा इस पर चर्चा करने की है और जनता भी देख रही है। आप चर्चा शुरू होने दीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त

अपराह्न: 12:07 बजे

इस समय श्री एस. सेम्मलई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, आज उन्हें क्या हो गया? आज वे अपने स्थानों पर क्यों खड़े हो गए?

...(व्यवधान)

(हिंदी)

अध्यक्ष महोदया : महँगाई पर चर्चा चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइए। गुरुदास जी को बोलने दीजिए। प्रश्नकाल भी स्थगित हो गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : गुरुदास जी आप चर्चा शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : अब सभा अपराह्न 2 बजे तक पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्नः 12:12 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराहन 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराहनः 2:00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2:00 बजे पुनः समवेत हुई।

*[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]*

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत में मूल्य वृद्धि की स्थिति।

[हिन्दी]

अब हम नियम-193 के अधीन चर्चा करेंगे गुरुदास जी

उपाध्यक्ष महोदयः समय चार घंटे निर्धारित किया गया है। छः बजे तक हमें इसे खत्म करना है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): इतने समय में कैसे खत्म होगा?

उपाध्यक्ष महोदयः हो जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्यः महंगाई ऐसा मुद्दा है, सात-आठ बजे तक भी ख़त्म नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदयः अभी जो समय दिया गया है, उसमें डिस्कशन कीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी है, हाउस की मेहरबानी है कि करीब दस दिनों के बाद महंगाई के सवाल पर बातचीत करने का हमें मौका मिला। आपने हमारा नाम गलत तरीके से बुलाया, इसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, हमने गलत नहीं, अधूरा नाम बोला था। हमने गुरुदास बोला था, दासगुप्त छूट गया था।

श्री गुरुदास दासगुप्तः हम सरकार को भी बधाई देते हैं, अपोजीशन और सब लोगों को बधाई देते हैं। लेकिन महंगाई के मुद्दे को इतनी देर करके टेक अप करना ठीक नहीं है। आप जनता के बारे में विचार करें, आप हमारी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन जनता में इसके बारे में नाराजगी है, रोष है, चिंता है। जनता चाहती है कि महंगाई के बारे में हम लोग बातचीत करें और सरकार भी हमें बताए कि वह ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहती है।

[अनुवाद]

महोदय, मुद्दा यह है कि सरकार को इस बात से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मूल्यों में राहत है। इस बार में वक्तव्य दिए जा रहे हैं और टेलीवीजन पर समाचारों की भरमार है-मैं पेड न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं कि मूल्य कम होकर बहुत ही उचित स्तर पर आ गए हैं।

[हिन्दी]

सरकार द्वारा यह बात मानना ठीक नहीं है और यह बात हमारे द्वारा मानना भी ठीक नहीं है। प्रणव बाबू बाजार में जाते हैं या नहीं जाते हैं, हम यह नहीं बोलेंगे। वह बहुत इम्पार्टेन्ट फायर फाइटिंग का कार्य कर रहे हैं, सरकार देखने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम बाजार जाते हैं, आज भिंडी के दाम 75 रुपये प्रति किलो हैं। ...*(व्यवधान)* मन नहीं हैं। आप क्या बात कर रहे हैं। यही नहीं 75 रुपये किलो भिंडी हम दिल्ली के भाव बता रहे हैं। अब मैं कोलकाता के बारे में बताता हूं, लेक मार्केट में परवल का दाम 80 रुपये है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी किलो में है?

श्री गुरुदास दासगुप्त : हां। आलू 12 रुपये और यदि मदर डेयरी में जाते हैं तो 11 रुपये 80 पैसे किलो का रेट है।

[अनुवाद]

यह एक अस्थाई राहत है। देश के ऊपर हावी दहाई के आँकड़े को छूते मुद्रास्फीति में कोई बड़े परिवर्तन का संकेत नहीं है। कुछ मौसमी सब्जियों की आवक के कारण यह एक अस्थाई राहत है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ मौसमी सब्जियों के दाम कम हुए हैं। लेकिन, आसमान छूती कीमतों का सामान्य दृश्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इसे देश में समग्र रूप से उन लोगों का समझने दे जो सत्ता में हैं और उनको समझने दो जो सत्ता में नहीं हैं।

महोदय, मूल रूप से हम मूल्य वृद्धि के संकट विशेष रूप से खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों पर चर्चा कर रहे हैं। हम 4 अगस्त, 2011 को इस सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प की पृष्ठभूमि में इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस संकल्प के माध्यम से सरकार को चाहिए कि वह मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कारगर

कदम उठाए। यह संसद का जनादेश था। मैं क्षमा चाहता हूँ संसदीय जनादेश का उल्लंघन किया गया है।

इसलिए, महोदय, आज हम मूल्य वृद्धि के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत संकल्प के उल्लंघन की चर्चा कर रहे हैं। हम केवल मूल्य वृद्धि पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के कार्यान्वयन में सरकार की पूरी तरह से विफलता के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इसमें सरकार की नीति में कुछ गुणत्मक परिवर्तन जाएँगे। लेकिन हमारी उम्मीदें पूरी नहीं की गई हैं। यह सब एक सपना है, संसदीय निर्णय एक सपना है, एक कल्पना है, सब झूठी है, लेकिन यह एक विकल्प है। यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह संकल्प का पालन करे अथवा न करें। सरकार की इच्छाशक्ति से ही इस बारे में निर्णय हो सकता है। क्या मैं सरकार से एक बात पूछ सकता हूं क्या एक कार्यशील लोकतंत्र, जिस पर आज हम भारत में गर्व करते हैं, को चलाने का यही तरीका है?

इसलिए, पिछले कुछ वर्षों से महंगाई निरंतर जारी है और ऐसा एक वर्ष से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से हो रहा है। सरकार द्वारा कार्रवाई न करना भी जारी है। महंगाई निरंतर जारी है और सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किया जाना भी जारी है। दुर्भाग्यवश, बात यह है कि महंगाई सरकार के राजनितिक निर्णय लेने वाले तंत्र के केंद्र बिंदु में कभी भी नहीं रहती है। इसे हमेशा गौण मुद्दा कहा जाता है। हमेशा यह कहा जाता है कि जब भी प्रगति और विकास होगा तब महंगाई होगी और हमेशा यह कहा जाता है कि इसमें मेल नहीं है। हर समय यह कहा जाता है कि लोग अधिक खा रहे हैं और हर समय यह कहा जाता है कि खानपान संबंधी आदतें बदली जानी चाहिए। इसे आर्थिक तंत्र की मूलभूत रुग्णता के रूप में नहीं लिया जाता है। इसे एक गौण मुद्दे के रूप में नहीं लिया जाता है।

इस प्रकार, संकट में इस मुद्दे के उठाए जाने के बावजूद भी हम जहां के तहां हैं, संकट में संकल्प स्वीकर करने के बावजूद भी हम वहीं पर हैं जहां हम पहले थे और देश दोहरे अंक वाली, आसमान को छू रही मुद्रास्फीति की पकड़ में शिथिल हो रहा है। [हिन्दी] शरद पवार जी टोमाटो के बारे में मत बताओ, दाल के बारे में बताओ। टोमेटो के बारे में मत बताओ, आटा के बारे में बताओ। [अनुवाद] कुछ चीजों के दाम कम हुए है। यह कुछ सब्जियों के बारे में तो सही है लेकिन यह केवल मौसमी राहत है। कृपया इस बात से संतुष्ट न हों। मुद्दे की बात यह है कि जब हम पूछते हैं कि महंगाई क्यों हैं तो यह उत्तर दिया जाता है कि स्थिति बेमेल है।

बेमेल क्या है? वे कहते हैं कि लोग ज्यादा खा रहे हैं। कृपया, इस बात की कल्पना उस देश के साथ कीजिए जहां विश्व के सर्वाधिक गरीब लोग रहते हैं। आज भी मानव विकास रिपोर्ट कहती है कि इस देश में 33 करोड़ लोग गरीब हैं।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): लगभग 61 करोड़ हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : नहीं, मैं सरकारी आँकड़ा बता रहा हूं। मुझे वास्तविकता पता है। वे कह रहे हैं कि यह संख्या 33 करोड़ है। लोग ज्यादा खा रहे हैं। यह बात कौन कह रहा है? यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं जो कि प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं।

महोदय, क्या मैं आर्थिक नीति पर निर्णय लेने के पद पर बिठाए गए लोगों की अज्ञानता पर हंसूं? क्या मैं उनकी अज्ञानता पर हंसूं या प्रशासन के नेताओं जिन्हें नीति निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं खोखलेपन के प्रति आंक्रोश जाहिर करूं? यह सरकारी नीति की पूर्ण असफलता है। यह अर्थव्यवस्था का पूर्ण रूप से कुप्रबंध है।

सरकार किस प्रकार से किस दिशा में जा रही है उसके बारे में मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। मैं जानता हूं किसे मुझे उत्तर देंगे क्योंकि वह सुन रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि संयुक्त संसदीय समिति के मेरे सभापति मेरी बात सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें जवाब देना है। ठीक है। मैं उनसे दो कदमों के बारे में पूछूंगा। एक, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ऋण को महंगा कर दिया गया, रेपो रेट और रिवार्स रेपो रेट को 14 बार बढ़ाया गया, बाजार के सिकुड़ने से मंदी आ गई है और हम मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार की यह कैसी नीति हैं?

दूसरे, कभी-कभी सरकार घरेलू मांग की पूरा करने के लिए आयात करती है। कुछ वर्ष पूर्व दालों का आयात किया गया था। क्या आयातित दालें बाजार तक पहुंची? दालों की नीलामी की गई और उन्हें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा खरीदा लिया गया। दालें कहां गई? ये लोगों तक नहीं पहुंची बल्कि बड़े समृद्ध खाद्य व्यापारियों के गोदामों में पहुंची। मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। ऋण में कमी से मंदी आती है और खाद्यान्नों का आयात करने से जमाखोरों का मुनाफा बढ़ जाता है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीति स्वयं को विफल करने की है, हमेशा तो नहीं पर कभी-कभी ऐसा होता है।

महोदय, क्या मूल्य है? खाद्य मंत्री बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि अब राहत है। मैं उन्हें अपनी नहीं बल्कि उनकी सरकार के तथ्य बताना चाहूंगा। जनवरी 2011 में मुद्रास्फीति दर 9.47 प्रतिशत और सितंबर में 9.72 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति दर स्थिर है। इसलिए, यह संतुष्ट करने वाली बात नहीं हैं। यह मौसमी राहत के कारण है। पूरे वर्ष जनवरी से सितंबर तक सरकारी कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

महोदय, क्या मैं एक अन्य आंकड़े दे सकता हूं जो मेरा नहीं है? एक वर्ष पहले अर्थात् 2010-11 चालू वर्ष का में बता चुका हूं, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक औसत मुद्रास्फीति 9.4 प्रतिशत थी। यदि डब्ल्यू पी आई के आधार पर मुद्रास्फीति दर 9.4 प्रतिशत है, तो खुदरा दर क्या है? यह मेरे और उनके साथ भी लागू होता है।

इसलिए सरकार देश के खाद्यान्न के सट्टा बाजार से निपटने में वर्षों से विफल रही है। इसलिए या तो सरकार मूक दर्शक या सरकार जानबूझकर चूककर्ता है या सरकार विफल प्रशासक है। मैं किन शब्दों में कहूं? क्या मैं जानबूझकर चूककर्ता कहूं या विफल प्रशासक कहूं या मूक दर्शाक कहूं?

पुन: मैं आपको दस वर्षो के आंकड़े दे रहा हूं। इनसे आपको सारी चीजें स्पष्ट ही जाएगी। वर्ष 2001 में एक किलोग्राम चावल का मूल 10.05 रुपये था। मेरे पास अद्यतन आंकड़े नहीं हैं मेरे पास वर्ष 2010 के आंकड़े हैं। लेकिन स्थिति में सुधार नही हुई है। वर्ष 2010 में एक किग्रा. चावल की दर दोगुनी है और यह है 19.34 रुपये। यह मूल्य सतत् अबाघ, रुप से बढ़ रही है एवं एक के बाद एक उनकी सरकार सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही है। गेहूं की कीमत वर्ष 2001 में 8.39 रुपये प्रति किग्रा. थी। वर्ष 2010 में 15.64 रुपये है जो लगभग दुगुनी है। चीनी की कीमत वर्ष 2001 में 16.60 रुपये थी। वर्ष 2010 में यह 32.12 रुपये है जो दुगुनी है। वर्ष 2001 में मूंगफली तेल की कीमत 51.73 रुपये प्रति लीटर थी। वर्ष 2010 में यह 84.07 रुपये है।

[हिन्दी]

तेल तो सभी खाते हैं घर में सब्जी बनती है तो तेल तो सब खाते हैं थोड़ा बहुत। ...*(व्यवधान)* ज्यादा मत खाओ भाई, डायबिटीज हो सकती है।

[अनुवाद]

वह आलू की बात कर रहे थे। मुझे आलू के बारे में बोलने दें। वर्ष 2001 में आलू की कीमत 7.30 रुपये प्रति किग्रा. थी। आज यह 11.97 रु. है। आपको यह जानकर अच्छा लगा होगा। यह ठीक है कि वह दोगुनी नहीं हुई है पर यह लगभग दोगुनी ही है। प्याज का मूल्य वर्ष 2001 में 7.92 रुपये प्रति किग्रा. था। आज यह 18.16 रुपये है। यह कीमतें तो गरीब लोगों के लिए है। मैं व्हिस्की की कीमत की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हिस्की की कीमत नहीं बढ़ी है, सरकार की मेहरबानी है। मुझे सरकार का जरूर ही धन्यवाद करना चाहिए।

[हिन्दी]

पीते रहो, रोटी मत खाओ, पीते रहो।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैंने आपके लाभार्थ सूचना एकत्र की हूं, महोदय, ताकि आप कल की रात सस्ते बोतल प्राप्त कर सकें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय कुछ ही दिन पूर्व खाद्य पदार्थों की कीमतें बेहद ज्यादा हो गयी थी। यह कुछ दिन पहले की ही बात है। आज भले ही न हो पर पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि खाद्य पदार्थ में मुद्रास्फीति 12.21 प्रतिशत हो। यह एक विशेषता है।

दूसरी विशेषता है खुदरा कीमत एंव थोक कीमत के बीच बढ़ता अंतराल। यही तो जादू है। यह केवल अंतराल नहीं है बल्कि खुदरा मूल्य एवं थोक मूल्य के बीच अंतराल बढ़ता जा रहा है। विरोधाभास देखिए विरोध। मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है तथा महाराष्ट्र के किसान अपनी फसल को आग के हवाले कर रहे हैं क्योकि उन्हें फसल का मूल्य नहीं मिलता। जब मुद्रास्फीति है, तो किसानों को घोखा दिया जा रहा है। क्या सरकार है? सरकार से मेरा अभिप्राय राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार दोनों हैं। हमारी संघीय संरचना है। [हिंदी] आप घर से निकलने नहीं दे सकते हो। [अनुवाद] आप पूरी प्रणाली को भंग नहीं कर सकते। देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है।

तीसरी बात, मूल्यों में बढ़ोतरी से उत्पन्न समस्या है। इससे एक ओर कि मुद्रास्फीति बेहद ज्यादा होती है वहीं दूसरी ओर किसान पूरी तरह बर्बाद होते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफ सी आई भी किसानों के उत्पाद नहीं खरीद रही है। एफ सी आई में कीमतें तो ज्यादा है पर वे किसानों की उपज नहीं खरीद रहे हैं। पूरा सरकारी तंत्र, पूरी सामाजिक व्यवस्था तथा समस्त राजनीतिक प्रणाली किसानों के लिए कुछ भी करने में असमर्थ है।

महोदय, अब मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बात करूंगा। यह तो कई राज्यों में लगभग निष्क्रिय है। मैं जानता हूं कि कुछ राज्यों में यह प्रभावी है पर कई राज्यों में कोई पी डी एस नहीं है। सबसे खराब स्थिति में कौन-कौन है?

[हिन्दी]

जो आदमी के नाम पर जो आम आदमी का नाम लेकर नौजवान लीडर को भेज रहे हैं पॉलीटीकल इमैज ब्राइटन करने के लिए वही आम आदमी [अनुवाद] सबसे खराब हालत में हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 40 प्रतिशत से कुछ भी अधिक लोग गरीबी या गरीबी रेखा से नीचे हैं।

इसका अर्थ यह है कि इससे लगभग 45 करोड़ लोग प्रभावित हैं। इसकी वजह से मैं प्रभावित नहीं हूं। हमारे वेतन बढ़ाने के प्रति आप बहुत अधिक कृपालु हैं। लेकिन दूसरों के बारे में क्या कहते है? रिक्शा चालकों का क्या होगा?

महोदय, इस अप्रतिष्ठित सरकार के पूरा न किए गए वादों की लंबी दास्तान है। एक बहुत की सफल वकील भी इस सरकार का बचाव करने में शर्म महसूस करेगा क्योंकि सरकार के पास कोई रडार नहीं होना प्रतीत होता है। 'रडार' से मेरा क्या मतलब है, इसे मैं स्पष्ट नहीं करूंगा। यह एक पूर्णतः रडार रहित सरकार है।

महोदय, यहां पर यही मुद्दा है। सबसे खतरनाक बात क्या है? मुद्रास्फीति की तुलना आर्थिक मंदी से की जाती है। शुद्ध अर्थशास्त्र में, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। मुद्रास्फीति एक पक्ष है और आर्थिक मंदी दूसरा पक्ष है। पाठ्य पुस्तकों में इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जो कुछ भी इसका अभिप्राय होगा। मुझे ताज्जुब है कि मुद्रास्फीति की तुलना आर्थिक मंदी से किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी पृष्ठ भूमि क्या है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रकाशन 'विश्व आर्थिक संभावनाएं 2012' है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट में वे कहते है कि वर्ष 2012 अति मंदी वाला वर्ष होगा। उनके अनुसार विश्व दूसरे आर्थिक मंदी के कागार पर है। यह पूंजीवाद है हो सकता है आप मेरे दर्शन से सहमत नहीं हों। परंतु यह पूंजीवाद है। तीन वर्ष पूर्व संकट था। अमरीका में 300 बैंक डूब गए थे। आज फिर विश्व आर्थिक मंदी के कगार पर हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारत आर्थिक मंदी की और क्रमशः अग्रसर है।

[हिन्दी]

हमें मेहरबानी करके दो-तीन आंकड़े देने दीजिए, थोड़ा टाइम के बारे में ख्याल रखिएगा।

उपाध्यक्ष महोदयः कितना टाइम लेंगें?

श्री गुरुदास दासगुप्तः आप जितनी मेहरबानी कर सकते है, कीजिए। जब आप कहेंगे हम बैठ जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदयः अभी टाइम है, आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्तः सरल घरेलू उत्पाद अब तक के सबसे निम्न स्तर पर है। यह 7% नीचे है। कृषि विकास दर 6.7% है। सरकार की तरफ से किसी ने वक्तव्य दिया है कि इस समय कृषि में आश्चर्य जनक उत्पादन हुआ है। आप अपने आंकड़ों को न्यायोचित ठहरा सकते है और ऐसा यह सकते हैं। मेरा आंकड़ा यह है। कृषि उत्पादन 5.4 प्रतिशत से गिर कर 2.2 प्रतिशत हो गया है।

अब विनिर्माण क्षेत्र को लें। विनिर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का दिल है और यह मर्म सेवा क्षेत्र नहीं है। जो कुछ भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेक्ष आप मंगाते है या जो कुछ एफ. आई. आई आप मांगा सकते हैं और चाहे जो विकास सेवा क्षेत्र करें, अर्थव्यस्था का केंद्र विनिर्माण क्षेत्र ही हैं। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र का विकास दर भी 7.8% से घटकर 2.7% हो गया है। कृपया इस अंतर को पहचाने।

निवेश भी घट गया है। अब मैं आपकी दुविधा से समझ सकता हूं कि आप लोग खुदरा व्यापार में एफ. डी. आई. को लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि विदेशों से ज्यादा पैसा आए। मैं आपकी दुविधा को समझता हूं। भारत में निवेश 34 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत हो गया है। राजस्व संग्रहण भी घट गया है।

[हिन्दी]

चाको साहब, ख्याल रखा, बोलने का टाइम है। *(अनुवाद)* भारतीय रुपया अब तक के अपने सबसे निम्न स्तर पर है। *(हिन्दी)* आपके जो रिश्तेदार है अमेरिका में, आज उन्हें बोलिए कि आपको डॉलर भेज दे। आपका उपाय बहुत अच्छे से हो जाएगा। *(अनुवाद)* यह सबसे उपयुक्त अवसर है कि अमरीका में रहने वाले अपने संबंधियों से आप डॉलर भेजने को कहें। आपके प्रति डॉलर 52 रुपये मिलेंगे।

इसलिए, महोदय, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार हमेशा से ऐसा प्रतीत होता है।

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की): उन्होंने 1991 में देश को बचाया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया उन्हें परेशान न करें।

श्री गुरुदास दासगुप्तः मैं आपके उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं। उनके प्रति मेरी गहरी श्रद्धा है। मैं उन्हें आपसे ज्यादा जानता हू। जब वे संसद में आए थे, तभी मैं भी संसद में आया था। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पीठ को सम्बोधित करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त : प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विख्यात अर्थशास्त्री नहीं-की अगुवाई में सरकार हमेशा से गलत रही है। इसकी नीतियाँ असफल हो गई है और यह वास्तव में देश के लिए आपदा है। मैं इसे बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। मैं भयभीत नहीं हूं मुझे आपको यह बताने दें कि मैं संत्रास नहीं हूं। मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में विश्वास हैं। मुझ इसका विश्वास नहीं है कि भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था भिन्न-भिन्न हो सकती है। मुझे इसका विश्वास नहीं है। मुझे इसकी सफलता का पता है मुझे लोकतांत्रिक क्षमता का पता है। मैं भारत में रहने वाले नेकनीयत व्यक्तियों को जानता हूं, लेकिन मुझे सरकार के लिए चेतावनी घंटी बजाने दें। कृपया इसे गंभीरतापूर्वक लें। [हिंदी] सुविधाजनक परिस्थिति आपके लिए खतरनाक है और खतरनाक परिस्थितियाँ को देखने के लिए आज एकता बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

सरकार विभक्त प्रतीत होती है। राजनीतिक शासक दल विभक्त प्रतीत होता है। विवादास्पद निर्णय लेकर सदन को नहीं बाँटे। सदन को विश्वास में लें। आपको प्रत्येक व्यक्ति के समर्थन की जरूरत है। हम लोग सट्टोरियों से लड़ने के लिए आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सट्टोरियों से लड़ने काला बाजारियों से लड़ने और जमाखोरों से लड़ने के लिए आपके पास राजनीतिक इच्छाशक्ति होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री गुरुदास दासगुप्तः सर, थोड़ा और मेहरबानी कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दो मिनट का समय और दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, मैं अंतिम बिंदु पर आ रहा हूं, मैने उस संकट के बारे में बताया है जिसे कुछ लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कृपया सच्चाई को स्वीकार करें। कृषि उत्पादन में वृद्धि किए बिना खाद्यान्नों की कीमतों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में कृषि उत्पादन में अस्थिरता के समय हरित क्रांति हुई और हमने इसे गौरवन्वित किया। मुझे आज भी याद है और विद्यार्थी जीवनकाल के दौरान हमने इस विषय पर लेख लिखे। हरित क्रांति समाप्त हो चुकी है और भारतीय कृषि में काली क्रांति आरंभ हो चुकी है।

यहां तक कि पंजाब के लोग भी अपनी उपजाऊ भूमि बेच रहे हैं। वे अपनी-अपनी भूमि बेच रहे है और लंदन मे मोटर कार चलाने के लिए पासर्पोट बनवा रहे हैं। देश में पंजाबी किसानों की स्थिति ऐसी है। कृपया इस पर ध्यान दे।

महोदय, ऐसी स्थिति में मैं माननीय वित्तमंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि वे स्पष्ट करे कि कृषि निवेश में कमी क्यों हो रही है। ऋण की उपलब्धता बैंकों पर ही क्यों छोड़ दी गई है। क्या यह 32000 करोड़ रु. है। इस राशि के बारे में सब जानते है। परंतु क्या इतना दिया गया है? परंतु आश्वासन और प्रदर्शन के बीच काफी बढ़ा अंतर है।

आज भी 60 प्रतिशत किसान उच्च ऋण दर पर निर्भर हैं। खाद्य व्यापार में वृद्धि हो रही है। इस देश में नए व्यापार का विकास हो रहा है जिसे खाद्य व्यापार कहते हैं। यह क्या है? खुदरा मूल्य और थोक मूल्य के अंतर में वृद्धि हो रही है इस समय जमाखोरी और सट्टेबाजी में वृद्धि हो रही है। सट्टेबाज बाजारों की स्थापना के लिए सरकार उत्तरदायी है। मुंबई के सेंसस के उतार-चढ़ाव कें आधार पर ही वस्तु निर्धारित की जाती है। हम आगे बढ़ रहे है क्योंकि शेयर बाजार में तेजी हैं। यह पूर्णतः सट्टेबाजी है आपने पूरे देश को आत्म-समर्पित कर दिया है जमाखोरी काला बाजार और सट्टेबाजी में वृद्धि हो रही है। खाद्यान्नों का व्यापार अधिक लाभप्रद हो गया है। ऐसी स्थिति में बैंक उनका वित्त पोषण क्यों कर रहे हैं? लोगों का धन लोगों का व्यापार अब नारा है लोगों का धन कार्पोरेट का कल्याण। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में वायदा बाजार की अनुमति क्यों दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम को सख़्त क्यों नही बनाया गया है? इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। देश में कृषि के पुनरूद्वर और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यापक कार्यक्रम होने चाहिए। एक प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली होनी चाहिए बाजार के चालबाजों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को खाद्य व्यापारियों को बैंक ऋण देने पर रोक लगानी चाहिए खाद्यान्नों के आयात का उचित उपयोग होना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसका वितरण किया जाना चाहिए। ये कुछ आवश्यक कदम है जो उठाए जाने चाहिए। यदि आप गिरती अर्थव्यवस्था को निमंत्रित नही कर सकते तो आप मुद्रास्फीति को नियंत्रित नही कर सकते। हमे गिरती अर्थव्यवस्था से लड़ना चाहिए। देश में उत्पादक सामाजिक ढाचें अर्थव्यवस्था से लड़ना चाहिए। देश में उत्पादक सामाजिक ढाचें की स्थापना के लिए सरकार द्वारा भारी निवेश किया जाना चाहिए। सरकार को सामाजिक अतसंरचना को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें नौकरियों के सृजन का प्रोत्साहन और गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना चाहिए।

हमें मुद्रा स्फिती से संघर्ष करना चाहिए और साथ ही बार-बार आने वाले उतार-चढ़ाव जिससे मंदी आती है का मुकाबला करना चाहिए। हम सरकार को इमानदारी पूर्वक सुझाव दे सकते है। यह कोई राजनीतिक मंच नही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, अंत में मैं यह कहूंगा किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। नव-उदारवाद का माखौल देश को नही बचा सकता। एक वास्तविक कल्याणकारी राज्य ही लोगों की बुनियादी समस्याओं का समाधान कर सकती है।

महोदय, अपने दिल पर अपना हाथ रखे केवल यह महसूस करें कि आपके दिल में क्या है। आपको न केवल शपिंग मॉल पर ध्यान देना चाहिए बल्कि जंगल महल और देश के अन्य भागों में भुखमरी पर भी ध्यान देना चाहिए। उन पर ध्यान दीजिए आदिवासियों पिछड़े वर्गों के लोगों पर ध्यान दे। वहां से उनके मुद्दे उठाइए।

अत: मैं लोगों की ओर से जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उनकी ओर से सरकार से मांग करता हूं कि अब समय आ गया है कि वास्तविकता को स्वीकार करे मुद्दे को हल्का न करे वास्ताविकता को स्वीकार कर सरकार को मुद्रास्फीति और मंदी जिससे देश त्रस्त है का सामना करने के लिए अपातकालिक व्यापक उपाय करने के लिए लोगों के अधिदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए।

श्री पी. सी. चाको (थ्रिसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा 22 नवंबर को सभापटल पर रखे गए वक्तवय के संबंध में श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। संपूर्ण सभा तल्लीन हो कर ध्यान से सुन रही थी जो माननीय सदस्य सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे...*(व्यवधान)* महोदय, मैं पहले ही यह कह चुका हूं। मैंने आपको बधाई दी है और मेरे मन में आपके प्रति अत्यधिक सम्मान है।

इस सभा में दासगुप्त जी की प्रस्तुति को हमेशा ध्यानपूर्वक सुना जाता है और इसलिए हम सब उनके प्रशंसक है परंतु आज उनकी तरफ से वह अभिरूचि नहीं दिखाई दे रही थी। संभवत: उनकी वाणी में नैराश्य की थी क्योंकि उन्होंने कहा कि मंत्री और सरकार को इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह अस्थाई विराम है। यह स्वीकारोक्ति उनकों काफी हतोत्साहित करने वाली प्रतीत हो रही है।

हमने इस सभा में 4 अगस्त 2011 वो इस विषय पर चर्चा की थी। श्री दासगुप्त की निराश का कारण यह है कि 4 अगस्त 2011 को इस देश में खाद्य मूल्य वृद्धि 18.2 प्रतिशत थी। संभवत: यह वह अवसर था जब वे सरकार को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर सकते थे। फरवरी, 2010 भारत में खाद्य मूल्य वृद्धि 22 प्रतिशत थी और जब हमने इस सभा में अंतिम बार चर्चा की थी, तो यह 18.2 प्रतिशत थी। आज हम माननीय वित्त मंत्री जी की बात सुनने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चर्चा के अंत में वित्त मंत्री जी हमें कुछ अच्छी सूचना देंगे। मेरी जानकारी के अनुसार खाद्य मूल्य वृद्धि कम होकर आठ प्रतिशत से कम रह गई है। यदि यह 22 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत और 18 प्रतिशत से घटकर आठ प्रतिशत हो गई है, तो निराशा की बात तो स्वाभाविक ही है और हमें अन्यत्र कोई कारण खोजने की आवश्यकता नहीं है।

परंतु इसमें एक बात है। हम भारत जैसी एक विकासशील अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति का सामना क्यों कर रहे हैं। क्या यह एक पृथक मामला है? क्या यह सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण है? हम सबने आशा की थी कि, जो भी चर्चा की जा रही है, जो भी वास्तविकता है, दासगुप्त जी इसको मार्क्सवादी विशिष्ट शब्दावली के साथ समाप्त करेंगे। पुरानी पड़ चुकी आदिवासी विचारधारा का इस युग में कोई औचित्य नहीं है। यहां तक कि साम्यवादी चीन भी बाजार अर्थव्यवस्था को अपना रहा है...*(व्यवधान)*

हां, मैं इस पर वापस आ रहा हूं। अपने भाषण के अंत में, वह निष्कर्ष में कह रहे थे कि यह इस देश की नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण है, जब मेरे मित्र श्री पी.टी. थॉमस उनकी कही गई बातों को ठीक कर रहे थे, दासगुप्त जी थोड़े अप्रसन्न थे। श्री थॉमस ने कहा कि वर्ष 1991 में जब भारत ऋण भार से दबा हुआ था और डॉ. मनमोहन सिंह जी ने ही वित्त मंत्री के रूप में इस देश की अर्थव्यवस्था को उबारा था। दासगुप्त जी हर किसी को यह बात याद रखनी चाहिए। समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है परंतु हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और तथ्य यह हैं कि क्या पिछले 20 वर्षों में देश में हमारे द्वारा लागू की गई नीतियां इस देश के लिए ठीक रही हैं या नहीं। हमें यह समझना होगा इस स्थिति का हमें बहुत ही गंभीरता से विश्लेषण करना होगा, हमने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। चूंकि दासगुप्त जी द्वारा बिल्कुल सही कहा गया सर्वसम्मति से संकल्प स्वीकार करने का निर्णय लिया हमने एक संकल्प स्वीकृत किया। हमने सरकार को महंगाई रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए निदेश दिया। आज यदि यह घटकर आठ प्रतिशत से भी कम रह गई है, तो वित्त मंत्री या इस पक्ष की ओर से अथवा उस पक्ष की ओर से कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। यह एक सुखद स्थिति नहीं है। यह एक अनुकूल स्थिति नहीं है। हमें मुद्रास्फीति को घटाकर पांच और छह प्रतिशत के बीच लाना होगा।

इस स्थिति में क्या यह संभव है या नहीं हमें सामूहिक रूप में प्रयास करना होगा। इस देश को इसकी आवश्यकता है कि क्योंकि मुद्रास्फीति संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को चरमरा रही हैं। खाद्य उत्पादन की कमी, तेल के मूल्यों में वृद्धि और ऐसे अनेक मुद्दे हैं। यूरोजोन संकट भी है। अमरीका की अर्थव्यवस्था संकट का सामना कर रही है। हमारी अर्थव्यवस्था इससे अलग-थलग नहीं है, विश्व आज वैश्विक ग्राम है, आज विश्व के किसी भी भाग में यदि कुछ भी होता है तो प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होती है।

इसलिए जब किसी देश में नकदी का संकट होता है, जब वित्तीय संकट होता है, तो हम नहीं कह सकते कि यह हमारी समस्या नहीं है। उनकी समस्या है। प्रत्येक समस्या का हमारे यहां पर भी प्रकार पड़ता हैं। किंतु आज कई विकसित देशों की नकदी संबंधी समस्या एक तरह से हमारी समस्या को अतिक्रमित कर रही है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रही है। निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं कि आपूर्ति और मांग में अंतर है। मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि का तात्पर्य है कि मांग और आपूर्ति में अंतर है। यदि प्रश्न यह है कि क्या इस सरकार ने कोई कदम उठाया है तो यह प्रश्न बड़ा तर्कसंगत है। सरकार इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। गत वर्ष के बजट को पेश करते हुए उन्होंने कहा था। कि भारत को दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। कृषि मंत्री जी भी यहीं बैठे हैं। कृषि मंत्रालय या वित्त मंत्रालय ने जो किया है वह एक सामूहिक निर्णय है। भारत को दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। दाल की आपूर्ति कम है, आनाज की आपूर्ति कम है। हम इस पर गर्व कर सकते हैं कि भारत विश्व में गेंहू का सबसे बड़ा उत्पादक देश हैं, भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश हैं, भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। पचास के दशक की बात है जब हम अपने लोगों का पेट भरने के लिए विश्व के कई देशों से सहायता मांगते थे, परंतु आज हम अन्य देशों जहां भुखमरी है, को भारतीय पत्तनों से खाद्यान्न भेज सकते हैं। यह कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धि है। आप इसे आसानी से भूल सकते हैं। किंतु आज की वर्तमान स्थिति में जब देश मुद्रास्फीति और महंगाई का सामना कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं? सरकार ने उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त कोई और आसान रास्ता नहीं हैं। हम किसी भी मामले की व्याख्या कर सकते हैं। किंतु खाद्य के क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता आवश्यक है।

इस बजट में, सरकार ने विशेष रूप से दालों के उत्पादन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्धारित किया है। एक विशेष योजना थी और इसके लिए सरकार द्वारा हर तरह से प्रयास किए गए हैं। हमारी आबादी का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा कृषि कार्य में लगा

हुआ है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता और उत्पादन बढाना है और हम यह उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। अचानक ही हम खाद्य उत्पादन और उत्पादकता को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसमें समय लगेगा। मुद्दा यह है कि क्या सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हमें ऐसे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं जिससे मुद्रास्फीति और मूल्यों में कमी आएगी। माननीय वित्त मंत्री ने हमें यह बताया है, किंतु मुझे नहीं मालूम कि यह बात किसी ने सुनी है या नहीं। किंतु यदि हमें में से सभी ने इसे सुना है तो हम यह स्थिति देख सकते हैं कि एक या दो महीने में क्या हो रहा है।

जब श्री गुरुदास दासगुप्त ने इस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो मुद्रास्फीति दर क्या थी? पिछले 48 घंटे में क्या हुआ? हमें अपनी खुली आंखों से देखना चाहिए। वित्त मंत्री ने अच्छे परिणाम के लिए दो महीने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। हमें इसके लिए आशान्वित होकर प्रतीक्षा करनी होगी। यह देश इसी दिशा की ओर बढ़ रहा है।

उसके पश्चात्, मैं निर्यात पर चुनिंदा प्रतिबंध के संबंध में उत्तर दूंगा। जब खाद्य उत्पाद मंहगें हों और उपलब्ध नहीं हों, जब आपूर्ति कम हो तो हमें निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि यह सरकार असफल हो गयी है? हमने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, हमने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिस किसी वस्तु की आपूर्ति कम थी उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चीनी और प्याज दो ऐसे उदाहरण हैं।

वायदा व्यापार के संबंध में श्री गुरुदास दासगुप्त कह रहे थे कि वायदा व्यापार में बड़े पैमाने पर कारोबार किया जा रहा है। मार्ग पर दुनिया अग्रसर हो रही है उस मार्ग से हम अपने-आप को अलग नहीं रख सकते। वस्तु से संबंधित वायदा व्यापार संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। विश्व भर में वायदा व्यापार का साठ प्रतिशत हिस्सा चीन का है। इसलिए, यदि यह हो रहा है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह गलत है। किंतु जैसा कि विद्वान सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त ने कहा है कि भारत में वायदा व्यापार महँगाई का एक कारण है। इस देश में चावल के वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्तः चीन आपका मॉडल हो सकता है किंतु हमारा नहीं। वह जो कुछ भी कर रहा है, वह यहां सही नहीं है। मुझे भारतीय मॉडल में विश्वास है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाकोः यह बात आप को बुरी लगी। मैंने केवल दो तुलनात्मक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कहा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए।

श्री पी.सी. चाको : यदि किसी व्यक्ति को अपराध-बोध हो रहा है। तो उसके लिए में जिम्मेदार नहीं हूं। मैनें केवल चीन का उल्लेख किया क्योंकि ये दोनों आकार की दृष्टि से तुलनीय अर्थव्यवस्थाएं है। ऐसा इसलिए नहीं कि वे कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा शासित है। मुझे नहीं मालूम कि वहां कही भी वास्तविक कम्यूनिस्ट पार्टी है या नहीं। यह मेरा आशय नहीं है। मैंने यह कहा कि आकार की दृष्टि ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं तुलनीय हैं। भारत में सरकार ने चावल, अनाज और दालों के वायदा बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। यदि इस सरकार ने यह कदम उठाया है तो क्या कोई भी व्यक्ति इसके लिए दोषी ठहरा सकता है? क्या कोई व्यक्ति इस बात से अप्रसन्न हो सकता है कि इन चीजों के निर्यात पर प्रतिबंध है और वायदा बाजार प्रतिबंधित है? यह उस सरकार के कारण है तथा सभा के निर्णयानुसार है। यह सभा प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करती है। और उसी भावना के अनरूप इसका क्रियान्वयन वायदा बाजार के लिए किया जा रहा था।

कुछ चुनिंदे खाद्य पदार्थों पर आयात शुल्क था। दालों का आयात किया गया। खाद्य तेल का आयात किया गया। चीनी का आयात किया गया। हम ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार था। मुझे याद है कि 1990 के दशक में श्री गुरुदास दासगुप्त भी इस सभा के सदस्य थे तथा यहां बैठे बहुत से वरिष्ठ सदस्यों ने 1991 में ऐसा देखा है कि हमारे पास एक सप्ताह का राशन आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार नही था आज भारत को किसी आई एम एफ या विश्व बैंक का सहयोग नहीं चाहिए। हमारे देश में जिस भी चीज की कमी है, उसके आयात के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है।

सभा में 4 अगस्त के संकल्प के बाद इस सरकार ने निर्णय लिया था कि जहां कहीं खाद्य पदार्थों विशेषकर चीनी, दालें और खाद्य तेलों की कमी होगी, तो वहां इनका आयात किया जाएगा। क्या आज सरकार को पी डी एस के माध्यम से वितरित किए जाने वाले दालों और खाद्य तेलों के आयात करने के लिए दोषी रहे हैं? उन्होने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन जहां भी पी डी एस कार्य कर रही हैं, वहां आयातित खाद्य तेलों और दालों का वितरण किया गया। ऐसा नहीं

है कि इसकी नीलामी की गई और कोई व्यक्ति इसे लेकर चला गया, यह काल्पनिक कथा हो सकती है।

अधिक मात्रा में नान-लेवी चीनी जारी करने के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि बाजार में और अधिक चीनी जारी कर दी गई। क्या यह मुद्रास्फीति और मंहगाई वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं है? राजकोषीय सहायता वापस ले ली गई थी। इसे वापस ले लिया गया था। जब विश्व वित्तीय संकट से गुजर रहा था तो कई देशों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए मुद्रा प्रवाह को बढा दिया गया। इसने हमें भी प्रभावित किया। लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया गया सभी राजकोषीय सहायता वापास ले ली गयी।

उन्होनें ठीक कहा है, कुछ हानियां और भी हुई हैं। भारत 9.2 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त कर रहा था। अब हम कहां पहुंच चुके है? पांच वर्ष पहले हमारी वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत थी। इस वर्ष हमारी वृद्धि दर गिर गई है और यह अब 6.9 या 7 प्रतिशत है। यह एक बड़ी त्रासदी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि देश में गरीबी और बेरोजगारी है तो इसका कोई शीघ्र समाधान नहीं है। कोई शब्दजाल इसका समाधान नहीं कर सकता। किसी नारे से इसका समाधान नहीं हो सकता। इसका समाधान केवल उत्पादन बढ़ाकर किया जा सकता है। भारत की जी डी पी वृद्धि दो अंकों को पार कर सकती थी। हम लगभग 9.7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच चुके थे। यदि यह नौ प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि बारह वर्षों में यह दोगुनी हो जाएगी। कृषि उत्पादन दोगुना हो जाएगा, औद्योगिक विकास भी दोगुना हो जाएगा। यही हम भारत में गरीबी, बेरोजगारी नहीं चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि प्रत्येक भारतीय के सिर पर छत हो तो हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। लेकिन कड़ी मौद्रिक स्थिति मैं जब हमने कुछ कदम उठाया तो इससे हमारी वृद्धि भी प्रभावित हुई है। हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन आप दोष नहीं लगा सकते कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। जब मुद्रास्फीति होती है तो सरकार कदम उठाती है। आपने ठीक ही कहा है देश के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिर्जाव बैंक ने तेरह बार रेटो दर में वृद्धि की है। इसमें क्या हुआ? यह 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई है। मुद्रा मंहगी हो गयी है। यदि मुद्रा मंहगी हो जाती है तो इसका अपना ही प्रभाव होता है। इससे उत्पादन प्रभावित होता है। इससे औद्योगिक वृद्धि प्रभावित होती है। आज यह दर 6.9 प्रतिशत है तो यह संसद के निर्देशनुसार उठाए गए कठोर कदमों के कारण है। मन से या बेमन से सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए गए लेकिन परिणाम यह है कि इसमें हमारी वृद्धि को प्रभावित किया है। हमें इन दोनों के बीच संतुलन रखना होगा। साथ ही, इस सभा से मेरी एक मात्र अपील यह है कि सरकार पर यह आरोप न लगाया जाए कि इसने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।

सरकार द्वारा तरलता दर को नियंत्रित करने के लिए रेटो रेट रिविजन और रिज़र्व रेटो रेट रिविजन तथा प्रभावी कदम उठाए गए हैं उनसे हमको ऐस स्तर तक पहुंचने में मदद मिली है जिससे खाद्य मुद्रास्फीति 22 प्रतिशत से गिरकर 8 प्रतिशत होने जा रही है। मैं समझ सकता हूं कि यह एक अस्वीकार्य स्तर है और हमें इसे 5 या 6 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हममें सामूहिक समझदारी होनी चाहिए।

आज एक सप्ताह की दिक्कत के बाद हमें यह अवसर मिला है। मैं श्री गुरुदास दासगुप्त का आभारी हूं। यदि इसमें कुछ सुधार है, तो सरकार को कम से कम बधाई देने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है। आप उदारीकरण कार्यक्रम से सहमत नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन, इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी भी कार्य और सभी कार्यों के लिए आप सरकार को बदनाम करें। राजनैतिक दलों का यह रवैया नहीं होना चाहिए। मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं कि अपना भाषण समाप्त करते समय श्री गुरुदास दासगुप्त को कहना चाहिए था कि इन सभी कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी आपने अपना कार्य बहुत अच्छे प्रकार से किया है और मैं आपको बधाई देता हूं ....*(व्यवधान)*

नॉर्थ ब्लॉक में बैठे वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को संपूर्ण देश को नियंत्रित करना पड़ता हैं। राज्य सरकारों का क्या कार्य है? पश्चिम बंगाल का शासन 34 साल उनके सहयोग से चला था। कितने छापे मारे गए थे? आपकी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए थे? यदि एक राज्य में जमाखोरी है, तो क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य डॉ. डोम की कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

....*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको: अभी हाल ही में वे सीपीआई (एम) की पकड़ और अत्याचार से बाहर आए हैं। अब हम कोलकाता में अंतर देख सकते हैं जहां पर खाद्य पदार्थों की कीमत भी कम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

होंगी। जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बांट कर निभानी चाहिए। केंद्र सरकार जब कदम उठा रही है, तो जहाँ कहीं भी जमाखोरी है उसके लिए राज्य सरकार को भी छापेमारी करके सहयोग करना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन, जहां कहीं भी दोनों सरकारों द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जानी है और यदि ऐसा नहीं होता है, तो पुनः अकेले केंद्र सरकार और वित्तमंत्री के विरुद्ध आरोप लगाना ठीक नहीं है।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कीमत में वृद्धि नहीं हुई है या महँगाई नहीं है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कतिपय मदों की कीमतों का उल्लेख किया है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह कीमतें बहुत अधिक हैं। यह कीमतें एक अस्वीकार्य स्तर पर हैं। लेकिन, जब अपने 4 अगस्त, 2011 को इसी प्रस्ताव की चर्चा की तब गेहूं की कीमत रु 15.70 रुपये थी। आज यह 15 रुपये से कम है। फिर भी आज इस सरकार पर यह कह कर आरोप लगा रहे हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं। यह 15 रुपये भी स्वीकार्य नहीं है, यह कम होनी चाहिए। गेहूं और चावल का समर्थन मूल्य कितनी बार हमने बढ़ाया है? इस देश में आप किसानों को भूल सकते हैं जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन हम उनको नहीं भूल सकते हैं। यह सं. प्र. ग. सरकार चावल और गेहूं का समर्थन मूल्य सात बार बढ़ा चुकी है और यह तय है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको : 4 अगस्त 2011 को जब इस सदन में कीमत वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, दासगुप्त जी मुख्य वक्ता थे। उस समय चीनी 44 रुपये किलो थी, आज यह 32 रुपये प्रति किलोग्राम है और ये पुनः सरकार के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि 32 रुपये भी अधिक हैं और यह कम होने चाहिए। क्या यह सरकार विफल हो चुकी है या यह सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है? पिछली बार जब यह सदन इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा था तब अरहर दाल 82 रुपये प्रति किलोग्राम थी। आज यह कम होकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। यह अभी भी अधिक है। क्या इस सरकार ने कोई निर्णय लिया है या नहीं? स्थिति ऐसी है कि केंद्र में जो सरकार है वह आम आदमी की सरकार है जो कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि हमने कतिपय कार्यों को नहीं किया है। यदि यह सरकार चेतना यात्रा निकालकर मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि को नियंत्रित कर सकती होती तो हमने यह पहले ही कर लिया होता। यदि कीमत वृद्धि कम हो जाती है, तो हम रथ यात्रा निकालने के लिए तैयार हैं...*(व्यवधान)*

लेकिन आर्थिक नीति इस प्रकार के पैतरों से नहीं चलती ...*(व्यवधान)*

प्रभावी आर्थिक नीति के संबंध में आर्थिक नीति सं.प्र.ग. सरकार द्वारा 1991 और उसके बाद से लागू की जा रही हैं और आज भी सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और यही समस्या का एकमात्र समाधान है ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : किसी माननीय सदस्य की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

....*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको : पूरे विश्व में यह कहा जाता है कि मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि पूरे विश्व की समस्या है ...*(व्यवधान)* मैंने कहा कि स्थिति ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी.सी. चाको : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जब मैंने कुछ देशों में आर्थिक परिदृश्य को उजागर किया तो कुछ लोग बहुत दुःखी थे। लेकिन, आज एक तुलनात्मक स्थिति में रूस, ऑस्ट्रेलिया और चीन में मुद्रास्फीति की दर को सभी को देखना चाहिए।

चीन की अर्थव्यवस्था हमेशा एक निम्न मुद्रास्फीति की अर्थव्यवस्था रही है। उस समय वहां मुद्रास्फीति 0.25 प्रतिशत थी, लेकिन आज यह 5.25 प्रतिशत है। ...*(व्यवधान)* भारत की स्थिति

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को जायज नहीं ठहरा रहा हूं। मैं मात्र यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार और रिज़र्व बैंक राज्य सरकार और यहां उपस्थित सभी के सहयोग से प्रभावी प्रशासनिक कदमों के अलावा समावेशी निर्णय ले रही है।

हमें मंहगाई और मुद्रास्फीति की चुनौती का सामना करना पड़ेगा और विश्वास है कि हमारी जीत होगी और हमें सफलता मिलेगी। मैं केवल इस सरकार के आलोचकों की मन स्थिति मैं परिवर्तन चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। अगली वक्ता श्रीमती सुषमा स्वराज हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इस सदन में महंगाई की चर्चा अभिशप्त हो चुकी है। हर सत्र में हम यह कोशिश करते हैं कि महंगाई पर पहले दिन की चर्चा हो, लेकिन हर बार यह चर्चा किसी न किसी कारण से उलझ जाती है और कई-कई दिन तक रुकी रहती है। फिर बहुत चीजों के सुलझने के बाद शुरू होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। हमारे वामपंथी साथियों ने महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव दिया था। उस पर दो दिन तक कार्यवाही बाधित रही। तीसरे दिन 24 तारीख को स्पीकर साहिबा ने उस स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, तो उनके कक्ष में बैठकर हमने तय किया कि नियम 193 पर ही चर्चा कर लेंगे, मगर आज ही चर्चा करेंगे। 24 तारीख की शाम को उस सहमति के अनुसार हम सदन में आये। शरद यादव जी बैठे थे, गुरुदास दास गुप्ता जी ने उस पर बोलना प्रारंभ भी कर दिया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इतना व्यवधान डाला गया कि फिर कार्यवाही स्थगित हो गयी और सदन उठ गया। उसी दिन रात को सरकार ने एक ऐसा निर्णय कर लिया, जिससे समूचा विपक्ष उद्वेलित तो हुआ ही, साथ ही सरकार के अपने घटक दलों के लोग, सरकार के सहयोगी दलों के नेता भी उस निर्णय के विरोध में खड़े हो गये और एक सप्ताह उसमें गुजर गया। परन्तु मैं प्रणब दा को धन्यवाद देना चाहूंगी जिनकी पहल पर, जिनकी सक्रियता से सबसे बातचीत करने के बाद कल उस फैसले को लंबित रखने का एक निर्णय हुआ। यह भी तय हुआ कि सदन की कार्यवाही चले और कल सदन की कार्यवाही चली। कल यह तय हुआ कि हम आज 12 बजे यह चर्चा प्रारंभ करेंगे, लेकिन आज 12 बजे एक नया मसला आ खड़ा हुआ। बहुत पहले से हमारा यह स्टैंड रहा है कि टू जी स्पैक्ट्रम में जो दोष, अपराध श्री राजा का है, वही चिदम्बरम जी का भी है, इसलिए हम प्रधान मंत्री जी से चाहते हैं कि उनका भी इस्तीफा लिया जाये। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्रीमती सुषमा स्वराज जी की बात के अलावा किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदयः अप सब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराजः लेकिन प्रधान मंत्री जी ने श्री राजा का इस्तीफा ले लिया और चिदम्बरम जी का नहीं लिया। इसके लिए हम बार-बार उनके इस्तीफे की मांग करते रहे। आज चूंकि उसमें एक नया आयाम जुड़ा, इसलिए हमने वही मांग फिर से उठायी। उसके कारण फिर कार्यवाही बाधित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन प्रणब जी गवाह है, दोपहर में प्रणब जी का फोन मुझे आया, तो मैंने तुरंत कहा कि हमारी मांग अपनी जगह बरकरार रहेगी, लेकिन सदन की कार्यवाही चलेगी और दो बजे से हम प्राइस राइज पर चर्चा शुरू करेंगे। मुझे खुशी है कि बहुत शांति से वह चर्चा प्रारंभ हुई, चाको जी ने बीच-बीच में कुछ जगह प्रवोक करने की कोशिश की, जिसके कारण थोड़ा-बहुत व्यवधान हुआ, लेकिन चर्चा आगे बढ़ रही है।

उपाध्यक्ष जी, यह पंद्रहवीं लोक सभा का नौवां सत्र है और मैं प्रणब दा को याद दिलाना चाहती हूं कि वह चाहे वित्त मंत्री थे, चाहे नहीं थे, मगर हम हर सत्र में सरकार को महंगाई पर झकझोरते रहे। परंतु पता नहीं क्या कारण है कि आम आदमी के दर्द की परवाह किए बिना आंख मींचकर और कान भींचकर यह सरकार अपनी राह पर चली जा ही है। दो बार इस सदन से प्रस्ताव पारित हुए, मुझे दुख हुआ प्रणव दा, कि उस प्रस्ताव का जवाब देते हुए जो वक्तव्य अपने सदन के पटल पर रखा, वह बहुत तकनीकियों से भरा हुआ है। यह एक बेहद तकनीकी वक्तव्य है। आपने महंगाई के जाल में फंसे हुए व्यक्ति को आंकड़ों के मकड़जाल में फंसाने की कोशिश की है। यह आपका 11 पन्नों का वक्तव्य है और पहले पांच पन्नों में 34 बार आंकड़े दिए गए हैं, मैंने बहुत बार कहा कि महंगाई से मर रहे व्यक्ति का पेट आंकड़ों से नहीं भरता, दानों से भरता है, लेकिन आप लोग बार-बार परसेंटेज में बात करके आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। केवल आंकड़े ही नहीं देते हैं, आपके मंत्रीगण अजीब से अजीब तर्क देकर महंगाई का औचित्य भी ठहराने की कोशिश करते हैं। कभी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपके एक मंत्री कहते हैं कि गरीबों ने ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया है, इसलिए महंगाई बढ़ गयी है। कभी आपके मंत्री कहते हैं कि किसानों को ज्यादा दाम देना शुरू कर दिया है, इसलिए महंगाई बढ़ गयी, कभी कहते हैं कि अंतराष्ट्रीय जगत में कीमतें बढ़ गयीं इसलिए महंगाई बढ़ गयी और हालिया बयान कृषि राज्यमंत्री श्री चरणदास महन्त का सुना मैंने, उन्होंने कहा है कि जनसंख्या बढ़ गयी, इसलिए महंगाई बढ़ रही है।

प्रणब दा, कौन से गरीब ने खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, यह मैं आपसे पूछना चाहती हूं। आपको मालूम है कि एक समय था जब गरीब आटे में नमक डालकर रोटी बना लेता था, उसके ऊपर प्याज और मिर्चा रखकर रोटी खा लेता था, लेकिन भरपेट खाता था। दोनों समय रोटी नमक, प्याज और मिर्च के साथ मिलती थी उसे। आपके इस राज ने तो रोटी, प्याज और नमक का वह निवाला भी छीन लिया है।

अपराहन 3:02 बजे

[**श्री अर्जुन चरण सेठी** *पीठासीन हुए*]

मैं अपने साथ नमक, आटा और प्याज, तीनों के दाम लेकर आई हूं और ये दाम पुराने नहीं है वर्ष 2010 नहीं है, जैसा गुरुदास दासगुप्ता जी कह रहे थे। ये दाम इसी दिसंबर महीने के हैं और मेरे अपने घर के राशन के बिल के हैं। तीन दिसंबर को मेरा राशन आया, उसी बिल को मैं लेकर आई हूं। मेरा राशन किसी बड़ी दुकान से नहीं आता प्रणब दा, केन्द्रीय भंडार से आता है, जहां दाम नियंत्रित होते हैं। केन्द्रीय भंडार, पंडारा पार्क का यह बिल है। आटा 18 रुपये 20 पैसे किलों, अर्थात 182 रुपये का दस किलो है। चावल, गुरुदास दा, आप 2010 की बात कर रहे थे 18 रुपये किलो की, आज मोटा चावल, परमल 27 रुपये किलों है। नमक 13 रुपये किलो और उसी के बगल में मदर डेयरी, जहां सफल की दुकान है, जहां दाम नियंत्रित होते हैं, वहां प्याज 25 रुपये किलो है। केवल अगर आटे में नमक डालकर, रोटी बनाकर प्याज से खाना चाहें, तो 18 रुपये किलो का आटा, 13 रुपये किलो का नमक और 25 रुपये किलो का प्याज उसे मिलता है, आप बताइए वह दो वक्त अपना पेट कैसे भर सकता है? ये दोनों बिल हैं मेरे पास, मदर डेयरी के भी और केंद्रीय भंडार के भी। आप कह रहे थे, अरहर दाल इसमें 72 रुपये किलो लिखी है, चीनी 33 रुपये किलो, सरसों का तेल 88 रुपये किलो लिखा है। ये तीन दिसंबर के दाम हैं, जो मैं साथ लेकर आई हूं। आप गरीबों के खाने की बात क्या करेंगे, आपने गरीबी के मानक ही बदल दिए है। आपके योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफिया बयान देकर कहा कि शहर में 32 रुपये प्रतिदिन अपने ऊपर खर्च करने वाला व्यक्ति और देहात में 26 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी की रेखा के बाहर हो गया है। यह हलफिया बयान है। एफिडेविट है मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी का, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। मैं यहां उनकी एक प्रेस कांफ्रेंस का एक नोट लेकर आई हूं, जिसमें मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी कहते हैं कि हमने तो महीने के हिसाब से तय किया था, ये दिन का करके दिखा रहे हैं इसलिए कम दिखता है।

[अनुवाद]

"उच्चतम न्यायालय को दिए अपने शपथ पत्र में हमने गरीबी रेखा को एक परिवार के मासिक खर्च के रूप में दर्शाया है क्योंकि गृहस्थी के बजट को सामान्यत: इसी तरह से समझा जाता है। तथापि, सार्वजनिक चर्चा में, मासिक उपयोग खर्च को प्रति व्यक्ति दैनिक आंकड़े अर्थात् शहरी क्षेत्रों के लिए 32 रु. और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 26 रु. में परिवर्तित कर दिया गया है जिससे यह बहुत कम दिखाई देता है।" प्रणव दा यह इसे कम नहीं दिखाने देता, यह बहुत कम हैं।

[हिन्दी]

यह दिखाई नहीं देता कम, यह है ही कम, क्योंकि उन्होंने जो हलफिया बयान दिया, उसमें लिखा कि पांच जनों का परिवार जो शहर में रहता है यदि वह 4824 रुपए एक महीने में खर्च करता है और पांच जनों का परिवार जो देहात में रहता है, वह यदि 3905 रुपए एक महीने में खर्च करता है, तो वह गरीबी रेखा से बाहर हो गया। विश्लेषकों ने क्या किया, उन्होंने 4824 रुपए को पांच से तकसीम किया कि अगर 4824 रुपए पांच लोगों के लिए रखें हैं तो एक के हिस्से में कितना आया, जवाब आया 960 रुपए। इसी तरह 3905 रुपए को भी पांच से तकसीम किया कि एक के जिम्मे कितना आया, जवाब आया 780 रुपए। उन्होंने कहा कि यह महीने का खर्चा है और एक दिन का खर्चा क्या आएगा। इसलिए उन्होंने 960 को 30 से तकसीम किया तो जवाब आया 32 रुपए। इसी तरह 780 रुपए को 30 से तकसीम किया तो जवाब आया 26 रुपए। हमारे यहां कहते हैं कि इसमें कौन सा वेद पढ़ने हैं,? यह तो पांचवीं क्लास का बच्चा भी गुना-भाग जानता है। तो वह गुना-भाग करके निकाला कि 32 रुपए प्रति दिन के शहर में और 26 रुपए प्रति दिन के देहात में अगर कोई अपने पर खर्च करता है तो आप यह समझते हैं कि वह गरीबी रेखा से बाहर है। जो राजकीय सहायता मिलती है, जो शासन की तरफ से सहायता मिलता ही बिलो पावर्टी लाइन वालों को मिलती है, उसकी कतार से उसे बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वह 32 रुपए अपने पर खर्च करता हैं केवल यही नहीं, विश्लेषकों ने तो उसके भी आगे जाकर इसे और भी आगे तोड़ा। मेरे हाथ में टाइम्स

ऑफ इंडिया अखबार की 21 सितम्बर, 2011 की प्रति है। इसमें उन्होंने इसे आगे तोड़ा है और कहा है कि 32 रुपए और 26 रुपए कैसे-कैसे खर्च होते है के बारे में बताया है। जो 4824 रुपए आए हैं, उसमें खाना, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई सब चीजें शामिल हैं। तो केवल खाने क्या निकला, मैं आपको सुनाऊं तो आप हैरान होंगे। यह अंग्रेजी में है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में जो छपा है, इसका मैं हिन्दी में अनुवाद करके लाई हूं। यदि एक व्यक्ति 5 रुपए 50 पैसे अनाज पर, 1 रुपया दो पैसे दाल पर, 2 रुपया 33 पैसे दूध पर, 1 रुपया 55 पैसे तेल पर, 1 रुपया 95 पैसे सब्जियों पर, 70 पैसे चीनी पर, 44 पैसे फल पर और 78 पैसे नमक और मसालों पर खर्च करता है, तो वह व्यक्ति गरीबी की रेखा से बाहर हो गया।

जो दाम मैंने आपको बताए अभी पढ़कर कि 72 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल है, 88 रुपए प्रति किलोग्राम का तेल है, तो जरूर इसमें उसे 300 ग्राम आटा या 200 ग्राम चावल, 20 ग्राम दाल, यह दस ग्राम का हिसाब, 20 ग्राम का हिसाब सोने के लिए होता है। दस ग्राम का एक तोला कहते हैं, वह भी नए तोले को, पुराना तोला तो 12 ग्राम का था। यानि दो तोला दाल, तो एक पाव आटा, दो तोला दाल, एक चम्मच तेल, एक चुटकी नमक, 20 दाने चीनी और एक फांक संतरे की फल के नाम पर, अगर उसे मिल जाती है तो वह व्यक्ति गरीबी की रेखा से बाहर हो जाता है। वह व्यक्ति इस सरकार की निगाह में अमीर हो जाता है। इसे यह कहते हैं कि गरीबों ने खाना ज्यादा शुरू कर दिया। यह इस सरकार का दिया गया आंकड़ा है और विश्लेषकों ने जिस आंकड़े को तोड़ा है, वह मैंने आपके सामने रखा है।

एक और फ्रेज इस सरकार को बहुत अच्छा लगता है, आय का बढ़ता स्तर यह जो बयान है, इसमें भी इन्होंने लिखा है। कितने प्रश्न इस विषय पर आए, मैंने सारे प्रश्नों के जवाब देखे। सबमें यह फ्रेज जरूर है, बढ़ते आय की स्तर वाली अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का स्थाई समाधान।

मैं पूछना चाहती हूं प्रणव-दा, ये इन्कम लैवल किनके राइज हो रहे हैं, किसकी आमदनी बढ़ रही है? यह ठीक है कि 20 परसेंट लोगों की आमदनी इस देश में बढ़ गयी होगी, लेकिन वह विषमता फैलाती है। एक तरफ लोग 2000 रुपये पर-प्लेट का खाना जाकर पांच-सितारा होटल में खाते हैं और दूसरी तरफ लोग दो समय की रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं प्रणव-दा, माननीय वित्त मंत्री जी, आप मेरी तरफ देखिये, मैं किन लोगों की बात कर रही हूं, उस कागज को छोड़ दीजिए।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखजी): लगभग इसी विषय पर आप आधा दर्जन बार बोल चुकी हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं, वित्त मंत्री जी, आप ठीक नहीं करेंगे तो सेम-लाइन पर बोलना ही पड़ेगा, आप ठीक कर दीजिए, हम भाषण बदल देंगे, लेकिन आप भाषण बदलने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर दाम बढ़ते जाते हैं तो हम कैसे भाषण बदलें?

श्री प्रणब मुखर्जी: आज तो दाम कम हुआ है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: कुछ कम नहीं हुआ हैं। मैं किन लोगों की बात कर रही हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी: सिर्फ एक सेकेंड। खाद्य मुद्रास्फीति 29 अक्टूबर को 11.41 प्रतिशत से घटकर 6.6 प्रतिशत हो गई है, जो कि लगभग आधी है। यह 11.41 प्रतिशत से घटकर 6.6 प्रतिशत रह गई है। जो भी आंकड़े आप दे रही हैं उनका स्रोत एक ही हैं, जो कि मेरा स्रोत भी है। लेकिन, मैं इस पर अधिक भरोसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे औसत में सभी 52 सप्ताह लेने होंगे, इसीलिए, मैं इस बात का ज्यादा ढोल नहीं पीट रहा हूं। लेकिन, कृपया याद रखें कि 6 वर्ष आपकी सरकार थी, मैं जानता हूं कि आपने क्या किया। देश जानता है कि आपने क्या किया ...(*व्यवधान*) कृपया मेरी बात सुनने के लिए धैर्य रखें और मैं आपका प्रत्येक शब्द सुन रहा हूं। यह मत सोचिए कि मैं नोट पठ रहा हूं। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं सुन नहीं रहा हूं..(*व्यवधान*) कृपया मेरी बात में व्यवधान न डालें। यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बात मान ली। इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। यदि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी होती तो मैं खड़ा नहीं हुआ होता। कम-से-कम नेता विपक्ष और नेता सदन का ख्याल कीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि मैं कोई ढोल नहीं पीट रहा हूं। सुबह मेरे पास यह सूचना थी, लेकिन मैंने मीडिया से भी बात नहीं की क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी अनेक बातें हैं जिनका समाधान किया जाता है। नोट को पढ़ते हुए भी मैं आपका एक-एक शब्द सुन रहा हूं। कृपया इस बात को याद रखें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: जब भी नेता सदन बोलेंगे और जितनी बार वह बोलना चाहेगे, मैं उन्हें बोलने दूंगी।

वित मंत्री जी, आप सदन के नेता हैं और मैंने कहा कि आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार मैं यील्ड करुंगी और आपकी बात को ध्यान से सुनूंगी भी। लेकिन आप जिन फिगर्स की बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि मैं पुराने फिगर्स नहीं दे रही हूं। मेरा बिल तीन तारीख का है और आज आठ तारीख है। मैं पांच दिन पहले जो राशन खरीद कर लाई हूं, जो राशन मेरे अपने घर में आया है, कितने पैसे देकर आया है, मैं वे आंकड़े ही रख रही हूं। आपके अधिकारी आपको परसेंटेज में क्या आंकड़े देते हैं वह मुझे नहीं

मालूम, फीसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता, आम आदमी वह भाषा समझता है कि उसकी जेब से क्या निकल रहा है, और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है। ये पांच दिन पहले का तीन तारीख का मेरे घर का बिल है, आप 6.6 क्या कह रहे हैं, सैलीब्रेट कीजिए, सरकार में जश्न मानइये 6.6 का लेकिन आम आदमी का जहां तक सवाल है, उसे कोई राहत महंगाई से नहीं मिली है। मैं तीन तारीख के आंकड़े दे रही हूं जो मेरे घर के राशन का, दूध का, सब्जियों का बिल है। ...*(व्यवधान)* आपने मुझे चुनौती देकर कहा कि 6 साल आप भी थे और आपने क्या किया–यह मैं जानती हूं। जो हमने किया वह पूरी जनता जानती है। प्रणब-दा। मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूं कि दो सरकारें हिंदुस्तान में आई हैं जो कांग्रेस के समर्थन के बिना नहीं थी–एक मोरारजी देसाई की और दूसरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई की ओर 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की। 6 साल तक कीमते स्थिर रही थीं, चीजें बाजार में उपलब्ध रही थीं।

सभापति महोदय, कभी कीमतें नहीं बढ़ी थीं। गुरुदास दासगुप्ता आप वर्ष 2001 के आंकड़े दे रहे थे उस समय हमारा राज था। वह आंकड़े क्यों थे, मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं। उस समय के वित्त मंत्री फीसदी में बात नहीं करते थे, जसवंत सिंह जी पीछे बैठे हैं। जिस समय बजट पेश करने आए थे, उस समय पत्रकारों ने पूछा था कि आप जनता को बजट में क्या देंगे। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि गृहिणी की गुथली में चार आने और डाल सकूं तो मैं समझूंगा कि मेरा बजट सफल हो गया। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हावर्ड और आक्सफोर्ड नहीं समझा सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को वह समझ सकता है, जो गुथली कह कर बात करता हैं, टुकिया कह कर बात करता है। जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, उस समय के वित्त मंत्री हार्वडियन से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, लेकिन जो गांव की धरती में लोट-पोट कर बड़े हुए हैं, जिन्होंने गांव की अर्थव्यवस्था को समझा है, जिन्होंने गांव की औरत की पीड़ा को जाना है, वे यह कह सकें कि मैं गुथली में चार आने और डाल दूं, तो मैं समझूंगा कि मैंने अच्छा बजट पेश किया है। फीसदी की भाषा में बात करने वाले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं और उसका समाधान भी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप मेरी बात को सुनिए और उत्तर उस समय जरूर दीजिए, जिस समय देना है। अगर आप बीच में उत्तर देना चाहते हैं, तो दीजिए मैं यील्ड करूंगी क्योंकि आप नेता सदन है और नेता सदन के प्रति मेरा जो सम्मान है, उसके लिए मैं यील्ड करूंगी।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप जिन राइजिंग लैवल्स की बात कह रहे हैं, यह ठीक है कि कुछ लोगों की इनकम इतनी राइज हुई है कि वे दो हजार रुपए प्रति प्लेट पांच सितारा होटलों में खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपकी निगाह उन रेड़ी वालों के ऊपर, फेरी वालों के ऊपर, छाबड़ी वालों के ऊपर भी जाए, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पांव और अपना गला एक साथ थकाते है। मैं आज सदन में उनके लिए बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। उस फेरी वाले को देख कर मेरे कलेजे में टीस उठती है, जो कड़ाके की सर्दी में, जब हाथ कोट की जेब से निकालने को मन नहीं करता, उस समय बर्फ जैसी ठंडी साइकिल का हैंडल दोनों हाथ से पकड़ कर, दोनों पावों से पैडम मारता हुआ। मौहल्ला-मौहल्ला कबाड़ी-कबाड़ी चिल्लाता हुआ निकलता है। मैं उसके लिए आज बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं उस रेड़ी वाले के लिए खड़ी हुई हूं जो भरी दोपहरी में, जब बाहर झांकने को दिल नहीं करता, उस समय दोनों हाथों से रेड़ी धकेलते हुए बीसियों किलोमीटर का सफर तय करते हुए ऊंची-ऊंची आवाज लगाते हुए अपने ग्राहकों को बुलाता है। मैं उस छाबड़ी वाले के लिए बोलने के लिए खड़ी हुई हूं, जो अपने अधेड़ कंधों पर बहंगी उठाए हुए चना, मूंगफली और मक्का की खील ले कर ऊंची-ऊंची आवाज मे अपने बाल ग्राहकों को बुलाता है। मैं देश के वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या उनकी आमदनी में एक रुपए का भी इजाफा हुआ है? क्या उनकी आमदनी में एक रुपए की भी बढ़ोतरी हुई है, बल्कि उनके पास जो कुछ बचा खुचा था, वह भी महंगाई की भेंट चढ़ गया है। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहती हूं कि आप बार-बार जो यह फ्रेज इस्तेमाल करते हैं कि "विद राइजिंग लैवल्स आफ इनकम" यह कितनी आमदनी बढ़ी है, आप जरा उनकी तरफ भी निगाह डालिए, जिनकी आमदनी में एक रुपए की भी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

आप दूसरा तर्क देते हैं कि हमने किसानों को ज्यादा दाम देने शुरू कर दिए हैं, इसलिए महंगाई बढ़ी है प्रणब दा आपको मालूम होगा, शरद भाऊ यहां से चले गए हैं, महाराष्ट्र के कपास का किसान आत्महत्या कर रहा है। आंध्र का किसान क्राप हालिडे की घोषणा कर रहा है। पूरे देश मे धान का किसान गैर खरीदी को ले कर त्राहि-त्राहि कर रहा है। मेरे गृह प्रदेश हरियाणा में बासमती का किसान सिर पकड़ कर रो रहा है। जब सत्र प्रारम्भ हुआ, तब तीन दिन तक महाराष्ट्र के साथी वैल में आते रहे और कपास के लिए छह हजार रुपए का भाव मांगने के लिए। हमारे जमाने के विधायक गिरीश महाजन को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। 72 दिनों में 13 आत्महत्याएं कपास के किसानों ने महाराष्ट्र में की हैं। मैं अभी गोंदिया के भंडारा में देवाड़ा गई थी। गोंदिया और भंडारा के किसान मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा दीदी 1080 रुपया समर्थन मूल्य है, लेकिन 980 रुपए में एजेंसियां

खरीद रही है। लदान के लदान लदे पड़े हैं, धान की खरीद नहीं हो पा रही है। बासमती के लिए मेरे अपने गृह प्रदेश के किसान मेरे पास आए, यह अखबार ले कर आए ओर बोले कि बहन क्या कर रही है। हमारी आवाज उठा। यह देखिए–यह दैनिक भास्कर है "धान ने बनाया कर्जदार।" यह हरियाणा का है और यह "बासमती ने फिर तै कड़े का न छोड्या।" यानी बासमती बोया था, पिछली बार इतना दाम मिला था लेकिन इस बार इतनी बासमती बोयी है, सारी की सारी पड़ी है, कोई खरीद करने वाला नहीं है क्योंकि बासमती का समर्थन मूल्य तो लगता नहीं है। इसमें आपकी आयात निर्यात नीति इसके लिए जिम्मेदार है। जब तक माल किसान के घर रहता है, आप निर्यात की आजादी नहीं देते। निर्यात की अनुमति नहीं देते। लेकिन जैसे ही, ...*(व्यवधान)* लेकिन जैसे ही वह माल वहां से व्यापारी के यहां पहुंचता है, आप निर्यात की अनुमति दे देते हैं। अगर किसान के घर में पड़े हुए माल के समय आप निर्यात की अनुमति दें तो व्यापारी उससे महंगा खरीदेगा, उसको अच्छा दाम देगा। लेकिन आपकी आयात-निर्यात की अनुमति दें तो व्यापारी उससे महंगा खरीदेगा, उसको अच्छा दाम देगा। लेकिन आपकी आयात-निर्यात की नीति इतनी गलत है कि किसान के घर में जब तक माल पड़ा रहेगा, आप निर्यात पर पाबंदी लगा देंगे और जैसे ही वह एक्सपोर्टर के यहां पहुंचेगा, आप निर्यात खोल देंगे और इसी के कारण ये किसान मर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के किसान जब मेरे पास आएं तो पूरा हिसाब लाए और उन्होंने कहा कि दीदी, हम क्रॉप होली डे क्यों न करें? मैंने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा का सवाल है। आप लोग फसल नहीं बोएंगे तो देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? उन्होंने कहा कि लेकिन हमारा क्या होगा, यह क्या आपने कभी सोचा? हिसाब लगाकर उन्होंने बताया 2000 रुपये प्रति एकड़ का घाटा हो रहा है। खाद, बिजली, बीज, पानी सभी कुछ महंगा है और पूरा लागत मूल्य लाए थे और बोले जितना मर्जी समर्थन मूल्य इन्होंने बढ़ा दिया, उसके बाद भी 2000 रुपये प्रति एकड़ का घाटा हम कैसे उठाएं? अगर फायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान से तो बच जाएंगे। इसलिए हमने क्रॉप होली डे की घोषणा की।

आप कहते हैं आपने किसानों को ज्यादा दाम देना शुरु कर दिया, इसलिए महंगाई बढ़ गई। किसान बेचता तो एक चीज है, बाकी सारी चीजें तो खरीदता है। लेकिन आपको उनका ध्यान नहीं है। आप बड़े विदेशी पूंजी निवेश की बात करते हैं। ये जिन रेड़ी, फेरी और छावड़ी वालों की मैंने बात कही है, आपके यहां अगर यह एफीडीआई खुदरा व्यापार में आ गई तो इनके तो केवल रोजगार की तबाह नहीं होंगे बल्कि इनकी जिन्दगियां तबाह हो जाएंगी। मुझे मालूम है। अभी जब से यह निर्णय लम्बित हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला था। आपने क्यों रुकवा दिया? प्रणव दा, रिफॉर्म वह होता है जिससे देश के लोगों की जिन्दगी सुधरे। रिफॉर्म वह नहीं होता जिससे अमेरिका में इमेज सुधरे। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में छवि सुधारने से रिफॉर्म नहीं होता। रिफॉर्म तब होगा जब इन रेड़ी, फेरी और छावड़े वालों की गुल्लक में चार पैसे डालेंगे। अगर ये विदेशी पूंजी निवेश आ गया तो ये जो मशक्कत करने वाले लोग जिनको न धुंध रोक पाती है, न कोहरा रोक पाता है, क्योंकि एक दिन भी अगर वे नहीं कमाएंगे तो उनके घर में रात का चूल्हा नहीं जलेगा। इनके रोजगार ही खत्म नहीं होंगे, बल्कि इनकी जिन्दगियां खत्म हो जाएंगी। आप तीसरा तर्क देते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय दाम बढ़ गये। अन्तर्राष्ट्रीय दाम पैट्रोल के बढ़ें तो समझ में आती है कि यहां दाम बढ़ गये लेकिन बाकी किस चीज के दाम अन्तर्राष्ट्रीय दाम बढ़ते हैं तो आपने 395 रुपये आज गैस के दाम कर दिये हैं। कभी उस मध्यमवर्गीय महिला के लिए सोचा है जिसकी रसोई में जिन चीजों को वह बनाती है, उसमें आग लग गई है और जिन चीजों पर वो पकाती है, उसकी आग बुझ गई। गैस जलाती है तो गैस महंगी। अगर स्टोव पर पकाती है तो मिट्टी का तेल महंगा। अगर अंगीठी जलाती है तो कोयला महंगा। अगर चूल्हा जलाती है तो लकड़ी महंगी खाने की चीजों में आग लगी पड़ी है और खाना बनाने वाली चीजों में आग बुझी पड़ी है। क्या हालत है? आप कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई, इसलिए महंगाई बढ़ गई। अगर जनसंख्या बढ़ने पर महंगाई बढ़ गई तो हाथ उठा दीजिए। फिर क्यों कहते हैं कि तीन महीने बाद हम कम कर देंगे या पिछले हफ्ते में कम हो गई है क्योंकि तीन महीने में बढ़ी हुई जनसंख्या तो कम नहीं होगी। पिछले हफ्ते में जनसंख्या घटी भी नहीं होगी। ...*(व्यवधान)* जो कहते हैं कि महंगाई घट गई। प्रणव दा, जनसंख्या के लिए एक अलग दृष्टिकोण है। अगर 121 करोड़ पेट आपसे खाना मांग रहे हैं तो 242 करोड़ हाथ काम करने के लिए भी तैयार हैं। जो जनसंख्या आ गई, उससे महंगाई घटाने बढ़ाने की बात नहीं हैं, अगर उस जनसंख्या को रोजगार मुहैया करा दें तो वो हाथ भारत निर्माण में भी लगेंगे और वो हाथ महंगाई बढ़ने भी नहीं देंगे।

लेकिन ये जो आपके तर्क हैं, ये तर्क नहीं हैं, ये कुतर्क हैं। सचाई यह है कि महंगाई बढ़ी है आपकी गलत नीतियों के कारण, महंगाई बढ़ी है सरकार में फैले भ्रष्टाचार के कारण। एक वर्ष में सीएंडएजी ने छः-छः घोटाले निकाल कर रख दिये और वे भी करोड़ों के घोटाले निकालकर रख दिये। जहां तक नीतियों का सवाल है, यह आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि रुपये का इतना ज्यादा अवमूल्यन हुआ है। आपकी गलत नीतियों को परिणाम है कि साठ हजार टन से ज्यादा अनाज स्टोरेज के अभाव में सड़ रहा है। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि बाजार से आपको

53 हजार करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ रहा है। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि 24 बार पैट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि आरबीआई को 13 बार ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ती हैं। आप महंगाई को दूर करने के दो तरीके अपनाते हैं, एक कर्ज ले लो और दूसरा ब्याज पर दर बढ़ा दो। महर्षि चार्वाक ने कहा–यावत जीवेत सुखम् जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम् पीवेत। वह इस सरकार पर पूरा का पूरा लागू होता है, कर्जा लेकर घी पिओ। आपने जो बजट में उल्लेख किया था, उससे 53 हजार करोड़ रुपये ज्यादा आप बाजार से ऋण ले रहे हैं, यह एक समाचार पत्र में छपा था।

जहां तक ब्याज दरों का सवाल है, आपको मालूम है कि जब ब्याज दर बढ़ती है तो औद्योगिक विकास भी बाधित होता है और हाउसिंग सैक्टर तो मर ही जाता है। आपको मालूम है न प्रणव दा कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त होती है तो दो चीजें उसे उबारती हैं–हाउसिंग सैक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर। क्योंकि उसमें चौतरफा गतिविधि होती है। स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, ट्रक चाहिए, बजरी चाहिए, लेबर्स चाहिए, कारखाने चलते हैं, लोग काम पर लगते हैं। पुराने समय में सुनते थे कि अकाल पड़ा तो राजा ने तालाब खुदवाया, जरूरत नहीं थी तो भी महल बनवाया। क्योंकि निर्माण कार्य में चौतरफा गतिविधि होती है और आपके यहां निर्माण कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की यह हालत है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे यहां इतनी तेज गति से चल रहे थे, वे राजमार्ग नये तो क्या बनने थे, पुराने भी इतनी खस्ता हालत में हैं कि उनकी मरम्मत तक नही हो पा रही है और आज तो हम अखबार पढ़कर चौंक गये कि राष्ट्रीय राजमार्ग के सारे चीफ इंजिनियरों ने आज सामूहिक इस्तीफा दे दिया। यह हालत आपके यहां इफ्रास्ट्रक्चर की है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर को इतनी कम प्राथमिकता देंगे, हाउसिंग सैक्टर को बढ़ी हुई ब्याज दरों से मारेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था कैसे उबरेगी? आप बाहर से बाजार से ऋण लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यदि आप विदेशों में जमा कालाधन कल वापस ले आयें और सरकारी खजाने को लुटने से बचा लें तो कल ही महंगाई खत्म हो जायेगी। आप कहते हैं कि सुझाव दो, आपको कमेटी दर कमेटी ने सुझाव दिये हैं, हमने सत्र दर सत्र चर्चा की है। आज मैं आपको सुझाव दे रही हूं कि आप विदेशों में जमा सारा कालाधन वापस ले आओ, सरकारी खजाने की लूट बंद करवा दो, कल आम आदमी पर यह बोझ पड़ना बंद हो जायेगा। लेकिन वह आपको नहीं करना। आपको तो फीसदी में 6.6, आठ प्वाइंट 12.21 और 27.88 में आकड़े दिखाने हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हम आपको बताते हैं, लेकिन आपके लोग मानते भी नहीं है कि हम सही आंकड़े दे रहे हैं। कितने दिनों के बाद श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया माने हैं कि हमारे आंकड़े सही थे। आप उनका यह इंटरव्यू देखिये, मैं उनका इंटरव्यू लेकर आई हूं। जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा

[अनुवाद]

"यह सच है कि जितना हमने सोचा था मुद्रास्फीति दबाव उससे कहीं अधिक है, यह बिल्कुल सच है कि हम यह आशा करते रहे हैं कि यह पहले से कम ही और उस हद तक हमारी विश्वसनीयता वह प्रश्नचिह्न लगा जाता है।"

[हिन्दी]

अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाने की बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। यह ऑन कोट है, जो मैंने पढ़ा है और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे क्या कहा

[अनुवाद]

"उन्होंने यह तर्क दिया कि सरकार यह उम्मीद कर रही थी कि मुद्रास्फीति दबाव अगले वर्ष के आरंभ से कम हो जाएगा।"

अब ऑन कोट है। फरवरी तक आपके पास जनवरी के आंकड़े होंगे और यदि तब तक मुद्रास्फीति कम नहीं होती है तो हमें वास्तव में नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं।"

[हिन्दी]

प्रणव दर मैंने बहुत दिन पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, जिसकी हैडिंग थी–"वॉट दे डू नाट टीच यू हार्वर्ड" जब मैंने श्री मोंर्टक सिंह अहलूवालिया का यह इंटरव्यू सुना तो इमीडिएटली मेरे मुंह से निकला हार्वर्ड में दे आपको यह नहीं सिखाते।

आपको पता नहीं है, यह एक हताशा भरा बयान है कि फरवरी में हमें जनवरी का डाटा मिल जाएगा और अगर तब तक महंगाई नीचे आई तो हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे। एक ऐसा ही बयान आपने चलते हुए टीवी को दिया था, मुझे नही मालूम देश किधर जा रहा है। प्रणव दा देश उधर जा रहा है, जिधर आप ले जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जीः मुझे खेद है यह बात मुद्रास्फीति से संबंधित नहीं थी। यह श्री शरद पवार पर हमले के संबंध में था।

श्रीमती सुषमा स्वराजः मैं जानती हूं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो उसका जवाब दे रही हूं। देश उधर जा रहा है,

जिधर आप ले जा रहे हैं। क्योंकि देश का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं, आप अगुवाई कर रहे हैं। आप सरकार हैं। आप अपने नेतृत्व में देश को जिधर ले जा रहे हैं, देश उधर ही जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपके जो हताशा भरे बयान आए, जो हताशा भरा बयान आहलूवालिया जी का आया कि हमें नहीं मालूम हम क्या करेंगे। यह हताशा और निराशा 121 करोड़ का देश नहीं सह सकता है, नहीं सुन सकता है। अगर उन्होंने आपको सत्ता सौंपी है तो आप ही रास्ता निकालिए। क्योंकि आपको काम करना है इसीलिए शासन ने आपको उधर बैठाया है और हम इधर बैठे हैं। हम तो जनता के प्रहरी हैं, इसलिए हम तो जनता की बात कहेंगे। चाहे हमारा भाषण आपको पुनरावृत्ति लगे, चाहे कुछ और लगे। जब तक जनता दर्द सहती रहेगी, आप जनता को दर्द देते रहेंगे, हम जनता की बात कहते रहेंगे। चाको जी अभी कह रहे थे कि क्या जन चेतना यात्रा से महंगाई कम होगी? नहीं होगी, जन चेतना यात्रा से महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन जन चेतना यात्रा से आम आदमी को यह जरूर लगेगा कि कोई मेरा दर्द सुनने आया है, कोई मेरा दर्द कहने आया, कोई मेरी बात समझने आया है। जन चेतना यात्रा से महंगाई कम नहीं हो रही थी, मगर एक बात का आवश्वासन जनता को मिल रहा था कि कम से कम हमारे दर्द को जुबान देने की किसी ने कीमत तो चुकाई है, किसी ने बात तो की है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हताशा और निराशा में से रास्ते निकलते हैं। लोगों ने वैश्विक मंदी तक खत्म की है। आप जिस तरीके से रास्ते निकालना चाह रहे हैं, वह सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि विदेशी पूंजी निवेश आ जाए तो महंगाई कम हो जाएगी। जिस देश से आप विदेशी पूंजी निवेश ला रहे हैं, वहां स्मॉल बिज़नस सैटर्ड के आंदोलन हो रहे हैं। आप तक वे क्लिपिंग्स पहुंची हैं? वहां का छोटा व्यापारी और छोटा दुकानदार चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे बचाओ। वहां एक आंदोलन चला है कि छोटे दुकानदारों से शनिवार को चीज़ें खरीदो। राष्ट्रपति ओबामा ट्वीटर पर उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि छोटे दुकानदारों से चीज़ें खरीदो। लेकिन आप तो छोटे दुकानदार को मारने में लगे हैं। आप किसान को भी मारने में लगे हैं।

आप महंगाई के लिए आम आदमी से उपहास करते हैं कि आम आदमी ने खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये उपहास और मजाक बंद कीजिए। ये हताशा और निराशा भी छोड़ दीजिए। एक कवि कि दो लाइने कहना चाहती हूं कि—'जहां पर बंद होते हैं सभी ये रास्ते आ कर, वहीं से फूट पड़ती हैं नई राहें जमाने की।" रास्ता कभी बंद नहीं होता, आप रास्ता निकालिए। अगर आपसे रस्ता नहीं निकलता तो आप गद्दी छोड़िए। हम नई राह दिखाएंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूं।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने की अनुमति दी है। मान्यवर, इस 15वीं लोक सभा में कोई पहली बार महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है। करीब दस बार चर्चा हो चुकी है और आज भी हो रही है। हम प्रणब जी की बात को बड़े गौर से सुन रहे थे। उन्होंने जो दलीलें दी हैं, वे उनको ठीक लग सकती हैं, उनको अच्छी लग सकती हैं। ये सरकार आम आदमी की बात करती है। अगर आज सबसे ज्यादा कोई महंगाई से परेशान है तो वह आम आदमी है। आम आदमी परेशान है, तो वह महंगाई के कारण परेशान है। उसे आज दो वक्त की रोटी मिलना भी दूभर हो गया है।

मान्यवर, मुझे याद है कि आज से कई साल पहले तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने यही बात कही थी, जो इधर से कही जा रही है। बुश ने कहा था कि भारत में लोग ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए दुनिया में महंगाई बढ़ी है। यह सरकार भी कह रही है कि लोग ज्यादा खाने लगे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गयी है, लेकिन मान्यवर, यह यथार्थ नहीं है, यह बात सही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आपकी जीडीपी नौ प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी और उत्पादन इतना बढ़ा था, तब भी महंगाई बढ़ रही थी, तब भी आप इसे नहीं रोक पाए। मुझे याद है कि आज से दो दशक पहले अमेरिका से पी.एल. 480 का गेहूं मंगवाया जाता था। वह लाल गेहूं, जिसे वहां के जानवर भी नहीं खाते थे, वह भारत में आता था। यहां के आदमियों में वह गेहूं बांटा जाता था, लेकिन यहां के किसानों ने भरपूर मेहनत करके इतना अनाज आपके भण्डारों में भर दिया कि आज देश आत्मनिर्भर हो गया और हम निर्यात करने की स्थिति में भी हो गये, लेकिन आपने किसानों को क्या दिया है?

मायवर, एक बात जो आप कहते हैं, यह आपका भ्रम है कि आप किसान को लगातार ज्यादा दाम दे रहे हैं, जिससे किसान मालामाल हो रहा है और आप मानते हैं कि महंगाई का एक कारण यह भी है। मैं आपको इस साल का आंकड़ा देना चाहता हूं, अन्य वर्षों का आंकड़ा नहीं देना चाहता हूं। वर्ष 2006 में प्रणव दादा ने आंकड़ा दिया था कि उस समय धान का सरकारी रेट 600 रुपए क्विंटल था, आज हम 1100 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं। प्रणव दादा, किसान को वह कहां मिल रहा है? आज सात सौ रुपए में बिचौलिए धान खरीद रहे हैं और किसान को डीएपी किस भाव पर मिल रहा है? उसे ब्लैक में दो हजार रुपए बोरी, क्विंटल नहीं बोरी मिल रही है। वह बेचारा कई बोरी धान बेचेगा, तब जाकर उसे एक बोरी डीएपी मिलेगा और उसके बाद वह उसे मिलता भी नहीं है। वह डीएपी नेपाल के रास्ते चीन चला जाता है। भारत के किसानों को वह डीएपी नहीं मिलता और जो बाजार

में डीएपी मिलता है, वह नकली डीएपी होता है। उसे खेत में डालने पर पैदावार में कोई वृद्धि नहीं होती है।

मान्यवर, इसका एक कारण यह है कि किसान को उसकी उपज की जो लागत मिलनी चाहिए, वह उसे दी नहीं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने किसान को इतना महंगा रेट दिया, इसके कारण उपभोक्ता के लिए महंगाई बढ़ गयी। आपके ये दोनों जवाब सही नहीं हैं। किसान को मिला नहीं, आपने कागज में दे दिया, आप कहते हैं कि यह काम राज्य सरकार का है, आपकी और राज्य सरकार की लड़ाई में किसान मरा जा रहा है।

मान्यवर, आज आलू की कीमत क्या है? आज आलू की कीमत दो रुपये, एक रुपये किलो हैं, आलू को कोई खरीद नहीं रहा है और बाजार में आलू क्या भाव मिल रहा है, अभी गुरुदास दासगुप्त जी ने बताया कि बाजार में आलू 12 रुपये का एक किलो मिल रहा है। बिचौलियों ने बीच में कितना मुनाफा कमाया, एक किलो आलू पर 10 रुपये। किसान को 2 रुपये मिल रहे हैं, आम आदमी को 12 रुपये किलो आलू मिल रहा है, बिचौलिये ने बीच में एक किलो पर 10 रुपये कमाये। आप कह रहे हैं कि हमने होल सेल महंगाई 8 प्रतिशत पर रोक दी है। अगर आपने होल सेल में रोका है तो रिटेल में क्या मिल रहा है, खुदरा में क्या मिल रहा है? क्या यह भी आपने देखने का काम किया है? अगर खुदरा में आप नहीं रोक पाए तो आम आदमी को लाभ नहीं होगा क्योंकि आम आदमी तो खुदरा बाज़ार से ही खरीदता है, होलसेल मार्केट से तो नहीं खरीदता है।

मान्यवर, जो बड़े-बड़े विद्वान हैं, उनकी चक्रवर्ती कमेटी ने संस्तुति की थी कि महंगाई चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रंगराजन कमेटी ने सिफारिश की थी कि छः प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तारापोर कमेटी ने संस्तुति की थी कि तीन प्रतिशत से ज्यादा महंगाई नही होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपने स्वयं कहा कि पिछले साल 19 फीसदी तक खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ गई। कभी आपने कारण का विश्लेषण किया? यह महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई बढ़ रही है खाद्य पदार्थों में वादा बाज़ार की वजह से, स्पैकुलेशन की वजह से। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि वादा बाजार पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हैं। बिचौलिये तमाम अनाज रख लेते हैं और बाजार में महंगे दाम पर बेचते हैं। इससे काला धन भी पैदा हो रहा हैं कि आपने महंगाई को रोक दिया। केवल होलसेल में रोकने से महंगाई कम नहीं होगी। जब तक आप खुदरा बाज़ार में आम आदमी को सस्ता अनाज नहीं देंगे, तब तक कागज में आप भले महंगाई रोक दें, आठ प्रतिशत दिखा दें लेकिन आम आदमी को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ता है, छोटे किसानों पर पड़ता है, रिक्शा चलाने वालों पर पड़ता है। ...*(व्यवधान)* मान्यवर, दो ही मिनट में घंटी बजा दी।

सभापति महोदयः आपकी पार्टी का समय दस मिनट है। दस मिनट आप ले चुके हैं।

श्री रेवती रमण सिंहः अभी तो मैंने शुरू ही किया है। . ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रेवती रमण सिंहः ऐसे मत कहिये। ये अन्याय न करिये। ...*(व्यवधान)*

महोदय, सबसे ज्यादा असर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ता है जो मजदूर रिक्शा चलाते हैं, खोमचा लगाते हैं। जो मजदूर खेती का काम करता हूं, उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है।

मान्यवर, महंगाई की एक और वजह यह है कि रुपये का अवमूल्यन हो गया है। आज दुनिया में एक डॉलर के मुकाबले में रुपया 52 रुपये से ऊपर है, बल्कि 53 रुपये के करीब पहुंच गया है। पहले एक रुपये में किसान जो खरीदता था, आज दस रुपये में भी वह खरीद नहीं पाता है। रुपये आप बाजार में लाए हैं लेकिन उसकी खरीद की माद्दा कम हो गई और घटती जा रही है। कागजों में आप आमदनी को बढ़ा रहे हैं लेकिन हकीकत में आम आदमी की आमदनी घटती चली जा रही है। जितनी महंगाई बढ़ेगी, उतनी मुद्रा स्फीति बढ़ेगी और उतनी ही होर्डिंग होगी, उतना ही काले धन को बढ़ावा मिलेगा।

मान्यवर, कल वित्त मंत्री जी ने बहुत से आंकड़े दिये। मैं कहना चाहूंगा कि आंकड़े ये किसको भ्रम में डालना चाहते हैं? इस सरकार में कई अर्थशास्त्री हैं। स्वयं प्रधान मंत्री बड़े भारी अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री भी अर्थशास्त्री हैं, होम मिनिस्टर चिदम्बरम जी भी अर्थशास्त्री हैं। मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी अर्थशास्त्री हैं। चार-चार अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं और तब भी महंगाई बढ़ती जा रही है और यह कहना कि हम रोकने का पूरा प्रयास रहा हैं, अगर नहीं रुक रही है तो हम क्या करें। अभी सुषमा जी बोल रही थीं, मैं बड़े गौर से इनकी बात सुन रहा था इन्होंने कहा कि छः साल में हमने ऐसा काम किया, जिसकी गवाह जनता है। आपने कहा बहुत अच्छा काम किया तो छः साल में जनता ने आपको बाहर क्यों कर दिया? आप कैसे बाहर हो गए? आपने जो काम किया, उसको जनता समझ नहीं पायी। ...*(व्यवधान)*

मान्यवर, आज यह देखा जाए कि किसानों की हालत क्या है? आज किसान नहीं बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। आपने विदर्भ में पैकेज दिया, लेकिन उसके बाद भी आत्महत्या कर रहे हैं। बुंदलेखंड, जहां किसान आत्महत्या नहीं करते थे, वहां भी आत्महत्या कर रहे हैं। हर जगह, उत्तर प्रदेश में कई जगह किसानों ने आत्महत्या की ...*(व्यवधान)*

मान्यवर, मेरा कहना है कि इसके लिए मूल्य निर्धारण मंत्रालय का गठन होना चाहिए। एक मंत्रालय बने जो कि प्राइज स्टेबिलीटी लाए और दामों के एक स्तर से ज्यादा बढ़ने न दे। इसके लिए इनको सरकार में एक महकमा बनाना चाहिए। इसी तरह हर चीज की कीमत पर सरकार को नियंत्रण लगाना चाहिए, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो। आज उद्योग में जो दाम हैं, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मनमाना ढंग से वे सामान बाजार में बेचते हैं और पैसा वसूल करते हैं। उस पर सरकार चाहते हुए भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरा मानना है कि सरकार को, जब प्रणब मुखर्जी जी जवाब दें तो सदन को स्पष्ट से बताना चाहिए कि कब महंगाई चार या पांच प्रतिशत पर आएगी। इसकी घोषणाा उनको यहां करनी चाहिए और किसानों को कब सही दाम और कैसे ये दिलाएंगे। आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया किसानों से अनाज क्यों नहीं खरीदता है। माना कि प्रदेश सरकार नहीं खरीदती है तो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया क्या कर रही है? वह क्यों नहीं खरीदती है?

मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका इसी तरह का रवैया रहा तो आने वाले दिनों में, ढाई साल बचे हैं और जनता आपसे जवाबदेही लेगी और जवाबदेही में आप खरे नहीं उतरे तो कोई जरूरी नहीं है कि बार-बार आपकी सरकार बने। यह समय आपको जनता ने दिया है काम करने के लिए और महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, इसलिए नहीं कि महंगाई लगातार बढ़ती चली जाए और आप कह दें कि इससें हमारा कोई हाथ नहीं है इसको रोक नहीं पा रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि आखिरी मौका है अभी भी जाग जाइए, नहीं तो समय निकल जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय पर कई सदस्यों को बोलना है। इसलिए यदि माननीय सदस्य अपने भाषणों को सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी)**:** सभापति महोदय, काफी देर से और काफी जद्दोजहद के बाद आज महंगाई पर चर्चा करने का अवसर सभी दलों को मिला है। मैं समझता हूं कि हाउस के शुरूआत में ही सारे विपक्षी दल इस महंगाई से कराह रही जनता के बारे में चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन सरकार की सोची-समझी रणनीति के तहत यह चर्चा किसी तरीके से गरीब की बात, भूखों की बात, इस हाउस में न हो, इसके लिए सरकार ने साजिश की। लेकिन मैं बधाई देता हूं सारे विपक्ष के लोगों को भी कि एक रास्ता निकाल कर आज महंगाई पर चर्चा करने का अवसर दिया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, विगत कई वर्षों से महंगाई पर चर्चा हुई और लगभग दर्जनों बार भी महंगाई पर चर्चा हुई और निरंतर चर्चा हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में असफल रही है, नाकाम हुई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान: साथियों, हमारे देश के विद्वान वित्त मंत्री ने कहा कि फरवरी में महंगाई कम हो जाएगी। वित्त मंत्री जी का कहना था कि यह महंगाई जिससे देश के करोड़ों-करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, क्षणिक हैं। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जी का यह बयान आता है कि यह क्षणिक समस्या है। मैं समझता हूं कि यह देश के गरीबों के साथ एक भद्दा मज़ाक है। इसलिए सभापति जी, मैं समझता हूं कि यह जो महंगाई है, इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के नाते दिन-प्रतिदिन, सरकार और वित्त मंत्री के कहने के बाद भी बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं कि आर्थिक नीतियों में जो बदलाव होने चाहिए, जो गुणात्मक सुधार होने चाहिए, यह सरकार अभी तक वह सुधार नहीं कर पाई है, इसमें फेल हो गयी है। सरकार यह कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है।

सभापति जी, वित्त मंत्री जी की इस बहानेबाजी के संबंध में कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, मैं आपके

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माध्यम से उनसे यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक क्या किया? हमारे रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, रुपए की कीमत घट रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया एक साल में 42 रुपए से लेकर 52 रुपए तक पहुंच गया, अभी यह लगभग 53 रुपए है। हम 70 प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से लाते हैं, हम खाद बाहर से लाते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले हमारे पैसे की कीमत घट रही है, हम वहां से तेल खरीदेंगे, जब अवमूल्यन पर हम रोक नहीं लगा पाएंगे तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम जो खरीदेंगे, निश्चित रूप से वे महंगी होंगी। वह महंगाई अपनी विफलता के नाते हमारे देश में जो गरीब, लाचार, बेबस मजदूर एवं किसान हैं, उन पर आप लाद रहे हैं। ये ज्यादा खाना खाते हैं, मजूदरी करता है, मजदूर है। आपने एक तो भद्दा मजाक किया कि क्षणिक समस्या है। जो मजदूर मेहनत करने के बाद, पसीना बहा करके मजदूरी करके अपनी भूख को मिटाने के लिए दो वक्त की रोटी जुटाता है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, इधर बैठने वाले लोग उस गरीब की भी रोटी नहीं देख पाए और उससे भी गरीब की रोटी में हिस्सा बंटाने के लिए उसका पेट काटने का काम किया। उनके घर पर हमला बोल रहे हैं, गरीब की रोटी को उनके मुंह से छीनने का काम किया है। गरीब जो है, वह अपनी झोंपड़ी बना रहा है और यहां के जो बड़े-बड़े लोग हैं, वे उस गरीब को रोटी खाते हुए देख नहीं पा रहे हैं। ये गरीब की थाली की रोटी को भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आज महंगाई बढ़ रही है, डीजल महंगा हो रहा है। पिछले सात वर्षों में रसोई गैस 46 परसैंट महंगी हुई, मिट्टी का तेल 108 परसैंट, डीजल 79 परसैंट, पैट्रोल में 96 परसैंट की वृद्धि हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप कैसे महंगाई रोकेंगे? आज डीजल महंगा होने के नाते, उत्पादन लागत बढ़ने के नाते चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार है, यह किसान विरोधी और गरीब विरोधी है। जो किसानों के नाम पर डीजल की बात करके सब्सिडी दें रहे हैं, आज तीस फीसदी जो सब्सिडी दी है, बड़े-बड़े करोड़ों की, बड़ी-बड़ी मर्सिडीज गाड़ी में चलने वाले और बड़े-बड़े उद्योगपति जो उद्योग चलाते हैं, उनको सब्सिडी दी जा रही है। मांग करना चाहता हूं कि उसमें से कटौती करके वह तीस फीसदी सब्सिडी किसानों को दी जानी चाहिए, तब इस देश में गरीबी को आप दूर कर सकते हैं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, केरोसिन का तेल आज कितना महंगा हो गया है। इस तेल को कौन इस्तेमाल करता है, गांव में रहने वाला गरीब, जो झोंपड़ी में रहता है, जिसने आज तक बिजली का खम्भा नहीं देखा। उसके घर में बिजली नहीं, वह केरोसिन तेल से अपनी ढिबरी चलाता है। लालटेन जला करके अपने अंधेरे घर में रोशनी करता है, लेकिन यह सरकार उस गरीब की झोंपड़ी में लालटेन और बत्ती तथा ढिबरी भी नहीं देख पाई, इन्होंने उसके दाम बढ़ाने का काम किया। आपने एक तरफ केरोसिन तेल के दाम बढ़ाने का काम किया, दूसरी तरफ अगर हमने प्रकाश देने का काम किया है, अपने उत्तर प्रदेश में अगर बिजली पैदा करने के लिए हमने अपने प्रोजेक्ट शुरु किए तो यह भारत सरकार, जो कोल ब्लॉक्स है, हमारी प्रदेश सरकार को न दे करके प्राइवेट कंपनियों को कोड़ियों के दाम बेच रही है और बांट रही है।

अपराहन 3.56 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप सवाल करिए, पूछिए, जिनको प्राइवेट कंपनियों में दिया है, आपने यह काम किया है या नहीं किया, वह कोयला कहां जा रहा है? मैं समझता हूं कि यह तो उत्तर प्रदेश के साथ साजिश है ही, इसके साथ यह किसान विरोधी सरकार है। बड़ी चर्चा हो रही थी, इसके पहले भी पेपर्स में विज्ञापन आया कि फूड सिक्योरिटी बिल आएगा। देश की गरीब जनता को जो कंफ्यूज़ किया गया, उन्हें बहकावा दिया गया कि शायद आपको कानूनी हक मिलेगा। लेकिन यह भारत सरकार फूड सिक्योरिटी बिल की जगह एफडीआई लेकर चली आई। ये एफडीआई क्यों लाई, क्योंकि इस देश में गरीबों को तबाह और बर्बाद करने की साजिश थी। इस नाते ये फूड सिक्योंरिटी बिल की जगह एफडीआई लेकर चली आई है। इसलिए हमारी पार्टी ने एफडीआई का विरोध किया। ...*(व्यवधान)* मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* बार-बार यह सवाल आता है, मैं बधाई देना चाहता हूं जितने भी प्रदेश हैं, जो टैक्स की बात हो रही है, अन्य प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में टैक्स सबसे कम हैं, आप महाराष्ट्र एवं दूसरे सूबों में देख लीजिए।

अपराहन 4.00 बजे

उसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कम टैक्स लगाया गया, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में अनाज सड़ रहा है, भारत सरकार गरीब के मुख की रोटी तो छीन रही है, लेकिन उनको वह अनाज नहीं बांट रही है। वह सड़ा हुआ अनाज किसको दे रही है, एक साजिश के तहत कि इनके पास गोडाउन नहीं हैं, अनाज सड़ा कर यह बड़े-बड़े शराब माफिया को शराब बनाने के लिए सड़ा अनाज दे रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: संक्षिप्त करिये। शरद यादव जी।

श्री दारा सिंह चौहानः इसलिए, सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि आज लोहे का दाम बढ़ रहा है, सीमेंट का दाम बढ़ रहा है, मैं भारत के वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं . ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब समाप्त करिये।

श्री दारा सिंह चौहानः गरीबी ऐसे दूर नहीं होगी, गरीबी तब दूर होगी, जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में वहां के गरीबों को देख कर, वहां के कंज्यूमर को देख कर जो मूल्य सूचकांक बनाये जाते हैं, लेकिन यह भारत की सरकार है, जो देश में गरीबों को देख कर नहीं, बल्कि यहां के पूंजीपतियों को देखकर यहां का मूल्य सूचकांक बनाती है, इसीलिए गरीबी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है।

मैं भारत सरकार के विद्वान वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक राजनैनिक इच्छा-शक्ति आपके अन्दर नहीं होगी, फाइव स्टार कल्चर में पलने वाले लोग इस देश के गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि गरीबी नहीं है, मैं तो कहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, मैं तो इस तरफ के साथियों को चेलैंज करता हूं, जो बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कि 2012 में जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, वहां गरीबी की मार पड़ी है, वहां आपको पता चल जायेगा, वहां के लोग जवाब देंगे, वहां फिर सरकार बनाकर जब आपकी जमानत जब्त होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदयः शरद यादव जी, आप बोलिये।

[अनुवाद]

***श्री जोस के. मणि** (कोट्टयम): मैं अपनी पार्टी केरल कॉंग्रेस (एम) की ओर से भारत में मुद्रास्फीति स्थिति तथा भारत में आम लोग, वर्तमान में जो मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव झेल रहे हैं, के प्रति गहरी चिंता जताने के लिए अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह तथ्य कि बढ़ती मुद्रास्फीति लक्षित जीजीपी प्राप्त करने के लिए हमारे प्रयारत को प्रभावित नहीं करती क्योंकि राष्ट्र की समग्र राजकोषीय स्थिति मौलिक रूप से अच्छी रही है। तो भी मुद्रास्फीति को काबू में रखने की सरकारी कोशिश आम आदमी के लिए किसी महत्त्वपूर्ण राहत में नहीं बदलती।

पिछले एक वर्ष से मुद्रास्फीति प्रतिशत से ऊपर रही है तथा सरकार एंव शीर्षस्थ बैंक द्वारा की गयी कोशिशों के बावजूद तुरंत कमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। स्थिति कुछ उत्पादों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह महामारी बन गयी है जो सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है, आवश्यक वस्तुएं भी अधूरी नहीं रही। मौजूदा अवधि में ईंधन और खाद्य पदार्थ जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में सतत एंव स्थायी बढ़त देखी गयी है। सब्जी, दाल जैसे खाद्य पदार्थ तथा मांस, फल, दूध जैसे पोषक खाद्य पदार्थ उपर्युक्त उल्लिखित दर से महंगी ही होती जा रही हैं। सरकार ने आयात आसान करने तथा आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए हैं पर मुद्रास्फीति को अभी भी कम करना शेष है।

मूल्य वृद्धि का सबसे बुरा उदाहरण है–जून 2010 में पेट्रोल पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करने के बाद इसके मूल्य में 33 प्रतिशत की वृद्धि। पेट्रोल मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने का कदम इसे अंतर राष्ट्रीय कीमतों के समकक्ष लाने तथा तेल कंपनियों में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठया गया था। ताकि इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिले।

हालांकि नियंत्रण मुक्त होने के बाद से पेट्रोल की कीमतों में 33 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं। यह भी देखा गया है कि पूरे भारतीय तेल विपणन कंपनियों में मूल्य वृद्धि एकसमान रही है यद्यपि वे तीन अलग कंपनियां हैं जिनकी अपनी तेल शोधनशालाएं तथा वितरण प्रणालियां हैं जिसके लिए आदर्श रूप से अलग ईंधन मूल्य होनी चाहिए थी। इस प्रकार विभिन्न कंपनियों के बीच कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं है तथा इनमें कपटपूर्ण मूल्य नीति दिखती है तथा मूल्य नियंत्रण समाप्त किया जाना लागत लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में विफल रहा है।

इसलिए इस क्षेत्र में अति आवश्यक सुधार नियंत्रण मुक्त किया जाना नहीं है, वरना पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन की लागत तथा बाजारी प्रतिस्पर्धा के अनुसार मूल्यों का निर्धारण है और सिंगापुर पेट्रोल मूल्य को सांदर्भिक बिंदू के रूप में नहीं लिया जाना है। अभी हमारा रूझान सिंगापुर पेट्रोल मूल्य प्राप्त करना, इसे रुपये में परिवर्तित करना और इसके बाद इसमें किराया लागत और आयात मूल्य जोड़कर पेट्रोल की कीमत तय करना है जिसका दुर्भाग्य से शोधन सिंगापुर में न होकर, भारत में होता है।

निजी शहरी परिवहन में पेट्रोल का महत्व तथा आम आदमी के दैनिक जीवन में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव का उल्लेख करना जरूरी नहीं है, जिनका खर्च बढ़ रहा है लेकिन जिनकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पेट्रोल की कीमतों में हाल की वृद्धि से इस वर्ग के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि शहरी जन-परिवहन प्रणाली का विस्तार देश में विभिन्न भागों में अभी होता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने के अतिरिक्त सरकार ने इस पर भारी कर भी लगाया है। पेट्रोल की कीमत का लगभग 40% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों का है। सभी प्रकार के करारोपण और तदुपरांत मूल्य-वृद्धि ने इस अपूरणीय उत्पाद को आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है। घरेलू रसोई गैस और किरोसिन के कीमतों में प्रस्तावित वृद्धि से स्थिति और भी बदत्तर हो जाएगी।

यहां यह सलाह है कि इस आवश्यक उत्पाद की कीमतों को एक-दूसरे पर हस्तांतरित करने के बजाए पेट्रोलियम क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यक्षमता में सुधार लाने व इनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाए ताकि आम आदमी भी मूलभूत आवश्यकताएं वैश्विक उत्पादकों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथों में न हो।

खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो, यहां भी स्थिति भिन्न नहीं है क्योंकि आवश्यक खाद्य सामग्री आम आदमी के पहुंच के बाहर हो रही है। यहां यह अवश्य ही उल्लेख किया जाए कि खाद्य फसलों की कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि ने किसानों को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं दिया है और हर लाभ बिचौलियों को मिला है। इस प्रकार, खाद्य पदार्थों का आयात करना और निर्यात पर रोक लगाना जैसे अल्पावधि कदम इस समस्या का समाधान नहीं हैं, वरना खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाने के लिए अनाजों के क्रम से बिचौलियों को हटाना, खाद्य उत्पादन के बेहतर साधनों को अपनाना, खाद्य पदार्थों का भंडारण और प्रसंस्करण समय की मांग है।

सरकार से निवेदन है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वह कठोर और दूरगामी उपाय करें और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि इन उपायों की वजह से विकास और रोजगार सृजन प्रभावित न हो।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, आज सदन में बात महँगाई पर हो रही है। हम तो बोल नहीं सकते, जब तक सब आगे न हों। यहां ऐसी स्थिति है कि 'शनै-शनै उठ जाएंगे, सब देवन के ठाठ, रही देवी काठ की और बाबा पारसनाथ।' ऐसी हालत हो गई है।

संक्षेप में, महंगाई पर बहुत दिन से प्रयास चल रहा था। सुषमा जी ने, गुरुदास दासगुप्ता जी ने, रेवती रमण जी ने, दारा सिंह चौहान जी ने और पी.सी. चाको चले गए ...*(व्यवधान)* बहुत बातें यहां रख दी गई हैं। मैं चाको जी की इज्जत करता हूं, वे यहां के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में महंगाई का असर बरपा है, फैला हुआ है। प्रधानमंत्री जी जी-20 में बहुत जाते हैं। पी.सी. चाको जी चले गए ...*(व्यवधान)* आ गए। ...*(व्यवधान)* बहुत-बहुत मेहरबानी। जी-20 देशों में सितंबर-अक्टूबर यथा में उपयोक्ता मूल्य वृद्धि है: इंडिया सितंबर में 10.1 हैं, अर्जेनटीना 9.7 हैं, टर्की 7.7 हैं, ब्राजील 7.3 है, रूस 7.2 है, साउथ अफ्रीका 5.7 है, चाइना 5.5 है, सऊदी अरब 5.3 है, यूनाइटेड किंगडम 5 है, इंडोनेशिया 4.4 है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 3.9 है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 3.5 है, अन्य और भी देश हैं, लेकिन मैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है।

महंगाई के मामले में बहुत बार यहां चर्चा हुई है। सरकार की तरफ से प्रयास भी हुए हैं, लेकिन उन प्रयासों का असर कहीं नहीं दिखता है। वे प्रयास ऐसे ही हैं, जैसे 63 साल में हम कोई राह ही नहीं पकड़ पाए और जब कोई समाज, कोई देश राह नहीं पकड़ता है तो वह भटकता ही रहता है। मैं सोचता हूं कि इस देश की त्रासदी यह है कि हम भटकते रहते हैं। कभी हमारा मोह, कभी हमारा लगाव हो जाता है और हम बिल्कुल मन बना लेते हैं कि दुनिया बदलेगी, तो रूस के रास्ते बदलेगी। अब हमने मन बना लिया है कि दुनिया बदलेगी तो यूरोप के रास्ते बदलेगी। हम यह कहीं नहीं सोचते हैं कि यूरोप ने तीन सौ, चार सौ वर्षों तक दुनिया को लूटा। उसकी जो संपन्नता आपको और हमको दिखती है, वह तीन सौ, चार सौ वर्षों की लूट की वजह से है। उसने यहां ही दो सौ साल राज किया। उसकी जो सम्पन्नता है, वह दुनिया की लूट से जुड़ी हुई है। हम उसकी राह चलना चाहते हैं। वह राह कभी भी ठीक नहीं हो सकती है।

सुषमा जी ने सब तरफ से बात को यहां रखा और गुरुदास जी ने भी अपनी बात को रखा। गुरुदास जी सदन से चले गए। बहुत विस्तार से इस पर यहां चर्चा हुई। विस्तार से कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है और आप समय भी नहीं देंगे। ...(व्यवधान) इसमें उनकी गलती नहीं है, समय बंधा हुआ है।

इतने वर्षों की लूट पर वह खड़ा है और हमने यह मान लिया है कि यह जिस रास्ते पर है, वही रास्ता दुनिया को बनाना है। मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि यह देश ही नहीं, सभ्यता तो एक नहीं है, कई तरह की सभ्यताएं हैं, हमारे देश की भी एक सभ्यता है। यूरोप की सभ्यता अगर रह गयी, तो आपकी जिंदगी कभी संवर नहीं सकती, आपका देश कभी उबर नहीं सकता है। आप इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे और इस रास्ते पर डूबे बगैर आपका कोई बचाव नहीं है। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। आपका प्रयास क्या होता है? रेपो रेट घटाओ, रिवर्स करो, रेपो रेट बढ़ाओ। 13 बार आपने यह कवायद की। इसका क्या असर हुआ? असर इसलिए नहीं हुआ कि जो व्हाइट इकॉनामी है, उससे

ज्यादा तो हमारी ब्लैक इकॉनामी है, पैरलल नहीं उससे ज्यादा है। वह दोगुनी है, डेढ़ गुनी है, यह मुझे नहीं मालूम है। जो व्हाइट मनी है, उसमें रेपो रेट बढ़ाओ या घटाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप को रिज़र्व बैंक को जिम्मा देना चाहिए कि पैसे का जो अवमूल्यन हो रहा है इस का पीछा करो। रुपये का अवमूल्यन क्यों हो रहा है? उसी रास्ते से जिस रास्ते पर आप चल रहे हो। उसी रास्ते से मतलब है कि रिज़र्व बैंक को आप को जिम्मा देना चाहिए कि रुपये का जो गिरावट है उसको रोको। इसी के चलते आप ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। यानी वहां महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी और यहां रुपये में गिरावट होगी तब महंगाई बढ़ेगी। सवाल यह है कि आप के सारे प्रयास क्यों नहीं सफल हो रहे हैं? इसलिए सफल नहीं हो रहे हैं कि नकलची है, वह कितना ही कसरत करे। आज नहीं जब से हम आजाद हुए हैं तब से यही काम चल रहा हैं। आप यदि इस सदन के वर्ष 1952 के भाषण पढ़ लें और सुषमा जी के बयान को पढ़ लें तो कोई फर्क नहीं लगेगा। जो पीड़ा उस समय थी, जो दर्द उस समय था, देश का दु:ख दूर नहीं हुआ। वह बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है। इस पर विस्तार से क्या बोलें? इस पर कई बार बोल चुके हैं। महंगाई पर गुरुदास दासगुप्ता जी और लेफ्ट वाले लोग बहुत ठीक थे कि बहस होनी चाहिए। हम सब लोग भी चाहते थे। प्रणव बाबू तो यहां से चेले गए। उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें क्या बोलना है?

[अनुवाद]

श्री के. बापीराजू (नासापुरम): वे अपने कक्ष में भी सुन रहे होंगे

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यादव जी कृपया संक्षिप्त कीजिए।

श्री शरद यादव: उन्होंने मन बना लिया है। देश के कई वित्त मंत्री बयान दे चुके हैं। एक मोनोटोनस, एक बाजा बज रहा है, उससे संगीत नहीं निकल सकता है। उससे संगत नहीं निकल सकती है, गम्मत नहीं निकल सकती है। सीधी बात यह है कि आप उपाय करते हैं लेकिन रिज़र्व बैंक की शरण में करते हैं। वह फेल हो रहा है। वह कोई काम नहीं आता है। अब आप के जो राज्य चला रहे हैं उनको देखिए। सभापति महोदय, उन्होंने देश की जमीन कभी सूंघी नहीं है। इसे देखा नहीं है। मोंटेक सिंह अहलुवालिया, देश से वास्ता कभी समझ में नहीं आएगा। अब चिदम्बरम, फिर मनमोहन सिंह, यह ऐसी जोड़ी है कि आप माथा मार लो लेकिन कभी भी महंगाई नहीं घट सकती है। साधारण सी बात है, महंगाई घटाने की, यह नहीं घटेगी। रेवती रमण सिंह जी ठीक कह रहे थे। आप कहते हैं कि आपने किसानों की फसल के दाम बढ़ा दिए लेकिन खरीद कहाँ कर रहे हैं? पचास साल पहले हरियाणा और पंजाब में जो कर रहे थे वह अभी कर रहे हैं और कहीं तो खरीद नहीं करते हैं। खरीद का इंतजाम भी नहीं हुआ। किसी की भी सरकार हो, किसी ने नहीं किया। यह हालत है। आप इलाहाबाद, पटना, दरभंगा या गुजरात चले जाइए, सुषमा जी ने ठीक कहा कि वहाँ तो क्रॉप हॉलीडे के लिए लोग वाजिद हो गए हैं। देश तबाही की तरफ जा रहा है। आप कहां फसल खरीद रहे हैं। फूड मिनिस्टर बैठे हैं। एफसीआई जो है, लिमिट लो है। *...(व्यवधान)* आप चीजों के दाम तय कर रहे हैं। चीजों के दाम तय कर रहे हैं तो खरीद कहां कर रहे है। अभी प्रणब बाबू सुषमा जी के सवाल पर बोल रहे थे। वे एकदम खड़े हो जाते हैं और फिर बताते समय दुरुस्त हो जाते हैं। वे भी अद्‌भुत आदमी हैं।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने संक्षेप में बोलने के लिए कहा है।

श्री शरद यादव: ठीक है, मैं कनक्लूड कर देता हूं। बाकी तैयारी बंद करता हूं। मैं कह रहा था कि किसान की खाद का क्या हाल है। यहां श्रीकांत जेना बैठे हुए हैं। *...(व्यवधान)* वे क्या करें, जैसा इंतजाम किया गया है, सब्सिडी कारखाने के मालिकों के यहां आ जाती है। *...(व्यवधान)* हां, एक अकल वाला आदमी था, उनका डिमोशन कर दिया और श्री मोंटेक सिंह मजे में है। अभी सुषमा जी आंकड़े बता रही थीं। *....(व्यवधान)* वे क्या-क्या कहते हैं–2632 यानी 36 नहीं बताते, है छ: का आंकाड़ा। *....(व्यवधान)* खाद की हालत यह है की डीएपी तिगुने दाम पर बिक रहा है, कालाबाजारी में बिक रहा है। वह विदेशों से मंगाया जाता है। हम आज तक बड़े पैमाने पर अपने देश में एक कारखाना नहीं लगा पाए हैं, किसान की क्या सेवा करेंगे। जो कारखाने थे, उन्हें हमने बंद कर दिए। हमने बारह सालों में खाद का एक कारखाना नहीं लगा पाए हैं, किसान की क्या सेवा करेंगे। जो कारखाने थे, उन्हें हमने बंद कर दिए। हमने बारह सालों में खाद का एक कारखाना नहीं लगाया और हम कह रहे हैं कि पूर्व की तरफ ग्रीन रिवोल्यूशन करेंगे। आप इसमें कितना पैसा देते हैं–400 करोड़ रुपये के लिए कह रहे हैं। हालत यह है कि सरकार ने महंगाई घटाने के बारे में गंभीरता से न अभी तक प्रयास किया है और न आगे करेगी। वह इस बात पर निर्भर है कि मौसम ठीक हो गया और फसल आ गई।

अभी मुझे श्री सुरेंद्र सिंह नागर बता रहे थे। वे बड़े मालदार व्यक्ति हैं। वे जेवर गए थे। वहां शिमला मिर्च सड़ रही है और टमाटर दो रुपये किलो बिक रहा है। सुषमा जी ने तो यहां के आंकड़े बताए हैं। आप फर्रुखाबाद से लेकर सारे देश में जहां भी आलू पैदा होता है, वहां चले जाइए। वह दो रुपये किलो बिक रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यादव जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव: महंगाई कहां से कम हो जाएगी। जो दौलत बनती है, हम उसे समेट नहीं सकते। हमने एफसीआई का कभी विस्तार नहीं किया। हमने गोदाम नहीं बनाए। आलू रखने के लिए लोगों ने अपने आप इंतजाम किया, लेकिन दाम ही ठीक नहीं मिल रहे हैं। जहां फसल पैदा होती थी, उसे आपने एसईजेड के लोगों को दे दिया। आपने शहर के आस-पास की जमीन दे दी है तो फसल कम हो गई है। गेहूं का रूतबा नौ फीसदी कम हो गया है। आप ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनसे महंगाई घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए क्योंकि समय हो गया है।

श्री शरद यादव: मैं इन्हीं बातों के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार की बहस सगुण हो जाए, सरकार चेत जाए और नया रास्ता पकड़े। बहस नहीं बल्कि हम सबको बुलाए और कहें कि हमारा रास्ता फेल हो गया है, इसलिए आप बताइए कि क्या रास्ता है, क्योंकि यह मामला न आपका है न हमारा है। महंगाई से सबसे ज्यादा गरीब लोग तंग और तबाह हैं। उनकी खिदमत करने के लिए यहां सब लोग खड़े हैं। आप भी उनकी खिदमत करने का काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन हो नहीं नही है। हम साथ बैठकर कोई रास्ता सोचें।

***श्री देवजी एम. पटेल** (जालौर): आज देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है महंगाई का असर सबसे ज्यादा मध्यम व निम्न वर्ग पर पड़ रहा है। जिसके कारण उनको जीवनयापन करने में बड़ी कठिनाई नजर आ रही है। देश में भ्रष्टाचार एवं जमाखोरी इतनी ज्यादा व्याप्त हो गई है कि सरकार को भी दांतों तले चने चबाने पड़ रहे है। अब सरकार भी कहने लगी है कि मैं मजबूर हूं। सरकार अगर कोई कदम शीघ्र नहीं उठाती, तो बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता का जीवन में पड़ सकता है।

सरकार अगली फसल अच्छी होगी तो महंगाई घटेगी का राग अलापने में जुट जाती है। महंगाई के दहाई के आंकड़े आने के ठीक पहले वित्त मंत्री ने कहा दिसम्बर में महंगाई दर घटेगी तो प्रधानमंत्री के सलाहकार परिषद् के सदस्य सी. रंगराजन ने तो और चतुराई से बयान दिया कि आने वाले महीने में महंगाई दर घटेगी। यह बार-बार सुना एक ऐसा डायलॉग हो गया है जिसे सुनकर शायद लोगों के कान पकने लगे हैं। आज भी असंख्य लोग ऐसे हैं जो दो वक्त भोजन जुटाने का सामर्थ भी खो चुके हैं। आमदनी अगर 50 पैसे बढ़ती है तो महंगाई के कारण खर्च दो रुपए बढ़ जाता है गरीब होता जा रहा है और मध्यम वर्ग के रहन-सहन के स्तर में गिरावट आई है। गृहणी का बजट गड़बड़ा गया है। आज बचत का विचार ही इस महंगाई के जामने में कुविचार लगने लगा है। स्वास्थ्य से लेकर बाकी आकस्मिक जरूरतों की पूर्ति इस बढ़ती महंगाई के युग में ईश्वर के भरोसे है। लोग महंगाई से राहत चाहते हैं। लोग महंगाई के खिलाफ ठोस उपाय चाहते हैं। लेकिन सरकार ऐसा करने में नाकाम है। वह कालाबाजारी/मुनाफाखोरी/जमाखोरी/भ्रष्टाचार को रोकने में लगातार विफल हो रही है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में रबी की बुवाई शुरू हो गयी है, लेकिन किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने में असफल हो रही है। रबी की फसल में इन दिनों खाद का समय है, करीब 20 से 25 दिनों तक यूरिया देने का समय है।

पिछले पांच वर्षे से जालोर ज़िले में डीलर द्वारा यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। जालोर ज़िले की यूरिया अवैध तरीके से गुजरात भेजी जा रही है। जिले में किसानों को यूरिया मिल नहीं रहा है। या मँहगें दामों में मिल रहा है। वर्तमान में यूरिया खाद में एक बैग की कीमत 290 रुपये हैं, जबकि यहां डीलर एक बैग को 400 से 500 रुपये में बेच रहे है। हर बार दुकानों पर डिलेवरी होल सेल डीलर करते हैं। सांचोर के खाद डीलर शहर के सभी खाद बीज की दुकानों पर यूरिया खाद नहीं दे रहा है व सप्लाई में भेंदभाव बरत रहे हैं। यूरिया की कालाबाजारी के विरोध में किसानों, उपखंड मुख्यालय के समक्ष बारह दिनों से धरना दे रहे हैं, इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाई नहीं की जा रही है।

कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, भ्रष्टाचार के कारण तेजी से महंगाई बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए कदापि लाभप्रद नहीं होता। भारत जैसे गरीब देश में तो इसके प्रतिगामी परिणाम हो सकते हैं। देश में आज एक बड़ी जमात ऐसी है जिस तक विकास के फायदे नहीं पहुंचे हैं, जिनकी आय नहीं बढ़ी है। अब महँगाई तभी रूकेगी जब सरकार अपनी प्राथमिक नीतियों में गरीब भारतीयों के अनुरूप परिवर्तन करेगी।

चारों तरफ भ्रष्टाचार एवं जमाखोरी बढ़ रही है, जिसमें सरकार भी कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से लिप्त नजर आने लगी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है। आये दिन जनता को सरकार द्वारा केवल राजनैतिक नजरिए से झूठी दिलासा ही दी जा रही है। मगर अब जनता जान गई है कि अगर देश में महंगाई को कम करना है तो सरकार को कुछ विशेष कदम उठाने होंगे और भ्रष्टाचार खत्म करके महंगाई को कम करना होगा।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी: (श्रीरामपुर): महोदय, यह चर्चा पिछले दो घंटे से हो रही है। मैंने सुषमा दीदी के भाषण के साथ-साथ सभी का भाषण सुना। मैं इस प्रकार के भाषण के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं देश चाहता हूं। मैं काफी उत्सुकता से विपक्ष के नेता की सलाह का इंतजार भी कर रहा था। उन्होंने 45 मिनट में बहुत ही संवेदनशील और भावुक भाषण दिया। उनके भाषण ने सचमुच में दिल को छुआ है। लेकिन इसमें सुझाव क्या थे? आखिर कार, वह देश का नेतृत्व करना चाहती थी। क्या मूल्यों में वृद्धि एक माह या दो माह या एक वर्ष के लिए प्रभावी हैं?

वे कह रही थी कि श्री गुरुदास दासगुप्ता द्वारा दिए गए आंकड़े 2001 के है। जब उनकी पार्टी सरकार चला रही थी। क्या मैं उसका एक संदर्भ दे सकता हूं? हमारे पास वह आंकड़ा है। इस पक्ष से उस पक्ष तक आंकड़ों की जादूगारी होगी। अंततः स्थिति यह है। जब कोई व्यक्ति बाजार जाएगा, उसे महंगाई महसूस होगी। 2001 में चावल की कीमत 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 2002 में यह बढ़कर प्रति किलोग्राम 10.41 रु. हो गयी। 2003 में यह प्रति किलोग्राम 11.05 रुपये थी। 2004 में यह 11.06 रुपये प्रति किलोग्राम थी। मैं पूरा आंकड़ा दूं तो बहुत समय लगेगा। बढ़ता हुआ आंकड़ा इस बात का सूचक है कि प्रति वर्ष महंगाई बढ़ रही थी, चाहे यह पार्टी या वह पार्टी सरकार में हो। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया उन्हें परेशान मत करें।

...*(व्यवधान)*

श्री कल्याण बनर्जी: अब, आप लोग सभा में आना चाहते हैं। लेकिन केवल भाषण देकर आप लोग सभा में नहीं आ सकते हैं। सभा में आने के लिए आपको जनादेश की जरूरत होगी। मैं विपक्ष के नेता को इस बहुत ही अच्छे भाषण के लिए अपकी शुभकामनाएं दे दी है।

मूल्य वृद्धि हमारे देश में अब एक तथ्य है। यह लगातार हो रही है। इसके स्थायी रूप ले लेने से पूर्व इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। एक स्थायी नीति बनायी जानी चाहिए।

मैंने सुषमा दीदी से इस बारे में कुछ नहीं सुना कि जिन राज्यों में उनकी सरकार हैं, उन्होंने महंगाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाया है।

मैंने इसके बारे में एक भी वक्तव्य अथवा सुझाव नही सुना है। मैं बड़ी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह एक अच्छा भाषण था। मैं उम्मीद कर रहा था कि इस भाषण में कुछ सार्थकता होगी। परंतु इसमें ऐसा कुछ नही था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। कृपया उन्हें बोलने दे।

...*(व्यवधान)*

श्री कल्याण बनर्जी: मात्र एक भाषण देकर आप सभा में नही आ सकते। आपको जनादेश लाना होगा। कीमतों में वृद्धि हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। मुझे समझ नहीं आता जब मैं सुषमा दीदी के भाषण को इतना महत्व दिया है, मैंने उनके भाषण को सम्मान दिया है, आप इस बात से परेशान क्यों हैं? बढ़ती कीमतें एक निश्चित आमदनी प्राप्त करने वाले समूह की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं।

गरीब लोग जो असंगठित क्षेत्र में है, बुरी तरह से प्रभावित हैं। सभी आकड़े दिए गए हैं। प्रणव दा कहेंगे कि गत तीन महीनों में मुद्रा स्थिति की दर में गिरावट आती है। जी हां, यह शीत वस्तु का समय है। सब्जियों का काफी उत्पादन हो रहा है। श्री गुरुदास दासगुप्त जी ने शीत ऋतु में परवल खरीदने का साहस दिखाया परंतु मैं इतना सहासिक नही हूं। शीत ऋतु में मैं केवल फूल गोभी और बंदगोभी खरीदता हूं परंतु श्री गुरुदास दासगुप्त परवल खरीदते हैं। ग्रीष्म ऋतु में श्री गुरुदास जी फूलगोभी और बंदगोभी खरीदते हैं। मेरे पास इतना साहस नही और मैं उस समय केवल परवल ही खरीदता हूं। इस प्रकार परवल निसंदेश बहुत ही महंगी सब्जी है।

श्री गुरुदास दासगुप्त जी यहां उपस्थित नहीं हैं। जब वे लेक टाउन बाजार जाते है मैं भी वहां जाऊंगा। शनिवार को मैं बाजार जाऊंगा और आलू बेचने वाले से आलू की कीमत पूछूंगा और उसके द्वारा बताई गई कीमत श्री गुरुदास दासगुप्त जी द्वारा बताई गई कीमत से कम होगी। ऐसा एक बार हुआ है। दुर्भाग्यवश श्री गुरुदास दासगुप्त जी यहां उपस्थित नहीं है।

खैर महोदय हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर रोकथाम के लिए समाधान आवश्यक है। मैं प्रतिपक्ष के नेता जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं की ओर से बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा कर रहा था।

हमें अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा और साथ ही खाद्य आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करना होगा। इसलिए आज केंद्र सरकार को कृषि उत्पादन में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

हाल ही में लगभग एक माह पूर्व यदि मैं गलत नही हूं तो केंद्र सरकार द्वारा किसानों से धान की खरीद के लिए एक परिपत्र जारी किया गया है और यह कहा गया कि भुगतान सीधा किसानो को चैक के माध्यम से किया जाएगा। इसको लागू किया जाना है। यदि इस परिपत्र को प्रत्येक राज्य में लागू किया जाता है तो मैं आशा करता हूं कि इससे किसानों का संरक्षण होगा। हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ी सख्ती से इसको लागू किया है। यदि आप किसानों से धान खरीदना चाहते हैं तो आपको धन का भुगतान चैक से करना होगा। 1039 रु. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। मैं केंद्र सरकार और साथ ही प्रणव दा और अन्य माननीय मंत्रियों से किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का निवेदन करना चाहूगां जिससे कि वे धान बाजार मूल्य पर बेच सके, लाभ प्राप्त कर सके और साथ ही बिचौलियों की अबधारणा को समाप्त किया जा सके।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए

श्री कल्याण बनर्जी: इतनी जल्दी।

सभापति महोदय: आप आठ मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री कल्याण बनर्जी: महोदय मैं कम से कम 12 मिनट बोलने का हकदार हूं। मैं अपने दल की ओर से बोल रहा हूं। मैंने कुछ मिनट भी नहीं बोला है।

सभापति महोदय: कृपया जारी रखें।

श्री कल्याण बनर्जी: उवर्रकों पर राजसहायता की निरंतर आवश्यकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरक राजसहायता बंद कर दी है। कुछ महीने पूर्व उर्वरक की कीमत 700 रु. थी और यह अब 2100 रु. तक पहुंच गई है आपने अब राजसहायता बंद कर दी है। आप सभा को बताएँ कि आपने उर्वरकों पर राजसहायता समाप्त नहीं की है और पुरानी दर लागू होगी।

महोदय, पश्चिम बंगाल और असम में भी अनेक जूट उत्पादों का उत्पादन होता है। समय-समय पर हमनें जूट उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने को कहा है। एक माह पूर्व यहां तक कि मंत्री महोदय 30 प्रतिशत समर्थन मूल्य देने पर सहमत थे परंतु इसे दिया नहीं गया है और पश्चिम बंगाल और असम में लागू नहीं किया गया है।

महोदय, निगरानी व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। गत एक अथवा दो महीनों में हमारी मुख्यमंत्री कोलकत्ता के दस बाजारों में गई और मूल्य वृद्धि पर रोकथाम का प्रयास किया।

इस रोकथाम में, 300 लोगों को काली सूची में डाला गया और 300 डीलरों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जो हमारी राज्य सरकार बहुत सख्ती से उठा रही है। इस प्रकार के कदम पहले कभी नही उठाए गए। पश्चित बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की साझा सरकार है। हमारी मुख्यमंत्री मूल्य वृद्धि पर रोकथाम और नियंत्रण के प्रयोजन से बाजार दर बाजार सवेक्षण कर रही है। इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए ...*(व्यवधान)* ऐसा पहले नही किया गया कि 300 व्यक्तियों को काली सूची में डाला गया हो ...*(व्यवधान)* गत 35 वर्षो में आप ऐसा नही कर सके परंतु हमने ऐसा किया। आपको यह सहन करना चाहिए ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री कल्याण बनर्जी: महोदय भारतीय जूट निगम को पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में समर्थन मूल्य प्रदान करना चाहिए। इसकी अत्यंत आवश्यकता है।

महोदय, पश्चित बंगाल में आलू का काफी उत्पादन होता है। परंतु वहां शीतागारों का अभाव है। हमे शीतागारों की आवश्यकता हैं। हमारी सरकार को विरासत में 2,30,000 करोड़ रु. का ऋण मिला है। इसके बाद भी हम शीतागारों के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। हमें शीतागारों की आवश्यकता हैं। केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों में शीतागार स्थापित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। ऐसा किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री कल्याण बनर्जी: महोदय मुझे कुछ और समय दीजिए प्रचालन क्षेत्र में वृद्धि के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए। इसे सख्ती ले लागू किया जाना चाहिए।

यदि इसे कड़ाई से लागू किया जाता है तो काले बाजार में इन उत्पादों को बेचने वाले लोगों पर नकेल लगाई जा सकेगी। इस प्रकार उत्पादों की काला बाजारी को रोका जा सकेगा। और कुछ हद तक मूल्य वृद्धि को रोका जा सकेगा। इसलिए यह कदम उठाए जाने चाहिए।

नियमित निगरानी तंत्र होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा विधान के माध्यम से एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इस निगरानी तंत्र का रूप चाहे कुछ भी हो, जब इसे लागू किया जाएगा तो निश्चित तौर पर मूल्य वृद्धि को नियंत्रित और रोका जा सकेगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसा किया जाएगा।

केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्ता करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): मैं महंगाई पर नियम 193 के तहत हो रही चर्चा के संबंध में कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सर्वविदित है कि महंगाई बढ़ी है, आम आदमी परेशान हो रहा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अत: मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए मेरे सुझाव निम्नांकित है:

- मूल्यवृद्धि का सबसे बड़ा कारण वायदा व्यापार है। होर्डिंग वाले लोग कम्प्युटर के माध्यम से लाखों टन वायदा वस्तुओं का व्यापार करते हैं और इससे वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। अत: खाने-पीने की चीजों को वायदा व्यापार से अविलम्ब मुक्त करें और इस हेतु जल्दी वायदा व्यापार कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। वायदा व्यापार की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार मुख्य मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें गुजरात के मुख्य मंत्री उस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने यह रिपोर्ट दी थी कि खाद्य पदार्थों की वस्तुओं में वायदा व्यापार प्रचलन में होने के कारण महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ती है। इसलिए वायदा व्यापार से इन वस्तुओं को हटा लिया जाना चाहिए। यूपीए-2 की सरकार ने यह समिति बनाई और यूपीए-2 सरकार ही इस समिति की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। यह बहुत विचित्र बात है। इसीलिए महंगाई कम नहीं हो रही है। अत: सरकार को उन सभी सिफारिशों को तुरंत लागू करना चाहिए जो विभिन्न समितियों ने महंगाई कम करने के लिए सरकार को प्रस्तुत की है।

- आवश्यक वस्तु अधिनियम को भी कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है। आवश्यक अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए शॉर्ट ट्रायल की व्यवस्था की जावे एवं संभव हो तो पृथक से इसके लिए कोर्ट स्थापित कर दिये जाएं, क्योंकि जिला कलक्टर को अधिक व्यस्तता के कारण समय कम मिलता है। इससे अपराधी को शीघ्रता से दण्ड मिलेगा एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन की घटनाओं में कमी आयेगी।

- आयात-निर्यात नीति की समीक्षा की जानी चाहिए तथा महंगाई किस तरह से घटे इसको ध्यान में रखते हुए आयात-निर्यात की नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

- जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में खाने-पीने की चीजों के लिए डेली रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जब तक मुल्यवृद्धि में सुधार नहीं हो, तब तक आवश्यक रूप से भारत सरकार को प्रतिदिन मूल्य वृद्धि की समीक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है।

- भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब तक कृषि की विकास दर को ठीक नहीं किया जायेगा, तब तक महंगाई कम होने की संभावना नहीं है। अत: किसानों को जीरो प्रतिशत से दो प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाए। सरकार को कृषि क्षेत्र की आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए वृहत स्तर पर विनियोजन करना चाहिए। सरकार को यह अंदेशा हो सकता है कि इसके लिए इतना पैसा कहां से आयेगा, तो इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए और जिन योजनाओं से आधारभूत संरचना विकसित करने में कोई विशेष योगदान नहीं हो रहा है, उन योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। उन बन्द की जाने वाली योजनाओं की बचत राशि से कृषि से संबंधित आधारभूत संरचनाएं विकसित की जानी चाहिएं। इससे कृषि की विकास दर भी बढ़ेगी, किसान आत्महत्या करना भी बन्द करेगा और महंगाई पर भी असर पड़ेगा।

- महंगाई और भ्रष्टाचार का चोली-दामन का साथ है। अत: भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इसके लिए सख्त कानून बने और जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उनको शीघ्रता से सजा मिले जिससे भ्रष्टाचार में कमी आये और इसके फलस्वरूप महंगाई में भी कमी आने की संभावना रहेगी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

- खाद्यान्नों के संकट के कारण महंगाई बढ़ने की बात सरकार कह रही है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए बंजर पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। सिंचाईं के साधनों का विकास ज्यादा से ज्यादा किया जाए। पी.पी.पी. मोड पर आधारित कृषि क्षेत्र में निवेश करने वाले लोगों की सूची तैयार करके निवेश हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाए जिसमें कृषि के उत्पादनों में बढ़ोतरी हो, मांग एवं पूर्ति के बीच में अंतर भी कम हो सके।

- भंडारण व्यवस्था समुचित नहीं होने के कारण कई बार किसानों की पकी-पकाई फसल खराब हो जाती है। अत: इस संबंध में मेरा सुझाव है कि व्यापक स्तर पर ऐसी योजना निर्धारित कर 5 हेक्टर तक भूमि रखने वाले प्रत्येक किसान को भंडारण के लिए गोदाम बनाने हेतु ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए। योजना बनाने के लिए नाबार्ड का सहयोग लिया जा सकता है।

- कृषि विकास के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित है, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग है। अत: तकनीकी कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से एक कम्पोजिट योजना बनाई जानी चाहिए और शेष सभी योजनाओं की समीक्षा करके उपयुक्त उपबंध कम्पोजिट प्लान में सम्मिलित किये जा सकते हैं और शेष योजनाओं को हटाया जाना चाहिए ताकि किसान योजना को भंली-भांति समझ सके एवं अपने खेत में उस योजना को लागू कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग कर सकें।

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम): देश में वर्ष 2008 से शुरू हुई महंगाई आज इतनी गंभीर और व्यापक हो चुकी है कि सरकार को आज इस ज्वलंत मुद्दे पर सदन में बहस करने पर मजबूर होना पड़ा है। आज स्थिति यह है कि महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। यूपीए सरकार के सत्ता संभालने के बाद से महंगाई के मुद्दे पर इसी सदन में कम से कम दस बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन इन चर्चाओं का कोई खास नतीजा नहीं निकला। आम आदमी को महंगाई की मार से बचाने में यूपीए सरकार विफल रही है।

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है लेकिन देश की बाकी जनता कैसे जिए इस विषय में सरकार क्यों विचार नहीं करती है। आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही हैं लेकिन उस पर लगने वाले करों का भार लगातार बढ़ रहा है। सरकारी स्तर पर जिस तरह घपले-घोटाले हो रहे हैं उससे देश की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आम आदमी आर्थिक मोर्चे पर सरकार के काम-काज को किसी सैद्धांतिक नजरिए से नहीं बल्कि रोजमर्रा के अपने अनुभव से परखता है। इसलिए महंगाई उसके लिए एक गहरी चिंता का विषय है लेकिन केंद्र सरकार की इस मामले में सक्रियता मंहज आश्वासनों तक सीमित रही है। जब भी महंगाई का सवाल उठता है तो सरकार कभी वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है तो कभी मूल्यवृद्धि को विकास की सहज परिणति बताने में भी संकोच नहीं करती। आज आम आदमी का व्यावहारिक कड़ुवा अनुभव यह है कि महंगाई लगातार न सिर्फ बनी हुई है बल्कि लगातार इसका ग्राफ ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम पिछले तीन सालों में 100 उन चुनिंदा चीजों की सूची बनाएं, जिनका अधिकतर लोगों से पाला पड़ता है, तो हमें साफ पता चलेगा कि किस तरह इन तमाम चीजों में पिछले सालों के भीतर 150 फीसदी तक मूल्य वृद्धि हुई है।

महंगाई बढ़ाने में मुख्य भूमिका सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली की होती है। बाजार सिर्फ सरकार का इशारा समझता है। सरकार अगर खाद्यान्नों को होल्ड कर रखती है और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करती है तो इससे जो बिचौलिए और होल्डर होते हैं उनको खेलने का मौका मिल जाता है। अगर सरकार समय पर बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ा दे तो बिचौलियों को यह डर सताने लगता है कि अगर वह कृत्रिम कमी पैदा कर दाम बढ़ाने की कोशिश करेगा तो सरकार बाजार में दखल देगी। लेकिन अपने देश में यह डर खत्म हो गया है तथा कालाबाजारियों की ताकत बढ़ गयी है। देश में मौजूदा कृषि उपज विपणन कानून के इस हद तक उदार बनाए जाने की आवश्यकता है कि खेतों से खाद्यान्न सीधे आज खरीदार तक पहुंचे। इसमें किन्हीं बिचौलियों की भूमिका कम से कम हो। खाद्यान्न और खरीददार के बीच में तरह-तरह के बिचौलिए और चैनल हैं जिनके कारण ही दाम बढ़ता है। अत: सरकार द्वारा इन चैनलों को तत्काल कम करना जरूरी है।

आजाद हिन्दुस्तान की यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है कि नीति-निर्माताओं की प्राथमिकता में आज आम-आदमी नहीं है। आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, उससे लगता है कि सरकार का उस पर कोई अंकुश नहीं रह गया है। आज यह आवश्यक है कि सरकार महंगाई को रोकने में ब्याज दरों को बढ़ाने के अतिरिक्त और उपाय सोचे और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों की बाजारी नियंत्रण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सरकारी नियंत्रण की नीति को पुन: प्रभावी बनाए।

आज भारत में भुखमरी और गरीबी के कारण अपराध बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है और नक्सलवाद को भी हवा मिल रही है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आम आदमी को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु जरूरी कदम उठाए। मैं एक कवि की निम्न पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि–

जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए।
सृजन शांति के वास्ते है जरूरी कि हर द्वार पर रोशनी गीत गाए।

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह): ये देश की जनता का दुर्भाग्य है कि महंगाई को जायज ठहराया जा रहा है। हाल ही में एक केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है, इस लिए महंगाई बढ़ रही है। लगभग इसी प्रकार के बयान प्रधानमंत्री जी भी देते हैं। महंगाई रोकने के कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं, बल्कि महंगाई बढ़ाने के अवसर पैदा किये जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने तो कई बार बयान दे-दे कर खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़वाई है, इसलिए देश के अधिकतर लोग इन्हें महंगाई मंत्री के नाम से पुकारते हैं। केन्द्र सरकार के मंत्री खाद्य पदार्थों की कीमतों में आग लगाने वाले वक्तव्य देने को कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। पता नहीं उनकी इस देश की जनता से क्या दुश्मनी है, शायद वे जनता को यू.पी.ए. को वोट देने का दंड दे रहे हैं। श्री शरद पवार जी ने तो कई बार कहा अभी भाव और बढ़ेगें, कभी कहा कि शक्कर अभी और महंगी होगी, कभी कहा कि इस साल अनाज कम पैदा होने की संभावना है। ये जमाखोरों के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन था, जिसका उन्होंने जमकर लाभ उठाया। इसी के परिणामस्वरूप शक्कर तथा अनाज महंगे हो गए। सुश्री अम्बिका सोनी जी के पास न तो खाद्यान्न से संबंधित विभाग है न ही तेल से। फिर भी उन्होंने महंगाई बढ़ाने वाले बयानों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने फर्माया कि लोगों की क्रयशक्ति बढ़ गई है, वे ज्यादा खरीददारी करने लगे हैं, इस लिए चीजें महंगी हो रही हैं। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका की एक महिला मंत्री (कोन्डलीजा राईज) ने बयान दिया था कि भारतीय ज्यादा खाना खाने लगे हैं इसलिए विश्व में खाद्यान्नों का संकट पैदा हो रहा हैं संभवत: सुश्री अम्बिका सोनी इसी इतिहास को दुहरा रही हैं। वित्त मंत्री महंगाई कम होने की नई-नई टाईम लिमिट घोषित करते रहते हैं, जिससे व्यापारी तथा जमाखोर बेफिक्र होकर मुनाफा करते हैं।

इस समय महंगाई के सबसे बड़े चैम्पियन है पेट्रोलियम मंत्री श्री जयपाल रेड्डी, उन्होंने शायद तेल कंपनियों के अधिकारियों को गोद ले लिया है। तेल कंपनियों के अधिकारी सरकारी पैसों से खुब ऐश कर रहे हैं किन्तु रोज कहते हैं कंपनियों को घाटा हो रहा है। वात्सल्य रस में गले तक डुबे हुए श्री रेड्डी उनकी फिजुलखर्चियों तथा तेल कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पास तेल के भाव बढ़ाने की मांग लेकर पहुंच जाते हैं। पिछले दो वर्षों में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है, फिर भी श्री रेड्डी जी कह रहे हैं कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। अब उन्होंने नया शिगूफा छोड़ा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया है इसलिए तेल कंपिनयों को घाटा हो रहा है। पता नहीं कब तक श्री रेड्डी जी तेल कंपनियों के अधिकारियों को बोतल से दुध पिलाते रहेंगे। श्री रेड्डी जी के इस वात्सल्य से तेल कंपनियों के अधिकारियों की बाछें खिली हुई हैं इसलिए वे हर महीने भाव बढ़ाने की मांग करते रहते हैं किन्तु श्री रेड्डी जी के वात्सल्य की कीमत देश की जनता खून के आसुओं से चुका रहे हैं। किसी वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य एक ही होता है, केवल परिवहन का खर्च जुड़ जाने से उसके मूल्य में परिवर्तन हो जाता है जैसे भुसावल में केला यदि 5 रुपये दर्जन है तो भोपाल में 12 रुपये, ग्वालियर में 15 रुपये एवं दिल्ली में 25 रुपये, इसी प्रकार नासिक में 4 रुपये प्रतिकिलो बिकने वाला प्याज दिल्ली में 20 रुपये प्रति किलो मिलेगा।

बैंगलोर में 5 रुपये प्रतिकिलो का टमाटर दिल्ली में 40 रुपये प्रतिकिलो बिकता है। यह सब केवल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने के कारण होता है। यदि भाड़ा कम होगा तो भाव भी कम होंगे, यदि भाड़ा बढ़ेगा तो कीमतों भी बढ़ेगी। तेल के खेल में गरीब जनता पीस रही है, गरीबो को दो वक्त की रोटी का प्रबन्ध करना असंभव हो रहा है, जो आदमी 20 रुपये में पेटभर भोजन कर लेता था अब उसे 50 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। खाने का तेल 80 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। जो व्यक्ति अपने घर में 1500 रुपये किराने के सामान से महीने भर का काम चला लेता था उसे अब उतने ही मात्रा में लिए अब 4000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। मनुष्य भूखा तो नहीं मर सकता है इस लिए खाने-पीने की चीजें चाहे किसी भी मुल्य पर मिले खरीद ही लेता है। आम इन्सान की इसी मजबूरी को सरकार क्रयशक्ति में वृद्धि निरुपित कर रही है, जबकि यह किसी व्यक्ति को बांधकर मारने वाली बात है। हाथ-पांव बांध दो फिर मारते जाओ और कहो कि इसके अंदर तो बहुत जान है और इतना पिटने के बाद भी जिन्दा है।

यदि सरकार का यह तर्क मान लिया जाए कि लोगों की क्रयशक्ति बढ़ी है तो किसान आत्म-हत्या क्यों कर रहे हैं, उनकी क्रयशक्ति क्यों नहीं बढ़ी, उनका जीवन स्तर क्यों नहीं सुधरा। वे अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए क्यों विवस हैं। वास्तविकता यह है कि किसान जहां पहले खड़ा था अभी भी वहीं है। उसे आज भी अपने उत्पादों की कीमत वहीं मिल रही है और पांच वर्ष पहले मिल रही थी, उदाहरण के लिए किसान से बिचौलिए और दलाल दो रुपये प्रति किलो के भाव से टमाटर और अन्य सब्जियों खरीद के 500 कि.मी. दूर ले जाकर 40 रुपये

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रतिकिलो बेंच रहे हैं। किसान को वही 2 रुपये ही मिले, उपभोक्ता जरूर 40 रुपये चुका रहा है। किसान का भी शोषण हो रहा है और गरीब उपभोक्ताओं का भी, मजे हैं, सिर्फ दलालों के, जो अपने राजनीतिक आकाओं के बल पर खुले आम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं जनता और गरीब किसान, उनका कोई मां-बाप नहीं है।

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल): मुद्रास्फीति व महंगाई पर सदन में जब भी चर्चा होती है पूरे देश के हर नागरकि की दृष्टि उस पर होती है यह बहुत ही महतवपूर्ण विषय है। मेरे से पहले भी अभी बहुत लोगों ने अपने विचार रखे और मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। आज सरकार के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि कहा और महंगाई कम हो जाये।

कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी का तात्पर्य है, जब कीमतें सामान्य स्तर से बढ़ जाती हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रभाव समान रूप से वितरित नहीं है। पैसे की क्रय शक्ति में कमी इसका मुख्य कारण हैं। मुद्रा स्फीति से नकद संपत्ति के साथ व्यक्तियों या संस्थाओं को अपनी जोत की क्रय शक्ति में गिरावट का अनुभव होता है।

सर्वप्रथम तो हमें यह जानना चाहिए कि देश में महंगाई बढ़ने के क्या कारण हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही है। कौन-कौन सी वो आवश्यक बातें व कारक हैं जो इसके लिए उत्तरदायी है। वो क्या कमियां व खामियां है जिनमें महंगाई बढ़ रही है। यह बहुत सोचने का एवं शोध का विषय है। जब तक इन कारणों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया जायेगा तब तक आप महंगाई के मूल तक नहीं पहुंच सकते हैं।

मैं गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है जिस के लगभग 53483 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल का लगभग 35394 वर्ग कि.मी. क्षेत्र वन में पड़ता है, जहां जनता को कई प्रकार की जीवन रक्षक जड़ी-बूटियां प्राप्त होती हैं। यहां की जनता इन वनों की लकड़ी का प्रयोग खाना बनाने हेतु नहीं करती है बल्कि इन जंगलों की रक्षा करती है जिससे देश का पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। यहां के जंगलों में समय-समय पर आग लगती रहती है और इस कठिन परिस्थिति में भी यहां की जनता विशेषकर महिलायें अपने जीवन की परवाह न करते हुए भी जंगल में लगी आग को बुझाने में अपना पूरा सहयोग देती है। उत्तराखंड राज्य के अधिकांश युवक भारत की सेना में रहकर देश की सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। भूतपूर्व सैनिकों की विगत कई वर्षो से लंबित मांग को भी अधिकारी स्तर से नीचे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारी मा. यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, जी के कुशल मार्ग दर्शन में रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी जी ने बजट में 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर अधिकारी स्तर से नीचे के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन व भत्तों में बढ़ोत्तरी की, रक्षा सेवाओं में उत्तराखंड के युवा बेरोजगारों को सेवायोजित किया एवं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण का शिलान्यास कर पर्यटन एवं तीर्थयात्रियों के साथ-साथ सेना के राशन एवं रसद में भी समय एवं धन की बचत से लाभान्वित किया तथा इससे पहाड़ में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन भी रूकेगा।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन व भत्तों में वृद्धि होने तथा छठा वेतनमान लागू होने से लोगों में क्रय शक्ति बढ़ी है। हमारी केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी रोजगार योजना के अंतर्गत देश के करोड़ों बेरोजगारों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है जिससे उनकी भी क्रय शक्ति बढ़ी है।

अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण नियम है मांग एवं पूर्ति, मांग एवं पूर्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और उसकी पूर्ति घटती है। तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तथा यदि किसी वस्तु की पूर्ति तो अधिक हो रही है और मांग कम है तो उसका मूल्य निश्चित रूप से कम होगा। तो इसे आप महंगाई का बढ़ना व कम होना कहेंगे।

महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण है विश्वस्तर पर मंदी का दौरा। आज जब सारे देश की अर्थव्यवस्था स्लो डाऊन के दौर से गुजर रही हैं ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था का 9 प्रतिशत की जी.डी.पी. दर को प्राप्त करना हमारे मा. प्रधानमंत्री जी की कुशल नीतियों व दूरदृष्टि का परिचायक है।

महंगाई बढ़ने का एक प्रमुख कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में व्यापक वृद्धि। जिसके कारण सभी प्रकार की वस्तुओं का परिवहन व्यय बढ़ जाता है और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। बढ़ते अनुसंधान व्यय के कारण दवाईयों की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जो कि शुरूआती चरण है जैसे-जैसे उसका उत्पादन बढ़ेगा वैसे-वैसे उसकी कीमतों में कमी आयेगी।

महंगाई के लिए केवल केन्द्र सरकार पर ही दोष नहीं मढ़ा जा सकता इसके लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेवार है। राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कर भी महंगाई के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार के करों से भी महंगाई बढ़ती है। श्रमिकों के बढ़ते वेतन भत्ते आदि भी महंगाई के लिए जिम्मेवार हैं। यह वो कारक हैं जो कीमतों के बढ़ाने व घटाने की सतत प्रक्रिया है।

ब्लैक मार्किटिंग, जमाखोरी एवं सट्टा यह भी वो कारक हैं जो महंगाई को प्रभावित करते हैं। जमाखोरी लाभ वसूलने के लिए करते हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी कार्यवाही के अभाव में जमाखोर एवं सट्टेबाज प्रशासन के उदासीन रवैये का फायदा उठाते हैं और महंगाई की वृद्धि में सहायता करते हैं।

विदेशी कंपनियों की दवाईयों में आने वाले अनुसंधान व्यय के कारण कीमतों में वृद्धि हो रही है। जन औषधियों के प्रचार-प्रसार, वितरण केन्द्रों के अभाव, व लोगों में जागरूकता न होने के कारण भी महंगाई में वृद्धि हो रही है।

प्रोफेशनल एवं गैर-प्रोफेशनल के सेवा शुल्क में वृद्धि भी महंगाई का कारक है।

मेरे कुछ साथियों ने समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही थी। यदि समर्थन मूल्य बढ़ाया जायेगा तो दाम भी तो बढ़ेगें। केन्द्र सरकार द्वारा बी.पी.एल. के लिए दिया जाने वाला अनाज भी उन तक नहीं पहुंचता है। कई बार तो राज्य सरकारों द्वारा ही उठाया नहीं जाता है एवं कई बार बिचौलियों के माध्यम से रास्ते से ही कालाबजारी हो जाती है। यही हाल रसोई गैस का है। अब जब व्यक्ति को मिलेगा नहीं और वह ब्लैक में खरीदेगा तो महंगाई ही कहेगा।

महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को टारगेट ओरिएंटिड करना पड़ेगा। हमारे उत्तराखंड में ही देखिये बी.पी.एल. परिवारों को राशन देने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई। 2 रुपये किलो गेहूं एवं 3 रुपये किलो चावल देने के बड़े-बड़े ख्वाब वहां की जनता को दिखाए गए। करोड़ों रुपये आकर्षक, लुभावने एवं भ्रामक विज्ञापनों पर तो खर्च कर दिये गए। पर जमीनी हकीकत यह है कि वहां के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कोई सस्ता राशन नहीं प्राप्त हुआ।

दक्षिण एशिया में विशेषकर भारत विश्व मे सर्वाधिक प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं को झेलता है। प्राकृतिक आपदाओं में से बाढ़ के कारण उत्तर भारत में सबसे अधिक मौतें होती हैं तथा बिमारियां फैलती हैं। विदर्भ, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट तथा बुंदेलखण्ड क्षेत्र वह क्षेत्र हैं जिनमें अत्याधिक सूखे की संभावना रहती है। बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा बेसिन के केन्द्रीय और निचले भागों, उड़ीसा का डेल्टा क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। सूखे एवं बाढ़ के कारण न केवल काफी संख्या में लोगों की जान जाती है अपितु उनकी आय भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार पशुधन एवं सम्पत्ति की हानि से परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। बाढ़ व सूखे के कारण अनेक महामारियों का फैलाव होता है और बहुत सारे संचारी रोगों के विद्यमान होने के कारण रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड राज्य में भी सदैव आपदा का भय व्याप्त रहता है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, बादल फटना आदि अनेकों ऐसे कारक हैं जिनमें फसल, पालतू दुधारू पशु, रोजगार के साधन, मकान आदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि मा. यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, मा. प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार महंगाई को कंट्रोल करेगी और देश की 1 अरब से भी ऊपर की जनता को महंगाई से अवश्य राहत प्रदान करेगी। इनके कुशल नेतृत्व में भारत विकास की एक नई इबारत अवश्य लिखेगा।

***श्री नारनभाई कछाड़िया** (अमरेली): मैं गुरुदास दास गुप्ता जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 193 के अंतर्गत मुद्रास्फीति की स्थिति के बारे में चर्चा उठायी।

न जाने कितनी बार इस मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा हो चुकी है लेकिन इस चर्चा से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। आज महंगाई दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। पब्लिक चिल्ला रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार अपना समय काटते जा रही है और काटते-काटते तीन साल के करीब होने को है और सरकार आंकड़ों का खेल दिखाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है।

इस सरकार को यह भी पता नहीं कि किसे गरीब कहा जाना चाहिए। इस यूपीए की सरकार ने गरीबों के मानक को ही चेंज कर डाला है। योजना आयोग के अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी ने शहरों में 32 रुपये प्रतिदिन कमाने वालों को और गांवों में 26 रुपये प्रतिदिन कमाने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर माना है।

आज सरकार संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए छठा पे कमीशन बढ़ाया। यह बहुत खुशी की बात है लेकिन यह सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए क्या कर रही है। आज किसानों को फसल का उत्पादन करने में ज्यादा खर्च होता है और जब उसे बाजार में बेचते हैं तो उन्हें घाटा सहना पड़ता है। आज महाराष्ट्र के किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। उन्हें कपास का उत्तम मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह सब कांग्रेस की भ्रष्ट नीति के कारण है। आज सरकार को अपनी नीति में बदलाव लाने की जरूरत है। आज सरकारी खजानों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरकार अंतर्राष्ट्रीय दामों में वृद्धि की बात करती है लेकिन यह जनता को गुमराह करने वाली बात है। आज गरीब के प्रयोग में आने वाली चीजों के दामों में ज्यादा वृद्धि हो रही है। सरकार इनके दामों में अंकुश लगाने में असफल होती हा रही है। अत: यहां मैं सरकार को सलाह देना चाहूंगा कि यही सरकार केवल सरकारी खजाने में भ्रष्टाचार को रोक दे और विदेशों में जमा काला धन भारत वापस आ जाए तो इस महंगाई में तुरंत बदलाव आ सकता है।

***श्री शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी): कृपया 193 चर्चा में निम्न बात जोड़ने की कृपा करें। देश में आज मांग व आपूर्ति के असंतुलन से मुद्रास्फीति चढ़ी है। जिसको केन्द्र सरकार ने अंतराष्ट्रीय कारणों की जिम्मेदार ठहराया है। केन्द्र सरकार ने कहा भी है कि मार्च तक मुद्रा स्फीति दर 6-7% के बीच होगी। जबकि महंगाई दर 2 या 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने कहा दिसंबर से घटने लगेगी। सन् 2012 मार्च तक महंगाई धाराशाही होगी महंगाई के लिए केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियां जिम्मेदार है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बराबर बढ़ती आई हैं। एक वर्ष में 6 बार पेट्रोलियम पदार्थो के दाम बढ़े हैं। लोगों की आमदनी बढ़ी लेकिन जेब खाली हुई है। बचत नहीं कर पा रहे हैं। महंगे खाने और तेल से बिगड़ रहा है खेल। दुर्भाग्य से सदन में बराबर प्रतिवर्ष महंगाई पर चर्चा होती है। लेकिन सरकार पूरी तरह से महंगाई रोकने में असफल रही है। सरकार को चाहिए की अल्पअवधि के लिए आवश्यक वस्तुओं का तत्काल आयात करें तथा दीर्घकालिक अवधि में उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए सरकार को चाहिए कि खरीद नीति को समावेशी बनना चाहिए। सरकार गेहूं एवं चावल के उत्पादन में समर्थन मूल्य देने के बजाए अन्य खाद्यान्नों को भी सामने मूल्य के दायरे में लाना चाहिए। सरकारी खरीद मूल्य को ही समर्थन मूल्य घोषित कर दें। कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक नीति के तहत अपना फोकस अनाज से हटाए। खेती किसानी में निवेश करे ऐसी समर्थनकारी नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए। तभी उत्पादन बढ़ेगी। कृषि के अलावा दूसरे किस्म के उत्पादन कार्यो में लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र को बड़ी कंपनियों के लिए खाते खोलें ताकि सब्जियों, फलों समेत दूसरे कृषि उत्पादों के सही भंडारण हो सके। खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश से बेरोजगार होने वाले की रोजी रोटी का अलग से प्रबंधन करे तभी महंगाई पर रोक लगाई जा सकती है।

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकाठा): आज हम नौवीं या दसवीं बार महंगाई के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हर सेशन में इसकी चर्चा होती आई है, और जब हम महंगाई के ऊपर चर्चा करते हैं, तो देश का आम आदमी आस लगाए बैठता है कि इस बार जरूर महंगाई घटेगी, हमारी मुश्किलें कम होंगी, हम अपना सामान्य जीवन बिना तकलीफ जी सकेंगे।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लेकिन मुझे यह बताते हुए तकलीफ हो रही है कि हमने जितनी बार महंगाई पर चर्चा की है परिणामस्वरूप हर वक्त महंगाई बढ़ी है। हम बहस में आरोप-प्रतयारोप करते हैं, एक-दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलता। महंगाई तो हमेशा बढ़ती ही रही है।

आज आम आदमी का जीवन दुश्वार हो गया है चाहे वह मज़दूर हो, किसान हो, मिडिल, क्लास वाला हो या छोटा कर्मचारी हो, महंगाई की वजह से पूरा देश परेशान है आक्रोशित है, उनके सीने में आक्रोश की आग जल रही है।

हमारे एक वरिष्ठ मंत्री जी को एक देशवासी ने थप्पड़ मारा, मैं इसकी निंदा जरूर करता हूं, लेकिन साथ में थप्पड़ क्यों मारा इसका भी आत्मचिंतन होना जरूरी है। ये थप्पड़ एक मंत्री जी को नहीं, पूरी सरकार को मारा है। देश के आम आदमी में जो गुस्सा है वो इस थप्पड़ द्वारा प्रदर्शित हुआ है। हमें इसके लिए चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ चर्चा ही करते रहेंगे और महंगाई के ऊपर भी हो सकता है। लोग हमारी चर्चा से ऊब चुके हैं अब उन्हें हमारी बातों पर या चर्चा पर भरोसा नहीं रहा है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी हैं, लेकिन हम चर्चा के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें ठोस कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा देश की परिस्थिति खराब हो जाएगी। एक बार परिस्थिति बिगड़ने के बाद काबू में लाना और मुश्किल हो जाएगा।

सरकार में तीन अर्थशास्त्री बैठे हैं, लेकिन वो अनर्थ कर रहे हैं। कोई कहता है मेरे पास महंगाई कम करने की कोई जादुई छड़ी तो नहीं है। कोई कहता है हम ज्योतिषी नहीं है, कोई कहता है लोग अब ज्यादा खा रहे हैं, खरीद शक्ति बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ी है, अगले पांच या छह मास में महंगाई कम हो जाएगी लेकिन उनके पांच-छह मास कभी आते ही नहीं। आखिर लोगों को कब तक मूर्ख बनाते रहोगे?

सरकार की गलत नीतियां ही महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, एक ओर सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा है, दूसरी ओर लोग भूखे सो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। न्यायालय के आदेश होने के बावजूद अनाज गरीबों को नहीं बांटा गया है। अंत में इतना ही कहना है, चर्चा बहुत हो गयी, अब महंगाई कम कराने के लिए ठोस कार्यवाही हो।

***श्री ए. गणेशमूर्ति** (इरोड) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि और मूल्य वृद्धि की सामान्य प्रवृति ने सबसे गरीब लोगों को प्रभावित किया है और उन पर सबसे अधिक मार पड़ी है और इसने अन्य गरीब लोगों एवं म यम वर्गीय लोगों को भी नहीं छोड़ा है। मूल्य वृद्धि के इस भंवर में फंसे ये लोग नहीं जानते हैं कि वे क्या करें।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

माननीय मंत्री ने इस मूल्य वृद्धि के पीछे के कारणों को बताने की कोशिश की है। वस्तुओं की आवश्यकता और इनका संवितरण, आवश्यकता और उपलब्धता के बीच कोई ताल-मेल नहीं है और यही इस समस्या का मुख्य कारण है। ये चीजें मूर्त बिन्दु पर नहीं मिलते है और यही इस समस्या का मुख्य कारण है। ये चीजें मूर्त बिन्दु पर नहीं मिलते हैं। उन्होंने कहा कि संवितरण प्रक्रिया आवश्यकता के स्तर से मेल नहीं खाता है। इसके बदले उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उत्पादन और निर्माण में अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है। इस प्रकार, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे उत्पादन में कमी के पीछे के कारणों की जांच करें और हमें हर तरह से उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह सरकार इस मोर्चे पर बुरी तरह से असफल रही है।

एक समय जब ताकतवर और विकसित देश भी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं तो भारत इस दबाव को झेल सकता है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन पर आधारित है।

खाद्य संवितरण की गारंटी देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास विद्यमान हैं। किन्तु साथ ही साथ कृषि कार्यों और खाद्य उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देने के लिए आधे प्रयास भी नहीं किए जाते हैं। इसके बदले यह सरकार कृषकों और कृषि क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रही है।

ईख उगाने वाले कृषकों को अपने उत्पादों की कीमतों को निर्धारित करने का भी अधिकार नहीं है। सरकार ही यह मूल्य तय करती है। साथ हीं, रसायनिक उर्वरकों, जिसकी ईख उत्पादन में आवश्यकता होती है, के मूल्य निर्धारण को भी विनियंत्रित कर दिया गया है। अब, उर्वरकों के निर्माता हीं अपने उत्पादकों के मूल्यों को निर्धारण करते हैं । इस स्थिति में मैं यह बताना चाहूंगा कि इस वर्ष उर्वरकों का मूल्य दोगुना हो गया है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस मामले पर विचार करे और ईख की उत्पान लागत में बढ़ते इनपुट को भी शामिल करे और ईख के समर्थन मूल्य के रूप में तीन हजार रुपये की घोषणा करें।

मैं इस सरकार को सावधान करना चाहूंगा कि उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के कारण कृषि कार्य अत्यधिक प्रभावित हुई है। इसलिए, मैं इस पर जोर देना चाहूंगा कि उर्वरकों की कीमत संबंधी नीति को पुन: देखे जाने की तत्काल आवश्यकता है।

इरोड और मेरे संसदीय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हल्दी का उत्पादन होता है। एक समय जब उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हुई और उत्पादन लागत में भी कई गुणा वृद्धि हुई तो हल्दी की कीमतों में अत्यधिक कमी आयी। पिछले वर्ष सत्रह हजार प्रति क्विंटल की दर से हल्दी की बिक्री हुई किंतु इस वर्ष इसकी कीमत घटकर तीन हजार प्रति क्विंटल हो गयी है। इसलिए हल्दी उगाने वाले किसानों की वृद्धि खो गयी है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि उनमें से कुछ किसान आत्महत्या का सहारा भी ले सकते हैं जैसा कि पड़ोसी राज्यों में कतिपय किसानों ने आत्महत्या किया है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और हल्दी उगाने वालों को बचाने में सहायता करें ताकि उनके कृषि संबंधी कार्यों में सुरक्षा सुनिश्चित हो।

सरकार की गलत आयात-निर्यात, अनुचित उर्वरक मूल्य नीति, ऊर्जा आपूर्ति में कमी और कृषि लागतों में बढ़ोतरी एवं कामगारों की कमी के कारण कृषि उत्पादन में कमी आयी है।

यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि कृषि कामगारों की कमी है, कामगारों की अनुपलब्धता और उनकी अक्षमता के कारण फसल प्रबंधन अत्यधिक प्रभावित हुई है। और यह फसल उगाने के लिए अपेक्षित समयबद्ध हस्तक्षेप को प्रभावित कर रहा है।

ग्रामीण स्तर पर गरीब लोगों को लाभ देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कृषि कार्यों से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इस योजना में उपयुक्त बदलाव करें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद गरीब लोगों को वर्ष भर कार्य प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

समर्थन मूल्य के निर्धारण में देरी से कृषिक समुदाय को बहुत नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, सरकार ने बहुत पहले नारियल और कोपरा का समर्थन मूल्य निर्धारित किया मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे कोपरा के समर्थन मूल्य को तत्काल बढ़ा कर अस्सी रुपए प्रति किलो करे।

मैं इस स्थिति में यह बताना चाहूंगा कि इमें विशेष रूप से कृषि उत्पादों में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह उपाय नहीं करते और उत्पादन में वृद्धि नहीं करते हैं तो हम मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सरकार को इस संबंध में उपयुक्त उपाय करना चाहिए।

कृषि ने केवल एक उद्योग है बलिक यह लोगों को भोजन प्रदान करने की एक महान सेवा है। कम से कम इस दृष्टि से सरकार को इसे प्रोत्साहित करने के लिए आगे आना चाहिए।

***श्री प्रेमदास** (इटावा): आज महंगाई पर चर्चा हो रही है। यह सही है कि देश में महंगाई से आम आदमी बहुत परेशान है। गरीब, गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला बढ़ रहा है। इनको रोकने के लिए सरकार को कृषि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसानों को खाद और बिजली मुफ्त देनी चाहिए। कृषि पर 62% हमारे देश के लोग निर्भर है। कृषि के साथ-साथ किसानों की आमदनी का भी इंतजाम अति आवश्यक है। 10 वार चर्चा होने के बाद आज भी वही स्थिति है। भारत सरकार को उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आलू और धान की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए। महंगाई बढ़ने में भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा वन और पशुपालन का विशेष अभियान चलाया जाए, इसमें आज भी हमारे देश का कोई जवाब नहीं है। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं।

*सभा पटल पर मूल तमिल में रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

अभी तक सभा में महंगाई के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। और सत्ताधारी दल अपना बचाव कर रहे हैं। कुछ अच्छे सुझाव दिए गए हैं जिनसे निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

महोदय, तीसरी बार मैं इस विषय पर इस सभा में बोल रहा हूं तथा हर बार हम सुझाव देते हैं किंतु हमें नहीं मालूम कि सरकार ने इन सुझावों पर कहां तक अमल किया है।

विगत दिनों में हम खुश थे कि जब विश्व के बहुत से देश आर्थिक मंदी झेल रहे थे तब भारत इसकी मार से उबर गया। इसका अर्थ है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर आश्रित है और स्वावलंबी भी है। अत: हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को बचाने के लिए कुछ स्वावंलबी उपाय करने होगें।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र की समिति की हाल की रिपोर्ट बहुत ही चेतावनी पूर्व है। मैं एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग (ई एस सी ए पी) की रिपोर्ट का कुछ भाग पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा गया है:

"भारत बढ़ते खाद्य पदार्थों की कीमतों से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। इसके अनुसार इसने क्षेत्र में 190 मिलियन लोग, जिनमें से अधिकांश भारतीय हैं, को पिछले वर्ष गरीबी से निकलने से रोका। यह सरकार के लिए चेतावनी है जो अभी तक दुलमुल तरीके से खाद्य पदार्थों की बढती कीमतों से लड़ रही है।"

[इस रिपोर्ट के दूसरे भाग में लिखा है]

"ऐसी भी संभावना प्रबल है कि कुछ चुनिंदे एशियाई देशों के साथ भारत को अगले वर्ष खाद्य पदार्थों की ऊँची कीमतों द्वारा प्रभावित 10 मिलियन से 42 मिलियन के बीच लोगों की अतिरिक्त संख्या का सामना करना पड़ सकता है।" इसमें आगे उल्लेख है कि:

"इसका अर्थ यह हो सकता है कि नीति निर्माताओं को दक्षता में सुधार एवं क्षेत्र के विस्तार एवं राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक कल्याण तथा गरीबी उपशमन कार्यक्रम जैसे पी डी एस, खाद्य कानून का क्रियाचयन और मनरेगा की तत्काल समीक्षा करना और द्वारा करना होगा।"

एक कृषि अर्थशास्त्री सुरभि मित्तल ने अपने एक अध्ययन में कहा है:

"भारत का कुछ सबसे गरीब राष्ट्रों में आने का कारण मुद्रास्फीति का प्रभाव, खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतें हैं तथा गरीबी उपशयन संबंधी सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की समय सीमा को स्थगित करना एक दुष्प्रभावी पहल है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें एवं मुद्रास्फीति ने लोगों की वास्तविक आप को गरीबी रेखा से नीचे ला दिया है तथा मनरेगा। जैसे लक्षित कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर दिया है।"

खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों के कारण हम मनरेगा के प्रभाव को निष्क्रिय बना देंगे। रिपोर्ट में इसी का उल्लेख है।

"प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देशों में खराब मौसम, जैसे ईंधन के रूप में फसलों का बढ़ता उपयोग और कमोडिटी बाजार में सट्टा" जिसके बारे में हम बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि सट्टा बाजार लोगों को हानि पहुंचाएगा ने कृषि निवेश में दीर्घकालिक गिरावट दर्ज किया है एवं खाद्यान्नों की वैश्विक आकर्ति की प्रभावित किया है। इसके अलावा इससे चेतावनी दी तथा यह नोट करना उल्लेखनीय है कि ऐसे देश जहां कमजोर संभार तत्रं हैं, वहां यह समस्या और गंभीर हो सकती है।

यह रिपोर्ट है। यह चेतावनी पूर्ण रिपोर्ट है। अत: सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि हम इस समस्याओं से कैसे निपट सकते है। माननीय वित्त मंत्री ने स्वप्रेरणा से मुद्रास्फीति पर वक्तव्य दिया। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए थे। एक विशेष मुद्रा यह है कि कृषि उपज विपणन अधिनियम में संशोधन और प्रवर्तन की अति आवश्यकता है ताकि किसान अपनी उपज को खुदरा बिक्री केंद्र पर ले जा सके तथा खुदरा विक्रेताओं को सीधे किसानों को बेचने की अनुमति दी जाए।

यह योजना तब तमिलनाडु में क्रियाचित की गई जब हमारे नेता डॉ. कलैनागर एम. करूणनिधि के नेतृत्व में डी एम के पार्टी 1996 में सत्ता में थी। हमारे पास किसानों के लिए बाजार था। किसान सीधे बाजार आ सकते है तथा खुदरा विक्रेताओं को अपनी उपज बेच सकते हैं ताकि उन्हें अच्छी कीमत मिले।

इसमें कोई बिचौलिया नहीं हो और बिना बिचौलिए के वे अपने उत्पादों को बेच सके हमने डी. एम. के. सरकार के दौरान पूरे राज्य में ऐसे 100 से अधिक बाजारों के लिए नियम बनाया था। यह बहुत ही सफल योजना थी। दुर्भाग्यवश राज्य में सत्ता परिवर्तन के कारण अब यह प्रचलन में नहीं है ...*(व्यवधान)*

इसी प्रकार कृषि उत्पादों में सुधार और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना मुद्रास्फीति का स्थायी समाधान है। यहां पर श्रृंखला

को सुदृढ़ बनाने के महत्व को समझने की आवश्यकता है। 60 के दशक के प्रारंभ में, आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ बनाने में सहकारिता आंदोलन की सक्रिय भूमिका थी।

इस समय सहकारी सोसाइटियों की भूमिका कम हो गई है और अब यदि सहकारी समितियां हैं भी तो वे प्रभावीरूप से कार्य नहीं कर रही हैं। इसलिए आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार को ऐसी सहकारी समितियों को चालू रखने पर विचार करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, जैसी कि टी. एम. सी. के हमारे माननीय मित्र द्वारा पूर्व में मांग की गई थी कि देश के सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के लिए शीतागार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसीलिए सरकार को खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए संपूर्ण देश में हर जगह शीतागार इकाइयां लगाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। शीतागार न होने के कारण कम से कम 40 प्रतिशत खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। राज्यों में विभिन्न स्थानों पर शीतागार बनाने के लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री रमाशंकर राजभर** (सलेमपुर): विगत कई वर्षों से महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में तो यह और बढ़ी है। यह महंगाई केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण है। पिछले पांच-सात वर्षों में गेहूं, आटा चावल आदि आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। चीनी, अरहर दाल तो दोगुने से ज्यादा बढ़े हैं। सब्जी मसाले के दाम भी काफी बढ़े हैं। महोदया आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखना मूलतः भारत सरकार का विषय है इसे केन्द्र सरकार हमेशा घटाने की तारीख देती रही है। केन्द्र द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि महंगाई बढ़ने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल के दामों के बढ़ने की मुख्य भूमिका है। महंगाई पर लगाम कसने के लिए रिजर्व बैंक नीतिगत दर बढ़ाते समय यह नहीं सोचता कि क्या खाने पीने की वस्तुएं खरीदने के लिए कोई बैंक से कर्ज लेता है या फिर ब्याज दर बढ़ने पर इन चीजों की खपत कम हो जाती है? महंगाई बढ़ती है रिजर्व बैंक पालिसी दरें बढ़ा देता है। उद्योगों के कर्ज महंगा होता है और विनिर्दिष्ट वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। इससे महंगाई में और वृद्धि हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख स्रोत कृषि है परंतु कृषि नीतियों का अभाव है। अभी तक 40% क्षेत्र ही सिंचित हो पाया, बीजों के अनुसंधान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुंह ताकते हैं। अनाज को रखने का साधन पर्याप्त नहीं हजारों करोड़ का अनाज बर्बाद होता है, बिचौलियों, जमाखारों तथा काला-बाजारियों पर लगाम कस कर आपूर्ति हेतु ठोस कदम होना चाहिए अध्यक्ष जी, सरकार ने पेट्रोल के मूल्यों पर अपना नियंत्रण हटाकर तेल कंपनियों को दे दिया, मनमानी मूल्य तेल कंपनियां तय करती हैं। गेहूं पर स्टाक सीमा हटा दी गई। चीनी स्टाक सीमा दो-तीन महीने बढ़ाई जाती है। उ.प्र. सरकार ने महंगाई रोकने हेतु काफी प्रयास किए हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में लगातार वृद्धि से आम आदमी परेशान है। पिछले सात सालों में गैस 46% मिट्टी तेल 108% डीजल 79% पेट्रोल, 96% तक बढ़ा है। डीजल का इस्तेमाल प्रदेश के किसान करते हैं उनका जीना मुश्किल हो गया है। डीजल के खपत का 15% कार गाड़ियों तथा 10% उद्योगों में खपत होता है सब्सीडी किसान कर पाते हैं। मिट्टी का तेल जो समाज के अंतिम आदमी को प्रकाश देता है उसका भी यही हाल है। यह महंगाई गरीबी पर नहीं गरीबों को निरंकुश होकर मार रही है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम वाम दल मांग कर रहे हैं कि कीमतों में बढ़ोत्तरी पर चर्चा स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। 4 अगस्त, 2010 को अध्यक्ष जी द्वारा एक संकल्प प्रस्तुत किया गया, बहुत ही कम अवसरों पर प्रस्ताव अध्यक्ष जी द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और उसे सदन में सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। यह बहुत की कम अवसरों पर होता है। क्या हम सभी समहत हैं कि अध्यक्ष जी द्वारा आवश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति और बढ़ती हुई कीमतों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है और प्रभावी कदम उठाने के लिए सरकार को आग्रह किया जा सकता है। ऐसे सर्वसम्मति प्राप्त प्रस्तावों और सरकार को प्रभावी कदम उठाने के लिए आग्रह के बावजूद भी एक वर्ष समय पहले ही निकल चुका है। शीतकालीन क्षेत्र के पहले ही दिन वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए इस एक वर्ष की अवधि में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं। स्थिति बद से बदतर हुई है। इसमें सरकार की क्या दलील है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री का वक्तव्य अनवरत रूप से बढ़ रही कीमतों को निर्मंत्रित करने में सरकार की घोर सफलताओं को ही दर्शाता है। सरकार का क्या तर्क है? चूंकि आज जी.डी.पी. वृद्धि दर 7 प्रतिशत पर है और कुछ महीने पहले यह 6.7 प्रतिशत थी और पिछले वर्ष यह 8 प्रतिशत थी, चूंकि विकास दर में बढ़ोत्तरी हुई है, इसलिए मांग भी बढ़ी है। और इसका प्रतिव्यक्ति आय पर भी असर पड़ा है।

लेकिन वास्तव में आज देश में वास्तविक स्थिति क्या है? आज जो देश में विकास दर है, इसका जनता के एक बड़े हिस्से की आय में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। लोगों की आय में वृद्धि

हुई है, लेकिन 5 से 6 प्रतिशत लोगों की ही आय में वृद्धि हुई है। लेकिन यह भी सच है कि हमारी जनसंख्या के 77 प्रतिशत लोग 20 रुपये प्रतिदिन ही कमा रहे हैं। यह स्थिति है। जब कीमतों में वृद्धि होती है, तो इसका हमारे देश की जनता के बहुसंख्यक लोगों की रोजी-रोटी पर कुप्रभाव पड़ता है। आज देश में ऐसी ही स्थिति विद्यमान है। हमने इस अवधि के दौरान, कई बार सरकार से यह जानना चाहा है कि लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी क्यों हो रही है, सट्टा बाजार क्यों चल रहा है और सरकार वस्तु बाजार में चल रहे सट्बबाजारी को बंद करने के लिए कोई ठोस उपाय क्यों नहीं कर रही है? आवश्यक वस्तु बाजार की स्थिति देखकर आप आश्चर्यचकित होंगे, मेरे पास वित्तीय वर्ष 2011-12 में वायदा बाजार आयोग की रिपोर्ट है जिसमें 01-04-2011 से 15-11-2011 तक की व्यापार का संचयी मूल्य 113,83,148.12 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष का संचयी मूल्य 6711203.18 करोड़ था। वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा? एक वर्ष के अंदर 15 नवम्बर को समाप्त होने वाले पखवाडे के दौरान कृषि जिन्सों के व्यापार के मूल्य के मामले में वस्तु बाजार में वृद्धि का प्रतिशत 53 है।

वर्ष 2010-11 में यह 77,01,717.99 करोड़ थी। इस वर्ष उसी अवधि के दौरान यह बढ़कर 1,15,66,786.47 करोड़ रुपये हो गई। अर्थात् 49.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें इतनी वृद्धि क्यों हुई। इसका कारण यह है कि कुछ लोग वस्तु व्यापार में निवेश कर रहे हैं इसीलिए यह वृद्धि हुई है। यदि कीमतों में वृद्धि नहीं होगी, तो लाभ नहीं होगा। चूँकि इसमें लाभ है, इसलिए निवेश किया जाता है। जब हम सं. प्र. ग. सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, तो हमारे दबाव से सरकार ने दो वस्तुओं के वायदा बाजार पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। लेकिन हमारी माँग यह है कि सरकार सभी वस्तुओं के वायदा बाजार को बंद करे। चलो इसके लिए प्रयास तो करें।

[हिन्दी]

सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्यों आज स्पेकुलेशन हो रहा है? क्यों आज हर सामान का भाव बढ़ रहा है? क्यों आज महँगाई बढ़ रही है? इसके पीछे क्या कारण है? लेकिन आज तक सरकार ने इस महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और इसी कारण से हर सामान की कीमत बढ़ रही है।

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति की दर में कुछ सुधार हुआ है परन्तु इसका आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

[हिन्दी]

हर रोज जिस सामान की जरूरत होती है, उसकी कीमत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री ने जो कहा उससे इस सुबह की रिपोर्ट यह है कि मुद्रास्फीति 8 या 8.5 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हो गई है। यह भी सच है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष के फरवरी माह में भी खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। यदि यह एक वैश्विक घटना है, तो जी-20 देशों के बीच हमारी मुद्रास्फीति सबसे अधिक क्यों हैं?

यह सच नहीं है कि खाद्यानों की उपलब्धता में कमी आई है। हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न हैं। लेकिन समस्या यह है कि लोगों के पास खाद्यान्न खरीदने की क्रय शक्ति नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, हमारे देश में भूखे लोगों की संख्या सर्वाधिक है। हमारी जनसंख्या के प्रत्येक चार लोगों में से एक व्यक्ति भूखा है। हमारी जनसंख्या के एक चौथाई लोग भूखे पेट सोते हैं, ऐसी स्थिति है। भुखमरी से भी मौत हो रही है।

इस समस्या को सुलझाने के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सर्वव्यापी बनाना होगा। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी.एस) को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी. एस) लागू कर के समाप्त कर दिया गया है। यदि 77% जनसंख्या को 20 रुपये प्रतिदिन पर आश्रित रहना है, तो इसका अर्थ है कि 77% जनसंख्या गरीब हैं और 90 करोड़ लोगों को राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न की जरूरत है।

आज क्या हो रहा है? गरीब लोगों को ए पी एल और बी पी एल में बांट दिया गया है और इस प्रकार हमारे देश में पी डी एस को समाप्त कर दिया गया है। इसके पुनरूद्धार की आवश्यकता है; इसे सुदृढ़ बनाने; सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए धन भी उपलब्ध है लेकिन भारत सरकार की ओर से राजनैतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

महोदय, मेरे पास अन्य कई मुद्दे हैं। अतः मुझे बोलने के लिए कुछ और समय दिया जाए।

सभापति महोदय: मैं आपको 2-3 मिनट और दे रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: कृपया मुझे बोलने के लिए कम-से-कम 7-8 मिनट और दीजिए।

पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के संबंध में, पिछले वर्ष हमने देखा कि जून माह से पेट्रोल कीमतों को नियंत्रण मुक्त किए जाने के बाद से प्रति माह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। पहले, प्रशासनिक मूल्य तंत्र (एपीएम) के माध्यम से पेट्रोलियत पदार्थों के मूल्य निर्धारित किए जाते थे और अब ए पी एम को विघटित कर दिया गया है। अब, एपीएम के स्थान पर आयात समता मूल्य लाया गया है।

[हिन्दी]

सरकार का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव बढ़ा है। जब कच्चे तेल का रेट बढ़ा तो सरकार ने दो रुपये घटाये।

[अनुवाद]

जब कच्चे तेल की कीमत 111 डालर प्रति बैरल तक बढ़ गई तो सरकार ने पेट्रोल के दामों में 2 रुपये कम करने का निर्णय किया। लेकिन, जब कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत घट कर 101 डालर प्रति बैरल रह गई तो मूल्य 1.87 रुपये बढ़ा दिया गया। हम कच्चे तेल का केवल 24% ही देश में उत्पादन कर रहे हैं और हमे 76% कच्चा तेल आयात करना पड़ता हैं। चूंकि हमारे यहां अंतर्राष्ट्रीय समता मूल्य है, इसलिए 24% कच्चा तेल, जिसका हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है, उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कौन फायदे में है और कौन लाभ कमा रहा है, ये कुछ निजी तेल शोधक कंपनियां हैं।

एक लीटर पेट्रोल की क्या कीमत है? यदि आज कच्चे तेल के एक बैरल की कीमत 5,065 रुपए है तो उसका अंतरराष्ट्रीय मूल्य 103 अमेरीकी डालर है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : इस प्रकार, एक लीटर कच्चे तेल की कीमत 34 रुपये होगी। अब आज लगभग 10 रुपए रिफाइनटी लागत का जोड़ लें। लेकिन, सभी पेट्रोलियम पदार्थों पर कर, शुल्क और उपकर विशेषकर डीजल के मामले में, 35% है और पेट्रोल के मामले में यह 51% है।

महोदय, अब सरकार का तर्क है कि उसे पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि करनी होगी क्योंकि तेल विपणन कंपनियां अत्यधिक घाटा उठा रही हैं। क्या वास्तव में तेल विपणन कंपनियां घाटा उठा रही हैं? इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के मामले में पिछले वर्ष (2010-11) की क्या स्थिति है? लेखापरीक्षित लेखे दर्शाते हैं कि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन का लाभ 10645 करोड़ रुपये था। इसकी अधिशेष जमा राशि 44,000 करोड़ रुपये से अधिक है। अन्य दो कंपनियां भी लाभ अर्जित कर रही हैं।

महोदय, लागत वसूली की उगादी में समस्या है लेकिन यह कंपनी का घाटा नहीं हैं। सभी कंपनियां लाभ कमा रही हैं। सरकार सभी पेट्रोलियम कंपनियों से कमाई कर रही है। एक वर्ष में तेल विपणन कंपनियों द्वारा कितने कर लाभांश उपकर का भुगतान किया गया था? महोदय, वर्ष 2010-11 में यह राशि 130000 करोड़ रुपये थी। डीजल, एल पी जी और केरोसीन के लिए कितनी राज सहायता दी जा रही है?

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं 5 मिनट और लूंगा। कृपया मुझे 5 मिनट और दें।

सभापति महोदय : आपने पहले ही 17 मिनट ले लिए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे आपका काम संभालना हैं।

सभापति महोदय : कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया मुझे पांच मिनट और दें।

40000 करोड़ रुपये की राशि राज सहायता के रूप में दी जा रही है जिसका अर्थ है कि सरकार हमारे देश के लोगों पर भार डालकर 90 प्रतिशत तक राजस्व अर्जित कर रही है।

एक अन्य समस्या उर्वरक की है जिसे ज्वलंत मुद्दा बताया गया है। हमें डी ए पी का 60% और एम ओ पी का शत प्रतिशत आयात करना पड़ता है। अब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य असाधारण रूप से बढ़े हैं लेकिन सरकार ने राज सहायता बढ़ाने से मना कर दिया है जिसके कारण डी ए पी का अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी), जो कि जनवरी, 2011 में 450 रुपये था, वह बढ़कर 950 रुपये हो गया है। मैं एम आर पी की बात कर रहा हूं। इस वृद्धि कभी-कभी शत-प्रतिशत भी हो जाती है।

वे एम एस पी की बात कर रहे है। डॉ. स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि एम एस पी में उत्पादन लागत जमा 50% लाभ शामिल होना चाहिए। एम एस पी का निर्धारण या निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है। धान के मामले में, इस वर्ष यह 1050 रुपये प्रति क्विंटल है। यह कहीं से भी डॉ. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के निकट नहीं है। कृषि आदानों के मूल्यों में हुई वृद्धि की एम एस पी से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि यह उत्पादन लागत को भी पूरा नहीं करता।

अपराह्न 5:00 बजे

महोदय, समस्या यह है कि किसानों को उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान उपज को 500 रु. या 600 रु. प्रति किंवटल बेचने को बाध्य हैं। मैंने ऐसा अपने ही राज्य में देखा है। पश्चिम बंगाल में, पूर्व में किसानों ने आत्महत्या नहीं की लेकिन पश्चिम बंगाल में एक माह के अंदर ग्यारह किसानों

ने आत्महत्या की है। इन दस वर्षों के दौरान 2 लाख 20 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। महोदय, विदर्भ में, प्रत्येक 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। यह सरकार द्वारा अनुपालित की जा रही गलत नीति, नई उदार नीति की वजह से हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी समिल्लित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार को सम्मिलित इस नई उदार नीति को बदलना चाहिए। इस नई उदार नीति के कारण काला धन पैदा होता है। आप लोग जोर-जोर से इस नीति का अनुपालन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : भ्रष्टाचार है। मुद्रास्फीति है। दो मुख्य समस्याएं है जिसे देश से लोग सामना कर रहे हैं। खाद्यान्नों के सट्टा बाजार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की जरूरत हैं। पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अत्यावश्यकता है। सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने की जरूरत है। किसानों को सभी प्रकार के उर्वरकों पर सब्सिड़ी दिये जाने की जरूरत है ताकि उत्पादन लागत को कुछ दर तक कम किया जा सके।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

श्री बसुदेव आचार्य: नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है और इसके पश्चात् ही हम देश के लोगों को बचा सकेंगे। मैं नहीं जानता कि इस चर्चा का सरकार पर कुछ प्रभाव होगा अथवा नहीं। इस पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है। सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सरकार बड़े जोर-शोर से नई उदारवादी नीति का अनुसरण कर रही है और इसके कारण देश के करोड़ों लोगों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करे।

(व्यवधान)...*

***श्री प्रताप सिंह बाजवा** (गुरुदास पुर): मूल्य-वृद्धि विषय पर इस महत्त्वपूर्ण चर्चा में अपने विचार व्यक्त करते समय सबसे पहले हमें दलगत राजनीति से उपर सामूहिक रूप से आय आदमी विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग जिसे मूल्य-वृद्धि ने बुरी तरफ प्रमाणित किया है, मे व्यापक हित में इसके व्यापक असर को कम किये जाने की जरूरत है।

जब आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों और फलों तथा सब्जियों जैसी शीघ्र क्षयशील वस्तुओं की लागते काफी तेजी से बढ़ती हैं, तब आप आदमी को कुछ नहीं सुझता है और वह असहाय महसूस करता है क्योंकि उसकी आमदनी में तदनुसार वृद्धि नहीं होती है और उसे अपने अल्प आमदनी से अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इस प्रकार की स्थिति किसी एक राज्य में नहीं है तथा किसी विशेष दल के सरकार वाले राज्य में नहीं है, वरन् सम्पूर्ण देश में इस प्रकार की स्थिति व्याप्त है। केन्द्र सरकार की नीतियों या केवल केन्द्र सरकार को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरया जा सकता है। आम आदमी को राहत देने के लिए इस खतरे से निपटने हेतु हमें एक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

जब सरकार तेल की कीमत बढ़ाती है, वाहे यह पेट्रोल हो, कच्चा तेल हो या किरोसिन और गैस जैसे अन्य मदें हो, तब सरकार किसी खुशी और सनक से नहीं करती, वरन् आर्थिक बाध्यताओं की वजह से करती है। यह सत्य हो सकता है कि डीजल, जो अर्थव्यवस्था का मुख्य परिवहन ईंधन है, की कीमत में वृद्धि होने से ट्रकों से बड़ी मात्रा में परिवहित फलों व सब्जियों, अंडों तथा अनेक अन्य शीघ्र नाशवान् पदार्थों सहित खाद्य पदार्थों की लागत बढ़ जाएगी। इसी तरह जब किरोसिन का मूल्य बढ़ता है, तब यह सबसे गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता है। यद्यपि, हम सभी जानते है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कितना किरोसिन तेल वास्तव में लक्षित लाभाधियों तक पहुंचता है। मुझे संदेह है कि शायद 20% वास्तविक लाभार्थियों को ही यह मिलता है क्योंकि अधिकाश किरोसिन तेल को डीजल और अन्य महगें ईंधन तेल में मिलावट करने के लिए विपथित किया जा रहा हैं।

हम सभी 2008 के उस परिदृश्य को जानते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्य बढ़कर 130 डालर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया और हमारी तेल कंपनियों को अब तक का सबसे उच्चतम 103292 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई। चूंकि तेल कम्पनियां कच्चे तेल की लागत पर नियंत्रण नहीं करती, इसलिए लागत उत्पादन का मुख्य अभिकर्ता, सरकार के पास कीमत बढ़ाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचा ताकि कम वसूली को एक औचित्य पूर्ण स्तर पर लाया जा सके।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो हमारी अधिकांश सार्वजनिक तेल कम्पनियां संकट में होती और उधारी क्षमता के संदर्भ में बाजार में वे अपनी साख खो देती क्योंकि उनका प्रचालन औसत नकारात्मक होता। हम सभी अपने राष्ट्रीय विमान का हक एयर इंडिया भी आज की दयनीय स्थिति को जानते है। बाध्यताओं की वजह से ही सही लेकिन सामाजिक निर्णय, चाहे यह पंसद हो या न हो, ने इन तेल कम्पनियों को बचाया। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए।

मूल्यों में वृद्धि पर विपक्षी दलों द्वारा अपनी चिन्ताएं व्यता इसका स्वाभाविक है क्योंकि इससे संभवत और उच्चतर मुद्रास्फीति होगी और उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा, लेकिन कुछ विकास अर्थशास्त्री यह महसूस करते है कि पेट्रोल की कीमतों को विनियंत्रित करने से मुद्रास्फीति पर तत्काल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विवाद का विपक्ष हो सकता है, लेकिन यहां मैं बात प्रमुखता से कहना चाहता हूं कि ऐसी राय दी गयी है।

हम चाहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गुणक्ता वाले स्वच्छ खाद्य मिलना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हो और इस उद्देश्य के लिए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में उपयुक्त विधेयक लाने की कोशिश कर रही है ताकि इस समस्या को दूर किया जा सके। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि जीवन के अधिकार का एक अभियान खाद्य का अधिकार भी है, लेकिन राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य के आलोक में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें साधन तलाशने होगें। केवल केन्द्र से सब्सिडी का पूरा भार ढ़ोने की आशा नहीं की जा सकती, और राज्यों को भी इसकी भागीदारी निभानी होगी और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें सामूहिक रूप से इस बारे में कुछ भार पड़ेगा। खाद्य का हम बेहतर है या सीधे नकद देने की सब्सिडी बेहतर है इस मुद्रा पर तर्क-वितेर्क हैं और इस मामले में गहराई से विचार किये जाने की जरूरत है।

जब हम अनेक खाद्य पदार्थों उदाहारण के लिए प्याज और आलू के कीमतों में तीव्र वृद्धि देखते हैं तब हम उन घटनाओं को नहीं भूलना चाहिए। जब किसानों ने अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने पर टनों-टन उपज सड़क पर फेक दी थी। मैं अपने राज्य पंजाब का उदाहरण दे रहा हूं जो आलू के संकट से जूझ रहा है। किसान अपने उत्पाद के लिए कम कीमत मिलने से परेशान होकर अपने आलू सड़कों पर फेंकने को तैयार हैं और राज्य सरकार से कार्रवाई के मांग कर रहे हैं। यह खाद्यान्नों का शर्मनाक व्यर्थ होना है और इन खाद्यान्नों के भारी व्यर्थ होने को रोकने के उद्देश्य से उचित नीतियां बनाने की आवश्यकता है।

मेरा यह दृढ़ मत है कि हमे भारी मात्रा में शीतागाए के निर्माण करने की आवश्यकता है और बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे कि जब फसल का अत्यधिक उत्पादन हो खाद्यान्नों व्यर्थ न जाए और इनका संरक्षण हो सके और गैर फसली मौसम में इन्हें बेचा जा सके।

ठीक इसी प्रकार कुछ राज्य हैं जहां प्रचुर मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन होता है चाहे वह गेहूं हो अथवा चावल परन्तु खाद्यान्नों के भंडारण के लिए स्थान नहीं है क्योंकि भंडागार पिछले वर्ष के स्टाक से भरे पड़े हुए हैं। इसलिए इन खाद्यान्नों का उपयोग उचित प्रकार से करने के लिए हमे युद्ध स्तर पर भंडारण सुविधाओं का सृजन करने की आवश्यकता है। अन्यया जैसा कि कुछ राज्यों में हुआ है जब किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है वे वह फसल नही उगाते जिसके कारण आवश्यक वस्तुओ की कीमतों में और वृद्धि हो जाती है। प्रभाती नीतिगत उपाय करके किसी प्रकार से इससे बचा चाहिए।

मल्टी ब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ला कर सरकार ने बड़ा कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में जिस परिस्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर इस नीति का बड़ा प्रभाव पड़ा होता। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में आधार भूत अवसंरचना में अनिवार्य निवेश के लिए प्रावधान किया गया है। खुदरा निवेशक को प्रसंस्करण विनिर्माण, वितरण नेटवर्क, अभिकल्पना सुधार, गुणक्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, संभारतंत्र, भडारण भंडागार और अन्य चीजों में कृषि बाजार उत्पाद अवसंरचना में निवेश करना होगा। ये तात्कालिक आवश्यक उपाय है क्योंकि देश में अवसंरचना विशेषकर भंडारण प्रसंस्करण भंडागार शीतागार और भोज्य पदार्थों के रेफ्रिजिरेशन के मामले में अवसंरचना का अभाव है। वर्षों के प्रबंधन अनुभव और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में तकनीकी ज्ञान वाले इन विदेशी खुदरा निवेशकों से घरेलू खुदरा उद्योग कई सीख ले सकता है। विदेशी खुदरा निवेशकों के पास कुशत आपूर्ति श्रृंखला शीतागार सुविधाएं, भंडागार, बुखारी, परिवहन क्षमता के निर्माण का तकनीकी और वित्तीय क्षमता और उत्पादों को नष्ट न होने देने की पर्याप्त क्षमता हैं। कोई भी यह देख सकता है कि समाचारों में प्रबंधन भडारण और जहां इसकी आवश्यकता है वहां परिवहन हेतु अवसंरचना के अभाव में अच्छी गुणक्ता वाला लाखों टन खाद्यान्न नष्ट और व्यर्थ हो जाता है। लाखों लोग भुखारी के शिकार हैं जबकि प्रतिवर्ष अनाज सड़ रहा है जो भारत की कल्याण कारी राज्य की छवि पर एक धब्बा है। मेरा विश्वास है कि विदेशी खुदरा निवेशकों के आगमन से स्थिति में सुधार होगा। दुर्भाग्यवश राजनीतिक आमसहमति के अभाव में सरकार ने यह निर्णय अभी टाल दिया है।

नीतिगत मामले पर सरकार को वायदा-बाजार पर अनियंत्रित सट्टेबाजी की भूमिका पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार कमोडिटी बाजार में भी सट्टेबाजी को रोकने की

आवश्यकता है क्योंकि रिर्जाव बैंक के गर्वनर ने टिप्पणी की थी कि कमोडिटी बाजार में सट्टेबाजी से कीमत में उतार चढाव हो रहा है।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों की गैर उपलब्धता आसान शर्तो पर ऋणों की अनुपलब्धता और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से समय पर सहायता जैसे मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए जो उच्च मुद्रा स्फीति का एक मुख्य कारण है। आवश्यक वस्तुओं के आयात हेतु बिना समय गवाए कदम उठाते हुए जमाखोरों और बड़े व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि बेईमान तत्वों की सट्टेबाजी की प्रवृति को आरम्भ में ही नियंत्रित किया जा सके। अतं में सरकार को माल ढुलाई प्रभार कम करने पर भी ध्यान देना परिवहन तथा अन्य करों में वृद्धि के निमंत्रण और परिवहन सेवाओं में निरंतर व्यवधान के अतिरिक्त देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वैगन और माल गाड़ियों की अधिकतम उपलबधता सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिक मुद्रा स्फीति दर न केवल भारत के समक्ष एक चुनौती है बल्कि यह एक वैश्विक चुनौती है जब आप इसमें शामिल हितधारकों पर विचार करते है। यू.पी.ए. सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रभावी नीतियों के अतिरिक्त इस मुद्दे पर वैश्विक सहयोग और सहायता की आवश्यकता है।

***श्री वीरेन्द्र कश्यप** (शिमला): काफी जद्दोजहद के उपरांत नियम 193 के अंतर्गत महंगाई को रोकने के लिए चर्चा हो रही है। इस उपलक्ष्य पर मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि यदि यह महंगाई नहीं रूकी तो गरीब लोगों को अपने परिवार सहित खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि आज इस बढ़ती महंगाई ने उसे कई-कई दिनों तक भूखे रहने के लिए मजबूर कर दिया है। कर्मचारियों को एक साथ उन्हें महंगाई भत्ता मिलता है जो दूसरी ओर महंगाई के कारण उनके मासिक वेतन से दोगुना पैसा छीन लिया जाता है। किसान जो पैदा कर रहा है उसे उतना मूल्य मिल नहीं रहा है। खाद के दाम बढ़ गए हैं। सरकार सब्सिडी दे नहीं रही। बिजली कई-कई दिनों तक उन्हें मिल नहीं रही। पेट्रोल, डीजल के दाम कई बार बढ़ गए हैं। आज आलू पैदा करने वाले किसान को उसका न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है। बासमती चावल पैदा करने वाले किसानों को अपना चावल फेंकने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, मौजूदा यूपीए-2 सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस बढ़ती महंगाई व इन्फलेशन मुद्रास्फिति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए।

[अनुवाद]

***श्री प्रेमदास राय** (सिक्किम): महंगाई पर वाद-विवाद सभी वाद-विवादों का जड़ है। यह जनता के सबसे गरीब वर्गों को प्रभावित करता है और इसलिए यह महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य दोनों है। सरकार द्वारा मंहगाई के नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई सफल नहीं रही है, यह साफ दिखाई देता है। आपूर्त्ति पक्ष से पता चलता है कि उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो रहा है और इसे सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण हैं। तथापि, उत्पादन केंद्र प्रभावी ढंग से बाजारों से संबद्ध नहीं है। एक उपाय था कि इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को लाया जाए चूंकि राष्ट्रीय शृंखलाओं के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। इसलिए मेरा विचार है कि और परामर्श के बाद आपूर्त्ति शृंखला में सुधार लाने के लिए इस क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को अधिक मूल्य प्राप्त हो और नाशवान वस्तुएँ जैसे फलों और सब्जियों को बचाया जा सकेगा। इससे खुदरा स्तर पर स्वत: ही मूल्य कम हो जाएगा।

मांग के मामले में हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मुख्य वस्तुओं मूल्यों का अधिक विनियमन और निगरानी हो। महंगाई और मुद्रास्फीति का तेल मूल्य से घनिष्ठ संबद्ध है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नवाचारी वायदा बाजार प्रक्रियाओं का प्रयोग कर तेल मूल्यों को एक बैंड के भीतर रखा जाए। मुझे विश्वास है कि हम हमारे देश की व्यापक मस्तिक शक्ति का प्रयोग कर कोई कारगर मॉडल तैयार कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मुझे संसद के अगले सत्र में आकर और पुन: इस मुद्दे पर नहीं बोलना पड़ेगा।

[हिन्दी]

***श्रीमती दर्शना जरदोश** (सूरत): आज महंगाई पर चर्चा की जा रही है। देश का आम आदमी सोच रहा है कि हम लोग सिर्फ चर्चा ही करते हैं निष्कर्ष कोई निकलता नहीं। कोई भी कदम चर्चा के बाद केन्द्र की सरकार द्वारा देश के हित में उठाये नहीं जाते हैं। देश की जनता में केन्द्र सरकार के इस रवैये से संसद के प्रति जो मान होना चाहिये वह खो चुकी है। इसी सरकार के कार्यकाल में कितनी चर्चाएं हुई हैं महंगाई को लेकर पर दु:ख की बात यह है कि केन्द्र सरकार चर्चा के बाद उठाये गये मुद्दों को बॉक्स में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

डाल देती है। कम से कम इस बार देश यह आश्वासन चाहता है कि चर्चा के बाद कोई ठोस कदम यह सरकार उठाये।

देश की जनता ने जब केन्द्र में सरकार का चयन किया था तब उसने एन.डी.ए.-यू.पी.ए. और वामदल में से यू.पी.ए. को चुना। जनता को आशा थी कि आम आदमी की खास समस्या से निताज दिलाने का वादा करने वाली पार्टियां अपना वादा निभाएगी, लेकिन सरकार वायदे को तो क्या जनता को ही भूल गई, उसकी समस्या तो क्या याद रहेगी।

आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा जो फैसले लिये गये वो सभी कभी ऑईल कंपनियों के घाटे को ध्यान में रखकर, कभी अंतरराष्ट्रीय दरों को ध्यान में रखकर, तो कभी किसी और कारण से लिये गये, उन सभी में से नदारद था सिर्फ आम आदमी।

सरकार के खोखले दावों के बावजूद यह सत्य है कि कोमोडिटीज की दरों में 300 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एक ओर आम आदमी दो वक्त की रोटी के लिये जूझ रहा है और हम एक्सपोर्ट की ओर ध्यान दे रहे हैं। एक ओर छोटे दुकानदार लाइसेंस एवं बाबु राज में फसकर धंधा करने की बजाय उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। दूसरी ओर बड़े खिलाड़ियों को छूट दी जाती है।

महंगाई एक क्षेत्र में अपना रंग दिखाती हैं पर पैर अनेक क्षेत्रों में फैलाती है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो रोज अपने दुपैया वाहन पर घूमने वाले को असर करती है, वैसे ही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट या शेरींग के माध्यम से प्रवास करने वाले आम आदमी को, स्कूल कालेज जाने वाले छात्रों को, सामान, ढोने वाले को, और अन्य बहुत क्षेत्रों को असर करती है और आम आदमी हर जगह जेब से ज्यादा पैसा चुका रहा होता है। हर वक्त वह मरता है। हर वक्त वह सोचता है कि कल क्या होगा।

पिछले कुछ समय में अगर ध्यान दे तो बड़ी रीटेल चेईन के माध्यम से धंधा करने वाले बड़े खिलाड़ियों की मात्रा देश में बंढ़ने लगी हैं वह महंगाई का एक बड़ा कारण है क्योंकि वे अपनी आर्थिक ताकत के जोर पर मार्केट को असर पहुंचाते हैं। इसके उपाय के रूप में सरकार को अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम को ठीक और मजबूत करना चाहिये। जिसकी आज अत्यधिक आवश्यकता है। दूसरा है, किसान की पैदावार को अच्छे से अच्छे भावों में खरीदा जाए ताकि वह दलालों के चुंगल से छूट सके। तीसरी अवश्यकता है उसके द्वारा पैदा किये गये अनाज के स्टारेज की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि अनाज सड़े नहीं। जीवन आवश्यक चीजे, अनाज वगैरह के स्टॉक को सीमित किया जाए ताकि अपने हित हेतु कोई मार्केट को असर न पहुंचा सकें और सबसे बड़ा केन्द्र सरकार को देश की सत्ता दी गई है वह देश के सभी राज्यों के प्रति व्यवहार ठीक करे। कांग्रेस शासित राज्यों को लड्डू और अन्य विपक्ष की सरकारों के राज्यों को लकड़ी, यह दुहरा मापदंड रखकर केन्द्र सरकार देश को तो ठीक अपनी पार्टी का भी भला नहीं कर रही है। सभी राज्यों से समान व्यवहार, सभी को आवश्यकतानुसार अनाज मुहय्या कराना। जीवन आवश्यक चीजों पर सभी का हक होना चाहिये।

[अनुवाद]

***श्री चार्ल्स डिएस (नाम निर्देशित):** श्री गुरुदास गुप्त जी ने महँगाई का मुद्दा उठाया है और सरकार पर आरोप लगाया है कि इसने महंगाई के प्रश्न पर लोकसभा द्वारा पहले के संकल्प स्वीकृत का उल्लंघन किया है। वस्तुत मुद्रास्फीति प्रत्येक देश के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। विगत कई महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि इस देश के आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चिन्ता का विषय रहा है। यह प्रश्न अभी बरकरार है कि क्या महंगाई में इतनी कमी आ गई है कि आम आदमी सामान खरीद सके या उसमें उचित कमी आई है। परंतु सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं करने का लगाया गया आरोप सही नहीं है। यह सच है कि सरकार द्वारा कारगार कदम उठाए जाने के कारण अनेक आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, चीनी इत्यादि की कीमत कम हुई है। मुद्रास्फीति और महँगाई केवल भारत की समस्या नहीं है। अधिकांश देश इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह मुख्यत: अपर्याप्त उत्पादन और बढ़ती खपत के कारण है।

मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए, आवश्यक वस्तुओं के अनुचित मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने के मामले में मुख्य रूप से प्रभावी और उचित मूल्य नियंत्रण के साथ सही समय पर वितरण पर ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार के उपचारात्मक उपायों का कार्यान्वयन इस दिशा में होना चाहिए। नियंत्रण के लिए देश में प्रभावी पी.डी.एस प्रणाली आवश्यक है।

यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकारें भी एकाधिकार वाले कर्मचारियों द्वारा वस्तुओं के अनावश्यक स्टॉक संचयन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। संपूर्ण देश में बिना किसी चैक-पोस्ट विनियमों के आवश्यक वस्तुओं का मुक्त व्यापार नि:संदेह उपलब्धता को बढ़ाएगा और इससे कीमतों में कमी आएगी।

सभापति महोदय: श्री महताब कृपया अब आंरभ कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद! मैं आज यहां भारत में मुद्रा स्फीति से उत्पन्न स्थिति के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

संबंध में वित्त मंत्री द्वारा 22 नवम्बर, 2011 को सभा पटल पर रखे गए विवरण पर हो रहे इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। मुद्रा स्फीति क्या है? मुद्रा स्फीति समष्टि आर्थिक नीति, जिसकी आज चर्चा हो रही है, के केन्द्र में है। वर्तमान मुद्रा स्फीति खाद्य वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य द्वारा चालित है और धन सापेक्षिक मूल्यों को प्रभावित नहीं कर सकता है। एक समय तो हमें मुद्रा स्फीति और मूल्य वृद्धि के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। इन दोनों शब्दों के बीच अंतर है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी इसकी व्याख्या कर सकते हैं क्योंकि आज मुद्रा स्फीति के बारे में चर्चा करते समय मैं एक समान रूप से जो सुन रहे हैं उसकी परिणति मूल्य वृद्धि है। इसलिए हमने पूछना शुरू किया कि इस बाजार में आलू की क्या कीमत है? अन्य बाजारों में आलू की क्या कीमत है? दूसरे बाजार में तेल की क्या कीमत है?

आज हमारे देश में मुद्रा स्फीति एक मुद्दा है। इस कारण से भी भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से भी मुद्रा स्फीति पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं है। जब तक सरकार मूल्य की स्थिरता के लिए खाद्यान्नों के स्टॉक के इस्तेमाल पर अपनी इच्छा जाहिर नहीं करती, तब तक वर्तमान मुद्रा स्फीति में कमी नहीं आएगी। मैं कृतज्ञ हूं कि आज खाद्य मंत्री जी वित्त राज्यमंत्री के साथ यहाँ उपस्थित हैं और मैं कुछ महीने पूर्व खाद्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को उद्धृत करता हूँ। केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री थॉमस तब अपनी सम्पन्न संगति में थे।

जब उन्होंने गत अक्तूबर में इसकी घोषणा की थी:

"बदली हुई खाने की आदतें और क्रय शक्ति में वृद्धि लगातार दोहरे अंक वाली मुद्रा स्फीति के लिए उत्तरदायी है।"

अन्यों के साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी पूर्व में राजनीतिक रूप से इस गलत विचार का समर्थन किया था।

उन्होंने कहा है कि सरकार के पास गेहूं और चावल के 50 मिलियन टन का स्टॉक है। दूध, अंडा, मांस, सब्जी और दालों की बढ़ती मांगों से ही मुद्रा स्फीति में वृद्धि हुई है। उन्होंने इन सभी चीजों को उठाया है। और यहां मैं 28 अक्तूबर, 2011 को खाद्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को उद्धृत करता हूं और यह वक्तव्य दी इकोनोमिक टाइम्स में समाचार के दूसरे पैराग्राफ में प्रकाशित हुआ है:

"गत एक वर्ष में मेरा अनुभव यह है कि कतिपय दालों और खाद्य तेलों को छोड़कर 15 अनिवार्य खाद्य पदार्थों में मुद्रा स्फीति स्थिर रही है। इन चीजों को छोड़कर धान, गेहूं और चीनी तथा अन्य पदार्थों के मूल्य स्थिर रहे हैं। यह मेरी आशा का एक कारण है कि अगले कुछ महीनों में खाद्य वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता आएगी।"

बाद में वे कहते हैं कि:

"एक ओर तो हम यह कहते हैं कि हमें किसानों को लाभ पहुँचाना चाहिए और इसलिए उन्हें सस्ती जलापूर्ति, बिजली दिया जाए और अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दें। उदाहरण के लिए केरल में हम कहते हैं कि किसानों को नारियल, कोपरा और प्राकृतिक रबर के लिए अधिक मूल्य दिए जाए। तब हम अधिक महंगें नारियल तेल और टायरों की कीमत पर नाराज होते हैं। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।"

यहां मैं पुन: एक अन्य चीज को उद्धृत करता हूं जो वक्तव्य श्री मदन सबनवीस, जो सीएआरई नामक रेटिंग एजेंसी के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, द्वारा दिया गया था :

"कम आय वाले परिवारों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा इनकी बड़े पैमानों पर खरीद होने से स्थानीय बाजारों में उपलब्धता कम हो गयी है और इस कारण मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये चीजें मंहगी हो गई हैं।"

क्या रेटिंग एजेंसी के मुख्य पालक और भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य मंत्री के वक्तव्यों के बीच कोई अंतर है? समृद्धि और मजदूरी में अधिक वृद्धि के कारण औसत भारतीय द्वारा अधिक खपत संबंधी वक्तव्य, जिससे मेरा मतभेद है, के विपरीत अर्जुन सेनगुप्त समिति ने अनुमान किया था कि लगभग 77 प्रतिशत भारतीय 20 रूपए से कम पर जीवन जी रहे हैं। फिर भी हम यही कहते हैं जिसे खाद्य मंत्री और रेटिंग एजेंसियाँ द्वारा प्रचारित किया जा रहा है।

अन्य लोगों ने यह कहा है कि देश में अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आयी है और यह वर्ष 2008-09 के 165 किलो से घटकर अगले वर्ष यानि 2009-10 में 161 किलो हो गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 56 वर्षों के दौरान दोहरे अंक में मुद्रा स्फीति लगातार नौ बार रही है। यह कोई नई चीज नहीं है। किंतु समाचार यह है कि 1972 और 1975 के बीच एक वर्ष से अधिक 30 महीनों के लिए और 1994-95 के बीच 15 महीनों के लिए पांच बार दोहरे अंकों में मुद्रा स्फीति रही। पर यह कभी इतना लंबा नहीं रही है जैसा कि अभी हुआ है। मुद्रा स्फीति से सफलता पूर्वक लड़ने के लिए इसके व्यापक प्रभाव को समझना जरूरी है। एक वक्तव्य में वित्त मंत्री की टिप्पणी है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मांग पक्ष में अपनी भूमिका निभाई है तथा सरकार के आपूर्ति पक्ष के संबंध में बहुआयामी कदम उठाए गए है और स्पष्ट है कि इसका परिणाम आने में कुछ समय लगेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से सहमत हूँ। लेकिन आपूर्ति पक्ष की क्या स्थिति है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उसी दिन 22 नवंबर को एक सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि दूसरी बार मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा रही है और खाद्य पदार्थों की कीमतों में हो रही वृद्धि से निपटना एक जटिल समस्या है जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। उत्पादकता बढ़ाना, पूंजी निर्माण में बढोत्तरी करना, भूमि उपयोग, खेती, गैर खेती के व्यवसायिक तरीकों में बदलाव तथा संवर्द्धित जल प्रबंधन, जो मध्यम और दीर्घकालिक अवस्था में लाभप्रद होगा पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में इस मामले का समाधान राज्य सभा में संवैधानिक अधिकार होता है, समन्वय से किया जाए। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। दूसरी बात कृषि उपज विपणन अधिनियम में शीघ्र संशोधन की आवश्यकता है ताकि आपूर्ति श्रृंखला में कर्टिल को तोड़ा जा सके ताकि फार्म गेट एवं खुदरा मूल्य के बीच के अंतर को किसानों और अंततः उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए कम किया जा सके।

अपराह्न 5.12 बजे

[श्री वसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

तीसरी बात कृषि उत्पादों पर राज्य स्तरीय करों को कम करने संबंधी मुद्दों पर विचार करने का प्रयास किया जाए। मेरे विचार में प्रधानमंत्री सहित वित्त मंत्री इस पहलु पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए वे मुख्य मंत्रियों की बुलाकार विभिन्न राज्यों द्वारा कृषि उपज पर लगाए जा रहे कर की समीक्षा कर सकते हैं।

बाजार में कीमत कम करने की दिशा में यह काफी सहायक रहेगा। यह अतः कहा जाता है कि मुद्रा स्फीति किसी नीति का परिणाम नहीं है बल्कि इसके लिए वैश्विक वस्तुएं एवं वैश्विक ताकत जिम्मेदार हैं। हम इसे बहुत से मंचों से कई बार सुन चुके है। ऐसी स्थिति में क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि भारत में मुद्रास्फीति आयातित है जिसे आसानी से नहीं निपटा जा सकता? रुपए के मूल्य में गिरावट चिंता का प्रमुख कारण है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या इसे होने दिया गया था या क्या इसे बनाया गया था। यह रिजर्व बैंक का मुख्य कर्तव्य है कि वह रुपए के मूल्य में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करे। आरवीआई ने क्यों रुपए के मूल्य में गिरावट होने दिया। इसका उत्तर मिलना चाहिए।

2011 की शुरूआत में अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य 44 था तथा 17 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ यह लगभग 52 रुपए हो गया, जिससे विदेशी ऋण अदायगी 25,000 करोड़ रुपए अधिक हो गए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सांख्यिकी के हिस्से को दूर करने के लिए 69,000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। लगभग पिछले दो दशकों से स्थिरता भारतीय रुपए की पहचान रही है।

वर्तमान में रुपए के मूल्य में उतार-चढ़ाव को यूरो क्षेत्र और अमरीकी संकट का भारत में दस्तक देने के रूप में माना जा सकता है। वैश्विक मंदी की आशंका और अनिश्चितता के काण वैश्विक कंपनियां भारतीय शेयर बाजार में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे है। जिससे तेजी से अस्थिरता पैदा हो रही है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय इक्विटी में निवल निवेश में अभी तक इस वर्ष 2010 की 339.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 4.36 बिलियन अमरीकी डालर की कभी आई है। रुपए के कमजोर होने से निर्यातकों को निश्चित रूप से फायदा होता है लेकिन इससे आयात की लागत बढ़ती है। यही हमारी चिंता का विषय है।

जब यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और अमरीकी अर्थव्यवस्था असमंजस की स्थिति में है तो ऐसा कैसे हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूं और मैं वित्त मंत्री से सीखना चाहता हूं कि क्या विश्व के बाजार में डॉलर की कीमत बढ़ रही है? साधारण अर्थशास्त्र से हमें समझ में आता है कि बाजार में धन की आपूर्ति वस्तुओं की मात्रा और उपलब्ध सेवाओं द्वारा बांटी जाती है, जो बाजार मूल्य के बराबर होता है। अतः मूल्य वृद्धि की दर मुद्रास्फीति है और यही अंतर है। मौखिक नीति का उद्देश्य रेपों या रिवर्स रेपो दर जो कि ब्याज दर है जिस पर आर बी आई बैंकों को उधार देता दे और जमा, जिसे बैंक जमा करते है या आर बी आई के पास रखते हैं, पर ब्याज देता है, को घटा या बढ़ाकर बाजार में धनापूर्ति करना होता है। लेकिन इससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं।

मैं ये सुझाव दे रहा हूं। यह उपाय जिसे सरकार द्वारा उठाया जाना है, वह मौद्रिक नीति से संबंधित है। इसके दो रास्ते हैं। राजकोषीय उपायों से थोड़े समय के लिए मुद्रास्फीति को रोकने में मदद मिलती है। अप्रत्यक्ष कर जैसे कि उत्पाद और सीमा शुल्क में कमी से विभिन्न वस्तुओं के खुदरा मूल्य में कमी आएगी। इसके अलावा सरकारी व्यय में भी कटौती किए जाने की आवश्यकता है। यह अर्थव्यवस्था में संपूर्ण मांग को कम कर देगी। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार खाद्य पदार्थों की महँगाई से निपटे, पी डी एस के माध्यम से आबंटन बढाए, राज्यों को अतिरिक्त अनाज उपलब्ध कराए और आयात शुरू कम करे ताकि कम कीमत पर अनाज आयात हो सके एवं खाद्य पदार्थों के निर्यात को विनियमित किया जाए, सीमा शुल्क, आयातित खाद्य वस्तुओं पर कर कम करें, व्यापारियों के भंडार को सीमित करें एवं काला बाजारी करने वालों एवं खाद्यान्नों की जमाखोरी के विरुद्ध कानून को लागू किया जाए।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सपनों में है एवं देश को आर्थिक संकट की ओर ले जा रही है। सरकार को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति संकट के बारे में जानता है। सरकार क्यों जड़ बनी हुई है। क्या हम कह सकते है कि सरकार भ्रांति में जी रही है?

***श्री एस. एस. रामासुब्बू** (तिरूनेलवेली): मूल्य स्तर में 2 से 3% की मामूली वृद्धि उपयुक्त है। यह आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा। "किसी भी चीज की अधिकता किसी भी काम की नहीं है।" मजदूरी के मूल्य में समान वृद्धि आम आदमी के लिए खतरा बन जाएगी। मूल्यों में उसे 7% की स्वीकार्य सीमा तक की वृद्धि विकासोन्मुखी हो सकती है।

व्यापारी लोग और कालाबाजारी करने वाले लोग आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर रहे हैं और इस प्रकार काला धन संचय कर रहे हैं।

महंगाई का मुख्य कारण वैश्विक वित्तीय संकट है जो कि वर्ष 2008 के दौरान हुआ था। प्रत्येक देश वस्तुओ के आसमान छूते मूल्यों विशेषकर खाद्य सामग्री के मूल्यों से आक्रांत हैं। पिछले वर्ष, कृषि वस्तुओं के मूल्य विभिन्न कारणों से बढ़ाए गए हैं। अब सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। हमारे वित्त मंत्री के प्रयासों से, खाद्य सामग्री के मूल्य काफी हद तक घटकर 8% रह गए हैं।

खाद्य सामग्री का वितरण, खरीद और वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के साधन राज्य सरकारों के हाथ में हैं। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

बिचौलियों की दखलंदाजी के बिना कृषि उत्पाद बाजार में बेचे नहीं जाते हैं। ये बिचौलिए उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए तैयार नहीं हैं।

वे मूल्य निर्धारित करते हैं और बिचौलिए बाजार को चलाते हैं। किसानों को लाभ मिलना चाहिए अन्यथा वे अनाजों, कपास और दाल की किस्मों के उत्पादन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है।

अब हमारी यूपीए सरकार के प्रयासो के कारण खाद्य सामग्री का बफर स्टॉक संतोषजनक है। सरकार ने गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। इससे किसानों को और अधिक खाद्य सामग्री का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि समस्या पैदा कर रही है। विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारणों में यह भी एक कारण है। हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति के अनुसार पेट्रोल मूल्यों को कम करने के लिए कदम उठाए है। लोगों को डीजल, गैस और केरोसिन राज सहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

किसानों को राज सहायता प्राप्त डीजल के कारण लाभ मिल रहा है।

हमारे योग्य वित्त मंत्री जी द्वारा आर बी आई को ब्याज दर निर्धारित करने के लिए निदेश देकर, ताकि वह धन के अत्यधिक परिचालन को नियंत्रित कर सके, प्रभावी मौद्रिक नियंत्रण किया जाता है।

काला धन और नकली करेंसी नोटों का परिचालन हमारी अर्थव्यवस्था में गतिरोध लाने के महत्त्वपूर्ण कारण हैं। इस खतरे को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार अनेक कदम उठा रही है। फिर भी, इन कदमों को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग अनिवार्य है।

हमारे भारतीय बाजार में उर्वरकों का मूल्य बहुत अधिक है। डी ए पी और एम ओ पी जैसे उर्वरकों का विदेश से आयात करना पड़ता है। विदेशी बाजारों में भी मूल्य बहुत अधिक हैं। इसलिए सरकार को राज सहायता प्राप्त दर से उर्वरकों की आपूर्ति करनी पड़ती है।

गरीब ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति सुधारने के लिए हमारी सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना आरंभ की है। इससे ग्रामीण कामगारों को नियमित रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। केवल राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन से ही क्रय शक्ति बढ़ सकती है।

विभिन्न विभागों और विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करता है। पूर्णता लाने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार की समस्या का उन्मूलन अनिवार्य है।

अंत में, मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार सभी मौद्रिक, वित्तीय और प्रशासनिक साधनों का उपयोग करके महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठा रही है। अब कुछ हद तक महंगाई नियंत्रण में है और यदि सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार को सहयोग करें तो न्यूनतम अवधि में इससे निपटा जा सकता है।

***श्री पी. करूणाकरण** (कासरगोड): मैं नियम 193 के अंतर्गत मूल्य वृद्धि पर चर्चा में भाग लेना चाहूंगा। यह 15वीं लोक

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सभा का 9वां सत्र है। प्रत्येक सत्र में हम मूल्य वृद्धि के इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे हैं। मैं 14वीं लोकसभा का सदस्य था। हमने इस मुद्दे पर कम से कम 15 बार चर्चा की है। लेकिन वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। यद्यपि चर्चा के समय सरकार ने कुछ कार्रवाई करने का वादा किया था पर परिणाम वास्तव में अकर्मण्यता के है।

मूल्य वृद्धि वास्तव में यू पी ए सरकार द्वारा अपनायी एवं लागू की गई नई उदार नीति का नतीजा है। आजकल सभी अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है। सरकार ने पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें 16 बार एवं डीजल की 11 बार बढ़ाई हैं। सरकार ने खाना पकाने वाली गैस एवं किरोसन की कीमतें बढ़ाने का भी निर्णय ले लिया है। इन निर्णयों एवं कदमों से वास्तव में कीमतें बार-बार बढ़ने में मदद मिली है।

सरकार कहती है कि कुछ कदम उठाए गए हैं पर यह किसी भी मदों में परिणाम में देखने में नहीं आया है। साथ ही यूरिया की कीमतें बढ़ गई है। उर्वरक एवं बिजली के संबंध मे राजसहायता राशि कम की गई है। इससे वास्तव में किसानों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह हमारे देश के विभिन्न भागों में किसानों की आत्महत्या के लिए कई कारणों में एक है। कम से कम 2.8 करोड़ किसानों ने विभिन्न भागों में आत्महत्या की है। यह इसी संबंध में है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो इससे किसानों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा।

लोगों की क्रय शक्ति बढ़ नहीं रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। वर्ष 2005 से 2010 की अवधि में श्रम क्षेत्र में वृद्धि 2.8 प्रतिशत थी। पर अब यह कम होकर 0.8 प्रतिशत हो गई है। यह कैसे संभव है कि जब रोजगार के अवसर कम हो रहे हो तब लोग कैसे जीवन कायम रख सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सरकार ने कार्य बल को कम करने का निर्णय लिया है। यह देखना चकित करने वाला है कि न केवल नए रोजगार पाने बल्कि वर्तमान रोजगार के अवसर भी कम किए जा रहे हैं।

सरकार कहती है कि भारत की जनता की स्थिति चमक रही है जैसा कि एन डी ए सरकार द्वारा भी कहा गया। अर्जुन सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 73 प्रतिशत लोग 20 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी के साथ जी रहे हैं। ह्रास में योजना आयोग उपाध्यक्ष अहलुवालिया ने कहा था कि शहरी क्षेत्र में 32 रुपये प्राप्त करने वाला गरीबी रेखा से ऊपर के वर्ग में है तथा ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपए प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर के वर्ग में है। यह नोट करना चकित करने वाला है कि यह किसी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में रहता है वह 26 या 30 रुपए प्रति दिन की राशि से न्यूनतम जरूरतें पूरा कर जीवित रहे। हमारे पास एक और चकित करने वाली रिपोर्ट है कि वर्ष 2004 में भारत में अरब पतियों की संख्या 9 थी और यह वर्ष 2010 में 69 हो गई। यह दर्शाता है कि कैसें सरकारी नीतियों ने धनी वर्ग को बढ़ावा दिया है तथा गरीब आदमी पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मूल्य वृद्धि के 4 या 5 प्रमुख कारण है जिसे पहले ही बताया गया है:

(i) सरकार को वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो बाजार में कृत्रिम मूल्य वृद्धि को. वास्तव में बढ़ावा देता है।

(ii) खरीद, वितरण तथा खाद्यान्न का भंडारण सरकार द्वारा किया जाना चाहिए जैसा कि पहले एफ सी आई द्वारा किया जाता था। अब यह पूरी तरह निजी पक्षों को सौंप दिया गया है।

(iii) सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करने तथा इसके दायरे में और मदों को शामिल करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।

(iv) सरकार पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें वापस ले जो सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है तथा जिसने मूल्य वृद्धि में योगदान किया है।

(v) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गाँवों में बेहतर वितरण बिक्री केंद्र बनाने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। इस संबंध में पी डी एस प्रणाली के बेहतर कार्यकरण के लिए केरल सर्वोत्तम मॉडल है।

(vi) जब तक सरकार अपनी नई उदारनीति में बदलाव नहीं करती तब तक बाजार को नियंत्रित करना संभव नहीं है जो कार्पोरेट क्षेत्र का एकाधिकार बन गया है। अब उन्होंने खुदरा क्षेत्र में भी एफ डी आई का निर्णय लिया है जिससे कम से कम 20 करोड़ व्यापारी एवं उनके परिवार सड़क पर आ जाएंगे।

जब ये सभी स्थितियां उभर रही है तब यह मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिए नई नीति का अंग है। इसलिए मैं सरकार द्वारा अपनाई गई नई नीति का जबर्दस्त विरोध करता हूं तथा कम से कम आम आदमी को कुछ राहत देने के लिए बहुत तत्काल कदम उठाने के अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): धन्यवाद, सभापति महोदय। महोदय, यू पी ए सरकार के $7^1/_2$ वर्ष के शासनकाल के दौरान इस सदन में इस विषय पर यह 16वीं चर्चा है। इससे सरकार की अयोग्यता का पता चलता है।

ओद्योगिक कराने और नीति निर्माता मार्च 2008 से भारत में मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि से चिंतित है। अर्थशास्त्रियों की नजर में मुद्रास्फीति का अभिप्राय मूल्य में उत्पादन संबंधी वृद्धि है जिसे क्रय-शक्ति के सामान्य स्तर से मापा जाता है। दुर्भाग्यवश, राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 37 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है; इन गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों के व्यक्ति दैनिक मजदूरी पर आश्रित होते हैं। यदि उन्हें काम मिले, जो अपने हाथों से काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारी योजना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार एक व्यक्ति को 100 दिन का काम मिलता है। महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों में इस योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस योजना को कहीं भी प्रभावी रूप से कार्योन्वत नहीं किया जा रहा है। यदि आप यह विचार करें कि इस योजना के माध्यम से प्रति परिवार एक व्यक्ति को काम मिलता है तो वे कितनी मजदूरी कमा लेंगे। वे 100 रु. से 150 रु. तक ही कमा सकते हैं। यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह हैं कि क्या वे इस पैसे से पांच सदस्यों वाले परिवार को खिला सकते है। कृपया न्यूनतम आवश्यक खाद्य सामग्रियों की कीमतों पर विचार करें-गेहूं की कीमत 20 रु. प्रति किलोग्राम से ज्यादा है; चावल 30 रु. प्रति किलोग्राम से ज्यादा, इस दाल का मूल्य 17 रु. प्रति किग्रा. से ऊपर-खाद्य तेल, नमक या मसाला जैसे अन्य मदें एक गरीब परिवार के अनिवार्य दैनिक आवश्यकताएं हैं। इसके अतिरिक्त, एक व्यक्ति को कपड़ों, बच्चों की शिक्षा, बिमारी और पुत्री या पुत्र के शादी के लिए भी पैसा बचाना होता है। इस मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति के युग में किस प्रकार एक गरीब व्यक्ति इन अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगा?

दुर्भाग्यवश, दो माह पूर्व, योजना आयोग ने एक विवरण दिया था कि गाँव में 26 रु. प्रति दिन और शहरी क्षेत्र में 32 रु. प्रति दिन एक व्यक्ति की जीविका के लिए पर्याप्त है। मैं योजना आयोग की इस गणना को समझने में असमर्थ हूं। सरकार को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले तीन वर्षो से यह मूल्यों और मुद्रास्फीति को नीचे लाने का संकल्प करती रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह अपने संकल्प को पूरा करने में असमर्थ रही है। इस परिस्थिति में सरकार को शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

सितम्बर 2011 में भारत की मुद्रास्फीति दर 9.72 प्रतिशत होने की रिपोर्ट थी। वर्ष 1969 से 2011 तक भारत का औसत मुद्रास्फीति दर 7.99 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति दर से अभिप्राय मूल्यों में सामान्य वृद्धि से है जिसे क्रय-शक्ति के मानक स्तर से मापा जाता है। सरकार जानती थी कि देश के अनेक भागों में पर्याप्त मात्रा में मानसून भी वर्षा नहीं हुई है और इस प्राकृतिक आपदा के कारण खेती पर पूर्ण रूप से निर्भर किसानों और मजदूरों को बहुत परेशानी हो रही है। मूल्य-वृद्धि और मुद्रास्फीति के इस युग में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले विदर्भ क्षेत्र में किसानों के आत्महत्या का औसत एक या दो था लेकिन दुर्भाग्यवश यह बढ़कर प्रतिदिन तीन से चार व्यक्ति हो गया है। सरकार से मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इसके प्रति गंभीर है, या नहीं; यदि नहीं, तो इसी सरकार को शासन करने का कोई हक नहीं है।

मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि विदर्भ के किसान पूरी तरह से कपास पर निर्भर हैं, क्योंकि कपास विदर्भ और मराठवाडा का मुख्य फसल है। पिछले एक महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सड़कों पर हैं किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है। वे कपास का मूल्य 6000 रु. प्रति क्विंटल की मांग कर रहे है। इसके कारण, यदि उनके हाथ में कपास है, तो उन्हें इसका पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपने आवश्यक सामग्रियों के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है।

यही कारण है कि किसान और किसान समुदाय जो खेती पर आश्रित है, निश्चित रूप से संकट में है। वे बहुत ही कष्ट में हैं। सरकार को इस मुद्दा को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए।

[हिन्दी]

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा): मैं इस बढ़ती हुई महंगाई पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूं।

ग्रामीण क्षेत्रों में 26 और शहरी इलाकों में 32 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले गरीबी रेखा से ऊपर माने जाए। यह हलफनामा उच्चतम न्यायालय में योजना आयोग द्वारा दिया गया। यह गरीबों के साथ भद्दा मजाक नहीं तो फिर क्या है।

महंगाई को काबू में रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है; ऐसे बार-बार वित्त मंत्री जी की रटन गरीबों का कुछ भला नहीं कर सकती। इसकी चुभन घटने की बजाए बढ़ती ही जा रही है। यह आंकड़े बताते हैं और महंगाई बार-बार गरीब जनता को रुला रही है।

मुद्रास्फीति के आंकड़े थोक बाजार पर निकालते हैं अगर रिटेल पर निकाला तो पता चले। महंगाई पर केंद्र सरकार की भ्रमित अर्थ व्यवस्था आंकड़ों की माया जाल में गरीब फंसता ही जा रहा है उसको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रसोई गैस, पैट्रोल डीजल के दाम के शोट ट्रीटमेंट से महंगाई पर काबू पाया नहीं गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशक कृष्टन ने बताया कि इस साल हमने जिंसों की कीमत में फिर से जैसी तेजी देखी है इससे 4.4 करोड़ लोग गरीबी की चपेट में आ सकते हैं।

ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर भी खतरे मंडरा रहे हैं तो भारत कैसे इससे उभरेगा? दहाई के करीब पहुंची महंगाई आम लोगों को चैन नहीं लेने देगी क्योंकि चना, मसूर, अरहर दालें पिछले साल के मुकाबले महंगी हुई हैं। दूध, सब्जी और अन्य खाद्य वस्तुओं में भी मूल्य तेजी की ओर है।

ब्याज दरों में और बढ़ोत्तरी करने से भी महंगाई पर लगाम नहीं लगेगी। आर बी आई की तकनीकी राय है कि रैपो रेट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी महँगाई सबसे बड़ी चिंता है ऐसा मत जताया है।

मनरेगा की 100 दिन वाली रोजगारी भी गरीबों के आंसू नहीं रोक सकती क्योंकि वे लोग कम कमाते हैं और खर्च ज्यादा करते हैं।

2004 और 2009 में कांग्रेस ने आम आदमी के प्रति अपनी चिंता जाहिर की थी लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था केवल खास आदमी के लिए ही चल रही है। इस समय जब सब्जी और अन्य जीवन जरूरती वस्तुओं की कीमतें आसमान को छू रही है तब तेल कंपनियां आए दिन पैट्रोल उत्पाद महंगें कर रही हैं। एल पी जी सिलिंडर पर सब्सिडी खत्म करने की बात चल रही है तब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी की सरकार बी पी एल दर्जा पाने के लिए लोगों को भूखे मरते हुए ही देखना चाहती है।

पिछले ढ़ाई सालों से केंद्र सरकार की कोशिशें करने के बावजूद महंगाई थम नहीं रही है और सरकार भी नाकाम होती जा रही है।

वर्ल्ड बैंक की राजनीति को प्राथमिकता देने वाली यह सरकार जन आकांक्षाओं से बेपरवाह है।

वित्त मंत्री बार-बार भरोसा देकर महंगाई को लम्बा चौड़ा कर रहे हैं क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया टूट गया है। 1 डॉलर के मुकाबले 52.29 की रुपये की स्थिति हमारी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को व्यक्त करती है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय साख में कमी आयी है।

केंद्र सरकार के कई नुमाइंदे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजाक उड़ाने वाले विधान जैसे कि गरीब लोगों का खाना बढ़ गया है इसलिए मध्यम वर्ग की खरीद शक्ति बढ़ गई इसलिए, महंगाई बताती है कि हमारा विकास बढ़ गया है। यह प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार महंगाई को अनदेखा कर रही है।

पैट्रोल के साथ-साथ डीजल और गैस के दामों को अंकुश मुक्त करने की बातें भारत की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को बताती है।

कृषि उत्पादक किसानों को अपने पैदावार का योग्य मूल्य नहीं मिल रहा है लेकिन जमाखोरों, सट्टाखोरों के हित में आयात निर्यात के दोहरीकरण से प्रतीत होता है कि महंगाई पर सरकार का चिंतन खोखला है। कपास उत्पादक गुजरात, महाराष्ट्र के किसान विरोधी सुधार लागू करने के लिए दाम बढ़ाने की खुली छूट दे रही है।

हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के महंगाई और संपन्नता में साम्य स्थापित करने का अभिप्राय है कि हाथ में अधिक पैसा होने के कारण लोग अधिक पौष्टिक भोजन लेने लगे हैं। परिणामस्वरूप फल, सब्जियों और दुग्ध उत्पदकों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। यह भी सरासर झूठ है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है।

सरकार तेल कंपनियों के घाटे के बारे में ज्यादा सोचती है और पेट्रोल के दाम महीने में बार-बार बढ़ाती रहती है। कंपनियों के आडिट रिपोर्ट बयां करते हैं कि उनका मुनाफा कम नहीं हुआ है। सरकार चाहे तो पेट्रोल के दाम में केंद्र का टैक्स घटा दे तो पेट्रोल-डीजल और सस्ता मिल सकता है लेकिन सरकार तेल कंपनियों की आमदनी पर कोई समझौता नहीं करना चाहती।

महंगाई का ठीकरा राज्यों के सिर पर फोड़ा जाता है। सरकार के कुप्रबंधन ने खाद्य कीमतों को बेकाबू कर दिया है। कुल मिलाकर यह साफ होता है कि न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार महंगाई के मामले में कुछ ठोस करने में सक्षम है। इस संबंध में घोषित तमाम प्रयास भी ठोस रिजल्ट देते हुए प्रतीत नहीं होते।

भुखमरी का हल नकद सब्सिडी नहीं है, पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि देश में कोई भी व्यक्ति भुखमरी और कुपोषण से नहीं मरना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक यह जिम्मेदारी सरकार की है। कि वह गरीबों को उनकी जरूरत के मुताबिक भोजन उपलब्ध कराए लेकिन क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन कर पाएगी।

स्पष्ट है कि सरकार की यह नीति विफल रही है। बेकाबू महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी मुहाल कर दी है और देश के आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने के आगे भी रास्ता पथरीला है।

हमारा सुझाव है कि खाद्य सुरक्षा बिल को पारित किया जाए। कालाबाजारी पर अंकुश, जमाखोरों के साथ सख्ती से निपटना होगा।

[अनुवाद]

*श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): मैं सरकार को बधाई देता हूं कि वह मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए सकारात्म कदम उठा रही है। मूल्य वृद्धि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के परिणामस्वरूप होती है। मूल्य वृद्धि कम करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप 5 महीनों में महंगाई दर 11 से कम होकर 6.6 हो गई है।

मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव है। तेल की बढ़ती कीमत भारत के लिए घातक है क्योंकि हम पूर्ण रूप से तेल आयात पर निर्भर हैं। तथापि सरकार ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए है जो घरेलू कारकों से उद्भूत हैं। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता मुद्रा-स्फीति के निर्धारण में मुख्य भूमिका अदा करती हैं। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में सभी बाधाओं को दूर करने के विभिन्न उपाए अपनाए हैं। सरकार ने देश भर में भंडागार निगमों की अधिग्रहण क्षमता में भारी वृद्धि की है। अब देश ने कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और इन्हें अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है। मुद्रा स्फीति नियंत्रण करने में खाद्य सुरक्षा विधेयक एक मील का पत्थर है।

*श्री के. सुगुमार (पोल्लाची): यह अत्यंत दुखद है कि अक्टूबर 2011 में खाद्य महंगाई दर 12.21% हो गई है। यह अत्यंत चिंताजनक है। देश का आम आदमी विशेषकर निर्धनतम वर्ग का जीवन अत्यंत कठिन हो गया है वह एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ है। केंद्र सरकार मूक दर्शक बन कर नहीं रह सकती। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण डीजल की कीमतों में निरंतर वृद्धि होना है जिससे सभी आवश्यक वस्तुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वर्ष में अनेक बार डीजल की कीमतों में निर्दयतापूर्ण वृद्धि से आम आदमी और समाज के निर्धनतम वर्ग का न केवल जीवन बाधित हुआ है बल्कि लोग अवैध और गैर कानूनी तरीकों का सहारा ले रहे और महिलाएं अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए वैश्यावृत्ति का रास्ता अपनाने को बाध्य कर रही है। इसलिए मैं सरकार से मुद्रास्फीति पर रोक लगाने के लिए तात्कालिक कदम उठाने की मांग करता हूं। हम यह नोट कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है परंतु वह मुद्दा जिस पर चर्चा नहीं हुई है। मैं उस बात को उजागार करना चाहूंगा कि वह किसान जो कृषि उपज का उत्पादन करता है उसे अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और उसे कम से कम राशि दी जा रही है। बिचौलिए उनका एक बड़ा हिस्सा डकार जा रहे है। सरकार को इसमे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है किसानों को कम से कम इतना मूल्य दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह आगे खेती कर सके। मेरे पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पोल्लाची में नारियल मुख्य फसल है, परंतु नारियल उत्पादकों को कोपरा का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। कोपरा के लिए 85.00 रु. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और उर्वरक की लागत कम करने की भी मांग की जा रही है। इसलिए मैं सरकार से समाज के निर्धन वर्ग के आंसू पोंछने के लिए बढ़ती मुद्रा स्फीति नियंत्रित करने तथा साथ ही कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 85.00 रु. निर्धारित करने के लिए और कम कीमत पर गरीब किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): धन्यवाद महोदय, आरंभ में, मुद्रास्फीति आर्थिक विकास का एक गंभीर घटक है। मेरे विचार से मूल्य वृद्धि आज देश में अत्यंत गंभीर समस्याओं में से एक है और यह प्रत्येक घर के बजट को तंग करती है।

हम सभी को सुषमा जी के भाषण की प्रशंसा करनी चाहिए। मेरे महिला होने और उनके भी महिला होने के नाते हम जानते हैं कि हम सबको घर चलाने में मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि कितना परेशान करती है। परंतु मेरे विचार से मुद्रास्फीति और व्यापक आर्थिक नीति एक मुद्दा है, जिस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति की आवश्यकता है।

गत तीन वर्षों से यूपीए दो के सत्ता में आने के पश्चात् इस विषय पर निरंतर चर्चा होती रही है। इसमें से प्रत्येक में निराशा का भाव है क्योंकि प्रत्येक सदस्य मूल्य वृद्धि के संबंध में गंभीर है वे मात्र भावनात्मक भाषणों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे वे इसका समाधान चाहते हैं। मेरे विचार से देश की समस्याओं के समाधान के लिए हम निर्वाचित हुए हैं। केवल देखने के लिए नहीं हैं बल्कि संसद में संघर्ष और परिस्थिति बनाने के लिए हैं। संसद चर्चा, परिचर्चा करने और देश को आगे ले जाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए समाधान तलाश करने का स्थान है।

मुद्रास्फीति और चर्चा के साथ समस्या यह है कि विकास करने की हम सभी की साझा इच्छा है। हम उच्च, समग्र और सतत् विकास चाहते है जैसे-जैसे हम विकास कर रहे हैं मैं आज इन्हें खतरे की सम्भावना के रूप में देखती हूं। इस मुद्रा स्फीति के क्या कारण हैं?

इस समय राजकोषीय घाटा काफी अधिक है। हमने धीमे विकास की चर्चा की। हमने काल श्री प्रणव मुखर्जी को सुना। उन्होंने दो अंकों से लेकर छह प्रतिशत तक मुद्रा स्फीति लाने की बात की। यह मुद्रास्फीति काफी अधिक है। मेरे विचार से हम सबको इसका समाधान तलाश करना चाहिए क्योंकि समस्त विश्व

मंदी के दौर से गुजर रहा है। यह घटना क्रम प्रत्येक छह से दस वर्ष में आता है। इसलिए मेरे विचार से भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व से अछूती नहीं है।

इसलिए हमें इस बात पर गौर करना होगा कि हम परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन और सुधार कर सकते हैं। माँग और आपूर्ति के संबंध में काफी कुछ कहा गया है परंतु गत तीन से पाँच वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है।

हमारे किसानों द्वारा काफी उत्पादन किया गया है। एम एस पी के बारे में काफी कुछ कहा गया है। हम सभी की दी जा रही एम एस पी के बारे में काफी चिंतित हैं। हर कोई अपने राज्य के बारे में बोल रहा है। आलू और कपास पर काफी चर्चा हुई है। शिव सेना से मेरे पूर्व वक्ता ने कपास के बारे में विस्तार से कहा है। मुझे लगता है कि जब तक उपभोक्ता को संतुष्ट करना है, हम सभी इसके बारे में चिंतित हैं। परंतु जो व्यक्ति इसका उत्पादन करता है, उसे अपना सही एम एस पी मिलना चाहिए।

अब, मैं आपको चीनी का एक उदाहरण दूंगी। हमारे यहां महाराष्ट्र में चीनी हेतु, व्यापक आंदोलन हुआ था। हमारे याहां महाराष्ट्र में चीनी की भरपूर पैदावार हुई है। हमें इसके लिए सही मूल्य चाहिए था। सही मूल्य दिया गया परंतु इसके साथ कृषि उत्पादन को बाजार में खोला जाना चाहिए। जिस प्रकार हमारे देश में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को खोला गया है, हम अपने सभी कृषि मालों का निर्यात क्यों नहीं कर सकते, जब वे बेहतर मूल्य हेतु अतिरेक हैं?

इस संबंध, मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। चीनी का निर्यात 670 रु. प्रति डॉलर पर किया जाना चाहिए था। जब हम अच्छा कर रहे थे, जब तक भारत सरकार और जी ओ एम ने निर्णय लिया, और आदेश आया तब तक तीन सप्ताह हो गया और मूल्य घटकर 580 रु. और 620 रु. के बीच रहा गया। अब, इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा?

जहां तक निर्यात को स्वीकार करने का संबंध है, केवल 5 लाख टन चीनी को स्वीकार किया गया था। जब हमारे पास अतिरेक मात्रा और बफर स्टॉक उपलब्ध हैं, तो हम मुक्त निर्यात और शीघ्र निर्णय क्यों स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, जब कृषि को इसकी आवश्यकता है? हमें सही समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता है और यह 24 घंटों के भीतर लिए जाने चाहिए।

हमने उपयोगी वस्तुओं के बारे में बात की है, सट्टे के बारे में काफी बातें कही जा रही हैं। यदि इसका विरोध होता है और जब तक कि आपसी सहमति प्राप्त नहीं होती है, हम सट्टा बाजार से नहीं पूछेंगे। परंतु आज भारत ने अपने द्वार खोले हैं। यह एक महान अर्थव्यवस्था बनना चाहती है।

श्री पी. सी. चाको ने चीन के बारे में विस्तार से कहा है। उन्हें काफी आलोचना मिली है। मेरा मानना है कि वे सही थे क्योंकि आज यह इस बारे में नही है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। आज खुली अर्थव्यवस्था में जहां भूमंडलीकरण है, सभी मालों की इस देश के प्रत्येक बाजार में पहुंच है, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी या छोटी है। हमारे जैसी वृद्धिमान अर्थव्यवस्था में; मैं मानती हूं कि चाहे यह कृषि या उपयोगी वस्तु उत्पाद हो, हमें बाजार और विश्व की उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो प्रत्यक्ष या किसी भी ढंग से अप्रत्यक्ष रूप में हमें प्रभावित करती है।

लोगों ने पी डी एस के बारे में विस्तार से बात की। मुझे यह बताते हुए गर्व होता है कि मैं जिस राज्य से आती हूं, हम एक बिल्कुल नवाचारी कार्यक्रम–घर पहुंच योजना (ड्रॉप ऑफ होम) को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसका अर्थ है कि लोक वितरण प्रणाली में यह सुनिश्चित करेंगे कि इनकी जमाखोरी न हो और इसकी चोरी न हो और इसे गांव में भेजा जाए। पंचायत की बैठक सबके सामने होती है और तीन से छह माह हेतु संपूर्ण पी डी एस घरों में पहुंचाया जाता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागन नहीं लगती। यह काफी सफल जनजातीय कार्यक्रम है, जिस पर भारत सरकार द्वारा भी विचार किया जा रहा है।

इसलिए मुझे विश्वास है कि पी डी एस को सुदृढ़ करने से हमें अवश्य लाभ होगा। परंतु मेरा मानना है कि हम सब का साथ रहना चाहिए और कौन-सा राज्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन काफी अच्छा कार्य कर रही है और मैं पी डी एस के संबंध में अच्छा कार्य करने के लिए उन्हें बधाई देना चाहूंगी। इसलिए हम इन नवाचारी उपायों का प्रयोग क्योंकि नहीं कर सकते और राजनीति से ऊपर क्यों नहीं उठ सकते? इस पर राष्ट्रीय सहमति हो सकती है क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कुपोषण और मूल्य वृद्धि राजनीतिक मुद्दे नहीं है। इसका असर हर आम आमदी पर पड़ता है। हमें भारतीय राजनीति के स्वरूप को बदलने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि कोई इन मुद्दों पर असहमत होगा। आपको अपने घर में चीनी अच्छे मूल्य पर चाहिए और मुझे भी। रत्ना जी का भी अपने घर का बजट है और मेरा भी। इसलिए, हम सभी जो अपना घर बजट पर चलाते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी के भी विचार इस पर भिन्न है।

अपने दल के युवा सदस्य के रूप में, मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं इस चालू वाद-विवाद को लेकर पूर्णत: भ्रमित हूं जिसका कोई समाधान नजर नहीं प्राप्त। लोग हमारी ओर देख रहे हैं। जब हमारे देश में हमारे बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है, इस वाद-विवाद पर आज हमारी उपस्थिति देखिए। मैं मानती हूं कि यह

हममे से प्रत्येक को पूर्णतया भ्रमित करता है। इसलिए, हमें सममुच यह जांचने और देखने की आवश्यकता है कि हम इसे आगे किस प्रकार ले जा सकते हैं। कृषि को देखिए और इसे कार्यसूची में डालिए। ऐसा इसलिए क्योंकि खाद्य महंगाई ऐसी चीज है जिसे हमें देखना है। हम किसी अन्य अवसंरचना के बिना चल सकते हैं किंतु हम भोजन के बिना नहीं चल सकते हैं। इसलिए, हमें कृषि क्षेत्र में बढ़ोत्तरी करने और कमियों को ढूढ़ने में अपनी सारी ऊर्जा लगाने की आश्यकता है।

वे मुख्य चीजें क्या हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ती है? कई सदस्यों ने खान-पान के बारे में माननीय मंत्री जी के वक्तवयों की आलोचना की है। वे सही कहते हैं कुछ हद तक खान-पान की आदतों में परिवर्तन आया है। खान-पान की आदत नहीं बल्कि आपूर्ति और माँग के बीच का अंतर समस्या की जड़ है। मैं निःसंदेह श्री थॉमस के इस वक्तव्य का समर्थन करूंगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की जाए। एनडीए के कार्यकाल से तुलना की जाए तो यूपीए-एक और यूपीए-दो के कार्यकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हुई है। निःसंदेह इसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। यह मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा संघटक है।

इसके पश्चात्, वैश्विक मूल्य वृद्धि का झटका है। आज जैसा कि यह एक खुली अर्थव्यवस्था है, वैश्विक रूप से जो कुछ भी होता है, उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अब अलग-थलग नहीं है। वस्तुओं का वित्तीयन होता है क्योंकि वस्तु एक उदाहरण है, चीनी हो या सोना हो या चांदी हो, ये सभी वस्तुएं निश्चित रूप से वित्तीयन से प्रभावित होती हैं। इसलिए, जहां कहीं भी कोई संकट आता है तो वित्तीयन और ये बांड मुद्रास्फीति में एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अंत में, समावेशी विकास नीतियों का बढ़ता दबाव है। हमारे पास निम्न बाजार के लिए बहुत सारी नीतियां हैं और निश्चित तौर पर उनकी बड़ी भूमिका होती है और इन नीतियों का मुद्रास्फीति पर बड़ा दबाव होता है। इसलिए हमें सचमुच इसे समग्रता, व्यावहारिक और खुले तरीके से देखने की आवश्यकता है। मैं आज यहां अपने सभी साथियों से आग्रह करना चाहूंगी कि इसे हम अपनी कार्यसूची में रखे, इसे यूपीए की समस्या नहीं बल्कि एनडीए हम सभी अपनी समस्या माने क्योंकि इससे इस देश के प्रत्येक आम आदमी को चोट पहुंचती है। मैं मानती हूं कि यह राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठें और अच्छाई के लिए बेहतर समाधान की खोज करें।

आज, देश का संपूर्ण वातावरण हम सभी के विरोध में है। यह 800 लोग बनाम करोड़ों भारतीय लोगों की लड़ाई है। हम भी उनमें से एक हैं। मैं जानती हूं कि हम मुद्दे से भटक गए हैं। हम सभी चुने हुए सदस्य हैं। मैं यहां अपने संसदीय क्षेत्र के 1.6 मिलियन लोगों की आवाज के साथ खड़ी हूं। मैं उनसे अलग नहीं हूँ। इसलिए, मैं मानती हूं कि यह समय है कि हम सभी बंधु के रूप में खड़े हों और देश के समक्ष यह साबित करें कि हम 800 लोग भी उनमें से हैं और उनकी आवाज हैं और हम कुछ हट कर करना चाहते हैं और भारत के विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं।

***श्री पी. कुमार** (तिरूचिरापल्ली): यह नोट करना बड़ा दुखद है कि अक्तूबर, 2011 के महीने में खाद्य महंगाई 12.21 प्रतिशत पहुंच गया है। यह बहुत ही खतरनाक है। इस देश के आम आदमी विशेष कर गरीब वर्ग के लोगों का जीवन बहुत दयनीय हो गया है और उन्हें एक शाम का भोजन भी नहीं मिल पाता है। केंद्र सरकार केवल मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती है। इस महंगाई का मुख्य कारण डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोत्तरी है जिसका सभी आवश्यक वस्तुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है और एक वर्ष में कई बार डीजल की कीमतों में वृद्धि से न सिर्फ आम आदमी और हमारे समाज के गरीब वर्गों का जीवन प्रभावित हुआ बल्कि इसने लोगों को गलत और गैर कानूनी कार्यों तथा स्त्री शक्ति को वेश्यावृत्ति की ओर धकेल दिया है ताकि वे अपने बच्चों का पेट भर सके। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे इस महँगाई को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। हम यह देख रहे हैं कि महंगाई उच्चतम सीमा तक पहुंच गई है और सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है, किंतु एक छिपा हुआ मुद्दा जिसे मैं यहां उठाना चाहूंगा वह यह है कि जो किसान उत्पादन करते हैं उन्हें अपने उत्पादों का सही दाम नहीं मिलता बल्कि उन्हें अत्यंत कम कीमत मिलती है। इस मार्जिन का बड़ा भाग बिचौलियों द्वारा लूट लिया जाता है। इसकी तत्काल आवश्यकता है कि सरकार यह सुनिश्चि करे कि किसानों को कम से कम उतना मूल्य मिले जिससे कि वे आगे की खेती कर सकें। मेरे संपूर्ण संसदीय क्षेत्र पोलाची में मुख्य खेती नारियल की होती है। किंतु इन नारियल कृषकों को कोपरा की सही कीमत नहीं मिलती है। एक मांग रही है कि कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 65.00 रूपए प्रति किलो निर्धारित किया जाए और उर्वरकों की कीमत को भी कम किया जाए। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह है कि वे समाज के गरीब वर्ग के लोगों के आसूंओं को पोछने हेतु बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने तथा कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 65.00 रुपए प्रति किलो निर्धारित करने एवं कम कीमत पर गरीब किसानों का उर्वरकों की उपलब्धता बनाने के लिए हस्तक्षेप करें।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर): महोदय, कई वर्षों से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसा एक भी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अवसर नहीं आया है जब मूल्यों में मामूली सी भी गिरावट हुई हो। 22 नवंबर, 2011 को माननीय मंत्री ने मुद्रास्फीति पर स्वत: वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य में उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे देश में मुद्रास्फीति के कारण भी बताए और कुछ उपाय भी सुझाएँ हैं।

पहले उन्होंने कहा:

"तेज विकास और अवसंरचना में परिवर्तन, जो वर्तमान में भारत में हो रहा है, के दौरान मुद्रास्फीति बढ़ती है।"

उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अपरिहार्य है। लेकिन प्रश्न यह है कि किस दर पर? यदि मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है तो निश्चित रूप से इसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। हम इसके बारे में चिंतित हैं। वित्त मंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी उल्लेख किया एवं उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा :

"वैश्वीकृत जगत् जहां बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे ईधन, खाद्य तेल और अर्थ मुख्य आयातों पर निर्भर है, वहां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव घरेलू मुद्रास्फीति और इसके प्रबंधन पर पड़ता है।

इसलिए हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतों के नियंत्रण के लिए आगे आए। अब यह एक फैशन हो गया है। प्रत्येक महीने में पेट्रोल और डीजल में उतार-चढ़ाव हो रहा है और बढ़ोत्तरी हो रही है। अत: इन वस्तुओं पर भारी कर लगाया जाता है और भारी करके कारण हमारी बाजार की कीमतें भी बढ़ रही हैं। वित्त मंत्री ने इसे स्वीकार किया है। अत: सरकार को कुछ प्रकार के करों को वापस लेना चाहिए तभी जाकर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है।

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी): पहले आप इसका नियंत्रण तमिलनाडु राज्य में करे ...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: हम यहा करेगें ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरुन रशीद: पहले आप करे, इसके बाद हम आपका अनुसरण करेगें ...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: जब मांग और आपूर्ति में अंतर हो जाता है तो हमें दो चीजें आपूर्ति में वृद्धि और मांग में थोड़ी कमी करनी होती है। इसके बाद आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि आप कृषि उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाना चाहते हैं तो इसे कौन खरीदेगा? चूंकि कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसलिए किसानों को अपनी भूमि पर कृषि करना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि हमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के कुछ अन्य भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले देखने को मिलते हैं। उर्वरक की लागत बहुत अधिक है। अत: सरकार को उर्वरक की लागत पर सबसीडी देने के लिए आगे आना चाहिए और तभी जाकर किसानों के लिए आसानी होगी।

दूसरा मुद्दा कृषि उपज के विपणन से संबंधित है। देश के बहुत से भागों में किसान अपनी उपज विशेषकर धान और गेहूँ नहीं बेच पा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम देश के कुछ भागों में किसानों की उपज को खरीद रहा है। उदाहरणार्थ वे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों तमिलनाडु के कुछ भागों से खरीदारी कर रहे हैं। वे तमिलनाडु राज्य में केवल कावेरी के क्षेत्र से खरीदारी कर रहे हैं न कि अन्य भागों से। ऐसे स्थान जहां खरीदारी नहीं की गई है। किसानों को अपने उत्पादन के अधिक लागत का सामना करना पड़ता है और वे किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं। कल ही हमने सुना कि सरकार केवल 30 प्रतिशत कृषि उपज ही खरीद रही है। 70 प्रतिशत का क्या होता है? कोई भी उसे नहीं खरीद रहा है। इसलिए किसान अपनी भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हैं और परिणामत: बहुत परेशानी झेल रहे हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह सभी किसानों से एक समान खरीदारी करे न कि देश के कुछ भागों के किसानों से खरीदारी करे।

महोदय, दूसरी बात अर्थव्यवस्था में और अधिक धन का अंतर्वेशन करने के वादे में है। कल हमारे माननीय वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के कारण कुछ देश और अधिक धन का परिचालन कर रहे हैं जिसके कारण रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। यह कहा गया है कि फेडरल रिज़र्व ने परिणामस्वरूप राहत प्रदान करने का दूसरा दौर शुरू कर दिया है और उसने अमरीकी अर्थव्यवस्था के लिए 600 बिलियन डॉलर जारी किए हैं। इसी प्रकार अन्य देशों ने भी यही किया है। अमरीकी अर्थव्यवस्था में 600 बिलियन डॉलर का अंतर्वेशन किए जाने के बावजूद रुपए के मूल्य में गिरावट आ रही है। अप्रैल, 2011 में एक डालर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत 44.40 रुपए थी जो गिरकर 52 रुपए हो गई। इसलिए अमरीकी अर्थव्यवस्था में डॉलर के परिचालन के बावजूर भी हमारे रुपए का मूल्य गिर रहा है।

महोदय, हमें एक चीज का और पता चला है। हमारे देश में जाली मुद्रा का अत्यधिक परिचालान हो रहा है। हम इससे इंकार नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए चीन और पाकिस्तान भारतीय मुद्रा छापकर हमारे देश के अनेक भागों के साथ-साथ नेपाल और दक्षिण एशिया में इन्हें परिचालित कर रहे हैं। हमें इसे नियंत्रित करना है। यदि जाली मुद्रा का परिचालन इसी तरह चलता रहा

तो मुद्रास्फीति का बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए इस प्रकार के जाली मुद्रा परिचालन को पूरी कडाई से नियंत्रित करना होगा। यह एक अन्य पहलू है जिस पर गौर किया जाना चाहिए।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों को अनेक क्षेत्रों विशेषकर कृषि के विस्तार के लिए आवश्यक काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा की जब तक किसानों की मदद नहीं करते तब तक हम कृषि की दशा नहीं सुधार सकते।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है तो यह एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू है जिसका उल्लेख माननीय वित्त मंत्री ने किया है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बहुत अच्छी तरह से कार्यान्वयन कर रही है। अब तमिलनाडु सरकार 25 किलो चावल निशुल्क दे रही है। इसके साथ-साथ सोने के मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए मंगल सूत्र बनवाने के लिए गरीब लोगों को चार ग्राम सोना भी निशुल्क दे रही है। वे विवाह के लिए 25000 रुपए भी दे रही है और शिक्षित लड़कियों को 50000 रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसे कल्याणकारी उपाय तमिलनाडु में लागू किए जा रहे हैं। अन्यथा लोग बहुत परेशानियों का सामना करेंगे।

तमिलनाडु में वृद्ध व्यक्तियों की पेंशन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। यह कुछ मनरेगा के समान है। इसलिए, जब हम ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हैं, तो हमें केंद्र सरकार से बहुत सारी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। अवश्य ही सरकार इसे आंशिक रूप से कर रही है। बिना वित्तीय सहायता के राज्य सरकार ऐसे कल्याणकारी उपायों को लागू करने की स्थिति में नहीं होगी।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों को आगे आना होगा। निश्चित रूप से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए तमिलनाडु सरकार आगे आएगी। वित्तीय संकट का मुकाबला करने के लिए एक विशेष पैकेज के लिए तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को पहले ही कई पत्र लिखे हैं। इसीलिए मुख्य मंत्री महोदय ने तुरंत 25000 करोड़ रुपए की माँग का पहले ही पत्र लिखा है। वह पत्र माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को संबोधित किया गया था।

महोदय, तमिलनाडु में विद्युत की कमी हैं। यह एक बड़ी समस्या है जिसका राज्य सामना कर रहा है। हमने केंद्र सरकार से केंद्रीय ग्रिड से 1000 मेगावट विद्युत देने का निवेदन किया है जो लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। पूर्व में जब तमिलनाडु में हमारी पार्टी सत्ता में थी तथा हमने 10000 मेगावाट उत्पादन किया। उसके बाद की डी. एम. के. सरकार ने इसे कम करके 7000 मेगावाट कर दिया। अब, विद्युत की इस कमी के कारण हम किसानों को लगातार विद्युत आपूर्ति नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार को केंद्रीय ग्रिड से विद्युत दिलाकर एक प्रकार की राहत दिलाने का निवेदन कर रहे हैं। इससे तमिलनाडु के लोगों को मदद मिलेगी। ...*(व्यवधान)*

इसीलिए महंगाई को नियंत्रित करने में हमारी सरकार निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाऐगी, लेकिन वित्तीय संकट को कम करने के इस प्रयोजन हेतु केंद्र सरकार को आगे आना होगा। मैं केंद्र सरकार को, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह पर विचार करने और तमिलनाडु के लोगों का सहयोग करने का निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

***डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा** (करनाल): संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान देश में बढ़ती हुई महंगाई कीमतों में वृद्धि और इसके गरीब एवं आम जनता पर पड़ रहे दुष्परिणाम और बढ़ती हुई खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने हेतु हो रही विस्तृत चर्चा तथा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, चेयरपर्सन, यूपीए सरकार, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी, वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी, एवं समस्त यूपीए सरकार के सकारात्मक सहयोग एवं सार्थ के कदमों की मैं सराहना करता हूं कि आए दिन वर्तमान सरकार इस बात से चिंतित है कि बढ़ रही प्रति व्यक्ति आय के बावजूद भी बढ़ती हुई महंगाई एवं म्रुदास्फीति पर किस प्रकार अंकुश लगाया जाए ताकि देश की आम जनता को जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा मिल सके।

वर्तमान यूपीए सरकार ने आम आदमी के लिए बहुत सारी लाभकारी योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा गांधी पेयजल योजना, स्लम आवास योजना, इंदिरा गांधी जच्चा-बच्चा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, बहुउद्देशीय योजनाएं एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम इत्यादि प्रमुख रूप से आम जनता के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। जिनका सीधा लाभ देश की गरीब जनता को मिला है तथा रोजगार के साधन सृजन हुए हैं। लेकिन फिर भी देश में लगातार बढ़ती हुई कीमतों से आम जनता दुखी है देश में एपीएल और बीपीएल परिवारों के बीच में बढ़ती हुई दूरी सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि देश की गरीब जनता एवं किसानों की हालत सुधारने के लिए बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है। लोगों को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। उनकी फसलों के नुकसान पर मुआवजा समुचित एवं समयबद्ध तरीके से मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। क्योंकि देश में फसल उत्पादन मूल्य एवं खाद्य वृद्धि तथा समर्थन मूल्य में भारी अंतर होता जा रहा है। देश में फसलों एवं अनाज का भंडारण एवं रख-रखाव समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। लगातार खाद्य एवं अन्य जीवन रक्षक वस्तुओं एवं पदार्थों की कीमतों की लगातार बढ़ोत्तरी जैसे कि पेट्रोलियम एवं घरेलू गैस, किरोसिन तेल, खाद्य तेल, तिलहन, कृषि खाद्य बीज एवं कृषि यंत्रों, भंडारण, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, मंडियों की समुचित व्यवस्था न होना भी एक बड़ा कारण है। दिन-प्रतिदिन महंगी होती जा रही शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, बढ़ती-घटती मुद्रास्फीति किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य न मिल पाना, जैसे कि इस बार बासमती चावल, 1121 बासमती पीआर 6, मुच्छल चावल, गेहूं एवं गन्ने के उचित मूल्य ना मिलने पर किसानों में भारी रोष है क्योंकि पिछले साल एवं वर्तमान वर्ष 2011 में डीएपी और यूरिया एवं कीटनाशक दवाओं की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण किसान, खेतीहर मजूदर, व्यापारी एवं बेरोजगार अपने परिवारों का पालन-पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। गृहणियां अपने घरों को सुचारू रूप से नहीं चला पा रही हैं। गरीब अपने बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं।

सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सार्थक चर्चाओं के साथ-साथ अगर इन बेतहाशा बढ़ रही कीमतों पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो आम एवं गरीब जनता का जीना दूभर हो जाएगा। इस समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार के पास दूरदर्शिता, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, एवं सरकार के सार्थक एवं ठोस कदमों की अति आवश्यकता है। महंगाई के मुद्दे पर हम सभी को किसी तरह की राजनीति ना कर के इसके समाधान के लिए आगे आना चाहिए। यह हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है तथा सरकार को इस संबंध में और ज्यादा से ज्यादा कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय, मुझे इस विषय के बारे में बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। हम जब भी प्राइस राइस के बारे में बात करते हैं, सुप्रिया जी सही ढंग से बोल रही थीं, न इधर की न उधर की, मिडल में हैं, इसलिए मिडल की बात बोल दी। यह अच्छा है। हम जब भी बात करते हैं, अगर उसे सरकार में बैठे हुए लोगों द्वारा स्पिरिट में लेगें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस हाउस में इनफ्लेशन, प्राइस राइस के बारे में काफी बार डिसकशन हुई है। यह सरकार उसे कंट्रोल करने में टोटली फेल हो गई है। इन्हें पहले इसे ऐक्सैप्ट करना चाहिए। लेकिन सुबह चाको साहब ने जो प्वाइंट्स रेज़ किए, मैं उनका रिप्लाई देना चाहता हूं। सरकार ने पावर में आने के बाद कहा था कि हम सौ दिन में प्राइस राइस कंट्रोल करेंगे। यह कहा गया कि यह आम आदमी का बजट है। हम सौ दिन में प्राइस कंट्रोल करेंगे। लेकिन इतने दिन हो गए, अभी तक प्राइस कंट्रोल नहीं हुए। वे दिन-प्रतिदिन इनक्रीज़ हो रहे हैं। फिर भी जब हाउस में कंसट्रक्टिव वे में डिसकशन हो रही है, तो फाइट करना अच्छा नहीं है। अगर आप देखें, तो इस सरकार के आने के बाद वर्ष 2004 में चावल का दाम नौ रुपये किलो था, जो अब बढ़कर 24 रुपये किलो हो गया। चावल में दो सौ पचास प्रतिशत तक दाम बढ़ गए। दाल का दाम पहले 20 रुपये किलो था, जो अब बढ़कर 75 रुपये किलो हो गया। दाल में तीन सौ गुना वृद्धि हो गई है। चीनी का दाम 13 रुपये किलो था, जो अब बढ़कर 32 रुपये किलो हो गयी। यहां तक कि गुड़, जिसे गरीब लोग खाते हैं, उसका दाम 10 रुपये किलो था, उसके दाम भी अब बढ़कर चीनी से ज्यादा हो गये। इसी तरह मिर्च के दाम भी बढ़ गए हैं। प्याज के दाम भी बढ़ गए हैं।

सभापति महोदय, ये लोग नमक को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा फेल हो गए हैं। वर्ष 2004 में एक किलो नमक का दाम 4 रुपये था, जो अब बढ़कर 14 रुपये किलो हो गया है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था, उसी प्रकार एक बार फिर इस सरकार के समय में हमें यह करना पड़ेगा। ये लोग नमक को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। इसी तरह उसके प्राइस भी इनक्रीज हो रहे हैं। चाको साहब ने इनफ्लेशन के बारे मे बताया कि उसे 22 प्रतिशत से 18 प्रतिशत पर लाए, 18 प्रतिशत 9 प्रतिशत पर आया। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि

[अनुवाद]

इस समय यह 6.6 प्रतिशत हैं

[हिन्दी]

अगर फिगर इस तरह रिड्यूस हो रही है तो

[अनुवाद]

कीमत क्यों बढ़ रही है?

[हिन्दी]

लेकिन फैक्ट यह है कि यदि आप एनडीए के समय में एवरेज इनफ्लेशन रेट देखेंगे, तो वह 4.6 प्रतिशत था, यूपीए वन में

[अनुवाद]

औसत महंगाई दर 6.02 प्रतिशत थी।

[हिन्दी]

अभी 9.4 प्रतिशत है। फिगर्स को घुमाकर क्यों बताया जा रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है।

[अनुवाद]

राजकोषीय घाटा मुख्य कारण है।

[हिन्दी]

चाको साहब ने चीन के बारे में बात की। चाको साहब अभी यहां बैठे हुए हैं। चाको साहब ने चीन की फिगर्स के बारे में बताया। चाको साहब, हम आपको चीन की तीन साल की फिगर्स दे देंगे। अगर वर्ष 2008 में उनकी जीडीपी ग्रोथ 9.6 है, तो

[अनुवाद]

उनकी महंगाई मात्र 5.86 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

इसी तरह वर्ष 2009 में उनका जीडीपी 9.1 प्रतिशत है,

[अनुवाद]

लेकिन उनकी महंगाई 0.7 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

वर्ष 2010 में उनकी 10 प्रतिशत ग्रोथ है और इनफ्लेशन 4. 9 प्रतिशत है। इन फिगर्स को आप भी देख सकते हैं, यह ऐवेलेबल है। लेकिन हमारा जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा इनफ्लेशन बढ़ रहा है। यह सिर्फ चीन की बात नहीं है बल्कि और देशों की भी बात है।

सभापति महोदय, समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। चाको साहब ने एक और बात कही।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा आपूर्ति और मांग में अन्तर है। इसके कारण महगाई और कीमतों में वृद्धि हो रही है।

[हिन्दी]

व्हीट और चावल का एफसीआई का मार्च, 2011 का जो स्टॉक है,

[अनुवाद]

गेहूं और चावल एक साथ रखे गए हैं इनका भंडारण 459 लाख टन है। यह आवश्यकता से 100 प्रतिशत अधिक है।

[हिन्दी]

एक तरफ आप डिमांड और सप्लाई का गैप कहकर बता रहे हैं और दूसरी तरफ आपका स्टॉक ज्यादा है। जब स्टॉक इतना ज्यादा है, तो व्हीट और राइस के दाम क्यों बढ़े? गलत फिगर्स नहीं बतानी चाहिए। हाउस में फैक्ट को ऐक्सैप्ट करना चाहिए और उसकी रैमेडी ढूंढनी चाहिए कि

[अनुवाद]

इसे कैसे नियंत्रित किया जाए।

[हिन्दी]

यह बहुत महत्वपूर्ण है। चाको साहब ने यह फिगर भी गलत तरीके से बताई।

स्टारवेशन के बारे में यह बोला गया कि

[अनुवाद]

"दूसरे देशों में भी भुख मरी हैं"

[हिन्दी]

अदर कंट्री नहीं, हम जिस कंट्री में हैं, उसमें स्टारवेशन ज्यादा है। यहां तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला—

[अनुवाद]

"भूखे से हाने वाली मोतों पर दो भारत नहीं हो सकते हैं

[हिन्दी]

दुनिया में हमारी स्टारवेशन सबसे ज्यादा है। यहां लोगों को तीन समय खाना नहीं मिल रहा है, यह फैक्ट है। हम इस फिगर के साथ चाको साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। यहां समय कम है, इसलिए हम बाहर बैठने के लिए भी तैयार हैं। हम कहना चाहते हैं यहां इस तरह बात नहीं बोलनी चाहिए। उसी तरह से इस्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में चाको साहब ने बोला है। अभी सुप्रिया जी ने एक अच्छी बात कही है कि जिस टाइम पर एक्सपोर्ट करना चाहिए, उस टाइम पर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं और जिस टाइम पर इम्पोर्ट करना चाहिए, उस टाइम पर इम्पोर्ट नहीं करते

हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2009-10 शुगर को हम लोगों ने 12 रुपये में एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट का ऑर्डर निकलने में छः महीने लग गए, मगर इम्पोर्ट कितने में किया, हमने 32 रुपये में इम्पोर्ट किया। आपने किसान की मेहनत को इतने कम रेट से बाहर भेजकर और 32 रुपये में इम्पोर्ट किया। ये सब फैक्ट्स हैं, उसका कारण डिले इन द प्रोसेस है। वह एक्सपोर्ट जिस दिन करना है, जैसा सुप्रिया जी ने कहा है, 24 ऑवर्स के अंदर उसका डिसीजन आना चाहिए। ऐसा डिसीजन प्रॉपर नहीं है। इसी तरह से फार्मर्स के बारे में बोला है। इंडियन हिस्ट्री में पहली दफा क्रॉप हॉलिडे में फार्मर्स ने यह बोला है कि हम खेती नहीं करेंगे, वह आंध्र प्रदेश में बोला है। आंध्र प्रदेश में पांच लाख एकड़ क्रॉप नहीं डाला है, क्योंकि उसका एमएसपी ठीक ढंग से नहीं मिलता है, उसका ठीक रेट नहीं मिलने की वजह से, हम अगर खेती करें, तो हमको नुकसान है, इसलिए हम खेती नहीं करेंगे, ऐसा फार्मर्स ने बोला है।

[अनुवाद]

यह सभी के लिए शर्म की बात है।

[हिन्दी]

अगर किसान बोलेगा कि हम खेती नहीं करेंगे, तो

[अनुवाद]

क्या हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है।

[हिन्दी]

उसका एमएसपी रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। स्वामिनाथन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। इन सभी फैक्ट्स से आपको एग्री करना चाहिए। सरकार को हम लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): आपकी बात ये रिकॉर्ड भी कर रहे है। ...*(व्यवधान)*

श्री नामा नागेश्वर राव: मेरी हेल्थ फिट है। आप सबके आशीर्वाद से और चार दफा यहां हाउस में आने के चांसेज हैं। ...*(व्यवधान)* हेल्थ वगैरह अच्छी है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: हम चाहेंगे कि आप बार-बार आते रहिए। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और वहां आपकी स्पीच रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो इनके लिए आपकी स्पीच रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा। ऐसा बोलिए कि रिकॉर्ड हो जाए।

श्री नामा नागेश्वर राव: हम लोगों को इमोशनल नहीं होना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन लोगों की दिक्कतें देखकर आते हैं, उसी की वजह से इमोशन आ रहा है, नहीं तो इमोशन आ रहा है, नहीं तो इमोशन आने का क्या फायदा हैं एमएसपी का रेट इंक्रीज होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री नामा नागेश्वर राव: मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल दो मिनट लूंगा।

[हिन्दी]

इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, उसका ट्रेंड, उसकी ग्रोथ रेट बहुत कम हो रही है। उसको इंक्रीज करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी का टाइम टू टाइम परसेंटेज बहुत कम हो रहा है। उसे भी इंक्रीज करना चाहिए।

[अनुवाद]

अब मैं अवसंरचना और आवास पर बात करूगां। यह एक बहुत आवश्यक कारण है।

[हिन्दी]

यह जब होगा, तो सबके लिए काम मिलेगा इसलिए उस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। ये सब करने के लिए पोलिटिकल विल होनी चाहिए और उसके लिए पोलिटिकल दिल होना चाहिए। इस तरह से आप लोग करेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)**:** महोदय, महंगाई से देश के लोग तबाह हैं, ज्यादा तबाह हैं गरीब आदमी और मध्यम वर्ग के लोग और सबसे ज्यादा तबाह हैं किसान। महोदय, लेकिन देखने और पढ़ने को मिला कि इसके ऊपर एडजर्नमेंट मोशन आएगा, ऐसा लगा कि विपक्ष के लोग सरकार से ऐसे भिडेंगे कि सरकार को ठण्डा कर देंगे।

महोदय, आप देहात का हाल जानते हैं। बकरी के बच्चे जब खेत में चरने के समय लड़ते और खेलते हैं। दो बच्चों को देखिएगा, तो वे दोनों पैरों पर खड़े हो जाएंगे और आगे के दोनों पैर ऐसे उठाकर दौड़ेंगे जिससे लगेगा कि अभी दोनों के माथे चूर हो जाएंगे, फट जाएंगे, लेकिन लड़ने के वक्त दोनों नीचा होकर माथा आहिस्ते से सटाकर पीछे हट जाएंगे। वहीं मैं यहां देख रहा

हूं। कहा गया कि महंगाई है, जुल्म हैं, अंधेर है, सरकार विफल है, कुछ नहीं हुआ, हम भिड़कर सरकार को हटा देंगे, लेकिन देखा कि जैसे बकरी के बच्चे माथा सटाकर हट जाता है, वही मेली मैं यहां देख रहा हूं। यहां मेली हो रहा है। आज सुषमा जी का भाषण विपक्ष की तरफ महंगाई के बारे में और आम आदमी की जेब के बारे में हुआ, जो धीरे-धीरे कंधा बदलने यानि कि आप हट जाइए, हम आ जाएंगे, पर खत्म हुआ। महोदय, यह जो महंगाई की त्राहि है, मैं इस पर पाइंटवाइज कहना चाहूंगा। चूंकि आप ज्यादा समय नहीं देंगे इसलिए मैं बहुत विश्लेषण में नहीं जाऊंगा।

सभापति महोदय: आप दो या तीन सवाल पूछ लें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपकी अनुमति से चार सवाल सरकार से करना चाहूंगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत का विभिन्न अर्थशास्त्रियों क विश्लेषण से लगता है कि वह सारा सिद्धांत ही फेल हो गया है। जितने भी लोगों द्वारा इस बारे में रंग-बिरंगा बोला जा रहा है या आंकड़े दिए जा रहे हैं, लगता सिर्फ बयानबाजी ही है और उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा अर्थशास्त्री और नोबल पुरस्कार विजेता अमेरिका में हैं और वहां की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। इसलिए अर्थशास्त्र के सिद्धांत से मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार होने वाला है या कहीं सुधार के लक्ष्ण दिखाई देते हों।

इस सदन में पहले भी महंगाई पर चर्चा होती है और महंगाई पहले भी हुई है। लेकिन उस वक्त सीजन के हिसाब से कभी महंगाई बढ़ जाती थी और कभी घट जाती थी। पिछले तीन वर्षों से मैं देख रहा हूं कि महंगाई रुक नहीं रही है, घट नहीं रही है, केवल बढ़ रही है, बढ़ रही है। उस पर विभिन्न तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कभी कहा जाता है कि कम कर दिया, कभी कहा जाता है कि निर्यात रोक दिया। इन फार्मूलों को आजमाने के अलावा यह भी कहा जाता है कि इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर भी है। वे जमाखोरों या मुनाफाखोरों पर अंकुश नहीं लगाती हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि महंगाई कम क्यों नहीं होती, इसका मैं सरकार से केटेगोरिकली उत्तर चाहता हूं और सदन से भी जवाब चाहता हूं।

जो गरीब आदमी, किसान है, गांव में रहने वाले मध्य वर्गीय लोग हैं, ये सभी महंगाई से त्रस्त हैं। लेकिन सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। वह न रुक रही है और न घट रही है। लगता है कि यह लाइलाज हो गई है और इसे रोकने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। वायदा कारोबार आम जनता के फायदे के लिए है या किसानों के फायदे के लिए है, जो आपने बना रखा है और क्या इसे खत्म नहीं किया जा सकता है? किसके दबाव में, किसके फायदे के लिए यह चालू है? क्या इससे किसान को फायदा हो रहा है, क्या गरीबों को फायदा हो रहा है, क्या मजदूरों को फायदा हो रहा है या फिर पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है? पूंजीपतियों का अगर इस देश में हिसाब लगाएं तो अभी के अनुमान के हिसाब से देश में 8200 ऐसे पूंजीपति हैं जिनके हाथ में देश की तीन चौथाई सम्पत्ति है। कौन इन्हें देखेगा, कौन नियंत्रण करेगा? तीन चौथाई पूंजी इस देश की 8200 लोगों के पास है और बाकी की एक चौथाई 120 करोड़ लोगों के पास है। ये जो सम्पत्ति वाले 8200 लोग हैं, इनका ही हर चीज पर कब्जा है इसलिए वायदा कारोबार को खत्म नहीं किया जा रहा है। आप किसके लाभ के लिए, किसके दबाव में इसे जारी रखे हैं क्या मजबूरों के हित में इसे जारी रखा हुआ है इसलिए वायदा कारोबार को खत्म नहीं कर रहे हैं?

महोदय, देखा जा रहा है कि दुनिया में सात अरब लोग हैं लेकिन उससे ज्यादा पशु-जीवजंतु हैं। ये सभी भी जी रहे हैं और खा रहे हैं, ऐसा क्यों है! ऐसा इसलिए है कि सब जगह नियंत्रण है, पशु बांधकर रखे हुए हैं। अगर सबको फ्री कर दिया जाए तो फिर खाने के अभाव में वे मर जाएंगे। इसलिए नियंत्रण की जरूरत है। क्या इसे बाजार पर छोड़ दिया गया है? सरकार क्यों नहीं दाम बांधने का काम करती है, उसमें आपकी क्या मजबूरी है? आप क्यों नहीं इसके लिए विशेषज्ञों को लेते?

महोदय, हमने आज जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, उनके भाषणों को सुना। शायद यादव जी बोल रहे थे और गांव की बात कह रहे थे। आप देखें कि गांव में टमाटर दो रुपए प्रति किलोग्राम है, पटना में आएं तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम और दिल्ली में आएं तो 12 रुपए का पाव यानि 48 रुपए प्रति किलोग्राम।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

क्या पेंच है, क्या गड़बड़ है?

सभापति महोदय: माननीय सदस्य गण, नियम 193 के अंतर्गत इस विषय से संबंधित चर्चा पर बोलने के लिए और नौ वक्ताओं की सूची मेरे पास है। यदि सभा की अनुमति हो तो चर्चा की अवधि को एक घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है। मंत्री महोदय जबाब कल देगें।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): चर्चा को आज समाप्त किया जाए और मैं कल प्रश्न बोलने के बाद में जवाव दे सकता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है। इसलिए, यदि सभा की सहमति हो तो सभा की अवधि को हम एक घंटा बढ़ा सकते हैं?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: ठीक हैं, सभा की अवधि एक घंटा के लिए बढ़ाई जा सकती है।

अनेक माननीय सदस्य: शून्य काल का क्या होगा?

सभापति महोदय: इस मुद्दे पर चर्चा खत्म होने के बाद हम इस बारे में निर्णय लेगें

सायं 6:01 बजे

[डॉ. एम. तम्बिदुरई पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप देखते हैं कि आलू का उत्पादन हुआ लेकिन किसान को एक रुपया, दो रुपया से ज्यादा नहीं मिलता है, बाजार में उसके दाम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलता है। इसी तरह से धान पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने बढ़ाई है लेकिन किसान को मिल क्या रहा है, सरकार ने एफसीआई कितने सेंटर्स उसके लिए खोले हैं, सरकार बताए? किसान को औने-पौने दाम पर अपना धान बेचना पड़ रहा है क्योंकि वे अपनी आगे की खेती भी तो करेंगे। इसीलिए महोदय, किसान को कुछ मिलता नहीं है लेकिन जब किसान के यहां से धान जाता है तो बड़े आदमी के गोदाम में जाता है और उस समय उसके दाम बढ़ जाते हैं।

कारखाने से बना हुआ जो सामान है उसकी लागत पांच रुपये होती है और बाजार में उसकी कीमत बिकते वक्त 100 रुपये होती है। कोई इसे देखने वाला नहीं है। इसलिए इसके दाम बांधे जाएं। इसलिए मेरा कहना है कि-

"अन्न दाम का घटना-बढ़ना आना-सेर के अंदर हो,
हम करखनिया माल की कीमत लागत से डेढ़ गुनी हो।"

इसलिए सरकार बताए कि जो कारखाने में सामान होता है, उसका मूल्य कैसे तय होता है और जो लागत है उससे चार-पांच गुने पर वह बेच रहा है या नहीं। आज कारखाने के माल की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन किसान के घर पर जो उत्पादन होता है उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वहीं उत्पादन जब व्यापारी के गोदाम में चला गया तो कीमत में आग लग जाती है। सरकार इस फार्मूले को क्यों लागू नहीं करना चाहती हैं, यहा मैं जानना चाहता हूं। क्या कठिनाई है, क्या मजबूरी है, क्यों बाजार पर सब छोड़ दिया गया है? रिपो-रेट को रिवर्स कर दिया, कभी इंट्रेस्ट को बढ़ा दिया, सरकार की क्या कठिनाई है?

हमारे खाद मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे बताएं कि यूरिया की क्या स्थिति है, क्यों उसके दाम डेढ़-गुना हो गये हैं? क्यों ब्लैक में यूरिया मिल रहा है, क्यों उसके दाम इतने बढ़ गये हैं? क्या मजबूरी है? आज किसान की लागत कीमत बढ़ रही है, किसान मर रहा है और सरकार कहती है कि उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओं, नहीं तो दुनिया से भीख मांगनी पड़ेगी। किसान ने कितना मांगा और कितना उसे खाद मिला और अगर किसान को खाद मांग के मुताबिक नहीं मिलेगा तो कैसे खेती होगी? आज किसान के धान को कोई 700-800 रुपये में कोई पूछ नहीं रहा है, किसान के कष्ट को दूर करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, उसे उचित मूल्य पर खाद मिले।

सभापति महोदय, महंगाई के सवाल पर बार-बार बहस होती हैं, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकलता है। सरकार तीन-चार सवालों पर केटेगोरिकल उत्तर दे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...व्यवधान

सभापति महोदय: आपको गिनती की समस्या है।

...व्यवधान

सभापति महोदय: आपके दल के लिए समय तय है। आपको संक्षेप में बोलना होगा।

...व्यवधान

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...व्यवधान**

****श्री एस. सेम्मलई** (सलेम): पिछले सात वर्षों से मूल्यवृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित विशेषता बन गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कीमतों में वृद्धि से बड़े पैमाने पर मुसीबतें पैदा हुई है। अर्थव्यवस्था में असंतुलन के अतिरिक्त इसके चलते गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या तथा समाज में उथल-पुथल हुई है। मुद्रास्फीति जिसमें पिछले महीने से और आज तक की सबसे तेज वृद्धि हुई और यह लगभग 10 प्रतिशत है। पांच प्रतिशत

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की बेहतर स्थिति एक बड़ी राहत देने वाली है। केंद्रीय मंत्री क्या कर रहे हैं? वे सिर्फ बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक मशहूर और विश्वख्याति के हैं अर्थशास्त्री तथा वे अक्सर मूल्यवृद्धि पर चिंता व्यक्त करते है तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की बात करते हैं। जब कभी मुद्रास्फीति बढ़ती है, भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याजदर बढ़ा देता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि से मुद्रास्फीति की समस्या के केवल एक भाग पर नियंत्रण होता है। कुछ अस्थायी कदमों को छोड़कर अभी तक कोई भी मजबूत कदम नहीं उठाया गया है। मूल्य में वृद्धि से आम आदमी पीड़ित है जब कि मंत्रीगण लम्बे-चौड़े वक्तव्य जारी कर खुश हो रहे हैं।

अगर यू.पी.ए II मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है तो आम आदमी की कठिनाई असहनीय हो जाएगी और सरकार को 5 या 6 राज्यों में होने वाले आम चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा। यदि यू.पी.ए. सरकार द्वारा कदमों का न उठाया जाना समस्या का एक पहलु है तो सरकार की कार्यवाई, जैसे हाल में पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि, ने इस समस्या को ओर जटिल बना दिया है। कई कारक हैं—खाद्यान्न आपूर्ति का खराब प्रबंधन, उद्योग की खराब संवेदना आदि। भारतीय रिज़र्व बैंक जो कर सकता था इसने किया है। ब्याज दर में और वृद्धि अंततः विकास दर को कम करती है।

माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार यह कहते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की है कि उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मुद्रास्फीति की समस्या को दूर कर दे। पेट्रोलिय उत्पादों का मूल्य कई अन्य सामग्रियों के मूल्य को तय करता है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत का नियंत्रित कर सरकार बहुत सी आवश्यक वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित कर सकती है। एक सोच है कि यदि सरकार एफ.सी.आई. के भंडार से नियमित रूप खाद्यान्न की आपूर्ति करे तो इससे मुद्रास्फीति के भार को कम किया जा सकता है। मुद्रास्फीति के कारण कई है और सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्यान्न के मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि से 30 मिलियन भारतीयों को जो ग्रामीण क्षेत्र में बसने वालों का 3/4 है को गरीबी रेखा में आ जाते है।

मैं सरकार से कृषि विपणन प्रणाली को आधुनिक बनाने की जोरदार मांग करता हूं। वर्तमान में फार्म गैर मूल्य और खुदरा बाजार मूल्य में काफी अंतर है। स्मरण रहे कि मौद्रिक नीति वर्तमान मुद्रास्फीति का अंतिम जवाब नहीं हो सकता। कृपया समझे कि सरकार ने मूल्य के मामले में चीजों को सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस समस्या को कम करके आँका है। एक रेटिंग एजेंसी के अध्ययन में दर्शाया गया है कि वर्ष 2008-09 और 2010-11 के दौरान 316 वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि वर्ग हुई थी; इसमें से 36 कच्चे खाद्यान्न उत्पाद थे जबकि 14 ईंधन वाली वस्तुएं थी। इसका मतलब क्या है? मूल्य वृद्धि आम आदमी को प्रभावित करता है। अर्थात् यह सरकार अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन है। समय की माँग को पढ़िए और आवयश्क वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाइए। यदि सरकार इसमें असफल होती है तो इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है।

[हिन्दी]

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): आज करीब दो बजे इनफ्लेशन और मूल्य वृद्धि पर जो महत्वपूर्ण बहस की शुरूआत आदरणीय, इस सदन के बड़े वरिष्ठ सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्ता जी ने इस बहस को आरंभ किया और इस बहस में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

किन परिस्थितियों में हम आज इस बहस को कर रहे हैं। एक तरफ वो सारे देश और वो क्षेत्र जो अपने आप के बारे में पहले बड़े गर्व से कहते थे कि हमारा कभी सूर्य अस्त नहीं होता, वो लगातार, यूरोप का क्षेत्र, आज मंदी के दौर से गुजर रहा है, कर्ज के संकट के दौर से गुजर रहा है और वो देश जिसका पूरी दुनिया में सब लोहा मानते थे कि जिसकी अर्थनीति के आधार पर दुनिया के अन्य देशों से उसका अनुसरण किया आज वो देश ही भयंकर मंदी, बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि का सामना कर रहे हैं। हमारे अपने देश पर उसका प्रभाव पड़ा और दिसम्बर, 2009 में जब होलसेल प्राइज़ इंडेक्स 7.15 प्रतिशत हुआ, तब सबसे पहले इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई और धीरे-धीरे बढ़ते, अप्रैल, 2010 तक आते-आते यह दस फीसदी हुआ और उसके बाद ही हम लोगों ने इसके विषय में लगातार इसकी रोकथाम के बारे में बात हुई। हालांकि मुद्रास्फीति, इनफ्लेशन और मूल्यों में वृद्धि का यह पहला दौर नहीं था। इस बार जब हमारे देश में हम इनफ्लेशन की चपेट में आए तब करीब चार महीने तक हम डबल डिजीट इनफ्लेशन पर रहे, लेकिन 72 से 74 के बीच में और 78 से 81 के बीच में लगातार दो-दो वर्ष तक बीस फीसदी से ऊपर के इनफ्लेशन का सामना हमारे अपने देश ने किया। यहां तक कि सितम्बर, 1974 में 33.3 फीसदी इनफ्लेशन का सामना हमारे इस मुल्क ने किया और उसका बहुत व्यापक नुकसान उस समय हुआ। शायद वही वो हालात रहे होंगे, जिसका इशारा आज सदन के कई सदस्यों ने किया, जबकि हालात से निराश होकर उस समय के एक प्रसिद्ध कवि और शायर ने कहा कि "इस तरह पाबंदी-ए-मज़हब के सदके आपके। जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमजान है।" यह वही दौर था जबकि लगातार लोगों के सामने भूख का यक्ष प्रश्न सामने खड़ा था और आज यहां पर बड़ी बात हुई कि हमारी सम्मानित नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे लोग कोई हरवर्ड से नहीं आए।

मैं कहना चाहती हूं कि हमारे वित्त मंत्री इसी मिट्टी के हैं और यहां की समस्या को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि हमें खुशी है कि हमारे जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं और जो सदन के नेता भी है, वे भी गांव की मिट्टी से पल बढ़कर आगे आए हैं। गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू को लेकर यहां तक पहुंचे हैं, अपनी योग्यता के दम पर पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वे उस गांव के गरीब की पुकार को अच्छी तरह से समझने के कारण उसके आंसुओं को पोंछने का काम करेंगे। एक मूल बात जरूर मैं यहां पर कहना चाहती हूं जो कि मेहताब जी ने यहां रखी कि हम यहां पर मूल्य वृद्धि की चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन बुनियादी तौरपर इंफ्लेशन दस फीसदी से कम होता है तो उसका कभी भी असर विकास पर और विकास की दर पर नहीं होता। लेकिन यदि वही इंफ्लेशन दस फीसदी से ऊपर होता है तो उसका तुरंत असर मूल्यों पर होता है। उसका तुरंत असर विकास पर भी होता है और मैं यहां पर केवल एक मोटी बात जो हम सबके लिए समझने की है और जो फलसफे की बात है और जिसका अनुसरण हम सब लोग कर रहे हैं, उस ओर जरूर दिलाना चाहती हूं कि वो पूरी अर्थ व्यवस्था जो उत्पादन, उत्पादकता और उपभोग पर आधारित है और वो भी ऐसी उत्पादकता कि बढ़ोतरी जिसमें विज्ञापनों के जरिए कृत्रिम मांग को बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। ऐसे में लगातार उत्पादन और उत्पादकता को मानक मानकर और उपभोग को आगे ले जाकर हम किस तरह से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? हमारे सबके पास जो भी अर्थ तंत्र में मानक हैं, वो सब केवल और केवल उपभोग आधारित हैं और अगर वो केवल उपभोग पर आधारित होगा तो आने वाले समय में हमारे सामने चुनौतियां असंख्य होंगी। एक बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने अपनी किताब में लिखा है, "एफ्लुएंट सोसायटी" बड़ी मार्के की किताब है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मानव सभ्यता को सभ्य हुए अभी बहुत कम समय हुआ है। करोड़ों वर्ष, सहस्त्रों वर्ष उसने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में गुजारे हैं। ऐसे में हमारे लिए यह समझने की जरूरत है कि उसको रोटी का विज्ञापन कभी देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि रोटी की तलाश वो स्वयं कर लेता है। इसलिए जो मांग को आधार करके उत्पादकता को बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था है, उस पर हम लोगों को जरूर चिंतन करने की जरूरत है क्योंकि अन्य मुल्कों में भी वो पूरी तरह से नीचे आने की स्थिति में पहुंचा। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे देश में हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से इन वैश्विक परिस्थितियों में भी हमारे देश का नेतृत्व किया और मैं बधाई देना चाहती हूं और मुझे उस प्रधान मंत्री से आशा की किरण दिखाई देती है जिन्होंने जब वित्त मंत्री रहते हुए जब हमारे देश का सोना गिरवी रखा गया, मैं समझती हूं कि भारत मां की आंखों से शर्म का पानी बहा होगा, उनके उस खोये हुए सम्मान को दुबारा लाकर स्थापित किया और जल्द से जल्द उन्होंने हमारे देश को संकट से उबारा। ऐसे प्रधान मंत्री जी के हाथों में आज हमारी सरकार की बागडोर है। मैं समझती हूं कि वे निश्चित तौर पर इस संकट से भी हमें उबरने में मदद देंगे।

महोदय, मैं एक दो बातें यहां पर जरूर रखना चाहती हूं। आखिर यह जो वैश्विक कारणों से उपजी मंदी है और इंफ्लेशन है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जैसा पहले भी कहा कि जो अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से उत्पादकता और उपभोग पर आधारित होगी, वह अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक ऐसी बात जो महात्मा गांधी उस समय कहकर गये कि यहां पर सबकी जरूरत के लिए तो सब कुछ है लेकिन सबके लालच को पूरा करने के लिए सब कुछ नहीं है और आज चाहे ला नीना का इफैक्ट हो, चाहे धूल का कटोरा बनकर मध्य एशिया और चीन के कई हिस्से दिखाई दे रहे हों, यह जो प्रभाव दिखाई दिये हैं, जिससे धान का कटोरा समझे जाने वाले दक्षिण एशिया और पूर्वी दक्षिण एशिया के बहुत बड़े भू-भाग में वैसा धान का उत्पादन नहीं हो सका जिसकी जरूरत पूरे एशिया को थी। अगर यही हालत इंफ्लेशन की रही तो आने वाले समय में एशिया में करीब 64 मिलियन लोग और ज्यादा गरीबी के कगार पर पहुंचेगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो वैश्विक कारणों से उपजा इंफ्लेशन है, उसकी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपने आपको तैयार करें। यहां बार-बार कहा गया है कि एनडीए के समयमें इंफ्लेशन स्टैडी स्टेट पर था। मैं कहना चाहती हूं कि उनके समय में विकास की दर क्या थी, पहले उसे तय करने की जरूरत है।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि एनडीए के समय में कच्चे तेल के दाम 34 डालर प्रति बैरल थे और जब से यूपीए की सरकार बनी है, तब से यदि ऑन एन एवरेज निकालें तो 120 डालर प्रति बैरल के दाम रहे। तेल किस तरह से अन्य सारे उत्पादनों को प्रभावित करता है, अर्थतंत्र को प्रभावित करता है, यह हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यह भी जोड़ना चाहती हूं कि यहां हमें यह अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि 1999 में जहां चावल, गेहूं और मकई का कुल स्टाक करीब 547 मिलियन मीट्रिक टन था, वहीं पर 2006 में यह कम होकर मात्र 315 मिलियन मीट्रिक टन रह गया। इस तरह से एक बड़ा हिस्सा, जो धान का कटोरा समझा जाता था, वहां पर्यावरणीय संकट की वजह से वैश्विक मंदी की शुरूआत हुई। दूसरी बात यह है कि कच्चे तेल के दामों में वृद्धि के कारण एक तरह से वैश्विक कारणों से इंफ्लेशन की शुरूआत हुई और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात

यह है कि जिस तरह से जमीन का इस्तेमाल न केवल अन्य उत्पादन में बल्कि बायो-फ्यूल में और अन्य चीजों में होने लगा है, जिससे अर्थतंत्र में जो परिवर्तन आया है, उसका असर भी अब मंदी पर पड़ने लगा है।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं। मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु यहां रखना चाहती हूं। सदन में कई नेताओं ने कहा कि खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है, इससे लोग कहते हैं कि गरीब लोग ज्यादा खाना खाने लगे हैं। बात यह नहीं है, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि गरीब लोग ज्यादा खाना खाने लगे हैं। खाद्य पदार्थों की मांग के बढ़ने के साथ जोड़कर देख रहा है तो वह सही बात नहीं है।

इसके अलावा मैं कहना चाहती हूं कि जो गरीब व्यक्ति होता है, उसकी जो कुल आय होती है, उसका साठ फीसदी से ज्यादा हिस्सा उसे अपने भोजन पर खर्च करना पड़ता है, यह उसकी मजबूरी है। इसलिए अगर कोई यह समझता है कि किसी तरह से उसकी वजह से दामों में बढ़ोतरी हुई और उसकी वजह से इंफ्लेशन हुआ तो यह सही नहीं है। इस सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाये, जो किसी जिम्मेदार सरकार को उठाने चाहिए। पहला इस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया दूसरा 72 हजार करोड़ रुपये का किसानों का कर्जा माफ किया, छठा वेतन आयोग दिया, बुंदेलखंड का पैकेज दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ाने के साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि आने वाले समय में फार्म गेट प्राइस और रिटेल प्राइस के बीच का जो अंतर है, उसे कम कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में किसानों को उसका लाभ मिल सके।

अंत में मैं दो बातें कहना चाहती हूं। सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि आज ब्राजील जैसे देश ने अपने आपको इंफ्लेशन से कैसे बाहर निकाला। तुर्की जैसे देश ने अपने इंफ्लेशन से कैसे बाहर निकाला। उन्होंने ब्याज दर को बढ़ाया नहीं, बल्कि उन्होंने रेपो को घटाया और ब्याज दर को जैन्टली कम करते गये और उसकी वजह से वे इंफ्लेशन से बाहर निकल कर आये। इसलिए मैं समझती हूं कि हमें विश्व के अन्य राष्ट्रों में होने वाले उदाहरणों का भी अनुसरण करना चाहिए और उसके आधार पर हमें आने वाले समय में इंफ्लेशन और मूल्य वृद्धि पर अपनी ओर से नियंत्रण पाना चाहिए।

मैं एक आखिरी बात और कहना चाहती हूं कि यहां विपक्ष ने कि आप लोगों से अगर यह नहीं होता है तो ठीक है, हमें मौका दीजिए। मैं कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र में मौका लोग देते हैं, हम किसी को मौका देने वाले कौन होते हैं। लोग तय करेंगे कि उन्हें शाइनिंग इंडिया के इंद्रजाल में फंसना है या आम आदमी के सशक्तीकरण के लिए लड़ने वाली पार्टी का साथ देना है, यह लोग तय करेंगे। अपना मुस्तकबिल लोकतंत्र में लोग स्वयं तय करते हैं।

***श्री राम सिंह कस्वां** (चुरु): इस सदन में महंगाई पर हर सत्र में चर्चा हुई है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। कोई राहत नहीं मिली। यह सरकार आम आदमी की बात करती है, लेकिन आज सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी है इसका बड़ा कारण महंगाई है। महंगाई पर सरकार के प्रयास कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। 63 वर्ष में हम कोई राह नहीं पकड़ पाए हैं। देश में महंगाई बढ़ रही है। विकास दर नीचे जा रही है। यह मात्र बिडम्बना नहीं, बल्कि चुनौती है। सरकार महंगाई को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन पिछले तीन वर्षों के लगातार प्रयासों के बावजूद उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत नहीं मिली, बल्कि खुदरा कीमतों पर बिचौलिया का वर्चस्व बढ़ने से स्थिति और भी खराब हुई है।

सरकार कह रही है महंगाई का एक बड़ा कारण मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर है। सवाल यह है कि सरकार इस दिशा में क्या कर रही है। गोदामों में बफर स्टाक से ज्यादा अनाज क्यों रखा हुआ है। इस तरह की सरकारी जमाखोरी भी महंगाई बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। यह शर्मनाक है कि भंडारण के अभाव चलते प्रतिवर्ष करोड़ों टन अनाज सड़ जाता है। नये गोदामों का निर्माण नहीं किया गया। एफ.सी.आई. का विस्तार नहीं किया गया। कृषि का रकबा कम होता जा रहा है। कृषि पैदावर बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। बार-बार पैट्रोल, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं जिससे महंगाई बढ़ी है। भ्रष्टाचार के कारण विदेशों में जमा काला धन वापिस आ जावे और सरकारी खजाने की लूट खत्म हो जाए तो महंगाई कम हो जायेगी। पिछले दस महीनों में महंगाई ने सारी हदों को पार कर दिया है। दूध, सब्जी और आटा के भाव बढ़ने से गरीबों की परेशानी बढ़ी। अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। राजस्थान के किसान की हालत तो और भी खराब है। इस वर्ष राजस्थान में बाजरे की बहुत अच्छी पैदावार हुई है। लेकिन किसान के बाजरे की खरीद नहीं-की गई। किसान को अपनी फसल को काफी कम दर पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस बार मोठ-मूंग की बहुत अच्छी फसल हुई थी। लेकिन अतिवृष्टि के कारण उसकी फसल खत्म हो गई। किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक ऐसी परियोजना है अगर उसके हिस्से का पानी मिले तो यहां का किसान अनाज के मामले में देश को बहुत बड़ी राहत प्रदान कर सकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पानी के बंटवारे का प्रकरण केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है लेकिन राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है। कृषि बीमा योजना भी किसान को कोई राहत नहीं दे पा रही है। नियम कानून कायदे लगाकर ऐसा प्रयास किया जा रहा है ताकि किसान को कोई राहत नहीं मिले।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

थोक व खुदरा मूल्यों में भारी अंतर है। सरकारी तंत्र पूरी तरह से हिल गया है। महंगाई की मार से मर रहे व्यक्ति का पेट आंकड़ों से नहीं भरता। उनका पेट महंगाई कम कने से भरेगा। सरकार ने गरीबी के मानक ही बदल दिए हैं। सरकार कह रही है कि शहरी व्यक्ति जिसकी आमदनी 32 रुपया प्रतिदिन व ग्रामीण व्यक्ति जिसकी आमदनी 26 रुपये प्रतिदिन है वह गरीबी से बाहर है। क्या यह गरीब के साथ मजाक नहीं है। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। देश में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है लेकिन सरकार की नीतियों से भारतीय कृषि में आज काली क्रांति आ गयी है। पंजाब जैसे प्रान्त के किसान खेती का मोह छोड़ कर विदेश की ओर भाग रहे हैं। किसान को खाद कई गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदनी पड़ रही है। खाद के कारखाने बन्द पड़े हैं। पिछले 12 वर्षों में एक भी सरकारी खाद का कारखाना नहीं लगाया गया है। प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत कर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। महंगाई का एक बड़ा कारण वायदा कारोबार है। बार-बार चर्चा के पश्चात् भी इस पर रोक नहीं लगायी जा रही है। सरकार को प्रभावी ढंग से महंगाई कम करने व किसानों को राहत देने की घोषणा करनी चाहिए। इस बार की बहस सफल हो सरकार को मजबूती से रास्ता पकड़ना चाहिए ताकि किसान को राहत मिले महंगाई कम हो।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले हिन्दुस्तान के 6 लाख गावों के 85 प्रतिशत गरीब, किसान और मजदूर से इस सदन के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि लोक सभा के चैनल को गरीब के बेटे अवश्य देखें। जिससे उनको यह पता लगे कि संसद में खड़ा हो कर दिल से उनकी वकालत करने वाला कौन है? मैं किसान से यह भी कहूंगा कि इस देश का गरीब किसान केवल दो बात सीख ले। पवन बंसल जी जानते हैं कि हरियाणा के किसान नेता चौधरी छोटू राम कहा सकते थे कि किसानों अपने दुश्मन को पहचान लो और दोस्त को जान लो। अपने दुश्मन से लड़ना और दोस्त से दिल मिलाना सीख लो तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के किसान इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वे जाति, धर्म, संप्रदाय आदि में बंटे रहते हैं इसलिए वे ज्यादा दुखी हैं। मैं उन गरीब किसान और मजदूर से प्रार्थना करूंगा कि भारत की राजनीति जो आज जाति, धर्म, और संप्रदाय के दलदल में फंसी हुई है, अगर तुम अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हो तो साहस करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो और अपने दोस्त तथा दुश्मन को पहचानो। तब तुम नए भारत का निर्माण कर सकते हो।

महोदय, मैं किसान हूं। सन् 1967 में मैं बिहार विधान सभा का सदस्य चुन के आया था। उस समय चालीस किलों चावल का दाम सौ रुपया था। हमारे यहां चालीस किलो का मन होता है। एक मन चावल बेचते थे तो सौ रुपया पाते थे। सौ रुपया ले कर बाजार में खरीदने जाते थे तो उस समय यूरिया 45 रुपया बोरी, सीमेंट 10 रुपये बोरी, कुदाल 6 रुपया, हल का फाड़ 2 दो रुपया, धोती 13 रुपया जोड़ी मिलता था। एक मन चावल बेचते थे, 76 रुपये खर्च करते थे, पांच सामान पाते थे और 24 रुपये नकद बचा कर आते थे।

हमारा किसान रिजर्व बैंक का रेपो-शेपो नहीं जानता है। वह तो यही जानता है कि 500 का नोट है, सोना है, चांदी है, गिन्नी है, कपड़ा है, वह चावल है, धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, सरसों है, चना है, मसूर है। उसी से हम अपने पैसे निकालते हैं। वही हमारा रिजर्व बैंक का खाता है। जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं, उसकी कीमत क्या है। हम अपने इन्फ्लेशन का मूल्यांकन इस प्रकार करते हैं। आज की तारीख में अगर हम चालीस किलो चावल बेचते हैं तो 800 रुपया पाते हैं। भले ही यहां 24, 25 या 32 रुपये के दाम कहें, लेकिन हम एक नंबर का चावल बेचते हैं तो 800 रुपया पाते हैं। लेकिन जब सामान लेने जाते हैं तो दाम क्या है–यूरिया 320 रुपया प्रति बोरी, सीमेंट प्रति बोरी 350 रुपया, कुदाल 125 रुपया, हल का फाड़ा 45 रुपया, गरीब वाली कोरी धोती एक जोड़ी 250 रुपया। मेरा खर्च होता है 1060 रुपया और पाते हैं 800 रुपया, माइनस 260 रुपया। अगर 67 के 24 रुपये उसमें जोड़ दें तो हो जाता है 284 रुपया। एक मन चावल बेचने पर प्रति मन हम बाजार से सामान खरीदने हैं और 284 रुपये का घाटा उठाते है। अगर हिन्दुस्तान के 85 प्रतिशत किसान से प्रति मन 284 रुपया उद्योगपति और व्यावसायी लूट रहा है, बड़े लोग लूट रहे हैं तो इसका इंसाफ कौन करेगा?

मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं। मैं सन् 1980 से लेकर सन् 1986 तक राज्य सभा में था तो ये हमारे सदन के नेता थे। मैं तब से इनका बहुत सम्मान करता हूं और विरोध पक्ष में अगर किसी एक नेता के लिए हम लोगों के मन मे सबसे ज्यादा श्रद्धा है तो वह प्रणब बाबू के लिए ही है। उस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी थी और मैं विपक्ष में था। उस समय मैंने उनसे कहा था कि इंदिरा जी आपने कहा था कि जात पर न पांत पर मुहर लगाओ हाथ पर। लेकिन आज वही गरीब कहता है कि छोटी दो या मोटी दो, इंदिरा मैया रोटी दो। आज आपने कहा कि जात पर न पांत पर, मुहर लगाओ हाथ पर और गांव, गरीब, किसान और मजदूर कहता है कि छोटी दो या मोटी दो सोनिया मैया रोटी दो। सोचना आपको है, क्योंकि सरकार आपकी है। मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है। अगर इस सरकार में कुछ है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आपके ट्रेड मार्क पर कोई सिक्का चल रहा है। अगर आपका ट्रेड मार्क नहीं रहेगा तो सिक्के की कोई वेल्यू नहीं रहेगी, वह जीरो पर आउट हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस पर सोचिए।

महोदय, वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ था। मेरे पिताजी, मेरे आठ चाचा, मेरे चार चचेरे भाई समेत चौदह आदमी मेरे परिवार से स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्थर लगा हुआ है। मेरे पिताजी सौ एकड़ जमीन जोतने वाले थे, वर्ष 1947 में सौ एकड़ जमीन जोतने वाले किसान का पोता आज अढ़ाई एकड़, पांच एकड़ जमीन का मालिक बना है। बिरला, टाटा, डालमिया, अंबानी वर्ष 1947 में कहां थे, आज उनकी सम्पत्ति कहां पहुंच गयी है? क्या आप इसका इंसाफ दे सकते हैं? सौ एकड़ जमीन जोतने वाले किसान का पोता अढ़ाई एकड़ का मजूदर बनता है और जो पैट्रोल पंप में नोजल मैन था, उसके खानदान के लोग आज विश्व के सबसे बड़े अरबपति बनते हैं। अगर उन्होंने देश को लूटा नहीं है, गैर कानूनी तरीके से सम्पत्ति अर्जित नहीं की है, बैंक से हो या सरकारी खजाने से हो, अगर आपकी सरकार का अनुग्रह उन पर नहीं है तो फिर इतनी सम्पत्ति उन्होंने कैसे अर्जित की है? यह जो विषमता है, इस विषमता को मिटाने का आप क्या उपाय करेंगे? आप हमें यह बताइये कि आप इस विषमता को कैसे मिटायेंगे? मैं जो भोग रहा हूं, वह कह रहा हूं। पंडित बांचे पोथिन लेखा, कबीरा बांचे आंखिन देखा। आप तो आंकड़े बताओगे, हम आंकड़ों के हाल में फंस जायेंगे, हम तो गांव के किसान हैं।

श्री पवन कुमार बंसलः आप ये सोशलिस्ट चीजें बोल रहे हैं, न कि बीजेपी के लीडर की तरह बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): आप वर्तमान में जीना सीखिये। ...*(व्यवधान)* गांव का किसान बोल रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः आप मेरी बात सुनिये। मैं कहीं हूं, कोई किसी का ट्रेड मार्क नहीं होता है, कोई कांग्रेस में कहीं से चला जाये, इसका मतलब वह कांग्रेसी नहीं हो जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, थे और रहेंगे क्योंकि मुझे इसमें विश्वास है, लेकिन हम डॉ. लोहिया जी की अर्थनीति को मानने वाले हैं। आपने कई चीजों को सुझाया है, मैं माननीय प्रणब बाबू से आग्रह करना चाहूंगा, मैं जो कुछ भी बोलता हूं हमारे गुरु डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। भारत के सुवख्यात अर्थशास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के विश्वासपात्र साथी थे। डॉ. लोहिया जी बढ़ती हुई कीमतों की वृद्धि पर जो इस लोक सभा में बोले थे, उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा था कि "कानून बनाने वाले चीजों के दामों को घटायें, न कि अपनी तनख्वाहों को बढ़ायें, अपनी ताकत अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय चीजों के दाम घटाने के लिए क्यों नहीं लगते हो?" इस देश में चार प्रकार के लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जिनका जीवन सरकार के खजाने पर चलता है, जो वेतन लेते हैं, भत्ते लेते हैं, पेंशन लेते हैं और ज्यों-ज्यों महंगाई बढ़ती है, त्यों-त्यों उनका महंगाई भत्ता बढ़ता है। एक तरफ व्यवसायी, उद्योगपति हैं, जो मुनाफा कमाते हैं, इसलिए उन पर मार नहीं पड़ती है। अगर मार पड़ती है तो हिन्दुस्तान के 85 प्रतिशत लोग, जो गांव के मजदूर और किसान हैं, जो बेबस और लाचार हैं, उन पर इसकी मार पड़ती है। आप अगर रोकना चाहते हैं तो जैसे इस हिन्दुस्तान में महंगाई भत्ता बढ़ाते हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, सरकारी नौकर का हो, महंगाई के साथ अगर महंगाई भत्ता बढ़ाते हो, वेतन भत्ता बढ़ाते हो तो मैं मांग करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जो 85 प्रतिशत गांव के किसान, मजदूर, गरीब इंसान हैं, प्रत्येक आदमी को कम से कम चार हजार रुपया महीना महंगाई भत्ता दे दो, महंगाई मिट जायेगी। हमें भी दो 60 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, बरसात में गलते हैं, जाड़े में ठिठुरते हैं, गर्मी में पसीने से लथपथ होते हैं। क्या आपने गांव की उस गरीब मां को देखा है जो जाड़े की रात में पुआल पर सोती है, अपने बच्चे को कलेजे से लगाती है, बच्चा ठिठुर-ठिठुरकर रोता है तो वह अपने तन की साड़ी उतारकर अपने बच्चे को सीने से लगाकर सोती है। कभी इसी दृश्य को देखकर रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था-"कुत्ते को मिलते दूध-भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं।" आज हिन्दुस्तान वहीं है। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप कैसा हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं, हम महंगाई भत्ता क्यों बढ़ायेंगे? सरकार के खजाने को लुटाते चलो। गांव मे एक कहावत है, वीर बहादुर सिंह जी जानते होंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग कहते हैं कि तेल घटता जाये, नाच बढ़ता जाये, दीपक में तेल नहीं है, नाच बढ़ाते जाते हैं। इस सरकारी खजाने की लूट को बंद कीजिये दूसरा, उन्होंने इसी लोक सभा में "9 सितम्बर, 1964 को कहा था कि दाम तो बांधे नहीं जा सकते, लेकिन दामों के रिश्ते का बांधना जरूरी हो गया है। मैं चाहता हूं कि गेहूं, सीमेंट, मिट्टी का तेल, कपड़ा इनके रिश्ते बांध दिये ताकि अगर एक घटे तो दूसरा भी घटे, अगर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। इससे किसान का भी फायदा है, शहर के उपभोक्ता का भी फायदा है और देश का भी फायदा है।" इसी आधार पर अच्छी योजना बन सकती है। दामों के रिश्तों को बांधना जरूरी है। बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह कह रहे थे, आप एक मूल्य निर्धारण आयोग क्यों नहीं बनाते हैं? आप हमारे लिए तो लैन्ड सीलिंग लगाते हैं कि 15 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। सीलिंग ऑफ लैन्ड मतलब सीलिंग ऑफ इनकम। हमारी तो सीलिंग ऑफ इनकम है 85 प्रतिशत किसान की और दूसरी तरफ मुट्ठी भर उद्योगपति को कहते हैं कि आपके लिए छूट है, आप तो इनफिनिटी तक जा सकते हैं लेकिन हम 15 एकड़ से आगे नहीं बढ सकते है। 85 प्रतिशत लोगों के कदम को रोको और 15 प्रतिशत लोगों को आकाश में ऊपर उड़ाओं ऐसे हिन्दुस्तान कब तक चलता रहेगा?

इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस तरह से हिन्दुस्तान का निर्माण अगर करते रहेंगे तो हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हिम्मत करिये, कलेजे को मजबूत करिये। वोट लेना था तो इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अंबानी, बिड़ला, टाटा, डालमिया और एफडीआई लाने का सपना कभी इंदिरा गांधी ने नहीं देखा था। अफसोस है कि मैं इंदिरा गांधी जी का विरोधी था लेकिन आज की कांग्रेस इंदिरा गांधी की सबसे प्रबल विरोधी है और इंदिरा की नीतियों का नाश करने वाली है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस बहादुर महिला से सीखो जो भारत की लौह- पुरुष थी। हम उनके विरोधी थें उनकी परंपरा में जो भी हैं, मैं उनका विरोधी हूं। मैं राह का विरोधी हूं, इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस पर आप ध्यान दीजिए।

महोदय, मैं प्रणब बाबू से कहना चाहता हूं कि खाने वाले बढ़ते जाएं और जोत की जमीन घटती जाए! 1984 में जोत की 13 करोड़ हैक्टेयर ज़मीन थी, 2005 में 12 करोड़ हैक्टेयर, 2009 में 11.5 करोड़ हैक्टेयर। फिर पेट बढ़ता जाए और ज़मीन घटती जाए। जमीन क्यों घटी है? आपने एस.ई.जैड को ज़मीन दी है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में। जहां जमीन ऊसर है, बंजर है, पथरीली है कंकरीली है, उपजाऊ नहीं हैं वहां आप क्यों नहीं देते हैं कि एक नया हिन्दुस्तान बनेगा? लेकिन आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर वहां विकास होगा तो वहां गांवों के दलित, आदिवासी, पिछड़े, निर्धन, निर्बल, असहाय, पीड़ित, उपेक्षित, उपहासित समाज के जो लोग हैं, वे वहां दुकान खोलेंगे, रिक्शा चलाएंगे,

टैम्पों चलाएंगे, उनकी रोजी बढ़ेगी, उनमें खुशहाली आएगी। आप नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के 85 प्रतिशत व्यक्ति के बेटे की छाती चौड़ी हो, बांहें मजबूत हों, गर्दन ऊंची हो और दुनिया के सामने वह सीना तानकर खड़ा हो सके। आप उनको बौना बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए इस महंगाई की जड़ में सबसे बड़ी बात यह है।

सभापति जी, मैं एक-दो बातें और जल्दी-जल्दी कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। आपने 8.12.2010 को प्रश्न संख्या 4759 का उत्तर दिया है कि ऊपर से 20 प्रतिशत के पास 52.7 है और नीचे से 20 के पास 5.2 है। हम कहां खड़े हैं? किसकी आय बढ़ी है? सुषमा जी कह रही थीं और अपने तर्कों के जरियें उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की हैं, अपने ओजस्वी भाषणों से। यहां उनके चार-पांच भाषण हो चुके है। अन्य नेताओं के हुए हैं। अगर उन सब भाषणों को इकट्ठा कर दिया जाता एक जगह और आप लोकतंत्र में सहमति बनाते, जिस सहमति की आवश्यकता है। हम भ्रम में नहीं रहते बाबू रघुवंश सिंह जैसे बोल रहे थे, मैं नहीं मानता हूं कि मैं विपक्ष में हूं तो आंख मूंदकर केवल आपका विरोध करूं। बिहार विधान सभा में लिखा हुआ था कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी दल भी सरकार के अंग होते हैं। अगर सरकार की राह सही होगी, नीति सही होगी, नीयत सही होगी और नेता भी सही होगा तो हम उनकी मदद भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे। अगर नीति गलत होगी, नीयत में खोट होगी, नेता अगर खराब होंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, यह मेरा स्वाभाविक धर्म है।

मैं अंत में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि एक बात पर ध्यान दे। आपका उत्तर है लोक सभा में जिसमें लिखा है कि जून 2010 के अंत में प्रति व्यक्ति 233 अमेरिकी डॉलर हम पर विदेशी ऋण था। यह जो 233 डॉलर ऋण है, हुक्मदेव नारायण यादव ने अमेरिका का क्या खाया है, दारा सिंह ने क्या खाया है, शैलेन्द्र जी ने क्या खाया है? हम लोग जो बैठे हैं हमने अमेरिका का क्या लिया है–नमक, हल्दी, कपड़ा, मकान, दवाई–अमेरिका का क्या है हम पर। लेकिन हम पर भी 233 डॉलर अमरीका का कर्ज है और आज जो बच्चा जन्मेगा, वह भी अमेरीका का 233 डॉलर कर्ज लेकर जन्मेंगा। हिन्दुस्तान का हर आदमी विदेशी कर्ज में जन्मता है, विदेशी कर्ज में बढ़ता है और विदेशी कर्ज में ही मरता है। कफन भी विदेश वाले लूटकर ले जाते हैं, यही हमारा हिन्दुस्तान है। क्या आप इस जगह इनको रोके रखोगे? एक बात कहकर खत्म करने दीजिए। आपने कहा है कि किसानों को इतना दिया, किसानों को उतना दिया। आपने कितना दिया? अतारांकित प्रश्न संख्या 69 दिनांक 22.2.2011 आत्महत्या करने वाले किसानों समेत किसानों पर कुल संस्थानिक कृषि ऋण 31.12.2010 तक 5,82,106 करोड़ रुपए। देश के 85 प्रतिशत किसान को आपने कर्ज दिया है 5,82,000 करोड़ और उसी बीच में भारत के जो पूंजीपति लोग हैं कुछ घराने, उनको आपने कर्ज दिया है 10,54,390 करोड़ रुपए। हम पर बड़ा उपकार किए हैं। जैसे हम भीख मांगने के लिए खड़े हैं–अन्धे लाचार को एक रोटी दे दे बाबू। अन्धे लाचार होकर हम एक रोटी नहीं मांगते हैं, हम हिस्सा मागते हैं, हिस्सा दे दीजिए, मेरा हिस्सा दीजिए, मेरी हिस्सेदारी कहां है। आपने कहा कि हमने बहुत किसानों का कर्ज माफ कर दिया। किसानों का आपने क्या कर्ज माफ किया है। आपने जो किसानों को दिया है, ऋण राहत योजना, 2008 के तहत 31.12.2010 तक 3.69 करोड़ किसानों को 6538 करोड़ रुपए दिए हैं। ऋण राहत योजना में केवल 6538 करोड़ रुपए की माफी हुई है और ढिंढोरा पीटा गया 65 हजार करोड़ दे दिया 76 हजार करोड़ दे दिया लेकिन आंकड़ा बताता है इतना। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप कीमत को रोकना चाहते हैं तो एक मूल्य आयोग बनाइए जो खेती की कीमत और औद्योगिक उत्पाद की कीमत को निर्धारित करे और हम लोग समाजवादी जिस नारे को लोहिया ने कहा और नारा लगाते थे मुलायम सिंह जी और हम सब लोग,

नारा लगाते हुए जेल जाते थे, जिसमें कहते थे–"पेट है खाली मारे भूख, बंद करो दामों का लूट। अन्न दाम का घटना बढ़ना आना सेर के अंदर हो, डेढ़ गुनी की लागत पर करखनियां माल की बिक्री हो।" आप एक नीति बनाइए कि उद्योग के जितने उत्पाद हैं, लोहा, सीमेंट, दवा और कपड़े की कीमत जो बढ़ती है और अन्न की कीमत जो बढ़ती है, चर्चा जब हम करते हैं कि गेहूं के दाम बढ़ गए, चावल के दाम बढ़ गए, सब्जी के दाम बढ़ गए, किसान के उत्पादन के दाम बढ़ गए तो सारे देश के लोग रोते हैं, कलेजा पीटते हैं। लेकिन सीमेंट के दाम बढ़ गए, लोहा, कपड़े, दवाई के दाम बढ़ गए, ये जो दुनिया भर के दाम बढ़ गए, कौन कहता है। मांग रहा है हिन्दुस्तान रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी भी सस्ती हो, कपड़ा भी सस्ता हो, मकान बनाने के लिए ईंट सस्ता हो, सीमेंट सस्ता हो, लोहा सस्ता हो। जब किसान अपना माल बेचे तो उचित कीमत पाए और खरीदनें जाय तो उचित कीमत पर लाए तब किसान बचेगा, नहीं तो बेचे सस्ता खरीदे महंगा, दोनों चक्की में किसान पिस रहा है। महंगाई की मार उन पर है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है उठिए, जागिए और अपने आपको पहचानिए और इस हिन्दुस्तान को इस महंगाई से निकालना हो तो कुछ नीति बनाइए। इसमें आप जो भी सहयोग चाहेंगे, सब सहयोग देंगे। संकट मोचक के रूप में प्रणब बाबू आगे आते हैं। इस महंगाई को मिटाने में आप आगे आएं सर्वदलीय बैठक बुलाएं। एक सहमति निकलेगी। महंगाई मिटेगी, भारत का कल्याण होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरुसलिया): सभापति महोदय, भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति पर चर्चा में भाग लेने का यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका आभारी हूं। साढ़े चार घंटों से अधिक समय से अनेक माननीय सदस्यों ने इस मामले पर चर्चा की है। पंद्रहवीं लोक सभा में मुद्रास्फीति और महंगाई पर कई बार चर्चा की जा चुकी है।

लेकिन हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि गरीब ग्रामीण भूखे हैं; किसान आत्महत्या कर रहे हैं; और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण गलत वित्तीय नीति और संप्रग्र जो सरकार की गलत कृषि नीति है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में दिनों-दिन वृद्धि हो रही है। पेट्रोल और डीजल का मूल्य बढ़ रहे हैं जो कृषि क्षेत्र से परस्पर जुडी है। कृषि के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले साधन उर्वरक आदि जैसी कृषि उपयोगिता वाली सामग्री बहुत अधिक कीमत पर उपलब्ध है और किसान इस व्यय को पूरा करने में असमर्थ है. ...*(व्यवधान)*

इसी प्रकार सरकार को उर्वरक में विसंगति को भी देखना चाहिए जिसे किसान खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए उपयोग कर रहा है क्योंकि वे इसके लिए बैंकों से धनराशि ले रहे है। जहां तक उनके द्वारा उपजाए गए उत्पादों का प्रश्न है हमने देखा है कि उनको प्राप्त हो रहा धन उचित अनुपात में नहीं है और किसान बहुत ही दयनीय स्थिति में है।

चावल, दलहन, आटा जैसी अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में दिनों-दिन वृद्धि हो रही है। यह दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जमाखोरों द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की जमाखोरी कर रहे है और किसानों को अपना उत्पाद बेचते समय वित्तीय सहायता या लाभकारी मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

आज धान की बुआई हो रही है और किसानों को धान का वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकार ने धान उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और मैं कृषकों के मध्यवर्गीय परिवारों से आता हूं मैंने धान की बुआई की शुरूआत से ही देखा है कि किसानों द्वारा धान की बुआई से कितना व्यय किया जाता है। उनके द्वारा उत्पादित धान बेच रहे हैं। सरकार इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर रही है परंतु यह उन तक नहीं पहुंचता है। इसके लिए सरकार ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है क्योंकि सरकार अपनी आर्थिक नीति, कृषि नीति और वित्तीय नीति के संबंध में गरीब लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है।

कष्टप्रद स्थिति में रह रहे 85 प्रतिशत से अधिक लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। धनाभाव के कारण अपने आश्रितों को चिकित्सा सुविधा और वे दवा देने में अक्षम हैं और उनका उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को ऐसी आर्थिक, कृषि और वित्तीय नीतियां बनानी चाहिए जो किसानों के लिए सहायक हो और यह हमारे देश में महंगाई को कम करने में सहायक हो। और ये हमारे देश में मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित रख सके।

***श्री पी.टी. थामस** (इदुक्की): मैं मुद्रास्फीति के बारे में खुली चर्चा करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय सदस्य गुरुदास गुप्त ने इस पर चर्चा करते समय यह प्रश्न उठाया था कि क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जानते हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य गुरुदास

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जी को यह सूचित करना चाहता हूं कि यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है जो वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे और जिन्होंने अपने असाधारण साहस से इस देश को बचाया था। आज हम सभी जानबूझ कर उन दिनों को भूला रहे हैं। जब हमारे देश ने गंभीर-संकट का समय झेला था। हमें प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के लिए उन का आभार व्यक्त करना चाहिए। आज हमारा देश एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है। हम सभी जानते है कि मुद्रास्फीति मोंग और आपूर्ति से गहराई से जुड़ा है। ग्रामीण भारत हर तरह के खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है लेकिन हमारे देश के किसानों को उनकी कड़ी मेहनत का उचित लाभ नहीं मिल रहा है।

मैं नीति निर्माताओं से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे किसानों को अत्यधिक महत्त्व दे। वे मुश्किलों का सामना करते हैं। मूल्यों के बार-बार उतार-चढ़ाव से हमारे किसानों को बुरी तरह प्रभावित करता है। वे दो जून की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं। उर्वरकों का मूल्य दिनों-दिन तेजी से बढ़ रहा है। कृषि संबंधी खर्चे को पूरा करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित रूप से बढ़ाना होगा। चालू वित्त वर्ष के बजट में किसानों के लिए 7 प्रतिशत की ब्याज के दर से किसानों के लिए 4.75 लाख करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले की तत्काल समीक्षा की जाए। बेहद दुःख के साथ मैं इस बात की ओर इंगित करना चाहूंगा कि पिछले बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किए गए प्रमुख कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। स्थानीय बैंक प्रबंधक जरूरतमंद किसानों को इस तरह का ऋण नहीं दिलवा रहे हैं। इसीलिए महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सफल नहीं हो रहे हैं।

यदि हम अपने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को देखे तो उनमें से अधिकांश कार्यक्रम इसी तरह के है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि हम इन सभी के बारे में गंभीर हैं तो हम किसानों को कुछ हद तक सहायता करके मुद्रास्फीति नियंत्रित कर सकते हैं।

सभापति महोदय : अगली वक्ता श्रीमती पुतुल कुमारी है। कृपया संक्षेप में बोले क्योंकि हमें इसके बाद 'शून्य काल' के कुछ मामलों को लेना है।

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। विषय बहुत ज्वलंत है, इस विषय पर बोलने से पहले मैं पूर्व की कुछ बातें बोलना चाहती हूं। आजादी का जो सपना महात्मा गांधी जी ने दिखाया था, उस सपने के साथ में उन्होंने दो सपने दिखाए थे–स्वाभिमान और स्वरोजगार का। स्वरोजगार का सपना इसलिए दिखाया था, क्योंकि स्वरोजगार के बिना स्वाभिमान नहीं हो सकता। आजादी मिली, लेकिन स्वाभिमान और स्वरोजगार का सपना पूंजीवादी सभ्यता की भेंट कब चढ़ गया, ये हम सब समझ नहीं सके। पूंजीवादी सभ्यता ने वैश्विक क्रांति को जन्म दिया और इस वैश्विक व्यवस्था ने आज हमें यह दिन दिखाया है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चाहे हम मुद्रास्फीति की बात करें या महंगाई की बात करें, ये एक ही तराजू के दो पलड़े हैं, एक से ही दूसरे का जन्म हुआ है। क्या बात है कि मुझसे पूर्व सदन में माननीय सदस्य ने कहा कि इसके पहले भी 15 बार चर्चा हो चुकी है। मेरे सामने यह दूसरी चर्चा है, पहले भी 15 बार चर्चा हो चुकी है। इतनी बार चर्चा होने के बाद भी हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, इस पर पकड़ नहीं बना पाए। हम महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं और यह महंगाई सुरसा के मुंह की तरह दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। यह लाचारी क्यों है, हमारी कोई योजना, हमारा कोई नियम कारगार क्यों नहीं हो पाता है? हमारी या तो इच्छाशक्ति की कमी है या फिर हमारे हालात काबू के बाहर हो चुके हैं, ये सोचने वाली बात है।

सभापति महोदय, मैं बिहार से आती हूं, मेरा संसदीय क्षेत्र बांका है। बिहार बड़े सालों से विकास की गति में शून्य पर रहा। वहां कोई भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई। हमारे बिहार में न चीनी की मिल है और न ही अन्य कोई फैक्ट्री है। वहां एक ही आजीविका का साधन सालोंसाल से था और वह था खेती। परम्परागत खेती का तरीका था, जिसके द्वारा किसान अपनी बहुत उन्नति नहीं करता था, लेकिन अपना पेट पाल लेता था। लेकिन समय के साथ-साथ उस परम्परागत खेती को भी खत्म कर दिया। महंगाई इतनी बढ़ गई, डीजल और खाद की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। पहले तो खाद मुहैया नहीं होती और जब मिलती है तो उसकी इतनी कीमत होती है कि डीजल, खाद की कीमत के बाद जब समर्थन मूल्य किसान को मिलता है तो किसान को लगता है कि वक्त चला गया है, उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। छोटा किसान परती जमीन छोड़ कर शहर का रुख कर लेता है ताकि वह छोटा काम करके अपना और अपने बीवी-बच्चों का पेट पाल सके। बिहार के लोग विकास की गति में जरूर पीछे हैं, लेकिन बिहार के लोग समस्या से जूझना जानते हैं, हिम्मती एवं साहसी हैं। मैं बड़े फख्र के साथ इस बात को कह सकती हूं कि बिहार के किसान इतनी समस्याओं के बाद आत्महत्या नहीं करते। कई बार हम लोग बात करते हैं कि विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे यहां छोटे-छोटे किसान हैं, लेकिन वे आत्महत्या नहीं करते। लेकिन वह पेट की आग से लाचार होकर जमीन छोड़ कर शहर में जाकर काम करता है। हमारे यहां दिल्ली में भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मिस्त्री एवं बढ़ई का काम करते

हैं। पूंजीपतियों के लिए बड़े-बड़े ऑलीशान बंगले बनाते हैं और खुद झोंपड़ी में रहते हैं। मुझे पता है, बिहार से ही नहीं, अलग-अलग राज्यों से भी लोग आते होंगे मैं कई बार सोचती हूं कि क्या खाते होंगे, उनका कैसे पेट भरता होगा। वे पांच-सात हजार रुपए जोड़ कर भी खाते होंगे तो उनके खाने में क्या रहता होगा? आज जब हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, टीवी में दिखाया जाता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं निर्दलीय सदस्य हूं, मेरे आप अभिभावक हैं, आप मुझे बोलने का मौका दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रत्येक निर्दलीय सदस्य प्रत्येक मुद्दे पर नहीं बोल सकता।

[हिन्दी]

श्रीमती पुतुल कुमारी: सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रही हूं। हम पोषक तत्वों की बात कहते हैं। हम कहते हैं कि दाल में प्रोटीन है, दूध पीओ, क्योंकि इसमें कैलशियम है, हरी सब्जियां और ताजे फल खाओ, लेकिन जो पांच हजार रुपए कमा रहा है, कोई चार-पांच हजार रुपए कमा रहा है, उसका इतने रुपए में पेट ही नहीं भरता, वह पोषक तत्वों की बात कैसे कर सकता है। यह एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। संविधान की इतनी व्यवस्था है, नीति निर्देशक तत्व हैं, फिर भी महंगाई, गरीबी, भुखमरी, ये जो हमारा मुख्य मुद्दा है, इन पर इतने सालों के बाद भी क्या चर्चा हो रही है? अभी तक इस पर चर्चा खत्म हो जानी चाहिए थी। क्योंकि ये नीति-निर्देशक तत्व हैं, जिनके द्वारा हम उन बातों की चर्चा करते हैं। हर बार जब सरकार बनती है तो हमारा विश्वास होता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं, वे कोई रास्ता निकालें, वरना इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो जायेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह सही है। प्रत्येक विधेयक सभी सदस्य नहीं बोल सकते आप निर्दलीय सदस्य हो सकते हैं कृपया संक्षेप में बोलने का प्रयास कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती पुतुल कुमारी: क्योंकि इससे भारत दो हिस्सों में बंट जायेगा। एक तरफ चन्द मुट्ठी भर अमीर लोग होंगे, दूसरी तरफ बड़ी गरीबी की खाई होगी। मैं आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन की, फ्रेंच क्रांति की याद दिलाना चाहती हूं। जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो जो उनकी रानी थी, उसके समर्थकों ने जब महल को घेर लिया तो रानी ने पूछा कि ये लोग शोर क्यों मचा रहे हैं तो उनकी नौकरानी ने उनको समझाया कि मैडम, ये ब्रैड के लिए रो रहे हैं तो उसने कहा कि अगर ब्रैड नहीं मिलती तो वे केक क्यों नहीं खाते। इतना संवेदनहीन होना आने वाले समय के लिए सरकार के सामने बहुत-बड़ी चुनौती हो सकती है।

महोदय, समय देने के लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री कामेश्वर बैठा शुरु अब करेंगे कुछ भी कार्यवाही वृतांत सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)... **

सभापति महोदय: कृपया केवल तीन मिनट तक ही बोलें क्योंकि हमें शून्य काल शूरू करना है।

[हिन्दी]

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति जी, आज मुझे महंगाई के सवाल पर बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आज सदन में पूरे तौर पर महंगाई के सवाल पर चर्चा हुई। गुरुदास दासगुप्ता जी ने महंगाई की चर्चा की शुरूआत की और सुषमा स्वराज जी द्वारा पूरे तौर पर महंगाई की व्याख्या की गई। तमाम माननीय सदस्य लोगों ने अपनी-अपनी बात को रखा। मैंने सारे लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। आज हमें महंगाई की जड़ में जाना होगा। मैं भी अपनी कुछ बातों को अंकित कराना चाहता हूं कि असलियत में महंगाई है क्या, गरीबी है क्या।

आप देखेंगे कि पूरे तौर पर, पूरे देश में बाल श्रमिकों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे होटलों में हो या किसी के घर में चौका-बरतन करने की हो या ईट भट्टे पर काम करने के लिए हो या माओवादियों द्वारा जो बाल श्रमिकों को, बच्चों को बाल सेना में भर्ती कर रहे हैं, उनके लिए हो। आखिर इसका कारण क्या है, इसके कारण की जड़ में हमको जाना होगा। उनके मां-बाप अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दे पाते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नही किया गया।

दे पाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं, जिसके चलते वे अपने बच्चों को बेच देते हैं, चाहे होटल में बेच दें या ईंट भट्टे पर बेच दें या किसी घर में चौका-बरतन करने के लिए बेच दें।

हम झारखण्ड प्रदेश से आते हैं, हम उस जगह से आते हैं, जहां हमारा बड़ा ही आदिवासियों का क्षेत्र है, बड़ा ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र है। आज वहां के लोग रोजगार के लिए हर समय पलायन करते हैं। आज अगहन का टाइम है, धान काटने का समय है, लेकिन पहले ही लोग रोजी-रोटी के लिए पलायन कर गये हैं सिर्फ उनके मां-बाप ही नहीं बल्कि उनके साथ बच्चे भी पलायन में शामिल होते हैं। आज मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आज महंगाई की जड़ क्या है, महंगाई की जड़ में हमको जाना होगा। हममें से कई माननीय सदस्यों ने हर चीज की एक सीमा निर्धारित करने की मांग की है। जिस तरह से किसानों को 15 एकड़ जमीन रखने की उनकी एक सीमा निर्धारित की गई है तो देश के अन्दर जो तमाम उद्योगपति कल-कारखाने लगाते हैं, जो अपने लिए पूंजी उत्पादन करते हैं, कहतें है कि हम पूंजी बना रहे हैं, उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए। जब तक आप सीमा तय नहीं करेंगे, तब तक यह सारी चीजें ठीक नहीं होगीं। हम एक चीज कहना चाहते हैं ...*(व्यवधान)* अगर मुझे बोलने नहीं दिया जायेगा तो हम लोग तो दो ही सदस्य हैं, एक तो हमारे गुरु जी नहीं आये हैं, मात्र हम ही हैं, हम झारखण्ड से आते हैं, अगर हमको नहीं बोलने दीजिएगा तो हम कैसे अपनी बात को रखेंगे, इसलिए कम से कम दो मिनट तो समय दिया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप संक्षेप में बोलिए मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं और आय असली मुद्दे पर आइए उसे लबा मत खींजिए क्योंकि प्रत्येक सदस्य प्रत्येक विधेयक पर नहीं बोल पाएगा।

[हिन्दी]

श्री कामेश्वर बैठाः सभापति जी, हम यह कहना चाहते हैं कि हर चीज किसानों की जिस दाम से आप लेते हैं, उसी दाम पर देने का भी आप तरीका निर्धारित करें। लेने और देने दोनों की सीमा निर्धारित करें। जो हम बेचते हैं, तो जब हम खरीदते हैं, उस समय भी हमारी उसकी एक सीमा होनी चाहिए। आप तमाम चीजों पर जिस तरह से बड़े अमीर पूंजीपतियों के लिए सब्सिडी लागू कर रहे हैं, उसी प्रकार गरीबों के लिए भी सब्सिडी लागू करनी पड़ेगी। 85 प्रतिशत जनता के लिए आपको सब्सिडी लागू करनी पड़ेगी। तमाम चीजों का मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा, तभी जाकर आप महंगाई पर काबू पा सकते हैं, वरना महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो जाएगी कि लोग जल उठेंगे, उबल उठेंगे और कोई इससे बचाने वाला नहीं होगा।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली): इस अति महत्त्वपूर्ण चर्चा पर बोलने की अनुमति देने पर मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मूल्यवृद्धि का मूल कारण क्या है। जब मांग और आपूर्ति के बीच अंतर होता है तब मूल्यवृद्धि होती है। यदि मांग आपूर्ति से अधिक है तब हम मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि देखते हैं।

दूसरा प्रासंगिक मुद्रा यह है कि वर्ष 1991 में वैश्विकरण की नीति अपनाने के पश्चात् बड़ी संख्या में उच्च मध्यम वर्गीय वर्ग अधिक धन कमाने लगे हैं और गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब हो जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप माँग में अत्यधिक वृद्धि हो गई है परंतु आपूर्ति में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है।

मैं सरकार को कुछ कदम उठाने का सुझाव देना चाहूंगी उदाहरण के लिए, सरकार को उत्पादकता में वृद्धि करने के मुद्देनजर कृषि क्षेत्र और कृषि अनुसंधान को प्राथमिकता देनी होगी। सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। यह सच है कि सरकार वे उर्वरकों पर राज सहायता घटा दी है। बीजों और उर्वरकों के मूल्यों को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए और अधिक धन राशि निर्धारित की जानी चाहिए। विचोलियों की समस्या को पूरी तरह दूर किया जाना चाहिए क्योंकि वे किसानों का लाभ ले जाते हैं।

मैं कालाबाजारियो, सट्टेबाजों और जमाखोरों की भूमिका के बारे में इसके पहलू को सामने लाना चाहूँगी। उनके विरूद्ध कठोर दंड देना आरंभ किया जाना चाहिए क्योंकि इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठप होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए तथा गरीबों तथा एपीएल परिवारों को भी सब्जियों सहित अधिक से अधिक आवश्यक वस्तुएं रियायतो दरों पर दी जानी चाहिए और सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कारगरता की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए।

खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन निगरानी प्रकोष्ठ है। परंतु यह आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में कुछ वर्षों में बुरी तरह असफल रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य में कहे गए एक नए मुद्दे का उल्लेख करते हुए सम्मान करूंगी कि सरकार मुद्रास्फीति को घटाकर अधिक स्वीकार्य स्तर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक स्वागत योग्य वक्तव्य है। हम इसका समर्थन करते हैं हम आशा करते हैं कि सरकार इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के प्रयास करे और मुद्रास्फीति को घटाने में सफल रहे ताकि गरीबों को और समस्याओं का सामना न करना पड़े।

सभापति महोदयः इस चर्चा का उत्तर कल दिया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सभा 'शून्य काल' शुरू करेगी।

[हिन्दी]

डॉ ज्योति मिर्धा (नागौर): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं। आपको ध्यान होगा कि हाल ही में हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि सभी अपोजीशन के चलते हुए भी, वह रूरल एमबीबीएस का जो कोर्स है, उसको एनाउंस करने की बात कर चुके हैं। मैं चाहूंगी कि आपका इंटरवेंशन इसके अंदर हो। रूरल एमबीबीएस एक तो रिट्रोग्रेट स्टेप है। जो चीज आज से कई सालों पहले हमने लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो काडर था, उसे खत्म करके, दो साल का एक स्पेशल कोर्स उनके लिए लाकर उनको एमबीबीएस के ऐट पार लेकर आए थे। सारे मेडिकल स्कूल्स को हमने बंद किया था। आज फिर से हम वर्ष 2011 के अंदर एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं, जो कि दोहरे मापदंड करेगा। राज्यों के अंदर जो गरीब हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके लिए रूरल एमबीबीएस, जो कि तीन, साढ़े तीन साल के अंदर चालीस माड्यूल पढ़कर डाक्टरी का कोर्स करके आएँगे, वे लोग उनका इलाज करेंगे और शहरों के अंदर एमबीबीएस डाक्टर मिनिमम क्वालिफिकेशन मानी जाएगी।

सायं 7.00 बजे

इसमें बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर के साथ-साथ जो डॉक्टर्स को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, आप उनकी भी ट्रेनिंग करेंगे कि आप इन डॉक्टर्स को नए सिरे से पढ़ाएंगे। इसलिए तुम्हारी भी ट्रेनिंग दुबारा से होगी। हम सभी जानते हैं कि गांवों में डॉक्टर्स की कमी है इसका मतलब यह नहीं है कि आप कम्पाउण्डर की ट्रेनिंग दें और उस के ऊपर डॉक्टर को स्टीकर लगा कर गांवों में उन्हें भेज देंगे तो गांवों की जो गरीब जनता है, जो अनपढ़ हैं उनके साथ यह खिलवाड़ होगा। यह अनकान्सिट्टूशनल है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ की जो स्टैंडिंग कमेटी है वह इस सब्जेक्ट को इग्जैमिन कर रही है। वह इसको इवैल्यूएट कर रही है। वहां पर मंत्रालय बहुत पक्का जवाब नहीं दे रहा है। सदन के अंदर बारबार रिपीट होने के बाद भी कि उसको सदन के अंदर ले कर आएं। रूरल एमबीबीएस को एक बार डिसकस करें। इस पर डिस्कशन भी अभी तक नहीं हुआ है। मेरा सदन से निवेदन है कि हेल्थ मंत्री इस पर एक कॉल लें...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* महोदय, यह अति महत्त्वपूर्ण है *(हिंदी)* यह अनकान्सिट्टूशनल है। रूरल एमबीबीएस, गांव के डॉक्टर चालीस माड्यूल पढ़ कर और साढ़े तीन साल के अंदर डॉक्टर बन कर चला जाएगा और वह डाक्टर माना जाएगा। ...*(व्यवधान)* इसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि इसके ऊपर ऐक्शन जरूर लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. चाको (थ्रिसूर): महोदय, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए ...*(व्यवधान)* इसे रोक जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री पी. सी. चाको, श्रीमती अन्नू टंडन, श्रीमती बोचा झाँसी लक्ष्मी, श्री सज्जन वर्मा, श्री अर्जुनराम मेघवाल, श्री धनजय सिंह, श्री कमल किशोर 'कंमाडो', श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट, श्री गोरख नाथ पांडेय, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल और डॉ. पी वेणुगोपाल को डॉ. ज्योति मिर्धा द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री पी. कुमार (तिरूचिरापल्ली): महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तिरूचिशपल्ली, तमिलनाडु के चार प्रमुख शहरो में से एक है। वर्तमान में शहर की जनसंख्या 12 लाख है। वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए तिरूचिरापल्ली शहर जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं। समाचार पत्र में यह खबर छपी है कि तिरूचिरापल्ली शहर का नाम जे.एन.एनयू.आर. एम की सूची में सम्मिलित किया गया है। परंतु मुझे आश्चर्य है कि शहरी विकास मंत्रालय की सूची के अनुसार जे.एन.एन.यू.आर. एम. शहरों की सूची में तिरूचिरापल्ली का नाम नहीं है।

तिरूचिरापल्ली शहर आठ राज्य राजभागों तथा चार राष्ट्रीय राजभागों से जुड़ा हुआ है। तिरूचिरापल्ली राज्य के मुख्य शहरों में से एक है तथा तमिलनाडु और आस-पास के राज्यों से लोग नियमित रूप से यहां आते रहते हैं। भ्रमणशीय आजादी के कारण तिरूचिरापल्ली में दिनों-दिन यातायात की भीड़ बढ़ती जा रही है। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अंतर्गत तिरूचिरापल्ली शहर को वित्तीय सहायता की जरूरत है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से मैं शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि तिरूचिरापल्ली को जे.एन.एन.यू. आरएम योजना के शहरों की सूची में सम्मिलित किया जाए तथा शहर के विकास के लिए वित्तीय सहायता जारी की जाए।

[हिन्दी]

श्री रतन सिंह (भरतपुर): महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया गया इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय, भरतपुर शहर जो राजस्थान राज्य में हैं, में दो ओवरब्रिज रेलवे लाइन्स पर पिछले तीन वर्षों से निर्माणाधीन हैं। एक ओवरब्रिज भरतपुर से कुम्हेर व दूसरा भरतपुर से मथुरा सड़क रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण किया जा रहा है। एक ब्रिज 252 एल. सी. पर और दूसरा 244

एल.सी. पर निर्माणधीन है। निर्माण कार्य की गति अत्यधिक धीमी है। यह प्रायः बंद ही है जिससे आमतौर पर सभी व्यक्तियों का परिवहन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। कई-कई घंटे परिवहन जाम/अवरूद्ध रहता है। परिवहन सुविधा हेतु यहां कोई उपयुक्त बाईपास सर्विस रोड भी नहीं बनाई गई है। माननीय रेलवे मंत्री महोदय से, सदन के माध्यम से निवेदन है कि इन दोनों रेलवे ओवरब्रिजों को शीघ्र बनाने के आदेश प्रदान करें। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने उनका एप्रोच रोड का पूरा निर्माण कर दिया है।

माननीय रेलवे मंत्री महोदय, इन दोनों ब्रिजों को शीघ्र बनाने के आदेश प्रदान करें, जिससे सभी आम आदमियों एवं किसानों के लिए परिवहन सुगम एवं सहज हो सके।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरूलिया): महोदय, मैं पश्चिम बंगाल में आद्रा मंडल के अंतर्गत दक्षिण पूर्व रेल के अंतर्गत कोटशिला से पुरूलिया के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण से संबंधित इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। रांची से पुरूलिया के बीच की दूरी 122 किलोमीटर है। 88 किलोमीटर तक रेल लाइन का दोहरीकरण हो चुका है। केवल 34 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण बाकी है। हमने माननीय रेल मंत्री से बार-बार अनुरोध किया है लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया है। यदि कोटशिला पुरूलिया के बीच 34 किलोमीटर की रेल लाइन का दोहरीकरण हो जाता है तो यह यात्री सुविधा की दृष्टि से बहुत प्रभावी होगा। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है, और झारखंड में बोकारो, दुर्गापुर और जमशेदपुर; जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी हैं; तथा वहां पर अन्य संबंधित उद्योग भी है। इसलिए 34 किलोमीटर की इस रेल लाइन को दोहरीकरण किया जाना चाहिए। लागत भी बहुत अधिक नहीं होगी क्योंकि इस पर कोई नहीं है और पुलकी भी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि 34 किलोमीटर इस रेल लाइन को तत्काल दोहरी लाइन बनाया जाए जिससे गरीब लोगों को व्यापक रूप से साथ मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, यूपीए सरकार वन द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बैलगाड़ी के जमाने में धकेल दिया गया है। यूपीए सरकार टू और उनका प्रशासन अंडमान को काले पानी के दिन याद दिलाते हैं। जो लिंक रोड, लाइफ लाइन है, 1979 में अंडमान ट्रंक रोड के दोनों तरफ यानी राइट एंड लैफ्ट में विकास के नाम पर दो सौ मीटर जमीन छोड़ दी गई थी। अंडमान निकोबार असैम्बली नहीं है, सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। दिल्ली के अधिकारियों ने अंडमान जाकर और ऐसी रूम में बैठकर काला कानून बनाया। उस कानून का नमूना मेरे हाथ में है। 15 सितम्बर, 2004 में कानून बनाया गया। उस कानून द्वारा एटीआर के पास जो दो सौ मीटर जमीन थी, सैंट्रल लाइन एटीआर से लैफ्ट एंड राइट में 200 मीटर ज़मीन को काटकर तीस मीटर कर दिया गया। बाकी जो 170 मीटर ज़मीन बची, उसे जारवा रिजर्व के नाम पर दे दिया गया। फरवरी, 2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा दिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर तक नेशनल हाईवे दिया गया। जब यूपीए सरकार वन आई, 25 अगस्त, 2005 को जो नेशनल हाईवे एटीआर 333 मिलोमीटर था, 227 किलोमीटर कर दिया गया, 106 किलोमीटर काट दिया गया। उसके बाद 30 अक्टूबर, 2007 में बफर जोन लाया। उस समय अकेले ही कानून बना दिया गया और किसी से नहीं पूछा। क्या कभी आपने भारत के विभिन्न राज्यों के बीच में बफर जोन सुना है? मेरे पास अंडमान-निकोबार का मैप है। समुद्र में पांच किलोमीटर जारवा रिजर्व। यदि वहां अंडमान का कोई भी व्यक्ति घुसेगा तो उसे तीन साल से सात साल की जेल और फाइन होगा। वे इससे भी शांत नहीं हुए। मैप में जो सफेद लाइन दिखाई गई है, समुद्र में पांच किलोमीटर बफर जोन और गांव में पांच किलोमीटर बफर जोन। इस कानून के परिणामस्वरूप अंडमान तबाह हो चुका है। उसके बाद अंडमान निकोबार प्रशासन जारवा की रक्षा हेतु सरकार के पास एक पत्र पड़ा है। अंडमान-निकोबार एबोरिजिनल ट्राइब्स का जो कानून बना हुआ है, उसे सख्त करने के लिए यह फाइल पड़ी है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मैंने एक पत्र उपराज्यपाल महोदय को लिखा है कि आज अंडमान निकोबार में लोकशाही असेम्बली नहीं है, इसलिए सही लोकशाही ही होगी हमारी ग्राम सभा। श्री प्रणब बाबू 7 तारीख को एफडीआई पर बोल रहे थे कि स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। अब कौन स्टेक होल्डर होगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया भाषण मत दीजिए कृपया मूल बिन्दु पर आइये।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय: किसान लोग होंगे, मुख्य मंत्री होंगे या पोलिटिकल पार्टीज होंगी। हमने उपराज्यपाल महोदय से मांग की कि अंडमान के स्टेक होल्डर कौन हैं-ग्राम सभा जहां सभी पोलिटिकल पार्टीज और जन-प्रतिनिधि तथा गांव के लोगों की सही लोकशाही। इसलिए ग्राम सभा में भारत सरकार जाये, उपराज्यपाल

महोदय जायें और कानून में परिवर्तन करते हुए अंडमान को बचायें, इस मांग को लेकर मैं अनुरोध करूंगा। वर्ष 2004-05 में जो कानून बनाया गया था, वह अंडमान का दुश्मन है, अंडमान की तरक्की को रोकने वाला है, उसे तुरंत कैंसिल करके ग्राम सभा से पास करके भारत सरकार नया कानून बनाये। इस मांग के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. आई. शानवास (वलाकाड): सभापति महोदय आपने मुझे एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया जो न केवल मेरे चुनाव क्षेत्र से बल्कि पूरे देश में सभी चुनाव क्षेत्रों से संबंधित है और इसके लिए आपको धन्यवाद। किसानों की आत्महत्या ने मुद्दे की तरह शैक्षिक ऋण के भार से संबंधित एक अन्य मुद्दा भी देश में हर जगह चर्चा में है।

जब शिक्षा ऋण को उदार बनाया गया था। तब सभी को ऋण मिल गया था। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों, विशेष कर गरीब लोगों में शिक्षा ऋण प्राप्त किया। अब गरीब लोगों के पास 119 से बड़ी समस्या यह है कि वे इस ऋण को कैसे चुकाएं। हमने सोचा था कि देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश होगा। 'शून्य काल' में मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2009 में संप्रग की सरकार ने शिक्षा ऋण पर ब्याज माफ कर दिया था। समस्या यह है कि बैंक ने उन लोगों से ऋण की वसूली शुरू कर दी है जिन्होंने 2009 से पहले ऋण लिया गया था। गरीब किसान माता-पिता जो सहगाटंरी दाता हैं, वे काफी परेशानी में है। बैंक 10.5 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक ब्याज वसूल कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में पूर्ण होने के बाद कोई भी छात्र ऋण का भुगतान नहीं कर पाएगा।

इसी लिए, आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वह ब्याज दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने के लिए कदम उठाए और एक संशोधित भुगतान समय सारणी भी जारी करे जो अध्ययन पूरा होने के बाद कम से कम 3 वर्ष का हो। अन्यथा जो किसान यह गांरटीदाता हैं वे अण का भुगतान नहीं कर पाएगें और वे आत्महत्या कर लेंगे। देश के लिए यह बड़ी त्रासदी होगी।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): माननीय सभापति महोदय, आज छः घंटे प्राइज राइस पर जो चर्चा हुई, उसी से जुड़ा हुआ मेरा जीरों ऑवर का विषय है। पिछले दो दशकों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन 18 गुना बढ़े हैं, लेकिन गेहूं और धान के समर्थन मूल्य मात्र 5 गुना बढ़े हैं। हालांकि इस दौरान खेती की लागत के दाम बढ़े, जिसकें कारण उपज की लागत, उसकी बिक्री या कीमत के लगभग बराबर हो गयी है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकारें लागत मूल्य का आंकलन करके भावी समर्थन मूल्य के लिए अपनी सिफारिशें भेजती है। लेकिन केन्द्रीय लागत मूल्य आयोग उन सिफारिशों को खास तवज्जो नहीं देता और स्वयं का आंकलन करके फसलों के समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है।

स्वामीनाथन आयोग लागत पर 5 प्रतिशत लाभांश की सिफारिश करता है फिर भी अमल के बाद किसानों को न्यूनतम मजदूरी मिल पायेगी। खेती के सभी इनपुट पूंजी पर निर्भर हो गये हैं। खेती की उपज लाभकारी बाजार में नहीं जुड़ पायेगी। अधिकांश फसलों की खरीद की व्यवस्था भी विफल रहती है। अधिक फसल आने पर दरें गिर जाती हैं तथा अधिक मात्रा में मंडियों में उपज पहुंचने पर भी दरें गिरती रहती हैं।

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उपरोक्त स्थिति के निवारण हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? मैं यह भी अनुरोध करना चाहती हूं, कि फसलों के उत्पादन के आयात-निर्यात को फसल चक्र के साथ जोड़ा जाये। धन्यवाद।

श्री सज्जन वर्मा (देवास): महोदय, मैं मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र से सांसद हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भूतल परिवहन विभाग द्वारा गत वर्ष दस सड़कें केन्द्रीय सड़क निधि से मंजूर की गयी थीं। दुर्भाग्य का विषय यह है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। दो बार केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये की राशि मध्य प्रदेश सरकार को दी, उन दस सड़कों के लिए दो बार टेंडर हुए, लेकिन दोनों बार टेंडर की प्रक्रिया मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बीच में रोक दी, मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि भूतल परिवहन विभाग का कोई कंट्रोल राज्य सरकार पर नहीं है। कम से कम केंद्रीय भूतल परिवहन विभाग अपनी नीतियों में परिवर्तन करे जो करोड़ों, रुपये की राशि राज्य सरकारों को भेजती है, वहां पर कोई दबाव हो, ताकि जिन सड़कों को पहले मंजूर करते हैं, वे सड़कें पहलें बनें। मेरे प्रकरण में उदाहरण यह है कि जो राशि मेरे क्षेत्र के लिए गई, वह मेरे क्षेत्र में खर्च न होकर, दूसरे क्षेत्र में जहां बीजेपी के सांसद हैं, वहां की सड़कों के टेंडर कॉल करके, वहां की सड़कें बनना चालू हो गयी हैं। मेरा अनुरोध केंद्र सरकार के भूतल परिवहन विभाग से यह है कि अपनी नीतियों में सुधार करें जिससे कम से कम अनजस्टिस न हो, इस पर रोक लगाएं, वरना मुझे बाध्य होकर भाजपा की प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार के खिलाफ न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ेगा।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): महोदय, मैं इस सभागृह के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर डिपों में आग लगी थी और उसके बाद एमबी लाल

कमेटी का निर्माण हुआ। उस कमेटी ने बहुत से सुझाव दिए, उसके बारे में कई बैठकें हुई, कई निर्णय भी हुए, उसके बाद भी तीन-चार जगह पर आयल डिपो में आग लगी, चाहे वह आईओसी का हो, बीपीसीएल का हो एचपीसीएल का हो या ओएनजीसी का हो और इनमें बहुत से लोगों की जान गयी। इसके बाद भी अग्निरोधक उपकरण बिठाने के बारे में बार-बार चर्चा हुई, सुझाव दिए गए, उसके टेंडर निकाले गए, लेकिन टेंडर निकालने के बाद एक साल से ज्यादा समय होने के बावजूद जिस प्रकार से इस कमेटी ने सुझाव दिए थे, उनके माध्यम से जो काम होने चाहिए था, वह हुआ नहीं। इसका क्या कारण है, यह हमारे जेहन में नहीं आया। इसके बावजूद जिन लोगों को इसमें मृत्यु-हानि हो गयी, उनको मुआवजा नहीं मिला। जयपुर की घटना को हुए तीन साल हो गए, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला। हर जगह पर बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी जिस गति से मंत्रालय काम कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, वह सही नहीं है। इसलिए इस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। अमेरिका में अभी आग लगी थी, वहां इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उन्होंने मात्र छः घंटे में आग पर काबू पा लिया। हमारे यहां आग लगी और वह 24 घंटे तक चली है। इसलिए इसके लिए तुरंत अग्निरोधक बिठाने की कार्यवाही एमबी लाल कमेटी के मुताबिक होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मैं श्री गांधी की स्पीच के साथ एशोशिएट करता हूं।

श्री विष्णु पद रायः महोदय, मैं श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी जी की स्पीच के साथ एशोशिएट करता हूं।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच, उत्तर प्रदेश भारत और नेपाल सीमा का एक इलाका है, नेपाल से निकलने वाली सारी नदियां और पानी सीधे बहराइच में प्रवेश करते हैं जिससे वहां हर साल भयंकर बाढ़ आती है जिसके कारण वहां धन, पशु एवं जन हानि होती है। अगर वहां किसी प्रकार का विकास होता है, तो हर साल बाढ़ आने के बाद वह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। वहां जलजमाव के कारण तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बाढ़ के कारण तमाम तटबंध टूट जाते हैं पानी आने के बाद बड़े बांध एवं तटबंध भी तितर-बितर हो जाते हैं। मैं 15 अगस्त, 2011 की घटना का एक प्रकरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मैंने खुद 62 से 64 किलोमीटर तटबंध का निरीक्षण किया, जिस तटबंध का नाम है—बलहा और बहरौली। वहां का बांध इतना क्षतिग्रस्त है कि उसे जब मैंने देखा तो उत्तर प्रदेश के कार्य करने वाले अधिकारी जो थे, वे न तो उसे टच कर रहे थे और न ही उस पर कोई काम कर रहे थे। मैंने स्वयं सिर पर ईंट-पत्थर उठाए, तो वहां पर जो जनमानस इकट्ठा हो रखा था, वे भी मेरे साथ हो लिए और हम सभी ने वहां काम करना शुरू किया। इस कारण वहां बाढ़ का पानी रोका जा सका। मेरा अनुरोध है केन्द्र सरकार से कि 2010-2011 और 2011-2012 से जो पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को खासकर बहराइच को भेजा गया है, उसका निरीक्षण कराया जाए, जांच कराई जाए। अगर किसी प्रकार की उसमें त्रुटि मिलती है तो राज्य सरकार को दोषी ठहराया जाए।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति जी, मैं उस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जब इसी सदन में भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बिहार के प्रथम मुख्य मंत्री डॉ. श्रीकृष्ण के आग्रह पर बरौनी में सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला तेलशोधक कारखाना स्थापित करने की घोषणा की थी। वह स्थापित भी हुआ। उनकी घोषणा के साथ-साथ यह भी निर्णय हुआ था कि जब तेल शोधक कारखाने चलेंगे, उनके नाफ्था से पेट्रो-केमिकल की 37 यूनिट्स स्थापित होंगी और बरौनी भारत का लंकाशायर बनेगा।

जब इंदिरा जी वहां गई थीं, मैं भी उस वक्त था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था। राजीव जी गए थे तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था। लेकिन बड़ी वेदना के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बरौनी तेलशोधक कारखाने की स्थापना के बाद इस देश में जहां भी तेलशोधक कारखाने की स्थापना हुई, पेट्रो-केमिकल यूनिट्स उसके नाफ्था से स्थापित हुई। लेकिन बरौनी तेलशोधक कारखाना बांझ बनकर रह गया। मैं आपके माध्यम से यूपीए सरकार से आग्रह करता हूं कि यह इतिहास की धरोहर है, एक महान आत्मा एक महान चैतन्य आत्मा की घोषणा है। आज बिहार औद्योगिक पिछड़ेपन का शिकार है। लाखों नौजवान बेराजगार हैं। जनता की लोकतंत्र में जो आस्था है, उसमें दरार पड़ती जा रही है और आतंकवाद तथा उग्रवाद फैलता जा रहा है।

सभापति जी, बरौनी तेलशोधक कारखाने का विस्तार हुआ। सन् 1980 पी.सी. सेठी जी द्वारा घोषणा की गई और बरौनी में जाकर और पेट्रो-केमिकल यूनिट का शिलान्यास करना भी निर्धारित हुआ। लेकिन उनके पुत्र की बीमारी के कारण वह मुम्बई से नहीं आ सके और वह घोषणा धरी की धरी रह गई। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतिहास ने जो हमें पीड़ा दी है, जो हमारे साथ नाइंसाफी की गई है, हमारी जो अवहेलना हुई है, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि बरौनी तेलशोधक कारखाने के साथ जो उसका नाफ्था है, उसमे पेट्रों-केमिकल कारखाना लगाया जाए। जो एरोमैटिक कमेटी है, उसने भी तय किया था कि एरोमैटिक के कारखाने खोले जाने चाहिए।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत गम्भीर विषय की ओर सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र कालाहांडी और नवपाड़ा जिले में आता है। जब जून और जुलाई माह में बारिश कम हुई, तो किसानों को लगा कि अकाल आने वाला है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में किसान बैंक पहुंच गये और कृषि बीमा करने के लिए कहने लगे और करीब 42 ब्रांचेज जो कालाहांडी और नयापाड़ा में है और जिसकी नोडल ब्रांच भुवानी-पटना में है। इसमें करीब 22365 किसानों ने क्रॉप इंश्योरेंस की थी। जुलाई 25 से जुलाई 31 तक और बाद जब तारीख बढ़ायी गयी तो किसानों ने अगस्त 16 तक क्रॉप इंश्योरेंस की थी उसका पैसा बैंक में भरा। उसके बाद जो नोडल ब्रांच भुवानी-पटना है उसने सारे प्रीमियम को कलैक्ट करके डिक्लेरेशन फार्म के साथ, कॉटअप डेट जो था एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड का वह 16 सितम्बर, 2011 था, उसमें डिमांड ड्राफ्ट जो है एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रीजनल ऑफिस भूवनेश्वर के नाम पर भर के 7 अक्टूबर को, डिक्लेरेशन फार्म के साथ प्रीमियम एमाउंट भी जमा किया था। इसके बाद जो एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड रीजनल ऑफिस भूवनेश्वर ने कुछ कमियां स्क्रूटनी में निकालकर डिक्लेरेशन फार्म को नोडल ब्रांच को भेज दिया। नोडल ब्रांच ने करैक्ट करके वापस भेजा तो उसे डिक्लेरेशन फार्म और प्रीमियम एमाउंट को एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्वीकार नहीं किया।

महोदय, इस समय भयानक अकाल दोनों जिलों में है और 75 प्रतिशत से ज्यादा क्रॉप की हानि हो चुकी है। किसान त्रस्त हैं और अगर इन किसानों के प्रीमियम एमाउंट को सरकार स्वीकार नहीं करेगी, एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्वीकार करेगी नहीं, तो किसानों की क्या स्थिति होगी, यह आप सोच सकते है। महोदय, यह पैसा छोटे और गरीब किसानों द्वारा इंश्योरेंस किया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन और चेयर को निवेदन करता हूं कि एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मार्ग-दर्शन दिया जाए, निर्देश दिया जाए कि किसानों के प्रीमियम एमाउंट और डिक्लेरेशन फार्म को स्वीकार करें। ऐसा नहीं हुआ तो 22365 किसानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और मेरा यहां सदन में आने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। महोदय, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि किसानों का क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा देने के लिए चेयर से निवेदन कर रहा हूं, नहीं तो मेरे पास आमरण अनशन हाउस में करने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। आप इस ओर ध्यान दें और चेयर की ओर से मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, मेरे किसानों को प्रोटेक्शन दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): सभापति महोदय, इस सभा में अविलबनीय लोक महत्व के विषय को उठाने के लिए मुझको अवश्य प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद। पिछले कुछ वर्षों से कर्मचारी विभिन्न निधि योजना की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इसके दोषपूर्ण क्रियान्वयन के कारण इसके लाभर्थी भी बहुत मुश्किल में है। आजकलण जीवन यापन खर्च और चिकित्तीय खर्च में बड़ी से वृद्धि हुई है। पेशनभोगियों को न्यूनतम 3000 रुपये का पेंशन आवश्य दिया जाना चाहिए और निजी तथा जिला कामकारों को सम्मिलित करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। 35 लाख पेंशनभोगियों में से 14 लाख पेंशनभोगियों को 500 रुपये से कम पेंशन मिल रही है और यह उल्लेख करना उनके लिए अपमानजनक होगा कि उनमें से कुछ लोगों को तो मात्र 12 रुपयें प्रतिमाह की दर से पेंशन मिल रही है। अपने सेवा काल में इन लोगों ने इस योजना के लिए कई वर्षो तक अंशदान किया था और सेवा काल के अंतिम दिनों में उन्हें इतनी कम राशि पेंशन के रूप में मिल रही है। यदि उन लोगों ने यह राशि बैंक में बचत खाते में जमा की होती या जमा को किसी अन्य योजना में जमा की होती तो उस पर मिलने वाला ब्याज भी कर्मचारी भविष्य निधि से ज्यादा होता।

काजू के क्षेत्र में अधिकांश कामगार महिलाएं हैं और उन में से सभी गरीबी रेखा से नीचे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वे इस नाम मात्र की पेंशन पर ही पूरी तरह आश्रित होती हैं। पूर्व में उन्हें मृत्यु-निधि प्राप्त होती थी और उसकी परिवर्तन की सुविधा थी। लेकिन नई योजना लागू होने के बाद मृत्यु-निधि और परिवर्तन सुविधा को वापस ले लिया गया है। इसे पुनः बहाल किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पेंशन राशि को बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपए करने के लिए आवश्यक कदम उठाए तथा यह धनराशि गरीब पेंशनभोगियों के हितो की रक्षा के लिए शीघ्र तथा योजना के विभिन्न स्रोतों से क्रियान्वित अविलम्ब प्राप्त की जाए।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति जी, मैं उस इलाके की पीड़ा व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिस इलाके के वीर कुंवर सिंह ने गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जिस इलाके के रहने वाले शेरशाह सूरी ने पूरे हिन्दुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सड़क शेरशाह सूरी पथ बनाकर पूरे भारत राष्ट्र को जोड़ने का काम किया था।

महोदय, मैं उस इलाके की बात कर रहा हूं, जहां भारत की संस्कृति ने जन्म लिया। विश्वामित्र के आश्रम में राम ने ज्ञान प्राप्त

किया और वह बक्सर, भोजपुर, कैमूर और रोहतास आज भी बिहार की राजधानी से तरीके से नहीं जुटा हुआ है। दो पथीय राष्ट्रीय राजमार्ग मोहनीया-आरा और राजमार्ग बक्सर-आरा; ये दोनों जहां आरा में मिलकर के पटना की तरफ सड़कें जाती हैं, आज भी वहां के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ रेल सह सड़क कोइलवर पुल आज किसी काम का नहीं है। हम लोगों के अथक प्रयास के बाद दो लेन की सड़कें चार लेन में बदलने वाली हैं, लेकिन एक पथीय कोइलवर में एक सोन ब्रिज है, सोन जैसी बड़ी नदी पर। वहां यदि चार लेन का पुल नहीं बना तो राष्ट्रीय राजमार्ग मोहनीया-आरा, राजमार्ग बक्सर और आरा, जो राजधानी से जोड़ता है पश्चिम के इलाकों को कोई फायदा नहीं होगा। इतना महत्वपूर्ण, पौराणिक और ऐतिहासिक इलाके के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

अत: मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सड़कों का आवागमन सही ढंग से बिहार की राजधानी से बिहार के पश्चिम के इलाके का हो सके, इसके लिए सोन पर एक नया ब्रिज चार लेन का बनाया जाए, ताकि आवागमन उस इलाके के लोगों को उपलब्ध हो सके। संयोग से वह इलाका अपने आप में बहुत पिछड़ा हुआ नहीं हैं, विकसित इलाका है। लेकिन आवागमन के साधन के अभाव में चाहे व्यापार हो, चाहे राजधानी में जाने का कोई विषय हो, लोगों का आना-जाना रूका पड़ा है। आवश्यक है कि फोर लेन की बन रही दोनों सड़कों के लिए राजधानी से जोड़ने के लिए सोन पर एक नया ब्रिज फोर लेन का कोइलवर में बनाया जाए।

श्री हरी माझी (गया): सभापति महोदय, मैं आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं। बिहार के गया जिले में एक एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। स्थानीय लोगों और बिहार के लोगों की मांग है कि गया जिले के हवाई अड्डे का नाम भगवान बुद्ध के नाम पर रखा जाए। बिहार विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है, जो केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है।

मैं सदन से मांग करता हूं कि हवाई अड्डे का नाम भगवान बुद्ध के नाम पर रखा जाए।

श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट (कच्छ): महोदय, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात सदन के सामने रखना चाहती हूं। मैं कच्छ क्षेत्र से आती हूं और यहां तीन महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं–कंडला, नवलखी और मुंद्रा। इन पोर्ट्स पर जब भी कभी बाहर से कोयला आता है, तो यहां से ट्रेन के वैगन द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में ले जाया जाता है। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि जब विदेशों से आ कर इन तीनों पोर्ट्स पर उतरता है, तो वह कोयला खुले वैगंस में ले जाया जाता है। जब वे खुले वैगंस शहरों से गुजरते हैं, तो कोयला उड़ता है, जिससे आस-पास के गांवों में प्रदूषण फैलता है। जब कभी सिग्नल पर ट्रेन रुकती है, तो कुछ असामाजिक तत्व इसमें चढ़ जाते हैं और कोयले की चोरी भी करते हैं। इस तरह से राष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जहां भी ट्रेन रुकती है, वहां से बहुत सारा कोयला चोरी हो जाता है और जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जहां दोनों तरफ से यह ट्रेन गुजरती है, वहां भी इसके कोयले की धूल और रजकणों से एग्रीकल्चर लैंड को भी बहुत नुकसान होता है तथा एयर और सॉइल पॉल्यूशन भी होता है।

तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी किसी छोटे शहर या कस्बे से यह ट्रेन गुजरती है तो जब इसकी धूल उड़ती है तो वहां पर बसे हुए लोगों की आंखों में यह धूल जाती है और उनकी आंखों में तकलीफ होती है, उनकी आंखों में जलन होती है। इस कारण के वहां के लोगों में आंखों की बहुत सी बीमारियां पनप गई हैं।

मैं आपके माध्यम से रेलवे मिनिस्टर को कहना चाहती हूं कि यदि रेलवे इस तरह से कोयला एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहता है तो टरपोलिन या कवर्ड वैगन्स में ले जाए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरुदासपुर): सभापति महोदय, आज शून्य काल के दौरान मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस सम्मानीय सभा को डेरा बाबा नानक-करतारपुर गलियारे की बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में इस सम्मानीय सभा को बताना चाहता हूं जो विश्व-भर के सिखों की चिर लंबित मांग है।

भारत में डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान में करतापुर साहिब के बीच में अंर्तराष्ट्रीय सीमा के आर-पार केवल दो मील की दूरी है और यह गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित है जो सिखों के प्रथम गुरु थे। करतारपुर साहिब में आदरणीय सिख गुरु ने अपने जीवन के अंतिम 17 वर्ष गुजारे थे। एक मुस्लिम कब्र, एक हिंदू समाधि और एक सिख अंगीठा जो आदरणीय गुरु को समर्पित है इस परिसर में अवस्थित हैं और इन धर्मस्थलों का एक भाग है जो करतारपुर साहिब के लिए अनोखा है।

ऐतिहासिक रूप से करतारपुर साहिब उन सिखों के लिए एक लोकप्रिय धर्मस्थल रहा है। जो डेरा बाबा नानक आते हैं। तद्यापि

विभाजन के बाद यहां पहुंचना केवल भारतीयों तक ही सीमित हो गया है। सीमा से नजदीक होने के कारण सिख करतारपुर सहिब की एक झलक लेने और अनेक वहां होने वाले कीर्तन को सुनने के लिए भारतीय सीमा में विशेष रूप से बने प्लेटफार्म जिसे शक्तिस्थल कहा जाता है पर बड़ी संख्या में आते हैं,

वर्तमान में, केवल कुछ ही भारतीयों को करतारपुर साहिब जाने की विशेष अनुमति मिल जाती है और तत्पश्चात् उन्हें वाघा बॉर्डर होते हुए एक लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। डेरा बाबा नानक करतारपुर गलियारों का निर्माण भारतीय सिखों और विश्व भर के सिखों के दिलो में बसा है। वे एक चाहते है ताकि श्रद्धालु बिना किसी बीजा और पासपोर्ट के एक विशेष गलियारे के रास्ते ऐसी व्यवस्था कि पाकिस्तानी सीमा में जाकर एतिहासिक करतारपुर साहिब धर्मस्थल जाकर पूजा अचर्ना कर उसी दिन वापस लौट आयें।

वर्ष 1999 में पाकिस्तान सरकार इस गलियारे पर सहमत हो गयी थी और यहां तक कि अपने क्षेत्र में अवसंरचनातमक निर्माण का प्रस्ताव भी दिया था। तथापि इस के बाद से अब तक इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाती हैं।

वर्ष 1999 में पाकिस्तान सरकार ने इस गलिचोर के निमार्ण के लिए और यहां तक कि अपनी सीमा में अवसंरचना का निर्माण करने की पेशकश की थी तद्यापि तब से इस मामले में सीमित प्रगति हुई है। मैं विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले को पाकिस्तान के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाए और इस गलियारे के निर्माण के लिए एक रूपरेखा तैयार करें।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): कृपया मुझे यहाँ से बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्रीमति बोचा झांसी लक्ष्मी : धन्यवाद सभापति महोदय सर्वप्रथम मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि सरकार आंध्र प्रदेश को-ऑपटैक्स के कर्मचारियों के पेंशन में वृद्धि कर। मैं देश में बुनकरों की स्थिति में सुधार के लिए एक पैकेज की घोषणा करने के लिए संप्रग सरकार के प्रति अपना हार्दिक अभार प्रकट करना चाहूंगी।

मैं आपके माध्यम से आंध्र प्रदेश को ऑपटैक्स के कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करने के संबंध में माननीय वस्त्र मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन्होंने इस संगठन में तीस से चालीस वर्ष तक सेवा की है। भारत सरकार ने लगभग सोलह वर्ष पूर्व 1955 ई. पी.एस. पेंशन स्कीम के अंतर्गत उनके लिये पेंशन स्वीकृत करने की उदारता दिखायी। उन्हें अब तक 185 रुपए से 1200 रुपए तक की अल्प धनराशि पेंशन के रूप मे स्वीकृत की है। मंहगाई के इस दौर में उनका जीवन कष्टप्रद हो गया है। इस सीमित मासिक पेंशन से उन्हें अपनी जरूरतें पूरा करना मुश्किल हो जाता है।

इस संबंध में विशेषकर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और पूरे राज्य के इन सेवानिवृत्त वस्त्र कर्मचारियों ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं मासिक पेंशन को कम से कम 6000 रुपए तक बढ़ाने के मामले को आगे बढ़ाए ताकि वे एक मर्यादापूर्ण जीवन जी सकें।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि इस देश में करीब पांच लाख से ज्यादा पोस्टल सेविंग एजेन्ट्स हैं, जिन्हें डाक बचत अभिकर्ता कहते हैं। अभी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम इन एजेन्ट्स को कोई कमीशन नहीं देंगे। इस कारण से देश में पांच लाख एजेन्टस बेरोजगार हो जायेंगे, बेकार हो जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ हम लोगों को रोजगार नहीं दे रहे है और दूसरी ओर इन लोगों को कमीशन देना बंद करने का निर्णय लेकर पांच लाख लोगों पर आपने तलवार लटका दी है। मैं कहना चाहता हूं कि इनसे सेविंग में बढ़ोतरी होती है। मैंने इस बारे में मंत्रालय से सम्पर्क किया और पूछा कि आपने यह बंद क्यों किया, उन्होंने कहा कि हमने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में कोई समिति बनाई थी जिसने कहा है कि यह पैसा बैंकों में जमा होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह पैसा बैंकों में कौन जमा कराता है? यही ऐजेंट हैं, जो घर-घर जा कर लोगों को बचत के लिए मोटिवेट करते हैं। इस फैसले से कम से कम 5 लाख एजेन्ट+25 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि आर्थिक मंदी के बावजूद बचत के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई है। वित्तमंत्री जी इस निर्णय को वापस लें और एजेंटों का कमीशन जारी रखें।

[अनुवाद]

श्री दिलीपकुमार मनुसुखलाल गांधी (अहमदनगर): मैं अपने आप को श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा शून्य काल के दौरान आज उठाए गए मुद्दे से अपने आप को संम्बद्ध करता हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): मैं अपने आपको श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा शून्य काल के दौरान आज उठाए गए मुद्दे से अपने आप को सम्बध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर)**:** सभापति जी, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के देवरिया व टकिया जिले में एन्सीफैलिटिस नाम की महामारी फैली हुई है। जल जनित यह महामारी बरसात के दिनों में फैलती है और प्रतिदिन सैंकड़ों लोग मरते हैं। बीआरडी कॉलेज में मरीजों की भीड़ कम हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रभावित नौ जिलों के अस्पतालों में आईसीयू खोलने के लिए 2031.22 लाख रुपये और इसी तरह से भारत सरकार के सहयोग से कुशीनगर में आईईसी-बीसीसी योजना बनाई गई, जिससे काफी लाभ हुआ है। इसी योजना में नौ जनपदों के लिए 481.28 लाख रुपये और इसी तरह से इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मिशन द्वारा सुदूर क्षेत्रों में अस्पताल के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मान्यवर, हजारों-लोग मर रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय **:** सभापति महोदय, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। झारखंड प्रदेश के अंतर्गत मेरे लोक सभा क्षेत्र गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में तीन जिले आते है—गिरीडीह, धनबाद और बोकारो। वर्तमान में दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, लेकिन हमारे यहां आकाशवाणी केंद्र एवं एफएम रेडियों स्टेशन स्थापित नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता आकाशवाणी एवं एफएम के कार्यक्रमों से वंचित है। इस जिले में जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल पारसनाथ है। सबसे बड़ी बात है कि किसान बहुल क्षेत्र होने के नाते किसानों को भी इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। विद्यार्थियों को भी आपसे आग्रह होगा कि यहां पर एफएम स्टेशन की ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना की जाए ताकि वहां के लोग इसका लाभ उठा सकें।

[अनुवाद]

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर)**:** मैं श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय आज शून्य काल के दौरान उठाए गए मुद्दे से अपने आप को सम्बध करता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं आज श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा शून्य काल के दौरान उठाए गए मुद्दे से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं।

सभापति महोदय: यह सभा कल दिनांक 9 दिसम्बर, 2011 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सांय 07.43 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2011/18 अग्रहायण 1933 (शक) को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री आनंदराव अडसुल श्री अधलराव पाटील शिवाजी	201
2.	श्री गजानन ध. बाबर श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	202
3.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला डॉ. एम तम्बिदुरई	203
4.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	204
5.	डॉ. अनूप कुमार साहा	205
6.	श्री गणेश सिंह श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	206
7.	श्री अर्जुन राय श्री भक्त चरण दास	207
8.	श्री कपिल मुनिकरवारिया श्री हरीश चौधरी	208
9.	श्री शिवराम गौडा	209
10.	श्री पन्ना लाल पुनिया	210
11.	श्री नारनभाई कछाड़िया योगी आदित्यनाथ	211
12.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	212
13.	श्री सोमेन मित्रा श्री वरुण गांधी	213
14.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	214
15.	श्री एल. राजगोपाल श्री वैजयंत पांडा	215
16.	श्री संजय धोत्रे श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	216
17.	श्री आर. थामराईसेलवन श्री एम.बी. राजेश	217
18.	श्री रवीन्द्र कुंमार पाण्डेय श्री दुष्यंत सिंह	218
19.	श्री अरुण यादव	219
20.	श्री ए.टी. नाना पाटील	220

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2394, 2530
2.	श्री आधि शंकर	2317, 2426
3.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	2484
4.	श्री आनंदराव अडसुल	2394, 2530
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2335, 2509
6.	श्री हंसराज ग. अहीर	2318
7.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2336
8.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2414, 2418
9.	श्री सुरेश अंगड़ी	2313, 2382, 2501
10.	श्री घनश्याम अनुरागी	2419
11.	श्री कीर्ति आजाद	2471, 2491, 2382
12.	श्री गजानन ध. बाबर	2394, 2508, 2530
13.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	2402
14.	श्री रमेश बैस	2309
15.	श्री कामेश्वर बैठा	2437
16.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	2324
17.	डॉ. बलीराम	2417
18.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	2442, 2447, 2494
19.	श्री पुलीन बिहारी बासके	2466
20.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	2446
21.	श्री ताराचन्द भगोरा	2316, 2406
22.	श्री समीर भुजबल	2449
23.	श्री पी.के. बिजू	2310, 2500

1	2	3
24.	श्री कुलदीप बिश्नोई	2343
25.	श्री हेमानंद बिसवाल	2409, 2422
26.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2498
27.	श्री हरीश चौधरी	2480, 2481, 2523
28.	श्री जयंत चौधरी	2409
29.	श्री संजय सिंह चौहान	2381, 2407
30.	श्री दारा सिंह चौहान	2363, 2415
31.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2347, 2513
32.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2433
33.	श्री भूदेव चौधरी	2455, 2468
34.	श्री निखिल कुमार चौधरी	2408
35.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2338, 2356
36.	श्री खगेन दास	2369
37.	श्री गुरुदास दासगुप्त	2382, 2455
38.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	2397
39.	श्रीमती रमा देवी	2370, 2377, 2444, 2493
40.	श्री के.पी. धनपालन	2413
41.	श्री संजय धोत्रे	2477
42.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2364, 2479, 2522
43.	श्री चार्ल्स डिएस	2415
44.	श्री निशिकांत दुबे	2465,
45.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2459
46.	श्रीमती प्रिया दत्त	2325
47.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	2453
48.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	2380, 2399
49.	श्रीमती मेनका गांधी	2396,

1	2	3
50.	श्री वरुण गांधी	2527
51.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	2401, 2448
52.	श्री ए. गणेशमूर्ति	2496
53.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	2381, 2382, 2438
54.	श्री शिवराम गौडा	2518
55.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	2436, 2441
56.	शेख, सैदुल हक	2383, 2479
57.	श्री महेश्वर हजारी	2308, 2382, 2499
58.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	2405
59.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2342, 2483
60.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2359, 2479
61.	श्री बलीराम जाधव	2408, 2440
62.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2315, 2523
63.	श्री बद्रीराम जाखड़	2328
64.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2442
65.	श्री हरिभाऊ जावले	2349, 2514
66.	श्रीमती जयाप्रदा	2304, 2478
67.	श्री नवीन जिन्दल	2350, 2516
68.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	2414, 2489
69.	श्री प्रहलाद जोशी	2309, 2445
70.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	2386
71.	श्री पी. करुणाकरण	2474
72.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2361
73.	श्री दिनेश कश्यप	2458
74.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	2322
75.	श्री लाल चंद कटारिया	2485, 2494
76.	श्री नलिन कुमार कटील	2461

1	2	3
77.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	2398
78.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2457
79.	श्री चंद्रकांत खैरे	2428, 2480
80.	डॉ. कृपारानी किल्ली	2307, 2497
81.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2320, 2488
82.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	2452
83.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2401
84.	श्री मिथिलेश कुमार	2368
85.	श्री विश्व मोहन कुमार	2490
86.	श्री पी. कुमार	2327, 2496
87.	श्री यशवंत लागुरी	2370
88.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2429
89.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2491
90.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	2390, 2485
91.	श्री नरहरि महतो	2332
92.	श्री भर्तृहरि महताब	2424
93.	श्री प्रदीप मांझी	2416, 2464
94.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	2365, 2410
95.	श्री मंगनी लाल मंडल	2397, 2477
96.	श्री जोस के. मणि	2439
97.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	2381, 2483
98.	श्री भरत राम मेघवाल	2402, 2435
99.	श्री महाबल मिश्रा	2495
100.	श्री गोविन्द्र प्रसाद मिश्र	2348
101.	श्री पिनाकी मिश्रा	2425, 2491
102.	श्री विलास मुत्तेमवार	2430, 2483
103.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2393
104.	डॉ. संजीव गणेश नागर	2423
105.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	2404
106.	श्री जफर अली नकवी	2403, 2486
107.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	2384
108.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	2367, 2525
109.	श्री संजय निरुपम	2431
110.	श्री शीश राम ओला	2421
111.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	2371, 2520, 2528
112.	श्री पी.आर. नटराजन	2371
113.	श्री वैजयंत पांडा	2482, 2483
114.	श्री प्रबोध पांडा	2373, 2479
115.	श्री राकेश पाण्डेय	2391, 2472
116.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	2470
117.	श्री आनंद प्रकाश पराजपे	2399
118.	श्री देवजी एम. पटेल	2488
119.	श्री आर.के. सिंह पटेल	2479
120.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2391, 2408
121.	श्री बाल कुमार पटेल	2451
122.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2416, 2464
123.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	2427
124.	श्री संजय दिना पाटील	2412
125.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2428
126.	श्री सी.आर. पाटिल	2429
127.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	2430
128.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2380
129.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	2440
130.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2305, 2338, 2501

1	2	3
131.	श्री नित्यानंद प्रधान	2482, 2483
132.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2502
133.	श्री अब्दुल रहमान	2436
134.	श्री प्रेम दास राय	2379
135.	श्री रमाशंकर राजभर	2419
136.	श्री पूर्णमासी राम	2384, 2422, 2423, 2467
137.	श्री रामकिशुन	2463, 2495
138.	श्री जगदीश सिंह राणा	2325, 2360
139.	श्री निलेश नारायण राणे	2337, 2510
140.	श्री रायापति सांबासिवा राव	2338, 2462, 2511
141.	श्री रामसिंह राठवा	2408, 2443
142.	डॉ. रत्ना डे	2483
143.	श्री अशोक कुमार रावत	2317, 2503
144.	श्री विष्णु पद राय	2302
145.	श्री रुद्र माधवराय	2311, 2382, 2528
146.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2354
147.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	2373, 2387
148.	श्री के.जे. एस.पी. रेड्डी	2301, 2388, 2517
149.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2319, 2344
150.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2332
151.	श्री एस. अलागिरी	2377, 2420, 2444, 2479
152.	श्री एस. सेम्मलई	2339
153.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2326, 2505, 2483
154.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2450

1	2	3
155.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2321, 2504
156.	श्री राकेश सचान	2487
157.	श्री ए. संपत	2486
158.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	2366
159.	श्रीमती सुशीला सरोज	2415
160.	श्री तूफानी सरोज	2372
161.	श्री हमदुल्लाह सईद	2306, 2462
162.	श्री अर्जुन चरण सेठी	2456
163.	श्रीमती जे. शांता	2362, 2521
164.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	2329
165.	श्री जगदीश शर्मा	2381
166.	श्री नीरज शेखर	2420, 2478
167.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2341
168.	श्री एंटो एंटोनी	2378
169.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2454
170.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	2323
171.	डॉ. भोला सिंह	2484
172.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2319, 2351
173.	श्री गणेश सिंह	2348
174.	श्री इज्यराज सिंह	2334
175.	श्री जगदानंद सिंह	2303, 2483, 2494
176.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	2388
177.	श्रीमती मीना सिंह	2348, 2374
178.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2437
179.	श्री राधा मोहन सिंह	2382, 2475
180.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2415, 2434
181.	श्री राकेश सिंह	2325, 2529

1	2	3
182.	श्री रवनीत सिंह	2340, 2512, 2491
183.	श्री सुशील कुमार सिंह	2384
184.	श्री उदय सिंह	2355, 2490
185.	श्री यशवीर सिंह	2420, 2478
186.	चौधरी लाल सिंह	2400
187.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	2476
188.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2492
189.	श्री उदय प्रताप सिंह	2485, 2494
190.	डॉ. संजय सिंह	2315, 2492
191.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2352, 2463
192.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2432
193.	श्री के. सुधाकरण	2406
194.	श्री ई.जी. सुगावनम	2358, 2479, 2519
195.	श्री के. सुगुमार	2357, 2382, 2388
196.	श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	2460
197.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2423
198.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	2436, 2469
199.	डॉ. राजन सुशान्त	2395
200.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	2331, 2507
201.	श्री मानिक टैगोर	2365, 2376
202.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2411
203.	श्री मनीष तिवारी	2389
204.	श्री जगदीश ठाकुर	2345, 2495
205.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2346
206.	श्री आर. थामराई सेलवन	2515
207.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2487
208.	डॉ. शशी थरूर	2438
209.	श्री पी.टी. थॉमस	2382, 2473
210.	श्री मनोहर तिरकी	2365, 2410, 2526
211.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	2387
212.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	2314
213.	श्री जोसेफ टोप्पो	2312
214.	श्री लक्ष्मण टुडु	2333, 2420
215.	श्री शिवकुमार उदासी	2325, 2385
216.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	2382, 2462
217.	श्री हर्ष वर्धन	2418, 2489
218.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2480, 2481
219.	श्री डॉ. पी. वेणुगोपाल	2392, 2485
220.	श्री सज्जन वर्मा	2353, 2420
221.	श्रीमती ऊषा वर्मा	2382
222.	श्री अदगुरु विश्वनाथ	2385
223.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2375
224.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	2493
225.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2394, 2530
226.	श्री ओम प्रकाश यादव	2330, 2476, 2506
227.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	2528
228.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2524
229.	श्री मधु गौड यास्खी	2380
230.	योगी आदित्यनाथ	2476

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	218
कार्पोरेट कार्य	:	
पेयजल और स्वच्छता	:	213
पृथ्वी विज्ञान	:	:
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	210
विधि और न्याय	:	203
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	220
अल्पसंख्यक कार्य	:	
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	201, 205, 212, 219
रेल	:	202, 207, 209
ग्रामीण विकास	:	208, 215, 216, 217
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	204
जल संसाधन	:	206, 211, 214.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	2301, 2310, 2312, 2320, 2323, 2347, 2366, 2372, 2389, 2390, 2393, 2409, 2411, 2412, 2422, 2446, 2459, 2508, 2524,
कार्पोरेट कार्य	:	2317, 2340, 2365, 2371, 2376, 2406, 2427, 2512,
पेयजल और स्वच्छता	:	2375, 2378
पृथ्वी विज्ञान	:	2331, 2465, 2466, 2516
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	2305, 2339, 2350, 2377, 2413, 2428, 2443, 2528
विधि और न्याय	:	2306, 2326, 2336, 2344, 2364, 2397, 2450, 2503, 2520
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	2319, 2338, 2370, 2388, 2400, 2416, 2471, 2477, 2501, 2517
अल्पसंख्यक कार्य	:	2345, 2385, 2513, 2523
संसदीय कार्य	:	–

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	2316, 2329, 2332, 2333, 2341, 2352, 2355, 2358, 2359, 2368, 2394, 2398, 2401, 2414, 2418, 2431, 2439, 2441, 2457,2462, 2463, 2480, 2481, 2488, 2492, 2493, 2497, 2498, 2499, 2506, 2510, 2511, 2529
रेल	:	2308, 2309, 2311, 2315, 2318, 2321, 2325, 2327, 2334, 2335, 2348, 2356, 2360, 2363, 2380, 2382, 2386, 2391, 2392, 2395, 2399, 2403, 2404, 2407, 2408, 2410, 2415, 2420, 2424, 2429, 2432, 2433, 2434, 2436, 2438, 2440, 2448, 2451, 2453, 2454, 2455, 2456, 2458, 2460, 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2479, 2483, 2490, 2502, 2504, 2509, 2514, 2519, 2522
ग्रामीण विकास	:	2342, 2349, 2353, 2357, 2361, 2367, 2374, 2381, 2383, 2387, 2396, 2402, 2405, 2419, 2423, 2425, 2430, 2437, 2442, 2444, 2449, 2452, 2461, 2467, 2484, 2485, 2486, 2487, 2491, 2494, 2507, 2521, 2525, 2527
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	2304, 2369, 2379, 2500, 2505, 2515,
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	2302, 2373
जल संसाधन	:	2303, 2307, 2313, 2314, 2322, 2324, 2328, 2330, 2337, 2343, 2346, 2351, 2354, 2362, 2384, 2417, 2421, 2426, 2435, 2445, 2447, 2464, 2476, 2478, 2482, 2489, 2495, 2496, 2518, 2526,2530

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/21/11/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।